

वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2023 - 24

www.uiic.co.in

आकांक्षा
Aspire
सकर्मकता
Adapt
सफलता प्राप्ति
Achieve



युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड
UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD.

(A Government of India Undertaking)



हमारा दृष्टिकोण



हमारी कंपनी की अभिलाषा है

- वैश्विक पदार्पण और पहचान के साथ भारत का सबसे पसंदीदा बीमाकर्ता।
- सभी हित ग्राहियों द्वारा प्रशंसित विश्वसनीय छ वि।
- उत्कृष्ट तकनीक और बहुमुखी चैनलों के साथ सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा प्रदाता।
- समस्त क्षेत्र के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने वाले वृहद नूतन उत्पाद श्रृंखला के प्रदाता
- अत्यधिक संप्रेरित एवं सशक्तिकृत कर्मचारी वर्ग के साथ कार्य करने का उत्कृष्ट स्थल।
- अपने सामाजिक योगदान हेतु स्थापित पहचान के साथ।



UR
VISION



We, The Company, will be

- *the most preferred insurer in India, with global footprint & recognition.*
- *a trusted brand admired by all stakeholders.*
- *the best-in-class customer service provider leveraging technology & multiple channels.*
- *the provider of a broad range of innovative products to meet the needs of all customer segments.*
- *a great place to work with highly motivated and empowered employees.*
- *recognized for its contribution to the society.*

अनुक्रमणिका / INDEX	पृष्ठ संख्या / Page No.
बोर्ड के निदेशकों का रिपोर्ट / Report of the Board of Directors	17
स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS	85
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का रिपोर्ट / Independent Auditors' Report	87
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के टिप्पणियाँ / Comments of the Comptroller and Auditor General of India	99
राजस्व खाता / Revenue Accounts	101
लाभ और हानि खाता / Profit and Loss Account	104
तुलन पत्र / Balance Sheet	106
अनुसूचियाँ / Schedules	107
खंडीय रिपोर्ट / Segmental Report	120
प्राप्तियाँ & भुगतान खाते / Receipts & Payment Account	152
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ / Significant Accounting Policies	154
नोट्स टु एकाउंट्स / Notes to Accounts	160
आयुवार लंबित दावे / Agewise of Outstanding Claims	175
लेखांकन अनुपात / Accounting Ratios	176
वित्तीय विवरणों का सारांश / Summary of Financial Statements	181
पॉलिसी धारकों का अनधियाचित राशि-आयु वार विश्लेषण/Unclaimed amount of the Policyholders - Age-wise Analysis	182
प्रबंधकीय रिपोर्ट / Management Report	183
समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	185
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का रिपोर्ट / Independent Auditors' Report	187
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के टिप्पणियाँ / Comments of the Comptroller and Auditor General of India	200
राजस्व खाता / Revenue Accounts	203
लाभ और हानि खाता / Profit and Loss Account	206
तुलन पत्र / Balance Sheet	208
अनुसूचियाँ / Schedules	210
खंडीय रिपोर्ट / Segmental Report	224
प्राप्तियाँ & भुगतान खाते / Receipts & Payment Account	256
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ / Significant Accounting Policies	258
नोट्स टु एकाउंट्स / Notes to Accounts	266
आयुवार लंबित दावे / Agewise of Outstanding Claims	283
पॉलिसी धारकों का अनधियाचित राशि-आयु वार विश्लेषण/Unclaimed amount of the Policyholders - Age-wise Analysis	284
फॉर्म एओसी - I / FORM AOC-I	285

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त छोड़ दिया गया है
This page is intentionally left blank

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



भूपेश सुशील राहुल

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(29.04.2024 से)

Bhupesh Sushil Rahul
Chairman cum Managing Director
(from 29.04.2024)



एम.वी.राव
निदेशक

M V Rao
Director



एम.जी.जय श्री
निदेशक

M G Jayasree
Director



नेहा चौहान
निदेशक

(24.04.2024 से)
Neha Chauhan
Director
(from 24.04.2024)



डॉ नितिन कुमार बक्शी
निदेशक
Dr Nitin Kumar Bakhshi
Director



अंबिकेश केशरी
निदेशक
Ambikesh Keshri
Director

निदेशक और कार्यकारी

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

भूपेश सुशील राहुल
(29.04.2024से)

सत्यजीत त्रिपाठी
(29.02.2024 तक)

गोपालकृष्णन सुंदररमन
कार्यकारी निदेशक

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की अतिरिक्त शक्तियों के साथ
(01.03.2024 से 29.04.2024 तक)

कार्यकारी निदेशक

गोपालकृष्णन सुंदररमन
(16.03.2024 से 30.04.2024)

निदेशक

एम.वी.राव, गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक

एम.जी.जय श्री, सरकार नामित निदेशक

नेहा चौहान, सरकार नामित निदेशक
(24.04.2024 से)

नितिन कुमार बवशी,
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
(09.05.2023से)

अंबिकेश केशरी,
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
(30.05.2023 से)

परशांत कुमार गोयल,
सरकार नामित निदेशक
(09.04.2024 तक)

गोपालकृष्णन सुंदररमन,
महाप्रबंधक और निदेशक
(09.05.2023 से 15.03.2024 तक),

महाप्रबंधक (08.05.2023 तक)

राजेश्वरी सिंह मुनि,
महाप्रबंधक और निदेशक (31.08.2023 तक)

महाप्रबंधक गण

उषा गिरीष (31.07.2024 तक)

सी.एस.राधिका (12.07.2024 तक)

नरेश कुमार सिद्धु

एच आर गंगवाल(28.04.2023 से)

प्रणय कुमार(28.04.2023 से)

कलैवेणि सुब्बैया (29.04.2024 से)

संजय जोशी (29.04.2024 से)

सी एम मनोहरन (29.04.2024 से)

उप महाप्रबंधक गण

जयदीप सिन्हा

के वी आर कृष्णा

आर मीना

उमा स्वामिनाथन

प्रेमा मुकिलन

अजय रस्तोगी

पुष्पलता नटराजन

के राजेश्वरी

एस राजगोपाल

जी के बंसल

मदन मोहन खींची

उषा चन्द्रमौली

जेनी पी जॉन

ए के पधियारी

एस वासुदेवन अय्यंगार

लिपिका कालरा

थॉमस जार्ज पडिकला

योगेश मेश्राम *

राज कुमार अरोरा

जयश्री जी नायर

विजय कुमार

महादेव सेठी

गीता आनंद

आर पन्निरसेल्वम

उमाकांता लेंका

मीनाक्षी त्रिपाठी

राजीव कुमार अग्रवाल

एस जयश्री

प्रेम सागर बार्ला,

एम आर सुजाता

एस हेमा मालिनि

* केन इंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड, नैरोबी में प्रतिनियुक्ति पर

DIRECTORS AND EXECUTIVES

Chairman-cum-Managing Director

Bhupesh Sushil Rahul
(from 29.04.2024)

Satyajit Tripathy
(upto 29.02.2024)

Gopalakrishnan Sundararaman
Executive Director with additional powers
of Chairman cum Managing Director
(from 01.03.2024 to 29.04.2024)

Executive Directors

Gopalakrishnan Sundararaman
(from 16.03.2024 upto 30.04.2024)

Directors

M. V. Rao, Non-Executive Independent Director

M. G. Jayasree, Government Nominee Director

Neha Chauhan, Government Nominee Director
(from 24.04.2024)

Nitin Kumar Bakhshi
Non-Executive Independent Director (from 09.05.2023)

Ambikesh Keshri
Non-Executive Independent Director
(from 30.05.2023)

Parshant Kumar Goyal
Government Nominee Director (upto 09.04.2024)

Gopalakrishnan Sundararaman
General Manager and Director
(from 09.05.2023 upto 15.03.2024)
General Manager (upto 08.05.2023)

Rajeshwari Singh Muni
General Manager and Director (upto 31.08.2023)

General Managers

Usha Girish (upto 31.07.2024)

C. S. Radhika (upto 12.07.2024)

Naresh Kumar Sidhu

H R Gangwal (from 28.04.2023)

Pranay Kumar (from 28.04.2023)

Kalaiveni Subbiah (from 29.04.2024)

Sanjay Joshi (from 29.04.2024)

C M Manoharan (from 29.04.2024)

Deputy General Managers

Jaideep Sinha

K V R Krishna

R Meena

Uma Swaminathan

Prema Mukilan

Ajay Rastogi

Pushpalatha Natarajan

K Rajeswari

S Rajagopal

G K Bansal

Madan Mohan Khinchi

Usha Chandramouli

Jenny P John

A.K.Padhiari

S Vasudevan Iyengar

Lipika Kalra

Thomas George Padicala

Yogesh Meshram*

Raj Kumar Arora

Jayashree G Nair

Vijay Kumar

Mahadev Sethi

Geeta Anand

R Panneerselvam

Umakanta Lenka

Meenakshi Tripathi

Rajeev Kumar Aggarwal

S Jayasree

Prem Sagar Barla

M R Sujatha

S Hema Malini

* On deputation to Ken India Assurance Company Limited, Nairobi

सांतनु गिरि
वी सतीश
प्रीति बंसल
टी मारिराजा *
नंदिनी श्रीधर
दलीप कुमार
एस एन पालाडे
हरमीत सिंह चहल

मुख्य वित्तीय अधिकारी

एस हेमा मालिनि (16.03.2024 से)
गोपालकृष्णन सुंदररामन (15.03.2024 तक)

नियुक्त बीमांकक

रामनाथ वेंकट भगवत (01.04.2024 से)
पालरेड्डीविष्णुवर्धन (27.03.2024 तक)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

के सी बैजू (03.01.2024 से)
राजीव कुमार (01.06.2023 से 02.01.2024 तक)
आर बालसुब्रमनियन (31.05.2023 तक)

कंपनी सचिव

अनघा शांतनु देशपांडे

मुख्य अनुपालन अधिकारी

उषा गिरीष, महाप्रबंधक

मुख्य जोखिम अधिकारी

एस राजगोपाल, उप महाप्रबंधक

मुख्य निवेश अधिकारी

एम आर सुजाता,
उप महाप्रबंधक (01.08.2023 से)
एल रंगराजन,
उप महाप्रबंधक (31.07.2023 तक)

मुख्य बीमा लेखन अधिकारी

सांतनु गिरि,
उप महाप्रबंधक (17.05.2024 से)
सी एस राधिका,
महाप्रबंधक (18.03.2024 से 16.05.2024 तक)
जोस वर्गीस,
उप महाप्रबंधक (01.11.2023 से 01.03.2024 तक)
बासुदेव सान्याल,
उप महाप्रबंधक (31.10.2023 तक)

शिकायत निवारण अधिकारी

आर मीना, उप महाप्रबंधक (01.07.2023 से)
राज कुमार अरोरा, उप महाप्रबंधक (30.06.2023 तक)

प्रधान अनुपालन अधिकारी(एंटी मनी लांड्रिंग)

पुष्पलता नटराजन, उप महाप्रबंधक (17.05.2024 से)
उमा स्वामिनाथ, उप महाप्रबंधक (16.05.2024 तक)

मुख्य जन सूचना अधिकारी

बी सदाशिव शंकर, मुख्य प्रबंधक (01.11.2023 से)
जाँइस गॉनसाल्विस, मुख्य प्रबंधक (31.10.2023 तक)

मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी

अवधेश कुमार बाजपाई (01.06.2023 से)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मे. ए वी देवेन & कं.
मे. मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
मे. एसआरबीआर & एसोसिएट्स एलएलपी

पंजीकृत & प्रधान कार्यालय

24, व्हाइट्स रोड
चेन्नै 600 014

* जीआइसी हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर

Santanu Giri
V Satish
Preeti Bansal
T Mariraja*
Nandini Sridhar
Daleep Kumar
S N Palande
Harmeet Singh Chahal

Chief Financial Officer

S Hema Malini (from 16.03.2024)
Gopalakrishnan Sundararaman (upto 15.03.2024)

Appointed Actuary

Ramnath Venkat Bhagavath (from 01.04.2024)
Palreddy Vishnuvardhan (upto 27.03.2024)

Chief Vigilance Officer

K C Baiju (from 03.01.2024)
Rajeev Kumar (from 01.06.2023 to 02.01.2024)
R Balasubramanian (upto 31.05.2023)

Company Secretary

Anagha Shantanu Deshpande

Chief Compliance Officer

Usha Girish, General Manager

Chief Risk Officer

S Rajagopal, Deputy General Manager

Chief Investment Officer

M R Sujatha
Deputy General Manager (from 01.08.2023)
L Rangarajan
Deputy General Manager (upto 31.07.2023)

* On Deputation to GIC Housing Finance Limited

Chief Underwriting Officer

Santanu Giri
Deputy General Manager (from 17.05.2024)
C S Radhika, General Manager
(from 18.03.2024 to 16.05.2024)
Jose Varghese, Deputy General Manager
(from 01.11.2023 upto 01.03.2024)
Basudev Sanyal, Deputy General Manager
(upto 31.10.2023)

Grievance Redressal Officer

R Meena, Deputy General Manager (from 01.07.2023)
Raj Kumar Arora
Deputy General Manager (upto 30.06.2023)

Principal Compliance Officer(Anti-Money Laundering)

Pushpalatha Natarajan, Deputy General Manager
(from 17.05.2024)
Uma Swaminathan, Deputy General Manager
(upto 16.05.2024)

Chief Public Information Officer

B Sada Shiva Shankar
Chief Manager (from 01.11.2023)
Joice Gonsalves, Chief Manager(upto 31.10.2023)

Chief Information Security Officer

Awadhesh Kumar Bajpai (from 01.06.2023)

Statutory Auditors

M/s. A V Deven & Co.
M/s. Manohar Chowdhry & Associates
M/s. SRBR & Associates LLP

Registered & Head Office Address

24, Whites Road
Chennai 600 014.

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त छोड़ दिया गया है
This page is intentionally left blank

निगमीय प्रबंधन / CORPORATE MANAGEMENT



भूपेश सुशील राहुल
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (29.04.2024 से)
Bhupesh Sushil Rahul
Chairman cum Managing Director (from 29.04.2024)



उषा गिरीश
महाप्रबंधक (31.07.2024 तक)
Usha Girish
General Manager (upto 31.07.2024)



सी एस राधिका
महाप्रबंधक (12.07.2024 तक)
C.S. Radhika
General Manager (upto 12.07.2024)



नरेश कुमार सिधु
महाप्रबंधक
Naresh Kumar Sidhu
General Manager



एच आर गंगवाल
महाप्रबंधक (28.04.2023 से)
H R Gangwal
General Manager (from 28.04.2023)



प्रणय कुमार
महाप्रबंधक (28.04.2023 से)
Pranay Kumar
General Manager (from 28.04.2023)



कलैवेणी सुब्बैया
महाप्रबंधक (29.04.2024 से)
Kalaiveni Subbiah
General Manager (from 29.04.2024)



संजय जोशी
महाप्रबंधक (29.04.2024 से)
Sanjay Joshi
General Manager (from 29.04.2024)



सी एम मनोहरन
महाप्रबंधक (29.04.2024 से)
C M Manoharan
General Manager (from 29.04.2024)



के सी बैजू
मुख्य सतर्कता अधिकारी
(03.01.2024 से)
K C Baiju
Chief Vigilance Officer
(from 03.01.2024)



रामनाथ वेंकट भगवत
नियुक्त बीमांकिक
(01.04.2024 से)
Ramnath Venkat Bhagavath
Appointed Actuary |
(from 01.04.2024)



एस हेमा मालिनी
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(16.03.2024 से)
S Hema Malini
Chief Financial Officer
(from 16.03.2024)



अनघा शांतनु देशपांडे
कंपनी सचिव
**Anagha Shantanu
Deshpande**
Company Secretary

31.03.2024 को क्षेत्रीय / एलसीबी प्रभारी

क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय प्रमुख	पदनाम
अहमदाबाद	मीनाक्षी त्रिपाठी	उप महाप्रबंधक
बेंगलूरु	के राजेस्वरी	उप महाप्रबंधक
भोपाल	राजीव कुमार अग्रवाल	उप महाप्रबंधक
भुवनेस्वर	दीनबंधु बेहरा	मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक
चंडीगढ़	लिपिका कालरा	उप महाप्रबंधक
चेन्नै	एस वासुदेवन अय्यंगार	उप महाप्रबंधक
कोयंबतूर	वी एन संदीप	मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक
देहरादून	गीता आनंद	उप महाप्रबंधक
नई दिल्ली 1	अजय रस्तोगी	उप महाप्रबंधक
नई दिल्ली 2	जी के बंसल	उप महाप्रबंधक
गुवाहाटी	दुबराज सोरेन	मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक
हुबली	उषा चन्द्रमौली	उप महाप्रबंधक
हैदराबाद	के वी आर कृष्णा	उप महाप्रबंधक
जयपुर	विजय कुमार	उप महाप्रबंधक
जोधपुर	रमेश चंद्रा	मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक
कोच्ची	जेन्नी पी जॉन	उप महाप्रबंधक
कोलकाता	उमाकांता लेंका	उप महाप्रबंधक
कोषीकोड	थॉमस जार्ज पडिकला	उप महाप्रबंधक
लखनऊ	सुहास एन पालाडे	उप महाप्रबंधक
लुधियाना	दलीप कुमार	उप महाप्रबंधक
मद्रै	आर पन्नीरसेल्वम	मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक
मुंबई 1	प्रेम सागर बार्ला	उप महाप्रबंधक
मुंबई 2	जयदीप सिन्हा	उप महाप्रबंधक
नागपुर	मदन मोहन खीचि	उप महाप्रबंधक
पटना	अशोक भास्कर पांडे	मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक
पांडिचेरी	गीता श्रीधरन	मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक
पुणे	जयश्री जी नायर	उप महाप्रबंधक
रायपुर	बी के सिंह	मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक
वडोदरा	दास एस के	मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक
विशाखापट्टनम	एल ज्योतिप्रसाद	मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक

लार्ज कॉर्पोरेट - ब्रोकर ऑफिस (एल सी बी)	एल सी बी प्रमुख	पदनाम
बेंगलूरु	वी सतीश	एलसीबी प्रमुख
चेन्नै	एस जयश्री	उप महाप्रबंधक & एलसीबी प्रमुख
हैदराबाद	वैदेही राजारामन	एलसीबी प्रमुख
कोलकाता	निहार रंजन बाला	एलसीबी प्रमुख
मुंबई	हरीश नारायण पाध्ये	एलसीबी प्रमुख
नई दिल्ली	प्रीति बंसल	एलसीबी प्रमुख



LIST OF REGIONAL/LCB INCHARGES AS ON 31.03.2024

Regional Office	Regional Head	Designation
Ahmedabad	Meenakshi Tripathi	Deputy General Manager
Bangalore	K. Rajeswari	Deputy General Manager
Bhopal	Rajeev Kumar Aggarwal	Deputy General Manager
Bhubaneswar	Dinabandhu Behera	Chief Regional Manager
Chandigarh	Lipika Kalra	Deputy General Manager
Chennai	S Vasudevan Iyengar	Deputy General Manager
Coimbatore	V N Sandeep	Chief Regional Manager
Dehradun	Geeta Anand	Deputy General Manager
New Delhi 1	Ajay Rastogi	Deputy General Manager
New Delhi 2	G K Bansal	Deputy General Manager
Guwahati	Dubraj Soren	Chief Regional Manager
Hubli	Usha Chandramouli	Deputy General Manager
Hyderabad	K V R Krishna	Deputy General Manager
Jaipur	Vijay Kumar	Deputy General Manager
Jodhpur	Ramesh Chandra	Chief Regional Manager
Kochi	Jenny P John	Deputy General Manager
Kolkata	Umakanta Lenka	Deputy General Manager
Kozhikode	Thomas George Padicala	Deputy General Manager
Lucknow	Suhas N Palande	Deputy General Manager
Ludhiana	Daleep Kumar	Deputy General Manager
Madurai	R. Panneerselvam	Chief Regional Manager
Mumbai 1	Prem Sagar Barla	Deputy General Manager
Mumbai 2	Jaideep Sinha	Deputy General Manager
Nagpur	Madan Mohan Khinchi	Deputy General Manager
Patna	Ashok Bhaskar Pandey	Chief Regional Manager
Pondicherry	Geetha Sridharan	Chief Regional Manager
Pune	Jayashree G Nair	Deputy General Manager
Raipur	B K Singh	Chief Regional Manager
Vadodara	Das S K	Chief Regional Manager
Visakhapatnam	L Jyothi Prasad	Chief Regional Manager

Large Corporate & Broker Office (LCB)	LCB Head	Designation
Bangalore	V Satish	LCB Head
Chennai	S Jayasree	DGM & LCB Head
Hyderabad	Vaidehi Rajaraman	LCB Head
Kolkata	Nihar Ranjan Bala	LCB Head
Mumbai	Harish Narayan Padhye	LCB Head
New Delhi	Preeti Bansal	LCB Head

LIST OF REGIONAL / LCB INCHARGES AS ON 31.03.2024

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि युनाइटेड इंडिया इन्श्यूरेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की छियासीवीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 12 सितंबर 2024 को प्रातः 11.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 24, व्हाइट्स रोड, चेन्नई 600014 निम्नलिखित व्यवहारों के निष्पादन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विजुअल साधन सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी:

सामान्य व्यवसाय

1. 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित) और निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना।

निम्नलिखित संकल्प पर एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित) और निदेशक मंडल की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्वारा अनुमोदित और अपनाया”

2. वर्ष 2024-2025 के लिए सी एंड एजी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

निम्नलिखित संकल्प पर एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

“यह संकल्प लिया गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल को वर्ष 2024-2025 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले विभिन्न सांविधिक लेखा परीक्षकों को कुल पारिश्रमिक यानी कर लेखा परीक्षा शुल्क सहित लेखा परीक्षा शुल्क और जेब खर्चों की प्रतिपूर्ति निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है” ।

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 10.09.2024

(बोर्ड के आदेशानुसार)

कृते युनाइटेड इंडिया इन्श्यूरेंस कंपनी लिमिटेड

ह/-

(अनघा शांतनु देशपांडे)

कंपनी सचिव

एसीएस: A12700



NOTICE

NOTICE is hereby given that the EIGHTY SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING of the Members of United India Insurance Company Limited will be held on Thursday, the 12th September 2024 at 11.30 am through Video Conference/Other Audio Visual Means Facility at the Registered Office of the Company at 24, Whites Road, Chennai 600014 to transact the following business:

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements (Standalone and Consolidated) of the Company for the Financial Year ended 31st March 2024 and the Report of the Board of Directors and The Auditors' Report thereon.

To consider and if thought fit to pass, with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT the Audited Financial Statements (Standalone and Consolidated) of the Company for the financial year ended 31st March 2024 and the Report of the Board of Directors and the Auditors' Report thereon be and is hereby approved and adopted.”

2. To authorise the Board of Directors to fix the remuneration of Statutory Auditors, to be appointed by the C & AG, for the year 2024-2025.

To consider and if thought fit to pass, with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT the Board of Directors of the Company be and is hereby authorised to determine the total remuneration i.e. Audit fees including Tax Audit Fees and reimbursement of out of pocket expenses to various Statutory Auditors to be appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the year 2024-2025.”

(By Order of the Board)
For United India Insurance Company Limited

Sd/-

(Anagha Shantanu Deshpande)
Company Secretary
ACS : A12700

Place : Chennai
Date : 10.09.2024

नोट्स :

1. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने 05 मई, 2022 के अपने परिपत्र के माध्यम से 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 15 जून, 2020, 28 सितंबर, 2020, 31 दिसंबर, 2020, 23 जून, 2021, 8 दिसंबर, 2021, 28 दिसंबर, 2022 और नवीनतम 25 सितंबर, 2023 को जारी परिपत्र (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित , 30 सितंबर 2024 तक एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की यह वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।
2. चूंकि यह वार्षिक आम बैठक वी.सी./ओ.ए.वी.एम. सुविधा के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, इस वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के लिए उपस्थित होने और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्चियां इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को गिना जायेगा।
4. सदस्य यह भी ध्यान दें कि वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.uiic.co.in पर उपलब्ध है।
5. यह वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों की सुविधा के माध्यम से बुलाई गई है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के साथ-साथ एमसीए सर्कुलर क्रमांक 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सर्कुलर क्रमांक 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, और एमसीए सर्कुलर क्रमांक 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020 के अनुसार कंपनी पर लागू होती है।
6. इस बैठक में शामिल होने के लिए वीसी लिंक का विवरण सदस्यों को अलग से सूचित किया जाएगा।
7. एमसीए के उपरोक्त उल्लिखित परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक का नोटिस सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया है। कंपनी पर लागू होने वाले वैधानिक रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। वार्षिक आम बैठक के दौरान वैधानिक रजिस्टर का निरीक्षण करना चाहने वाले सदस्य अपनी लिखित अनुरोध कंपनी को boardandsecretarial@uiic.co.in पर भेज सकते हैं।
8. चूंकि वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं है।
9. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के अनुसार कंपनी के सदस्यों की सहमति प्राप्त करने के बाद यह वार्षिक आम बैठक अल्प सूचना पर बुलाई जाती है।

NOTES:

1. The Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) has vide its circular dated May 05, 2022 read with circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, June 15, 2020, September 28, 2020, December 31, 2020, June 23, 2021, December 8, 2021, December 28, 2022, and the latest being issued dated September 25, 2023 (collectively referred to as “MCA Circulars”) permitted the holding of the Annual General Meeting through Video Conferencing Other Audio Visual Means (VC/OAVM), without the physical presence of the Members at a common venue up to 30th September 2024. Accordingly, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and MCA Circulars, this Annual General Meeting of the Company is being conducted through VC/OAVM.
2. Since this Annual General Meeting is being held through VC/OAVM facility, physical attendance of the members has been dispensed with. Accordingly, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the Members is not available at this Annual General Meeting and hence Proxy Form and Attendance Slips are not annexed to this Notice.
3. The attendance of the Members attending the Annual General Meeting through Video Conferencing/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
4. Members may also note that the Notice of the Annual General Meeting is available on the website of the Company at www.uiic.co.in.
5. This Annual General Meeting has been convened through Video Conference/Other Audio Visual Means facility in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 read with MCA Circular no.14/2020 dated April 8, 2020, Circular no.17/2020 dated April 13, 2020, MCA Circular no.22/2020 dated June 15, 2020 as applicable to the Company.
6. The details of VC link for joining this meeting shall be communicated to the Members separately.
7. As per MCA above mentioned circulars, the Notice of the Annual General Meeting has been sent through electronic mode to all members. The Statutory Registers, as applicable to the Company, are available for inspection of the Members through electronic mode. Members desiring inspection of Statutory Registers during the Annual General Meeting may send their request in writing to the Company at boardandsecretarial@uiic.co.in.
8. Since the Annual General Meeting will be held through VC/OAVM, the Route Map is not annexed to this Notice.
9. This Annual General Meeting is called at short notice after obtaining consent of Members of the Company pursuant to Section 101(1) of the Companies Act, 2013.



अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय सम्माननीय हितधारकों,

परिचय

जैसा कि हम वित्तीय वर्ष 2023-24 पर विचार कर रहे हैं, मुझे युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (युइइंके) की प्रगति, उपलब्धियों और कार्यनीतिक दिशाओं को साझा करते हुए खुशी हो रही है। हमारे लिए यह वर्ष परिवर्तनकारी रही है क्योंकि हम भारत में सामान्य बीमा उद्योग के गतिशील परिदृश्य को आगे बढ़ा रहे हैं। असाधारण मूल्य प्रदान करने, तकनीकी प्रगति को अपनाने और सतत विकास सुनिश्चित करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट बनी हुई है।

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (युइइंके) के बारे में

युइइंके भारतीय बीमा क्षेत्र की आधारशिला रही है, जो संरक्षण और सुरक्षा के अपने वादे को लगातार पूरा कर रही है। दशकों से विस्तारित हमारी विरासत सतत विश्वास और प्रदर्शन पर बनी है, जिसने हमें देश में सबसे प्रतिष्ठित बीमाकर्ताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। स्वास्थ्य, मोटर, संपत्ति और समुद्री बीमा को सम्मिलित करते हुए विविध पोर्टफोलियो के साथ, हम लाखों ग्राहकों की सेवा करते हैं तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक कवरेज प्रदान करते हैं।

भारतीय सामान्य बीमा उद्योग में अमूमन होने वाली प्रगति

भारत में सामान्य बीमा उद्योग ने लचीलापन और अभिवृद्धि को प्रदर्शन किया है, जो अंतर्निहित आर्थिक ताकत और व्यक्तियों और व्यवसायों के बीच जोखिम प्रबंधन के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है। 2023-24 में, उद्योग ने ₹ 2,89,730 करोड़ रुपये की प्रीमियम आय को दर्ज किया है, जो 12.78% की वृद्धि दर है। यह वृद्धि मुख्य रूप से स्वास्थ्य और मोटर बीमा क्षेत्रों द्वारा संचालित थी, जो स्वास्थ्य कवरेज की बढ़ती मांग और विस्तारित ऑटोमोटिव बाजार को रेखांकित करती है।

युइइंके का प्रदर्शन और उपलब्धियाँ

उद्योग के रुझानों के अनुरूप, युइइंके ने 12.53% की सराहनीय वृद्धि दर दर्ज की, जिससे ₹ 19,853 करोड़ की प्रीमियम आय प्राप्त हुई। राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली हमारी मोटर बीमा खंड, 17.74% की दर से वृद्धि करते हुए ₹ 7048 करोड़ हो गया है, जिससे बाजार में मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित हुई। एक अन्य महत्वपूर्ण खंड स्वास्थ्य बीमा ने ₹ 7897 करोड़ के प्रीमियम के साथ अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाए रखी, जो हमारे कुल प्रीमियम बास्केट का 40% है।

दक्षिण तमिलनाडु में बाढ़ के नकारात्मक प्रभाव जैसी चुनौतियों के बावजूद, हम अपने दावों के अनुपात को कम करने और समग्र प्रदर्शन मेट्रिक्स में सुधार करने में कामयाब रहे। बेहतर संचालन और लागत प्रबंधन पर हमारे रणनीतिक मोर्चा ने मार्च 2024 के अंत तक हमारे घाटे को ₹ 2829 करोड़ से घटाकर ₹ 804 करोड़ तक ला दिया।

एक नये युग की शुरुआत की ओर

युइइंके एक नए युग की शुरुआत कर रही है, जिसमें नवाचार, चपलता और ग्राहक-केंद्रितता की विशेषता है। हमारी कार्यनीतिक पहल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और हमारे हितधारकों को बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई हैं। बीमा के अगले युग के साथ खुद को कार्यनीतिक रूप से संरेखित करने की आवश्यकता कई प्रमुख कारकों से प्रेरित है: विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अभिनव और अनुकूलित उत्पादों की पेशकश, डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से दावों के निपटान में तेजी लाना, और दावों को कम करने और प्रीमियम को अधिक किफायती बनाने



Chairman's Message

Dear Esteemed Stakeholders,

As we reflect on the fiscal year 2023-24, I am pleased to share the progress, achievements, and strategic directions of United India Insurance Company (UIIC). This year has been transformative for us as we continue to navigate the dynamic landscape of the General Insurance industry in India. Our commitment to delivering exceptional value, embracing technological advancements, and ensuring sustainable growth remains unwavering.

About United India Insurance Company (UIIC)

UIIC has been a cornerstone of the Indian insurance sector, consistently delivering on its promise of protection and security. Our legacy, built on trust and performance, spans several decades, making us one of the most reputable insurers in the country. With a diverse portfolio encompassing health, motor, property, and marine insurance, we serve millions of customers, providing comprehensive coverage tailored to their needs.

General Developments in the Indian General Insurance Industry

The General Insurance industry in India has demonstrated resilience and growth, reflecting the underlying economic strength and increasing awareness of risk management among individuals and businesses. In 2023-24, the industry recorded a premium income of ₹ 2,89,730 crores, marking a growth rate of 12.78%. This growth was predominantly driven by the health and motor insurance segments, underscoring the rising demand for health coverage and the expanding automotive market.

UIIC's Performance and Achievements

In alignment with industry trends, UIIC registered a commendable growth rate of 12.53%, achieving a premium income of ₹ 19,853 crores. Our motor insurance segment, a significant contributor to our revenue, grew by 17.74% to ₹ 7048 crores, ensuring a robust market presence. Health insurance, another critical segment, maintained its significant presence with a premium of ₹ 7897 crores, accounting for 40% of our total premium basket.

Despite challenges, such as the negative impact of the South Tamil Nadu floods, we managed to bring down our incurred claims ratio and improve overall performance metrics. Our strategic focus on better operations and cost management reduced our losses from ₹ 2829 crores to ₹ 804 crores by the end of March 2024.

Embarking on a New Era

UIIC is embarking on a new era, characterized by innovation, agility, and customer-centricity. Our strategic initiatives are designed to leverage technology, enhance operational efficiency, and deliver superior value to our stakeholders. The need to strategically align ourselves with the next era of insurance is driven by several key factors: offering innovative and tailored products to meet diverse customer needs, expediting claims settlement through digital processes, and leveraging fraud analytics to reduce claims and make premiums more affordable.

के लिए धोखाधड़ी विश्लेषण का लाभ उठाना इत्यादि। आईटी एकीकरण वितरण भागीदारों के साथ निर्बाध सेवा वितरण को सुनिश्चित करती है, जबकि मजबूत विश्लेषण हमारे कार्यनीतिक निर्णयों को संचालित करती है, जो हमें तेजी से प्रतिस्पर्धी और गतिशील बाजार में आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। इस दिशा में, कंपनी युवा प्रतिभाओं की भर्ती और प्रशिक्षण, उन्हें आईटी, नेतृत्व और डोमेन विशेषज्ञता के अलावा सॉफ्ट स्किल में प्रशिक्षित करके अपनी जनशक्ति को सशक्त बनाना जारी रखती है। इसके अलावा, जहां भी आवश्यकता होगी, कंपनी आउटसोर्स कौशल सेट की विशेषज्ञता का लाभ उठाएगी।

तकनीक-आधारित उत्पाद और समाधान

ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीन और अनुकूलित उत्पाद पेश करना हमारी कार्यनीति में सर्वोपरि है। स्वास्थ्य बीमा में, हम अपने खुदरा स्वास्थ्य पोर्टफोलियो को बढ़ाने के उद्देश्य से लचीली योजनाएं विकसित कर रहे हैं जो विभिन्न चिकित्सा आवश्यकताओं और जीवन शैली को पूरा करने वाली हैं। हमारे संपत्ति बीमा उत्पादों में बड़े जोखिमों के लिए रिमोट सेंसिंग के माध्यम से व्यापक जोखिम मूल्यांकन की सुविधा होगी जो हमें अधिक सटीक प्रीमियम की पेशकश करने में सक्षम बनाएगी, साथ ही तेजी से नुकसान के आकलन में भी सहायता करेगी। इसके अतिरिक्त, हम बेहतर कवरेज विकल्पों के साथ वैश्विक व्यापार की बढ़ती मांगों का समर्थन करने के लिए अपनी समुद्धी बीमा पेशकश का विस्तार कर रहे हैं। व्यवसाय के इन क्षेत्रों में विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए, हमारा लक्ष्य अधिक प्रासंगिक, मूल्य-संचालित समाधान प्रदान करना है जो ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी को बढ़ाता है।

जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव और ग्रामीण क्षेत्रों की अनूठी जरूरतों को पहचानते हुए, हम जलवायु और ग्रामीण जोखिमों के लिए विशेष उत्पाद विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारे जलवायु जोखिम बीमा उत्पाद मौसम की चरम घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के लिए कवरेज प्रदान करते हैं, व्यक्तियों और व्यवसायों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, हम कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए फसल बीमा और पशुधन बीमा को विस्तारित कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को अप्रत्याशित पर्यावरणीय परिस्थितियों के सम्य आवश्यक सुरक्षा मिल सके। इसके अतिरिक्त, हम पैरामीट्रिक बीमा उत्पाद विकसित कर रहे हैं, जो वर्षा स्तर या तापमान जैसे पूर्वनिर्धारित मापदंडों के आधार पर त्वरित भुगतान प्रदान करते हैं, जिसके कारण दावों का निपटान तेजी के साथ और अधिक कुशलता से कर पाना संभव हो पाता है। ये नवोन्मेषी समाधान हमारे ग्राहकों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे उभरते जोखिमों के लिए बेहतर संरक्षित और समर्थित हैं।

प्रभावी दावा प्रबंधन हमारी परिचालन सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। हम धोखाधड़ी संबंधी गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए उन्नत धोखाधड़ी विश्लेषण टूल में निवेश कर रहे हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और बड़े डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाकर, हम पैटर्न की पहचान कर सकते हैं, जोखिमों का सटीक आकलन कर सकते हैं और वास्तविक दावों के निपटान में तेजी ला सकते हैं, जिससे हमारे दावा अनुपात प्रबंधन में सुधार होगा और ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित होगी।

वितरण चैनल पर ध्यान केंद्रित तथा उनका विकास

अपने उत्पादों और सेवाओं की निरंतर वृद्धि और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, हम अपने वितरण चैनलों को बढ़ाने और विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस बहुआयामी दृष्टिकोण में हमारे विकास अधिकारियों का पूरा लाभ उठाना, हमारे प्रत्यक्ष एजेंसी व्यवसाय का विस्तार करना और प्रौद्योगिकी-आधारित एकीकरण और नए अनुकूलित उत्पाद पेशकशों के माध्यम से हमारे बैंक व्यवसाय को फिर से जीवंत करना शामिल है। इसके अलावा, प्रत्यक्ष एजेंसी व्यवसाय हमारी वितरण कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक बना हुआ है। हम नए एजेंटों की भर्ती के साथ, उन्हें व्यापक रूप से प्रशिक्षण दे कर प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान कर अपने एजेंसी नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं। अपने प्रत्यक्ष एजेंसी व्यवसाय को मजबूत करते हुए, हमारा लक्ष्य बाजार में अपनी पैठ बढ़ाना और अपने ग्राहकों को वैयक्तिकृत सेवा प्रदान करना है।

डेटा-संचालित मूल्य निर्धारण और सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन

मूल्य निर्धारण और पोर्टफोलियो प्रबंधन के प्रति हमारा दृष्टिकोण अब और भी डेटा-संचालित होता जा रहा है। हम विशाल डेटा सेट से बारीकियाँ प्राप्त करने के लिए परिष्कृत विश्लेषण का उपयोग करते हैं, जिससे हम प्रतिस्पर्धी कीमतें निर्धारित करने, नवीनीकरण अनुपात अनुकूलित करने और लाभदायक पोर्टफोलियो पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। यह सक्रिय प्रबंधन हमें जोखिमों को कम करने, घाटे में चल रहे व्यवसायों की हिस्सेदारी कम करने और सतत विकास को आगे बढ़ाने में मदद करता है।

IT integration with distribution partners ensures seamless service delivery, while strong analytics drive our strategic decisions, positioning us to thrive in an increasingly competitive and dynamic market. Towards this, the Company continues to empower its manpower strength by recruitment of young talent and training, reskilling and upskilling them in IT, leadership and soft skills apart from domain expertise. Moreover, wherever required, the Company would be availing the expertise of outsourced skillset.

Tech-Based Products and Solutions

Offering innovative and tailored products to meet diverse customer needs is paramount in our strategy. In health insurance, we are developing flexible plans that cater to varying medical needs and lifestyles, with an aim to increase our Retail Health Portfolio. Our property insurance products shall feature comprehensive risk assessment through Remote Sensing, for large risks, which shall enable us to offer a more accurate premium, also aiding in fast loss assessment. Additionally, we are expanding our marine insurance offerings to support the increasing demands of global trade with enhanced coverage options. By addressing specific customer requirements across these lines of business, we aim to provide more relevant, value-driven solutions that enhance customer satisfaction and loyalty.

Recognizing the growing impact of climate change and the unique needs of rural areas, we are also focusing on developing specialized products for climate and rural risks. Our climate risk insurance products provide coverage against extreme weather events and natural disasters, offering protection for individuals and businesses alike. In rural areas, we are introducing crop insurance and livestock insurance to support the agricultural sector, ensuring that farmers have the necessary protection against unpredictable environmental conditions. Additionally, we are developing parametric insurance products, which provide quick payouts based on predefined parameters such as rainfall levels or temperature, enabling faster and more efficient claims settlement. These innovative solutions are designed to address the specific challenges faced by our customers, ensuring that they are well-protected and supported in the face of evolving risks.

Effective claims management is pivotal to our operational success. We are investing in advanced fraud analytics tools to detect and prevent fraudulent activities. By leveraging machine learning algorithms and big data analytics, we can identify patterns, assess risks accurately, and expedite genuine claims, thereby improving our claims ratio management and ensuring customer satisfaction.

Development and Focus on Distribution Channels

To ensure the sustained growth and reach of our products and services, we are focusing on enhancing and developing our distribution channels. This multifaceted approach involves leveraging our Development Officers, expanding our direct agency business, and rejuvenating our BANCA business through technology-based integrations and newer customised product offerings. Further, the direct agency business remains a vital component of our distribution strategy. We are enhancing our agency network by recruiting new agents, providing them with comprehensive training, and offering performance-based incentives. By strengthening our direct agency business, we aim to increase our market penetration and deliver personalized service to our customers.

Data-Driven Pricing and Active Portfolio Management

Our approach to pricing and portfolio management is increasingly data-driven. We utilize sophisticated analytics to derive insights from vast data sets, enabling us to set competitive prices, optimize renewal ratios, and focus on profitable portfolios. This proactive management helps us mitigate risks, reduce the share of loss-making businesses, and drive sustainable growth.

आगे की राह

हम बाजार के रुझान, ग्राहक व्यवहार और जोखिम प्रोफाइल की गहरी समझ हासिल करने के लिए बड़े डेटा और उन्नत विश्लेषण की शक्ति का उपयोग करेंगे। ऐतिहासिक डेटा और वास्तविक समय पर जानकारी की विश्लेषण के साथ हम पैटर्न और भावी परिणामों की पहचान अधिक सटीकता के साथ कर सकेंगे। यह हमें प्रत्येक पॉलिसी से जुड़े वास्तविक जोखिम को पहचानने और तदनुसार अपनी मूल्य निर्धारण रणनीतियों को तैयार करने में सक्षम बनाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि प्रीमियम उचित और प्रतिस्पर्धी दोनों ही हैं।

हमारा डेटा-संचालित दृष्टिकोण का विस्तार ग्राहक विभाजन की ओर भी विस्तारित होगा, जहां हम विभिन्न ग्राहक समूहों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और जोखिम प्रोफाइल के आधार पर उनकी पहचान करेंगे और उन तक पहुंच सकेंगे। यह हमें विशिष्ट ग्राहक खंडों की आवश्यकतानुसार अनुकूलित उत्पाद और मूल्य निर्धारण मॉडल विकसित करने में सक्षम बनाएगा जिससे ग्राहकों की संतुष्टि और निष्ठा दोनों ही बढ़ेंगी। उदाहरण के लिए, हम कम जोखिम वाले ग्राहकों को कम प्रीमियम की पेशकश करेंगे और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज बनाएंगे, जिससे हमारे पोर्टफोलियो मिश्रण का भी अनुकूलन होगा।

इसके अतिरिक्त, हम अपनी दावा प्रबंधन प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए पूर्वानुमानित विश्लेषण का उपयोग करेंगे। संभावित दावों का पूर्वानुमान लगाकर और उनके घटित होने से पहले धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की पहचान करके, हम अपने दावों के अनुपात में सुधार करेंगे और अनावश्यक भुगतान को कम करेंगे। यह न केवल हमारी वित्तीय स्थिरता की रक्षा करेगा बल्कि हमारे वास्तविक दावेदारों के लिए त्वरित और अधिक कुशल सेवा भी सुनिश्चित करेगा।

इसके अलावा, हमारा सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन हमारे उत्पाद पेशकशों की निरंतर निगरानी और समायोजन पर ध्यान केंद्रित करेगा। हम नियमित रूप से अपने बीमा उत्पादों के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे और बाजार की मांग के आधार पर लाभहीन व्यवसायों को बंद करने या नए पेश करने के लिए डेटा-सूचित निर्णय लेंगे। यह गतिशील दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि हमारा पोर्टफोलियो संतुलित और हमारे रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप बना रहे।

इन डेटा-संचालित कार्यनीतियों को शामिल करने से हम बाजार में होने वाले बदलावों का पूर्वानुमान लगाने और उन्हें तेजी से अपनाने में सक्षम होंगे। आगे बढ़ते रहने की इस प्रक्रिया में हम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और विश्लेषण क्षमताओं में निवेश करना जारी रखेंगे और अंततः अपने हितधारकों को बेहतर मूल्य प्रदान करेंगे और उद्योग में अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करेंगे।

अंत में, मैं अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, भागीदारों और शेयरधारकों को उनके अटूट समर्थन और विश्वास के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस वर्ष की उपलब्धियाँ युद्धकाल में आपके निरंतर विश्वास के बिना संभव नहीं होतीं। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हम नए मील के पत्थर हासिल करना जारी रखेंगे और अपने सभी हितधारकों के लिए स्थिर विश्वास हासिल करेंगे।

भूपेश सुशील राहुल

Looking Ahead

We will harness the power of big data and advanced analytics to gain a deeper understanding of market trends, customer behavior, and risk profiles. By analyzing historical data and real-time information, we will identify patterns and predict future outcomes with greater accuracy. This will allow us to tailor our pricing strategies to reflect the true risk associated with each policy, ensuring that premiums are both fair and competitive.

Our data-driven approach will also extend to customer segmentation, where we will identify and target different customer groups based on their unique needs and risk profiles. This will enable us to develop customized products and pricing models that cater to specific segments, enhancing customer satisfaction and loyalty. For instance, we will offer lower premiums to low-risk customers and create specialized packages for high-risk segments, thereby optimizing our portfolio mix.

Additionally, we will employ predictive analytics to enhance our claims management processes. By forecasting potential claims and identifying fraudulent activities before they occur, we will improve our claims ratio and reduce unnecessary payouts. This will not only safeguard our financial stability but also ensure quicker and more efficient service for our genuine claimants.

Furthermore, our active portfolio management will focus on continuous monitoring and adjustment of our product offerings. We will regularly review the performance of our insurance products and make data-informed decisions to discontinue unprofitable lines or introduce new ones based on market demand. This dynamic approach will ensure that our portfolio remains balanced and aligned with our strategic goals.


Incorporating these data-driven strategies will position us to anticipate and adapt to market changes swiftly. As we move forward, we will continue to invest in cutting-edge technologies and analytics capabilities to stay ahead of the curve, ultimately delivering superior value to our stakeholders and securing our competitive edge in the industry.

In conclusion, I would like to extend my heartfelt gratitude to our customers, employees, partners, and shareholders for their unwavering support and trust. The achievements of this year would not have been possible without your continued confidence in UIIC. As we move forward, I am confident that we will continue to achieve new milestones and create lasting value for all our stakeholders.

BHUPESH SUSHIL RAHUL









Regional Offices and Large Corporate & Brokers Cells (LCB)



- REGIONAL OFFICES
- LARGE CORPORATE & BROKERS CELLS (LCB)

REGIONAL OFFICES AND
LARGE CORPORATE & BROKERS CELLS (LCB)





1. सदस्यों को निदेशक मंडल की रिपोर्ट

निदेशकों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों के लेखापरीक्षित विवरण और तुलन पत्र के साथ कंपनी की छियासीवी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय प्रदर्शन

हमें कंपनी के व्यावसायिक प्रदर्शन और परिचालन परिणामों पर भी रिपोर्ट करते हुए प्रसन्नता हो रही है:

(₹ करोड में)

विवरण	2023-24	2022-23
सकल प्रीमियम आय	19852.96	17644.31
शुद्ध प्रीमियम	17499.87	15396.84
शुद्ध अर्जित प्रीमियम	16614.50	15144.29
उपगत दावे	16033.69	14060.98
कमीशन	1339.72	1061.19
परिचालन व्यय	3760.93	6307.68
अन्य आय / (व्यय)	4.45	-117.34
निवेश आय / (सकल)	3711.68	3573.57
कर पूर्व लाभ	-803.71	-2829.33
कराधान हेतु प्रावधान	0	0
कर पश्चात लाभ	-803.71	-2829.33

अंश पूंजी

मार्च 2024 में कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 75000000 हजार है।
कंपनी की पूंजी ₹ 39050000 हजार है

रिजर्व्स

₹-8037129 हजार की हानि की राशि को कुल शुद्ध हानि में से
₹-8037129 हजार की हानि, लाभ और हानि खाते में डेबिट बैलेंस
शीर्षक के तहत तुलन पत्र के संपत्ति पक्ष में ली गई है।

रिजर्व्स - अधिशेष

(₹ करोड में)

विवरण	2023-24	2022-23
प्रदत्त पूंजी	3905.00	3905.00
रिजर्व्स - अधिशेष	22.68	22.12
कंपनी की कुल रिजर्व	3927.68	3927.12

लाभांश

पत्र सं. 681/एफएंड ए (एनएल)/पीएसयू- सॉल्वेंसी/31032022/84
दिनांक 02.11.2023 के माध्यम से आईआरडीआई के निर्देशों के म
द्देनजर यह निर्धारित किया गया है कि बीमाकर्ता, जब तक बीमाकर्ता की
सॉल्वेंसी नियंत्रण स्तर पर बहाल नहीं हो जाती, तब तक अपने अंशधारकों
को कोई लाभांश घोषित न करें। निदेशकों ने 31 मार्च 2024 को समाप्त
वर्ष के लिए कोई लाभांश नहीं देने की सिफारिश की है।

सॉल्वेंसी मार्जिन

ईओएम विनियमों का अनुपालन

₹ 7369 करोड की तुलना में चालू वर्ष के लिए कुल प्रबंधन व्यय ₹ 5101 करोड था। यह आईआरडीआई (सामान्य या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले
बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के व्यय) विनियम 2023 के तहत निर्धारित सीमा के अंदर ही है।

विवरण	राशि (₹ करोड में)
आईआरडीआई विनियमों के तहत आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन	₹ 4900 crores
उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन	₹ -2867 crores

वर्ष के दौरान 31.3.2024 को सॉल्वेंसी मार्जिन -0.59 है, जबकि
31.03.2023 को -0.29 बिना किसी फॉरबियरंस के है।

1. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE MEMBERS

The Directors have pleasure in presenting the Eighty Sixth Annual Report of the Company together with the Audited Statement of Accounts and Balance Sheet for the year ended 31st March, 2024.

FINANCIAL PERFORMANCE

We are also pleased to report on business performance and operating results of the Company:

(₹ in crores)

PARTICULARS	2023-24	2022-23
Gross Premium Income	19852.96	17644.31
Net Premium	17499.87	15396.84
Net Earned Premium	16614.50	15144.29
Claims Incurred	16033.69	14060.98
Commission	1339.72	1061.19
Operating Expenses	3760.93	6307.68
Other Income/(Expenses)	4.45	-117.34
Investment Income (Gross)	3711.68	3573.57
Profit Before Tax	-803.71	-2829.33
Provision for Taxation	0	0
Profit After Tax	-803.71	-2829.33

Share Capital

The Authorized Share capital of the Company is at ₹75000000 thousands in March 2024. The paid up Capital of the Company is at ₹ 39050000 thousands.

Reserves

The loss of ₹ -8037129 thousands, out of Total Net Loss ₹ -8037129 thousands has been taken to Assets side of Balance Sheet under head Debit Balance in Profit & Loss Account.

Reserves & Surplus

(₹ in crores)

Particulars	2023-24	2022-23
Paid Up Capital	3905.00	3905.00
Reserves & Surplus	22.68	22.12
TOTAL RESERVES OF THE COMPANY	3927.68	3927.12

Dividend

In view of the IRDAI directions vide letter 681/F&A(NL)/PSU-SOLVENCY/31032022/84 dated 02.11.2023 stipulating that the insurer shall not declare any dividend to its shareholders till such time the solvency of the insurer is restored to the control level, Directors recommended no dividend for the year ended 31st March 2024.

Solvency Margin

Particulars	(₹ In crores)
Required Solvency Margin under IRDAI Regulations	₹ 4900
Available Solvency Margin	₹ -2867

During the year the Solvency Margin as on 31-03-2024 is -0.59 as against -0.29 as on 31-03-2023 without any forbearances.

Compliance with Expense of Management Regulations

The total Management Expenses for the current year was ₹ 5101 crores as against ₹ 7369 crores. This is within the limits prescribed under IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulations, 2023.

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित है, के अंत और रिपोर्ट की तारीख के बीच हुए हैं।

उपरोक्तानुसार कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	सहायक का नाम	कुल प्रदत्त अंश पूंजी	युनाइटेड इंडिया इश्यूरेस कंपनी लिमिटेड की हिस्सेदारी का %
1.	जेनीथ सेक्यूरिटीज & इनवेस्टमेंट लिमिटेड	₹.20 लाख	69.45%
2.	हैल्थ इश्यूरेस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	₹.70 करोड़	23.75%
3.	इंडिया इंटरनैशनल इश्यूरेस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर	एसजीडी 5 करोड़	20.00%

समेकित वित्तीय विवरण में शामिल प्रत्येक सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों का प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति

विवरण इस प्रकार दिया गया है (वित्तीय वर्ष 2023-24)

क्र.सं.	स्थिति	नाम	स्थान	मुद्रा	कारोबार	कर पूर्व लाभ	कर पश्चात लाभ
1.	सहायक	जेनीथ सेक्यूरिटीज - इनवेस्टमेंट लिमिटेड	मुंबई	₹	12.82	13.61	11.94
2.	सहयोगी	हैल्थ इश्यूरेस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	नई दिल्ली	₹	77.20	5.91	11.19
3.	सहयोगी	इंडिया इंटरनैशनल इश्यूरेस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर	सिंगापुर	एसजीडी	22.09	2.32	2.27

व्यवसाय समीक्षा और संचालन का सारांश

वर्ष के दौरान विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों का प्रदर्शन नीचे विस्तृत है:

यूमेक्स - एजेंसी वर्टिकल

89654 व्यक्तिगत एजेंटों की शक्ति के साथ अभिकर्ता बल बाजार के रीटल क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। 2023-24 में इस चैनल ने 7769 करोड़ रुपये का सकल प्रीमियम और 4.71% की वृद्धि दर के साथ कंपनी के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम में 39% का योगदान दिया।

एजेंसी चैनल ने करीब 1.13 करोड़ पॉलिसी जारी कीं। एजेंसी चैनल ने न केवल व्यावसायिक मोर्चे पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, बल्कि एजेंटों की भर्ती के संबंध में भी अच्छा प्रदर्शन किया है और वर्ष के दौरान 2860 नई भर्तियाँ हुईं और 31 मार्च 2024 तक 89654 एजेंटों के साथ वर्ष का समापन हुआ।

ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ाने के लिए हमने 41502 एजेंटों को पोर्टल की सुविधा दी है। इन पोर्टलों पर भुगतान गेटवे की आईटी सक्षमता के समर्थन से 72.05 लाख पॉलिसियाँ जारी करके पोर्टल व्यवसाय ने 3093 करोड़ रुपये प्रीमियम के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ।

ब्रोकर वर्टिकल

- कंपनी ने मार्च 2024 तक 573 ब्रोकर्स के साथ समझौता किया है। ब्रोकर्स के माध्यम से प्राप्त कुल प्रीमियम 33.78% की वृद्धि दर के साथ 5191.9 करोड़ है।
- वित्त वर्ष 2023.24 के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय में ब्रोकर चैनल का योगदान 26.15% है और सकल आधार पर आईसीआर 77.47% है।
- आने वाले वर्ष में प्रीमियम में अपनी हिस्सेदारी को 26% से बढ़ाकर 32% करने के इरादे से ब्रोकर चैनल पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हमारी पॉलिसी संख्या और कंपनी के रीटल आधार में सुधार के लिए ब्रोकरों को और अधिक पोर्टल जारी किए जाते रहेंगे।

मोटर बीमा सेवा प्रदाता - ओईएम

मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी) दिशानिर्देश आईआरडीआई द्वारा दिनांक 01.12.2017 से लागू किए गए थे। 1 नवंबर 2017 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भी यही जारी रहा।

CHANGES IN THE NATURE OF BUSINESS, IF ANY

There was no change in the nature of business carried on by the Company during the year under review.

Material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the Company which have occurred between the end of the financial year of the Company to which the Financial Statements relate and the date of the Report.

No changes as aforesaid have taken place.

DETAILS OF SUBSIDIARY/JOINT VENTURES/ASSOCIATE COMPANIES

S. No.	Name of the Subsidiary	Total Paid up Share Capital	% Holding of United India Insurance Company Limited
1.	Zenith Securities & Investment Ltd	₹ 20 Lacs	69.45%
2.	Health Insurance TPA of India Limited	₹ 70 crores	23.75%
3.	India International Insurance PTE Ltd, Singapore	SGD 5 crores	20.00%

PERFORMANCE AND FINANCIAL POSITION OF EACH OF THE SUBSIDIARIES, ASSOCIATES AND JOINT VENTURE COMPANIES INCLUDED IN THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

The details are given as follows (FY 2023-24)

Sl. No.	Status	Name	Location	Currency	Turnover	PBT	PAT
1.	Subsidiary	Zenith Securities & Investment Ltd	Mumbai	₹	12.82	13.61	11.94
2.	Associate	Health Insurance TPA of India Limited	New Delhi	₹	77.20	5.91	11.19
3.	Associate	India International Insurance PTE Ltd, Singapore	Singapore	SGD	22.09	2.32	2.27

BUSINESS REVIEW AND SUMMARY OF OPERATIONS

The Performance of the various Business Verticals during the year are detailed below:

UMEX – AGENCY VERTICAL

The agency force has been catering to retail segments of the market with its strength of 89654 individual agents. In 2023-24 this channel completed a gross premium of ₹ 7769 crores and a growth rate of 4.71%, contributing 39% of the Gross Direct Premium of the Company.

The agency channel issued around 1.13 crore policies. Agency channel has not only excelled on the business front but also performed well with respect to agents' recruitment notching up 2860 new recruitments during the year and closing the year with 89654 agents as on 31st March 2024.

In a bid to increase online transactions, we have given Portal facility to 41502 agents. Portal business touched a record high of ₹ 3093 crores Premium by issuing 72.05 lac policies with the support of IT enablement of payment gateway on these portals.

BROKER VERTICAL

- The Company has tied up with 573 Brokers as of March 2024. The total premium received through Brokers is ₹ 5191.90 crores with a growth rate of 33.78%.

- The Broker channel's contribution to Gross Direct Premium Income for the FY 2023-24 is 26.15% and the ICR on Gross basis is 77.47%.

- In the coming year there will be continued focus on the Broker channel with an intention of increasing their share of premium from 26% to 32%. More portals will continue to be issued to the Brokers to improve our policy count and the retail base of the Company.

MOTOR INSURANCE SERVICE PROVIDERS & OEMS

Motor Insurance Service Providers (MISP) Guidelines were implemented by IRDAI w.e.f. 1st November 2017 and the same continued for the financial year 2023-24.

United India Insurance Company Limited has tie ups with the following OEMs - Maruti, Volkswagen, Tata, Mahindra, Hero & Daimler.

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने निम्नलिखित ओईएम - मारुति, वोक्सवैगन, टाटा, महिंद्रा, हीरो और डेमलर के साथ गठजोड़ किया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, कंपनी ने पिछले वर्ष के 539.07 करोड़ रुपये के मुकाबले ओईएम.एमएसआइपी से 891.05 करोड़ रुपये का कारोबार पूरा किया तथा 65.29% की वृद्धि दर के साथ 351.98 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रमुख उपलब्धि हीरो मोटो कॉर्प के 112 करोड़ रुपये के गठजोड़ और 264 करोड़ रुपये के अग्रिम प्रीमियम के माध्यम से दोपहिया वाहन खंड के अत्यधिक लाभदायक प्रीमियम में बढ़त है।

विभाग ने व्यवसाय वृद्धि और हानि नियंत्रण उपायों के लिए कार्यनीतियों पर क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ विभिन्न वीसी आयोजित की।

- ओईएम - एमएसआइपी व्यवसाय और उपगत दावा अनुपात (आइसीआर) की क्षेत्रीय टीमों के साथ व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की गई और मूल कारण विश्लेषण किया गया।
- डायरेक्ट एमआइएसपी में व्यवसाय के विकास के लिए - यंग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के तहत 2 कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- टाटा निजी कार ओईएम दावों का नोडल क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय 1 में दिनांक 09.08.2023 से केंद्रीकरण किया गया, जहां सभी अखिल भारतीय टाटा निजी कार ओईएम दावों के लिए एक विशेष हब बनाया गया है।
- संबंधित क्षेत्रों के दावों की बड़ी मात्रा को सेवा प्रदान करने के लिए मारुति और टाटा निजी कार ओईएम दावों का केंद्रीकरण चंडीगढ़ और लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के लिए मारुति वलेम्स हब चंडीगढ़ए लखनऊ और टाटा हब पानीपत में किया गया था।
- 'डीलर के पास जाएं' हब पहल शुरू की गई, जिसके तहत नोडल क्षेत्र को नियमित आधार पर डीलरों का दौरा करना था और डीलर प्वाइंट पर युनाइटेड इंडिया की उपस्थिति स्थापित करनी थी। यह पहल सफल रही है जिसके परिणामस्वरूप डीलर स्तर पर हमारी पहचान बढ़ी है और व्यवसाय में वृद्धि हुई है।
- हमारी हब टीमों को प्रेरित करने और दावों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करने और टीएटी में सुधार करने के लिए केंद्रीकृत हब और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा किया गया।

2024-25 के लिए योजना

कंपनी की नई परियोजनाएँ पाइपलाइन में हैं - अर्थात टीवीएस टू व्हीलर, यामाहा टू व्हीलर, वोल्वो, मॉरिस गैरेज (एमजी मोटर) के साथ-साथ अल्टिग्रीन 3 व्हीलर ईवी सेगमेंट में प्रवेश करने जा रहे हैं।

एलसीबी

बड़े कॉर्पोरेट की जरूरतों को पूरा करने और ब्रोकरों के साथ सीधे संपर्क के लिए वर्ष 2008 में बड़े कॉर्पोरेट बिजनेस सेल (एलसीबी) की शुरुआत की गई थी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश में छह एलसीबी कार्यरत थे। छैः बड़े कॉर्पोरेट और ब्रोकरों के कार्यालय मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में स्थित हैं।

कुल मिलाकर, एलसीबी ने 100.02% लक्ष्य प्राप्ति के साथ 1479.36 करोड़ रुपये का प्रीमियम पूरा कर लिया है। उन्होंने जानबूझकर घाटे वाले खातों को त्यागते हुए सभी प्रमुख नवीनीकरणों को बरकरार रखा है।

एलसीबी ने 159.16 करोड़ रुपये का परिचालन अधिशेष दर्ज किया है।

कॉर्पोरेट एजेंसी (बैंक & बैंक के अलावा अन्य)

- 31.03.2024 तक, हमारे पास 68 कॉर्पोरेट एजेंटों के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी टाई अप व्यवस्था है।
- 68 कॉर्पोरेट एजेंसी टाई अप में से 42 बैंक और एनबीएफसी और 26 बैंक टाई अप के अलावा अन्य हैं।
- हमने 3 पीएसयू बैंकों, 1 निजी बैंक (तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक), 12 ग्रामीण बैंकों, 21 सहकारी बैंकों और 5 एनबीएफसी के साथ गठजोड़ किया है।
- पीएसयू बैंक हैं: बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
- हमने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 14 नई कॉर्पोरेट एजेंसी टाई अप के साथ समझौता किया है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कॉर्पोरेट एजेंसी वर्टिकल ने 142.72 करोड़ रुपये का प्रीमियम पूरा किया।
- 142.72 करोड़ रुपये के प्रीमियम में से, कॉर्पोरेट एजेंसी (बैंक) चैनल ने 91.60 करोड़ रुपये का प्रीमियम एकत्र किया, जो कुल कॉर्पोरेट एजेंसी चैनल प्रीमियम का 64.18% है।

माइक्रो कार्यालयों का प्रदर्शन

हमारी कंपनी में माइक्रो ऑफिस/वन मैन ऑफिस मॉडल बहुत सफल रहा है। माइक्रो कार्यालयों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 917.16 करोड़ रुपये का प्रीमियम पूरा किया है।

वर्तमान में हमारे देश भर में 430 माइक्रो कार्यालय फैले हुए हैं और प्रति माइक्रो कार्यालय का औसत प्रीमियम 2.13 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 24 माइक्रो कार्यालयों ने 5 करोड़ रुपये से अधिक और 51 माइक्रो कार्यालयों ने 3 करोड़ रुपये से अधिक का प्रीमियम पूरा किया है।

बीमा पहुंच बढ़ाने और कंपनी की वृद्धि और लाभप्रदता में योगदान देने में माइक्रो कार्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रीमियम वृद्धि 11.54% है।

In the Financial Year 2023-24, the Company completed business of ₹ 891.05 crores from OEM-MISPs as against the previous year business of ₹ 539.07 crores, registering an accretion of ₹ 351.98 crores with a growth rate of 65.29%.

The major achievement in the financial year 2023-24 is the gain in highly profitable premium of two wheeler segment through Hero Moto Corp tie-up of ₹ 112 crores and an advance premium of ₹ 264 crores.

The department conducted various VCs with Regions on Strategies for business growth and loss control measures.

- OEM-MISP Business and Incurred Claims Ratios (ICR) were reviewed individually with Regional teams and root cause analysis conducted.
- For the development of business in Direct MISP – 2 workshops were conducted under the Young Executives programme.
- Centralization of Tata private car OEM Claims was done at Mumbai Regional Office 1 the Nodal Regional Office w.e.f. 09.08.2023, where a special Hub is created to take care of all pan-India Tata private car OEM claims.
- Centralization of Maruti and Tata private car OEM Claims was done for Chandigarh and Lucknow Regional Office at Maruti Claims Hub Chandigarh, Lucknow and Tata Hub Panipat, to cater to large volume of claims of respective Regions.
- “Go to the Dealer” initiative was launched, whereby the Nodal RMs were to make visits to the Dealers on regular basis and establish the presence of UNITED INDIA at the dealer point. This initiative has been successful thus resulting into enhancing our visibility at the dealer end and gaining business.
- Visits were made to Centralized Hubs and various Regional Offices to motivate our hub teams and ensure faster settlement of claims and improve the TAT.

PLAN FOR 2024-25

The Company has new projects in pipeline – viz. TVS Two Wheeler, Yamaha Two Wheeler, Volvo, Morris Garages (MG Motor) as well as Altigreen to make an entry in 3 Wheeler EV segment.

LCB

Large Corporate Business Cells (LCBs) were started in the year 2008 to cater to the needs of large corporate and liaison directly with the brokers. There were six LCBs functioning in the country during FY 2023-24. The Six Large Corporate

and Brokers' offices are located at Mumbai, Chennai, Delhi, Bengaluru, Hyderabad and Kolkata.

Together, the LCBs have completed a premium of ₹ 1479.36 crores with target realization of 100.02%. They have retained all major renewals whilst consciously shedding loss-making accounts.

The LCBs have recorded an Operating Surplus of ₹ 159.16 crores.

CORPORATE AGENCY (BANKS & OTHER THAN BANKS)

- As on 31.03.2024, we have corporate agency tie up arrangements with 68 corporate agents.
- Out of 68 corporate agency tie ups, there are 42 Banks & NBFCs and 26 other than bank tie ups.
- We have tie ups with 3 PSU Banks, 1 Private Bank (Tamilnad Mercantile Bank), 12 Gramin Banks, 21 Co-operative Banks & 5 NBFCs.
- PSU Banks are: Bank of Maharashtra, Indian Bank, Union Bank of India.
- We have entered into 14 new corporate agency tie up agreements during FY 2023-24.
- During FY 2023-24, corporate agency vertical completed a premium of ₹ 142.72 crores.
- Out of Premium of ₹ 142.72 crores, Corporate Agency (Banks) channel collected premium of ₹ 91.60 crores which is 64.18% of total corporate agency channel premium.

PERFORMANCE OF MICRO OFFICES

Micro Office/One Man Office model has been very successful in our Company. The Micro Offices have completed a premium of ₹ 917.16 crores during the financial year 2023-24.

Currently we have 430 Micro Offices spread across the country and the average premium per Micro Office is ₹ 2.13 crores. 24 Micro offices have completed a premium of more than ₹ 5 crores and 51 Micro Offices have completed more than ₹ 3 crores in the financial year 2023-24.

Micro Offices play a significant role in increasing insurance penetration and contributing to the growth and profitability of the Company. The premium growth during the FY 2023-24 is 11.54%.

ACTIVITIES OF ACTUARIAL DEPARTMENT

Actuarial Department involves primarily in estimation of claims reserves such as IBNR & IBNER, preparation

बीमांकिक विभाग की गतिविधियाँ

बीमांकिक विभाग में मुख्य रूप से आईबीएनआर और आईबीएनईआर जैसे दावों के भंडार का अनुमान लगाना, वित्तीय स्थिति रिपोर्ट (एफसीआर), आर्थिक पूंजी, उत्पाद प्रदर्शन रिपोर्ट और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन जैसे निर्धारित रिपोर्ट तैयार करना और नियामक को प्रस्तुत करना शामिल है। विभाग एक पूर्णकालिक नियुक्त बीमांकक की देखरेख में कार्य करता है।

विभाग उत्पाद डिजाइन, मूल्य निर्धारण और सॉल्वेंसी मूल्यांकन, आईआरडीआई, जीआई काउंसिल, जीआईपीएसए, और डीएफएस को विभिन्न सांख्यिकीय रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने में डोमेन विभागों को सहयोग और सहायता प्रदान करता है।

निर्णय लेने के उद्देश्य से तकनीकी विभागों को समय-समय पर व्यावसायिक प्रदर्शन, किए गए दावों आदि पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान की जाती है।

वर्ष के दौरान, बीमांकिक विभाग ने निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ निष्पादित की हैं :

- दावा भंडार का त्रैमासिक मूल्यांकन और कंपनी की सॉल्वेंसी स्थिति का अनुमान लगाने के लिए दावा भंडार के उपयोग की ट्रैकिंग।
 - 0 बीमांकिक विभाग ने मूल्य निर्धारण में समर्थन बढ़ाया
 - 0 एक नई अब्जि पॉलिसी - रीटल ग्राहकों के लिए युनाइटेड वेल्यू गृह रक्षा
 - 0 दो नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ
 - “युवान” बीमा पैठ में सुधार करने और नए बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए
 - 0 “समावेशी सुरक्षा हैल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (एसएसएचआइपी)” विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया।
 - कवरेज में सुधार के लिए प्रमुख स्वास्थ्य उत्पादों का पुनर्मूल्यांकन किया गया
 - इंडिविजुअल हैल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (आइएचपी)
 - फ़ैमिली मेडिकेयर पॉलिसी (एफएमपी)
 - 0 दो नए विविध उत्पाद अर्थात्
 - “युनाइटेड साइबर सेक्योर” कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए साइबर धोखाधड़ी और अपराध के विरुद्ध बीमा कराना
 - “यूनीकेयर बीमा पॉलिसी” रीटल ग्राहक के लिए फ़्लैट लॉस के आधार पर भवन और निर्माण का बीमा करना।

- 0 मोटर विभाग के लिए कवरेज में सुधार के लिए दो नए ऐड-ऑन उत्पाद
 - “रोड और रजिस्ट्रेशन चार्जेस”
 - “नो क्लेम बोनस (एनसीबी) प्रोटेक्ट”
- 0 महाराष्ट्र सरकार की एमजेपीजेवाई के लिए रेटिंग सहायता प्रदान किया गया है जिसके लिए कंपनी को अगले 1 वर्ष के लिए निविदा प्राप्त हुई है।
- 0 विभाग निम्नलिखित में सहयोग जारी रखता है:
 - बड़े समूह की स्वास्थ्य पॉलिसियों और बड़े समूह की व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसियों की रेटिंग, व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में उत्पादों की ट्रैकिंग और सरकारी स्वास्थ्य पॉलिसियों के प्रदर्शन की समय-समय पर निगरानी
 - एजेंटों के लिए प्रोत्साहन योजना तैयार करने और लागू करने के लिए एजेंसी विभाग को सिफारिशें और डेटा समर्थन।
 - एलएसएम नियमों के अनुसार लाभदायक उप-पोर्टफोलियो की प्रीमियम वृद्धि को बढ़ाने और मोटर ओडी दावों में डिफॉल्ट रिजर्व की लगातार निगरानी में मोटर विभाग को विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करना और रिजर्व की पर्याप्तता की जांच करना और यदि आवश्यक हो तो इसे संशोधित करना।

यूनी कस्टोमर केयर

ग्राहक सेवा ग्राहकों को दी जाने वाली सहायता है - विभिन्न उत्पादों को खरीदने और उपयोग करने से पहले और बाद में। आज की ग्राहक सेवा पारंपरिक टेलीफोन सहायता चैनल से कहीं आगे निकल गई है। यह ईमेल, वेब, टेक्स्ट संदेश और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से उपलब्ध है। ग्राहक सहायता केवल उत्तर प्रदान करने से कहीं अधिक है, यह आपके ब्रांड द्वारा अपने ग्राहकों से किए गए वादे का एक अभिन्न अंग है।

ग्राहकों के साथ व्यवहार करना और दिए गए टीएटी के भीतर उनकी शिकायतों का निवारण मौजूदा ग्राहक को बनाए रखने के साथ-साथ नए ग्राहक को लुभाने का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधान कार्यालय की यूनी ग्राहक सेवा विभाग समयबद्ध तरीके से सभी ग्राहक शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निवारण सुनिश्चित करके ग्राहक को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है।

2023-24 के प्रदर्शन की प्रमुख विशेषताएं

क्र. सं.	विवरण	विस्तार
1.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	9
2.	प्राप्त शिकायतों की संख्या	8895
3.	वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या	8902
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	2
5.	निपटान दर	99.97%
6.	समाधान का औसत टर्नअराउंड समय	11 days



and submission of prescribed reports such as Financial Condition Report (FCR), Economic Capital, Product Performance Reports and Asset Liability Management to the Regulator. The department functions under the supervision of a full time Appointed Actuary.

The department supports and assists the domain departments in Product design, Pricing and Solvency assessment, preparation and submission of various statistical reports to IRDAI, GI Council, GIPSA and DFS.

Analytical reports on business performance, incurred claims etc., are provided to technical departments periodically for the purpose of decision-making.

During the year, the actuarial department has performed following major activities:

- Quarterly valuation of claims reserves and tracking of utilization of claims reserves for projecting the Company’s solvency position.
- Actuarial department extended support in pricing
 - o A new fire policy - United Value Griha Raksha for retail customers
 - o Two new health insurance policies namely
 - “YUVAAN” to improve the insurance penetration and cater to new market
 - “Samaveshi Suraksha Health Insurance Policy (SSHIP)” specially curated for the persons with disabilities.
 - o Repricing the major health products to improve the coverage namely
 - Individual Health Insurance Policy (IHP)
 - Family Medicare Policy (FMP)
 - o Two new miscellaneous products namely
 - “United Cyber Secure” for Corporate customers to insure against Cyber Fraud & Crime
 - “Unicare Insurance policy” for retail customers to insure building and constructions on first loss basis.

- o Two new add on products for motor department to improve the coverage namely
 - “Road and Registration charges”
 - “No Claim Bonus(NCB) protect”
- o Rating support has been provided for Government of Maharashtra MJPJAY for which the Company was awarded the tender for another 1 year.
- o The department continues to support in the following:
 - Rating of large group health policies and large group personal accident policies, tracking of products in all lines of business and periodical monitoring of performance of Government health policies.
 - Recommendations and data support to agency department for devising and implementing the incentive scheme for agents.
 - Provide analytical support to motor department in driving premium growth of profitable sub portfolios and frequent monitoring of DEFAULT RESERVE in Motor OD claims as per the ALSM regulations and check for adequacy of reserve and modify the same if necessary.

UNI CUSTOMER CARE

Customer service is the support offered to the customers — both before and after they buy and use different products. Today’s customer service goes far beyond the traditional telephone support channel. It is available via email, web, text message and social media etc. Customer support is more than just providing answers; it is an integral part of the promise your brand provides to its customers.

Dealing with customers and redressal of their grievances within a given TAT paves way for retaining the existing customer as well as gaining new customers. HO Uni Customer Care department strives to provide par excellence services to the customer by ensuring quality redressal of all customer grievances in a timely manner.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS - 2023-24

Sl. No.	Particulars	Details
1.	No. of grievances outstanding as at the beginning of the year	9
2.	No. of grievances received	8895
3.	No. of grievances disposed during the year	8902
4.	No. of grievances pending as at the end of the year	2
5.	Disposal ratio	99.97%
6.	Average Turnaround time of resolution	11 days

विशिष्ट उपलब्धियाँ

यूनी कस्टमर केयर विभाग ने वर्ष 2023-24 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक केवल 2 ही शिकायतें लंबित थीं और शिकायतों के समाधान में 11 दिन का टीएटी रहा। लगभग सभी क्षेत्रों/एलसीबी में शून्य लंबितता दर्ज की गई है। विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की पीपीएचआई समिति ने सराहना की है

लोकपाल आदेशों का अनुपालन

प्रत्येक क्षेत्र में लोकपाल मामलों को संभालने के लिए एक नामांकित अधिकारी होता है जो माननीय लोकपाल को भेजे गए मामलों की निगरानी करता है और दिए गए आदेशों का अनुपालन करता है। गुणवत्तापूर्ण एससीएन तैयार करने के महत्व पर हमेशा जोर दिया गया है।

संदर्भाधीन अवधि के दौरान, हमें कुल 821 आदेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 31.03.2024 तक केवल 72 आदेशों का अनुपालन होना बाकी है। 72 लंबित आदेशों में हाल के आदेश, शिकायतकर्ता से दस्तावेजों की कमी के लिए सशर्त आदेश शामिल हैं।

शिकायत निवारण सप्ताह

2023-24 की अवधि के लिए, हमने सभी चार तिमाहियों (प्रत्येक तिमाही में एक) में शिकायत निवारण सप्ताह मनाया गया। शिकायत निवारण सप्ताह के दौरान कुल 1311 शिकायतों का निस्तारण किया गया।

ग्राहक संवेदीकरण कार्यशाला

दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों के लिए ग्राहक संवेदीकरण कार्यशाला सितंबर 2023 के महीने में और पश्चिम और उत्तरी क्षेत्रों के लिए अक्टूबर 2023 के महीने में आयोजित की गई थी। देश भर के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और एलसीबी के कस्टमर केयर और लोकपाल के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ-साथ नोडल अधिकारी विभागों से संबंधित प्रबंधकों ने इसमें भाग लिया। नोडल अधिकारियों को शिकायत प्रबंधन और लोकपाल आवश्यकता के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई।

प्रगति रिपोर्ट

शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा (संख्या में न्यूनतम 20) “प्रगति-प्रो-एक्टिव गर्नेस” के तहत महाप्रबंधक को रिपोर्ट की जाती है और उनकी टिप्पणियों/हस्ताक्षर के साथ इसे आइआरडीएआइ को उनके अवलोकन के लिए भेजा जाता है।

शिकायतों का मूल कारण विश्लेषण

विभाग का एक मुख्य कार्य तिमाही आधार पर यूजीएमएस पोर्टल में पंजीकृत शिकायतों का मूल कारण विश्लेषण तैयार करना है ताकि उन

प्रमुख कारणों की पहचान की जा सके जो बार-बार आने वाली शिकायतों का सृजन करते हैं। विभाग प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों को सुझाव भी भेजता है। उन्हें एक ही कारण से शिकायतों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपाय शुरू करने की सलाह दी जाती है।

इससे शिकायतों में उल्लेखनीय कमी आई है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के लोगों को सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। ‘सूचना का अधिकार’ विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया और इस विधेयक को 15 जून, 2005 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया गया। यह कानून 12 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ।

यह अधिनियम खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और सरकार या संस्थान के कार्य, भूमिका, संचालन के तरीके और जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाया गया। एक सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते, हमारी कंपनी भी इस कानून के अधीन है।

हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय में आरटीआई विभाग का गठन 2005 में आरटीआई अधिनियम के लागू होने के तुरंत बाद किया गया। भारत के नागरिकों के लिए हमारी कंपनी का ऑनलाइन पोर्टल 29 सितंबर 2016 को शुरू किया गया और सभी दूसरी पंक्ति के अधिकारियों और सीपीआईओ को प्रशिक्षण दिया गया।

ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल प्रबंधन पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को मार्गदर्शन दिया गया है। मंत्रालय द्वारा हस्तांतरित सभी पत्रों और आवेदनों का तुरंत जवाब दिया जाता है। सीआईसी की सुनवाई में हमारी कंपनी के संस्करण को माननीय आयोग के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया और सभी सीआईसी आदेशों का अनुपालन किया गया। हम समय-समय पर अपना वार्षिक पारदर्शिता ऑडिट स्व-मूल्यांकन सीआईसी को प्रस्तुत कर रहे हैं।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के सीपीआईओ आरटीआई आवेदनों/अपीलों के निपटान के लिए उत्कृष्ट टीएटी भी बनाए रख रहे हैं और प्रधान कार्यालय के साथ निरंतर समन्वय में हैं। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्राप्त आवेदनों/अपीलों के समय पर निस्तारण हेतु मार्गदर्शन देने हेतु सभी कार्यालयों की समुचित समीक्षा भी की गई। हमने क्रमशः लखनऊ और हैदराबाद में उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व के लिए दो क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की हैं और आरटीआई आवेदनों को प्रभावी तरीके से और आरटीआई अधिनियम 2005 में निर्धारित समयसीमा के भीतर बनाए रखने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

SPECIAL ACHIEVEMENTS

Uni Customer Care department has made a remarkable achievement in the year 2023-24 with only 2 grievances pending as on 31st March 2024 and 11 days TAT in resolution of grievances. Almost all the Regions/LCBs have registered NIL pendency. The efforts taken by the department has been appreciated by the PPHI Committee.

COMPLIANCE OF OMBUDSMAN AWARDS

Every region has a nominated Officer to handle Ombudsman cases who monitors the cases referred to Hon'ble Ombudsman and comply with the awards given. The importance of preparing quality SCN has always been stressed upon.

During the period under reference, we have received a total of 821 awards out of which only 72 awards are pending to be complied with as on 31.03.2024. The 72 pending awards includes recent awards, conditional awards for want of documents from complainant.

GRIEVANCE REDRESSAL WEEK

For the period 2023-24, we observed grievance redressal weeks in all the four quarters (one in each Quarter). A total of 1311 grievances were disposed off during the grievance redressal weeks.

CUSTOMER SENSITIZATION WORKSHOP

Customer Sensitization Workshop for South and East zones was conducted in the month of September 2023 and for West and North zones in the month of October 2023. All the Regional Offices across the country and LCBs' Nodal Officers for Customer Care and Ombudsman along with the regional managers dealing with the departments had participated in the same. The nodal officers were briefed on the various aspects of Grievance Management and Ombudsman requirement.

PRAGATI REPORT

Weekly Review of Grievances (Minimum 20 in number) is reported to GM under "Pragati-Pro-active Governance" and with his remarks/signature, the same is being sent to IRDA for their perusal.

ROOT CAUSE ANALYSIS OF GRIEVANCES

One of the main functions of department is generating the ROOT CAUSE ANALYSIS OF GRIEVANCES registered in

UGMS portal on quarterly basis to identify the predominant causes which give rise to repetitive complaints. The department sends advice to various Head Office departments and the Regional Offices. They are advised to initiate suitable remedial measures as to avoid recurrence of complaints due to the same cause.

This has resulted in remarkable reduction of grievances.

RIGHT TO INFORMATION

Right to Information Act empowers the people of India to get information from Government. The 'Right to Information' Bill was passed by the Parliament and this Bill was accepted by the President on June 15, 2005. This law came into force on 12th October, 2005.

The Act was enacted to promote openness, transparency and accountability and to obtain information of the work, role, mode of operation and of the government or institution. Being a Public Authority, our Company is also subject to this statute.

RTI Department at our Corporate Office was formed immediately after enactment of the RTI Act in 2005. Our Company's online Portal for the citizens of India was rolled out on 29th September 2016 and training was imparted to all Second Line Officers and CPIOs.

Guidance on Online RTI Portal management has been given to respective Regional Offices. All letters and applications transferred by Ministry are promptly responded to. In the CIC hearings our Company's versions were effectively presented before the Honorable Commission and all CIC orders are complied with. We are periodically submitting our Annual Transparency Audit Self-Appraisal to CIC.

The CPIOs of all ROs are also maintaining excellent TAT for disposal of RTI applications/appeals and are in continuous co-ordination with Head Office. Proper reviews were also done of all the offices to give guidance for timely disposal of applications/appeals received by the respective Regional Offices. We have conducted 2 Zonal Meets one each for North-West & South-East at Lucknow and Hyderabad respectively and had trained the Officers for handling RTI applications in an effective manner and within the timelines prescribed in the RTI Act 2005.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निस्तारित आवेदनों एवं अपीलों का विवरण नीचे दर्शाया गया है।

आवेदन/ अपील 2022-23 & 2023-24 (समग्र रूप से कंपनी के लिए)

	आवेदन 2022-23	आवेदन 2023-24	अपील 2022-23	अपील 2023-24
आरंभिक शेष	48	37	14	4
प्राप्त संख्या	1817	2514	200	273
निपटान संख्या	1828	2539	210	276
लंबित संख्या	37	12	4	1
निपटान अनुपात	98.02%	99.53%	98.10%	99.64%

सीआइसी को अपील (समग्र रूप से कंपनी के लिए)

वित्तीय वर्ष	कंपनी के पक्ष में	आवेदक के पक्ष में	कुल योग
2021-22	14	0	14
2022-23	39	8	47
2023-24	17	9	26

राजभाषा कार्यान्वयन

कंपनी निरंतर प्रयासरत रहती है कि भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार दिन-प्रतिदिन के कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हिंदी में मूल पत्राचार और भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) तथा नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। हम अपने समस्त कॉर्पोरेट, ग्रामीण क्षेत्रों और वैयक्तिक ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार बीमा उत्पादों को उनकी अपनी भाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं और उनकी बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

राजभाषा विभाग की गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय, चेन्नै की वर्ष 2023-24 के लिए गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:-

- वर्ष के दौरान मदुरै क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा व्यवसायिक कार्यालय, वाराणसी व्यवसायिक कार्यालय को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का प्रथम पुरस्कार स्वरूप शील्ड एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया गया तथा रोहतक व्यवसायिक कार्यालय को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का द्वितीय पुरस्कार स्वरूप शील्ड एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कुछ और कार्यालयों को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की गतिविधियों में सहभागिता के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए।
- वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई और राजभाषा क्रियान्वयन की दिशा में कंपनी के कार्यों को सराहा गया।

- राजभाषा क्रियान्वयन की दिशा में सार्थक कदम उठाते हुए, कंपनी द्वारा मोटर दुपहिया वाहन तथा निजी कार की देयता केवल पॉलिसियों की नियम व शर्तों का हिन्दी अनुवाद किया गया और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से अनुवाद का पुनरीक्षण भी करा लिया गया। संबंधित पृष्ठकों का अनुवाद का कार्य प्रगति पर है और उनका भी पुनरीक्षण के पश्चात पॉलिसियों को हिन्दी में जारी करने का विकल्प की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- दिनांक 21 जून 2023 को अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा इस अवसर पर योग विशेषांक -3 का प्रकाशन और विमोचन किया गया। दिनांक 20 फरवरी 2024 को पटना में अखिल भारतीय राजभाषा विभाग के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजित किया गया।
- दिनांक 09 जनवरी 2024 को मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय क्र.1 और 2 द्वारा संयुक्त रूप से राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- एक नवोन्मेष करते हुए, वर्ष 2022-23 के लिए राजभाषा क्रियान्वयन के क्षेत्र में अध्यक्ष ट्रॉफी की स्थापना की गई, जिसमें राजभाषा के प्रति बेहतर कार्य निष्पादन करने के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय से एक विभाग को पुरस्कृत किया गया।
- गत वर्ष की तरह हमने वित्त मंत्रालय के अधीन समस्त बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर "वित्तीय क्षेत्र के कार्यालयों में भारतीय भाषाओं का महत्व" विषय पर हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।



Details of applications and appeals disposed for 2023-24 in the financial year are as shown below.

APPLICATIONS / APPEALS 2022-23 & 2023-24 (For Company as a whole)

	Applications 2022-23	Applications 2023-24	Appeals 2022-23	Appeals 2023-24
Opening Balance	48	37	14	4
Number Received	1817	2514	200	273
Number Disposed	1828	2539	210	276
Number Pending	37	12	4	1
Disposal Rate	98.02%	99.53%	98.10%	99.64%

Appeals to CIC (For Company as a whole)

FINANCIAL YEAR	IN FAVOUR OF COMPANY	IN FAVOUR OF APPLICANT	GRAND TOTAL
2021-22	14	0	14
2022-23	39	8	47
2023-24	17	9	26

OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

It has been the Company's continuous endeavor to encourage the use of Hindi in day-to-day official work in accordance with the official language policy of the Government of India. For the year 2023-24, compliance has been ensured in respect of original correspondence in Hindi, Section 3(3) and Rule 5 of the Official Language Act of Government of India. We make efforts to explain about the insurance products to all our corporate, rural sectors and individual customers in the language of their convenience and are fully committed to meet their insurance requirements.

Activities and Achievements of Official Language Department

The activities and achievements of Official Language Department, Head Office, Chennai for the year 2023-24 are as follows: -

- 1) During the year, Madurai Regional Office, Panaji Divisional Office, Varanasi Divisional Office have been awarded First Prize and a Shield by the Town Official Language Implementation Committee and Rohtak Divisional Office has been awarded Second Prize and a shield by the Town Official Language Implementation Committee for implementation of Official Language. Some offices have also received prizes for participation in the Town Official Language Implementation Committee Activities.
- 2) The Department of Financial Services, Government of India has reviewed the quarterly progress report and appreciated the Company's efforts.

- 3) As an initiative towards Official Language Implementation, the Company has translated the terms and conditions applicable for Act only policy of motor two wheeler and private car and got vetted by the Central Translation Bureau. The translation work of the related endorsements is underway and after the same are also vetted, the issuance of policies in Hindi shall be facilitated.
- 4) Online work shop was organized on 21st June 2023 for all India Hindi Offices and on this occasion the YOGA Special Issue-3 was released. On 20th February 2024, One-day seminar was organized at Patna for Official Language Department officers of Regional Offices.
- 5) On 09th January 2024, Mumbai Regional Office-1 and 2 have jointly organized a seminar on Official language.
- 6) Taking an innovative step, Chairman's Trophy had been instituted during the year 2023 wherein one Regional Office and one Department at Head Office had been awarded on the basis of best performance in implementation of Official Language during the year 2022-23.
- 7) Continuing the previous year's trend, this year too, Hindi essay writing competition was organized at all India level for the Banks and Financial Institutes affiliated to Ministry of Finance on the topic "IMPORTANCE OF INDIAN LANGUAGES IN FINANCIAL SECTOR" and the prizes were distributed.

- 8) दिनांक 14 सितंबर से 29 सितंबर 2023 तक प्रधान कार्यालय चेन्नै सहित समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी दिवस / पखवाडा 2023 का आयोजन किया गया, जिनमें विभिन्न कार्यक्रमों को संपन्न किया गया। दिनांक 04 अक्टूबर 2023 को पखवाडा का समापन समारोह के अवसर पर तमिल तथा हिंदी भाषा के विद्वान एवं विख्यात लेखक डॉ. एम. गोविंदराजन के विशिष्ट आतिथ्य में तथा शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें डॉ. एम. गोविंदराजन को मातृभाषा तमिल सहित राजभाषा हिंदी के प्रति योगदान, विचारों एवं कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।
- 9) वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय की गृह पत्रिका "प्रगति" अंक -27 तथा अंक-28 का विमोचन, कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री सत्यजीत त्रिपाठी के कर कमलों से कराया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भी ई-अंक का प्रकाशन किया गया। प्रकाशित सभी गृह पत्रिकाओं को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में प्रतिभागिता हेतु राजभाषा विभाग भारत सरकार की वेबसाइट पर प्रस्तुत किया गया है।
- 10) संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा दिनांक 11 सितंबर 2023 को ठाणे कार्यालय का, दिनांक 11 जनवरी 2024 को अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय का, दिनांक 16 फरवरी 2024 को पणजी कार्यालय का निरीक्षण किया गया जबकि समिति की साक्ष्य एवं आलेख समिति द्वारा दिनांक 06 जुलाई 2023 को आगरा कार्यालय तथा 29 फरवरी 2024 को रोहतक कार्यालय का निरीक्षण किया गया और राजभाषा क्रियान्वयन के प्रति कंपनी के कार्यों को सराहनीय पाया गया। समिति द्वारा दिए गए सुझावों का निर्धारित समय सीमा के अंदर अनुपालन सुनिश्चित किया गया।
- 11) वर्ष के दौरान देश के विभिन्न प्रांतों में विस्तारित 14 कार्यालयों में गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा निरीक्षण किया गया एवं राजभाषा क्रियान्वयन को संतोषजनक पाया गया।
- 12) वर्ष 2023-24 के लिए प्रधान कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चारों तिमाही की बैठकें समय पर संपन्न हुईं, जिनमें महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। इस प्रकार की बैठकें अधीनस्थ कार्यालयों में भी सुनिश्चित कराई जा रही हैं।
- 13) अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा भी स्थानीय न.रा.का.स. स्तर पर सक्रिय उपस्थिति तथा योगदान सुनिश्चित कराया जा रहा है।
- 14) अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों को भी ऑनलाईन तिमाही प्रतिवेदन प्रेषण पर कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जा रहा है।
- 15) अपेक्षित अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी में कार्य निष्पादन करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है और बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशंस

प्रधान कार्यालय में कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशंस विभाग मुख्य रूप से विभिन्न मीडिया के माध्यम से कंपनी की सभी प्रचार, विज्ञापन और संचार संबंधी गतिविधियों को संभालता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रधान कार्यालय कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशंस विभाग ने चेन्नई में ओओएच मीडिया के माध्यम से नई लॉन्च की गई कम लागत वाली युवान स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का प्रचार किया है और बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्यों में एफएम रेडियो अभियान भी चलाया है। आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में, मई 2023 में एंकर माह के रूप में देश भर में कई कार्यालयों में विभिन्न गतिविधियों की गईं और इसे एक पत्रिका के रूप में भी लाया गया।

चक्रवात मिचौंग और दक्षिण तमिलनाडु बाढ़ के दौरान, एचओ कॉर्पोरेट संचार विभाग ने प्रभावित बीमाधारकों के लाभ के लिए विशेष दावा शिविरों पर प्रिंट मीडिया और एफएम रेडियो के माध्यम से प्रचार अभियान चलाया है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 समारोह के अवसर पर, महिला वाहन मालिकों के लिए विशेष छूट के संबंध में की गई पेशकश को प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया गया। इसके अलावा, विभाग ने नामांकन दाखिल करने में प्रधान कार्यालय फसल विभाग और टीएनसीएमसीएचआईएस टीम के साथ समन्वय किया है और "सर्वश्रेष्ठ फसल बीमा विकास" और "सर्वश्रेष्ठ घोखाधड़ी नियंत्रण पहल" श्रेणियों के लिए इंश्योरनेक्स्ट 2024 पुरस्कार जीतने में मदद की है।

कंपनी के 86वें स्थापना दिवस समारोह के संबंध में समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर और सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से भी प्रचार किया गया।

युवान स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, डॉक्टर्स पॉलिसी के लिए व्यावसायिक क्षतिपूर्ति, स्पेशल ड्राइव पीए पॉलिसी, एजेंटों/पीओएसपी भर्ती अभियान आदि जैसे विभिन्न बीमा उत्पादों के लिए क्रिएटिव डिजाइन किए गए।

पिछले वर्षों की तरह, कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशंस विभाग ने कॉर्पोरेट वित्त और लेखा विभाग के साथ निकट समन्वय में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों और वार्षिक रिपोर्ट की डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का कार्य किया।

सूचना प्रौद्योगिकी

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान आईटी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और मजबूत बनाने पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया। आईटी सुरक्षा से संबंधित विभिन्न नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन भी व्यापक रूप से किया गया। इस अवधि के दौरान, संगठनात्मक पुनर्गठन कार्य किया गया और इसमें आईटी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार समय पर आइ टी सॉफ्टवेयर परिवर्तनों को सफलतापूर्वक तैनात करने में सक्षम रहे।

- 8) Hindi Day / Fortnight 2023 was observed across all offices including Head Office from 14th September to 29th September 2023 and various activities were carried out. Valedictory day was held on 04th October 2023, wherein felicitation function was organized in the august presence of eminent writer and a learned person of Tamil and Hindi Language, Dr.M. Govindarajan and the top management of the Company, wherein Dr. M. Govindrajan was honoured for his contribution, thoughts and works in the field of Hindi and Tamil.
- 9) The house magazine "PRAGATI" issue-27 and 28 have been published and released by the Chairman-cum-Managing Director. Regional Offices have also published E-version of the magazines and all magazines have been uploaded in the website of the Official Language Department, Government of India for participation in Rajbhasha Kirti Puraskar.
- 10) The Third Sub-committee of the Parliamentary Committee on Official Language has inspected Thane Office on 11th September 2023, Ahmedabad Regional Office on 11th January 2024, Goa Office on 16th February 2024, whereas the oral and evidence committee of the same committee inspected Agra office on 06th July 2023 and Rohtak Office on 29th February 2024 and appreciated the Company's efforts during such inspections. Timely compliance has been ensured on the points advised by the committee.
- 11) During the year the regional implementation offices under the Ministry of Home Affairs have inspected 14 of our offices spread across various places and found satisfactory the Official Language implementation.
- 12) For the year 2023-24, all the quarterly meetings of the Head Office Official Language implementation committee were held in time and important decisions were taken. Such meetings are also being ensured in subordinate offices.
- 13) Active participation and contribution of subordinate offices to the respective Town Official Language Implementation Committee is ensured.
- 14) Training is imparted to the officers of the subordinate offices for filing online quarterly progress reports.
- 15) Officers/ staff are nominated regularly for necessary training programs and are provided incentives for good work done in Hindi.

CORPORATE COMMUNICATIONS

Corporate Communications Department at Head Office primarily handles all Publicity, Advertising and Communications related activities of the Company through various media.

During the year 2023-24, HO Corporate Communications Department has publicized newly launched low cost Yuvaan Health Insurance Policy through OOH media at Chennai and also carried out FM Radio campaigns in the states of Bihar, Chhattisgarh and Uttar Pradesh. As a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, various activities were carried out across the country in many offices in May 2023 being anchor month and also the same were brought as a magazine. Digital Calendar 2024 was conceptualized & designed with the theme "India's Mega Projects in Different Spheres of Development" and published in our website.

During Cyclone Michaung and South Tamil Nadu floods, HO Corporate Communications Department has carried out publicity campaigns through print media and FM radio on special claims camps for the benefit of the affected Insureds.

On the occasion of International Women's Day 2024 celebrations, the offer made in respect of special discount for Women vehicle owners was publicized through print and social media. Further, the department has coordinated with Head Office Crop Department and TNMCHIS Team in filing nominations and facilitated in winning InsureNext 2024 Awards for the categories "Best Crop Insurance Growth" and "Best Fraud Control Initiative".

Publicity in respect of the Company's 86th Foundation Day Celebrations was carried out by inserting advertisements in Newspapers and also through Social Media Handles Twitter and Facebook.

Designing of creatives for advertisements of various insurance products like Yuvaan Health Insurance Policy, Professional Indemnity for Doctors Policy, Special Drive PA Policy, agents/POSP recruitment drive etc were carried out.

As in the previous years, Corporate Communications department in close co-ordination with Corporate Finance & Accounts department undertook the designing and printing of the Company's Financial Results & Annual Report for FY 2022-23.

INFORMATION TECHNOLOGY

During the Financial Year 2023-2024 there has been a continued focus on enhancing and making IT infrastructure robust. Compliance to various regulatory requirements pertaining to IT security is also being undertaken comprehensively.

वर्ष के दौरान की गई अत्यंत प्रमुख गतिविधियाँ नीचे सूचीबद्ध हैं:

- 01-04-2023 को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में बीमालेखन, दावे और लेखा केंद्रों का केंद्रीकरण शुरू किया गया।
- वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा संचालित परियोजनाएं भी शुरू और कार्यान्वित की गई
 - 0 उत्पादन में तैनात पीएमएसबीवाई सदस्यों के लिए जन सुरक्षा एकीकरण
 - 0 स्वास्थ्य दावा आदान-प्रदान के लिए डीएफएस निर्देश के अनुसार एनएचसीएक्स एकीकरण प्रगति पर है- स्वास्थ्य पॉलिसियों के लिए एबीएचए आईडी कैप्चर करना।
 - 0 अकाउंट एग्जीगेटर प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण
- कुछ प्रमुख प्रक्रिया सुधार नीचे सूचीबद्ध हैं:
 - 0 विभिन्न प्राप्तकर्ताओं के लिए क्षे.का. से एक केंद्रीकृत चेक संवितरण
 - 0 ग्राहक बैंक खाता सत्यापन के लिए पेनी ड्रॉप परीक्षण
 - 0 ऑनलाइन जीएसटीआईएन/पैन सत्यापन
- कोर बीमा समाधान सॉफ्टवेयर में कई नए उत्पादों को कॉन्फिगर और लॉन्च किया गया।
 - 0 युनाइटेड साइबर सेक्यूर और युनाइटेड साइबर कवच पॉलिसी
 - 0 युवान स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी
 - 0 समावेशी सुरक्षा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी
- ₹50,000/- रुपये तक के दावों के लिए सर्वेक्षण करने के लिए हानि मूल्यांकन एजेंसी की स्वचालित नियुक्ति।
- विभिन्न वेब एग्जीगेटर्स के साथ एपीआई एकीकरण, तैनात किए गए कई उत्पादों के लिए भागीदार।
- कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार कोर बीमा समाधान में बीमा उत्पादों का अनुकूलन।
- हमने युइंडेक्स को उसकी डिजिटलीकरण पथ में सहायता करने के लिए सलाहकार के रूप में मेसर्स अन्स्ट एंड यंग के साथ डिजिटल परिवर्तन परियोजना शुरू की।
- नए प्रधान कार्यालय भवन का आईटी बुनियादी ढांचा समय पर पूरा हो गया और सभी विभाग तुरंत स्थानांतरित होने और सुचारु/निर्बाध रूप से कार्य करने में सक्षम हो गए।

मानव संसाधन विकास और कार्मिक

संगठनात्मक नेटवर्क

31.03.2024 को कंपनी के 1359 कार्यालय थे

कार्यालय का नाम	कार्यालयों की संख्या
प्रधान कार्यालय	01
क्षेत्रीय कार्यालय	30
एल सी बी	06
मंडल कार्यालय	352
शाखा कार्यालय	539
माइक्रो कार्यालय	431
कुल	1359

कर्मचारियों की संख्या का विवरण

31.03.2024 तक कंपनी में निम्नलिखित वर्ग-वार विभाजन के साथ 9306 कर्मचारी हैं:

संवर्ग	कर्मचारियों की संख्या
संवर्ग I	5917
संवर्ग II (विपणन & प्रशासन)	84
संवर्ग III	2627
संवर्ग IV	677
अंशकालिक कर्मचारी	1
कुल	9306

भर्ती

कंपनी ने वर्ष 2023-24 में 100 प्रशासनिक अधिकारियों (विशेषज्ञ), 300 सहायकों और 250 प्रशासनिक अधिकारियों (जनरलिस्ट) के लिए रिक्तियां घोषित की थीं। विशेषज्ञ बैच के 82 अधिकारी 31-03-2024 को शामिल हुए। सहायक और प्रशासनिक अधिकारी (जनरलिस्ट) भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/पूर्व सैनिकों का कल्याण

कंपनी पदों के आरक्षण, भर्ती में आयु में छूट और एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/पूर्व सैनिकों और ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में पदों के आरक्षण, जहां भी लागू हो, पर सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है। भर्ती पर सभी चयन समितियों में, कंपनी प्रत्येक समिति में एससी/एसटी/ओबीसी सदस्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। इसी प्रकार सभी पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य को नामांकित किया जाता है

During the period, organizational restructuring exercise was being undertaken and therein IT was able to successfully deploy software changes on time as per business requirements.

Key major activities undertaken during the year are listed below:

- Centralization of Underwriting, Claims and Accounts hubs rolled out at all Regional Offices on 01-04-2023.
- Ministry driven projects were also initiated and implemented during the year:
 - o Jan Suraksha Integration for PMSBY members deployed in production.
 - o NHCX integration in progress as per DFS directive for health claim exchange- capturing of ABHA id for health policies.
 - o Integration with Account Aggregator Platform
- A few major process improvements are listed below:
 - o A Centralized cheque disbursement from RO for various recipients
 - o Penny Drop testing for Customer Bank Account verification
 - o Online GSTIN / PAN verification
- Several new products were configured and launched in the core insurance solution software.
 - o United Cyber Secure and United Cyber Kavach Policy
 - o Yuvaan Health Insurance Policy
 - o Samaveshi Suraksha Health Insurance Policy
- Automatic appointment of loss assessment agency to undertake survey for claims up to ₹50,000/- deployed.
- API integrations with various web aggregators, partners for multiple products deployed.
- Customization of Insurance products in Core insurance solution as per Company requirements.
- We embarked upon digital transformation project with M/s Ernst and Young as consultant to assist UIIC on its digitization journey.
- IT infrastructure of new Head Office Building was completed on time and all the departments were able to shift immediately and function smoothly/seamlessly.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AND PERSONNEL

Organizational Network

As on 31.03.2024 the Company has 1359 Offices.

Name of the Office	Number of Offices
Head Office	01
Regional Offices	30
LCBs	06
Divisional Offices	352
Branch Offices	539
Micro Offices	431
TOTAL	1359

Break up of Number of Employees

The Company has 9306 employees with the following class-wise breakup as on 31.03.2024:

Class	No. of Employees
Class I	5917
Class II (Marketing & Administration)	84
Class III	2627
Class IV	677
PTE	1
TOTAL	9306

Recruitment

The Company had declared vacancies for 100 administrative officers (Specialist), 300 assistants and 250 administrative officers (Generalist) in the year 2023-24. 82 Officers from Specialist batch joined on 31-03-2024. The assistant and administrative officers (Generalist) recruitment exercise is underway.

WELFARE OF SC/ST/OBC/PWD/EX-SERVICEMEN

The Company complies with the Government guidelines on reservation of posts, relaxations of age in recruitment and reservation of posts in promotion for SC/ST/OBC/PWD/ Ex-Servicemen and EWS employees, wherever applicable. In all selection committees on recruitment, the Company ensures representation of SC/ST/OBC members in each committee. Similarly, in all promotion committees, member belonging to SC/ST is nominated.

The outstation candidates belonging to SC/ST/OBC category who are called for interview are reimbursed travelling expenses.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित बाहरी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और उन्हें यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

प्रधान कार्यालय की लर्निंग सेंटर, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों और एनआईए में आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित की गई। पदोन्नति प्रक्रिया 2024 में, विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों पर 75 एससी/एसटी, 130 ओबीसी और 11 पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण दिया गया।

इसी प्रकार, 193 एससी/एसटी, 244 ओबीसी और 14 दिव्यांग वर्ग ख अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

कंपनी ने योग्य एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण समूहों के संपर्क अधिकारियों/पदाधिकारियों को आरक्षण नीति पर प्रशिक्षण दिया है जो 23/02/2024 और 24/02/2024 को चेन्नई में आयोजित किया गया था।

डॉ. अम्बेडकर कल्याण ट्रस्ट की ओर से अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों को निर्धारित योजना के अनुसार प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

आरक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार स्टाफ क्वार्टरों के आवंटन में एससी/एसटी वर्ग के कर्मचारियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है।

सी- प्रशिक्षण

प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, और 2023-24 में भी, युनाइटेड इंडिया ने समय-समय पर समीक्षा के साथ आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने, संरचना करने और लागू करने में उत्सुक रहा है।

चेन्नई में हमारा कॉर्पोरेट प्रशिक्षण केंद्र "नालंदा" और हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों से जुड़े तीस क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र वर्ष की शुरुआत में अपने प्रशिक्षण कैलेंडर प्रकाशित और प्रसारित करते हैं और कंपनी की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। प्रत्येक आरटीसी में आयोजित किए जाने वाले अनिवार्य कार्यक्रम हर साल कॉर्पोरेट विभाग द्वारा तय किए जाते हैं और वर्ष की शुरुआत में ही प्रसारित किए जाते हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान हमारे कर्मचारियों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:

प्रशिक्षण केंद्र का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागी
कॉर्पोरेट लर्निंग सेंटर, प्र.का.	19	2917 (ओबीसी-682, एससी-583, एसटी-146)
क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र	335	4275 (ओबीसी-1022, एससी-1011, एसटी-482, पीएच-27)
राष्ट्रीय बीमा अकादमी	113	970 (ओबीसी-205, एससी -198, एसटी -86, पीएच -2)
अन्य बाह्य संस्थाएं	13	54(ओबीसी-10, एससी -2, एसटी -1)
कुल	480	8216 (ओबीसी-1919, एससी -1794, एसटी -715)

प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस)

प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) को कॉर्पोरेट उद्देश्यों से प्रवाहित होने वाले प्रमुख परिणाम क्षेत्रों (केआरए) का एक सेट तैयार करके कार्यान्वित

2023-24 के दौरान, प्रधान कार्यालय से कॉर्पोरेट लर्निंग सेंटर द्वारा विभिन्न ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। नियमित प्रशिक्षणों के अलावा, हमने बीडीई/बीडीएम, सतर्कता जागरूकता/क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा आदि के लिए विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किए , युवा विपणन प्रभारियों के लिए विशेष ऑफलाइन कक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम कोलकाता, हैदराबाद और कोयंबटूर में आयोजित किए गए और कुछ अनुगम होंगे । हमने मार्च 2024 में सीधी भर्ती विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए कक्षा प्रेरण प्रशिक्षण भी आयोजित किया। क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों (आरटीसी) ने तकनीकी कार्यक्रमों और प्रबंधन कार्यक्रमों को ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में आयोजित किया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत विभिन्न स्थानों पर आयोजित ऑफलाइन प्रशिक्षण के लिए ट्रेनर्स योजना के तहत 6 अधिकारियों को नामित किया गया।

पुणे में राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए), सार्वजनिक क्षेत्र के समकक्षों और एलआईसी के साथ कंपनी द्वारा सह-प्रायोजित, हमारे अधिकारियों को विशेष बीमा विषयों पर बीमा प्रशिक्षण प्रदान करती है। कक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम एनआईए द्वारा संचालित किए जाते हैं। अकादमी बीमा संबंधी विषयों पर अनुसंधान सुविधाएं भी प्रदान करती है। तकनीकी कार्यक्रमों के लिए उचित प्रशिक्षण नामांकन नियमित रूप से एनआईए और कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस, मुंबई और कोलकाता को किया जाता है।

फीडबैक ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी और प्रतिभागियों को उच्च स्तर की संतुष्टि दिखाई वे विभाग को इन प्रारूपों में और अधिक कार्यक्रम संचालित करने के लिए अत्यधिक प्रोत्साहित कर रहे थे।

सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एससी/एसटी/ओबीसी/और दिव्यांग कर्मचारियों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

सेवानिवृत्त स्केल V और उससे ऊपर के अधिकारियों के निकास साक्षात्कार अन्य बुलेटिनों के साथ इंटरनेट में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं जो हमारे संचार चैनल को बहुत प्रभावी बनाते हैं।

किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी के लिए वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय) द्वारा प्रमुख प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) की सलाह दी गई थी जिसमें शामिल थे:



In all the training programs conducted at HO, Learning Centre, Regional Training Centres and at NIA, adequate participation of SC/ST/OBC employees was ensured. In the promotion exercise 2024, pre promotion training was imparted to 75 SC/ST, 130 OBC and 11 PwD employees at various Regional Centres.

Similarly, 193 SC/ST, 244 OBC and 14 PwD Class I Officers were imparted training.

The Company has given training on reservation policy to Liaison Officers/ Office bearers of check off qualified SC/ST/OBC welfare groups which was conducted on 23/02/2024 & 24/02/2024 at Chennai.

Incentives and financial support are being extended from Dr. Ambedkar Welfare Trust to the SC/ST and OBC employees as per the prescribed scheme.

Adequate representation is also being given to employees belonging to SC/ST categories in the allotment of staff quarters as per reservation guidelines.

Training

Training is a continuous process, and in 2023-24 too, United India has been keen in formulating, structuring and implementing training programmes on need basis with periodical reviews.

Our Corporate Training Centre 'Nalanda' at Chennai and Thirty Regional Training Centres attached to our Regional Offices publish and circulate their training calendars in the beginning of the year and conduct trainings as per the requirement of the training needs of the Company. The mandatory programmes to be conducted in each RTC is decided by the corporate department every year and circulated in the beginning of the year itself.

During 2023-24, various online training programmes were conducted by the Corporate Learning Centre from Head Office. In addition to the routine trainings, we had conducted specialized online trainings for BDEs/BDMs, vigilance awareness/capacity building, cyber security etc., specialized offline classroom training programme for young marketing in-charges were conducted at Kolkata, Hyderabad and Coimbatore, with few more to follow. We also performed classroom induction training for direct recruit specialist officers in March 2024. The Regional Training Centres (RTCs) conducted the technical programmes and management programmes in the offline and online mode. As part of observance of vigilance awareness week, 6 officials were nominated under the training the Trainers scheme, to the offline training conducted at various places.

National Insurance Academy (NIA) at Pune, co-sponsored by the Company along with its Public Sector Counterparts and LIC, imparts Insurance training on specialized insurance topics to our officers. Classroom training programmes are conducted by NIA. The academy also offers research facilities on insurance related subjects. Appropriate training nominations for technical programmes are regularly done to NIA and also to College of Insurance, Mumbai and Kolkata.

The feedback gave valuable insights into the effectiveness of a training program, and have reflected high level of satisfaction to the participants. They were highly encouraging for the department to conduct more programmes in these formats.

The representation of adequate participation by SC/ST/OBC and differently abled employees are ensured in all training programmes.

Exit interviews with retiring Scale V and above executives are published regularly in Intranet along with other bulletins which make our communication channel very effective.

Details of Training Programmes attended by our employees during the year 2023-24 is given below:

Name of Training Centre	No. of Programs	Participants
Corporate Learning Centre, HO	19	2917 (OBC-682,SC-583,ST-146)
Regional Training Centres	335	4275 (OBC-1022,SC-1011,ST-482,PH-27)
National Insurance Academy	113	970 (OBC-205,SC-198,ST-86,PH-2)
Other External Institutes	13	54(OBC-10,SC-2,ST-1)
Total	480	8216 (OBC-1919,SC-1794,ST-715)

PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (PMS)

Performance Management System (PMS) is implemented by framing a set of Key Result Areas (KRA) that flow from

corporate objectives. Major Key Performance Indicators (KPIs) were advised by the Department of Financial Services (Ministry of Finance) for the Company in FY 2023-24 which comprised of:

1. लाभप्रद वृद्धि
2. कार्यकुशलता में वृद्धि
3. जोखिम प्रबंधन
4. केपीआइ के अलावा अन्य

कंपनी ने केपीआइ की तर्ज पर कॉर्पोरेट कार्यालय से लेकर परिचालन कार्यालयों तक सभी स्तरों पर अपनाने के लिए मुख्य परिणाम क्षेत्र तैयार किए हैं। कॉर्पोरेट पीएमएस टीम ने व्यावसायिक प्रदर्शन, वित्तीय प्रोफाइल, विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों और दावा केंद्रों के प्रदर्शन, दावों और शिकायतों के निपटान और निपटान अनुपात पर डेटा कैप्चर करने के लिए अनुकूलित टेम्पलेट डिजाइन किए हैं।

कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों और बड़े कॉर्पोरेट और ब्रोकर सेल (एलसीबी) के परामर्श से लक्ष्य निर्धारित किए गए। वार्षिक केआरए लक्ष्य-निर्धारण बैठकें जून 2023 में ऑफलाइन आयोजित की गईं। कॉर्पोरेट प्रबंधन और 30 क्षेत्रीय कार्यालयों और 6 एलसीबी के क्षेत्रीय/एलसीबी प्रमुखों ने अपनी टीमों के साथ पिछले वर्ष के प्रदर्शन और लक्ष्य निर्धारित पर इनपुट के अच्छे आदान-प्रदान के साथ बातचीत की। चालू वर्ष के लिए, परिचालन कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा केआरए लक्ष्यों की उपलब्धि की सीमा वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्रदर्शन मूल्यांकन का हिस्सा बनती है।

जून 2023 के वार्षिक केआरए प्रक्रिया की सफलता के बाद, फरवरी 2024 में महाप्रबंधकों की देखरेख में क्षेत्रों और एलसीबी के साथ मध्य वर्ष केआरए समीक्षा भी आयोजित की गई और उसके परिणाम बहुत उत्साहजनक थे।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत खुलासा

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप, कंपनी ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय/प्रधान कार्यालय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की है। इसके अलावा, कंपनी के पास कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है। इसके अलावा, कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के बारे में महिला कर्मचारियों/आईसीसी सदस्यों के लिए 28 दिसंबर 2023 को प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 2023-2024 की अवधि के लिए प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों का सारांश निम्नलिखित है:

अवधि	दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	निपटाए गए शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या
01/04/2023 से 31/03/2024 तक	3	1	2

संपदा

संपदा विभाग कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्तियों के रखरखाव का काम संभालता है जिसमें वैधानिक भुगतान, मरम्मत, नवीकरण, आवधिक मूल्यांकन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित का प्रबंधन किया जाता है:

- मानदंडों के अनुसार कर्मचारियों को कंपनी के स्वामित्व वाले आवासीय आवास का आवंटन
- कर्मचारियों के लिए कॉर्पोरेट/आवासीय पट्टे की मंजूरी
- स्वामित्व विलेखों का उचित भंडारण सुनिश्चित करना
- कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्तियों के रखरखाव के लिए बजटीय आवंटन और नवीकरण/प्रमुख मरम्मत के प्रस्तावों की मंजूरी
- प्रदर्शन विश्लेषण, कर्मचारियों की संख्या, प्रचलित बाजार दर, नए परिसर की उपयुक्तता की तलाश के साथ-साथ विपणन विभाग के परामर्श से किराया न्यूनतम करने के लिए कार्यालयों के स्थानान्तरण के आधार पर विभिन्न कार्यालयों के लिए नए/मौजूदा कार्यालय स्थानों को पट्टे पर देने की मंजूरी।

- संपत्ति मुद्रीकरण
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ के निपटान के लिए संपत्ति मंजूरी
- कंपनी में इंटीग्रिटी पैक्ट के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग और एक महत्वपूर्ण निवारक सतर्कता तंत्र के रूप में 1 करोड़ रुपये की सीमा मूल्य से ऊपर की गई सभी खरीद के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नामित स्वतंत्र बाहरी मॉनिटरों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करना और पारदर्शी सार्वजनिक खरीद के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करना।

वर्ष की प्रमुख बातें

वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशों के अनुसार, हमारी कंपनी में “स्वच्छता पखवाड़ा” के लिए दो चरणों में 15-09-2023 से 02-10-2023 और 02-10-2023 से 31-10-2023 तक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य लंबित मोटर टीपी दावों का निपटान करना, सभी शाखाओं में विशेष अभियान बैनर लगाना, दस्तावेजों और कलाकृतियों के आधार पर ऐतिहासिक महत्व के कार्यों का समन्वय करना, दस्तावेज प्रबंधन, दस्तावेज स्कैनिंग, निराई-गुड़ाई, स्कैप निपटान और स्थान प्रबंधन करना था।



1. Profitable growth
2. Efficiency Enhancement
3. Risk Management
4. Other than KPI

The Company has framed the Key Result Areas for adoption at all levels from Corporate Office to the Operating offices, on the lines of the KPIs. The Corporate PMS team designed customized templates for capturing the data on business performance, financial profile, performance of various business verticals and claims hubs, claims and grievances disposal and settlement ratios.

Targets were set by the Corporate Office in consultation with the Regional offices and Large Corporate and Broker Cells (LCBs). The annual KRA target-setting meetings were conducted offline in June 2023. Corporate Management and the Regional / LCB chiefs of 30 Regional Offices and 6 LCBs along with their teams, interacted with a good exchange of inputs on the past year’s performance and target set for the current year. The extent of achievement of KRA targets by heads of Operating Offices formed part of the performance evaluation during the annual performance appraisal process.

After the success of the June 2023 Annual KRA exercise, the mid year KRA review was also conducted in February 2024 with Regions and LCBs by overseeing General Managers and the results thereof were very encouraging.

Disclosure under Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013

In line with the provisions of the Sexual Harassment of women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013, the Company has set up Internal Complaints Committee at Regional Office/ Head Office Level to redress complaints received against sexual harassment. Further, the Company has Board approved Policy on Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment of Women at Workplace. In addition to the same, the Company also through its Corporate Training Centre conducted training programme on 28th December 2023 for the women employees/ICC members regarding the provisions of Sexual Harassment of women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013.

The following is the summary of complaints received and disposed as per the provisions of Sexual Harassment of women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 for the period 2023-2024.

PERIOD	NO.OF COMPLAINTS REGISTERED	NO.OF COMPLAINTS DISPOSED OFF	NO. OF COMPLAINTS PENDING
01/04/2023 TO 31/03/2024	3	1	2

ESTATES

The Estates department handles the maintenance of Company owned properties which includes statutory payments, repairs, renovations, periodical valuations. In addition, the following are managed :

- Allotment of Company owned residential accommodation to employees as per norms
- Approvals of Corporate/Residential lease for employees
- Ensuring proper storage of title deeds
- Budgetary allocation for maintenance of Company owned properties and approval of proposals for renovation/major repairs
- Approval for leasing of new/existing office spaces for various offices based on performance analysis, staff strength, prevailing market rate, suitability scouting of new premises as also relocating of offices for rent minimization in consultation with Marketing Department

- Asset Monetization
- Estate clearance to retiring employees for settlement of benefits
- Nodal Department for implementation of Integrity Pact in the Company and conduct of Quarterly Review meetings with Independent External Monitors nominated by Central Vigilance Commission for all Procurement done above the threshold value of ₹1 crore as an important preventive vigilance mechanism and to ensure fair and transparent public procurement.

Highlights of the year

As per the directives of Department of Financial Services, special campaign was carried out for “SWACHHATA PAKHWADA” in our Company in two phases from 15-09-2023 to 02-10-2023 & 02-10-2023 to 31-10-2023. The objective of the campaign was to settle pending Motor TP claims, putting up special campaign banner at all branches, collated work of historical importance based on documents and artefacts, document management, document scanning, weeding out, scrap disposal and space management.

स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य की भावना फैलाने के लिए “कचरा मुक्त भारत” की थीम के साथ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 02-10-2023 को एक विशेष अभियान “स्वच्छता ही सेवा” चलाया गया।

आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किए गए उपाय

आंतरिक अंकेक्षण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग का लक्ष्य कंपनी के प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता को बढ़ाना है, जिससे विभिन्न हितधारकों को मूल्य प्रदान करने के कंपनी के मिशन का समर्थन किया जा सके।

संगठनात्मक पुनर्गठन प्रक्रिया के बीच कंपनी ने 2023-24 के दौरान पहले से ही कार्यरत मोटर ओडी, टीपी, स्वास्थ्य, सह-बीमा और संपत्ति और हताहत दावा केंद्रों के अलावा क्षेत्रीय कार्यालय-वार खाता केंद्रों की शुरुआत और संचालन किया है। परिचालन कार्यालयों से संबंधित सभी लेखांकन गतिविधियों को केंद्रीकृत किया गया है और क्षेत्रीय लेखा केंद्रों द्वारा इसका ध्यान रखा गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग ने सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दी और इन लेखा केंद्रों के लेखापरीक्षा को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा योजना तैयार की। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष के दौरान इन अकाउंट्स हब के क्लस्टर, अनुसूचित और पूर्ण ऑडिट का गठन किया। अधिकांश अकाउंट हब का वित्तीय वर्ष के दौरान दो बार ऑडिट किया गया। आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने और जोखिम सुधार उपायों को अपनाने के लिए, महत्वपूर्ण ऑडिट टिप्पणियों को समय-समय पर सीएफएसी और ऑडिट अनुपालन विभाग को सूचित किया गया है।

देश भर में लगभग 50 ऑडिटों की एक टीम के साथ, आंतरिक ऑडिट विभाग ने हब, आरओ और एलसीबी सहित 732 ऑडिटी कार्यालयों के लिए ऑडिट पूरा किया। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा उन क्षेत्रों का पता लगाने के प्रयास किए गए जहां नियंत्रण को मजबूत करने की आवश्यकता है और जहां भी लागू हो, सिस्टम सुधार के सुझाव भी दिए गए। ऑडिट टिप्पणियों के आधार पर डोमेन विभाग ने, जहां भी आवश्यक हुआ, आईटी विभाग की मदद से सुधारात्मक कदम उठाए।

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग ने वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा अनुपालन विभाग प्रधान कार्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न आरएसीसी बैठकों का समन्वय किया है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के समन्वय से प्रबंधन को विचलन के कारणों का पता लगाने और पुनरावृत्ति से बचने के लिए अपनाए जाने वाले बेहतर नियंत्रण उपायों के बारे में क्षेत्रीय कार्यालयों को मार्गदर्शन करने में मदद मिली। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के सहयोग से, वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 2,37,35,014/- की 1863 वसूली की गई।

विभिन्न विभागों में गठित विभिन्न निविदा/आरएफपी समितियों का हिस्सा होने के नाते, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग ने आवश्यक प्रक्रियाओं को समय पर शुरू करने और विवेकपूर्ण परिणामों में सहायता की। वित्तीय

वर्ष के दौरान, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग ने सेवानिवृत्त/वीआरएस विकल्पधारी कर्मचारियों के लिए समय पर लेखापरीक्षा मंजूरी प्रदान करने में एचआरएम विभाग का समन्वय और सहायता की है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, आंतरिक ऑडिट विभाग ने सभी हब के ऑडिट, आरओ और एलसीबी ऑडिट और कुछ परिचालन कार्यालयों को कवर करने के लिए एक ऑडिट योजना तैयार की है। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में उच्च आईसीआर वाले शीर्ष 5 कार्यालयों को शामिल करने का ध्यान रखा गया है। फोकस क्षेत्रों को ऑडिट टीम को भी चिह्नित किया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने और लेखापरीक्षा प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन में योगदान मिलता है।

लेखापरीक्षा अनुपालन

ऑडिट अनुपालन विभाग सीएजी लेखा परीक्षकों और कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करता है। क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारी आंतरिक ऑडिट सेल के साथ समन्वय करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऑडिटिंग कार्यालयों द्वारा ऑडिट रिपोर्ट का समय पर जवाब दिया जाए, जिससे ऑडिट प्रश्नों का तेजी से अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इन पहचाने गए क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारियों को आंतरिक लेखापरीक्षा प्रश्नों की समीक्षा और निपटान के लिए क्षेत्रीय लेखापरीक्षा अनुपालन समिति (आरएसीसी) की बैठकें आयोजित करने का काम भी सौंपा गया है। इसके अलावा वे सीएजी प्रश्नों का समय पर उत्तर देने के लिए समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं।

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा अनुपालन समिति को सभी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रश्नों, यानी लेखापरीक्षा, निरीक्षण प्रश्नों और व्यक्तिगत वसूलियों की समीक्षा करने और उनके अधीन परिचालन कार्यालयों के स्तर तक सभी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रश्नों का निपटान करने का अधिकार है। इस वित्तीय वर्ष में विभाग लंबित व्यक्तिगत वसूलियों का 70%, एंसेसी कमीशन संबंधी 61% प्रश्नों तथा निरीक्षण संबंधी 39% प्रश्नों का निपटारा कर पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर स्थिति प्राप्त कर सकता है। यह आरओ/एलसीबी की निरंतर निगरानी और आरओ को मार्गदर्शन करने के लिए कई वीसी आयोजित करने के कारण संभव हुआ। निपटान में और सुधार लाने के लिए, इन तीन प्रकार की केरी के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए और विभाग द्वारा इसकी बारीकी से निगरानी की गई।

कई क्षेत्रीय कार्यालय जिनके पास बड़ी संख्या में बकाया प्रश्न थे, उन्हें निगरानी और मार्गदर्शन के लिए प्रधान कार्यालय अनुपालन और आईएआई टीमों की उपस्थिति में वीसी के माध्यम से अपनी आरएसीसी बैठकें आयोजित करने के लिए कहा गया था। इससे 31.3.2024 को लंबित प्रश्नों की संख्या में भारी कमी आई।

उपरोक्त उपायों के माध्यम से कंपनी ने 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान 937 प्रश्नों की अभूतपूर्व कमी हासिल की है।

A special campaign “SWACHHATA HI SEVA” was conducted on 02-10-2023 on the occasion of birth anniversary of our Father of the Nation Mahatma Gandhi with a theme of ‘Garbage Free India’ to spread the spirit of cleanliness and good health.

MEASURES TAKEN TO ENHANCE CREDIBILITY OF INTERNAL CONTROLS AND FINANCIAL REPORTING

INTERNAL AUDIT

During the Financial Year 2023-24 the Internal Audit department aimed at enhancing the Company’s governance, risk management and efficacy of internal control processes thereby supporting Company’s mission to deliver value to various stakeholders.

With the organizational restructuring process, the Company has during 2023-24 introduced and operationalized Regional Office-wise ACCOUNTS HUBS in addition to the already functional Motor OD, TP, Health, Co-Insurance and Property and Casualty Claims Hubs. All the accounting activities pertaining to Operating Offices have been centralized and taken care of by Regional Accounts Hubs. The internal audit department responded proactively and chalked out audit plan incorporating the audits of these Accounts Hubs. The internal audit department formed clusters, scheduled and completed audits of these Accounts Hubs during the financial year. Most of the Accounts Hubs got audited twice during the financial year. To strengthen the internal controls and adopt risk improvement measures, the significant audit observations have been informed to CFAC and audit compliance department on a periodic basis.

With a team of around 50 auditors across the country, the internal audit department completed audits for 732 auditee offices inclusive of Hubs, ROs and LCBs. Efforts were made by internal audit department to explore the areas where control needs to be strengthened and also provided system improvement suggestions wherever applicable. Based on the audit observations the domain department, with the help of IT Department wherever required, initiated corrective steps.

The internal audit department has co-ordinated various RACC meetings conducted by the audit compliance department HO during the year. The co-ordination by the internal audit department helped Management to ascertain the causes of deviations and guide the Regional Offices about better control measures to be adopted to avoid relapse. With the support of internal audit department, 1863 recoveries amounting to ₹ 2,37,35,014/- were made during the financial year.

Being part of various Tender/RFP Committees set up in various departments, the internal audit department assisted in timely initiation of required processes and in prudent outcomes. During the financial year, the internal audit department has co-ordinated and assisted HRM Department in providing the timely audit clearance for Retiring/VRS optee employees.

For the FY 2024-25, the internal audit department has chalked out an audit plan to cover all Hubs’ audit, ROs and LCBs audit plus some operating offices. Care has been taken to include the top 5 offices having high ICR in respective ROs. The focus areas have also been flagged to audit team. The internal audit department remains committed to foster a culture of continuous improvement and enhance the audit effectiveness and efficiency, thereby contributing to better corporate governance.

AUDIT COMPLIANCE

The audit compliance department ensures timely compliance of queries raised by CAG Auditors and internal auditors of the Company. Regional Compliance Officers of the ROs coordinate with the internal audit cells to ensure that audit reports are responded to in time by the Operating Offices thereby ensuring faster compliance of audit queries. These identified Regional Compliance Officers are also entrusted with the job of convening Regional Audit Compliance Committee (RACC) meetings to review and settle Internal Audit queries. Further they act as coordinators for timely reply to CAG queries.

Regional Audit Compliance Committee is empowered to review all internal audit queries, i.e audit, inspection queries and personal recoveries and settle all internal audit queries up to the level of Operating Offices under them. In this financial year the department could achieve a better position compared to previous year by disposing 70% of pending personal recoveries, 61% of agency commission queries and 39% of Inspection queries. This was made possible due to constant monitoring of ROs/LCBs and conducting several VCs to guide ROs. In order to bring further improvement in disposal, specific targets were fixed for these three types of queries and the same were closely monitored by the department.

Several ROs which had a large number of outstanding queries were asked to conduct their RACC meetings through VC in the presence of HO Compliance & IAI teams for monitoring and guidance. This led to a drastic reduction in the number of pending queries as on 31.03.2024.

Through the above measures the Company has achieved a phenomenal reduction of 937 queries during 2023-24 as compared to 2022-23.

सीएजी टीम के साथ विभिन्न बैठकों के माध्यम से, प्रधान कार्यालय ऑडिट अनुपालन विभाग 35 सीएजी प्रश्नों को हल करने में सक्षम रहा और केवल 1 एटीएन वर्तमान में लंबित है, जिसका उत्तर 2022-23 में ही प्रस्तुत किया गया था। सीएजी से क्षेत्रवार त्रैमासिक बकाया सीएजी प्रश्न एकत्र किए गए और उनके उत्तर/समाधान के लिए क्षेत्रों/एलसीबी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के समन्वय में, एक अध्ययन आयोजित किया गया था जो विशेष रूप से बार-बार आने वाले प्रश्नों के मूल कारण में गया और सिस्टम में सुधार/जांच और संतुलन बनाकर खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए।

विभाग मंत्रालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों के संबंध में प्रतिक्रियाओं की जांच में भी समन्वय करता है। सीएजी प्रश्नों के लिए विभाग द्वारा बनाई गई डिजिटल रिपोर्टिंग क्षैत्रीय प्रमुखों और क्षैत्रीय लेखा परीक्षा अनुपालन अधिकारियों के लिए सुलभ है, जिसमें सीएजी रिपोर्ट और उत्तर अपलोड किए जाते हैं और सीएजी प्रश्नों/उत्तरों की अद्यतन स्थिति उपलब्ध होती है।

सतर्कता प्रशासन

युइंस्कंलि के सतर्कता विभाग का नेतृत्व भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा नियुक्त एक मुख्य सतर्कता अधिकारी करता है। विभाग में एक मुख्य प्रबंधक, दो प्रबंधक, डेस्क अधिकारियों की एक टीम और संगठन के प्रत्येक क्षैत्रीय कार्यालय के लिए 30 क्षैत्रीय सतर्कता अधिकारी (आरवीओ) हैं। एचओ (प्रधान कार्यालय) सतर्कता के डेस्क अधिकारी आरवीओ के साथ निकटता से बातचीत करते हैं और उन्हें दिन-प्रतिदिन के कामकाज में मार्गदर्शन करते हैं।

विभाग का ध्यान दंडात्मक सतर्कता के बजाय “निवारक सतर्कता” पर अधिक है। सभी क्षेत्रों में तैनात सतर्कता अधिकारी परिचालन इकाइयों का नियमित रूप से अर्घोषित निरीक्षण करते हैं और एचओ सतर्कता को रिपोर्ट सौंपते हैं। इसके अलावा, प्रधान कार्यालय की टीम भी निरीक्षण के लिए क्षैत्रीय कार्यालयों का दौरा करती है। निरीक्षण रिपोर्टें पर सतर्कता विभाग प्रबंधन को विभिन्न सुझाव/प्रणाली सुधार प्रस्तुत करता है।

वित्त वर्ष 2023-24 में पूरी की गई कुछ प्रमुख सतर्कता विभाग गतिविधियाँ नीचे सूचीबद्ध हैं: -

- यूआईआईसीएल की सतर्कता नियमावली को कंपनी द्वारा अपनाया गया और मई 2023 को जारी किया गया।
- सितंबर 2023 को चेन्नई में पीएसयू, पीएसबी और बीमा संस्थानों के सीवीओ और सतर्कता अधिकारियों के लिए “सतर्कता अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण और बातचीत” पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) के साथ सफल सह-मेजबानी।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2023 सफलतापूर्वक आयोजित किया गया जिसमें कई प्रतिस्पर्धी गतिविधियाँ, प्रशिक्षण,

कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित किए गए और उसके बाद पुरस्कार वितरण आयोजित किया गया। इसके अलावा जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) शिकायतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए।

- सतर्कता विभाग ने क्षमता निर्माण पहल के तहत सीबीआई अकादमी गाजियाबाद, आईआईएम विजाग और एमटीआई सेल, रांची में प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए 6 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रशिक्षकों (टीओटी) के रूप में नामित किया, जो वीएडब्ल्यू -23 अभियान के दौरान हासिल किए जाने वाले सीवीसी के महत्वपूर्ण और अनिवार्य उद्देश्यों में से एक था।
- विभिन्न गतिविधियों के बीच एक निवारक सतर्कता उपाय के रूप में, एचओ टीम ने 6 क्षैत्रीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और क्षैत्रीय सतर्कता अधिकारियों (आरवीओ) ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 381 से अधिक परिचालन कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया था और उसके बाद कई प्रणालीगत सुधार लागू किए थे।
- सतर्कता शिकायत पंजीकरण पोर्टल के पुनः डिजाइन के साथ विभागीय स्वचालन शुरू किया गया और कॉर्पोरेट वेबसाइट तक पहुंच प्रदान की गई और अन्य संबंधित उप टैब के साथ कॉर्पोरेट वेबसाइट में सतर्कता टैब का निर्माण भी किया गया।
- सतर्कता विभाग ने सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुपालन में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 103 सतर्कता शिकायतों को संभाला है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पदोन्नति अभ्यास, पासपोर्ट आवेदन, वीजा आवेदन, विदेशी दौरे, सेवानिवृत्ति, वीआरएस, डिजिटल हस्ताक्षर आदि सहित विभिन्न कारणों से मांगे गए कर्मचारियों को 7500 से अधिक सतर्कता मंजूरी प्रदान की गई।
- वित्त वर्ष 2023-24 में 43 आरडीए (नियमित विभागीय कार्रवाई) का समापन हुआ जिसमें 8 बड़ी और 35 छोटी कार्रवाइयों शामिल हैं।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संवेदनशील पद के रोटेशन के लिए सहमत सूची, ओडीआई (संदिग्ध सत्यनिष्ठा के अधिकारी) सूची की समीक्षा और अद्यतन।
- सीवीसी की विस्तारित शाखा के रूप में विभिन्न सतर्कता गतिविधियाँ निष्पादित कीं। एनआईए, सीबीआई, एसआईएफओ, एबीबीएफएफ आदि एजेंसियों के साथ संपर्क किया गया।
- कॉर्पोरेट लर्निंग सेंटर, प्रधान कार्यालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों और कार्यशालाओं में सत्र लेकर कर्मचारियों को सतर्कता के बारे में प्रशिक्षित किया गया।

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

हमारी कंपनी ने धोखाधड़ी के जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक संपूर्ण ढांचा स्थापित किया है। इस ढांचे में जोखिम प्रबंधन पर एक बोर्ड

Through various sittings with CAG Team, HO audit compliance department was able to get 35 CAG queries dropped and only 1 ATN is currently pending for which reply was submitted in 2022-23 itself. Quarterly outstanding CAG queries zone wise was collected from CAG and followed up with Regions/LCBs for their replies/resolving the same.

In coordination with internal audit department, a study was conducted which went into the root cause of the queries especially the recurring ones and steps were taken to plug the loophole by undertaking system improvements/checks and balances.

The department also coordinates in vetting the responses with respect to queries raised by the Ministry. The digital repository created by the department for CAG queries is accessible to Regional Heads & Regional Audit Compliance Officers, wherein the CAG reports and replies are uploaded and the updated status of CAG queries/replies is available.

VIGILANCE ADMINISTRATION

The Vigilance Department of UIICL is headed by a Chief Vigilance Officer appointed by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. The department has a Chief Manager, two Managers, a team of Desk Officers and 30 Regional Vigilance Officers (RVOs), one for each regional office of the organization. Desk Officers of HO (Head Office) Vigilance closely interact with RVOs and guide them in day to day functioning.

The department's focus is more on "preventive vigilance" rather than punitive vigilance. Vigilance officers deployed in all regions conduct regular unannounced inspections of operating units and submit reports to HO Vigilance. In addition, teams from head office also visit regional offices for inspections. Based on the inspection reports, the vigilance department submits various suggestions/system improvements to the management.

Some of the key vigilance department activities completed in FY 2023-24 are listed below: -

- Vigilance Manual of UIICL was adopted by the Company and was released on May 2023.
- Successful Co-hosting with Chennai Petroleum Corporation Ltd (CPCL) of Central Vigilance Commission's one-day training programme on "Training and Interaction with Vigilance Officers" for CVOs and Vigilance Officers of PSUs, PSBs and Insurance Institutions on September 2023 in Chennai.
- Vigilance Awareness Week (VAW) 2023 was conducted successfully in which multiple competitive activities, trainings, workshops and conferences

were organized and thereafter prize distribution was held. Also steps were taken to increase awareness of Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) complaints.

- Vigilance department nominated 6 employees as trainers of training (ToT) to attend trainings at CBI Academy Ghaziabad, IIM Vizag and at MTI SAIL, Ranchi under the capacity building initiative which was one among the important and mandated objective of CVC to be achieved during VAW-23 Campaign.
- As a preventive vigilance measure among various activities, HO team had conducted surprise inspections of 6 Regional Offices and Regional Vigilance Officers (RVOs) have conducted surprise inspections of more than 381 Operating Offices during FY 2023-24 and implemented many systemic improvements thereafter.
- Initiated departmental automation with redesigning of vigilance complaint registration portal and access was provided in corporate website and also creation of vigilance tab in corporate website with other related sub tabs.
- Vigilance department has handled 103 vigilance complaints during the FY 2023-24 in compliance with CVC guidelines.
- Provided more than 7500 vigilance clearance to employees sought for various reasons including promotion exercises, passport application, visa application, foreign tour, retirements, VRS, digital signature etc. for the FY 2023-24.
- Concluded 43 RDA (Regular Departmental Action) which includes 8 major and 35 minor proceedings in the FY 2023-24.
- Review and update of agreed list, ODI (Officers of Doubtful Integrity) list and review for rotation of sensitive post for the FY 2023-24.
- Performed various vigilance activities as an extended arm of CVC. Liaised with agencies like NIA, CBI, SIFO, ABBFF etc.
- Employees were upskilled on vigilance by taking sessions in trainings and workshops that were organized by Corporate Learning Centre, Head Office.

FRAUD RISK MANAGEMENT

Our Company has established a thorough framework for managing fraud risks. This framework includes a Board Sub-Committee on Risk Management, referred to as the Risk Management Committee (RMC), and an internal Fraud Risk Management Committee (FRMC). Oversight of the

उप-समिति, जिसे जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) कहा जाता है, और एक आंतरिक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समिति (एफआरएमसी) शामिल है। धोखाधड़ी जोखिम निगरानी कार्य की निगरानी मुख्य जोखिम अधिकारी द्वारा की जाती है, जो जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) और बोर्ड दोनों को नियमित अपडेट प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय और प्रधान कार्यालयों में नामित नोडल अधिकारी पॉलिसीधारक के हितों की सुरक्षा के लिए हमारी धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति को लागू करने के लिए ईआरएम विभाग के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार हैं।

प्रमुख उपलब्धियाँ

1. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन एसओपी का विकास: पिछले वर्ष के दौरान, हमारा ध्यान व्यवसाय के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में धोखाधड़ी जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित करने पर था। हमने मोटर ओडी और टीपी, स्वास्थ्य, अब्जि, विविध जैसी प्रमुख लाइनों के लिए तैयार एसओपी के साथ-साथ अन्य प्रकार की धोखाधड़ी पर लागू एक व्यापक एसओपी बनाकर इस पहल में सफलता हासिल की।
2. प्रभावी समीक्षा और निगरानी: पूरे वर्ष, कंपनी की धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति के अनुरूप, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समिति ने क्षेत्रीय कार्यालयों, एलसीबी और एचओ विभागों से रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी मामलों की जांच के लिए बैठकें आयोजित कीं। इन मामलों का व्यापक विवरण, की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ, गहन जांच के लिए आरएमसी और बोर्ड दोनों को प्रस्तुत किया गया।
3. नियामक अनुपालन: हमने बीमा धोखाधड़ी निगरानी ढांचे के तहत अनिवार्य रूप से आइआरडीएआई को फॉर्म एफएमआर 1 और एफएमआर 2 में वार्षिक धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट जमा करके नियामक दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया है। इसके अतिरिक्त, ये रिपोर्ट समीक्षा के लिए आरएमसी और बोर्ड दोनों को प्रस्तुत की गईं। इसके अलावा, पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने के लिए, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति को कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है, जो सभी हितधारकों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है।
4. धोखाधड़ी विश्लेषण और प्रबंधन पर डिजिटल पहल पाइपलाइन में हैं।

व्हिसल ब्लोअर नीति

आइआरडीएआई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी ने एक व्हिसल ब्लोअर नीति स्थापित की है। यह नीति कर्मचारियों, निदेशकों और किसी भी अन्य व्यक्ति को अनियमितताओं, कदाचार या धोखाधड़ी गतिविधियों के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट करने का अधिकार देती है। हितधारकों के बीच पारदर्शिता और जागरूकता के लिए, व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध है।

एंटी मनी लॉन्ड्रिंग

आइआरडीएआई ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग/काउंटर-फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (एएमएल/सीएफटी)-2022 के कार्यान्वयन के लिए बीमाकर्ताओं को दिशानिर्देश जारी किए हैं। कंपनी बीमा कंपनियों पर लागू धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 और पीएमएल (अभिलेखों का रखरखाव) नियम 2005 का अनुपालन कर रही है। आइआरडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न संशोधनों को कड़ाई से अनुपालन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रसारित किया जाता है।

एएमएल दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रधान अनुपालन अधिकारी और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में नोडल अधिकारी के रूप में नामित एक अधिकारी द्वारा की जाती है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित एएमएल कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, जिसमें कंपनी के एजेंटों द्वारा उनके कार्यक्रमों के दायित्वों के अनुपालन की निगरानी भी शामिल है।

मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वित्तीय सेवाओं के उपयोग के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए, प्रीमियम, दावा और रिफंड भुगतान के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों के माध्यम से सभी ग्राहकों की वास्तविक पहचान निर्धारित करना आवश्यक है, जिसे लागू किया जा रहा है।

हमें यह बताते हुए बहुत खुशी और गर्व हो रहा है कि हमारी कंपनी सीकेवाईसी के कार्यान्वयन में सभी सार्वजनिक उपक्रमों में अग्रणी है। एएमएल/सीएफटी 2022 पर आइआरडीएआई मास्टर दिशानिर्देश 1.8.2022 को जारी किए गए थे, जिसमें ग्राहक संबंध के शुरुआती चरण में ही ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया था और इसे आइआरडीएआई के निर्देशों के अनुसार 1.1.2023 से हमारी कंपनी द्वारा लागू किया गया था।

कार्यान्वयन से पहले, प्रधान कार्यालय ने भारत सरकार के नियमों और आइआरडीएआई द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार सीकेवाईसी के अनुपालन के महत्व पर उन्हें जागरूक करने के लिए सभी क्षेत्रीय प्रमुखों/आरएम/एएमएल नोडल अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। साथ ही देश भर के सभी परिचालन कार्यालयों के साथ-साथ टीपीए को भी कई बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। एएमएल और आईटी विभाग एचओ के अधिकारियों द्वारा संचालित मेल आईडी: ckychhelpdesk@uic.co.in के साथ एक समर्पित हेल्पडेस्क का गठन किया गया था, जिसके माध्यम से सभी कार्यालयों में आने वाले प्रश्नों/मुद्दों आदि का समाधान किया जाता है।

कार्यक्रम के बारे में कर्मचारियों, एजेंटों, टीपीए आदि के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए नालन्दा, चेन्नई में कॉर्पोरेट प्रशिक्षण केंद्र और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित सभी कार्यक्रमों में एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों का एक सत्र शामिल किया गया है। त्वरित संदर्भ के लिए और सभी संबंधितों को संवेदनशील बनाने के लिए, कंपनी की एएमएल नीति और परिपत्र इंटरनेट और कंपनी की आंतरिक वेबसाइट पर पोस्ट किए गए हैं।

अब चयनित सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रीमियम संग्रह के समय पॉलिसीधारकों के लिए वास्तविक समय ऑनलाइन ई-केवाईसी लागू किया जाता है।

fraud risk monitoring function is led by the Chief Risk Officer, who provides regular updates to both the Risk Management Committee (RMC) and the Board. Additionally, designated Nodal Officers at Regional and Head Offices are responsible for coordinating with the ERM department to implement our Fraud Risk Management policy safeguarding Policyholder's interests.

Key Achievements

1. **Development of Fraud Risk Management SOPs:** Over the previous year, our focus was on establishing standard operating procedures (SOPs) for managing fraud risks across all significant lines of business. We achieved success in this initiative, creating SOPs tailored for major lines such as Motor OD & TP, Health, Fire, Miscellaneous, along with a comprehensive SOP applicable to other types of fraud.
2. **Effective Review & Monitoring:** Throughout the year, in alignment with the Company's fraud risk management policy, the fraud risk management committee held meetings to scrutinize reported fraud cases from Regional offices, LCBs and HO departments. Comprehensive details of these cases, along with action taken reports, were presented to both the RMC and the Board for thorough examination.
3. **Regulatory Compliance:** We ensured adherence to regulatory guidelines by submitting the Annual Fraud Monitoring Report in forms FMR 1 and FMR 2 to IRDAI, as mandated under the Insurance fraud monitoring framework. Additionally, these reports were presented to both the RMC and the Board for review. Furthermore, to enhance transparency and accessibility, the fraud risk management policy has been published on the Company's website, providing valuable information to all stakeholders.
4. Digital Initiatives on fraud analytics & management are in pipeline.

WHISTLE BLOWER POLICY

In adherence to the IRDAI Corporate Governance Guidelines, the Company has established a Whistleblower Policy. This policy empowers employees, directors, and any other individuals to report concerns regarding irregularities, misconduct, or fraudulent activities. For transparency and awareness among stakeholders, the whistleblower policy is readily accessible on the Company's website.

ANTI MONEY LAUNDERING

IRDAI has issued guidelines to insurers for implementation of Anti Money Laundering/Counter-Financing of Terrorism (AML/CFT)-2022. The Company has been complying with the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 & PML (Maintenance of Records) Rules 2005 as applicable to Insurance Companies. Various amendments issued by IRDAI from time to time are circulated to Regional Offices for strict compliance.

The compliance of AML guidelines is monitored by the Principal Compliance Officer at Corporate Office and an officer nominated as Nodal officer at each Regional Office, who ensure that the Board approved AML program is being implemented effectively including monitoring compliance by the Company's agents of their obligations under the program.

Keeping in view the potential threat of the usage of financial services for Money Laundering, it is essential to determine the true identity of all customers through Know your Customer (KYC) norms at the various stage of premium, claim & refund payment, which is being enforced.

We take great pleasure & pride to inform that our Company is the pioneer amongst all PSUs in implementation of CKYC. The IRDA Master Guidelines on AML/CFT 2022 issued on 01.08.2022 mandated e-KYC at commencement stage of the customer relationship itself and this was implemented by our Company w e f 01.01.2023 as per IRDA instructions.

Prior to implementation, Head Office had held a video conference addressing all Regional Heads/RMs/AML Nodal officers to sensitize them on the importance of compliance of CKYC as per Government of India regulations & IRDAI stipulated norms. Also training through video conferences in several batches was given to all operating offices across the country as well as TPAs. A dedicated helpdesk with mail ID: ckychelpdesk@uiic.co.in manned by officers of AML & IT Department HO was formed through which queries/issues etc. faced by all offices are resolved.

A session of AML/CFT Guidelines is included in all programs conducted at NALANDA the Corporate Training Centre at Chennai and Regional Training Centers at various Regional Offices to create awareness among employees, Agents, TPAs etc. about the program. For the sake of ready reference and to sensitize all concerned, Company's AML policy and circulars have been posted in the intranet and on Company's internal website.

Now real-time online e-KYC is implemented for Policyholders at the time of premium collection, through selected service provider.

2023-24 की अवधि के दौरान, कुल केवाईसी डेटा संख्या 44,23,592 के अलावा सीईआरएसआई पर कुल सीकेवाईसी अपलोड डेटा संख्या 53687 है।

पर्यावरण राहत निधि

कंपनी को पर्यावरण और वन मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4.11.2008 के तहत पांच साल की अवधि के लिए और नवीनतम अधिसूचना संख्या के तहत “पर्यावरण राहत कोष” (ईआरएफ) के लिए फंड मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया। जी.एस.आर. 34 (ई) दिनांक 15 जनवरी 2020 के अनुसार, फंड मैनेजर के रूप में कंपनी की स्थिति 15 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई। संविधान, वैधानिक आवश्यकताओं और अन्य परिचालन मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण की प्राप्ति तक, कंपनी ने उक्त अधिसूचना के संदर्भ में फंड के अनऑडिटेड खातों के आधार पर फंड मैनेजर के सेवा शुल्क (खर्चों का शुद्ध) को वर्ष के दौरान आय के रूप में ₹3706 हजार (₹3621 हजार) के रूप में मान्यता दी है।

नए उत्पाद

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा 26 उत्पाद पेश/संशोधित किये गये।

व्यवसाय के विविध क्षेत्र में, 3 नई पॉलिसियाँ नामतः “बीमा ब्रोकर्स, कॉर्पोरेट एजेंटों, वेब एग्रीगेटर्स और बीमा विपणन फर्म के लिए व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी ” “युनाइटेड साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ” और “युनाइटेड साइबर कवच इंश्योरेंस पॉलिसी ” पेश की गईं और 1 पॉलिसी नामतः “ युनीकेयर बीमा पॉलिसी ” को संशोधित किया गया।

व्यवसाय के स्वास्थ्य क्षेत्र में, 2 नई पॉलिसियाँ अर्थात्, “सामावेपी सुरक्षा पॉलिसी ” और “ युवान स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ” पेश की गईं और 2 पॉलिसियाँ अर्थात्, “ व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ” और फ़ैमिली मेडिकेयर पॉलिसी को संशोधित किया गया।

व्यवसाय के फायर और इंजीनियरिंग क्षेत्र में, 1 नई पॉलिसी अर्थात्, “ युनाइटेड वैल्यू गृह रक्षा पॉलिसी ” और 7 नए ऐड-ऑन कवर अर्थात्, एक्सिडेंटल डैमेज, “ डेब्रीज रिमूअल ” (इंवलूडिंग फॉरेन डेब्रीज) तथा मएस्केलेशन क्लॉजफ ऐड-ऑन युनाइटेड भारत लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी और युनाइटेड भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी के तहत कवर; और युनाइटेड वैल्यू उद्यम सुरक्षा पॉलिसी के तहत मएस्केलेशन क्लॉजफ ऐड-ऑन कवरफपेश किया गया।

व्यवसाय के मोटर क्षेत्र में, 10 नए ऐड-ऑन कवर अर्थात्, निजी कार के तहत “ रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क (आरटीआर) ” ऐड-ऑन कवर (3 साल के देयता कवर के साथ 1 वर्ष का ओडी कवर बंडल) पॉलिसी, पैकेज पॉलिसी (निजी कार), स्टैंडअलोन मोटर ओडी (निजी कार) पॉलिसी, टू व्हीलर (5 साल के देयता कवर के साथ 1 साल का ओडी कवर बंडल) पॉलिसी, टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी और स्टैंडअलोन मोटर ओडी (टू व्हीलर) पॉलिसी और “ नो क्लेम बोनस (एनसीबी) ” प्रोटेक्ट

ऐड- निजी कार के तहत कवर पर (1 वर्ष का ओडी कवर 3 साल के देयता कवर के साथ बंडल) पॉलिसी, पैकेज पॉलिसी (निजी कार), स्टैंडअलोन मोटर ओडी (निजी कार) पॉलिसी और पैकेज पॉलिसी-वाणिज्यिक वाहन (यात्री ले जाने की क्षमता 6 यात्रियों से अधिक नहीं) पेश किए गए।

दावा प्रबंधन

आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में, जिसमें हम काम करते हैं, दावा प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। बेहतर और परेशानी मुक्त ग्राहक सेवा पर विशेष जोर दिया गया। कंपनी ने 130 से अधिक ओडी सर्विस हब और टीपी हब के माध्यम से तेजी से दावा निपटान पर ध्यान केंद्रित किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल दावा निपटान अनुपात सूट दावों और गैर-मुकदमा दावों के लिए क्रमशः 31.67% और 92.74% है।

अग्नि और अभियांत्रिकी

भारत में सामान्य बीमा उद्योग एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था, बढ़ती जागरूकता और बढ़ी हुई डिजिटल पहुंच से प्रेरित है। स्विस रे के पूर्वानुमानों के अनुसार, भारत अगले दशक में वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक के रूप में उभरने की स्थिति में है, गैर-जीवन खंड में पर्याप्त वृद्धि देखने की उम्मीद है, जिससे जोखिम और दावों की मात्रा में वृद्धि होगी।

युइइंके ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए फायर लाइन ऑफ बिजनेस (एलओबी) में ₹2082.34 करोड़ रुपये का प्रीमियम पूरा किया है, जबकि पिछले वर्ष में ₹1882.03 करोड़ रुपये का प्रीमियम था, जिसमें ₹200.31 करोड़ रुपये की वृद्धि और वृद्धि दर्ज की गई थी। 10.64% फायर एलओबी में इंडस्ट्री 7.22% की दर से बढ़ी है। तीव्र प्रतिस्पर्धा और आइआइबी दर को वापस लेने के बावजूद, युइइंके 10.64% की दर से बढ़ी है जो उद्योग से अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए फायर लाइन ऑफ बिजनेस के तहत व्यय दावा अनुपात (आईसीआर) 76.69% है, जो इस वर्ष थोड़ा अधिक है, क्योंकि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बड़ी संख्या में सीएटी कार्यक्रम हुए हैं।

युइइंके ने इंजीनियरिंग लाइन ऑफ बिजनेस (एलओबी) में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹507.88 करोड़ रुपये का प्रीमियम पूरा किया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ₹460.69 करोड़ रुपये का प्रीमियम था। प्रीमियम की अभिवृद्धि ₹47.19 करोड़ रुपये और 10.24% की वृद्धि। इंजीनियरिंग एलओबी में प्रीमियम के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जो एक सकारात्मक संकेत है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इंजीनियरिंग एलओबी में आईसीआर 87.48% है। इस एलओबी में उच्च आईसीआर इस तथ्य को उजागर करता है कि चालू वित्त वर्ष में बड़ी संख्या में सीएटी घटनाएं हुईं और हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में प्रभाव कम होगा।

अग्नि और इंजीनियरिंग दावा विभाग ने वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में एक संक्रमणकालीन चरण से गुजरा है, जिसमें सभी क्षेत्रों में नए दावा केंद्रों

During the period 2023-24, total CKYC upload data Count to CERSAI is 53687 in addition to total KYC data count of 44,23,592.

ENVIRONMENT RELIEF FUND

The Company was appointed as Fund Manager for "Environment Relief Fund" (ERF) vide Ministry of Environment and Forests Gazette Notification dated 4th November, 2008 for a period of five years and vide latest notification no. G.S.R 34 (E) dated 15th January 2020, the Company's position as Fund Manager was extended up to 15th August 2024. The Company as Fund Manager has been authorized to receive contribution from all General Insurance Companies and keep invested the same in Fixed Deposits as prescribed in the Scheme in separate bank accounts in the name of the Fund. During the year 2023-24, an amount of ₹ 9.48 Crores was received towards contribution from General Insurers and as compensation for environment damages caused under sub-section (1) of Section 22 of the National Environment Tribunal Act, 1995 and the same has been credited to the Fund. The total amount lying in Fixed Deposits of the ERF as on 31.03.2024 is ₹ 1074.17 Crores.

NEW PRODUCTS

During the financial year, 26 products were introduced/ revised by the Company.

In Miscellaneous line of business, 3 new policies namely 'Professional Indemnity Policy for Insurance Brokers, Corporate Agents, Web Aggregators & Insurance Marketing Firm', 'United Cyber Secure Policy' and 'United Cyber Kavach Insurance Policy' were introduced and 1 policy namely 'Unicare Insurance Policy' was revised.

In Health line of business, 2 new policies namely 'Samaveshi Suraksha Policy' and 'YUVAAN Health Insurance Policy' were introduced and 2 policies namely 'Individual Health Insurance Policy' and 'Family Medicare Policy' were revised.

In Fire and Engineering line of business, 1 new policy namely 'United Value Griha Raksha Policy' and 7 new add-on covers namely 'Accidental Damage', 'Debris Removal (Including Foreign Debris)', and 'Escalation Clause' add-on cover under United Bharat Laghu Udyam Suraksha Policy and United Bharat Sookshma Udyam Suraksha Policy; and 'escalation clause add-on cover' under United Value Udyam Suraksha Policy were introduced.

In Motor line of business, 10 new Add-on covers namely 'Road Tax & Registration Charges (RTR)' add-on cover under private car (1 Year OD cover Bundled with 3 Years Liability cover) Policy, Package Policy (Private Car),

Standalone Motor OD (Private Car) Policy, Two Wheeler (1 Year OD cover Bundled with 5 Years Liability cover) Policy, Two Wheeler Package Policy and Standalone Motor OD (Two Wheeler) Policy and 'No Claim Bonus (NCB) Protect Add-On cover' under private car (1 Year OD cover Bundled with 3 Years Liability cover) Policy, Package Policy (Private Car), Standalone Motor OD (Private Car) Policy and Package Policy-Commercial Vehicle (Passenger Carrying Capacity not exceeding 6 Passengers) were introduced.

CLAIMS MANAGEMENT

Claims management assumes utmost importance in today's competitive environment in which we operate. Special emphasis was laid on improved and hassle free customer service. The Company focused on faster claim settlement through 130 plus OD Service Hubs and TP Hubs. The overall claims settlement ratio for FY 2023-24 stands at 31.67% and 92.74% for suit claims and non-suit claims respectively.

FIRE & ENGINEERING

The General Insurance industry in India is undergoing a significant transformation, fueled by a robust economy, growing awareness, and increased digital accessibility. As per Swiss Re forecasts, India is positioned to emerge as one of the fastest-growing insurance markets globally over the next decade, with the non-life segment expected to witness substantial growth, leading to a surge in exposure and claims volume.

UIIC has completed a premium of ₹ 2082.34 crores for the FY 2023-24 in Fire Line of Business (LOB) as against a premium of ₹ 1882.03 crores in the previous year, registering an accretion of ₹ 200.31 crores and a growth of 10.64%. The Industry has grown at the rate of 7.22% in the Fire LOB. Despite the intense competition and rolling back of IIB rate, UIIC has grown at the rate of 10.64% which is more than the industry. The Incurred Claims Ratio (ICR) under Fire Line of Business for FY 2023-24 stands at 76.69% which is slightly higher this year, because of large number of CAT events during FY 2023-24.

UIIC has completed a premium of ₹ 507.88 crores for FY 2023-24 in Engineering Line of Business (LOB) as against a premium of ₹ 460.69 crores in the previous financial year. The accretion of premium being ₹ 47.19 crores and growth of 10.24%. There has been a constant increase in terms of premium in the Engineering LOB which is a positive signal. The ICR in Engineering LOB for FY 2023-24 is 87.48%. The higher ICR in this LOB highlights the fact that there are large number of CAT events occurred in the current FY and we hope the impact will be lesser in the coming year.

की स्थापना शामिल है। इसके बाद, दूसरी छमाही में गतिविधि में वृद्धि देखी गई, जिससे दावा निपटान अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार हुआ।

पूरे वर्ष के दौरान, परिचालन दक्षता को मजबूत करने और ग्राहक सेवा को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की गई। इनमें परिचालन दक्षता और ग्राहक सेवा बढ़ाने के लिए दावा केंद्रों का विस्तार, छह विनाशकारी दावों से निपटने के दौरान वास्तविक समय इनपुट प्रदान करने वाले दावा स्वचालन और प्रबंधन सेल (सीएएमसी) की सफल स्थापना और एक बेहतर दावा मैनुअल का कार्यान्वयन शामिल है। व्यापक प्रशिक्षण. इसके अतिरिक्त, दावा प्रक्रियाओं की प्रभावी निगरानी और समीक्षा के लिए एक आंतरिक नियंत्रण समीक्षा तंत्र शुरू किया गया था, जिसमें जोखिम प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसमें वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए विनाशकारी दावों का पुनर्बीमा भी शामिल था।



छोटे दावों के प्रसंस्करण में तेजी लाने के लिए, सर्वेक्षक नियुक्तियों के लिए एक स्वचालन प्रणाली विकसित की जा रही है, जो प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपये तक के दावों के लिए स्व-सर्वेक्षण विकल्पों पर जोर देती है। टीएटी हासिल करने के लिए हब और सर्वेक्षकों के साथ नियमित समीक्षा से फायर और इंजीनियरिंग दावों के लिए समग्र दावा निपटान अनुपात में मदद मिली है। अद्यतन कौशल और ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए दावा संचालकों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्रों के साथ-साथ दावों के संचालन के केंद्रीकरण ने समन्वय और दक्षता को और बढ़ाया है।

विधिक टीम के साथ सहयोग ने मुकदमे और मध्यस्थता दावों दोनों के महत्वपूर्ण दावों के प्रभावी प्रबंधन की सुविधा प्रदान की, जबकि निरंतर प्रयास आंतरिक अनियमितताओं और धोखाधड़ी को रोकने, पता लगाने और सही करने, संचालन में अखंडता और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए समर्पित थे। सक्रिय उपायों के माध्यम से हानि को कम करने के प्रयासों के लिए दावा टीमों और केंद्रों को निरंतर समर्थन प्रदान किया गया।

भविष्य को देखते हुए, कंपनी दक्षता बढ़ाने और निर्बाध ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए डिजिटल दावा प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार है। प्रक्रिया अनुकूलन और स्वचालन के माध्यम से दावों के प्रसंस्करण में टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) को कम करने के प्रयास जारी रहेंगे, जबकि नुकसान के बाद निरीक्षण जैसी जोखिम प्रबंधन प्रथाएं, उभरती बाजार स्थितियों और नियामक परिवर्तनों को अनुकूलित करने के लिए मजबूत होंगी। दावा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सीएएमसी के साथ आगे सहयोग की उम्मीद है, जबकि टीएटी के भीतर दावों का निपटान करके ग्राहक सेवा प्राप्त करने और बाजार में उपस्थिति बढ़ाने के लिए

विस्तार योजनाएं अपनाई जाएंगी।

बाजार की आवश्यकताओं के आधार पर, फायर पोर्टफोलियो में युनाइटेड वैल्यू उद्यम सुरक्षा (यूवीयूएस) नामक एक नया उत्पाद नए एड-ऑन और तात्कालिक मौजूदा कवर के साथ पेश किया गया था, जो फायर लाइन ऑफ बिजनेस में 3 नए उत्पादों के तहत आइआर डीएआइ द्वारा दिनांक 01.07.2017 से 01/04/2021- युनाइटेड भारत गृह रक्षा, युनाइटेड भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा और युनाइटेड भारत लघु उद्यम सुरक्षाउपलब्ध कवर के अतिरिक्त है।। नए उत्पाद यूवीयूएस की प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक रही है क्योंकि इसने ₹ 118.01 करोड़ रुपये का प्रीमियम अर्जित किया है। इसी तरह, आने वाले वित्तीय वर्ष में हम यूनाइटेड वैल्यू गृह रक्षा (यूवीजीआर) लेकर आ रहे हैं जो अगले साल रिटेल प्रीमियम को बढ़ावा देगा।



विविध लाइन ऑफ बिजनेस

विविध विभाग ने 2022-23 में ₹ 1018.47 करोड़ रुपये (ग्रामीण और फ़रसल को छोड़कर) के मुकाबले लगभग 10 लाख ग्राहकों के साथ ₹ 946.50 करोड़ रुपये का जीडीपीआई पूरा किया।

देयता खंड में 7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। हमने अन्य विविध खंड में अपना प्रीमियम आधार बनाए रखा। हमने पीए में घाटे वाले पोर्टफोलियो



Fire & Engineering Claims Department has navigated through a transitional phase in the first half of the fiscal year, characterized by the establishment of new claims Hubs across all Regions. Subsequently, the second half witnessed heightened activity, which showed significant improvement in claims settlement ratio.

Throughout the year, various initiatives were undertaken to fortify operational efficiency and enhance customer service. These include the expansion of claims Hubs to augment operational efficiency and customer service, the successful establishment of the Claims Automation and Management Cell (CAMC) providing real-time inputs during the handling of six catastrophic claims, and the implementation of an improved claims manual for comprehensive training. Additionally, an internal control review mechanism was introduced for effective monitoring and review of claims processes, with a specific focus on risk management, including the reinsurance of catastrophic claims to mitigate financial exposure.



To expedite small claims processing, an automation system for surveyor appointments is under development, complemented by an emphasis on self-survey options for claims up to ₹ 1 lac to streamline the process and enhance customer experience. Regular review with Hubs and surveyors to achieve TAT has helped in overall claims settlement ratio for Fire & Engineering claims. Centralization of claims operations further bolstered coordination and efficiency, alongside regular training sessions for claims handlers to ensure updated skills and knowledge.

Collaboration with the legal team facilitated the effective handling of significant claims of both suit and arbitration claims while continuous efforts were dedicated to preventing, detecting, and correcting internal irregularities and frauds, ensuring integrity and trust in operations. Ongoing support to claims teams and hubs was provided for loss minimization efforts through proactive measures.

Looking ahead, the Company is poised to focus on digital claims processing to elevate efficiency and deliver a seamless customer experience. Efforts will continue to reduce Turnaround Time (TAT) in claims processing through process optimization and automation, while risk management practices like post loss inspections, will strengthen to adapt the evolving market conditions and regulatory changes. Further collaboration with CAMC is anticipated to enhance claims management capabilities, while expansion plans will be pursued to achieve customer service by settling claims

within TAT and enhance market presence.

Based on the market requirements, a new product in Fire portfolio named United Value Udyam Suraksha (UVUS) was introduced with new Add-ons and improvised existing covers which are in addition to the covers available under the 3 new products in the Fire Line of Business by IRDAI w.e.f. 01/04/2021– United Bharat Griha Raksha, United Bharat Sookshma Udyam Suraksha and United Bharat Laghu Udyam Suraksha. The response of the new product UVUS has been quite encouraging as it garnered premium of ₹118.01 crore. Similarly, in the coming financial year we are coming up with United Value Griha Raksha (UVGR) which is going to boost retail premium next year.



MISCELLANEOUS LINE OF BUSINESS

Miscellaneous Department completed a GDPI of ₹ 946.50 crores with around 10 Lakh customers as against ₹1018.47 crores (excl. Rural & Crop) in 2022-23.

को छोड़कर 7% की गिरावट दर्ज की है। हमारा आईसीआर पिछले वर्ष के 71% से बढ़कर 60% हो गया। दावा निपटान अनुपात भी बढ़कर 93% हो गया।

पोर्टफोलियो-वार प्रीमियम और आईसीआर विवरण इस प्रकार हैं:

(करोड़ में)

खंड	प्रीमियम	आईसीआर
देयता	263.76	43%
अन्य विविध (पीए को छोड़कर)	355.81	55%
पीए	326.93	79%
कुल	946.20	60%

वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियाँ:

- फिल्म बीमा और वाणिज्यिक सामान्य देयता बीमा पर कार्यशाला आयोजित की गई।
- साइबर सुरक्षित उत्पादों के लिए ज्ञान साझाकरण सत्र आयोजित किए गए।
- हमने प्रमुख ग्राहकों के लिए डी एंड ओ और साइबर कार्यशालाएं आयोजित कीं।
- कॉर्पोरेट लर्निंग सेंटर/मार्केटिंग विभाग के समन्वय से बीडीई/बीडीएम/प्रमोटी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए गए।
- सभी क्षेत्रों/हब के साथ कठोर दावा समीक्षा अभ्यास भी आयोजित किया गया। कैट दावों के त्वरित निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश जारी।
- पर्सनल लाइन बीमा के लिए विशेष अभियान अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक चलाया गया।
- नए उत्पाद - साइबर सिक्योर और साइबर कवच लॉन्च किए गए।
- मौजूदा बाजार मांगों को पूरा करने के लिए यूनिकेयर पॉलिसी को नई यूनिकेयर पॉलिसी के रूप में नया रूप दिया गया।

मोटर नृतीय पक्ष

प्रीमियम

युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पिछले वर्ष के प्रीमियम ₹ 4307.93 करोड़ रुपये के मुकाबले ₹ 4985.67 करोड़ रुपये का मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम पूरा किया, जो 15.73% की वृद्धि दर के साथ वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के कुल कारोबार का लगभग 25.11% है। बीमा नियामक द्वारा अनिवार्य प्रीमियम के लिए मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम दायित्वों का पूरी तरह से पालन किया गया था। युइइकेलि उच्चतम विकास और पहुंच के साथ उद्योग में टीपी प्रीमियम का दूसरा सबसे बड़ा बीमाकर्ता है।

दावे

मोटर टीपी दावों के प्रसंस्करण और निपटान को विशेष रूप से मोटर टीपी दावों को संभालने के उद्देश्य से गठित टीपी हब में केंद्रीकृत किया गया था। इसके अलावा, निपटान को अधिकतम करने की दृष्टि से, सुलह तंत्र के माध्यम से निपटान पर ध्यान केंद्रित किया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों को लक्ष्य दिए गए और निम्नलिखित कार्य योजना को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया -

- जहां भी हमारी देनदारी स्पष्ट रूप से स्थापित होती हो, वहाँ लोक अदालतों और इन-हाउस दावा समितियों के माध्यम से दावों को अधिकतम करना।
- जीसी-कोर में दावों का तत्काल पंजीकरण और शीर्ष अदालतों के नवीनतम निर्णयों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त प्रावधान।
- भौतिक सत्यापन और ई-कोर्ट खोज के माध्यम से इसकी वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए बकाया दावों की नियमित समीक्षा
- पांच साल से अधिक समय से लंबित बकाया मामलों की समीक्षा और निपटान पर अधिक जोर।
- न्यायालयों के रुझानों को ध्यान में रखते हुए सुलह मैनुअल में संशोधन से प्रभावी सुलह, अपील मामलों को वापस लेने के परिणाम मिले हैं जो हाल के निर्णयों के अनुरूप नहीं हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्येक त्रैमासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में औसतन 7000 दावों का निपटान हुआ।
- समीक्षा प्रक्रिया 32.13% के समान स्तर पर निपटान अनुपात बनाए रखते हुए 67466 दावों के निपटान में सफल साबित हुई है, जिनमें से लोक अदालत के निपटान में लगभग 40% का योगदान है।
- नियमित समीक्षा अभ्यास, ई-कोर्ट खोज, सुलह के माध्यम से दावों का अधिकतम निपटान और आदेश की प्रतियों के निपटान के लिए न्यायालयों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के कारण वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया दावों की संख्या 157886 से कम होकर 142519 हो गई है।
- युइइकेलि पिछले दो वर्षों में बकाया दावों को कम करने वाली कुछ कंपनियों में से एक है।
- देश भर में 3 नए टीपी हब खोले गए, जिससे टीपी हब की कुल संख्या 85 हो गई। विशेष बलेम हब में मोटर टीपी दावों का पूर्ण केंद्रीकरण हासिल किया गया।
- क्षेत्रीय कार्यालयों और व्यक्तिगत टीपी केंद्रों के प्रदर्शन की निगरानी करने और ट्रिब्यूनल के साथ-साथ उच्च न्यायालय स्तर पर टीपी मामलों के प्रभावी प्रबंधन के पहलुओं पर दावा प्रबंधन अधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिए पूरे वर्ष नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।



There has been a growth of 7% in Liability segment. We maintained our premium base in Other Miscellaneous segment. We shed loss making portfolios in PA registering a de-growth of 7%. Our ICR improved from 71% last year to 60%. The claim settlement ratio also rose to 93%.

Portfolio-wise Premium and ICR details are as under:

(₹ in Crores)

SEGMENT	Premium	ICR
Liability	263.76	43%
Other Misc (excl. PA)	355.81	55%
PA	326.93	79%
Total	946.20	60%

Key Activities during the Year:

- Workshop on Film Insurance and Commercial General Liability Insurance was conducted.
- Knowledge sharing sessions were conducted for Cyber Secure product.
- We conducted D & O & cyber workshops for major clients.
- Training sessions for BDEs/BDMs/Promotee officers also conducted in coordination with Corporate Learning Centre/ Marketing Department.
- Rigorous claims review exercise also conducted with all ROs/Hubs. Guidelines for quick disposal of CAT claims issued.
- Special drive for Personal Line insurance was conducted from October 2023 to March 2024.
- New products- Cyber Secure and Cyber Kavach were launched.
- Unicare Policy was revamped as New Unicare Policy to cater to current market demands.

MOTOR THIRD PARTY

Premium

United India Insurance Company Limited completed Motor Third Party premium of ₹ 4985.67 crores against the last year premium of ₹ 4307.93 crores with a growth rate of 15.73% contributing to about 25.11% of the total business of the Company for the year 2023-24. The Motor Third Party Premium Obligations for premium as mandated by the Insurance Regulator was fully complied with. UIICL is the second largest Insurer of TP premium in the industry with highest growth & penetration.

Claims

The processing and settling of Motor TP Claims were centralized at TP Hubs exclusively formed for the purpose of handling Motor TP Claims. Further, with a view to maximize settlement, focus was shifted to settlements through conciliatory mechanism. Regional Offices were given targets and encouraged to achieve the following Action Plan -

- Maximizing claims through Lok Adalats and In-house Claims committees wherever our liability is clearly established.
 - Immediate registration of claims in GC-Core and adequate provisioning taking into account the latest judgements of Apex Courts.
 - Regular review of outstanding claims to ascertain its current status through physical verification and also through e-court search.
 - More thrust on review & settlement of outstanding cases pending for more than five years.
- The revision in Conciliation Manual taking into account the trends of Courts has yielded results in effective conciliation, withdrawal of appeal cases which are not in consonance with recent judgements which resulted in settlement of average of 7000 claims in each quarterly National Lok Adalat held during the financial year 2023-24.
 - The review exercise has proved worthy in disposal of 67466 claims with settlement ratio maintaining at the same level of 32.13%, out of which Lok Adalat settlements contributed to almost 40% of the settlements.
 - The number of claims outstanding has been reduced from 157886 to 142519 at the end of the financial year due to regular review exercise, e-court search, maximum settlement of claims through conciliation and regular follow-up with Courts for disposal of award copies.
 - UIICL is one of the few Companies to reduce the outstanding claims over the last two yea
 - 3 new TP Hubs were opened across the country taking the total number of TP Hubs to 85. Complete centralization of Motor TP claims at specialized Claims Hub was achieved.
 - Regular Video Conferences were held throughout the year to monitor the performance of Regional Offices and individual TP Hubs and to guide the claim handling officials on aspects of effective handling of TP cases at Tribunal as well as at High Court level.

- नवीनतम न्यायिक विकास के बारे में हब प्रभारियों को संवेदनशील बनाने और प्रभाव डालने वाले नवीनतम निर्णयों पर चर्चा करने के लिए देहरादून और कोयंबटूर में क्रमशः उत्तर और पूर्व क्षेत्र और दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र के लिए क्रमशः दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र के लिए दो टीपी हब प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई। क्षेत्रीय कार्यालय निष्पादकों और टीपी हब निष्पादकों दोनों को विभिन्न मापदंडों पर सम्मानित किया गया। बैठक के दौरान मोटर टीपी दावों के प्रभावी प्रबंधन में विस्तृत बातचीत और विचारों के आदान-प्रदान के लिए दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय प्रबंधकों को भी बुलाया गया था। संगठन के लिए अच्छा योगदान देने वाले कुछ अधिवक्ताओं को उत्तरी और पूर्वी जोन टीपी हब प्रभारियों की बैठक में सम्मानित भी किया गया, जिसे अधिवक्ताओं ने खूब सराहा और स्वागत किया।
- देश भर की न्यायपालिका ने सुलह के साधनों के माध्यम से मुकदमे को निपटाने के लिए हमारे अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है। लोक अदालतों में उत्कृष्ट निपटान के लिए हमारे विभिन्न हब को न्यायपालिका से प्रशंसा प्रमाण पत्र मिले।
- युइंडकंलि ने समझौता योग्य एमएसीटी मामलों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने वाली एकमात्र कंपनी है, ताकि निपटान में तेजी लाने और पारदर्शिता बनाने के लिए बातचीत के माध्यम से अधिक निपटान को प्रोत्साहित किया जा सके।

पहल और सफलताएँ

- टीपी दावों का केंद्रीकरण: मोटर टीपी दावों को विशेष रूप से मोटर टीपी दावों के प्रसंस्करण के लिए एमएसीटी/उच्च न्यायालयों को आपूर्ति प्रदान करने वाले विशेष टीपी केंद्रों पर केंद्रीकृत किया गया है। 31.03.2024 तक 85 ऐसे हब परिचालन में हैं।
- सुलह समझौता: सुलह तंत्र के माध्यम से दावों के निपटान को अधिकतम करने की कॉर्पोरेट दृष्टि के अनुरूप, समझौता निपटान के लिए उपयुक्त मामलों की एक सूची कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है और क्षेत्र से प्राप्त होने पर इसे अपडेट किया जाता है।
- न्यूजलैटर: “मोटर तृतीय पक्ष” शीर्षक से एक त्रैमासिक न्यूजलेटर प्रकाशित किया गया था जिसमें मोटर टीपी डोमेन से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं, ऐतिहासिक निर्णयों, क्षेत्रीय प्रदर्शन और सफलता की कहानियों और अन्य मामलों पर प्रकाश डाला गया था। यह न्यूजलेटर आज के लगातार विकसित हो रहे मोटर टीपी इको-सिस्टम में एक मार्गदर्शक और ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत बनने का प्रयास करता है।
- फिनोविटी पुरस्कार 2023: कंपनी को “मोटर थर्ड पार्टी दावों के केंद्रीकरण” के लिए बैंकिंग फ्रंटियर्स द्वारा “फिनोविटी 2023 पुरस्कार” से सम्मानित किया गया। युआईआईसी लिमिटेड निजी

कंपनियों सहित सभी सामान्य बीमा कंपनियों के बीच सभी श्रेणियों में पुरस्कार पाने वाली एकमात्र कंपनी थी।

- विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप, कंपनी उपगत दावों को कम कर सकी।

2024-25 के लिए योजना

- वाहनों के अधिक लाभदायक खंड पर ध्यान केंद्रित करके मोटर टीपी आईसीआर में न्यूनतम 10% की कमी
- 40% का दावा निपटान अनुपात प्राप्त करना
- विभिन्न सुलह तरीकों के माध्यम से दावा निपटान को अधिकतम करना।
- लंबे समय से लंबित दावों और औसत लंबितता को कम करने के लिए बकाया दावों की समय-समय पर समीक्षा।
- यथार्थवादी और वैज्ञानिक आधार पर दावों के प्रावधान के साथ दावों का तत्काल पंजीकरण।
- जीसी-कोर के माध्यम से अधिवक्ताओं और जांचकर्ताओं की नियुक्ति का डिजिटलीकरण लगभग अंतिम चरण में है और 2024-25 की पहली तिमाही में लॉन्च होने की संभावना है।
- प्रचलित ऐतिहासिक निर्णयों के आधार पर प्रावधान गणना के लिए सिस्टम इंटीग्रेल ऐप का विकास।
- आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता-आधारित टीपी हब को खोलना।

मोटर स्व-क्षति (ओडी)

प्रीमियम

कंपनी ने मोटर ओन डैमेज लाइन ऑफ बिजनेस में 22.68% की वृद्धि और ₹380 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ ₹2060 करोड़ रुपये का प्रीमियम पूरा किया। वर्ष 2023-24 के लिए ओडी प्रीमियम कंपनी के कुल कारोबार का लगभग 10% है और पॉलिसी संख्या पिछले वर्ष की संख्या 6904060 की तुलना में 9627492 है।

₹1058.62 करोड़ रुपये की वृद्धि और 17.68% की वृद्धि के साथ कुल मोटर ओडी प्लस टीपी प्रीमियम समापन ₹7045.79 करोड़ रुपये है और पॉलिसी संख्या पिछले वर्ष की 107,93,031 पॉलिसियों की तुलना में बढ़कर 144,73,904 हो गई है।

दावे

वर्ष के दौरान निपटाए गए दावों की कुल संख्या पिछले वर्ष के 4,13,638 की तुलना में 4,81,158 है। 2023-24 के लिए मोटर ओडी के लिए उपगत दावा अनुपात 89.73% है। दावों के तेजी से निपटान के लिए ₹50,000 रुपये तक के मोटर दावों के निपटान के लिए हानि मूल्यांकन एजेंसियों (एलएए) का पूरे भारत में विस्तार किया गया है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कागजी कार्रवाई कम हो गई है और डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा मिला है।

- Two TP Hub Incharges Meet organized during the year for North and East zones and for South and West zones respectively South and West zone at Dehradun and Coimbatore to sensitize the Hub incharges about the latest judicial developments and to discuss latest judgements having an impact on the Motor TP claims. Both the Regional Office performers and TP Hub Performers were felicitated on various parameters. Regional Managers of South and West Zone Regional Offices were also called during the Meeting to have detailed interaction and exchange of ideas in effective handling of Motor TP claims. Some of the advocates who have contributed well for the Organization have also been felicitated in the North and East Zone TP Hub Incharges meet which was well received and appreciated by the Advocates.
- Judiciary across the country has appreciated the efforts made by our officials for clearing litigation by way of conciliatory means of settlement. Our various Hubs got appreciation certificates from Judiciary for excellent settlement in Lok Adalats.
- UIICL is the only company to upload compromisable MACT cases on its website to encourage more settlements through negotiations to speed up the settlement & create transparency.

Initiatives and Successes

- Centralization of TP Claims:** Motor TP claims have been centralized at specialized TP Hubs exclusively catering to MACT/High Courts for processing of Motor TP Claims. As on 31.03.2024, 85 such Hubs are in operation.
- Conciliatory Settlements:** In line with corporate vision of maximizing claims settlement through conciliatory mechanisms, a list of cases fit for compromise settlements has been uploaded on the Company's website and the same is updated as and when received from the Region.
- Newsletter:** A quarterly newsletter titled "Motor Tritiya Paksha" was published highlighting various concepts, Landmark judgements, Regional performances and success stories and other matters pertaining to Motor TP domain. This newsletter strives to be a guide and source of knowledge and inspiration in today's constantly evolving motor TP eco-system.
- Finnoviti Awards 2023:** Company was awarded "Finnoviti 2023 Award" by Banking Frontiers for "Centralization of Motor Third Party Claims". UIIC Limited was the only Company to get award in all

categories among all General Insurance players including private companies.

- e. As a result of various initiatives, the Company could reduce the Incurred claims outgo.

Plan for 2024-25

- Reduction of Motor TP ICR by minimum of 10% by concentrating on more profitable segment of vehicles.
- Achieve a claims settlement ratio of 40%
- Maximizing Claim settlements through various Conciliatory Methods.
- Periodical review of outstanding claims to reduce the long pending claims and average pendency.
- Immediate registration of claims with provisioning of claims on realistic and scientific basis.
- Digitalization of appointment of Advocates and investigators through GC-Core is almost in the final stage and is likely to be launched in the first quarter of 2024-25.
- Development of system integral app for provision calculation based on prevalent landmark judgements.
- Opening of need-based TP Hubs to cater to the requirements.

Motor Own Damage (OD)

Premium

The Company completed premium of ₹ 2060 crores in Motor Own Damage Line of Business with a growth of 22.68% and accretion of ₹ 380 crores. The OD premium constitutes approximately 10% of the total business of the Company for the year 2023-24 and the policy count is 9627492 as against previous years' count of 6904060.

Total Motor OD plus TP premium completion is ₹ 7045.79 crores with accretion of ₹1058.62 crores and growth of 17.68% and policy count increased to 144,73,904 as against previous years' count of 107,93,031 policies.

Claims

Total number of claims settled during the year is 4,81,158 as against 4,13,638 in previous year. The Incurred Claims Ratio for Motor OD for 2023-24 is 89.73%. Loss Assessment Agencies (LAA) for settlement of claims has been expanded for pan-India for Motor Claims up to ₹50,000/- for fast disposal of the claims. The process has resulted in reducing the paperwork and promoting the Digital India Campaign.

Claims Review & Management Pan India: Regular video

पूरे भारत में दावों की समीक्षा और प्रबंधन: व्यक्तिगत हब के प्रदर्शन की निगरानी करने और दावों के प्रभावी निपटान पर दावों को संभालने वाले अधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिए पूरे वर्ष नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। व्यक्तिगत केन्द्रों को उनके दावों के पोर्टफोलियो के आधार पर मासिक लक्ष्य सौंपे जाते हैं। इसके अलावा, हब के व्यक्तिगत कर्मचारियों के प्रदर्शन और प्रति व्यक्ति साप्ताहिक निपटान की निगरानी के लिए हर सप्ताह के अंत में ओडी दावों की साप्ताहिक समीक्षा की जाती है। व्यापक अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा के परिणामस्वरूप बकाया ओडी दावों को घटाकर 75296 दावे कर दिया गया है।

सर्विस हब्स : मोटर ओडी दावों की सेवा वितरण की निगरानी ओडी क्लेम हब के माध्यम से की जाती है। चालू वर्ष के दौरान मौजूदा हब के अलावा त्रिची, वाराणसी, पानीपत, औरंगाबाद, टीएमआई रोहतक में 5 नए हब खोले गए हैं, जिससे हब की कुल संख्या 50 हो गई है।

अखिल भारतीय हब प्रभारियों की बैठक 7 और 8 सितंबर 2023 को जोधपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे व्यापार भागीदारों और हानि मूल्यांकन एजेंसियों ने भी भाग लिया था। विभिन्न मापदंडों पर ओडी हब के शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया।

नई पहल

- ए) मोटर ओडी विभाग ने जीसी कोर में दावा विवरण की सूचना के माध्यम से सर्वेक्षकों की स्वचालित नियुक्ति की अवधारणा पेश की है, जो ₹ 10 लाख रुपये तक के अनुमानित नुकसान वाले दावों के लिए चयन के बिना, रेटेशन पर सर्वेक्षकों की नियुक्ति की अनुमति देता है, जो नियुक्ति को भी सक्षम करेगा। सर्वेक्षक की तुरंत नियुक्ति और सर्वेक्षक को स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर कार्य पर उपस्थित होना होगा। प्रत्येक दावे के लिए सर्वेक्षक द्वारा दूसरा एसएमएस दावों के उचित प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान संशोधन को सक्षम बनाता है।
- बी) सिस्टम में वाहन/परिवहन एकीकरण शुरू किया गया है जो वाहन के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाली धोखाधड़ी को रोकता है।
- सी) मोटर वाहन के स्वयं के नुकसान के दावों के प्रसंस्करण का 100% डिजिटलीकरण और केंद्रीकरण। दावे की सूचना और पंजीकरण, सर्वेक्षकों की स्वचालित नियुक्ति, मूल्यांकन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने और दावा प्रसंस्करण और निपटान तक की पूरी यात्रा डिजिटल हो गई है।
- डी) सर्वेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड की जाती है जिससे टीएटी कम हो गया है और दावा निपटान अनुपात में सुधार हुआ है। सर्वेक्षक प्रारंभिक मूल्यांकन की देनदारी को अद्यतन करने में सक्षम हुए।
- ई) आज की तारीख में, हमारे पास OEM टाई-अप के लिए विशेष दावा निपटान हब - मारुति, टाटा, वोक्सवैगन और वेब एग्जीगेटर - पॉलिसी बाजार सहित 50 हब हैं।

एफ) मोटर ओडी दावों का ऑनलाइन पंजीकरण - दुर्घटना होने पर, बीमाधारक ओटीपी द्वारा प्रमाणित अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके ग्राहक ऐप में लॉग इन कर सकता है और पोर्टल पर दावा पंजीकृत कर सकता है। ऐसी सूचनाएं सर्वेक्षक की नियुक्ति और आगे की प्रक्रिया के लिए सिस्टम में भेज दी जाती हैं। इसके अलावा, एजेंटों को अपने पोर्टल के माध्यम से दावों की जानकारी देने में भी सक्षम बनाया गया है।

जी) सरलीकृत दावा दिशानिर्देश - मोटर ओडी दावों के केंद्रीकरण और डिजिटलीकरण के मद्देनजर, दावों के निपटान के लिए दिशानिर्देशों को दावों से संबंधित दस्तावेजों और सर्वेक्षण रिपोर्टों के संदर्भ में बहुत सरल बनाया गया था। सरलीकरण का उद्देश्य पूरे भारत में हमारे कार्यालयों में मानक संचालन प्रक्रियाओं को लाना था।

एच) रक्षित संपत्ति खरीदारों/सर्वेक्षकों के माध्यम से धोखाधड़ी को रोकने और बेहतर बचाव मूल्य का एहसास करने के लिए, दूसरी राय के रूप में कोटेशन की पेशकश करने के लिए सीटीएल/कुल हानि दावों के लिए रक्षित संपत्ति खरीदारों की ऑनलाइन एजेंसी की नियुक्ति।

आइ) विभाग ने ₹ 50000/- (पचास हजार रुपये) से कम के नुकसान के आकलन के लिए एक उपकरण के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की शुरुआत की है।

जे) मोटर ओडी विभाग ने वीएआईएस पेश किया है, जो बीमा टूटने की स्थिति में बीमा देने से पहले वाहन के पूर्व-निरीक्षण के लिए एक उपकरण है जो अंडरराइटिंग के समय झूठे दावों और गलत बयानी को रोकने में मदद करता है।

के) एसएमपी दिशानिर्देशों के तहत, प्रत्येक दावे के लिए सर्वेक्षक प्रदर्शन मूल्यांकन का संग्रह जीसी कोर में शामिल किया गया है। ग्राहक को ऑनलाइन एक फीडबैक फॉर्म भी भरना होता है जो सर्वेक्षक के साथ-साथ बीमा कंपनी के प्रदर्शन को रेटिंग देता है।

एल) बीमालेखन के साथ-साथ दावों के लिए जीसी कोर में केवाईसी लागू किया जाता है और सभी प्रकार के दावे भुगतानों के साथ-साथ रिफंड में एमएल दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। नए ऐड-ऑन - रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क ऐड-ऑन: वाहन के कुल नुकसान (चोरी सहित) के मामले में, कंपनी बीमाधारक को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क के शेष हिस्से के साथ-साथ राशि का भुगतान करेगी। कंपनी केवल बीमित वाहन की चोरी सहित कुल हानि की परिस्थितियों में उत्तरदायी है।

एम) नो क्लेम बोनस (एनसीबी) प्रोटेक्ट ऐड ऑन: पॉलिसी के नवीनीकरण के समय, अनुसूची में दर्शाए अनुसार अर्जित नो क्लेम बोनस (एनसीबी) का प्रतिशत बीमित वाहन के नुकसान या क्षति के संबंध में पैकेज पॉलिसी की धारा ख के तहत स्वीकार्य दो दावों तक बनाए रखा जाएगा। इससे हमारे मोटर ऐड-ऑन की संख्या 15 तक बढ़ जाती है।

conferences were held throughout the year to monitor the performance of individual Hubs and guide the claims handling officials on effective disposal of claims. Monthly targets are assigned to individual hubs based on their claims portfolio. In addition to this, weekly review of OD claims is done at the end of every week to monitor the performance of individual employees of the Hubs and per person weekly settlement. Extensive follow-up and review has resulted in bringing down the OD claims outstanding to 75296 claims.

Service Hubs : The service delivery of Motor OD Claims is monitored through OD Claims Hub. During the current year 5 new Hubs at Trichy, Varanasi, Panipat, Aurangabad, TMI Rohtak have been opened, in addition to existing Hubs taking the total number of Hubs to 50.

All India Hub In-charges' Meet was organized on 7th and 8th September 2023 at Jodhpur, which was also attended by our business partners and Loss Assessment Agencies. OD Hub top performers were felicitated on various parameters.

NEW INITIATIVES

- a) Motor OD Department has introduced the concept of automatic appointment of surveyors through intimation of claim details in GC core which allows the appointment of surveyors on rotation, without selection for claims with estimated loss up to ₹ 10 lakhs, which will also enable appointment of surveyor immediately and surveyor has to attend the job within 24 hours of acceptance. Second SMS by surveyor for each claim enables provision modification to ensure proper provisioning of claims.
- b) Vahan/Parivahan integration is introduced in the system which prevents frauds arising out of substitution of vehicle.
- c) 100% Digitization and Centralization of Claims processing of Motor Vehicle Own Damage Claims. Entire journey from claim intimation and registration, automatic appointment of surveyors, assessment and report submission and claim processing and settlement is digitized.
- d) Uploading of survey reports by surveyors is done through online which has reduced the TAT and improved the claim settlement ratio. Surveyors enabled to update the liability of the Initial Assessment.
- e) As on date, we have 50 Hubs including Specialized Claim Settlement Hubs for OEM Tie-ups – Maruti, TATA, Volkswagen and Web Aggregator – Policy Bazaar.
- f) Online Registration of Motor OD Claims - Upon accident, an insured can login in to customer app using his mobile number authenticated by OTP and register the claim on portal. Such intimations are pushed to the system for surveyor appointment and further processing. In addition, agents have also been enabled to intimate claims through their portal.
- g) Simplified Claim Guidelines - In the view of Centralization and Digitization of Motor OD claims, the guidelines for settlement of claims was much simplified in terms of claims related documents and survey reports. The simplification was aimed at bringing about standard operating procedures across our offices pan-India.
- h) Appointment of online agency of salvage buyers for CTL/Total loss claims to offer quotation as second opinion, in order to prevent frauds through salvage buyers/surveyors and realize better salvage value.
- i) The department has introduced Artificial Intelligence (AI) as a tool for assessment of losses below ₹ 50000/- (Rupees Fifty Thousand).
- j) Motor OD department has introduced VAIS, a tool for pre-inspection of vehicle before giving insurance in case of break in insurance which helps in prevention of false claims and misrepresentation at the time of underwriting.
- k) Under SMP guidelines, collection of surveyor performance appraisal is incorporated in GC core for each claim. There is also a feedback form to be filled by the customer online which gives rating to the performance of the surveyor as well as Insurance Company.
- l) KYC is implemented in GC core for underwriting as well as claims and AML guidelines are followed in all type of claim payments as well as refunds.
- m) New add-ons - Road tax and Registration Charges Add On: In case of total loss (including theft) of the vehicle, the Company will pay to the Insured, the unexpired portion of Road Tax and Registration Charges along with the amount that the Company is liable only under the circumstances of total loss including theft of the Insured Vehicle.
No Claim Bonus (NCB) Protect Add On: At the time of renewal of the Policy, the percentage of No Claims Bonus (NCB) accrued as shown in the Schedule shall be maintained for up to two claims admissible under Section I of the Package Policy with respect to loss or damage to the Insured Vehicle occurring during the policy period. This increases our Motor Add-ons count to 15.

- एन) निजी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए मिल डेप ऐड-ऑन का विस्तार 7 साल तक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 5 साल तक का विस्तार।
- ओ) विशेष उत्सव प्रोत्साहन योजना 16.09.2023 से 31.12.2023 की अवधि के दौरान शुरू की गई थी।
- पी) निजी कार की महिला मालिकों को कवर करने के लिए महिला दिवस के अवसर पर 5% की विशेष छूट दी गई और हमारे 86वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विशिष्ट श्रेणी के वाहनों के लिए 86% की छूट दी गई।
- क्यू) सभी चार प्रमुख बाढ़ों, अर्थात् उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र, मिर्चांग और दक्षिण तमिलनाडु बाढ़ के लिए फास्टट्रैक दावा निपटान के लिए विशेष बाढ़ दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

स्वास्थ्य

वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में स्वास्थ्य बीमा पैठ बढ़ाने के प्रति आइआरडीएआइ की निरंतर प्रतिबद्धता देखी गई। युइटेड इंडिया समाज के सभी वर्गों को कवर करने वाली देश की सबसे बड़ी सामान्य बीमा कंपनियों में से एक है। स्वास्थ्य बीमा पोर्टफोलियो को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है - रीटल, समूह और सरकारी। सरकारी श्रेणी के तहत, हम तमिलनाडु में "एबी-पीएमजेएवाई के साथ एकीकृत तमिलनाडु मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना" और "एकीकृत महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (एमजेपीजेएवाई) और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री" जैसी प्रतिष्ठित सामाजिक क्षेत्र की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का संचालन करते हैं। महाराष्ट्र में जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) समाज के गरीबों और वंचित वर्गों के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, हम तमिलनाडु सरकार के "नम्मई काकुम - 48 थिट्टम" का भी प्रबंधन कर रहे हैं, जो दुर्घटना के अडतालीस घंटे तक सड़क दुर्घटना पीड़ितों की आघात देखभाल को पूरा करता है।

हमारे समूह उत्पाद हमारी समूह स्वास्थ्य पॉलिसियों के माध्यम से अग्रणी कॉरपोरेट्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर्मचारियों और अधिकारियों को कवरेज प्रदान करते हैं। इसके अलावा, हमारे खुदरा स्वास्थ्य बीमा समाधान व्यक्तियों और उनके परिवारों को फैमिली मेडिकेयर पॉलिसी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, सुपर टॉप-अप मेडिकेयर पॉलिसी, युवान हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और अन्य जैसे उत्पादों के माध्यम से कवरेज प्रदान करते हैं।

कंपनी ने विवेकपूर्ण बीमालेखन प्रथाओं पर अपना ध्यान जारी रखा। समूह स्वास्थ्य खंड में सुधार के लिए शुरू किए गए उपाय जारी रहे। प्रतिकूल चयन वाले प्रस्तावों को टाल दिया गया या छोड़ दिया गया और जहां भी दावा अनुपात लगातार उच्च स्तर पर था और पर्याप्त कीमत नहीं मिल रही थी, ऐसे प्रस्तावों का नवीनीकरण नहीं किया गया इसी तरह, रीटल उत्पादों के लिए बीमालेखन को सुव्यवस्थित किया गया है। खुदरा प्रस्तावों

को चिकित्सा स्थितियों के आधार पर एसआईपी और गैर-एसआईपी के रूप में विभाजित किया जाता है और प्रतिकूल चिकित्सा इतिहास वाले किसी भी प्रस्ताव की उचित हामीदारी के लिए आगे जांच की जाती है। हम समूह पॉलिसियों के लिए अपनी मूल्य निर्धारण संरचना को संतुलित करने के अपने प्रयास को जारी रख रहे हैं और साथ ही अपनी खुदरा बिक्री में सुधार के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं जिससे हमारे समग्र व्यय दावा अनुपात में कमी आएगी।

दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य विभाग के सुचारु कामकाज को सुविधाजनक बना रहे हैं। दावा प्रबंधन, खुदरा स्वास्थ्य दावों को अस्वीकार करना और फिर से खोलना, स्वास्थ्य दावों का ऑडिट, धोखाधड़ी नियंत्रण प्रबंधन, कानूनी और लोकपाल मामलों को संभालना, रीटल पॉलिसियों की अंडरराइटिंग वृद्धि का प्रबंधन, पीपीएन प्रबंधन जैसी गतिविधियां स्वास्थ्य केंद्रों को सौंपी गई हैं। विभिन्न गतिविधियों के इस विकेंद्रीकरण के साथ, बेहतर ग्राहक सेवा के लिए समग्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार किया गया है।

उत्पाद विकास के क्षेत्र में, हमने कई पहल की जो दीर्घकालिक सुधार की नींव बनेंगी। हमने जनवरी 2024 में एक अभिनव रीटल उत्पाद - युवान स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की। यह उत्पाद सरल और किफायती है और युवा लोगों पर केंद्रित है। को-शेयरिंग रूम के लिए कोई किराया सीमा नहीं है, इसके अलावा बीमारी के हिसाब से कोई सीमा नहीं है। नियामक आवश्यकता के आधार पर, हमने एक रीटल स्वास्थ्य बीमा उत्पाद लॉन्च किया। समग्र सुरक्षा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी विशेष रूप से विकलांग/एचआईवी-एड्स वाले व्यक्तियों के लिए डिजाइन की गई है। हमने अपने मौजूदा उत्पादों व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी और पारिवारिक चिकित्सा पॉलिसी को भी संशोधित किया है।

हमने अपने स्वास्थ्य पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की। उत्पाद विनियम 2024 की अधिसूचना के साथ, हम अपने गंभीर बीमारी और विदेशी यात्रा बीमा उत्पाद में संशोधन के साथ-साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी उत्पादों पर काम करेंगे। हमने "कैशलेस एवरीव्हेयर" लागू किया है जो जीआई काउंसिल की एक पहल है जिसमें कैशलेस सुविधा गैर-नेटवर्क अस्पतालों तक भी विस्तारित है। हम स्वास्थ्य दावों के डिजिटल प्रसंस्करण के लिए नियामक और एनएचए (राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण) की एक पहल एनएचसीएक्स (राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज) का भी हिस्सा हैं। हमारे सिस्टम में एबीएचए (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) आईडी की शुरुआत के साथ, पॉलिसी धारकों के मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप से संग्रहीत और उनके द्वारा आसानी से साझा किए जाते हैं।

राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाएं

युनाइटेड इंडिया एक बीमाकर्ता के रूप में दो सबसे बड़ी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं, महाराष्ट्र राज्य की एकीकृत महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (एमजेपीजेएवाई) और तमिलनाडु राज्य की मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना (सीएमसीएचआईएस) की सेवा प्रदान करता है।

- n) Extension of Nil Dep Add-on up to 7 years for private cars and two wheelers and up to 5 years for Commercial Vehicles.
- o) Special Festive Incentive Scheme was introduced during the period - 16.09.2023 to 31.12.2023.
- p) Special discount of 5% was given on the occasion of Women's Day to cover women owners of private car and 86% discount was extended to specific classes of vehicles to commemorate our 86th Foundation Day.
- q) Special Flood Guidelines to fastrack claim settlement were issued for all the four major floods, namely, Uttarakhand & Himachal Pradesh, Punjab, Haryana & Delhi Regions, Michaung & South Tamil Nadu floods.

HEALTH

Financial year 2023-24 saw continued commitment of IRDAI towards increasing health insurance penetration in India. United India is one of the largest General Insurers in the country covering all sections of the society. The Health Insurance portfolio is broadly categorized into 3 categories – Retail, Group and Government. Under Government category, we administer the prestigious social sector health insurance schemes like “Integrated Tamil Nadu Chief Minister’s Comprehensive Health Insurance Scheme with AB-PMJAY” in Tamil Nadu and “Integrated Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana (MJPJAY) and Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)” in Maharashtra ensure accessible healthcare to the poor and underprivileged sections of society. Besides, we are also administering “Nammai Kaakkum - 48 Thittam” of Government of Tamil Nadu, which caters to the trauma care of the road accident victims up to forty-eight hours after the accident.

Our group products extend coverage to employees and executives of leading corporates and multinational companies through our Group Health Policies. In addition, our retail health insurance solutions offer coverage to individuals and their families through products like Family Medicare Policy, Individual Health Insurance Policy, Super Top-up Medicare Policy, Yuvaan Health Insurance Policy, and others.

The Company continued its focus on prudent underwriting practices. The measures initiated to improve the group health segment continued. The proposals with adverse selection were avoided or shed and wherever the incurred claims ratio was continuously on the higher side and adequate price was not forthcoming, the renewal was not done. Similarly, underwriting for retail products has been streamlined. The retail proposals are bifurcated as SIP and Non-SIP based on the medical conditions and any proposal

with adverse medical history is further scrutinized for proper underwriting. We are continuing with our endeavor to balance our pricing structure for the group policies and at the same time taking proactive steps to improve our retail sales which will reduce our overall Incurred Claims Ratio.

Health Hubs at Delhi, Mumbai and Hyderabad continue to facilitate the smooth functioning of Health Department. Activities like Claims management, rejection and reopening of Retail Health Claims, Audit of Health Claims, Fraud Control Management, handling of Legal and Ombudsman Cases, Management of Underwriting Escalation of Retail Policies, PPN management have been assigned to the Health Hubs. With this decentralization of various activities, the overall decision-making process has been improved for better customer service.

In the product development side, we undertook several initiatives which will be a foundation for long-term improvement. We launched an innovative retail product – Yuvaan Health Insurance Policy in January 2024. The product is simple and affordable and focuses on young people. There is no rent limit for twin-sharing room besides no disease-wise capping. Based on the regulatory requirement, we launched a retail health insurance product viz. Samaveshi Suraksha Health Insurance Policy specially designed for persons with disabilities/ HIV-AIDS. We also revised our existing products Individual Health Insurance Policy and Family Medicare Policy.

We recruited specialist doctors to further strengthen our Health Portfolio. With the notification of product regulations 2024, we will be working on all the products, to ensure compliance, along with revision of our Critical Illness and Overseas Travel Insurance product. We have implemented “Cashless Everywhere” which is an initiative by the GI Council wherein the cashless facility is extended even to non-network hospitals. We are also part of the NHCX (National Health Claims Exchange) an initiative of the regulator and NHA (National Health Authority) for digital processing of the health claims. With the introduction of ABHA (Ayushman Bharat Health Account) ID in our system, the medical records of the policy holders are digitally stored and shared easily by them.

STATE HEALTH INSURANCE SCHEMES

United India services two of the largest State Health Insurance Schemes as an Insurer, the Integrated Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana (MJPJAY) of the State of Maharashtra and the Chief Minister’s Comprehensive Health Insurance Scheme (CMCHIS) of the State of Tamil Nadu.

एमजेपीएवाई महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह योजना सरकारी और निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से पहचानी गई बीमारियों के लिए शुरू से अंत तक कैशलेस सेवा के माध्यम से लगभग 2.22 करोड़ गरीब परिवारों (10.43 करोड़ लोगों) को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। युनाइटेड इंडिया 01.04.2020 (1 अप्रैल 2020) से स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान कर रहा है। इस योजना में 996 सर्जरी/थेरेपी/प्रक्रियाएं और 121 अनुवर्ती प्रक्रियाएं शामिल हैं और यह प्रति परिवार ₹ 1.50 लाख रुपये (रीनल ट्रांसप्लांट के लिए ₹ 2.50 लाख रुपये) की बीमा राशि प्रदान करती है। पिछले चार वर्षों के दौरान इस योजना से लगभग 31 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं।

सीएमसीएचआईएस तमिलनाडु सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह योजना सरकारी और निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से पहचानी गई बीमारियों के लिए शुरू से अंत तक कैशलेस सेवा के माध्यम से लगभग 1.46 करोड़ परिवारों (3.09 करोड़ जीवन) को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। युनाइटेड इंडिया 11/01/2012 (11 जनवरी 2012) से स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान कर रहा है। यह योजना एबी-पीएमजेएवाई के साथ एकीकृत है और 4195 सर्जरी/थेरेपी/प्रक्रियाएं और 12 अनुवर्ती प्रक्रियाएं प्रदान करती है और यह प्रति परिवार 5 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान करती है। पिछले बारह वर्षों के दौरान इस योजना से लगभग 128 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं।

युनाइटेड इंडिया दिनांक 18/11/2021 (18 नवंबर 2021) से तमिलनाडु राज्य सरकार की जीवनरक्षक योजना, “इनुथिर कप्पोम थिदुम - नम्मई कक्कुम 48” का संचालन भी करता है। यह योजना गोलडन आवर के दौरान सड़क यातायात में होने वाली मौतों को कम करने के उद्देश्य से लाई गई है। एनके-48 योजना के तहत सभी सड़क दुर्घटना पीड़ितों को, चाहे वे किसी भी निवासी हों, ₹ 1 लाख रुपये की सीमा तक 48 घंटे के लिए मुफ्त आपातकालीन उपचार प्रदान किया जाता है। पिछले दो वर्षों के दौरान इस योजना से लगभग ₹ 1.37 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं।

युनाइटेड इंडिया को राज्य सरकारों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए), नीति आयोग और अन्य एजेंसियों से कई प्रशंसाएं और सराहना मिली हैं। हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, मिजोरम और पंजाब जैसे कई राज्यों के सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों ने सीएमसीएचआईएस के सफल मॉडल का अध्ययन करने के लिए तमिलनाडु राज्य का दौरा किया है।

विदेशी संचालन

हांगकांग में बीमालेखन परिचालन 01.04.2002 से बंद हो गया और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, हांगकांग तब से रन-ऑफ पोर्टफोलियो की देखभाल करती है। 31.03.2024 तक, 3 दावे अभी भी बकाया थे।

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए हांगकांग एजेंसी में रन-ऑफ परिचालन का विवरण दिया जा रहा है

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
शुद्ध प्रीमियम	0	0
उपगत दावे	(3.2099)	0.1924
प्रबंधन व्यय	0.2442	0.2371
अन्य आय & व्यय	0	0
बीमालेखन लाभ/ हानि	2.9656	(0.4295)
निवेश से आय	1.4265	0.8489
शुद्ध लाभ/ हानि	4.3921	0.4194

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विदेश विनिमय से आय	140.07
विदेशी मुद्रा व्यय	257.78

उद्यम जोखिम प्रबंधक

कंपनी ने वित्तीय, परिचालन, रणनीतिक और अनुपालन जोखिमों को कवर करते हुए व्यावसायिक लक्ष्यों के अनुरूप एक जोखिम प्रबंधन ढांचा विकसित किया है। जोखिमों की पहचान करने और उनका आकलन करने तथा स्पष्ट भूमिकाओं के साथ नियंत्रण और सुधारात्मक कार्रवाइयों को लागू करने के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

निदेशक मंडल की देखरेख में, कंपनी द्वारा ग्रहण किए गए सभी जोखिमों की निगरानी की जाती है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) ने अपने सदस्यों की जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हुए संदर्भ की शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। इसके अतिरिक्त, जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी के लिए एक मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन पहलों का मार्गदर्शन और



MJPJAY is a flagship Health Insurance Scheme of the Government of Maharashtra. The Scheme provides free health coverage to about 2.22 crore poor families (10.43 crore lives) through an end-to-end cashless service for identified diseases through a network of service providers from Government and Private sector. United India is providing the health insurance cover from 01.04.2020 (1st April 2020). The Scheme covers 996 Surgeries/ Therapies/ Procedures and 121 follow up procedures and it offers a sum insured of ₹ 1.50 lakh per family (₹ 2.50 lakh for Renal Transplant). About 31 Lakh people have benefitted from the Scheme during the last four years.

CMCHIS is a flagship Health Insurance Scheme of the Government of Tamil Nadu. The Scheme provides free health coverage to about 1.46 crore families (3.09 crore lives) through an end-to-end cashless service for identified diseases through a network of service providers from Government and Private sector. United India is providing the health insurance cover from 11/01/2012(11th January 2012). The Scheme is integrated with AB-PMJAY and provides 4195 Surgeries/ Therapies/ Procedures and 12 follow up procedures and it offers a sum insured of ₹ 5 lakhs per family. About 128 lakh people have benefitted from the Scheme during the last twelve years.

United India also administers the State Government of Tamil Nadu's lifesaving Scheme, "Innuyir Kappom Thittam - Nammai Kakkum 48" from 18/11/2021(18th November 2021). The Scheme has been brought out with an objective of reducing the road traffic fatalities during the golden hour. Under the NK-48 Scheme all road accident victims irrespective of their domicile are provided free emergency treatment for 48 hours up to a limit of ₹ 1 lakh. About 1.37 lakh people have benefitted from the Scheme during the last two years.

United India has received numerous accolades and appreciations from the State Governments, National Health Authority (NHA), NITI Aayog and other Agencies. Government Health Officials from many states such as Haryana, Jammu & Kashmir, Meghalaya, Mizoram and Punjab have visited Tamil Nadu state for studying the successful model of the CMCHIS.

FOREIGN OPERATIONS

Underwriting operations at Hong Kong ceased with effect from 01.04.2002 and New India Assurance Company Limited, Hong Kong looks after the Run-off portfolio since then.

Statement of run-off operations in Hong Kong Agency for the year ended 31.03.2024

(₹ In Crores)

Details	Current year	Previous Year
Net Premium	0	0
Incurred Claims	(3.2099)	0.1924
Expenses of Management	0.2442	0.2371
Other Income & Outgo	0	0
Underwriting Profit/Loss	2.9656	(0.4295)
Investment Income	1.4265	0.8489
Net Profit /Loss	4.3921	0.4194

Details of Foreign Exchange earnings and outgo for the year ended 31.03.2024

(₹ In Crores)

Foreign Exchange Earnings	140.07
Foreign Exchange Outgo	257.78

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

The Company has developed a Risk Management Framework in line with business goals, covering financial, operational, strategic and compliance risks. Procedures are in place to identify and assess risks and to implement controls and corrective actions with clear roles.

Under the oversight of the Board of Directors, all risks assumed by the Company are monitored. The Risk Management Committee (RMC) of the Board has clearly defined terms of reference outlining the responsibilities of its members. Additionally, a Chief Risk Officer has been appointed to oversee risk management activities.

निगरानी प्रदान करने के लिए एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट (एमसीईआरएम) पर एक प्रबंधन समिति की स्थापना की गई है।

प्रमुख उपलब्धियाँ

- विशेष जोखिम प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति:** आरएमसी और बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने जोखिम प्रबंधन ढांचे में सुधार करने और जोखिम प्रबंधन सॉफ्टवेयर लागू करने और उद्यम जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष जोखिम प्रबंधन सलाहकार (मैसर्स केपीएमजी एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी) को नियुक्त किया है। परियोजना का चरण 1 यानी वर्तमान स्थिति की मूल्यांकन, अंतर विश्लेषण रिपोर्ट और भविष्य की कार्य योजना प्रगति पर है।
- जोखिम की पहचान और मूल्यांकन:** ईआरएम विभाग ने कंपनी के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों पर विचार करते हुए सभी विभागों के लिए व्यापक जोखिम मूल्यांकन किया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से, हमने उभरते जोखिमों और संभावित कमजोरियों की पहचान की है, जिससे उन्हें प्रभावी ढंग से कम करने के लिए सक्रिय उपायों को सक्षम किया गया है और परिणामस्वरूप सभी एचओ विभागों के लिए उचित रूप से प्रलेखित जोखिम रजिस्टर तैयार किए गए हैं।
- जोखिम संस्कृति की नींव:** हम मानते हैं कि प्रभावी जोखिम प्रबंधन केवल प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को लागू करने के बारे में नहीं है बल्कि एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने के बारे में है जहां प्रत्येक कर्मचारी जोखिम प्रबंधक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है और जोखिम संस्कृति की नींव बनाने के लिए, हमने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए एक उद्योग विशेषज्ञ द्वारा जागरूकता सत्र आयोजित किया।

कंपनी द्वारा पहचाने गए महत्वपूर्ण जोखिम इस प्रकार बताए गए हैं:

- बीमालेखन जोखिम:** इसमें खराब गुणवत्ता वाली बीमालेखन, अपर्याप्त मूल्य निर्धारण, अपर्याप्त उत्पाद मिश्रण और उत्पाद नवाचार की कमी से जुड़ा जोखिम शामिल है।
शमन उपायों में स्पष्ट रूप से परिभाषित जोखिम स्वीकृति दिशानिर्देश और प्राधिकरण शामिल हैं, जिन्हें अनुमोदन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को भेजे गए प्रस्तावों के साथ वर्कफ्लो सिस्टम के माध्यम से लागू किया जाता है। इसके अतिरिक्त, क्षमता से अधिक जोखिमों को कम करने के लिए पर्याप्त पुनर्बीमा व्यवस्था मौजूद है। बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए आईआरडीआई नियमों के अनुपालन में नए उत्पाद और ऐड-ऑन कवर पेश किए गए हैं।
- दावा रिजर्व और निपटान संबंधी जोखिम:** इस जोखिम में अपर्याप्त प्रावधान और दावों का विलंबित निपटान शामिल है।

शमन रणनीतियों में दावा मैनुअल और आरक्षण दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन शामिल है। परिचालन टीम दावा प्रावधानों की समय-समय पर समीक्षा करती है, जबकि वरिष्ठ प्रबंधन समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से बकाया दावों की समीक्षा करता है। दावा निपटान दक्षता में सुधार के लिए डिजिटल पहल के साथ-साथ सेवा केंद्रों का गठन भी शुरू किया गया।

- बाजार जोखिम:** इस जोखिम में प्रौद्योगिकी-संचालित नए प्रवेशकों के कारण बाजार में व्यवधान और वैश्विक महामारी जैसे उभरते जोखिमों से उद्योग परिदृश्य प्रभावित होता है, जो मौजूदा वितरण चैनलों को बाधित करता है।

शमन प्रयासों में एक सर्वव्यापी उपस्थिति सुनिश्चित करना और प्रौद्योगिकी-संचालित कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के प्रभाव को कम करने के लिए सभी प्रासंगिक उत्पादों और सेवाओं को ग्राहकों तक आसानी से पहुंचाना शामिल है।

- निवेश जोखिम:** यह जोखिम बाजार की अस्थिरता से उत्पन्न होने वाले नुकसान से संबंधित है।

शमन में ऋण और इक्विटी निवेश के बीच उचित मिश्रण बनाए रखना शामिल है।

- क्रेडिट जोखिम:** यह प्रतिपक्ष डिफॉल्ट के जोखिम को संदर्भित करता है।

शमन रणनीतियों में कम से कम न्यूनतम स्वीकार्य क्रेडिट रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में निवेश करना और क्रेडिट रेटिंग में बदलाव की समीक्षा करना शामिल है। कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ भी काम करती है।

- तरलता जोखिम:** यह अपर्याप्त निधि के कारण दावों का भुगतान करने में असमर्थता को संदर्भित करता है जब वे बकाया हो जाते हैं।

शमन में नकदी प्रवाह मिलान और तरल संपत्तियों का उचित मिश्रण बनाए रखने के माध्यम से अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता बनाए रखना शामिल है।

- परिचालन जोखिम:** इसमें अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों से उत्पन्न होने वाले नुकसान का जोखिम शामिल है।

शमन प्रयासों में धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा और सतर्कता तंत्र, एक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति और एक व्हिसलब्लोअर नीति का कार्यान्वयन शामिल है।

- साइबर और आईटी जोखिम:** इस जोखिम में साइबर हमले, संवेदनशील/ग्राहक जानकारी की हानि और आपूर्ति श्रृंखला



Furthermore, a Management Committee on Enterprise Risk Management (MCERM) has been established to provide guidance and monitoring of risk management initiatives.

Key Achievements

1. **Appointment of specialized Risk Management Consultant:** As per the directions of RMC and Board, the Company has engaged specialized risk management consultant (M/s KPMG Assurance and Consulting Services LLP) for revamping the risk management frameworks and also implement risk management software to achieve the objectives of Enterprise Risk Management. STAGE 1 of the project i.e current state assessment, gap analysis report & future state plan is under progress.
2. **Risk Identification and Assessment:** ERM Department has conducted comprehensive risk assessments for all Departments, considering both internal and external factors that may impact the company's objectives. Through this process, we have identified emerging risks and potential vulnerabilities, enabling proactive measures to mitigate them effectively and resulted in properly documented Risk Registers for all HO Departments.
3. **Foundations of Risk Culture:** We recognize that effective risk management is not merely about implementing processes and controls but fostering a culture where every employee embraces their role as a risk steward and to build the foundation of Risk Culture, we conducted awareness session for all Regional Offices by an industry expert.

The significant risks identified by the Company are outlined as follows:

1. **Underwriting Risk:** This encompasses the risk associated with poor quality underwriting, inadequate pricing, insufficient product mix, and lack of product innovation.
Mitigation measures include clearly defined risk acceptance guidelines and authority, which are enforced through workflow systems with proposals escalated to the appropriate authority for approval. Additionally, adequate reinsurance arrangements are in place to underwrite risks exceeding capacity. New products and add-on covers are introduced in compliance with IRDAI regulations to maintain a competitive edge in the market.
2. **Claims Reserving and Settlement Related Risk:** This risk involves inadequate provisioning and delayed settlement of claims.

Mitigation strategies include the implementation of claims manuals and reserving guidelines. The operations team conducts periodic reviews of claim provisions, while senior management reviews outstanding claims regularly to ensure timely settlement. Digital initiatives as well as formation of Service Hubs introduced to improve claim settlement efficiency.

3. **Market Risk:** This risk encompasses market disruption caused by technology-driven new entrants and the industry landscape being affected by emerging risks such as global pandemics, which disrupt existing distribution channels.

Mitigation efforts involve ensuring an omni-channel presence and making all relevant products and services easily accessible to customers to minimize the impact of competition from technology-driven companies.

4. **Investment Risk:** This risk relates to losses arising from market volatility.

Mitigation involves maintaining an appropriate mix between debt and equity investments.

5. **Credit Risk:** This refers to the risk of counterparty default.

Mitigation strategies include investing in securities with at least minimum acceptable credit ratings and reviewing changes in credit ratings. The Company also engages with financially sound reinsurers.

6. **Liquidity Risk:** This refers to the inability to pay claims due to insufficient funds when they fall due.

Mitigation involves maintaining sufficient liquidity to meet short-term obligations through cash flow matching and maintaining a proper mix of liquid assets.

7. **Operational Risk:** This encompasses the risk of losses arising from inadequate or failed internal processes, people and systems.

Mitigation efforts include the implementation of internal audit and vigilance mechanisms, a Fraud Risk Management Policy and a Whistleblower Policy to mitigate fraud risks.

8. **Cyber and IT Risk:** This risk includes cyber-attacks, loss of sensitive/customer information and hardware

बाधाओं के कारण हार्डवेयर आपूर्ति में व्यवधान और कई हार्डवेयर विफलताओं के कारण सिस्टम/नेटवर्क आउटेज मुद्दे शामिल हैं।

शमन उपायों में एक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, एक साइबर-संकट प्रबंधन योजना, एक साइबर सुरक्षा नीति और एक आईटी व्यवसाय निरंतरता नीति का कार्यान्वयन शामिल है, जो प्रमुख हितधारकों को सूचित किया जाता है। साइबर खतरों के कारण होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए कंपनी के पास एक साइबर बीमा पॉलिसी भी है। आईटी-संचालित संचालन पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए, कंपनी का लक्ष्य मजबूती सुनिश्चित करने के लिए आईटी और डिजिटल समाधान और बुनियादी ढांचे में निवेश करना है, इस उद्देश्य के लिए जीडीपीआई का कम से कम 3% आवंटित करना है।

कॉर्पोरेट लीगल

कॉर्पोरेट विधिक विभाग एनसीडीआरसी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपभोक्ता मामलों के प्रभावी और सुचारु संचालन के लिए कार्य कर रहा है। इसके अलावा, यह उपभोक्ता आयोगों और क्षेत्रों द्वारा सेवा प्राप्त वाणिज्यिक न्यायालयों में दायर उपभोक्ता मुकदमे के दावों की निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि अनावश्यक अपील/संशोधन से बचा जाए, जबकि उच्च जोखिम वाले मामलों को सक्षम अधिवक्ताओं का चयन करके उचित रूप से लड़ा जाए। विभाग इसे संदर्भित दावे से संबंधित मध्यस्थता के कानूनी पहलुओं को संभालता है। विभाग सांख्यिकीय आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए नियामक अधिकारियों के साथ भी समन्वय करता है।

विगत वित्तीय वर्ष में, विभाग ने उपभोक्ता मामलों में मुकदमेबाजी प्रबंधन की गुणवत्ता और टीएटी में सुधार के लिए कई उपाय शुरू किए जैसे:

(ए) उपभोक्ता मुकदमे के दावों का केंद्रीकरण

उपभोक्ता सूट दावों को संभालने में केंद्रीकरण लाने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/एलसीबी में उपभोक्ता सूट दावा सेल (सीएससीसी) का गठन किया गया, जिसमें “दावा वर्टिकल” का सृजन किया गया। इसका उद्देश्य “उपभोक्ता वाद दावों” (दावे में कंपनी के निर्णय से असंतुष्ट दावेदारों द्वारा दायर किए गए मामले) पर अधिक ध्यान केंद्रित करना और मुकदमा दावा संभालने वालों की एक समर्पित/विशेष टीम का निर्माण करना था, जो मुकदमेबाजी के तहत जटिल दावों के तकनीकी पहलू और सामान्य बीमा के दोनों कानूनों में अच्छी तरह से वाकिफ थे। सीएससीसी गठन के सभी पहलुओं पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से की गई।

(बी) विधिक जागरूकता को फैलाना

विधिक मामलों में, रोकथाम इलाज से बेहतर है और इसी भावना के साथ, विभाग ने (i) तकनीकी विभागों के अधिकारियों, सभी क्षेत्रों/एलसीबी के सीएससीसी के साथ-साथ अधिवक्ताओं की भागीदारी के साथ नवंबर 2023 में मध्यस्थता पर कार्यशाला

आयोजित की (ii) हैदराबाद और भोपाल सत्र में जोनल मीट में फायर और इंजीनियरिंग दावा संचालकों को कानूनी जानकारी प्रदान करना, ताकि दावा प्रसंस्करण न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून के साथ पूरी तरह से संरेखित हो सके। शीर्ष न्यायालय और एनसीडीआरसी द्वारा तय किए गए मामलों का विश्लेषण किया गया और मामले का अध्ययन प्रदान किया गया (iii) कोयंबटूर में प्रशिक्षण के दौरान अंडरराइटर्स के लिए फीडबैक सत्र कि कैसे उचित/परिश्रमी बीमालेखन उपभोक्ता विवादों को कम कर सकती है और ग्राहक को स्पष्टता प्रदान कर सकती है।

(सी) आईटी मोर्चे पर पहल में बदलाव

विभाग ने जीसी में उपभोक्ता सूट दावों के पंजीकरण और प्रसंस्करण को आसान और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए जीसी में बदलावों को लागू करने के लिए एचओ आईटी विभाग के साथ समन्वय किया।

(डी) अधिवक्ताओं की फीस संरचना में परिवर्तन

विभाग ने उपभोक्ता मामलों को संभालने वाले अधिवक्ताओं के लिए पारितोषिक प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए जीआईपीएसए को महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान किए, ताकि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के लागू होने के परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी के माहौल में बदलाव को प्रतिबिंबित कर सके। अच्छी कानूनी प्रतिभा का विकास और प्रतिधारण भी मुफ्रसिल केंद्रों में, शुरुआती चरणों में ही उपभोक्ता मामलों का उचित प्रबंधन और सफल कानूनी परिणामों को पुरस्कृत करना, नई शुल्क संरचना का आधार है। नई शुल्क संरचना मई 2023 में अधिसूचित की गई थी।

(ई) निपटान में वृद्धि

विभाग ने लंबित मामलों को कम करने और निपटान को बढ़ाने के अपने प्रयास में न्यायिक मंचों को सभी सहायता सुनिश्चित की। एनसीडीआरसी में, फोरम सीधे विभाग द्वारा संभाला जाता है, उपभोक्ता मामलों की संख्या जो 01.04.2023 को 640 थी, 31.03.2024 को घटकर 559 हो गई, और सफलता अनुपात 50% से अधिक था। क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र किए गए मासिक आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता वाद दावों का निपटान अनुपात बढ़कर 22% हो गया है, वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 43-15 मामलों का निपटारा किया गया है।

प्रमुख प्रदर्शन पहल

पीएसजीआईसी ने पीएसजीआईसी के लिए परिभाषित उद्यम केपीआई के अनुरूप, प्रदर्शन प्रबंधन और क्षमता निर्माण के माध्यम से लाभदायक विकास और कर्मचारी विकास लाने के लक्ष्य के साथ एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है।

इसलिए मौजूदा प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित बनाने और अधिक दक्षता लाने के लिए वर्टिकल बनाने के लिए कंपनी में प्रमुख प्रदर्शन पहल शुरू की गई। ये पहल एध के साथ साझेदारी करके शुरू की गई थी।

supply disruptions due to supply chain constraints and system/network outage issues due to multiple hardware failures.

Mitigation measures involve the implementation of an Information Security Management System, a cyber-crisis management plan, a Cyber Security Policy, and an IT Business Continuity Policy, which are communicated to key stakeholders. The Company also has a Cyber Insurance Policy to cover losses due to cyber threats. Given the increasing reliance on IT-driven operations, the Company aims to invest in IT and digital solutions and infrastructure to ensure robustness, allocating at least 3% of GDPI to this purpose.

CORPORATE LEGAL

Corporate Legal Department has been functioning for the effective and smooth handling of consumer cases before NCDRC and Supreme Court of India. Further, it monitors consumer suit claims filed in Consumer Commissions and in Commercial Courts serviced by the Regions and ensures that unnecessary appeals/revisions are avoided while high stake matters are properly contested by selecting competent advocates. The Department handles the legal aspects of claim related arbitrations referred to it. The Department also co-ordinates with regulatory authorities for complying with statistical requirements.

In the last financial year, the Department initiated several measures to improve the quality and TAT of litigation management in consumer matters such as:

(a) Centralization of Consumer Suit Claims

Consumer Suit Claims Cells (CSCCs) were constituted at all Regional Offices/LCBs to bring about centralization in handling consumer suit claims, in tune with the creation of “claims verticals” therein. The objective was to bring more focus on “consumer suit claims” (cases filed by the claimants aggrieved by the Company’s decision in a claim) and to build a dedicated/specialized team of suit claim- handlers well versed in both the law of general insurance and the technical aspects of complex claims under litigation. The process was done in a time bound manner after issuing detailed guidelines on all aspects of CSCC formation.

(b) Spreading Legal Awareness

In legal matters, prevention is better than cure and in this spirit, the department conducted (i) Workshop on

Arbitrations in November 2023 with the participation of officers of Technical Departments, CSCCs of all ROs/LCBs as well as Advocates (ii) Session for providing legal inputs to Fire & Engineering Claim Handlers at the Zonal Meet at Hyderabad & at Bhopal, so that the claims processing can perfectly align with the Judge-made law. Cases decided by Apex Court and NCDRC were analyzed and case studies were provided (iii) Feedback session for Underwriters during their training at Coimbatore on how proper/diligent underwriting can reduce consumer disputes and provide clarity to the customer.

(c) Change Initiatives on IT front

The Department coordinated with HO IT Department to implement changes in GC, for making the registration and processing of consumer suit claims easier and more user friendly in GC.

(d) Changes in advocates’ fee structure

The Department provided crucial inputs to GIPSA for revamping the reward system for advocates handling consumer cases, so that it reflects the changes in the litigation environment consequent to the coming into force of the Consumer Protection Act 2019. The development and retention of good legal talent even at the Mofussil centers, proper handling of consumer cases at the initial stages itself and rewarding successful legal outcomes, is the basis of the new fee structure. The new fee structure was notified in May 2023.

(e) Increasing Disposal

The Department ensured all support to the Judicial Fora in their endeavor to reduce pendency and increase disposal. At NCDRC, the forum directly handled by the Department, the number of consumer cases which stood at 640 as on 01.04.2023 came down to 559 as on 31.03.2024, and with a success ratio of more than 50%. As per monthly data collected from Regional Offices, the disposal ratio of consumer suit claims has increased to 22%, with nearly 4315 cases being disposed in the FY 2023-24.

KEY PERFORMANCE INITIATIVES

PSGICs embarked on a transformative journey aiming to bring in profitable growth and employee development through Performance management & capability build, in line with the enterprise KPIs defined for PSGICs.

Hence Key Performance Initiatives were introduced in the company to make the existing processes more streamlined

निदान, डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए परियोजना पद्धति को अपनाया गया था।

मुख्य प्रक्रियाओं का क्षेत्रीयकरण, विशेषज्ञता लाने, भूमिका आधारित केपीआई के माध्यम से प्रदर्शन अभिविन्यास का निर्माण करने और व्यवसाय विकास पर ध्यान बढ़ाने के उद्देश्य से, चैनल और कार्यालय

प्रकारों में उद्यम स्तर केपीआई मापदंडों को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

प्रदर्शन सूचकांक व्यवसाय की वृद्धि और निरंतरता सुनिश्चित करने और ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने पर केंद्रित हैं जो सेवा उद्योग के लिए मुख्य आधार है।

2. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

आर्थिक स्थितियाँ, बीमा बाज़ार की तुलना में कंपनी का प्रदर्शन

भारत के प्रमुख शहरों में जनसंख्या और संपत्ति-मूल्य की सघनता अधिक है, और कई शहर कई प्राकृतिक खतरों के संपर्क में हैं। बड़े सुरक्षा अंतर को पाटने में एक चुनौती जोखिमों के प्रति सीमित जागरूकता और धारणा है। उद्योग को मौजूदा प्राकृतिक आपदा जोखिमों पर अधिक विस्तृत डेटा की आवश्यकता और अधिक मजबूत मॉडलिंग क्षमताओं की स्थापना के साथ अंडरराइटिंग में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बढ़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ता मध्यम वर्ग, नवाचार और नियामक समर्थन भारत में बीमा बाजार की वृद्धि को गति दे रहे हैं।

भारतीय सामान्य बीमा उद्योग ने 2023-24 के लिए ₹ 2.89 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक प्रीमियम दर्ज किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष ₹ 2.56 लाख करोड़ रुपये से 13 प्रतिशत अधिक है। फसल बीमा में 32 प्रतिशत की गिरावट के कारण 2023-24 में उद्योग विकास दर धीमी हो गई। इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और मोटर खंड उद्योग के प्राथमिक विकास चालक हैं। फसल और देनदारी को छोड़कर, अन्य सभी क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। स्वास्थ्य और मोटर खंड क्रमशः 38% और 32% की बाजार हिस्सेदारी के साथ राष्ट्रीय जीडीपीआई के प्राथमिक योगदानकर्ता बने हुए हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान हमारी कंपनी ने 12.52 प्रतिशत की वृद्धि दर से ₹ 19852.96 करोड़ रुपये का प्रीमियम पूरा किया। हमारी कंपनी के लिए प्रमुख विकास चालक मोटर, स्वास्थ्य और उसके बाद अब्जि, इंजीनियरिंग, फसल और विविध रहे हैं। मोटर पोर्टफोलियो, जो पहले हमारी जीडीपीआई के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता था, ने 18 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की।

भारत में सामान्य बीमा बाजार के विस्तार में स्वास्थ्य बीमा पोर्टफोलियो का प्रमुख योगदान है और यह हमारी कंपनी की जीडीपीआई में 40 प्रतिशत का योगदान देता है। महामारी के बाद, लोगों में कम बीमा होने और बढ़ती चिकित्सा मुद्रास्फीति के बारे में जागरूकता बढ़ने के कारण स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की मांग बढ़ रही है। वर्ष 2023-24 के दौरान खुदरा स्वास्थ्य और समूह स्वास्थ्य प्रीमियम में क्रमशः 19 प्रतिशत और 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य बीमा की बढ़ती मांग के साथ, हम नए उत्पादों को पेश करके और अधिक सुविधाओं के साथ अपने उत्पादों को संशोधित करके और आवश्यकता पड़ने पर इसका पुनर्मूल्यांकन करके

चुनौतियों के लिए तैयार हो रहे हैं।

मोटर-टीपी प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं होने के कारण मोटर-टीपी सेगमेंट की तुलना में मोटर-ओडी सेगमेंट में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि के साथ मोटर सेगमेंट के लिए जीडीपीआई वृद्धि मजबूत बनी हुई है। वाहन की बढ़ती बिक्री मोटर बीमा में वृद्धि का कारक बनती है।

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई “2047 तक सभी के लिए बीमा” पहल से मजबूत आर्थिक विकास के साथ-साथ बीमा क्षेत्र के विकास और विस्तार को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

डिजिटल विपणन

डिजिटल मार्केटिंग पर कंपनी का फोकस बढ़ा है और साल-दर-साल शानदार वृद्धि दिखा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने 5 नए ऑनलाइन गठजोड़ किए हैं और 48% की वृद्धि दिखाई है। कंपनी ने 24 वेब एग्जिगेटर्स, ब्रोकर्स और ग्राहक पोर्टल के माध्यम से पिछले वित्तीय वर्ष के 328.78 करोड़ रुपये के प्रीमियम की तुलना में कुल 486.55 करोड़ रुपये का प्रीमियम हासिल किया है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब कंपनी ने डिजिटल मार्केटिंग में ₹ 100 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि दर्शाई है।

डिजिटल मोड के माध्यम से 24 वेब एग्जिगेटर्स और ब्रोकर्स द्वारा योगदान किया गया प्रीमियम 62.58% की भारी वृद्धि दर के साथ ₹ 424.66 करोड़ रुपये है और उनके माध्यम से 17.85 लाख पॉलिसियाँ बेची गईं। 2023-24 के दौरान कंपनी ने एकीकरण के लिए 10 टाई-अप के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं और 5 टाई-अप अंतिम चरण में हैं और शेष पाइपलाइन में हैं। कंपनी ने स्वास्थ्य उत्पादों को भी टाई अप के साथ एकीकृत किया है और फायर उत्पाद एकीकरण किट विकसित की है जो टाई अप के साथ एकीकरण की प्रक्रिया में हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कंपनी ने ग्राहक पोर्टल के माध्यम से लगभग ₹ 61.89 करोड़ रुपये का प्रीमियम एकत्र किया है और 75295 पॉलिसियाँ जारी की हैं। कंपनी बीमालेखन प्रक्रिया में नियमित सुधार कर रही है और ग्राहक पोर्टल पर और अधिक उत्पाद जोड़ने की प्रक्रिया में भी है।

and creating verticals to infuse more efficiency. The initiatives were rolled out by partnering with E&Y.

The project methodology adopted was to diagnose, design and implement.

Regionalization of Core Processes, with a view to bring in specialization, building performance orientation through Role

based KPIs and enhanced focus on Business Development, across channels and office types were done keeping in view of the Enterprise Level KPI parameters.

The performance indices are with focus on ensuring business growth and continuity and to enhance customer satisfaction which is the main stay for a service industry.

2. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

ECONOMIC CONDITIONS, INSURANCE MARKET VIS-A-VIS COMPANY'S PERFORMANCE

India's major cities have a high population and asset-value concentrations, and many are exposed to multiple natural hazards. One challenge in bridging the large protection gap is limited awareness and perception of the risks. The industry also faces challenges in underwriting, with a need for more granular data on existing natural catastrophe exposures, and establishing more robust modelling capabilities. The expanding economy, growing middle class, innovation and regulatory support are driving the insurance market growth in India.

The Indian General Insurance Industry recorded an annual premium of ₹ 2.89 lakh crore for 2023-24, marking a 13% rise from the previous financial year ₹ 2.56 lakh crore. The Industry Growth rate in 2023-24 slowed down due to 32% decline in Crop Insurance. Engineering, Health and Motor segments are the primary growth drivers of the Industry. Except Crop & Liability, all other Segments registered positive growth. Health and Motor segments continue to remain the primary contributors of National GDPI, with a market share of 38% & 32% respectively.

During the year 2023-24, our Company completed a premium of ₹19852.96 crores at a growth rate of 12.52%. The key growth driver for our Company has been Motor, Health followed by Fire, Engineering, Crop & Miscellaneous. Motor portfolio which was earlier a major contributor for our GDPI, registered a growth rate of 18%.

Health Insurance portfolio is a major contributor to the expansion of the general insurance market in India and it contributes 40% of our company's GDPI. Post pandemic, the demand for health insurance policies has been on the rise due to increased awareness among people of being underinsured and rising medical inflation. During the year 2023-24, Retail health and Group health premiums have increased by 19% and 21% respectively. With a growing demand for Health insurance, we are gearing up for the

challenges by introducing new products and revising our products with more features and repricing it as and when required.

GDPI growth for the motor segment remains strong with relatively higher growth in the motor – OD segment as compared to the motor - TP segment likely due to no hikes in the motor –TP premium. Rising vehicle sales support the growth in motor insurance.

The "Insurance for All by 2047" initiative, launched by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, along with robust economic growth is expected to support the development and expansion of the insurance sector.

DIGITAL MARKETING

The Company's focus on digital marketing has widened and is showing formidable growth year-on-year. During the financial year 2023-24, the Company has on boarded 5 new online tie ups and has shown growth of 48%. The Company has procured a total premium of ₹ 486.55 crores compared to last financial year's ₹ 328.78 crores premium through 24 Web Aggregators, Brokers and Customer Portal. This is the second consecutive year in which the Company has shown more than ₹100 crores accretion in Digital Marketing.

The premium contributed by the 24 Web Aggregators and Brokers through digital mode is ₹ 424.66 crores with a whopping growth rate of 62.58% and sold 17.85 Lac policies through them. During 2023-24 the Company has also entered into MoUs with 10 Tie-ups for integration and 5 tie ups are in final stage and remaining are in the pipeline. The Company has also integrated Health products with tie ups and developed Fire products integration kits which are in the process of integration with tie ups.

In the financial year 2023-24 through customer portal, the Company has collected a premium of about ₹ 61.89 crores and issued 75295 policies. The Company has been making regular improvements to the underwriting process and is also in the process of adding more products to the customer portal.

**परिचालन प्रदर्शन
खंडीय प्रदर्शन**
(₹ करोड में)

विवरण		वर्ष	अब्धि	समुद्री	विविध	कुल
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	भारत में	2023-24	2082.82	427.23	17342.91	19852.96
वृद्धि का प्रतिशत	भारत में	2023-24	10.64%	-2.09%	13.16%	12.52%
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	भारत में	2022-23	1882.54	436.34	15325.42	17644.30
वृद्धि का प्रतिशत	भारत में	2022-23	2.12%	16.42%	13.49%	12.23%
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	भारत से बाहर	2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00
वृद्धि का प्रतिशत	भारत से बाहर	2023-24	0%	0%	0%	0%
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	भारत से बाहर	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00
वृद्धि का प्रतिशत	भारत से बाहर	2022-23	0%	0%	0%	0%
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	कुल	2023-24	2082.82	427.23	17342.91	19852.96
वृद्धि का प्रतिशत	कुल	2023-24	10.64%	-2.09%	13.16%	12.52%
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	कुल	2022-23	1882.54	436.34	15325.42	17644.30
वृद्धि का प्रतिशत	कुल	2022-23	2.12%	16.42%	13.49%	12.23%
स्वीकार किया गया पुर्नबीमा प्रीमियम	भारत में	2023-24	266.7	13.71	44.6	327.5
स्वीकार किया गया पुर्नबीमा प्रीमियम	भारत में	2022-23	213.21	2.32	39.43	254.96
स्वीकार किया गया पुर्नबीमा प्रीमियम	भारत से बाहर	2023-24	9.19	2.49	4.51	16.19
स्वीकार किया गया पुर्नबीमा प्रीमियम	भारत से बाहर	2022-23	9.55	2.44	3.07	15.06
स्वीकार किया गया पुर्नबीमा प्रीमियम	कुल	2023-24	275.89	16.2	49.11	343.69
स्वीकार किया गया पुर्नबीमा प्रीमियम	कुल	2022-23	222.76	4.76	42.5	270.02
सौंपा गया पुर्नबीमा प्रीमियम	भारत में	2023-24	1175.02	145.49	815.73	2136.24
सौंपा गया पुर्नबीमा प्रीमियम	भारत में	2022-23	860.31	62.46	666.16	1588.93
सौंपा गया पुर्नबीमा प्रीमियम	भारत से बाहर	2023-24	358.18	73.43	126.44	558.05
सौंपा गया पुर्नबीमा प्रीमियम	भारत से बाहर	2022-23	336.37	161.08	431.09	928.54
सौंपा गया पुर्नबीमा प्रीमियम	कुल	2023-24	1533.2	218.92	942.17	2694.29
सौंपा गया पुर्नबीमा प्रीमियम	कुल	2022-23	1196.68	223.54	1097.25	2517.47
शुद्ध प्रीमियम	भारत में	2023-24	1174.49	295.45	16571.78	18041.72
विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	भारत में	2023-24	4.93%	-21.46%	12.74%	10.62%
सकल प्रीमियम का प्रतिशत	भारत में	2023-24	56.39%	69.15%	95.55%	90.88%



OPERATING PERFORMANCE

Segmental Performance

(₹ in crores)

CLASS-WISE PERFORMANCE SUMMARY						
Particulars		Year	Fire	Marine	Misc.	Total
Gross Direct Premium	In India	2023-24	2082.82	427.23	17342.91	19852.96
Percentage Growth	In India	2023-24	10.64%	-2.09%	13.16%	12.52%
Gross Direct Premium	In India	2022-23	1882.54	436.34	15325.42	17644.30
Percentage Growth	In India	2022-23	2.12%	16.42%	13.49%	12.23%
Gross Direct Premium	Outside India	2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00
Percentage Growth	Outside India	2023-24	0%	0%	0%	0%
Gross Direct Premium	Outside India	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00
Percentage Growth	Outside India	2022-23	0%	0%	0%	0%
Gross Direct Premium	Total	2023-24	2082.82	427.23	17342.91	19852.96
Percentage Growth	Total	2023-24	10.64%	-2.09%	13.16%	12.52%
Gross Direct Premium	Total	2022-23	1882.54	436.34	15325.42	17644.30
Percentage Growth	Total	2022-23	2.12%	16.42%	13.49%	12.23%
Reinsurance Premium Accepted	In India	2023-24	266.7	13.71	44.6	327.5
Reinsurance Premium Accepted	In India	2022-23	213.21	2.32	39.43	254.96
Reinsurance Premium Accepted	Outside India	2023-24	9.19	2.49	4.51	16.19
Reinsurance Premium Accepted	Outside India	2022-23	9.55	2.44	3.07	15.06
Reinsurance Premium Accepted	Total	2023-24	275.89	16.2	49.11	343.69
Reinsurance Premium Accepted	Total	2022-23	222.76	4.76	42.5	270.02
Reinsurance Premium Ceded	In India	2023-24	1175.02	145.49	815.73	2136.24
Reinsurance Premium Ceded	In India	2022-23	860.31	62.46	666.16	1588.93
Reinsurance Premium Ceded	Outside India	2023-24	358.18	73.43	126.44	558.05
Reinsurance Premium Ceded	Outside India	2022-23	336.37	161.08	431.09	928.54
Reinsurance Premium Ceded	Total	2023-24	1533.2	218.92	942.17	2694.29
Reinsurance Premium Ceded	Total	2022-23	1196.68	223.54	1097.25	2517.47
Net Premium	In India	2023-24	1174.49	295.45	16571.78	18041.72
Percentage Increase over previous year	In India	2023-24	4.93%	-21.46%	12.74%	10.62%
Percentage to Gross Premium	In India	2023-24	56.39%	69.15%	95.55%	90.88%

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्ष	अब्धि	समुद्री	विविध	कुल
शुद्ध प्रीमियम	भारत में	2022-23	1235.44	376.20	14698.69	16310.33
विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	भारत में	2022-23	-12.05%	37.34%	18.03%	15.41%
सकल प्रीमियम का प्रतिशत	भारत में	2022-23	65.63%	86.22%	95.91%	92.44%
शुद्ध प्रीमियम	भारत से बाहर	2023-24	-348.99	-70.94	-121.92	-541.85
विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	भारत से बाहर	2023-24	6.78%	-55.28%	-71.52%	-40.68%
सकल प्रीमियम का प्रतिशत	भारत से बाहर	2023-24	0%	0%	0%	0%
शुद्ध प्रीमियम	भारत से बाहर	2022-23	-326.82	-158.64	-428.02	-913.48
विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	भारत से बाहर	2022-23	-9.10%	280.98%	45.35%	31.32%
सकल प्रीमियम का प्रतिशत	भारत से बाहर	2022-23	0%	0%	0%	0%
शुद्ध प्रीमियम	कुल	2023-24	825.5	224.51	16449.86	17499.87
विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	कुल	2023-24	9.15%	3.19%	15.27%	13.66%
सकल प्रीमियम का प्रतिशत	कुल	2023-24	39.63%	52.55%	94.85%	88.15%
शुद्ध प्रीमियम	कुल	2022-23	908.62	217.56	14270.67	15396.85
विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	कुल	2022-23	-13.06%	-6.34%	17.36%	14.59%
सकल प्रीमियम का प्रतिशत	कुल	2022-23	48.27%	49.86%	93.12%	87.26%
असमाप्त जोखिम भंडार में वृद्धि		2023-24	44.11	-21.53	-907.96	-885.38
शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत		2023-24	12.27%	-51.71%	-307.31%	-127.10%
असमाप्त जोखिम भंडार में वृद्धि		2022-23	-88.10	9.23	-173.69	-252.56
शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत		2022-23	-9.70%	4.24%	-1.22%	-1.64%
शुद्ध प्रीमियम अर्जित		2023-24	869.61	202.98	15541.9	16614.49
शुद्ध प्रीमियम अर्जित		2022-23	820.52	226.79	14096.98	15144.29
शुद्ध उपगत दावे		2023-24	678.21	97.9	15257.58	16033.69
शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत		2023-24	82.16%	43.61%	92.75%	91.62%
शुद्ध उपगत दावे		2022-23	573.59	134.17	13353.22	14060.98
शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत		2022-23	63.13%	61.67%	93.57%	91.32%
शुद्ध कमीशन		2023-24	137.38	30.46	1171.88	1339.72
शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत		2023-24	16.64%	13.57%	7.12%	7.66%
शुद्ध कमीशन		2022-23	97.15	26.70	937.35	1061.20
शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत		2022-23	10.69%	12.27%	6.57%	6.89%



(₹ in crores)

Particulars		Year	Fire	Marine	Misc.	Total
Net Premium	In India	2022-23	1235.44	376.20	14698.69	16310.33
Percentage Increase over previous year	In India	2022-23	-12.05%	37.34%	18.03%	15.41%
Percentage to Gross Premium	In India	2022-23	65.63%	86.22%	95.91%	92.44%
Net Premium	Outside India	2023-24	-348.99	-70.94	-121.92	-541.85
Percentage Increase over previous year	Outside India	2023-24	6.78%	-55.28%	-71.52%	-40.68%
Percentage to Gross Premium	Outside India	2023-24	0%	0%	0%	0%
Net Premium	Outside India	2022-23	-326.82	-158.64	-428.02	-913.48
Percentage Increase over previous year	Outside India	2022-23	-9.10%	280.98%	45.35%	31.32%
Percentage to Gross Premium	Outside India	2022-23	0%	0%	0%	0%
Net Premium	Total	2023-24	825.5	224.51	16449.86	17499.87
Percentage Increase over previous year	Total	2023-24	9.15%	3.19%	15.27%	13.66%
Percentage to Gross Premium	Total	2023-24	39.63%	52.55%	94.85%	88.15%
Net Premium	Total	2022-23	908.62	217.56	14270.67	15396.85
Percentage Increase over previous year	Total	2022-23	-13.06%	-6.34%	17.36%	14.59%
Percentage to Gross Premium	Total	2022-23	48.27%	49.86%	93.12%	87.26%
Increase in Unexpired Risk Reserves		2023-24	44.11	-21.53	-907.96	-885.38
Percentage to Net Premium		2023-24	12.27%	-51.71%	-307.31%	-127.10%
Increase in Unexpired Risk Reserves		2022-23	-88.10	9.23	-173.69	-252.56
Percentage to Net Premium		2022-23	-9.70%	4.24%	-1.22%	-1.64%
Net Premium Earned		2023-24	869.61	202.98	15541.9	16614.49
Net Premium Earned		2022-23	820.52	226.79	14096.98	15144.29
Net Incurred Claims		2023-24	678.21	97.9	15257.58	16033.69
Percentage to Net Premium		2023-24	82.16%	43.61%	92.75%	91.62%
Net Incurred Claims		2022-23	573.59	134.17	13353.22	14060.98
Percentage to Net Premium		2022-23	63.13%	61.67%	93.57%	91.32%
Net Commission		2023-24	137.38	30.46	1171.88	1339.72
Percentage to Net Premium		2023-24	16.64%	13.57%	7.12%	7.66%
Net Commission		2022-23	97.15	26.70	937.35	1061.20
Percentage to Net Premium		2022-23	10.69%	12.27%	6.57%	6.89%

(₹ करोड में)						
विवरण	वर्ष	अब्धि	समुद्री	विविध	कुल	
विदेशी कर और विनिमय लाभ/हानि सहित बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	2023-24	438.68	64.12	3258.12	3760.92	
शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत	2023-24	53.14%	28.56%	19.18%	21.49%	
विदेशी कर और विनिमय लाभ/हानि सहित बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	2022-23	734.59	117.58	5455.5	6307.67	
शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत	2022-23	80.85%	54.04%	38.23%	40.97%	
बीमालेखन परिणाम	2023-24	-384.66	10.5	-4145.68	-4519.84	
शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत	2023-24	-46.60%	4.68%	-25.2%	-25.83%	
बीमालेखन परिणाम	2022-23	-584.81	-51.66	-5649.09	-6285.56	
शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत	2022-23	-64.36%	-23.75%	-39.59%	-40.82%	
निवेश आय का बंटवारा, जिसमें निवेश की प्राप्ति पर लाभ (प्रावधान का शुद्ध) शामिल है (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ)	2023-24	347.06	49.09	3210.25	3606.4	
शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत	2023-24	42.04%	21.87%	19.52%	20.61%	
निवेश आय का विभाजन, निवेश की प्राप्ति पर लाभ सहित (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान का शुद्ध)	2022-23	233.98	53.91	3235.87	523.76	
शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत	2022-23	25.75%	24.78%	22.67%	22.89%	
अन्य आय/ व्यय	2023-24	6.18	1.42	93.55	101.15	
शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत	2023-24	0.75%	0.63%	0.57%	0.58%	
अन्य आय/ व्यय	2022-23	337.64	47.52	1961.54	2346.70	
शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत	2022-23	37.16%	21.84%	13.75%	15.24%	
पॉलिसी धारकों के खाते में परिचालन परिणाम	2023-24	-31.42	61.00	-841.88	-812.30	
शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत	2023-24	-3.81%	27.17%	-5.12%	-4.64%	
पॉलिसी धारकों के खाते में परिचालन परिणाम	2022-23	-13.20	49.78	-451.67	-415.09	
शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत	2022-23	-1.45%	22.88%	-3.17%	-2.70%	

सार
(₹ करोड में)

विवरण	2023-24	2022-23
पॉलिसी धारकों के खाते में परिचालन परिणाम	-812.30	-415.09
निवेश आय का विभाजन, जिसमें निवेश की प्राप्ति पर लाभ (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान का शुद्ध) शामिल है - अंशधारक खाता	6.1	0
अन्य आय/ व्यय	2.49	-2414.24
कर पूर्व लाभ	-803.71	-2829.33
कर के लिए प्रावधान	0.00	0.00
जोड: कर समायोजन	0.00	0.00
कर पश्चात शुद्ध लाभ	-803.71	-2829.33





(₹ in crores)

Particulars	Year	Fire	Marine	Misc.	Total
Operating Expenses Related to Insurance business including Foreign Taxes & Exchange Gain / Loss	2023-24	438.68	64.12	3258.12	3760.92
Percentage to Net Premium	2023-24	53.14%	28.56%	19.18%	21.49%
Operating Expenses Related to Insurance business including Foreign Taxes & Exchange Gain / Loss	2022-23	734.59	117.58	5455.5	6307.67
Percentage to Net Premium	2022-23	80.85%	54.04%	38.23%	40.97%
Underwriting Results	2023-24	-384.66	10.5	-4145.68	-4519.84
Percentage to Net Premium	2023-24	-46.60%	4.68%	-25.2%	-25.83%
Underwriting Results	2022-23	-584.81	-51.66	-5649.09	-6285.56
Percentage to Net Premium	2022-23	-64.36%	-23.75%	-39.59%	-40.82%
Investment Income Apportioned, including Profit on realization of Investments (Net of Provision for Non-Performing Assets)	2023-24	347.06	49.09	3210.25	3606.4
Percentage to Net Premium	2023-24	42.04%	21.87%	19.52%	20.61%
Investment Income Apportioned, including Profit on realization of Investments (Net of Provision for Non-Performing Assets)	2022-23	233.98	53.91	3235.87	523.76
Percentage to Net Premium	2022-23	25.75%	24.78%	22.67%	22.89%
Other Income / Outgo	2023-24	6.18	1.42	93.55	101.15
Percentage to Net Premium	2023-24	0.75%	0.63%	0.57%	0.58%
Other Income / Outgo	2022-23	337.64	47.52	1961.54	2346.70
Percentage to Net Premium	2022-23	37.16%	21.84%	13.75%	15.24%
Operating Results in Policy Holders' Account	2023-24	-31.42	61.00	-841.88	-812.30
Percentage to Net Premium	2023-24	-3.81%	27.17%	-5.12%	-4.64%
Operating Results in Policy Holders' Account	2022-23	-13.20	49.78	-451.67	-415.09
Percentage to Net Premium	2022-23	-1.45%	22.88%	-3.17%	-2.70%

Summary

(₹ In Crores)

Details	2023-24	2022-23
Operating Results in Policy Holders' Account	-812.30	-415.09
Investment Income Apportioned, including Profit on realization of Investments (Net of Provision for Non-Performing Assets) – Shareholders'	6.1	0
Other Income & Outgo	2.49	-2414.24
Profit Before Tax	-803.71	-2829.33
Provision for Tax	0.00	0.00
Add: Tax Adjustments	0.00	0.00
Net Profit after Tax	-803.71	-2829.33





(रु करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
घटाया: डिबेंचर रिडिम्पशन रिजर्व में हस्तांतरित राशि	0.00	0.00
घटाया: आकस्मिकता रिजर्व में हस्तांतरित राशि	0.00	0.00
घटाया: सामान्य रिजर्व में/से हस्तांतरित राशि	-803.71	-112.50
लाभांश हेतु शेष राशि प्रस्तावित	0.00	0.00
कॉर्पोरेट लाभांश कर	0.00	0.00

पूंजी & निधियाँ

(रु करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को	31-03-2023 को
प्रदत्त पूंजी	3905.00	3905.00
पूंजी रिजर्व	1.36	1.36
सामान्य रिजर्व	0	0
आकस्मिक रिजर्व	0	0
निवेश रिजर्व	0.86	0.86
विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व	20.46	19.90
ऋण मोचन रिजर्व	0	0
कुल	3927.68	3927.12






(₹ in crores)




Details	2023-24	2022-23
Less: Amount Transferred to Debenture Redemption Reserve	0.00	0.00
Less: Amount Transferred to Contingency Reserve	0.00	0.00
Less: Amount transferred to/from General Reserve	-803.71	-112.50
Balance proposed for Dividend	0.00	0.00
Corporate Dividend Tax	0.00	0.00

Capital & Funds

(₹ in crores)

Details	As on 31-03-2024	As on 31-03-2023
Paid-up Capital	3905.00	3905.00
Capital Reserve	1.36	1.36
General Reserve	0	0
Contingency Reserve	0	0
Investment Reserve	0.86	0.86
Foreign Currency Translation Reserve	20.46	19.90
Debenture Redemption Reserve	0	0
Total	3927.68	3927.12





प्रदर्शन मूल्यांकन
(₹ करोड में)

विवरण	2023-24	2022-23
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	19852.96	17644.31
पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत	12.51%	12.23%
शुद्ध प्रीमियम	17499.87	15396.84
पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत	13.65%	14.59%
प्रतिधारण अनुपात	86.66%	85.95%
असमाप्त रिजर्व में परिवर्तन	-885.37	-252.55
शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत	-5.05%	-1.64%
शुद्ध त्रुटिपूर्ण दावे	16033.69	14060.98
शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत	91.62%	91.32%
कमीशन (शुद्ध)	1339.71	1061.19
शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत	7.65%	6.89%
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय (विनिमय हानि/लाभ सहित)	3760.93	6307.68
शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत	21.49%	40.97%
निवेश आय (प्रावधानों का शुद्ध)	3612.5	3523.76
अन्य आय	103.63	-67.52
कुल आय	3716.13	3456.24
पॉलिसी धारकों को आवंटित	3707.54	5870.47
अंशधारकों को आवंटित	8.59	-2414.23

- शुद्ध आधार पर निवेश आय में 2022-23 में 678.17 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में 2023-24 में ₹88.74 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। निवेश पर औसत उपज (बिक्री और अन्य आय पर लाभ सहित) 2022-23 में 10.26% की तुलना में 10.83% है। कंपनी ने त्रग्न और डिबेंचर के वर्गीकरण और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रावधान से संबंधित आईआरडीआई मानदंडों/संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन किया। कुल निवेश का शुद्ध एनपीए प्रतिशत 31-03-2024 को 0.0% था, जबकि 31-03-2023 को 0.0% था।
- 31 मार्च 2024 तक कुल निवेश का बही मूल्य पिछले वर्ष के ₹32,759.96 करोड़ से बढ़कर ₹32,619.58 करोड़ हो गया और वर्ष के दौरान शुद्ध अभिवृद्धि ₹(140.38) करोड़ हो गई, जबकि 2022-23 में ₹(1985.20) करोड़ थी।

(₹.करोड में)

	2023-24	2022-23
कुल संपत्तियाँ	47311.57	44253.50
निवेश संपत्तियाँ (बही मूल्य पर)	32619.58	32759.96

- 31 मार्च 2024 को हमारे इक्विटी पोर्टफोलियो का बाजार मूल्य ₹6,184.44 करोड़ के बही मूल्य की तुलना में ₹12,374.72 करोड़ था। पिछले वर्ष का संगत मूल्य क्रमशः ₹10,564.43 करोड़ और ₹6963.66 करोड़ था



Performance Review

(₹ in crores)

Particulars	2023-24	2022-23
Gross Direct Premium	19852.96	17644.31
Percentage change over Previous Year	12.51%	12.23%
Net Premium	17499.87	15396.84
Percentage change over Previous Year	13.65%	14.59%
Retention Ratio	86.66%	85.95%
Change in Unexpired Reserve	-885.37	-252.55
Percentage to Net Premium	-5.05%	-1.64%
Incurred Claims Net	16033.69	14060.98
Percentage to Net Premium	91.62%	91.32%
Commission (Net)	1339.71	1061.19
Percentage to Net Premium	7.65%	6.89%
Operating Expenses relating to Insurance Business (Including Exchange Loss/Gain)	3760.93	6307.68
Percentage to Net Premium	21.49%	40.97%
Investment Income (Net of Provisions)	3612.5	3523.76
Other Income	103.63	-67.52
Total Income	3716.13	3456.24
Apportioned to Policy Holders	3707.54	5870.47
Apportioned to Share Holders	8.59	-2414.23

- Investment Income on net basis increased by ₹ 88.74 crores in 2023-24 as compared to increase by ₹ 678.17 crores in 2022-23. The Mean yield on Investments (including Profit on Sale and Other Income) is 10.83% as compared to 10.26% in 2022-23. The Company followed the IRDAI norms/related RBI guidelines relating to classification of loans and debentures and provision for Non-Performing Assets. The net NPA percentage to Total Investments stood at 0.0% as on 31-03-2024 as against 0.0% as on 31-03-2023.
- Book value of total investments as at 31st March 2024 aggregated to ₹ 32,619.58 crores from ₹ 32,759.96 crores in the Previous Year and the net accretion during the year amounted to ₹ (140.38) Crores as against ₹ (1985.20) crores in 2022-23.

(₹ in Crores)

Particulars	2023-24	2022-23
Total Assets	47311.57	44253.50
Investments Assets (at Book Value)	32619.58	32759.96

- The Market Value of our Equity Portfolio as at 31st March 2024 stood at ₹ 12,374.72 crores as compared to Book Value of ₹ 6,184.44 crores. The corresponding value for the previous year was ₹ 10,564.43 crores and ₹ 6963.66 crores respectively.

आइआरडीएआइ विनियमन का अनुपालन

31 मार्च 2024 तक, कंपनी ने बुनियादी ढांचे में निवेश सहित निवेश में आइआरडीएआइ विनियमों का अनुपालन किया है:

श्रेणी	31-03-2023 को निवेश (रु. करोड़ में)	कुल निवेश का %	निर्धारित सीमा
केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	16,772.56	51.42%	से कम नहीं 30%
राज्य सरकार को आवास/बुनियादी ढांचा और ऋण आवास एवं अन्विशमन	5,844.06	17.92%	से कम नहीं 15%

राष्ट्रीय राजकोष में योगदान

राशि करोड़ रु. में

विवरण	2023-24	2022-23
जीएसटी	2167.23	1751.92
आय कर	580.00	0.00

प्रमुख लेखांकन अनुपात

विवरण	2023-24	2022-23
तकनीकी रिजर्व अनुपात	1.94	2.08
शुद्ध प्रतिधारण अनुपात	86.66%	85.95%
परिचालन लाभ अनुपात	-4.89%	-2.74%
शुद्ध आय अनुपात	-4.59%	-18.38%
निवल मूल्य पर प्रतिफल	0.00%	0.00%

निगमिय सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध 3 के रूप में संलग्न है।

ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र एवं सूक्ष्म बीमा

बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए विभिन्न उत्पादों के साथ कंपनी का ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान है। कंपनी, भारत भर में अपने कार्यालयों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण बीमा में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्शाती है।

मुख्य पोर्टफोलियो में पशुधन बीमा, भेड़ और बकरी बीमा, जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड धारकों का बीमा, ग्रामीण दुर्घटना पैकेज पॉलिसी और कृषि पंप सेट बीमा शामिल हैं।

आइआरडीएआइ द्वारा निर्धारित जीडीपीआई के 7% के ग्रामीण क्षेत्र के योगदान के मुकाबले, कंपनी का ग्रामीण क्षेत्र का योगदान 12.34% है और पिछले वर्ष अवलेखित कुल जीवन के आवश्यक 5% के मुकाबले, कंपनी ने सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत पिछले वर्ष अवलेखित कुल जीवन का 53.69% अवलेखित किया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान हमारी कंपनी का ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र का व्यवसाय इस प्रकार है:

विवरण	वि व 2023-24	वि व 2022-23	वि व 2021-22
अवलेखित कुल सकल प्रीमियम (करोड़ में)	19852.95	17644.31	15722.25
ग्रामीण क्षेत्र प्रीमियम (करोड़ में)	2450.47	1570.78	1191.03
सामाजिक क्षेत्र में कवर किए गए कुल प्राणी (करोड़ में)	15.54	18.69	15.70

वर्ष 2023-24 में, कंपनी ने ओडिशा में मवेशी बीमा योजना और केरल में विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम के लिए कवर प्रदान किया है। कंपनी के पास समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 20 सूक्ष्म बीमा उत्पाद हैं।

Compliance with IRDAI Regulation

As on 31st March 2024, the Company has complied with IRDAI Regulations in Investments including investments in infrastructure as under:

Category	Investment as on 31-03-2024 (₹ in Crores)	% to total Investments	Prescribed Limit
Central Government, State Government and Other Approved Securities	16,772.56	51.42%	Not less than 30%
Housing / Infrastructure and Loans to State Govt. Housing and Fire Fighting	5,844.06	17.92%	Not less than 15%

Contribution to National Exchequer

(₹ in Crores)

Particulars	2023-24	2022-23
GST	2167.23	1751.92
Income Tax	580.00	0.00

Key Accounting Ratios

Particulars	2023-24	2022-23
Technical Reserve Ratio	1.94	2.08
Net Retention Ratio	86.66%	85.95%
Operating Profit Ratio	-4.89%	-2.74%
Net Earnings Ratio	-4.59%	-18.38%
Return on Net worth	0.00%	0.00%

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Annual Report on CSR as required under the Companies Act, 2013 is enclosed as Annexure 3.

RURAL AND SOCIAL SECTOR AND MICRO INSURANCE

The Company has a strong focus on the rural and social sectors with a variety of products designed to cater to the needs of the market. The Company, through its wide network of offices across India has a significant presence in the Rural Insurance. The main portfolios include Livestock Insurance, Sheep and goat Insurance, Janata Personal Accident Insurance, Kisan Credit Card Holders' Insurance, Rural Accident Package Policy and Agricultural Pump set Insurance.

As against the rural sector contribution of 7% of GDP mandated by IRDAI, the Company's rural sector contribution is 12.34% and against the required 5% of the total lives written in previous year, the Company has written 53.69% of total lives written in previous year under the social sector.

The rural and social sector business of our Company during the last three years is as follows:

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23	FY 2021-22
Total Gross Premium underwritten (₹ in Crores)	19852.95	17644.31	15722.25
Rural Sector Premium (₹ in Crores)	2450.47	1570.78	1191.03
No of Lives covered under Social sector (in Crores)	15.54	18.69	15.70

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) योजना के तहत हमने 89 बैंकों से 5,02,90,588 लोगों को कवर किया है। इस योजना के तहत अर्जित प्रीमियम 95.62 करोड़ रुपये है।
- पीएमएसबीवाई योजना पहल के स्वचालन के तहत, नामांकन के पूर्ण स्वचालन और दावों के निपटान की दिशा में पहले चरण में पीएमएसबीवाई योजना की तीन पीएसयू बैंकों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लगभग 13.05 करोड़ नामांकन डेटा को जन सुरक्षा पोर्टल पर भेज दिया गया है।

सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत, 3,60,000 से अधिक सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) स्थापित किए गए हैं।

सीएससी देश के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में नागरिकों के लिए बी2सी सेवाओं के अलावा आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय, शिक्षा और कृषि सेवाओं की डिलीवरी के लिए पटुंच बिंदु हैं। यह एक अखिल भारतीय नेटवर्क है जो देश की क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को पूरा करता है, इस प्रकार सामाजिक, वित्तीय और डिजिटल रूप से समावेशी समाज के लिए सरकार के जनादेश को सक्षम बनाता है।

आज, ये सीएससी नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण आबादी धीरे-धीरे सेवाओं का लाभ उठाकर इस क्रांति में शामिल हो रही है। हमने अपने युइइकं की सीएससी पोर्टल के माध्यम से

निम्नलिखित पॉलिसियाँ उपलब्ध करा रहे हैं।

1. व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी
2. कृषि पंपसेट पॉलिसी
3. अग्नि बीमा पॉलिसी
4. मोटर देयता पॉलिसी और पैकेज पॉलिसी

और अधिक पॉलिसियों को जोड़ने और सीएससी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

31 मार्च 2024 तक 70,603 वीएलई युइइकं की सीएससी पोर्टल पर मैप किए गए हैं।

पीओएसपी चैनल

प्वाइंट ऑफ सेल्स पर्सन (पीओएसपी) नामक एक और उभरता हुआ चैनल ग्रामीण और अर्ध-शहरी ग्राहकों की बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इस चैनल के माध्यम से 31.03.2024 तक हमने पिछले वर्ष के प्रदर्शन की तुलना में ₹ 76.93 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ ₹ 120.95 करोड़ रुपये का प्रीमियम प्राप्त किया और 174.75% की उत्कृष्ट वृद्धि दर दर्ज की। इस चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए, हमने अधिकांश पीओएसपी को पोर्टल सुविधा प्रदान की है जिसमें ₹ 50 लाख रुपये तक की पॉलिसी राशि जारी करने की अनुमति है।

फसल बीमा

कंपनी ने 2022-23 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को सफलतापूर्वक हासिल किया और महाराष्ट्र राज्य के क्लस्टर 5 में 80:110 सरप्लस शेयरिंग मॉडल (एसएसएम) के तहत योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया, जिसमें चार जिले शामिल हैं: नांदेड़, ठाणे, सिंधुदुर्ग, और रत्नागिरी। इस अवधि के लिए व्यावसायिक प्रदर्शन का विवरण नीचे दिया गया है:

युइइकं - फसल बीमा- 2022-23

मौसम	किसान आवेदनों की संख्या	बीमित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	बीमा राशि (करोड़ रुपये में)	कुल प्रीमियम (करोड़ रुपये में)
खरीफ	1124683	646747.78	3361.85	633.72
रबी	153115	109647.45	410.46	60.82
कुल	1277798	756395.23	3772.31	694.54

नांदेड़ जिले ने कुल प्रीमियम में लगभग 96% का योगदान दिया, जिसमें लगभग 1.22 मिलियन आवेदन नामांकित थे। प्रतिकूल मौसम की स्थिति के परिणामस्वरूप कई व्यक्तिगत स्थानीयकृत दावों के बावजूद, कंपनी ने सभी स्थानीयकृत और खरीफ उपज दावों को वितरित करके कृषक समुदाय की कुशलतापूर्वक सेवा की, जिससे खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए 80% से कम का समग्र अपेक्षित हानि अनुपात बनाए रखा गया।

वर्ष 2023-24 के लिए, कंपनी ने महाराष्ट्र राज्य द्वारा जारी पीएमएफबीवाई निविदा के तहत एक बार फिर क्लस्टर 5 को सफलतापूर्वक हासिल किया गया, जिससे 80:110 एसएसएम मॉडल के तहत तीन साल का कार्यान्वयन सुनिश्चित हुआ। इस अवधि के लिए अनंतिम व्यावसायिक विवरण नीचे दिए गए हैं:



In the year 2023-24, the Company has provided cover for the Cattle Insurance scheme in Odisha and Special Livestock Breeding Programme in Kerala. The Company has 20 micro insurance products to cater to the needs of financially weaker sections of society.

PRADHAN MANTRI SURAKSHA BIMA YOJANA (PMSBY)

- Under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) Scheme we have covered 5,02,90,588 lives from 89 Banks. The procured premium under this Scheme is ₹ 95.62 crores.
- Under automation of PMSBY scheme initiative, around 13.05 crore enrollment data of three PSU banks namely, Union Bank of India, Indian Bank & Bank of Maharashtra have been pushed to Jan Suraksha Portal in the first stage towards complete automation of enrollment and settlement of claims of PMSBY scheme.

COMMON SERVICE CENTRES (CSC)

Under the National E-governance Plan (NeGP) formulated by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Government of India, more than 3,60,000 Common service Centers (CSCs) have been established.

CSC are the access points for delivery of essential public utility services, social welfare schemes, health care, financial, education and agriculture services, apart from host of B2C services to citizens in rural and remote areas of the country. It is a pan-India network catering to regional, geographic, linguistic and cultural diversity of the country, thus enabling the Government’s mandate for a socially, financially and digitally inclusive society.

Today, these CSCs are delivering wide range of services to the citizens, while the rural population is slowly joining this revolution by taking advantage of the services. We have made available the following policies through our UIIC CSC Portal.

1. Personal Accident Policy
2. Agricultural Pump set policy
3. Fire Insurance Policy,
4. Motor liability policy and Package policy.

Efforts are being taken to add more policies and make available on the CSC Platform.

As on 31st March 2024 there are 70,603 VLEs are mapped to the UIIC CSC portal.

POSP CHANNEL

Another emerging channel called Point of Sales Person (POSP) is created to cater to the insurance requirements of rural and semi-urban customers. As on 31.03.2024 through this channel we procured premium of ₹ 120.95 crores with an accretion of ₹ 76.93 crores over previous year performance and registered an excellent growth rate of 174.75%. In order to encourage this channel, we had provided portal facility to most of the POSPs wherein policy sum insured upto ₹ 50 lakhs are permitted to be issued.

CROP INSURANCE

The company successfully secured the Government-sponsored Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) during the 2022-23 period and effectively implemented the Scheme under the 80:110 Surplus Sharing Model (SSM) in Cluster 5 of Maharashtra State, encompassing four districts: Nanded, Thane, Sindhudurg, and Ratnagiri. The business performance for this period is detailed below:

UIIC - CROP INSURANCE - 2022-23

Season	No of Farmer Applications	Area Insured (in Hectares)	Sum Insured (₹ In Crores)	Total Premium (₹ In Crores)
KHARIF	1124683	646747.78	3361.85	633.72
RABI	153115	109647.45	410.46	60.82
TOTAL	1277798	756395.23	3772.31	694.54

Nanded District contributed approximately 96% of the total premium, with around 1.22 million applications enrolled. Despite adverse weather conditions resulting in numerous individual localized claims, the Company efficiently served the farming community by disbursing all localized and Kharif yield claims, maintaining an overall expected loss ratio of below 80% for both Kharif and Rabi seasons.

For the year 2023-24, the Company successfully secured Cluster 5 once again under the PMFBY tender floated by Maharashtra State, ensuring a three-year implementation under the 80:110 SSM model. The provisional business details for this period are outlined below:

युइंडेक - फसल बीमा- 2023-24

मौसम	किसान आवेदनों की संख्या	बीमित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	बीमा राशि (करोड़ रुपये में)	कुल प्रीमियम (करोड़ रुपये में)
खरीफ	1341052	782148.62	4143.70	654.30
रबी	504355	369416.79	1392.36	183.43
कुल	1845407	1151565.41	5536.06	837.73

अल-नीनो-प्रेरित गंभीर मौसम की स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, जिसके कारण मध्य-मौसम प्रतिकूलता (एमएसए) शुरू हुई और बड़ी संख्या में व्यक्तिगत दावा मूल्यांकन हुए, कंपनी ने उचित दावा प्रबंधन के माध्यम से स्थिति को कुशलता से प्रबंधित किया। एमएसए अधिसूचना के अनुसार सभी किसानों को एमएसए संवितरण प्राप्त हुआ, जबकि खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए कुल अपेक्षित हानि अनुपात 80% से नीचे रहने का अनुमान है।

3. निगमिय अभिशासन पर रिपोर्ट

कंपनी ने नैतिक रूप से संचालित व्यावसायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने हितधारकों के लिए दीर्घकालिक संधारणीय मूल्य बनाने और बढ़ाने का अभ्यास जारी रखा है। इसने सभी हितधारकों के विश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निगमिय प्रशासन के सिद्धांतों का पालन सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं के अनुप्रयोग, कानून का अक्षरशः अनुपालन और प्रभावी प्रबंधन और धन के वितरण के लिए नैतिक मानकों का पालन और सभी हितधारकों के सतत विकास के लिए सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करके किया गया है।

कंपनी का उद्देश्य ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, नैतिक व्यावसायिक आचरण को बढ़ावा देना और व्यवसाय करते समय सभी हितधारकों के हितों पर विचार करना है। कंपनी का मानना है कि कॉर्पोरेट प्रशासन केवल विनियमन और प्रक्रियाओं को लागू करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने में एक मार्गदर्शक शक्ति है कि सभी हितधारकों के हित चाहे वे ग्राहक हों, मध्यस्थ हों, व्यावसायिक भागीदार हों, कर्मचारी हों या शेयरधारक हों, उनका उचित संरक्षण किया जाए। वर्ष के दौरान, बोर्ड ने कॉर्पोरेट रणनीतियों और विवेकपूर्ण व्यावसायिक योजनाओं को अपनाने और उनकी निगरानी के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास जारी रखा।

जहां तक बीमा क्षेत्र का संबंध है, इसमें पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा, शोधन क्षमता को बनाए रखना, सुदृढ़ दीर्घकालिक निवेश नीति और विवेकपूर्ण आधार पर जोखिम उठाने तथा संगठन की संरचना में समग्र जोखिम प्रबंधन के मूल्यांकन जैसे पहलुओं पर जोर दिया गया है।

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आइआरडीएआइ) द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विवरण देने वाली रिपोर्ट।

निदेशक मंडल

कंपनी का संचालन अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सहित 6 निदेशक, 5 गैर-कार्यकारी निदेशक जिनमें 2 सरकार द्वारा नामित निदेशक और 3 गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

31 मार्च 2024 तक निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

- (i) श्री सत्यजीत त्रिपाठी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (29 फरवरी 2024 तक)
- (ii) श्री गोपालकृष्ण सुंदररमन, कार्यकारी निदेशक, (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक - 01 मार्च 2024 से अतिरिक्त प्रभार)
- (iii) श्री एम वी राव, गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
- (iv) सुश्री एम जी जयश्री, सरकार द्वारा नामित निदेशक
- (v) श्री परशांत कुमार गोयल, सरकार द्वारा नामित निदेशक
- (vi) डॉ. नितिन कुमार बख्शी, गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
- (vii) श्री अंबिकेश केशरी, गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक

UIIC - CROP INSURANCE - 2023-24

Season	No of Farmer Applications	Area Insured (in Hectares)	Sum Insured (₹ In Crores)	Total Premium (₹ In Crores)
KHARIF	1341052	782148.62	4143.70	654.30
RABI	504355	369416.79	1392.36	183.43
TOTAL	1845407	1151565.41	5536.06	837.73

Despite challenges posed by el-nino-induced severe weather conditions, leading to the invocation of the Mid-Season Adversity (MSA) and a substantial number of individual claim assessments, the Company adeptly managed the situation through proper claims management. All farmers received MSA disbursements as per MSA notification, while the overall expected loss ratio for both Kharif and Rabi seasons is anticipated to remain below 80%.

3. REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company has continued, through ethically driven business processes, the practice of creating and enhancing long-term sustainable value for its stakeholders. This has played a key role in enhancing the confidence of all stakeholders. The principles of Corporate Governance have been followed by application of best Management Practices, Compliance of Laws in letter and spirit and adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders.

The Company aims to promote integrity, fairness, transparency, accountability, commitment to values, ethical business conduct and considering all stakeholders' interests while conducting business. The Company believes that Corporate Governance is not merely about enacting regulations and procedures but a guiding force in ensuring that the interest of all stakeholders be it customers, intermediaries, business partners, employees or shareholders is duly protected. During the year, the Board continued its pursuit of achieving its objectives through the adoption and monitoring of corporate strategies and prudent business plans.

As regards the Insurance sector, the emphasis is on aspects like protection of the interests of the policyholders, maintenance of solvency, sound long term investment policy and assumption of underwriting risks on a prudential basis and evaluation of overall risk management across the structure of the organization.

In accordance with the provisions of the Corporate Governance Guidelines issued by the Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI), the report containing details of the Corporate Governance systems and processes of the Company for the financial year ended 31st March 2024.

BOARD OF DIRECTORS

The Company is governed by the Board of Directors under the Chairmanship of Chairman cum Managing Director. The Board of the Company has 6 Directors including the Chairman cum Managing Director, 5 Non-Executive Directors comprising of 2 Government Nominee Directors, and 3 Non-Executive Independent Directors.

The composition of the Board of Directors as on 31st March 2024 is given as under:

- (i) Shri Satyajit Tripathy, Chairman cum Managing Director (upto 29th February 2024)
- (ii) Shri Gopalakrishnan Sundararaman, Executive Director, (Chairman cum Managing Director - Additional Charge w.e.f. 01st March 2024)
- (iii) Shri M V Rao, Non-Executive Independent Director
- (iv) Ms. M G Jayasree, Government Nominee Director
- (v) Shri Parshant Kumar Goyal, Government Nominee Director
- (vi) Dr. Nitin Kumar Bakhshi, Non-Executive Independent Director
- (vii) Shri Ambikesh Keshri, Non-Executive Independent Director

अंतिम निदेशक रिपोर्ट की तिथि अर्थात 30 मई 2023 से बोर्ड की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति/समापन की तिथि
1	श्री भूपेश सुशील राहुल	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	29 अप्रैल 2024 को अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
2	श्री सत्यजीत त्रिपाठी	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	29 फरवरी 2024 को कार्यालय समय की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के कारण अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नहीं रहे।
3	श्री गोपालकृष्णन सुन्दररामन	कार्यकारी निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> 15 मार्च 2024 से महाप्रबंधक और निदेशक से कार्यकारी निदेशक के पद पर उन्नयन 16 मार्च 2024 से मुख्य वित्तीय अधिकारी नहीं रहेंगे। उन्होंने 01 मार्च 2024 से अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त शक्तियां 29 अप्रैल 2024 को समाप्त हो गईं। 30 अप्रैल 2024 को कार्यालय समय की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के कारण कार्यकारी निदेशक नहीं रहे।
4	श्री परशांत कुमार गोयल	गैर-कार्यकारी सरकार द्वारा नामित निदेशक	09 अप्रैल 2024 से वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण सरकार द्वारा नामित गैर-कार्यकारी निदेशक नहीं रहे।
5	सुश्री नेहा चौहान	गैर-कार्यकारी सरकार द्वारा नामित निदेशक	24 अप्रैल 2024 से सरकार द्वारा गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
6	सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि	महाप्रबंधक एवं निदेशक	नैशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी पदोन्नति और नियुक्ति के बाद 01 सितंबर 2023 से वे महाप्रबंधक और निदेशक के पद पर नहीं रहीं।

निदेशक मंडल का वर्तमान विवरण

नाम	पद का नाम	योग्यता	विशेषज्ञता/मौजूदा कौशल/दक्षता /क्षमता का क्षेत्र
श्री भूपेश सुशील राहुल	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	बी.कॉम, एमबीए	बीमा
श्री एम.वी. राव	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	एम.एससी. (कृषि), सीएआईआईबी	बैंकिंग और वित्त



The Board underwent the following changes in its composition since the date of last Directors' Report i.e. 30th May 2023.

Sl. No.	Name of the Director	Designation	Date of appointment /cessation
1	Shri Bhupesh Shushil Rahul	Chairman cum Managing Director	Appointed as Chairman cum Managing Director on 29th April 2024
2	Shri Satyajit Tripathy	Chairman cum Managing Director	Ceased to be Chairman cum Managing Director due to superannuation at close of office hours on 29th February 2024
3	Shri Gopalakrishnan Sundararaman	Executive Director	<ul style="list-style-type: none"> • Upgradation of post from General Manager & Director to Executive Director w.e.f. 15th March 2024 • Ceased to be Chief Financial Officer w.e.f. 16th March 2024 • He assumed additional charge as Chairman cum Managing Director w.e.f. 01st March 2024 • Additional powers as Chairman cum Managing Director ceased on 29th April 2024 • Ceased to be Executive Director due to superannuation at close of office hours on 30th April 2024
4	Shri Parshant Kumar Goyal	Non-Executive Government Nominee Director	Ceased to be Non-Executive Government Nominee Director on account of withdrawal of nomination by Department of Financial Services w.e.f. 09th April 2024
5	Ms. Neha Chauhan	Non-Executive Government Nominee Director	Appointed as Non-Executive Government Nominee Director w.e.f. 24th April 2024
6	Ms. Rajeshwari Singh Muni	General Manager & Director	Ceased to be General Manager & Director w.e.f. 01st September 2023 on her elevation and posting as Chairman cum Managing Director of National Insurance Company Limited

PRESENT DETAILS OF BOARD OF DIRECTORS

Name	Designation	Qualifications	Field of Specialization/ Existing skills/expertise/ competence
Shri Bhupesh Sushil Rahul	Chairman cum Managing Director	B.Com, MBA	Insurance
Shri M V Rao	Non-Executive Independent Director	M.Sc. (Agriculture), CAIIB	Banking & Finance

सुश्री एमजी जयश्री	सरकार द्वारा नामित निदेशक	आईएसएस, एम.एससी. (सांख्यिकी), एम.एससी. (सार्वजनिक प्रबंधन और शासन)	आईएसएस (सांख्यिकी)
सुश्री नेहा चौहान	सरकार द्वारा नामित निदेशक	एम.फिल. (अर्थशास्त्र)	अर्थशास्त्र
डॉ. नितिन कुमार बरखशी	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	एम.कॉम, पीएच.डी.	शिक्षाविद्
श्री अम्बिकेश केशरी	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	एमए(राजनीति विज्ञान), एलएलबी	कृषि एवं कानून

1. वित्तीय सेवा विभाग द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण 07 अगस्त 2024 से सुश्री एम जी जयश्री निदेशक नहीं रही।
2. 10 अगस्त 2024 से श्री विवेक गुप्ता को सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर कार्यकारी) के रूप में नियुक्त किया गया।
3. 10 जुलाई 2024 से सुश्री सुनीता गुप्ता को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
4. 06 अगस्त 2024 से श्री पी सी गोठवाल को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

बोर्ड की नियमित अंतराल पर बैठकें होती हैं, ताकि बोर्ड के अन्य कार्यों के अलावा व्यावसायिक नीति और कार्यनीति पर चर्चा की जा सके और निर्णय लिया जा सके। वर्ष के दौरान, बोर्ड की 8 बैठकें यानी 09 मई 2023, 30 मई 2023, 14 अगस्त 2023, 10 नवंबर 2023, 11 दिसंबर 2023, 30 जनवरी 2024, 13 फरवरी 2024 और 16 मार्च 2024 को हुईं।

किसी भी दो बोर्ड बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल एक सौ बीस दिनों से कम था।

वर्ष के दौरान निदेशकों के नाम और बोर्ड बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नलिखित तालिकाओं में दी गई है:

निदेशक	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित रहे बैठक/बैठकों की संख्या
श्री सत्यजीत त्रिपाठी ¹ अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	7	7 (09.05.2023, 30.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024)
श्री एम.वी. राव गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	8	6 (09.05.2023, 30.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 16.03.2024)
सुश्री एमजी जयश्री सरकार द्वारा नामित निदेशक	8	6 (30.05.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024, 16.03.2024)
श्री परशांत कुमार गोयल ² सरकार द्वारा नामित निदेशक	8	6 (30.05.2023, 14.08.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024, 16.03.2024)
सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि ³ महाप्रबंधक एवं निदेशक	3	3 (09.05.2023, 30.05.2023, 14.08.2023)
श्री गोपालकृष्ण सुंदररामन ⁴ कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	8	8 (09.05.2023, 30.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024, 16.03.2024)
डॉ. नितिन कुमार बरखशी गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	8	8 (09.05.2023, 30.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024, 16.03.2024)
श्री अम्बिकेश केशरी गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	7	7 (30.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024, 16.03.2024)

1. 29 फरवरी 2024 को कार्यालय समय समाप्त होने पर सेवानिवृत्त होने के कारण श्री सत्यजीत त्रिपाठी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के पद से मुक्त हो गए।
2. वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण 09 अप्रैल 2024 से श्री परशांत कुमार गोयल निदेशक के पद से मुक्त हो गए।



Ms. M G Jayasree ¹	Government Nominee Director	M.Sc (Statistics), M.Sc. (Public Management and Governance)	Indian Statistical Service (ISS)
Ms. Neha Chauhan	Government Nominee Director	M.Phil.(Economics)	Indian Economic Service (IES)
Dr. Nitin Kumar Bakhshi	Non-Executive Independent Director	M.Com, Ph.D.	Academician
Shri Ambikesh Keshri	Non-Executive Independent Director	M.A.(Political Science), LLB	Agriculture & Law

1. Ms M G Jayasree ceased to be Director on account of withdrawal of nomination by Department of Financial Services w.e.f. 07th August 2024.

2. Shri Vivek Gupta was appointed as Government Nominee Director (Non-Executive) w.e.f. 10th August 2024.

3. Ms Sunita Gupta was appointed as Executive Director w.e.f. 10th July 2024.

4. Shri P C Gothwal was appointed as Executive Director w.e.f. 06th August 2024.

The Board meets at regular intervals to discuss and decide on business policy and strategy apart from other board businesses. During the year, Board met 8 times i.e. on 09th May 2023, 30th May 2023, 14th August 2023, 10th November 2023, 11th December 2023, 30th January 2024, 13th February 2024 and 16th March 2024.

The maximum gap between any two Board meetings was less than one hundred and twenty days.

The names of the Directors, their attendance at Board Meetings during the year are set out in the following tables:

DIRECTOR	NO OF MEETING/S HELD DURING HIS/HER TENURE	NO. OF MEETING/S ATTENDED
Shri Satyajit Tripathy ¹ Chairman cum Managing Director	7	7 (09.05.2023, 30.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024)
Shri M V Rao Non-Executive Independent Director	8	6 (09.05.2023, 30.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 16.03.2024)
Ms. M G Jayasree Government Nominee Director	8	6 (30.05.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024, 16.03.2024)
Shri Parshant Kumar Goyal ² Government Nominee Director	8	6 (30.05.2023, 14.08.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024, 16.03.2024)
Ms Rajeshwari Singh Muni ³ General Manager and Director	3	3 (09.05.2023, 30.05.2023, 14.08.2023)
Shri Gopalakrishnan Sundararaman ⁴ Executive Director and Chief Financial Officer	8	8 (09.05.2023, 30.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024, 16.03.2024)
Dr. Nitin Kumar Bakhshi Non-Executive Independent Director	8	8 (09.05.2023, 30.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024, 16.03.2024)
Shri Ambikesh Keshri Non-Executive Independent Director	7	7 (30.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024, 16.03.2024)

1. Shri Satyajit Tripathy ceased to be Chairman cum Managing Director due to superannuation at close of office hours on 29th February 2024

2. Shri Parshant Kumar Goyal ceased to be Director on account of withdrawal of nomination by Department of Financial Services w.e.f. 09th April 2024

3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी पदोन्नति और नियुक्ति के कारण 01 सितंबर 2023 से सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि महाप्रबंधक और निदेशक के पद से मुक्त हो गईं।
4. 16 मार्च 2024 को श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद से मुक्त हो गए। 15 मार्च 2024 से महाप्रबंधक और निदेशक के पद को कार्यकारी निदेशक के रूप में उन्नत किया गया। उन्होंने 01 मार्च 2024 से अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया और 29 अप्रैल 2024 से अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त शक्तियां समाप्त हो गईं। 30 अप्रैल 2024 को कार्यालय समय समाप्त होने पर सेवानिवृत्ति के कारण वे कार्यकारी निदेशक के पद से मुक्त हो गए।
5. सुश्री नेहा चौहान को 24 अप्रैल 2024 से सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी) नियुक्त किया गया।
6. श्री भूपेश सुशील राहुल को 29 अप्रैल 2024 को अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया।

31 मार्च 2024 तक गैर-कार्यकारी निदेशकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

कंपनी की 100% इक्विटी हिस्सेदारी भारत के राष्ट्रपति के पास है।

बोर्ड की समितियां

बोर्ड ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:

- i) लेखा परीक्षा समिति
- ii) निवेश समिति
- iii) जोखिम प्रबंधन समिति
- iv) पॉलिसीधारक संरक्षण समिति
- v) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
- vi) निगमिय सामाजिक दायित्व समिति
- vii) सूचना प्रौद्योगिकी समिति
- viii) मानव संसाधन समिति
- ix) संपत्ति समीक्षा समिति

वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान बोर्ड की समितियों की संरचना और आयोजित बैठकों की संख्या के साथ साथ उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

लेखा परीक्षा समिति

31 मार्च 2024 को लेखापरीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार थी:

क्रम सं.	नाम	वर्ग	पद का नाम
1	श्री एम.वी. राव	अध्यक्ष	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
2	सुश्री एमजी जयश्री	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)
3	श्री परशांत कुमार गोयल 1	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)
4	डॉ. नितिन कुमार बख्शी	सदस्य	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक

1. वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण श्री परशांत कुमार गोयल 09 अप्रैल 2024 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

2. सुश्री नेहा चौहान को 24 अप्रैल 2024 से समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

31 मार्च 2024 को लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति ने चार (4) बार, अर्थात् 30 मई 2023, 14 अगस्त 2023, 10 नवंबर 2023, 13 फरवरी 2024 को बैठकें की।

निदेशक	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री एम.वी. राव गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	4	4 (30.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 13.02.2024)
सुश्री एमजी जयश्री सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	3 (30.05.2023, 10.11.2023, 13.02.2024)



3. Ms. Rajeshwari Singh Muni ceased to be General Manager & Director w.e.f. 01st September 2023 on her elevation and posting as Chairman cum Managing Director of National Insurance Company Limited
4. Shri Gopalakrishnan Sundararaman ceased to be Chief Financial Officer on 16th March 2024. Upgradation of post of General Manager & Director to Executive Director w.e.f. 15th March 2024. He assumed additional charge as Chairman cum Managing Director w.e.f. 01st March 2024 and additional powers as Chairman cum Managing Director ceased on 29th April 2024. He ceased to be Executive Director due to superannuation at close of office hours on 30th April 2024
5. Ms. Neha Chauhan was appointed as Government Nominee Director (Non-Executive) w.e.f. 24th April 2024
6. Shri Bhupesh Sushil Rahul was appointed as Chairman cum Managing Director on 29th April 2024

Details of Equity Shares held by Non-Executive Directors as on 31st March 2024

100% Equity holding of the Company is held by the President of India.

COMMITTEES OF THE BOARD

The Board has constituted the following Committees:

- i) Audit Committee
- ii) Investment Committee
- iii) Risk Management Committee
- iv) Policyholders' Protection Committee
- v) Nomination & Remuneration Committee
- vi) Corporate Social Responsibility Committee
- vii) Information Technology Committee
- viii) HR Committee
- ix) Property Review Committee

The composition along with the number of meetings held during FY 2023-2024 and the attendance of the Committees of the Board are provided below:

AUDIT COMMITTEE

The composition of Audit Committee as on 31st March 2024 was as follows:

Sl. No	Name	Category	Designation
1	Shri M V Rao	Chairman	Non-Executive Independent Director
2	Ms. M G Jayasree	Member	Government Nominee Director (Non-Executive)
3	Shri Parshant Kumar Goyal	Member	Government Nominee Director (Non-Executive)
4	Dr. Nitin Kumar Bakhshi	Member	Non-Executive Independent Director

1. Shri Parshant Kumar Goyal ceased to be Member of the Committee on account of withdrawal of nomination by Department of Financial Services w.e.f. 09th April 2024
2. Ms. Neha Chauhan was appointed as Member of the Committee w.e.f. 24th April 2024

Attendance of Members of Audit Committee as on 31st March 2024 was as follows:

The Audit Committee met Four (4) times during the year under review i.e. on 30th May 2023, 14th August 2023, 10th November 2023, 13th February 2024.

DIRECTOR	NO OF MEETING/S HELD DURING HIS/HER TENURE	NO OF MEETING/S ATTENDED
Shri M V Rao Non-Executive Independent Director	4	4 (30.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 13.02.2024)
Ms. M G Jayasree Government Nominee Director	4	3 (30.05.2023, 10.11.2023, 13.02.2024)

श्री परशांत कुमार गोयल ¹ सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	3 (30.05.2023, 14.08.2023, 13.02.2024)
डॉ. नितिन कुमार बरुशी गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	4	4 (30.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 13.02.2024)

1. वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण श्री परशांत कुमार गोयल 09 अप्रैल 2024 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

निवेश समिति

31 मार्च 2024 को निवेश समिति की संरचना निम्नानुसार थी:

क्रम सं.	नाम	वर्ग	पद का नाम
1	श्री गोपालकृष्णन सुन्दररामन ¹	अध्यक्ष	कार्यकारी निदेशक, (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक - 01 मार्च 2024 से अतिरिक्त प्रभार)
2	श्री एम.वी. राव	सदस्य	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
3	सुश्री एमजी जयश्री	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)
4	श्री परशांत कुमार गोयल ²	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)
5	श्री एस. राजगोपाल	सदस्य	उप महाप्रबंधक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी
6	श्री पालरेड्डी विष्णुवर्धन ³	सदस्य	नियुक्त बीमांकक
7	सुश्री एम आर सुजाता ⁴	सदस्य	उप महाप्रबंधक एवं मुख्य निवेश अधिकारी
8	सुश्री एस. हेमामालिनी ⁵	सदस्य	उप महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

- 16 मार्च 2024 से श्री गोपालकृष्णन सुन्दररामन मुख्य वित्तीय अधिकारी नहीं रहे और उन्हें 16 मार्च 2024 से समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 30 अप्रैल 2024 को कार्यालय समय समाप्त होने पर सेवानिवृत्ति के कारण वे समिति के सदस्य/अध्यक्ष नहीं रहे।
- वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण श्री परशांत कुमार गोयल 09 अप्रैल 2024 से समिति के सदस्य नहीं रहे।
- श्री पालरेड्डी विष्णुवर्धन 28 मार्च 2024 से समिति के सदस्य नहीं रहे।
- सुश्री एम आर सुजाता को 01 अगस्त 2023 से समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।
- सुश्री एस. हेमामालिनी को 16 मार्च 2024 से समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।
- श्री एल रंगराजन 01 अगस्त 2023 से समिति के सदस्य नहीं रहे।
- 29 फरवरी 2024 को कार्यालय समय समाप्त होने पर सेवानिवृत्त होने के कारण श्री सत्यजीत त्रिपाठी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक समिति के सदस्य/अध्यक्ष नहीं रहे।
- 02 अप्रैल 2024 से श्री रामनाथ वेंकट भागवत, नियुक्त बीमांकक को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।
- 24 अप्रैल 2024 से सुश्री नेहा चौहान को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।
- 02 मई 2024 से श्री भूपेश सुशील राहुल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

31 मार्च 2024 को निवेश समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष के दौरान निवेश समिति की आठ (8) बार अर्थात् 09 मई 2023, 30 मई 2023, 14 अगस्त 2023, 21 सितंबर 2023, 10 नवंबर 2023, 11 दिसंबर 2023, 30 जनवरी 2024, 13 फरवरी 2024 बैठकें हुईं।

सदस्य	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित रहे बैठक/बैठकों की संख्या
श्री सत्यजीत त्रिपाठी ¹ अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	8	8 (09.05.2023, 30.05.2023, 14.08.2023, 21.09.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024)
श्री एम.वी. राव गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	8	5 (09.05.2023, 30.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 11.12.2023)



Shri Parshant Kumar Goyal ¹ Government Nominee Director	4	3 (30.05.2023, 14.08.2023, 13.02.2024)
Dr. Nitin Kumar Bakhshi Non-Executive Independent Director	4	4 (30.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 13.02.2024)

1. Shri Parshant Kumar Goyal ceased to be Member of the Committee on account of withdrawal of nomination by Department of Financial Services w.e.f. 09th April 2024

INVESTMENT COMMITTEE

The composition of Investment Committee as on 31st March 2024 was as follows:

Sl.No.	Name	Category	Designation
1	Shri Gopalakrishnan Sundararaman ¹	Chairman	Executive Director, (Chairman cum Managing Director - Additional Charge w.e.f. 01st March 2024)
2	Shri M V Rao	Member	Non-Executive Independent Director
3	Ms. M G Jayasree	Member	Government Nominee Director (Non-Executive)
4	Shri Parshant Kumar Goyal ²	Member	Government Nominee Director (Non-Executive)
5	Shri S. Rajagopal	Member	Deputy General Manager & Chief Risk Officer
6	Shri Palreddy Vishnuvardhan ³	Member	Appointed Actuary
7	Ms. M R Sujatha ⁴	Member	Deputy General Manager & Chief Investment Officer
8	Ms. S. Hema Malini ⁵	Member	Deputy General Manager & Chief Financial Officer

- Shri Gopalakrishnan Sundararaman ceased to be Chief Financial Officer w.e.f. 16th March 2024 and was appointed as Chairman of the Committee w.e.f. 16th March 2024. He ceased to be Member/Chairman of the Committee due to superannuation at close of office hours on 30th April 2024
- Shri Parshant Kumar Goyal ceased to be Member of the Committee on account of withdrawal of nomination by Department of Financial Services w.e.f. 09th April 2024
- Shri Palreddy Vishnuvardhan ceased to be Member of the Committee w.e.f. 28th March 2024
- Ms. M R Sujatha was appointed as Member of the Committee w.e.f. 01st August 2023
- Ms. S. Hema Malini was appointed as Member of the Committee w.e.f. 16th March 2024
- Shri L Rangarajan ceased to be Member of the Committee w.e.f. 01st August 2023
- Shri Satyajit Tripathy, Chairman cum Managing Director ceased to be Member/Chairman of the Committee due to superannuation at close of office hours on 29th February 2024
- Shri Ramnath Venkat Bhagavath, Appointed Actuary was appointed as Member of the Committee w.e.f. 02nd April 2024
- Ms. Neha Chauhan was appointed as Member of the Committee w.e.f. 24th April 2024
- Shri Bhupesh Sushil Rahul, Chairman cum Managing Director was appointed as Chairman of the Committee w.e.f. 02nd May 2024

Attendance of Members of the Investment Committee as on 31st March 2024 was as follows:

The Investment Committee met Eight (8) times during the year i.e. on 09th May 2023, 30th May 2023, 14th August 2023, 21st September 2023, 10th November 2023, 11th December 2023, 30th January 2024, 13th February 2024.

DIRECTOR	NO OF MEETING/S HELD DURING HIS/HER TENURE	NO OF MEETING/S ATTENDED
Shri Satyajit Tripathy ¹ Chairman cum Managing Director	8	8 (09.05.2023, 30.05.2023, 14.08.2023, 21.09.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024)
Shri M V Rao Non-Executive Independent Director	8	5 (09.05.2023, 30.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 11.12.2023)

सुश्री एमजी जयश्री सरकार द्वारा नामित निदेशक	8	5 (21.09.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024)
श्री परशांत कुमार गोयल ² सरकार द्वारा नामित निदेशक	8	5 (30.05.2023, 14.08.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024)
श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन ³ कार्यकारी निदेशक, (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक - 01 मार्च 2024 से अतिरिक्त प्रभार)	8	8 (09.05.2023, 30.05.2023, 14.08.2023, 21.09.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024)
श्री पालरेड्डी विष्णुवर्धन ⁴ नियुक्त बीमांकक	8	6 (09.05.2023, 30.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024)
श्री एल रंगराजन ⁵ मुख्य निवेश अधिकारी	2	1 (09.05.2023)
श्री एस. राजगोपाल प्रमुख जोखिम अधिकारी	8	7 (09.05.2023, 30.05.2023, 21.09.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024)
सुश्री एम आर सुजाता ⁶ मुख्य जाँच अधिकारी	6	6 (14.08.2023, 21.09.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024)

- 29 फरवरी 2024 को कार्यालय समय की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के कारण श्री सत्यजीत त्रिपाठी समिति के सदस्य/अध्यक्ष नहीं रहे।
- 09 अप्रैल 2024 से वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण श्री परशांत कुमार गोयल समिति के सदस्य नहीं रहे।
- 16 मार्च 2024 से श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन मुख्य वित्तीय अधिकारी नहीं रहे और उन्हें 16 मार्च 2024 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 30 अप्रैल 2024 को कार्यालय समय की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के कारण वह समिति के सदस्य/अध्यक्ष नहीं रहे।
- श्री पालरेड्डी विष्णुवर्धन 28 मार्च 2024 से समिति के सदस्य नहीं रहे।
- श्री एल रंगराजन 01 अगस्त 2023 से समिति के सदस्य नहीं रहे।
- सुश्री एम आर सुजाता को 01 अगस्त 2023 से समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

जोखिम प्रबंधन समिति

31 मार्च 2024 को जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना निम्नानुसार थी:

क्रम सं.	नाम	वर्ग	पद का नाम
1	श्री सत्यजीत त्रिपाठी ¹	अध्यक्ष	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
2	श्री एम.वी. राव	सदस्य	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
3	सुश्री एमजी जयश्री	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)
4	श्री परशांत कुमार गोयल ²	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)
5	सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि ³	सदस्य	महाप्रबंधक एवं निदेशक
6	श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन ⁴	सदस्य	कार्यकारी निदेशक, (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक - 01 मार्च 2024 से अतिरिक्त प्रभार)

- 29 फरवरी 2024 को कार्यालय समय की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के कारण श्री सत्यजीत त्रिपाठी समिति के सदस्य/अध्यक्ष नहीं रहे।
- 09 अप्रैल 2024 से वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण श्री परशांत कुमार गोयल समिति के सदस्य नहीं रहे।
- नेशनल इश्योर्स कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी पदोन्नति और नियुक्ति के बाद 01 सितंबर 2023 से सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि समिति की सदस्य नहीं रही।
- 30 अप्रैल 2024 को कार्यालय समय की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के कारण श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन समिति के सदस्य नहीं रहे।
- 24 अप्रैल 2024 से सुश्री नेहा चौहान को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।
- डॉ 24 अप्रैल 2024 से नितिन कुमार बख्शी को समिति का अध्यक्ष/सदस्य नियुक्त किया गया।
- 24 अप्रैल 2024 से श्री एस राजगोपाल, मुख्य जोखिम अधिकारी को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।



Ms. M G Jayasree Government Nominee Director	8	5 (21.09.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024)
Shri Parshant Kumar Goyal ² Government Nominee Director	8	5 (30.05.2023, 14.08.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024)
Shri Gopalakrishnan Sundararaman ³ Executive Director, (Chairman cum Managing Director - Additional Charge w.e.f. 01st March 2024)	8	8 (09.05.2023, 30.05.2023, 14.08.2023, 21.09.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024)
Shri Palreddy Vishnuvardhan ⁴ Appointed Actuary	8	6 (09.05.2023, 30.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024)
Shri L Rangarajan ⁵ Chief Investment Officer	2	1 (09.05.2023)
Shri S. Rajagopal Chief Risk Officer	8	7 (09.05.2023, 30.05.2023, 21.09.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024)
MS. M R Sujatha ⁶ Chief Investment Officer	6	6 (14.08.2023, 21.09.2023, 10.11.2023, 11.12.2023, 30.01.2024, 13.02.2024)

1. Shri Satyajit Tripathy ceased to be Member/Chairman of the Committee due to superannuation at close of office hours on 29th February 2024
2. Shri Parshant Kumar Goyal ceased to be Member of the Committee on account of withdrawal of nomination by Department of Financial Services w.e.f. 09th April 2024
3. Shri Gopalakrishnan Sundararaman ceased to be Chief Financial Officer w.e.f. 16th March 2024 and was appointed as Chairman of the Committee w.e.f. 16th March 2024. He ceased to be Member/Chairman of the Committee due to superannuation at close of office hours on 30th April 2024
4. Shri Palreddy Vishnuvardhan ceased to be Member of the Committee w.e.f. 28th March 2024
5. Shri L Rangarajan ceased to be Member of the Committee w.e.f. 01st August 2023
6. Ms. M R Sujatha was appointed as Member of the Committee w.e.f. 01st August 2023

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The composition of Risk Management Committee as on 31st March 2024 was as follows:

Sl.No.	Name	Category	Designation
1	Shri Satyajit Tripathy ¹	Chairman	Chairman cum Managing Director
2	Shri M V Rao	Member	Non-Executive Independent Director
3	Ms. M G Jayasree	Member	Government Nominee Director (Non-Executive)
4	Shri Parshant Kumar Goyal ²	Member	Government Nominee Director (Non-Executive)
5	Ms. Rajeshwari Singh Muni ³	Member	General Manager & Director
6	Shri Gopalakrishnan Sundararaman ⁴	Member	Executive Director, (Chairman cum Managing Director - Additional Charge w.e.f. 01st March 2024)

1. Shri Satyajit Tripathy ceased to be Member/Chairman of the Committee due to superannuation at close of office hours on 29th February 2024
2. Shri Parshant Kumar Goyal ceased to be Member of the Committee on account of withdrawal of nomination by Department of Financial Services w.e.f. 09th April 2024
3. Ms. Rajeshwari Singh Muni ceased to be Member of the Committee w.e.f. 01st September 2023 on her elevation and posting as Chairman cum Managing Director of National Insurance Company Limited
4. Shri Gopalakrishnan Sundararaman ceased to be Member of the Committee due to superannuation at close of office hours on 30th April 2024
5. Ms. Neha Chauhan was appointed as Member of the Committee w.e.f. 24th April 2024
6. Dr. Nitin Kumar Bakhshi was appointed as a Chairman/Member of the Committee w.e.f. 24th April 2024
7. Shri S. Rajagopal, Chief Risk Officer was appointed as Member of the Committee w.e.f. 24th April 2024

8. 24 अप्रैल 2024 से मुख्य वित्तीय अधिकारी सुश्री एस. हेमा मालिनी को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।
9. 24 अप्रैल 2024 से श्री रामनाथ वेंकट भगवत, नियुक्त बीमांकक को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।
10. 02 मई 2024 से श्री भूपेश सुशील राहुल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

31 मार्च 2024 को जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति ने चार (4) बार अर्थात 30 मई 2023, 21 सितंबर 2023, 11 दिसंबर 2023 और 30 जनवरी 2024 को बैठकें की।

निदेशक	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित रहे बैठक/बैठकों की संख्या
श्री सत्यजीत त्रिपाठी ¹ अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	4	4 (30.05.2023, 21.09.2023, 11.12.2023, 30.01.2024)
श्री एम.वी. राव गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	4	2 (30.05.2023, 11.12.2023)
सुश्री एमजी जयश्री सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	3 (21.09.2023, 11.12.2023, 30.01.2024)
श्री परशांत कुमार गोयल ² सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	2 (30.05.2023, 30.01.2024)
सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि ³ महाप्रबंधक एवं निदेशक	1	1 (30.05.2023)
श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन ⁴ कार्यकारी निदेशक, (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक - 01 मार्च 2024 से अतिरिक्त प्रभार)	4	4 (30.05.2023, 21.09.2023, 11.12.2023, 30.01.2024)

1. 29 फरवरी 2024 को कार्यालय समय की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के कारण श्री सत्यजीत त्रिपाठी समिति के सदस्य/अध्यक्ष नहीं रहे।
2. 09 अप्रैल 2024 से वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण श्री परशांत कुमार गोयल समिति के सदस्य नहीं रहे।
3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी पदोन्नति और नियुक्ति के बाद 01 सितंबर 2023 से सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि समिति की सदस्य नहीं रही।
4. 30 अप्रैल 2024 को कार्यालय समय की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के कारण श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन समिति के सदस्य नहीं रहे।

पॉलिसीधारक संरक्षण समिति

(आइआरडीएआइ (बीमाकर्ताओं के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन) विनियम, 2024 के अनुसार 24 अप्रैल 2024 से समिति का नाम बदलकर पॉलिसीधारक संरक्षण, शिकायत निवारण और दावा निगरानी समिति कर दिया गया है।)

31 मार्च 2024 को पॉलिसीधारक संरक्षण समिति की संरचना इस प्रकार थी:

क्रम सं.	नाम	वर्ग	पद का नाम
1	सुश्री एमजी जयश्री	अध्यक्ष	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)
2	श्री सत्यजीत त्रिपाठी ¹	सदस्य	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
3	श्री परशांत कुमार गोयल ²	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)
4	सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि ³	सदस्य	महाप्रबंधक एवं निदेशक
5	श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन ⁴	सदस्य	कार्यकारी निदेशक, (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक-01 मार्च 2024 से अतिरिक्त प्रभार)

1. 29 फरवरी 2024 को कार्यालय समय की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के कारण श्री सत्यजीत त्रिपाठी समिति के सदस्य नहीं रहे।
2. 09 अप्रैल 2024 से वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण श्री परशांत कुमार गोयल समिति के सदस्य नहीं रहे।



8. Ms. S. Hema Malini, Chief Financial Officer was appointed as Member of the Committee w.e.f. 24th April 2024
9. Shri Ramnath Venkat Bhagavath, Appointed Actuary was appointed as Member of the Committee w.e.f. 24th April 2024
10. Shri Bhupesh Sushil Rahul, Chairman cum Managing Director was appointed as Member of the Committee w.e.f. 02nd May 2024

Attendance of Members of Risk Management Committee as on 31st March 2024 was as follows:

The Risk Management Committee met Four (4) times during the year under review i.e. 30th May 2023, 21st September 2023, 11th December 2023, and 30th January 2024.

DIRECTOR	NO OF MEETING/S HELD DURING HIS/HER TENURE	NO OF MEETING/S ATTENDED
Shri Satyajit Tripathy ¹ Chairman cum Managing Director	4	4 (30.05.2023, 21.09.2023, 11.12.2023, 30.01.2024)
Shri M V Rao Non-Executive Independent Director	4	2 (30.05.2023, 11.12.2023)
Ms. M G Jayasree Government Nominee Director	4	3 (21.09.2023, 11.12.2023, 30.01.2024)
Shri Parshant Kumar Goyal ² Government Nominee Director	4	2 (30.05.2023, 30.01.2024)
Ms. Rajeshwari Singh Muni ³ General Manager & Director	1	1 (30.05.2023)
Shri Gopalakrishnan Sundararaman ⁴ Executive Director, (Chairman cum Managing Director - Additional Charge w.e.f. 01st March 2024)	4	4 (30.05.2023, 21.09.2023, 11.12.2023, 30.01.2024)

1. Shri Satyajit Tripathy ceased to be Member/Chairman of the Committee due to superannuation at close of office hours on 29th February 2024
2. Shri Parshant Kumar Goyal ceased to be Member of the Committee on account of withdrawal of nomination by Department of Financial Services w.e.f. 09th April 2024
3. Ms. Rajeshwari Singh Muni ceased to be Member of the Committee w.e.f. 01st September 2023 on her elevation and posting as Chairman cum Managing Director of National Insurance Company Limited
4. Shri Gopalakrishnan Sundararaman ceased to be Member of the Committee due to superannuation at close of office hours on 30th April 2024

POLICYHOLDERS' PROTECTION COMMITTEE

(The Committee has been renamed as Policyholders' Protection, Grievance Redressal and Claims Monitoring Committee w.e.f. 24th April 2024 in terms of IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024)

The composition of Policyholders' Protection Committee as on 31st March 2024 was as follows:

Sl.No.	Name	Category	Designation
1	Ms. M G Jayasree	Chairperson	Government Nominee Director (Non-Executive)
2	Shri Satyajit Tripathy ¹	Member	Chairman cum Managing Director
3	Shri Parshant Kumar Goyal ²	Member	Government Nominee Director (Non-Executive)
4	Ms. Rajeshwari Singh Muni ³	Member	General Manager & Director
5	Shri Gopalakrishnan Sundararaman ⁴	Member	Executive Director, (Chairman cum Managing Director - Additional Charge w.e.f. 01st March 2024)

1. Shri Satyajit Tripathy ceased to be Member of the Committee due to superannuation at close of office hours on 29th February 2024
2. Shri Parshant Kumar Goyal ceased to be a member of the Committee on account of withdrawal of nomination by the Department of Financial Services w.e.f. 9th April 2024

3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी पदोन्नति और नियुक्ति के बाद 01 सितंबर 2023 से सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि समिति की सदस्य नहीं रही।
4. 30 अप्रैल 2024 को कार्यालय समय की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के कारण श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन समिति के सदस्य नहीं रहे।
5. 24 अप्रैल 2024 से डॉ. नितिन कुमार बख्शी को समिति का अध्यक्ष/सदस्य नियुक्त किया गया।
6. 24 अप्रैल 2024 से सुश्री नेहा चौहान को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।
7. 02 मई 2024 से श्री भूपेश सुशील राहुल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।
8. आइआरडीएआइ विनियमों के अनुपालन में उपभोक्ता प्रतिनिधि सुश्री राज्यलक्ष्मी राव, समिति में एक आमंत्रित सदस्य हैं।

31 मार्च 2024 को पॉलिसीधारक संरक्षण समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पॉलिसीधारक संरक्षण समिति की चार (4) बार, अर्थात 30 मई 2023, 21 सितंबर 2023, 11 दिसंबर 2023 और 30 जनवरी 2024 को बैठक हुई।

निदेशक	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित रहे बैठकों की संख्या
सुश्री एमजी जयश्री सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	3 (21.09.2023, 11.12.2023, 30.01.2024)
श्री सत्यजीत त्रिपाठी ¹ अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	4	4 (30.05.2023, 21.09.2023, 11.12.2023, 30.01.2024)
श्री परशांत कुमार गोयल ² सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	1 (30.05.2023)
सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि ³ महाप्रबंधक एवं निदेशक	1	1 (30.05.2023)
श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन ⁴ कार्यकारी निदेशक, (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक - 01 मार्च 2024 से अतिरिक्त प्रभार)	4	4 (30.05.2023, 21.09.2023, 11.12.2023, 30.01.2024)

1. 29 फरवरी 2024 को कार्यालय समय की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के कारण श्री सत्यजीत त्रिपाठी समिति के सदस्य नहीं रहे।
2. 09 अप्रैल 2024 से वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण श्री परशांत कुमार गोयल समिति के सदस्य नहीं रहे।
3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी पदोन्नति और नियुक्ति के बाद 01 सितंबर 2023 से सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि समिति की सदस्य नहीं रही।
4. 30 अप्रैल 2024 को कार्यालय समय की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के कारण श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन समिति के सदस्य नहीं रहे।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

31 मार्च 2024 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना निम्नानुसार थी:

क्रम सं.	नाम	वर्ग	पद का नाम
1	श्री एम.वी. राव	अध्यक्ष	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
2	श्री सत्यजीत त्रिपाठी 1	सदस्य	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
3	सुश्री एमजी जयश्री	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)
4	श्री परशांत कुमार गोयल 2	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)
5	डॉ. नितिन कुमार बख्शी	सदस्य	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
6	श्री अम्बिकेश केशरी	सदस्य	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक



3. Ms. Rajeshwari Singh Muni ceased to be Member of the Committee w.e.f. 01st September 2023 on her elevation and posting as Chairman cum Managing Director of National Insurance Company Limited
4. Shri Gopalakrishnan Sundararaman ceased to be Member of the Committee due to superannuation at close of office hours on 30th April 2024
5. Dr. Nitin Kumar Bakhshi was appointed as a Chairman/Member of the Committee w.e.f. 24th April 2024
6. Ms. Neha Chauhan was appointed as a Member of the Committee w.e.f. 24th April 2024
7. Shri Bhupesh Sushil Rahul, Chairman cum Managing Director was appointed as member of the Committee w.e.f. 02nd May 2024
8. Ms. Rajyalakshmi Rao, Consumer Representative is an Invitee to the Committee in compliance with IRDAI Regulations

Attendance of Members of Policyholders’ Protection Committee as on 31st March 2024 was as follows:

The Policyholders’ Protection Committee met four (4) times during the year under review i.e. on 30th May 2023, 21st September 2023, 11th December 2023 and 30th January 2024.

DIRECTOR	NO OF MEETING/S HELD DURING HIS/HER TENURE	NO OF MEETING/S ATTENDED
Ms. M G Jayasree Government Nominee Director	4	3 (21.09.2023, 11.12.2023, 30.01.2024)
Shri Satyajit Tripathy ¹ Chairman cum Managing Director	4	4 (30.05.2023, 21.09.2023, 11.12.2023, 30.01.2024)
Shri Parshant Kumar Goyal ² Government Nominee Director	4	1 (30.05.2023)
Ms. Rajeshwari Singh Muni ³ General Manager & Director	1	1 (30.05.2023)
Shri Gopalakrishnan Sundararaman ⁴ Executive Director, (Chairman cum Managing Director - Additional Charge w.e.f. 01st March 2024)	4	4 (30.05.2023, 21.09.2023, 11.12.2023, 30.01.2024)

1. Shri Satyajit Tripathy ceased to be Member of the Committee due to superannuation at close of office hours on 29th February 2024
2. Shri Parshant Kumar Goyal ceased to be a member of the Committee on account of withdrawal of nomination by the Department of Financial Services w.e.f. 9th April 2024
3. Ms. Rajeshwari Singh Muni ceased to be Member of the Committee w.e.f. 01st September 2023 on her elevation and posting as Chairman cum Managing Director of National Insurance Company Limited
4. Shri Gopalakrishnan Sundararaman ceased to be Member of the Committee due to superannuation at close of office hours on 30th April 2024

NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

The composition of Nomination and Remuneration Committee as on 31st March 2024 was as follows:

Sl.No.	Name	Category	Designation
1	Shri M V Rao	Chairman	Non-Executive Independent Director
2	Shri Satyajit Tripathy ¹	Member	Chairman cum Managing Director
3	Ms. M G Jayasree	Member	Government Nominee Director (Non-Executive)
4	Shri Parshant Kumar Goyal ²	Member	Government Nominee Director (Non-Executive)
5	Dr. Nitin Kumar Bakhshi	Member	Non-Executive Independent Director
6	Shri Ambikesh Keshri	Member	Non-Executive Independent Director

- 29 फरवरी 2024 को कार्यालय समय की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के कारण श्री सत्यजीत त्रिपाठी समिति के सदस्य नहीं रहे।
- 09 अप्रैल 2024 से वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण श्री परशांत कुमार गोयल समिति के सदस्य नहीं रहे।
- 24 अप्रैल 2024 से सुश्री नेहा चौहान को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।
- 02 मई 2024 से श्री भूपेश सुशील राहुल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

31 मार्च 2024 तक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की पांच (5) बार, अर्थात 09 मई 2023, 14 अगस्त 2023, 10 नवंबर 2023, 30 जनवरी 2024 और 16 मार्च 2024 को बैठक हुई।

निदेशक	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित रहे बैठकों की संख्या
श्री एम.वी. राव गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	5	4 (09.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 16.03.2024)
श्री सत्यजीत त्रिपाठी ¹ अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	4	4 (09.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 30.01.2024)
सुश्री एमजी जयश्री सरकार द्वारा नामित निदेशक	5	3 (10.11.2023, 30.01.2024, 16.03.2024)
श्री परशांत कुमार गोयल ² सरकार द्वारा नामित निदेशक	5	3 (14.08.2023, 30.01.2024, 16.03.2024)
डॉ. नितिन कुमार बख्शी गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	4	4 (14.08.2023, 10.11.2023, 30.01.2024, 16.03.2024)
श्री अम्बिकेश केशरी गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	4	4 (14.08.2023, 10.11.2023, 30.01.2024, 16.03.2024)

- 29 फरवरी 2024 को कार्यालय समय की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के कारण श्री सत्यजीत त्रिपाठी समिति के सदस्य नहीं रहे।
- 09 अप्रैल 2024 से वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण श्री परशांत कुमार गोयल समिति के सदस्य नहीं रहे।

निगमिय सामाजिक दायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य सीएसआर नीति तैयार करना, बोर्ड को सिफारिश करना तथा उसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

31 मार्च 2024 को सीएसआर समिति की संरचना इस प्रकार थी:

क्रम सं.	नाम	वर्ग	पद का नाम
1	श्री सत्यजीत त्रिपाठी ¹	अध्यक्ष	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
2	श्री एम.वी. राव	सदस्य	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
3	सुश्री एमजी जयश्री	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)
4	श्री परशांत कुमार गोयल ²	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)
5	श्री गोपालकृष्णन सुन्दररामन ³	सदस्य	कार्यकारी निदेशक, (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक - 01 मार्च 2024 से अतिरिक्त प्रभार)



1. Shri Satyajit Tripathy ceased to be Member of the Committee due to superannuation at close of office hours on 29th February 2024
2. Shri Parshant Kumar Goyal ceased to be a Member of the Committee on account of withdrawal of nomination by the Department of Financial Services w.e.f. 9th April 2024
3. Ms. Neha Chauhan was appointed as a Member of the Committee w.e.f. 24th April 2024
4. Shri Bhupesh Sushil Rahul, Chairman cum Managing Director was appointed as Member of the Committee w.e.f. 02nd May 2024

Attendance of Members of Nomination and Remuneration Committee as on 31st March 2024 was as follows:

The Nomination and Remuneration Committee met Five (5) times during the year i.e. on 09th May 2023, 14th August 2023, 10th November 2023, 30th January 2024 and 16th March 2024.

DIRECTOR	NO OF MEETING/S HELD DURING HIS/HER TENURE	NO OF MEETING/S ATTENDED
Shri M V Rao Non-Executive Independent Director	5	4 (09.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 16.03.2024)
Shri Satyajit Tripathy ¹ Chairman cum Managing Director	4	4 (09.05.2023, 14.08.2023, 10.11.2023, 30.01.2024)
Ms. M G Jayasree Government Nominee Director	5	3 (10.11.2023, 30.01.2024, 16.03.2024)
Shri Parshant Kumar Goyal ² Government Nominee Director	5	3 (14.08.2023, 30.01.2024, 16.03.2024)
Dr. Nitin Kumar Bakhshi Non-Executive Independent Director	4	4 (14.08.2023, 10.11.2023, 30.01.2024, 16.03.2024)
Shri Ambikesh Keshri Non-Executive Independent Director	4	4 (14.08.2023, 10.11.2023, 30.01.2024, 16.03.2024)

1. Shri Satyajit Tripathy ceased to be Member of the Committee due to superannuation at close of office hours on 29th February 2024
2. Shri Parshant Kumar Goyal ceased to be a member of the Committee on account of withdrawal of nomination by the Department of Financial Services w.e.f. 9th April 2024

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE

The CSR Committee is constituted as per Section 135 of Companies Act, 2013 to formulate and recommend to the Board CSR Policy and ensure its effective implementation.

The composition of CSR Committee as on 31st March 2024 was as follows:

Sl.No.	Name	Category	Designation
1	Shri Satyajit Tripathy ¹	Chairman	Chairman cum Managing Director
2	Shri M V Rao	Member	Non-Executive Independent Director
3	Ms. M G Jayasree	Member	Government Nominee Director (Non-Executive)
4	Shri Parshant Kumar Goyal ²	Member	Government Nominee Director (Non-Executive)
5	Shri Gopalakrishnan Sundararaman ³	Member	Executive Director, (Chairman cum Managing Director - Additional Charge w.e.f. 01st March 2024)

- 29 फरवरी 2024 को कार्यालय समय की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के कारण श्री सत्यजीत त्रिपाठी समिति के सदस्य/अध्यक्ष नहीं रहे।
- 09 अप्रैल 2024 से वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण श्री परशांत कुमार गोयल समिति के सदस्य नहीं रहे।
- 24 अप्रैल 2024 से श्री गोपालकृष्ण सुंदररामन को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और 30 अप्रैल 2024 को कार्यालय समय की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के कारण वह समिति के सदस्य/अध्यक्ष नहीं रहे।
- 24 अप्रैल 2024 से सुश्री नेहा चौहान को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।
- 02 मई 2024 से श्री भूपेश सुशील राहुल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

* वर्ष 2023-2024 के दौरान निगमीय सामाजिक दायित्व समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी समिति

सूचना प्रौद्योगिकी समिति विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है तथा अनुमोदन हेतु बोर्ड को सिफारिश करती है।

31 मार्च 2024 को आईटी समिति की संरचना इस प्रकार थी:

क्रम सं.	नाम	वर्ग	पद का नाम
1	श्री सत्यजीत त्रिपाठी ¹	अध्यक्ष	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
2	सुश्री एमजी जयश्री	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)
3	श्री परशांत कुमार गोयल ²	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)
4	सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि ³	सदस्य	महाप्रबंधक एवं निदेशक
5	श्री गोपालकृष्ण सुंदररामन ⁴	सदस्य	कार्यकारी निदेशक, (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक - 01 मार्च 2024 से अतिरिक्त प्रभार)

- 29 फरवरी 2024 को कार्यालय समय की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के कारण श्री सत्यजीत त्रिपाठी समिति के सदस्य/अध्यक्ष नहीं रहे।
- 09 अप्रैल 2024 से वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण श्री परशांत कुमार गोयल समिति के सदस्य नहीं रहे।
- नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी पदोन्नति और नियुक्ति के बाद 01 सितंबर 2023 से सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि समिति की सदस्य नहीं रही।
- 24 अप्रैल 2024 से श्री गोपालकृष्ण सुंदररामन को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और 30 अप्रैल 2024 को कार्यालय समय की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के कारण वह समिति के सदस्य/अध्यक्ष नहीं रहे।
- 24 अप्रैल 2024 से सुश्री नेहा चौहान को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।
- 02 मई 2024 से श्री भूपेश सुशील राहुल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

31 मार्च 2024 को सूचना प्रौद्योगिकी समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष के दौरान समिति की दो बार बैठकें 11 दिसंबर 2023 और 13 फरवरी 2024 को हुईं।

निदेशक	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित रहे बैठकों की संख्या
श्री सत्यजीत त्रिपाठी ¹ अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	2	2 (11.12.2023, 13.02.2024)
सुश्री एमजी जयश्री सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	2 (11.12.2023, 13.02.2024)



1. Shri Satyajit Tripathy ceased to be Member/Chairman of the Committee due to superannuation at close of office hours on 29th February 2024
2. Shri Parshant Kumar Goyal ceased to be a Member of the Committee on account of withdrawal of nomination by the Department of Financial Services w.e.f. 9th April 2024
3. Shri Gopalakrishnan Sundararaman was appointed as Chairman of the Committee w.e.f. 24th April 2024 and he ceased to be Member/Chairman of the Committee due to superannuation at close of office hours on 30th April 2024
4. Ms. Neha Chauhan was appointed as a Member of the Committee w.e.f. 24th April 2024
5. Shri Bhupesh Sushil Rahul, Chairman cum Managing Director was appointed as Chairman of the Committee w.e.f. 02nd May 2024

No Corporate Social Responsibility Committee meeting was held during the year 2023-2024.

INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE

The IT Committee evaluates various IT proposals and recommends the same to the Board for approval.

The composition of IT Committee as on 31st March 2024 was as follows:

Sl.No.	Name	Category	Designation
1	Shri Satyajit Tripathy ¹	Chairman	Chairman cum Managing Director
2	Ms. M G Jayasree	Member	Government Nominee Director (Non-Executive)
3	Shri Parshant Kumar Goyal ²	Member	Government Nominee Director (Non-Executive)
4	Ms. Rajeshwari Singh Muni ³	Member	General Manager & Director
5	Shri Gopalakrishnan Sundararaman ⁴	Member	Executive Director, (Chairman cum Managing Director - Additional Charge w.e.f. 01st March 2024)

1. Shri Satyajit Tripathy ceased to be Member/Chairman of the Committee due to superannuation at close of office hours on 29th February 2024
2. Shri Parshant Kumar Goyal ceased to be a member of the Committee on account of withdrawal of nomination by the Department of Financial Services w.e.f. 9th April 2024
3. Ms. Rajeshwari Singh Muni ceased to be a Member of the Committee w.e.f. 01st September 2023 on her elevation and posting as Chairman cum Managing Director of National Insurance Company Limited
4. Shri Gopalakrishnan Sundararaman was appointed as Chairman of the Committee w.e.f. 24th April 2024 and he ceased to be Member/Chairman of the Committee due to superannuation at close of office hours on 30th April 2024
5. Ms. Neha Chauhan was appointed as a Member of the Committee w.e.f. 24th April 2024
6. Shri Bhupesh Sushil Rahul, Chairman cum Managing Director was appointed as the Chairman of the Committee w.e.f. 02nd May 2024

Attendance of Members of Information Technology Committee as on 31st March 2024 was as follows:

The Committee met two times during the year on 11th December 2023 and 13th February 2024.

DIRECTOR	NO OF MEETING/S HELD DURING HIS/HER TENURE	NO OF MEETING/S ATTENDED
Shri Satyajit Tripathy ¹ Chairman cum Managing Director	2	2 (11.12.2023, 13.02.2024)
Ms. M G Jayasree Government Nominee Director	2	2 (11.12.2023, 13.02.2024)
Shri Parshant Kumar Goyal ² Government Nominee Director	2	1 (13.02.2024)

श्री परशांत कुमार गोयल ² सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	1 (13.02.2024)
सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि ³ महाप्रबंधक एवं निदेशक	-	-
श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन ⁴ कार्यकारी निदेशक, (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक - 01 मार्च 2024 से अतिरिक्त प्रभार)	2	2 (11.12.2023, 13.02.2024)

- 29 फरवरी 2024 को कार्यालय समय की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के कारण श्री सत्यजीत त्रिपाठी समिति के सदस्य/अध्यक्ष नहीं रहे।
- 09 अप्रैल 2024 से वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण श्री परशांत कुमार गोयल समिति के सदस्य नहीं रहे।
- नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी पदोन्नति और नियुक्ति के बाद 01 सितंबर 2023 से सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि समिति की सदस्य नहीं रही।
- 24 अप्रैल 2024 से श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और 30 अप्रैल 2024 को कार्यालय समय की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के कारण वह समिति के सदस्य/अध्यक्ष नहीं रहे।

मानव संसाधन समिति

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 2014 के अनुसार इस समिति का गठन किया गया था, जो आज तक यथा संशोधित है। उक्त नियमावली के नियम 40 के अनुसार स्केल खत और त कैडर के अधिकारियों के ज्ञापन अनुसूची ए के साथ, इस समिति के समक्ष रखे जाने हैं। समिति स्केल तख़्त कैडर के अधिकारियों के लिए अपीलीय प्राधिकारी और स्केल तख़्त कैडर के लिए ज्ञापन प्राधिकारी भी है।

31 मार्च 2024 को मानव संसाधन समिति की संरचना इस प्रकार थी:

क्रम सं.	नाम	वर्ग	पद का नाम
1	श्री परशांत कुमार गोयल ¹	अध्यक्ष	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)
2	सुश्री एमजी जयश्री ²	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)
3	श्री एम.वी. राव	सदस्य	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
4	डॉ. नितिन कुमार बख्शी	सदस्य	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
5	श्री अम्बिकेश केशरी	सदस्य	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक

- 9 अप्रैल 2024 से वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण श्री परशांत कुमार गोयल समिति के अध्यक्ष/सदस्य नहीं रहे।
- 24 अप्रैल 2024 से सुश्री एम जी जयश्री को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- 24 अप्रैल 2024 से सुश्री नेहा चौहान को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

31 मार्च 2024 तक मानव संसाधन समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष के दौरान समिति की दो बार अर्थात 10 नवंबर 2023 और 30 जनवरी 2024 को बैठक हुई।

निदेशक	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित रहे बैठकों की संख्या
श्री परशांत कुमार गोयल ¹ सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	1 (30.01.2024)
सुश्री एम जी जयश्री ² सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	2 (10.11.2023, 30.01.2024)
श्री एम.वी. राव गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	2	1 (10.11.2023)

Ms. Rajeshwari Singh Muni ³ General Manager & Director	-	-
Shri Gopalakrishnan Sundararaman ⁴ Executive Director, (Chairman cum Managing Director - Additional Charge w.e.f. 01st March 2024)	2	2 (11.12.2023, 13.02.2024)

1. Shri Satyajit Tripathy ceased to be Member/Chairman of the Committee due to superannuation at close of office hours on 29th February 2024
2. Shri Parshant Kumar Goyal ceased to be a member of the Committee on account of withdrawal of nomination by the Department of Financial Services w.e.f. 9th April 2024
3. Ms. Rajeshwari Singh Muni ceased to be a Member of the Committee w.e.f. 01st September 2023 on her elevation and posting as Chairman cum Managing Director of National Insurance Company Limited
4. Shri Gopalakrishnan Sundararaman was appointed as Chairman of the Committee w.e.f. 24th April 2024 and he ceased to be Member/Chairman of the Committee due to superannuation at close of office hours on 30th April 2024

HR COMMITTEE

This Committee was formed as per the United India Insurance Company (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 2014, as amended till date. As per Rule 40 of the said Rules read with Schedule A, Memorial of Officers in Scale IV & V cadres is to be placed to this Committee. The Committee is also the Appellate Authority for officers in Scale VII cadre and Memorial Authority for Scale VI cadre.

The composition of HR Committee as on 31st March 2024 was as follows:

Sl.No.	Name	Category	Designation
1	Shri Parshant Kumar Goyal ¹	Chairman	Government Nominee Director (Non-Executive)
2	Ms. M G Jayasree ²	Member	Government Nominee Director (Non-Executive)
3	Shri M V Rao	Member	Non-Executive Independent Director
4	Dr. Nitin Kumar Bakhshi	Member	Non-Executive Independent Director
5	Shri Ambikesh Keshri	Member	Non-Executive Independent Director

1. Shri Parshant Kumar Goyal ceased to be a Chairman/Member of the Committee on account of withdrawal of nomination by the Department of Financial Services w.e.f. 9th April 2024
2. Ms. M G Jayasree was appointed as Chairperson of the Committee w.e.f. 24th April 2024
3. Ms. Neha Chauhan was appointed as a Member of the Committee w.e.f. 24th April 2024

Attendance of Members of the HR Committee as on 31st March 2024 was as follows:

The Committee met two times during the year i.e. on 10th November 2023 and 30th January 2024.

DIRECTOR	NO OF MEETING/S HELD DURING HIS/HER TENURE	NO OF MEETING/S ATTENDED
Shri Parshant Kumar Goyal ¹ Government Nominee Director	2	1 (30.01.2024)
Ms. M G Jayasree ² Government Nominee Director	2	2 (10.11.2023, 30.01.2024)
Shri M V Rao Non-Executive Independent Director	2	1 (10.11.2023)

निदेशक	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित रहे बैठकों की संख्या
डॉ. नितिन कुमार बख्शी गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	2	2 (10.11.2023, 30.01.2024)
श्री अम्बिकेश केशरी गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	2	2 (10.11.2023, 30.01.2024)

- 9 अप्रैल 2024 से वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण श्री परशांत कुमार गोयल समिति के अध्यक्ष/सदस्य नहीं रहे।
- 24 अप्रैल 2024 से सुश्री एम जी जयश्री को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- 24 अप्रैल 2024 से सुश्री नेहा चौहान को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

संपत्ति समीक्षा समिति

वित्त मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कंपनी द्वारा धारित संपत्तियों तथा अन्य संपदा संबंधी मामलों की समीक्षा के लिए बोर्ड की संपत्ति समीक्षा समिति का गठन किया गया था।

वर्ष 2023-2024 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

पारिश्रमिक समिति

वर्ष 2023-2024 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

वार्षिक साधारण बैठक का विवरण

21 सितंबर 2023 को कंपनी के सदस्यों की अस्सीवीं वार्षिक साधारण बैठक आयोजित की गई। श्री सत्यजीत त्रिपाठी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन, महाप्रबंधक और निदेशक (16 मार्च 2024 से कार्यकारी निदेशक के रूप में पद का उन्नयन), सुश्री एम. जी. जयश्री, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री परशांत कुमार गोयल, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री नितिन कुमार बख्शी, गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक, श्री अंबिकेश केशरी, गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक इस बैठक में शामिल हुए।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV और उसके तहत बनाए गए नियमों में यह अनिवार्य है कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक वर्ष में कम से कम एक बैठक गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों के बिना उपस्थिति के आयोजित करेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की बिना उपस्थिति के 11.12.2023 को स्वतंत्र निदेशकों की बैठक हुई।

निदेशकों/वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित "निदेशकों/वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता" को कंपनी की वेबसाइट www.uic.co.in पर पोस्ट की गई है।

सचिवीय मानकों का अनुपालन

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सभी अनिवार्य सचिवीय मानकों का कंपनी अनुपालन करती है।

लागत रिकॉर्ड और लागत लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के प्रावधानों के तहत निर्धारित लागत रिकॉर्ड का रखरखाव और लागत लेखा परीक्षा की आवश्यकता कंपनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लागू नहीं होती है।

जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई जमा स्वीकार नहीं किया गया।

कंपनी अधिनियम 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रकटीकरण

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया है।
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न तो किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई ऋण लिया गया और न ही किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ कोई एकमुश्त निपटान किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान न तो कोई आवेदन किया गया और न ही दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के अंत तक कोई कार्यवाही लंबित है।
- विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण जो भविष्य में कंपनी की चालू स्थिति और परिचालन को प्रभावित करते हैं: कोई नहीं।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और इसकी पर्याप्तता: कंपनी के पास अपने आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ हैं। कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा लगातार आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है और लेखा परीक्षा अनुपालन रिपोर्ट समय-समय पर बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखी जाती है।

DIRECTOR	NO OF MEETING/S HELD DURING HIS/HER TENURE	NO OF MEETING/S ATTENDED
Dr. Nitin Kumar Bakhshi Non-Executive Independent Director	2	2 (10.11.2023, 30.01.2024)
Shri Ambikesh Keshri Non-Executive Independent Director	2	2 (10.11.2023, 30.01.2024)

1. Shri Parshant Kumar Goyal ceased to be a Chairman/Member of the Committee on account of withdrawal of nomination by the Department of Financial Services w.e.f. 9th April 2024
2. Ms. M G Jayasree was appointed as Chairperson of the Committee w.e.f. 24th April 2024
3. Ms. Neha Chauhan was appointed as a Member of the Committee w.e.f. 24th April 2024

PROPERTY REVIEW COMMITTEE

The Property Review Committee of the Board was constituted in terms of the directives received from the Ministry of Finance to review the matters of properties held by the Company and other Estate related matters.

No meeting was held during the year 2023-2024.

REMUNERATION COMMITTEE

No meeting was held during the year 2023-2024.

ANNUAL GENERAL MEETING DETAILS

The Eighty Fifth Annual General Meeting of the Members of the Company was held on 21st September 2023. Shri Satyajit Tripathy, Chairman cum Managing Director, Shri Gopalakrishnan Sundararaman, General Manager and Director (Upgradation of post as Executive Director w.e.f. 16th March 2024), Ms. M. G. Jayasree, Government Nominee Director, Shri Parshant Kumar Goyal, Government Nominee Director, Shri Nitin Kumar Bakhshi, Non-Executive Independent Director, Shri Ambikesh Keshri, Non-Executive Independent Director attended the same.

MEETING OF INDEPENDENT DIRECTORS

Schedule IV of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder mandate that the independent directors of the Company shall hold at least one meeting in a year without the attendance of Non Independent Directors and members of the management. During the year FY 2023-24 the meeting of Independent Directors without the presence of the Non-Independent Directors and members of the Management took place on 11.12.2023.

CODE OF CONDUCT FOR DIRECTORS/SENIOR MANAGEMENT

The "Code of Conduct for Directors/Senior Management" duly approved by the Board is posted on the website of the Company at www.uiic.co.in.

COMPLIANCE OF SECRETARIAL STANDARDS

The Company complies with all applicable mandatory Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

COST RECORDS AND COST AUDIT

Maintenance of cost records and requirement of cost audit as prescribed under the provisions of Section 148(1) of the Companies Act, 2013 are not applicable for the business activities carried out by the Company.

DEPOSITS

No deposits were accepted by the Company during the year under review.

DISCLOSURES UNDER THE COMPANIES ACT 2013 AND RULES MADE THEREUNDER

- The Company has not made any loans, guarantees or investments pursuant to the provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013.
- Neither any loan was taken from any bank or financial institution nor any one-time settlement was done with any bank or financial institution during the year under review.
- Neither any application was made during the Financial Year 2023-24 nor any proceeding is pending as at the end of the financial year under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016.
- Details of significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future: None
- Internal Financial Controls and its adequacy: The Company has adequate Internal Control Systems commensurate with its size and nature of business. Internal Audit is continuously conducted by the in house Internal Audit department of the Company and an Audit Compliance Report is placed before the Audit Committee of the Board periodically.

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई वार्षिक घोषणा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, श्री एम वी राव, गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक से कंपनी को वार्षिक घोषणा प्राप्त हुई है। इसके अलावा, डॉ. नितिन कुमार बख्शी, जिन्हें 9 मई 2023 से गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और श्री अंबिकेश केशरी, जिन्हें 30 मई 2023 से गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप

में नियुक्त किया गया था से भी कंपनी को वार्षिक घोषणा प्राप्त हुई है। घोषणाएँ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) और उसके तहत प्रासंगिक नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खत और निदेशकों/वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कंपनी की आचार संहिता के अनुपालन के बारे में पुष्टि भी उनसे प्राप्त हुई है।

सामान्य सभा की बैठकें और पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण

बैठक का विवरण	बैठक की तिथि और समय	कार्यक्रम का स्थान	विशेष प्रस्ताव पारित
83 वीं वार्षिक सामान्य बैठक	1 नवंबर 2021 सुबह 11.30 बजे	प्रधान कार्यालय 19, 4 th लेन, नुंगमबक्कम हाई रोड चेन्नै 600034	-
84 वीं वार्षिक सामान्य बैठक	11 नवंबर 2022 दोपहर 12.00 बजे	प्रधान कार्यालय 19, 4 th लेन, नुंगमबक्कम हाई रोड चेन्नै 600034	-
असाधारण सामान्य बैठक	17 मई 2022 को शाम 4.00 बजे	प्रधान कार्यालय 19, 4 th लेन, नुंगमबक्कम हाई रोड चेन्नै 600034	प्राधिकृत अंश पूंजी बढ़ाने के लिए अनुमोदन, संस्थान के बहिर्नियम के पूंजी खंड में परिवर्तन की मंजूरी, संस्थान के अंतर्नियमों में परिणामी परिवर्तन की मंजूरी
असाधारण सामान्य बैठक	29 अगस्त 2022 दोपहर 12.00 बजे	प्रधान कार्यालय 19, 4 th लेन, नुंगमबक्कम हाई रोड चेन्नै 600 034	1. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ श्री एमवी राव को युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र) के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना। 2. वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के निदेशक श्री परशांत कुमार गोयल को युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी) के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना
असाधारण सामान्य बैठक	23 दिसंबर 2022 को शाम 4.15 बजे	प्रधान कार्यालय 19, 4 th लेन, नुंगमबक्कम हाई रोड चेन्नै 600 034	1. एजीकल्टर इश्यूरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की महाप्रबंधक सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि को युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में महाप्रबंधक और निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्राप्त करना।

ANNUAL DECLARATION MADE BY INDEPENDENT DIRECTORS

During the financial year 2023-24, the Company has received annual declaration from Shri M V Rao, Non-Executive Independent Director. Further, the Company also received annual declaration from Dr. Nitin Kumar Bakhshi, who was appointed as a Non-Executive Independent Director w.e.f.

9th May 2023 and Shri Ambikesh Keshri who was appointed as a Non-Executive Independent Director w.e.f. 30th May 2023. The declarations have been submitted in terms of the provisions of Section 149(7) of the Companies Act, 2013 and relevant Rules thereunder. A confirmation regarding compliance with Schedule IV of the Companies Act, 2013 and the Company's Code of Conduct for Directors/Senior Management is also received from them.

GENERAL BODY MEETINGS & DETAILS OF SPECIAL RESOLUTIONS PASSED

Meeting Details	Date and Time of the Meeting	Venue	Special Resolution passed
83rd Annual General Meeting	1st November 2021 at 11.30 am	Head Office 19, 4th Lane, Nungambakkam High Road Chennai 600034	-
84th Annual General Meeting	11th November 2022 at 12.00 pm	Head Office 19, 4th Lane, Nungambakkam High Road Chennai 600034	-
Extra-Ordinary General Meeting	17th May 2022 at 4.00 pm	Head Office 19, 4th Lane, Nungambakkam High Road Chennai 600034	Approval for Increasing the Authorized Share Capital, approval of alteration to the Capital Clause of the Memorandum of Association, approval of the consequent alteration to the Articles of Association
Extra-Ordinary General Meeting	29th August 2022 at 12.00 pm	Head Office 19, 4th Lane, Nungambakkam High Road Chennai 600034	1.To seek approval to the appointment of Shri M V Rao, MD & CEO, Central Bank of India as a Director (Non-Executive Independent) on the Board of United India Insurance Company Limited. 2. To seek approval to the appointment of Shri Parshant Kumar Goyal, Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance as a Government Nominee Director (Non-Executive) on the Board of United India Insurance Company Limited
Extra-Ordinary General Meeting	23rd December 2022 at 4.15 pm	Head Office 19, 4th Lane, Nungambakkam High Road Chennai 600034	1.To seek approval to the appointment of Ms. Rajeshwari Singh Muni, General Manager, Agriculture Insurance Company of India Limited as General Manager and Director on the Board of United India Insurance Company Limited

बैठक का विवरण	बैठक की तिथि और समय	कार्यक्रम का स्थान	विशेष प्रस्ताव पारित
85 वीं वार्षिक सामान्य बैठक	21 सितंबर 2023 को सुबह 11.30 बजे	प्रधान कार्यालय 19, 4 th लेन, नुंगमबक्कम हाई रोड चेन्नै 600034	-
असाधारण सामान्य बैठक	13 फरवरी 2024 को सुबह 10.45 बजे	पंजीकृत कार्यालय 24, व्हाइट्स रोड, चेन्नै - 600014.	कार्यकारी निदेशक का पद शामिल करने के लिए कंपनी के अंतर्नियमों में संशोधन करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना।

निदेशकों को पारिश्रमिक

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतन/पारिश्रमिक दिया जाता है तथा कार्यकारी निदेशकों को उनके वेतनमान के अनुसार वेतन/पारिश्रमिक दिया जाता है। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, बैंक निदेशक तथा भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित व्यक्तियों को कोई बैठक शुल्क देय नहीं है।

गैर-सरकारी निदेशकों को उनकी बैठकों में भाग लेने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैठक की फीस का भुगतान किया गया।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बैठक फीस का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	राशि (₹)
1	डॉ. नितिन कुमार बरुशी	2,60,000
2	श्री अम्बिकेश केशरी	2,00,000

सचिवीय लेखा परीक्षा

जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के तहत प्रावधान किया गया है, कंपनी के सचिवीय ऑडिट करने के लिए कंपनी सचिवों की एक फ़र्म एस धनपाल एंड एसोसिएट्स एलएलपी को कंपनी ने नियुक्त किया है और वर्ष 2023-24 के लिए उनकी रिपोर्ट अनुलब्धक 2 के रूप में संलग्न है।

निदेशक एवं अधिकारी बीमा

कंपनी ने अपने सभी निदेशकों के लिए "निदेशक और अधिकारी बीमा" कराया है।

वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ए) के साथ पठित धारा 92(3) के अनुसार, 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए फॉर्म एमजीटी-7 में वार्षिक रिटर्न <https://uiic.co.in/en/public-disclosures> पर उपलब्ध है।

ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी अवशोषण

कंपनी के संचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण पर प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी से संबंधित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

संबंधित पार्टी के साथ व्यवहार

लागू विधानों के अनुसार संबंधित पार्टी के साथ व्यवहार के लिए आवश्यक अनुमोदन लिया गया। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एच) को कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित के अनुसार फॉर्म एओसी-2 इस रिपोर्ट के अनुलब्धक 4 में दिया गया है।

लागू विधानों के अनुसार संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए आवश्यक मंजूरी ली गई। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (एच) के अनुरूप फॉर्म एओसी-2, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित इस रिपोर्ट के अनुलब्धक-4 में दिया गया है।

संबंधित पार्टी के साथ व्यवहार

खातों के नोट्स में निम्नलिखित के साथ संबंधित पार्टी के साथ व्यवहार को दर्शाए गए हैं:

- सहायक कंपनी**
मेसर्स जेनिथ सिक्वोरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
- सहयोगी**
मेसर्स इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
मेसर्स हेल्थ इश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत
- सामान्य निदेशक**
मेसर्स केन इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केन्या
मेसर्स जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, भारत
- प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**
 - श्री सत्यजीत त्रिपाठी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक -
(01.04.2023 से 29.02.2024)



Meeting Details	Date and Time of the Meeting	Venue	Special Resolution passed
85th Annual General Meeting	21st September 2023 at 11.30 am	Head Office 19, 4th Lane, Nungambakkam High Road Chennai 600034	-
Extra-Ordinary General Meeting	13th February 2024 at 10.45 am	Registered Office 24, Whites Road, Chennai – 600014.	Approval of the Members to amend the Articles of Association of the Company for including position of Executive Director.

REMUNERATION TO DIRECTORS

The Chairman cum Managing Director is paid salary/remuneration as fixed by the Government of India and the Executive Directors are paid salary/remuneration as per their scale of pay. No sitting fees is payable to Chairman cum Managing Director, Whole-time Director, Bank Director and nominees representing Government of India.

The Non-Official Directors were paid sitting fees in accordance with guidelines issued by the Ministry of Finance for the meetings attended by them.

Details of Sitting Fees for FY 2023-24

Sl. No	Name of Director	Amount (₹)
1	Dr. Nitin Kumar Bakhshi	2,60,000
2	Shri Ambikesh Keshri	2,00,000

SECRETARIAL AUDIT

As provided under Section 204 of the Companies Act 2013, the Company has appointed S Dhanapal & Associates LLP, a firm of company secretaries to carry out the Secretarial Audit of the Company and their Report for the year 2023-24 is enclosed as Annexure 2.

DIRECTORS AND OFFICERS INSURANCE

The Company has taken “Directors and Officers Insurance” for all its Directors.

ANNUAL RETURN

In accordance with Section 92(3) read with Section 134(3) (a) of the Companies Act, 2013, the Annual Return in Form MGT-7 for the financial year ended 31st March 2024 is placed at <https://uic.co.in/en/public-disclosures>

CONSERVATION OF ENERGY & TECHNOLOGY ABSORPTION

Considering the nature of operations of the Company, the provisions of section 134 (3) (m) of the Companies Act, 2013 read with Companies (Accounts) Rules 2014 relating to information to be furnished on Conservation of Energy and Technology absorption are not applicable.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

The Company had framed a policy on dealing with Related Party transaction in compliance with IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024.

Necessary approvals for related party transactions were taken in accordance with the applicable laws. Form AOC-2 pursuant to Section 134(3)(h) of the Companies Act 2013 read with the Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is set out in Annexure 4 to this Report.

Related Party Transactions

Related party transactions with the following are given in the Notes to Accounts:

- i. **Subsidiary**
M/s. Zenith Securities and Investment Limited
- ii. **Associates**
M/s. India International Insurance Pte Ltd., Singapore
M/s. Health Insurance TPA of India Limited, India
- iii. **Common Director**
M/s. Ken India Assurance Co Limited, Kenya
M/s GIC Housing Finance Limited, India
- iv. **Key Management Personnel**
1. Shri Satyajit Tripathy, Chairman cum Managing Director - (01.04.2023 to 29.02.2024)

2. श्री गोपालकृष्णन सुन्दररामन,
 - महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी :
(01.04.2023 से 08.05.2023 तक)
 - महाप्रबंधक एवं निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी :
(09.05.2023 से 15.03.2024 तक)
 - कार्यकारी निदेशक :
(16.03.2024 से 30.04.2024 तक)
 - अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) :
(01.03.2024 से 29.04.2024 तक)
3. सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि, महाप्रबंधक एवं निदेशक :
(01.04.2023 से 31.08.2023 तक)
4. सुश्री एस. हेमामालिनी, उप महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (16.03.2024 से 31.03.2024 तक)

5. सुश्री अनघा शांतनु देशपांडे, कंपनी सचिव
(01.04.2023 से 31.03.2024)

प्रबंधकीय पारिश्रमिक

कंपनी के किसी भी कर्मचारी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) में उल्लिखित सीमा से अधिक वेतन का भुगतान नहीं किया गया।

कोई भी निदेशक जो कंपनी से कोई कमीशन प्राप्त करता है और जो कंपनी का प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक है, वह किसी होल्डिंग कंपनी या ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी से कोई पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त नहीं करेगा, बशर्ते कि कंपनी द्वारा बोर्ड की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया जाए: **कोई नहीं**

कंपनी अधिनियम, 2013 (वित्त वर्ष 2023-24) के अनुसार प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण

क्रम सं.	नाम	वेतन (₹)	अनुलाभों का मूल्य (₹)	कुल (₹)
1	श्री सत्यजीत त्रिपाठी * अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (01.04.2023 से 29.02.2024 तक)	3453484.00	18015.00	3471499.00
2	सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि ** महाप्रबंधक एवं निदेशक (01.04.2023 से 31.08.2023 तक)	1470943.00	10105.00	1481048.00
3	श्री गोपालकृष्णन सुन्दररामन महाप्रबंधक एवं निदेशक (09.05.2023 से 15.03.2024 तक), कार्यकारी निदेशक (16.03.2024 से 31.03.2024 तक) मुख्य वित्तीय अधिकारी (01.04.2023 से 15.03.2024 तक)	3573209.63	318804.00	3892013.63
4	सुश्री एस. हेमा मालिनी ** मुख्य वित्तीय अधिकारी (16.03.2024 से 31.03.2024 तक)	115282.51	9670.34	124952.85
5	सुश्री अनघा शांतनु देशपांडे कंपनी सचिव (01.04.2023 से 31.03.2024 तक)	2274226.19	290649.01	2564875.20

* इसमें सेवानिवृत्ति लाभ शामिल नहीं हैं।

** मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के रूप में पद धारण करने की अवधि के लिए वेतन और भत्ते पर विचार किया गया है।



2. Shri Gopalakrishnan Sundararaman,
 - General Manager and Chief Financial Officer : (01.04.2023 to 08.05.2023)
 - General Manager and Director & Chief Financial Officer : (09.05.2023 to 15.03.2024)
 - Executive Director : (16.03.2024 to 30.04.2024)
 - Chairman cum Managing Director (Additional Charge) : (01.03.2024 to 29.04.2024)
3. Ms. Rajeshwari Singh Muni, General Manager & Director : (01.04.2023 to 31.08.2023)
4. Ms. S. Hema Malini, Deputy General Manager & Chief Financial Officer (16.03.2024 to 31.03.2024)

5. Ms. Anagha Shantanu Deshpande, Company Secretary (01.04.2023 to 31.03.2024)

MANAGERIAL REMUNERATION

None of the employees of the Company was paid salary exceeding limits mentioned in Section 196 of the Companies Act, 2013 and Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

Any Director who is in receipt of any commission from the Company and who is a Managing Director or Whole Time Director of the Company shall receive any remuneration or commission from any holding company or subsidiary company of such company subject to its disclosure by the Company in the Board's Report: NONE

DETAILS OF REMUNERATION PAID TO KEY MANAGEMENT PERSONS AS PER COMPANIES ACT, 2013 (FY 2023-24)

Sl.No	Name	Salary (₹)	Value of Perquisites (₹)	Total (₹)
1	Shri Satyajit Tripathy* Chairman cum Managing Director (01.04.2023 to 29.02.2024)	3453484.00	18015.00	3471499.00
2	Ms. Rajeshwari Singh Muni** General Manager and Director (01.04.2023 to 31.08.2023)	1470943.00	10105.00	1481048.00
3	Shri Gopalakrishnan Sundararaman General Manager and Director (09.05.2023 to 15.03.2024) Executive Director (16.03.2024 to 31.03.2024) Chief Financial Officer (01.04.2023 to 15.03.2024)	3573209.63	318804.00	3892013.63
4	Ms S. Hema Malini** Chief Financial Officer (16.03.2024 to 31.03.2024)	115282.51	9670.34	124952.85
5	Ms. Anagha Shantanu Deshpande Company Secretary (01.04.2023 to 31.03.2024)	2274226.19	290649.01	2564875.20

*Does not include retirement benefits

**Salary & perquisites for the period holding position as Key Managerial Person has been considered

आइआरडीएआइ कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश, 2016 (वित्त वर्ष 2023-24) के अनुसार प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण

क्रम सं.	नाम	वेतन (₹)	अनुलाभों का मूल्य (₹)	कुल (₹)
1	श्री सत्यजीत त्रिपाठी * अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (01.04.2023 से 29.02.2024 तक)	3453484.00	18015.00	3471499.00
2	सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनि ** महाप्रबंधक एवं निदेशक (01.04.2023 से 31.08.2023 तक)	1470943.00	10105.00	1481048.00
3	श्री गोपालकृष्ण सुन्दररामन महाप्रबंधक एवं निदेशक (09.05.2023 से 15.03.2024 तक), कार्यकारी निदेशक (16.03.2024 से 31.03.2024 तक) मुख्य वित्तीय अधिकारी (01.04.2023 से 15.03.2024 तक)	3573209.63	318804.00	3892013.63
4	सुश्री उषा गिरीश मुख्य अनुपालन अधिकारी (01.04.2023 से 31.03.2024 तक)	3442720.00	304474.25	3747194.25
5	श्री एल. रंगराजन * मुख्य निवेश अधिकारी (01.04.2023 से 31.07.2023 तक)	1061217.00	505740.00	1566957.00
6	सुश्री एम आर सुजाता ** मुख्य निवेश अधिकारी (01.08.2023 से 31.03.2024 तक)	1887470.55	15772.23	1903242.78
7	श्री एस. राजगोपाल मुख्य जोखिम अधिकारी (01.04.2023 से 31.03.2024 तक)	2940994.00	21600.00	2962594.00
8	सुश्री एस. हेमामालिनी ** मुख्य वित्तीय अधिकारी (16.03.2024 से 31.03.2024 तक)	115282.51	9670.34	124952.85
9	सुश्री अनघा शांतनु देशपांडे कंपनी सचिव (01.04.2023 से 31.03.2024 तक)	2274226.19	290649.01	2564875.20

* इसमें सेवानिवृत्ति लाभ शामिल नहीं हैं।

** मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के रूप में पद धारण करने की अवधि के लिए वेतन और भत्ते पर विचार किया गया है।

वैधानिक लेखा परीक्षक

समीक्षाधीन अवधि के लिए, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों के अतिरिक्त, मेसर्स एवी देवेन एंड कंपनी, मेसर्स मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स और मेसर्स एसआरबीआर एंड एसोसिएट्स एलएलपी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

वर्ष के दौरान मनोरंजन, विदेशी दौरे और प्रचार एवं विज्ञापन पर प्रबंधन के व्यय का विवरण

विवरण	राशि ₹ में
मनोरंजन	0
विदेश यात्रा	3394720.00
प्रचार एवं विज्ञापन	24230561.82
कुल	27625281.82



DETAILS OF REMUNERATION PAID TO KEY MANAGEMENT PERSONS AS PER IRDAI CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES, 2016 (FY 2023-24)

SI.No	Name	Salary (₹)	Value of Perquisites (₹)	Total (₹)
1	Shri Satyajit Tripathy* Chairman cum Managing Director (01.04.2023 to 29.02.2024)	3453484.00	18015.00	3471499.00
2	Ms. Rajeshwari Singh Muni** General Manager and Director (01.04.2023 to 31.08.2023)	1470943.00	10105.00	1481048.00
3	Shri Gopalakrishnan Sundararaman General Manager and Director (09.05.2023 to 15.03.2024) Executive Director (16.03.2024 to 31.03.2024) Chief Financial Officer (01.04.2023 to 15.03.2024)	3573209.63	318804.00	3892013.63
4	Ms. Usha Girish Chief Compliance Officer (01.04.2023 to 31.03.2024)	3442720.00	304474.25	3747194.25
5	Shri L Rangarajan* Chief Investment Officer (01.04.2023 to 31.07.2023)	1061217.00	505740.00	1566957.00
6	Ms. M R Sujatha** Chief Investment Officer (01.08.2023 to 31.03.2024)	1887470.55	15772.23	1903242.78
7	Shri S. Rajagopal Chief Risk Officer (01.04.2023 to 31.03.2024)	2940994.00	21600.00	2962594.00
8	Ms. S. Hema Malini** Chief Financial Officer (16.03.2024 to 31.03.2024)	115282.51	9670.34	124952.85
9	Ms. Anagha Shantanu Deshpande Company Secretary (01.04.2023 to 31.03.2024)	2274226.19	290649.01	2564875.20

*Does not include retirement benefits

** Salary & perquisites for the period holding position as Key Managerial Person has been considered

STATUTORY AUDITORS

M/s. A. V. Deven & Co., M/s. Manohar Chowdhry & Associates and M/s. SRBR & Associates LLP Chartered Accountants were appointed for the period under review, as Statutory Auditors by the Comptroller & Auditor General of India under section 139 of the Companies Act 2013, in addition to the auditors appointed for various Regional Offices.

DETAILS OF EXPENSES OF MANAGEMENT DURING THE YEAR ON ENTERTAINMENT, FOREIGN TOURS AND PUBLICITY & ADVERTISEMENT

Particulars	Amount in ₹
Entertainment	0
Foreign Tours	3394720.00
Publicity & Advertisement	24230561.82
Total	27625281.82

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए)) के तहत आवश्यकता के अनुसार, यह पुष्टि की जाती है कि:

- 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, भौतिक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुरंगत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।
- निदेशकों ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए चालू वित्त वर्ष के आधार पर वार्षिक खाते तैयार कर लिए हैं।
- निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और कहा है कि ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने उचित प्रणालियां तैयार की हैं और यह सुनिश्चित किया है कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग (बीमा प्रभाग) ने पुष्टि की है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार 12.12.2023 को राज्यसभा और 11.12.2023 को लोकसभा के समक्ष रखी गई थी।

2024-25 के लिए कंपनी की योजनाएं/दृष्टिकोण

वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी विवेकपूर्ण हामीदारी, लाभदायक विकास, रीटेल व्यवसाय को मजबूत करने, उपगत दावा अनुपात (आईसीआर) को कम करने, डिजिटल पहलों को बढ़ाने के माध्यम से सॉल्वेंसी में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखती है।

रीटेल व्यवसाय पर और विशेष रूप से स्वास्थ्य, विविध और संपत्ति व्यापार लाइनों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। जोखिम अनुभव आधारित और

ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, मुनाफे की बीमा लेखन के लिए लाभदायक व्यवसाय/चैनल, परिचालन लागत को कम करने, सह-बीमा और पुनर्बीमा शेष राशि को समेटने और निपटाने की ओर स्थानांतरण की ओर ध्यान केंद्रित होगा।

दावों के निपटान की दक्षता में सुधार करने के लिए, मोटर ओडी दावों का 100% ऐप आधारित निपटान शुरू किया गया है, जहाँ सूचित/मूल्यांकित नुकसान 50000/- रुपये से कम है और हम आने वाले वर्षों में भी ऐप आधारित निपटान जारी रखेंगे। पुराने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) दावों के निपटान पर अधिक जोर दिया जाएगा, खासकर उन दावों पर जो 10 वर्षों से अधिक समय से अदालतों में लंबित हैं और हमारे खातों में लंबित कानूनी मामलों की पहचान करने और उनकी जांच करने के लिए <https://ecourts.gov> का उपयोग किया जाएगा। थर्ड पार्टी एड्मिनिस्ट्रेशन (टीपीए) की बारीकी से निगरानी और समीक्षा करना और स्वास्थ्य दावों और उपगत दावा अनुपात के टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) में सुधार करना भी प्राथमिकता का क्षेत्र होगा। साल-दर-साल आधार पर उपगत दावा अनुपात को कम करने और थ्रुपु मेडिकल कवरेज (जीएमसी) से बाहर निकलने के प्रयास जारी रहेंगे, जहाँ पिछले 3 वर्षों का उपगत दावा अनुपात स्टैंडअलोन आधार पर 90% से अधिक या क्लाइंट पोर्टफोलियो आधार पर 95% से अधिक है।

ग्राहकों के बदलते व्यवहार से पता चलता है कि डिजिटल लेन-देन की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है, जिससे कंपनी को लागत में काफी बचत होगी और प्रक्रिया दक्षता में सुधार होगा तथा ग्राहकों को लाभ होगा। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से डिजिटलीकरण की यात्रा को जारी रखने की योजना बना रहे हैं, जिसमें दावा सूचना और पंजीकरण, सर्वेक्षकों की स्वचालित नियुक्ति, मूल्यांकन और रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मोटर ओडी में दावा प्रसंस्करण और निपटान, अनुकूलित डैशबोर्ड रिपोर्ट, डेटा-आधारित निर्णय लेना, तथा ग्राहक और मध्यस्थ पोर्टल, मोबाइल ऐप और बीमा तकनीक फर्मों के साथ साझेदारी जैसे डिजिटल चैनलों का अधिक उपयोग शामिल है।

आभार

निदेशक मंडल सभी ग्राहकों को उनके निरंतर संरक्षण के लिए हार्दिक धन्यवाद देता है।

बोर्ड कंपनी के कर्मचारियों और एजेंटों, ब्रोकर्स और अन्य मध्यस्थों द्वारा किए गए अच्छे काम के लिए भी अपनी सराहना दर्ज करता है। बोर्ड नियुक्त बीमांकिक, वैधानिक लेखा परीक्षकों, वित्त मंत्रालय के बीमा प्रभाग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, साधारण बीमाकर्ता (सार्वजनिक क्षेत्र) संघ और सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड को उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद देता है।

बोर्ड की ओर से
हस्ता./-

(श्री भूपेश सुशील राहुल)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं. 10610759

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 29.05.2024

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the requirement under Section 134 of Companies Act 2013 (Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956) with respect to Directors' Responsibility Statement, it is hereby confirmed that:

- In the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March 2024, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures.
- The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit or loss of the Company for the year under review.
- The Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- The Directors have prepared the annual accounts for the financial year ended 31st March 2024 on a going concern basis.
- The Directors have laid down Internal Financial Controls to be followed by the Company and that such Internal Financial Controls were adequate and were operating effectively.
- The Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

PLACING OF ANNUAL REPORT BEFORE THE PARLIAMENT

The Ministry of Finance, Department of Financial Services (Insurance Division) has confirmed that the Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23 was placed before Rajya Sabha on 12.12.2023 and Lok Sabha on 11.12.2023 as per the requirements of the Companies Act, 2013.

PLANS/OUTLOOK OF THE COMPANY FOR 2024-25

During the year 2024-25, the Company intends to focus on Improving solvency through Prudent underwriting, Profitable

growth, Strengthen the retail business, Reduction in Incurred Clam Ratio (ICR), Increase Digital Initiatives.

There will be greater focus on retail business especially in Health, Miscellaneous and Property lines of business. The other focus area would be to shift towards risk experience based & customer centric approach, profitable business/channels for underwriting profits, to reduce operating costs, to reconcile & settle co-insurance and reinsurance balances.

To improve claims settlement efficiency, 100% app based settlement of motor OD claims where intimated / assessed loss is less than ₹ 50000/- was introduced and we would continue the app based settlement in the forthcoming years also. Greater emphasis will be there on disposal of old MACT claims especially those which are pending in courts for over 10 years and to make use of <https://ecourts.gov.in> to identify and cross check the pending legal cases in our books. Close monitoring and review of the TPAs and improving TAT of Health claims and ICR will also be an area of priority. Efforts will be on to reduce ICR on Year-on-Year basis and to exit from GMCs where past 3 years ICR is more than 90% on standalone basis or 95% on client portfolio basis.

Changing customer behavior shows an increasing move towards digital transactions which would yield considerable costs savings and process efficiencies for the Company and benefit the customer. We plan to continue the digitalization journey by use of artificial intelligence, from Claim intimation and Registration, Automatic appointment of surveyors, Assessment and report submission, Claim processing and settlements in Motor OD, customized dashboard reports, data –based decision making, and more use of digital channels such as Customer and Intermediary Portals, mobile apps and partnerships with Insure tech firms.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors conveys its sincere thanks to all clients for their continued patronage.

Board also places on record its appreciation for the good work done by employees and agents, brokers and other intermediaries of the Company. The Board also thanks the Appointed Actuary, Statutory Auditors, Insurance Division of the Ministry of Finance, Insurance Regulatory and Development Authority of India, General Insurers' (Public Sector) Association and Member Audit Board for their guidance and support.

For and on behalf of the Board

Sd/-

(Shri Bhupesh Sushil Rahul)
Chairman-cum-Managing Director
DIN No. 10610759

Place : Chennai
Date : 29.05.2024

बोर्ड के वर्तमान निदेशक मंडल का प्रोफाइल

नाम (श्री/ श्रीमती)	योग्यता	विशेषज्ञता का क्षेत्र	निदेशक पद की स्थिति
भूपेश सुशील राहुल (29.04.2024 से)	बी.कॉम, एमबीए	बीमा	निदेशक, हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड
			निदेशक, एग्नीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
			निदेशक, जीआईसी हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड
एम वी राव	एम एस सी (कृषि), सीएआईआईबी	बैंकिंग & वित्त	एमडी & सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
एम जी जयश्री	एम एस सी (सांख्यिक), एम एस सी (पब्लिक मैनेजमेंट और गवर्नेन्स)	भारतीय सांख्यिक सेवा (आईएसएस)	निदेशक, पंजाब & सिंध बैंक
नेहा चौहान (24.04.2024 से)	एम.फिल. अर्थशास्त्र	भारतीय अर्थशास्त्र सेवा आईएसएस)	-
डॉ.नितिन कुमार बक्शी (09.05.2023 से)	एम.कॉम.पीएचडी	शिक्षाविद्	-
अंबिकेश केशरी (30.05.2023 से)	एम.ए.(राजनीति विज्ञान), एलएलबी	कृषि & विधिक	-

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन) विनियम, 2024 और भारत में बीमाकर्ताओं के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए दिशानिर्देश, 2016 के अनुपालन के लिए प्रमाण पत्र

मैं, उषा गिरीश, मुख्य अनुपालन अधिकारी, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और मेरे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह प्रमाणित करती हूँ कि कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) का अनुपालन किया है। (बीमाकर्ताओं के लिए) विनियम, 2024 और भारत में बीमाकर्ताओं के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए दिशानिर्देश, 2016, समय-समय पर संशोधित किए गए हैं और कुछ भी छुपाया या दबाया नहीं गया है।

दिनांक: 29.05.2024
स्थान : चेन्नै

उषा गिरीश
मुख्य अनुपालन अधिकारी

PROFILE OF THE PRESENT BOARD OF DIRECTORS

Name (Shri/Smt)	Qualification	Field of Specialization	Status of Directorship
Bhupesh Sushil Rahul (From 29.04.2024)	B.Com, MBA	Insurance	Director, Health Insurance TPA of India Ltd Director, Agriculture Insurance Company of India Ltd Director, GIC Housing Finance Ltd
M V Rao	M.Sc. (Agriculture), CAIIB	Banking & Finance	MD & CEO, Central Bank of India
M.G. Jayasree	M.Sc. (Statistics), M.Sc. (Public Management and Governance)	Indian Statistical Service (ISS)	Director, Punjab & Sind Bank
Neha Chauhan (From 24.04.2024)	M. Phil (Economics)	Indian Economic Service (IES)	-
Dr. Nitin Kumar Bakhshi (From 09.05.2023)	M.Com, Ph.D.	Academician	-
Ambikesh Keshri (From 30.05.2023)	M.A. (Political Science), LLB	Agriculture & Law	-

CERTIFICATE FOR COMPLIANCE OF THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (CORPORATE GOVERNANCE FOR INSURERS) REGULATIONS, 2024 AND GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE FOR INSURERS IN INDIA, 2016

I, Usha Girish, Chief Compliance Officer, to the best of my knowledge and information available with me, hereby certify that the Company has, for the financial year ended March 31, 2024 complied with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 and Guidelines for Corporate Governance for insurers in India, 2016, as amended from time to time and nothing has been concealed or suppressed.

Place : Chennai
Date : 29.05.2024

Usha Girish
Chief Compliance Officer

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एफ) के अनुसार 29 मई 2024 की निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

वर्ष 2023-24 के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और प्रबंधन उत्तरों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ

1) वर्ष के अंत की पुष्टि का न मिलना

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट संख्या 27 में पुनर्बीमाकर्ताओं सहित अन्य बीमा कंपनियों से वर्ष के अंत की पुष्टि न लेने और वित्तीय स्थिति पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं होने का उल्लेख है।

प्रबंधन का जवाब

कंपनी ने सह-बीमा समाधान और निपटान पर बेहतर नियंत्रण के लिए जोनल स्तर पर चार सह-बीमा केंद्र बनाए हैं। 1 अप्रैल 2023 से सभी लेनदेन हब के माध्यम से किए जाते हैं और अधिकतम की पुष्टि हो जाती है। पिछले वर्षों की बकाया राशि का मिलान किया जा रहा है। शेष राशि की पुष्टि और निपटान के लिए क्षेत्रीय स्तर और कंपनी से कंपनी स्तर की बैठकें नियमित आधार पर हो रही हैं जिसके कारण शेष राशि में काफी कमी आई है। परिचालन कार्यालयों ने शेष राशि की पुष्टि के लिए मेल भेजे हैं, जिसके लिए कई सह-बीमाकर्ताओं ने जवाब दिया है।

2) अचल संपत्ति पूंजीकरण

21 मार्च, 2024 को कंपनी ने अपना परिचालन चेन्नई, तमिलनाडु में नवनिर्मित प्रधान कार्यालय भवन में स्थानांतरित कर दिया है। कंपनी को अभी तक ठेकेदार से अंतिम बिल, प्रमाणपत्र और विभिन्न परिसंपत्तियों का वर्गीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी जानकारी लंबित होने तक, कंपनी परिसंपत्तियों का पूंजीकरण नहीं कर सकी और इसे पूंजीगत कार्य-प्रगति के तहत वर्गीकृत करना जारी रखा और 31 मार्च, 2024 तक कुल राशि 228.93 करोड़ रुपये है। परिणाम स्वरूप, हम 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते पर मूल्यहास व्यय के प्रभाव का पता लगाने में सक्षम नहीं हैं।

प्रबंधन का जवाब

कंपनी ने हमें परिसंपत्तियों का पूंजीकरण करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न घटकों का विवरण देने के लिए भवन निर्माण ठेकेदार के साथ काम किया है। चूंकि इमारत पर 1 मार्च 2024 से कब्जा था, प्रबंधन की राय है कि मूल्यहास प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से
हस्ता/-
(भूपेश सुशील राहुल)
अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक
डीआइएन नं.10610759

स्थान: चेन्नै
दिनांक 29.05.2024

ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT DATED 29TH MAY 2024 AS PER SECTION 134(3)(f) OF THE COMPANIES ACT, 2013

Statutory Auditors' Comments on Standalone Financial Statements and Management Replies for the year 2023-24

1) Non obtention of year end confirmation

Note No. 27 to the Standalone Financial Statements, refers to non-obtention of year end confirmation from other insurance companies including reinsurers and consequential impact on the financials, if any, is not ascertainable.

Reply of the Management

The Company has formed four coinsurance hubs at the Zonal level to have better control over the Coinsurance reconciliation and settlements. All transactions from 1st April 2023 are routed through hubs and are majorly confirmed. The balances pertaining to earlier years are being reconciled. Zonal level and one to one company level meetings are taking place on a regular basis for confirmation and settlement of balances which led to substantial reduction in balances. The operating offices have sent mails seeking confirmation of balances for which many of the coinsurers have responded.

Place : Chennai
Date : 29.05.2024

2) Fixed asset capitalization

On March 21, 2024 the Company has shifted its operations to newly constructed Head Office building at Chennai, Tamil Nadu. The Company is yet to receive the final bill, handing over Certificate and the classification of various assets from the Contractor. Pending such information, the Company could not capitalize the assets and continued to classify the same under Capital work-in-progress and the total amount as on March 31, 2024 is INR 228.93 Crores. As a consequence, we are not able to ascertain the impact of depreciation expense on the Profit and loss account for the year ended March 31, 2024.

Reply of the Management

The Company has taken up with the building contractor for giving the breakup of the various components to enable us to capitalize the assets. As the building was occupied from 1st March 2024, the management is of the opinion that the depreciation impact will not be material.

For and on behalf of the Board

Sd/-
(Bhupesh Sushil Rahul)
Chairman-cum-Managing Director
DIN No.10610759

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एफ) के अनुसार 29 मई 2024 की निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

वर्ष 2023-24 के लिए समेकित वित्तीय विवरण और प्रबंधन उत्तरों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ

1) वर्ष के अंत की पुष्टि का न मिलना

समेकित वित्तीय विवरण के नोट संख्या 28 में पुनर्बीमाकर्ताओं सहित अन्य बीमा कंपनियों से वर्ष के अंत की पुष्टि न लेने और वित्तीय स्थिति पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं होने का उल्लेख है।

प्रबंधन का जवाब

कंपनी ने सह-बीमा समाधान और निपटान पर बेहतर नियंत्रण के लिए जोनल स्तर पर चार सह-बीमा केंद्र बनाए हैं। 1 अप्रैल 2023 से सभी लेनदेन हब के माध्यम से किए जाते हैं और अधिकतम की पुष्टि हो जाती है। पिछले वर्षों की बकाया राशि का मिलान किया जा रहा है। शेष राशि की पुष्टि और निपटान के लिए क्षेत्रीय स्तर और कंपनी से कंपनी स्तर की बैठकें नियमित आधार पर हो रही हैं जिसके कारण शेष राशि में काफी कमी आई है। परिचालन कार्यालयों ने शेष राशि की पुष्टि के लिए मेल भेजे हैं, जिसके लिए कई सह-बीमाकर्ताओं ने जवाब दिया है।

2) अचल संपत्ति पूंजीकरण

21 मार्च, 2024 को कंपनी ने अपना परिचालन चेन्नई, तमिलनाडु में नवनिर्मित प्रधान कार्यालय भवन में स्थानांतरित कर दिया है। कंपनी को अभी तक ठेकेदार से अंतिम बिल, प्रमाणपत्र और विभिन्न परिसंपत्तियों का वर्गीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी जानकारी लंबित होने तक, कंपनी परिसंपत्तियों का पूंजीकरण नहीं कर सकी और इसे पूंजीगत कार्य-प्रगति के तहत वर्गीकृत करना जारी रखा और 31 मार्च, 2024 तक कुल राशि 228.93 करोड़ रुपये है। परिणाम स्वरूप, हम 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते पर मूल्यहास व्यय के प्रभाव का पता लगाने में सक्षम नहीं हैं।

प्रबंधन का जवाब

कंपनी ने हमें परिसंपत्तियों का पूंजीकरण करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न घटकों का विवरण देने के लिए भवन निर्माण ठेकेदार के साथ काम किया है। चूंकि इमारत पर 1 मार्च 2024 से कब्जा था, प्रबंधन की राय है कि मूल्यहास प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से
हस्ता/-
(भूपेश सुशील राहुल)
अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक
डीआइएन नं.10610759

स्थान: चेन्नै
दिनांक 29.05.2024

ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT DATED 29TH MAY 2024 AS PER SECTION 134(3)(f) OF THE COMPANIES ACT, 2013

Statutory Auditors' Comments on Consolidated Financial Statements and Management Replies for the year 2023-24

1) Non obtention of year end confirmation

Note No. 28 to the Consolidated Financial Statements, refers to non-obtention of year end confirmation from other insurance companies including reinsurers and consequential impact on the financials, if any, is not ascertainable.

Reply of the Management

The Company has formed four coinsurance hubs at the Zonal level to have better control over the Coinsurance reconciliation and settlements. All transactions from 1st April 2023 are routed through hubs and are majorly confirmed. The balances pertaining to earlier years are being reconciled. Zonal level and one to one company level meetings are taking place on a regular basis for confirmation and settlement of balances which led to substantial reduction in balances. The operating offices have sent mails seeking confirmation of balances for which many of the coinsurers have responded.

Place : Chennai
Date : 29.05.2024

2) Fixed asset capitalization

On March 21, 2024 the Company has shifted its operations to newly constructed Head Office building at Chennai, Tamil Nadu. The Company is yet to receive the final bill, handing over Certificate and the classification of various assets from the Contractor. Pending such information, the Company could not capitalize the assets and continued to classify the same under Capital work-in-progress and the total amount as on March 31, 2024 is INR 228.93 Crores. As a consequence, we are not able to ascertain the impact of depreciation expense on the Profit and loss account for the year ended March 31, 2024.

Reply of the Management

The Company has taken up with the building contractor for giving the breakup of the various components to enable us to capitalize the assets. As the building was occupied from 1st March 2024, the management is of the opinion that the depreciation impact will not be material.

For and on behalf of the Board

Sd/-
(Bhupesh Sushil Rahul)
Chairman-cum-Managing Director
DIN No.10610759

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर

ए. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

1. निधियों का अनुप्रयोग - वर्तमान देनदारियाँ - अनुसूची - 13

मानक प्रक्रिया के अनुसार संबंधित परिचालन कार्यालयों द्वारा उपयुक्तता और पर्याप्तता के लिए केस रिजर्व के संबंध में दावों के प्रावधानों की नियमित रूप से निगरानी और अद्यतन किया जाता है। आईबीएनआर (व्यय हुआ लेकिन रिपोर्ट नहीं किया गया) और आईबीएनईआर (व्यय हुआ लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किया गया) आकलन पद्धति किसी भी कम/अतिरिक्त प्रावधान को अवशोषित करेगी और तदनुसार, हमारी राय है कि कोई कम प्रावधान नहीं है।

2. निधियों का अनुप्रयोग - चालू परिसंपत्तियाँ - अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ - अनुसूची 12 - रु. 6861.63 करोड़.

580 करोड़ रुपये की विवादित मांग आकलन वर्ष 2018-19 से संबंधित है, जो धारा 115 जेबी के तहत बुक प्रॉफिट के आकलन के कारण थी। मूल्यांकन अधिकारी ने गलत तरीके से आईबीएनआर/आईबीएनईआर को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि यह एक अज्ञात दायित्व है। जब आईबीएनआर/आईबीएनईआर विनियामक आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जाता है और दायित्व की गणना बीमांकिक सिद्धांतों का उपयोग करके एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा की जाती है, तो इसे अज्ञात दायित्व के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। कंपनी ने आदेश के खिलाफ अपील दायर की है और उसे अनुकूल परिणाम का भरोसा है और इसलिए अग्रिम के तहत खुलासा किया गया है और खर्चों का शुल्क नहीं लिया गया है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने, एक अन्य बीमा कंपनी के संबंध में इसी मुद्दे पर, अपने आदेश [TS-386-HC-2024(DEL)] दिनांक 30.5.2024 के माध्यम से माना है कि जब आईबीएनआर/आईबीएनईआर प्रावधान बनाए जाते हैं आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करते समय वैज्ञानिक सिद्धांतों और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, उन्हें आकस्मिक देनदारियाँ नहीं माना जा सकता है, और इस प्रकार माना जाता है कि प्रावधान एक स्वीकार्य व्यय है। उपरोक्त निर्णय कंपनी के इस रुख की पुष्टि करते हैं कि आईआरडीएआई के विनियमों के तहत बीमांकिक मूल्यांकन पर किया गया आईबीएनआर/आईबीएनईआर एक स्वीकार्य व्यय है और अग्रिम कर के तहत 580 करोड़ रुपये के भुगतान को उचित माना जाता है।

इसके अलावा, हमारे मामले में आयकर अपील न्यायाधिकरण ने, अपने संयुक्त आदेश दिनांक 19 जुलाई 2024 के माध्यम से, आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है और मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने के लिए इसे आकलन अधिकारी को वापस भेज दिया है। निर्धारित करें कि धारा 115जेबी के तहत अस्वीकृति के लिए आईबीएनआर/आईबीएनईआर एक सुनिश्चित दायित्व है या नहीं। ऐसे में आयकर विभाग द्वारा उठाई गई मांग निरस्त होने की उम्मीद है।

3. निधियों का अनुप्रयोग-वर्तमान परिसंपत्तियाँ-अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ - नोट संख्या 12 - रु. 6861.64 करोड़

बीमा कारोबार करने वाली अन्य संस्थाओं (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) से बकाया - (रु. 106.53 करोड़ को संदिग्ध माना गया) - रु. 1890.64 करोड़

वसूली योग्य 1.39 करोड़ रुपये के भुगतान किए गए दावों में से, 1.37 करोड़ रुपये केवल अनुवर्ती बाजार से वसूली योग्य है और कंपनी शेष राशि की वसूली के लिए ब्रोकरों के माध्यम से लगातार कार्रवाई कर रही है और वसूली के प्रति आश्वस्त है।

4. अनुसूची 12 - 31 मार्च 2024 तक अग्रिम और अन्य संपत्ति

बीमा व्यवसाय करने वाली अन्य संस्थाओं (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) से देय - ₹ 1890,64,32,000

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने अपने परिपत्र F.No.G.14017/24/2012-Ins.II दिनांक 31 मई 2012 के माध्यम से "विदेश में भारतीय हित" श्रेणी के तहत जारी पॉलिसियों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा उठाई गई चिंता इस प्रकार के जोखिमों के लिए पुनर्बीमा की अनुपलब्धता को ले कर थी।

मौजूदा मामले में, राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी सी) ने इस विशेष व्यवसाय की बीमालेखन को मंजूरी दे दी है, जो दर्शाता है कि जोखिम का उचित रूप से पुनर्बीमा किया गया है। इसलिए, हम आईजीटी सदस्यों से वसूली के प्रति आश्वस्त हैं और इसलिए इसके लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

ऑडिट द्वारा बताई गई त्रुटि के संबंध में, लेनदेन 2021 की पहली तिमाही से संबंधित है, जिसमें कंपनी इन हाउस में विकसित सॉफ्टवेयर से एकीकृत सॉफ्टवेयर में स्थानांतरित हो गई और त्रुटि की पहचान नहीं की जा सकी और उसे ठीक नहीं किया जा सका। इसे अब पहली तिमाही 2024-25 में ठीक कर लिया गया है।

ब. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

5. वर्ष 2023-24 के लिए यूआईआईसी के समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

5(ए) और 5(बी) की टिप्पणियों पर संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया नीचे दी गई है -

(ए)

- इस संबंध में, हम प्रस्तुत करते हैं कि हमारा ऑडिट इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए मजबूत सिस्टम हैं। उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक सॉफ्टवेयर जेनिसिस कॉन्फिगरेटर (जीसी कोर) है, जिसे सभी ऑपरेटिंग कार्यालयों और पोर्टलों पर लागू किया जाता है।

REPLY TO COMMENTS OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

A. Comments on Financial Position

1. Application of Funds-Current Liabilities–Schedule -13

The provision for claims in respect of the Case Reserves are monitored and updated regularly for appropriateness and adequacy by the respective operating offices as per the standard procedure. The IBNR (Incurred but not reported) and IBNER (Incurred but not enough reported) estimation methodology will absorb any Short/Excess provision and accordingly, we are of the opinion that there is no short provision.

2. Application Of Funds – Current Assets - Advances And Other Assets – Schedule 12 – ₹ 6861.63 Crore.

The disputed demand of ₹580 crores pertain to Assessment Year 2018-19 was on account of assessment of book profit under Section 115JB. The Assessing Officer has wrongly disallowed the IBNR/IBNER under the premise that it is an unascertained Liability. When the IBNR/IBNER is provided as per the Regulatory requirement and the liability is calculated by an Independent Actuary using Actuarial principles, it cannot be categorized as Unascertained Liability. The Company has filed an appeal against the order and was confident of favourable outcome and hence disclosed under advances and not charged to expenses.

The Hon'ble Delhi High Court, on the same issue in respect of another Insurance Company, vide their order in [TS-386-HC-2024(DEL)] dated 30.05.2024, has held that when IBNR/IBNER provisions are created based on scientific principles and actuarial valuation while preparing the financial statements as per IRDAI guidelines, they cannot be construed to be contingent liabilities, and thus HELD that the provision is an allowable expense. The above judgements vindicate the Company's stand that IBNR/IBNER made on actuarial valuation under the Regulations of IRDAI is an allowable expense and treating the payment of ₹ 580 crores under Advance Tax is in order.

Further the Income Tax Appellate Tribunal in our case, vide their combined order dated 19th July 2024, has set-aside the order passed by the Commissioner of Income Tax (Appeals) and remanded the issue back to the Assessing Officer to consider the issue afresh to determine whether IBNR/IBNER is an ascertained liability or not for disallowance under Sec.115JB. Thus, the demand raised by the Income Tax Department is expected to be nullified.

3. Application of Funds -Current Assets-Advances and Other Assets - Note No 12 - ₹ 6861.64 crore

Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers) - (₹106.53 crore considered doubtful) - ₹1890.64 crore

Out of paid claims of ₹1.39 crores recoverable, ₹1.37 crores is recoverable from follow market only and the Company is continuously following up through Brokers for recovery of the balance amounts and are confident of recovery.

4. Schedule 12 – Advances and other assets as at 31 March 2024

Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers) - ₹ 1890,64,32,000

The Ministry of Finance, Department of Financial Services vide their circular in F.No.G.14017/24/2012-Ins.II dated 31st May 2012 has issued guidelines in respect of policies issued under the category "Indian Interest Abroad". The concern raised by the department was absence of reinsurance back up for these types of risks.

In the instant case, the General Insurance Corporation of India (GIC Re), the national Reinsurer has approved the underwriting of this particular business, which indicate that the risk is properly reinsured. Hence, we are confident of recovering from the IGT members and hence do not consider it necessary to provide for the same.

With regard to the error pointed out by Audit, the transaction pertains to first quarter 2021, wherein the Company migrated from erstwhile in-house developed software to integrated software and the error could not be identified and fixed. The same is now rectified in first quarter 2024-25.

B. Comments on Auditors' Report

5. Independent Auditors report on the Financial Statements of UIIC for the year 2023-24

Response by the Joint Statutory Auditors to the comments 5(a) and 5(b) is reproduced below-

(a)

- In this regard, we submit that our audit confirms that the Company has robust systems in place to process all accounting transactions through IT systems. The primary software used is the Genisys Configurator (GC CORE), which is implemented across all operating offices and portals.

- कोटा पुनर्बीमा प्रीमियम का भुगतान पुनर्बीमाकर्ताओं को केवल प्रीमियम की वास्तविक वसूली के आधार पर किया जाएगा, अर्थात् जब भी किसान या सरकार से प्रीमियम प्राप्त होगा, तब। पुनर्बीमाकर्ताओं को जारी किए जाने वाले खातों का विवरण तैयार करने के उद्देश्य से और पुनर्बीमाकर्ता को भुगतान के उद्देश्य से, पुनर्बीमा विभाग प्रत्यक्ष पक्ष से प्राप्त प्रीमियम के आधार पर पुनर्बीमाकर्ता को वास्तविक देय की गणना के लिए बॉर्डरेक्स रिपोर्ट में दो समायोजन लाइन आइटम दर्ज करता है। ये समायोजन केवल कोटा शेयर पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए खातों का विवरण (एसओए) उत्पन्न करने के उद्देश्य से किए गए हैं। इसका ट्रायल बैलेंस/बुक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- इसलिए, हमारी जांच के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उपरोक्त मुद्दे से संबंधित बॉर्डरेक्स रिपोर्ट में किए गए समायोजन का कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है और इसका उल्लेख धारा 143(5) के तहत निर्देशों के हमारे उत्तर में किया गया था और हमारे उत्तर में कहा गया है सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणालियों के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं।

(बी)

- ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान कंपनी दो सरकारी योजनाओं, अर्थात् पीएमएफबीवाई (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) और आरएसबीवाई (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) को अमल कर रही है।

स्थान: चेन्नै

दिनांक 12.08.2024

- उपरोक्त योजनाओं के लिए, केंद्र और राज्य सरकार कंपनी को सब्सिडी के रूप में धन मुहैया कराती है। इन सब्सिडी का उपयोग योजनाओं के तहत जारी पॉलिसियों के प्रीमियम के एक हिस्से को कवर करने के लिए किया जाता है।
- जबकि लाभार्थी प्रीमियम का एक हिस्सा भुगतान करते हैं, केंद्र और राज्य सरकारें शेष हिस्से को सब्सिडी के रूप में योगदान करती हैं।
- कंपनी केंद्र/राज्य सरकार से धन की प्राप्ति का रिकॉर्ड तब रखती है जब वे प्राप्त होते हैं और प्राप्य प्रीमियम के विरुद्ध इन राशियों की भरपाई करती है।
- उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर, हमने निर्देशों पर अपना उत्तर इस प्रकार दिया है, “कंपनी को केंद्र/राज्य सरकार से पीएमएफबीवाई/आरएसबीवाई से संबंधित सब्सिडी का एक हिस्सा प्राप्त हुआ, जिसका उचित हिसाब-किताब किया गया और उपयोग किया गया।”

योजना दस्तावेजों और अन्य प्रासंगिक सामग्रियों की जांच करने के बाद, हम समझते हैं कि कंपनी द्वारा प्राप्त या प्राप्य धनराशि लाभार्थियों के लिए लक्षित सब्सिडी है। भले ही सब्सिडी लाभार्थियों के लिए होती है, लेकिन उनका भुगतान सीधे कंपनी को किया जाता है। कंपनी ने योजना की आवश्यकताओं के अनुसार इन सब्सिडी का उचित हिसाब लगाया है और उनका उपयोग किया है।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-

(भूपेश सुशील राहुल)

अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक

डीआइएन नं. 10610759

- The Quota Reinsurance Premium will be paid to reinsurers only based on actual realization of premium i.e., as and when the premium received from farmer or Government. For the purpose of generating a Statement of Accounts to be issued to reinsurers & for the purpose of payment to reinsurer, the reinsurance department enters two adjustment line items in the Bordereaux Report for the arriving at actual due to the reinsurer based on realized premium from direct side. These adjustments are made only for the purpose of generating a Statement of Accounts (SOA) for quota share reinsurers. It does not have any impact on the Trial Balance/Books.
- Therefore, based on our examination we conclude that the adjustments made in the Bordereaux report relating to the above issue do not have any financial implications and the same was mentioned in our reply to the directions under Section 143(5) and that our reply states that all accounting transactions are processed through IT systems.

(b)

- The Company is dealing with two Government Schemes, namely PMFBY (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) and RSBY (Rashtriya Swasthya Bima Yojana), during the year under audit.
- For the aforementioned schemes, Central and State Government provide funding to the Company in

the form of subsidies. These subsidies are used to cover a portion of the premium for the policies issued under the schemes.

- While beneficiaries pay a part of the premium, the Central and State Governments contribute the remaining portion as a subsidy.
- The Central/State Government portion of the premium is paid to the company as a subsidy, according to the scheme guidelines.
- The Company records the receipt of funds from Central/State Government as and when they are received and offsets these amounts against the premium receivable.
- Based on the above points, we have given our reply to the Directions as "The Company received a part of the Subsidy relating to PMFBY/RSBY from Central/State Government which were properly accounted and utilized."

After examining the scheme documents and other relevant materials, we understand that the funds received or receivable by the company are subsidies intended for the beneficiaries. Even though the subsidies are meant for the beneficiaries, they are paid directly to the company. The company has appropriately accounted for and utilized these subsidies according to the scheme requirements.

For and on behalf of the Board

Sd/-

(Bhupesh Sushil Rahul)

Chairman-cum-Managing Director

DIN No.10610759

Place : Chennai
Date : 12.08.2024

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर

1 वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी - निधियों का अनुप्रयोग - वर्तमान देनदारियाँ - अनुसूची - 13

मानक प्रक्रिया के अनुसार संबंधित परिचालन कार्यालयों द्वारा उपयुक्तता और पर्याप्तता के लिए केस रिजर्व के संबंध में दावों के प्रावधानों की नियमित रूप से निगरानी और अद्यतन किया जाता है। आईबीएनआर (व्यय हुआ लेकिन रिपोर्ट नहीं किया गया) और आईबीएनईआर (व्यय हुआ लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किया गया) आकलन पद्धति किसी भी कम/अतिरिक्त प्रावधान को अवशोषित करेगी और तदनुसार, हमारी राय है कि कोई कम प्रावधान नहीं है।

2. निधियों का अनुप्रयोग - निवेश

समेकित बैलेंस शीट में अनुसूची 8 और 8ए के बीच विभाजन प्रदान नहीं किया गया है। हालांकि, समेकित बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियों में अनुसूची 8 और अनुसूची 8 ए अलग से शामिल हैं। अगले वित्तीय वर्ष में इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

3. निधियों का अनुप्रयोग - चालू परिसंपत्तियां - अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां - अनुसूची 12 - रु. 6861.63 करोड़.

580 करोड़ रुपये की विवादित मांग आकलन वर्ष 2018-19 से संबंधित है, जो धारा 115जेबी के तहत बुक प्रॉफिट के आकलन के कारण थी। मूल्यांकन अधिकारी ने गलत तरीके से आईबीएनआर/आईबीएनईआर को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि यह एक अज्ञात दायित्व है। जब आईबीएनआर/आईबीएनईआर विनियामक आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जाता है और दायित्व की गणना बीमांकिक सिद्धांतों का उपयोग करके एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा की जाती है, तो इसे अज्ञात दायित्व के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। कंपनी ने आदेश के खिलाफ अपील दायर की है और उसे अनुकूल परिणाम का भरोसा है और इसलिए अग्रिम के तहत खुलासा किया गया है और खर्चों का शुल्क नहीं लिया गया है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने, एक अन्य बीमा कंपनी के संबंध में इसी मुद्दे पर, अपने आदेश [TS-386-HC-2024(DEL)] दिनांक 30.5.2024 के माध्यम से माना है कि जब आईबीएनआर/आईबीएनईआर प्रावधान बनाए जाते हैं आईआरडीआई दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करते समय वैज्ञानिक सिद्धांतों और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, उन्हें आकस्मिक देनदारियां नहीं माना जा सकता है, और इस प्रकार माना जाता है कि प्रावधान एक स्वीकार्य व्यय है। उपरोक्त निर्णय कंपनी के इस रुख की पुष्टि करते हैं कि आईआरडीआई के विनियमों के तहत बीमांकिक मूल्यांकन पर किया गया आईबीएनआर/आईबीएनईआर एक स्वीकार्य व्यय है और अग्रिम कर के तहत 580 करोड़ रुपये के भुगतान को उचित माना जाता है।

इसके अलावा, हमारे मामले में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने, अपने संयुक्त आदेश दिनांक 19 जुलाई 2024 के माध्यम से, आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया

है और मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने के लिए इसे आकलन अधिकारी को वापस भेज दिया है। निर्धारित करें कि धारा 115जेबी के तहत अस्वीकृति के लिए आईबीएनआर/आईबीएनईआर एक सुनिश्चित दायित्व है या नहीं। ऐसे में आयकर विभाग द्वारा उठाई गई मांग निरस्त होने की उम्मीद है।

4. निधियों का अनुप्रयोग-चालू परिसंपत्तियाँ-अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ - नोट संख्या 12 - रु. 6861.64 करोड़ बीमा कारोबार करने वाली अन्य संस्थाओं (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) से बकाया - (रु. 106.53 करोड़ को संदिग्ध माना गया) - रु. 1890.64 करोड़

वसूली योग्य 1.39 करोड़ रुपये के भुगतान किए गए दावों में से, 1.37 करोड़ रुपये केवल अनुवर्ती बाजार से वसूली योग्य है और कंपनी शेष राशि की वसूली के लिए ब्रोकरों के माध्यम से लगातार कार्रवाई कर रही है और वसूली के प्रति आश्वस्त है।

5. अनुसूची 12 - 31 मार्च 2024 तक अग्रिम और अन्य संपत्ति बीमा व्यवसाय करने वाली अन्य संस्थाओं (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) से देय - रु. 1890.64,32,000

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने अपने परिपत्र F.No.G.14017/24/2012-Ins.II दिनांक 31 मई 2012 के माध्यम से "विदेश में भारतीय हित" श्रेणी के तहत जारी पॉलिसियों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा उठाई गई चिंता इस प्रकार के जोखिमों के लिए पुनर्बीमा की अनुपलब्धता को ले कर थी।

मौजूदा मामले में, राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता, जनरल इंड्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी सी) ने इस विशेष व्यवसाय की हामीदारी को मंजूरी दे दी है, जो दर्शाता है कि जोखिम का उचित रूप से पुनर्बीमा किया गया है। इसलिए, हम आईजीटी सदस्यों से वसूली के प्रति आश्वस्त हैं और इसलिए इसके लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

ऑडिट द्वारा बताई गई त्रुटि के संबंध में, लेनदेन 2021 की पहली तिमाही से संबंधित है, जिसमें कंपनी इन हाउस में विकसित सॉफ्टवेयर से एकीकृत सॉफ्टवेयर में स्थानांतरित हो गई और त्रुटि की पहचान नहीं की जा सकी और उसे ठीक नहीं किया जा सका। इसे अब पहली तिमाही 2024-25 में ठीक कर लिया गया है।

ब. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

6. वर्ष 2023-24 के लिए यूआईआईसी के समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

6(ए) और 6(बी) की टिप्पणियों पर संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया नीचे दी गई है -

(ए)

- इस संबंध में, हम प्रस्तुत करते हैं कि हमारा ऑडिट इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम

REPLY TO COMMENTS OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

A. Comment On Financial Position

1. Application of Funds- Current Liabilities –Schedule -13

The provision for claims in respect of the Case Reserves are monitored and updated regularly for appropriateness and adequacy by the respective operating offices as per the standard procedure. The IBNR (Incurred but not reported) and IBNER (Incurred but not enough reported) estimation methodology will absorb any Short/Excess provision and accordingly, we are of the opinion that there is no short provision.

2. Application of Funds-Investments

The Bifurcation between Schedule 8 and 8A is not provided in the Consolidated Balance sheet. However, Schedules forming part of the Consolidated Balance sheet contains Schedule 8 and Schedule 8 A separately. The compliance would be ensured in the next financial year.

3. Application of Funds – Current Assets - Advances And Other Assets – Schedule 12 – ₹ 6861.63 Crore.

The disputed demand of ₹ 580 crores pertain to Assessment Year 2018-19 was on account of assessment of book profit under Section 115JB. The Assessing Officer has wrongly disallowed the IBNR/IBNER under the premise that it is an unascertained Liability. When the IBNR/IBNER is provided as per the Regulatory requirement and the liability is calculated by an Independent Actuary using Actuarial principles, it cannot be categorized as Unascertained Liability. The company has filed an appeal against the order and was confident of favourable outcome and hence disclosed under advances and not charged to expenses.

The Hon'ble Delhi High Court, on the same issue in respect of another Insurance Company, vide their order in [TS-386-HC-2024(DEL)] dated 30.05.2024, has held that when IBNR/IBNER provisions are created based on scientific principles and actuarial valuation while preparing the financial statements as per IRDAI guidelines, they cannot be construed to be contingent liabilities, and thus HELD that the provision is an allowable expense. The above judgements vindicate the Company's stand that IBNR/IBNER made on actuarial valuation under the Regulations of IRDAI is an allowable expense and treating the payment of ₹580 crores under Advance Tax is in order.

Further the Income Tax Appellate Tribunal in our case, vide their combined order dated 19th July 2024, has set-aside the order passed by the Commissioner of Income Tax (Appeals) and remanded the issue back to the Assessing Officer to consider the issue afresh to

determine whether IBNR/IBNER is an ascertained liability or not for disallowance under Sec.115JB. Thus, the demand raised by the Income Tax Department is expected to be nullified.

4. Application of Funds -Current Assets-Advances and Other Assets - Note No 12 - ₹ 6861.64 crore Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers) - (₹ 106.53 crore considered doubtful) - Rs. 1890.64 crore

Out of paid claims of ₹ 1.39 crores recoverable, ₹ 1.37 crores is recoverable from follow market only and the Company is continuously following up through Brokers for recovery of the balance amounts and are confident of recovery.

5. Schedule 12 – Advances and other assets as at 31 March 2024 Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers) - ₹ 1890,64,32,000

The Ministry of Finance, Department of Financial Services vide their circular in F.No.G.14017/24/2012-Ins.II dated 31st May 2012 has issued guidelines in respect of policies issued under the category "Indian Interest Abroad". The concern raised by the department was absence of reinsurance back up for these types of risks.

In the instant case, the General Insurance Corporation of India (GIC Re), the national Reinsurer has approved the underwriting of this particular business, which indicate that the risk is properly reinsured. Hence, we are confident of recovering from the IGT members and hence do not consider it necessary to provide for the same.

With regard to the error pointed out by Audit, the transaction pertains to first quarter 2021, wherein the Company migrated from erstwhile in-house developed software to integrated software and the error could not be identified and fixed. The same is now rectified in first quarter 2024-25.

B. Comments on Auditors' Report

6. Independent Auditors report on the Consolidated Financial Statements of UIIC for the year 2023-24

Response by the Joint Statutory Auditors to the comments 6(a) and 6(b) is reproduced below -

(a)

- In this regard, we submit that our audit confirms that the Company has robust systems in place to process all accounting transactions through IT

से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए मजबूत सिस्टम हैं। उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक सॉफ्टवेयर जेनिसिस कॉन्फिगरेटर (जीसी कोर) है, जिसे सभी ऑपरेटिंग कार्यालयों और पोर्टलों पर लागू किया जाता है।

- कोटा पुनर्बीमा प्रीमियम का भुगतान पुनर्बीमाकर्ताओं को केवल प्रीमियम की वास्तविक वसूली के आधार पर किया जाएगा, अर्थात् जब भी किसान या सरकार से प्रीमियम प्राप्त होगा, तब। पुनर्बीमाकर्ताओं को जारी किए जाने वाले खातों का विवरण तैयार करने के उद्देश्य से और पुनर्बीमाकर्ता को भुगतान के उद्देश्य से, पुनर्बीमा विभाग प्रत्यक्ष पक्ष से प्राप्त प्रीमियम के आधार पर पुनर्बीमाकर्ता को वास्तविक देय की गणना के लिए बॉर्डरेक्स रिपोर्ट में दो समायोजन लाइन आइटम दर्ज करता है। ये समायोजन केवल कोटा शेयर पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए खातों का विवरण (एसओए) उत्पन्न करने के उद्देश्य से किए गए हैं। इसका ट्रायल बैलेंस/बुक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- इसलिए, हमारी जांच के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उपरोक्त मुद्दे से संबंधित बॉर्डरेक्स रिपोर्ट में किए गए समायोजन का कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है और इसका उल्लेख धारा 143(5) के तहत निर्देशों के हमारे उत्तर में किया गया था और हमारे उत्तर में कहा गया है सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणालियों के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं।

(बी)

- ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान कंपनी दो सरकारी योजनाओं, अर्थात्, पीएमएफबीवाई (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)

और आरएसबीवाई (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) को अमल कर रही है।

- उपरोक्त योजनाओं के लिए, केंद्र और राज्य सरकार कंपनी को सब्सिडी के रूप में धन मुहैया कराती है। इन सब्सिडी का उपयोग योजनाओं के तहत जारी पॉलिसियों के प्रीमियम के एक हिस्से को कवर करने के लिए किया जाता है।
- जबकि लाभार्थी प्रीमियम का एक हिस्सा भुगतान करते हैं, केंद्र और राज्य सरकारें शेष हिस्से को सब्सिडी के रूप में योगदान करती हैं।
- कंपनी केंद्र/राज्य सरकार से धन की प्राप्ति का रिकॉर्ड तब रखती है जब वे प्राप्त होते हैं और प्राप्य प्रीमियम के विरुद्ध इन राशियों की भरपाई करती है।
- उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर, हमने निर्देशों पर अपना उत्तर इस प्रकार दिया है, “कंपनी को केंद्र/राज्य सरकार से पीएमएफबीवाई/आरएसबीवाई से संबंधित सब्सिडी का एक हिस्सा प्राप्त हुआ, जिसका उचित हिसाब-किताब किया गया और उपयोग किया गया।”

योजना दस्तावेजों और अन्य प्रासंगिक सामग्रियों की जांच करने के बाद, हम समझते हैं कि कंपनी द्वारा प्राप्त या प्राप्य धनराशि लाभार्थियों के लिए लक्षित सब्सिडी है। भले ही सब्सिडी लाभार्थियों के लिए होती है, लेकिन उनका भुगतान सीधे कंपनी को किया जाता है। कंपनी ने योजना की आवश्यकताओं के अनुसार इन सब्सिडी का उचित हिसाब लगाया है और उनका उपयोग किया है।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-

(भूपेश सुशील राहुल)

अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक

डीआइएन नं. 10610759

स्थान: चेन्नै

दिनांक 12.08.2024

systems. The primary software used is the Genisys Configurator (GC CORE), which is implemented across all operating offices and portals.

- The Quota Reinsurance Premium will be paid to reinsurers only based on actual realization of premium i.e., as and when the premium received from farmer or Government. For the purpose of generating a Statement of Accounts to be issued to reinsurers & for the purpose of payment to reinsurer, the reinsurance department enters two adjustment line items in the Bordereaux Report for the arriving at actual due to the reinsurer based on realized premium from direct side. These adjustments are made only for the purpose of generating a Statement of Accounts (SOA) for quota share reinsurers. It does not have any impact on the Trial Balance/Books.
- Therefore, based on our examination we conclude that the adjustments made in the Bordereaux report relating to the above issue do not have any financial implications and the same was mentioned in our reply to the directions under Section 143(5) and that our reply states that all accounting transactions are processed through IT systems.

(b)

- The Company is dealing with two Government Schemes, namely PMFBY (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) and RSBY (Rashtriya Swasthya Bima Yojana), during the year under audit.

- For the aforementioned schemes, Central and State Government provide funding to the Company in the form of subsidies. These subsidies are used to cover a portion of the premium for the policies issued under the schemes.
- While beneficiaries pay a part of the premium, the Central and State Governments contribute the remaining portion as a subsidy.
- The Central/State Government portion of the premium is paid to the company as a subsidy, according to the scheme guidelines.
- The Company records the receipt of funds from Central/State Government as and when they are received and offsets these amounts against the premium receivable.
- Based on the above points, we have given our reply to the Directions as “The Company received a part of the Subsidy relating to PMFBY/RSBY from Central State Government which were properly accounted and utilized.”

After examining the scheme documents and other relevant materials, we understand that the funds received or receivable by the company are subsidies intended for the beneficiaries. Even though the subsidies are meant for the beneficiaries, they are paid directly to the company. The company has appropriately accounted for and utilized these subsidies according to the scheme requirements.

For and on behalf of the Board

Sd/-

(Bhupesh Sushil Rahul)

Chairman-cum-Managing Director

DIN No.10610759

Place : Chennai
Date : 12.08.2024

अनुलग्नक 2 - सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और टिप्पणियाँ

सचिवीय लेखा रिपोर्ट

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

प्रति

सदस्य गण,

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेस कंपनी लिमिटेड,

चेन्नै

हमने मेसर्स युनाइटेड इंडिया इश्यूरेस कंपनी लिमिटेड (एतदपश्चात कंपनी कही जाएगी) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और स्वच्छ कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। हमें उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के आधार पर सचिवीय लेखापरीक्षा को इस तरह से आयोजित की गई, जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय/समझ व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए और हमें उपलब्ध कराए गए अन्य रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय ऑडिट के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर हम, उन रिकॉर्डों और इस प्रकार प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय और समझ में, कंपनी, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान, वैधानिक का अनुपालन करती हुई प्रतीत होती है तथा यहां नीचे सूचीबद्ध प्रावधानों और हमारी सीमित समीक्षा में भी, कंपनी के पास इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की सीमा, तरीके और विषय के अनुसार उचित और आवश्यक बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र उपलब्ध हैं।

हमने लागू प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए और हमें उपलब्ध कराए गए पुस्तकों, कागजात, मिनट्स बुक, दाखिल किए गए फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है:

- i) कंपनी अधिनियम, 2013 (मअधिनियमफ) और उसके अंतर्गत लागू नियम;
- ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (मएससीआरएफ) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;
- iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और लागू सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक इसके तहत बनाए गए नियम और विनियम।
- v) वर्ष के दौरान भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश लागू नहीं थे:-
 - a) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अभिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - b) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंदाजनी कारोबार का निषेध) विनियम, 2015;
 - c) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गमन प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2018;
 - d) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और उद्यम इक्विटी) विनियम, 2021;
 - e) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;
 - f) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;

Annexure 2 – Secretarial Audit Report and Observations

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2024

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To
The Members,
UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED,
Chennai

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **M/s. UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED**, (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted based on records made available to us, in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion/understanding thereon.

Based on our verification of the Company's Books, Papers, Minute Books, Forms and Returns filed and other records maintained by the Company and made available to us and also the information provided by the Company, its Officers, Agents and Authorized Representatives during the conduct of Secretarial Audit, we, on strength of those records, and information so provided, hereby report that in our opinion and understandings, the Company, during the audit period covering the financial year ended on **March 31, 2024**, appears to have complied with the statutory provisions listed hereunder and also in our limited review, the Company has proper and required Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the Books, Papers, Minutes' Book, Forms and Returns filed and other records maintained by the Company and made available to us, for the financial year ended on **March 31, 2024** according to the applicable provisions of:

- i) The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder as applicable;
- ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings to the extent applicable.
- v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI ACT') were not applicable during the year:-
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021;
 - e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;
 - f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
 - g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021; and
 - h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;

- g) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2021; और
- h) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018;
- vi) प्रबंधन ने कंपनी (बीमा कानून) पर विशेष रूप से लागू होने वाले निम्नलिखित कानूनों की पहचान और पुष्टि की हैः
- a) सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 ("जीआईबीएनए");
- b) बीमा अधिनियम, 1938;
- c) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999;
- d) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन दिशानिर्देश 2016;
- e) औद्योगिक विवाद (बैंकिंग और बीमा कंपनियों) अधिनियम, 1949;
- f) समुद्री बीमा अधिनियम 1963;
- g) उपरोक्त संविधियों के अंतर्गत आवश्यक सीमा तक जारी नियम, विनियम, परिपत्र, आदेश, अधिसूचना और निर्देश।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

- i) निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और सामान्य बैठकों (एसएस-2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक, और
- ii) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते - **लागू नहीं**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे उल्लिखित को छोड़कर आवश्यक सीमा तक ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के लागू प्रावधानों के अनुसार पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं का अनुपालन किया है:

- वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट (एपीआर) दाखिल न करना
- रिटर्न जमा करने में देरी
- आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन और आरक्षित पर्याप्तता का रखरखाव न करना और बीमा कानूनों के तहत स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रबंधन व्यय।

हमें यह दर्शाया गया है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू विभिन्न अधिनियमों के तहत वैधानिक प्राधिकारियों/लेखा परीक्षकों द्वारा उठाए गए मुद्दों और कंपनी द्वारा प्राप्त पत्रों/नोटिस, यदि कोई हो, को संबोधित करने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, उपाय शुरू किए हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, उपरोक्त के अधीन, जो संबंधित दस्तावेज हमें मिले हैं वे दर्शाते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है और समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए हैं, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई है, एजेंडा तथा एजेंडा पर विस्तृत नोट्स को कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे और बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत के निर्णय को आगे बढ़ाया जाता है जबकि असहमत सदस्यों के विचार, यदि कोई हों, को मिनट के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की हमारी सीमित समीक्षा के आधार पर, कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं मौजूद हैं। कंपनी के लिए आईटी योजना/नीति के संबंध में, कंपनी ने वर्ष के दौरान एक आईटी सलाहकार नियुक्त किया है और लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं लागू की जा रही हैं।



- vi) The management has identified and confirmed the following laws as being specifically applicable to the Company (Insurance Laws):
- General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (“GIBNA”);
 - The Insurance Act, 1938;
 - Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999;
 - Corporate Governance Guidelines, 2016 issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India;
 - Industrial Disputes (Banking and Insurance Companies) Act, 1949;
 - Marine insurance Act 1963;
 - Rules, Regulations, Circulars, Orders, Notification and Directives issued under the above statute to the extent applicable.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India with respect to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2), and
- The Listing Agreements entered into by the Company with Stock Exchanges and The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - **NOT APPLICABLE**

During the period under review, the Company has complied with the requirements to be met in accordance with the applicable provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above to the required extent except as mentioned below:

- Non-filing of Annual Performance Report (APR)
- Delay in submission of returns
- Non-maintenance of required solvency margin and reserve adequacy and Management Expenses in excess of allowable limits under insurance laws.

It is represented to us that the company has initiated measures, wherever required, to address issues raised by the Statutory Authorities/Auditors and Letters/Notices received by the Company, if any, during the financial year under various enactments as applicable to the company.

We further report that, subject to the above, the related documents that we have come across depict that:

The Board of Directors of the Company is constituted as applicable with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and the changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, Agenda and detailed notes on Agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members’ views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that, based on our limited review of the compliance mechanism established by the Company, there appear adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines. With respect to IT plan / policy for the Company, the Company has appointed an IT consultant during the year and the systems and processes are being implemented for ensuring compliance with applicable Laws.

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि, ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी ने एजीएम में सामान्य व्यवसाय के अलावा अन्य प्रमुख कार्यक्रमों के लिए अपने सदस्यों की मंजूरी मांगी है।

- a. मौजूदा अनुच्छेद खंड 94 और उसके खंड 96 को नए खंडों के साथ प्रतिस्थापित करके कंपनी के अंतर्नियमों में बदलाव की मंजूरी; (13.02.2024 को आयोजित ईजीएम में)

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि जैसा कि हमें सूचित किया गया है -

- a. कंपनी खातों को बंद करने से पहले मई 2021 में एलसीबी मुंबई में एक बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ था और इसमें 2046911 हजार रुपये लिप्त थी और यह पिछले वर्ष के खातों में पूरी तरह से प्रदान की गई है। अब तक आर्थिक अपराध शाखा मुंबई द्वारा वसूल की गई 889909 हजार रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने विभिन्न पक्षों की चल-अचल संपत्तियों और 252207 हजार रुपये मूल्य की छह संपत्तियों को जब्त किया है।
- b. वर्ष 2021-22 में मंडल कार्यालय सूरत में 21145 हजार रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ, जो पिछले वर्ष के खातों में पूरी तरह से प्रदान किया गया है। संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति पर है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि हमारा ऑडिट केवल कंपनी द्वारा उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मौजूद सिस्टम और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता की पुष्टि करने के अधीन था और हम कंपनी की ओर से उन अनुपालनों में किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन, जो अन्य ऑडिट या नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं, की हमारे द्वारा स्वतंत्र रूप से समीक्षा नहीं की गई है और जहां भी हमें रिपोर्ट दिखाई गई है, हमारी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में उन पर भरोसा किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट को जारी करने के उद्देश्य से, कंपनी द्वारा अनुरोध और सुविधा के अनुसार, जब भी आवश्यकता हुई, ऑनलाइन सत्यापन और रिकॉर्ड की जांच के माध्यम से हमने सचिवीय ऑडिट किया है।

वास्ते एस. धनपाल & एसोसिएट्स एलएलपी
(पेशेवर कंपनी सचिव)
(प्रतिष्ठान पंजी. सं. L2023TN014200)
LLPIN: ACB 0368

एस.धनपाल
(भागीदार)
FCS. 6881
CP No. 7028

सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र क्र. 1107/2021
UDIN :F006881F000479408

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 29.05.2024

इस रिपोर्ट को सम दिनांक की हमारी साक्ष्य के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अनुलब्धक ए के रूप में संलब्ध है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

We further report that, during the audit period the Company has sought the approval of its members for following main events other than ordinary business at the AGM;

- a. Approval for alteration of Articles of Association of the Company by substituting the existing Article Clause 94 and Clause 96 thereof with new Clauses; (At EGM held on 13.02.2024).

We further report that as informed to us -

- a. A major fraud was unearthed in LCB Mumbai in May 2021 before the closure of Company accounts and the amount involved was INR 2046911 thousand and this is fully provided for in the earlier year accounts. Till date an amount of INR 889909 thousand recovered by Economic Offence Wing Mumbai has been received. Enforcement directorate has attached moveable and immoveable properties from various parties and six properties worth INR 252207 thousand.
- b. Fraud unearthed in the year 2021-22 amounting to INR 21145 thousand at DO Surat, has been fully provided in the earlier year accounts. The disciplinary proceedings against the concerned employees are in progress.

We further report that our Audit was subjected only to verifying adequacy of systems and procedures that are in place for ensuring proper compliance by the Company and we are not responsible for any lapses in those compliances on the part of the Company. The compliance with provisions of applicable laws which have been subject to other audits or review by designated professionals have not been independently reviewed by us and the reports wherever shown to us have been relied upon in rendering our report.

We further report that we have conducted the secretarial audit whenever required through online verification and examination of records, as requested and facilitated by the Company, for the purpose of issuing this Report.

For S DHANAPAL & ASSOCIATES LLP
(Practicing Company Secretaries)
(Firm Regn. No. L2023TN014200)
LLPIN: ACB 0368

S. DHANAPAL
(Partner)
FCS. 6881
CP No. 7028

Place : Chennai
Date : 29.05.2024

Peer Review Certificate No.1107/2021
UDIN :F006881F000479408

This Report is to be read with our testimony of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.

प्रति
सदस्य गण,
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
चेन्नै

लेखा परीक्षक की जवाबदेही

ऑडिट के आधार पर, हमारी जिम्मेदारी कंपनी द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन और रिकॉर्ड के रखरखाव पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना ऑडिट भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ("आईसीएसआई") द्वारा निर्धारित ऑडिटिंग मानकों सीएसएस 1 से सीएसएस 4 ("सीएसएस") के अनुसार किया। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि ऑडिटर वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं और योजनाओं का अनुपालन करे और लागू कानूनों के अनुपालन और रिकॉर्ड के रखरखाव के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करे।

आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण सहित ऑडिट की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलत विवरण या भौतिक गैर-अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही ऑडिट ठीक से योजनाबद्ध हो और सीएसएस के अनुसार किया गया हो। सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन को परीक्षण के आधार पर किया गया। हमारा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और इसके लिए हमने वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर भरोसा किया है।
4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का निरूपण प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।
6. जिस प्रकार प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है, उस पर सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है।

वास्ते एस. धनपाल & एसोसिएट्स एलएलपी
(पेशेवर कंपनी सचिव)
(प्रतिष्ठान पंजी. सं. L2023TN014200)
LLPIN: ACG 0368

एस. धनपाल
(भागीदार)
FCS. 6881
CP No. 7028
सहकर्म समीक्षा प्रमाणपत्र क्र. 1107/2021
UDIN : F006881F000479408

Annexure A

To
The Members,
UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED,
Chennai

AUDITOR'S RESPONSIBILITY

Based on audit, our responsibility is to express an opinion on the compliance with the applicable laws and maintenance of records by the Company. We conducted our audit in accordance with the auditing standards CSAS 1 to CSAS 4 ("CSAS") prescribed by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI"). These standards require that the auditor complies with statutory and regulatory requirements and plans and performs the audit to obtain reasonable assurance about compliance with applicable laws and maintenance of records.

Due to the inherent limitations of an audit including internal, financial and operating controls, there is an unavoidable risk that some misstatements or material non-compliances may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with the CSAS. Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these Secretarial Records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial Records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of Financial Records and Books of Accounts of the Company and for which we relied on the report of statutory auditor.
4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of Laws, Rules and Regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable Laws, Rules, Regulations, Standards is the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For S DHANAPAL & ASSOCIATES LLP
(Practicing Company Secretaries)
(Firm Regn. No. L2023TN014200)
LLPIN: ACB 0368

S. DHANAPAL
(Partner)
FCS. 6881
CP No. 7028

Peer Review Certificate No.1107/2021
UDIN :F006881F000479408

Place : Chennai
Date : 29.05.2024

वित्तीय वर्ष 2023-2024 को कवर करने वाली सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणियों का उत्तर जो निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा बनेगी

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत परिकल्पित सचिवीय ऑडिट में लागू विधानों के अनुपालन का सत्यापन सम्मिलित है और इस पर ऑडिटर्स ने कुछ टिप्पणियां की हैं। निदेशकगण अपनी टिप्पणियों के संबंध में निम्नलिखित बातें रिकार्ड में रखना चाहते हैं।

- **वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट(एपीआर) दाखिल नहीं किया जाना**

भारत से बाहर की संस्थाओं में युइइंके द्वारा किए गए निवेश के संबंध में वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट (एपीआर) को हमारे बैंकर के माध्यम से आरबीआई को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। मेसर्स एशिया रीडिश्यूरेस कॉर्पोरेशन, थाईलैंड (एशियन रे) में हमारे निवेश के संबंध में एपीआर जो 31-12-2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर तैयार किया गया है, को हमारे वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया और आरबीआई को प्रस्तुत करने के लिए 04 सितंबर 2023 को एचडीएफसी बैंक को प्रस्तुत किया गया। एशियन रे के संबंध में कई विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) लागू होने के कारण, आरबीआई को प्रस्तुत करने में बैंक को तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

बैंकर से इस संबंध में पुष्टि प्रतीक्षित है।

- **रिटर्न जमा करने में देरी, आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन और रिजर्व पर्याप्तता को बनाए न करना और बीमा कानूनों के तहत स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रबंधन व्यय।**

वर्ष के दौरान दाखिल किए गए अधिकांश आइआरडीएआइ रिटर्न समय पर जमा किए गए हैं।

हालाँकि, कुछ मासिक विवरणों को जमा करने में कुछ विलंब हुई है क्योंकि इसमें विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से संकलन किया जाना था। हम इसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 29.05.2024

बोर्ड की ओर से
हस्ता/-
(श्री भूपेश सुशील राहुल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं. 10610759



REPLY TO OBSERVATIONS IN THE SECRETARIAL AUDIT REPORT COVERING THE FINANCIAL YEAR 2023-2024 FORMING PART OF THE DIRECTORS' REPORT

The Secretarial audit as envisaged under the Companies Act 2013 covers verification of compliance with the applicable laws and the auditors have made few observations. The Directors wish to place on record the following with respect to the observations.

- **Non-filing of Annual Performance Report (APR)**

Annual Performance Report (APR) in respect of Investments made by UIIC in outside India entities are required to be submitted to RBI through our Banker. APR in respect of our investment in M/s. Asia Reinsurance Corporation, Thailand (Asian Re), prepared on the audited financials for the year ended 31-12-2022 was duly certified by our statutory auditor and submitted to HDFC Bank on 04th September 2023 for onward submission to RBI. Due to multiple Unique Identification Number (UIN) in respect of Asian Re are in force, the bank is facing technical difficulties on the submission to RBI.

We are awaiting the confirmation from the Banker.

- **Delay in submission of returns, non-maintenance of required solvency margin and reserve adequacy and Management Expenses in excess of allowable limits under insurance laws.**

The submission of most of the IRDAI returns filed during the year have been on time.

However, in few monthly statements there were slight delays since it involved compilation from various regional offices. We are taking the needed steps to improve upon the same.

For and on behalf of the Board

Sd/-

(Bhupesh Sushil Rahul)

Chairman - cum - Managing Director

DIN No.10610759

Place : Chennai
Date : 29.05.2024

सीएसआर वार्षिक रिपोर्ट

1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट।

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

हमारे बोर्ड ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार हमारी कंपनी की सीएसआर नीति 2014-15 को मंजूरी दी थी। हमारी कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंद स्कूलों और गांवों को बुनियादी ढांचा प्रदान करने और लोगों के बीच बीमा जागरूकता फैलाने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम, व्यापक ग्राम विकास कार्यक्रम, स्कूल बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम आदि जैसी पहल की है। हमारी कंपनी ने समाज के कल्याण के लिए शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण और निवारक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित परियोजनाएं भी शुरू की हैं।

जनवरी, 2021 में सीएसआर संशोधित नियम लागू होने पर नीति में संशोधन किया गया।

2. सीएसआर समिति की संरचना

सीएसआर समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं (31.3.2024 को):

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम / प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया गया
1	गोपलकृष्णन सुंदररामन ²	अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	0	0
2	एम वी राव	निदेशक		
3	एम जी जयश्री	निदेशक		
4	परशांत कुमार गोयल	निदेशक		

1. श्री सत्यजीत त्रिपाठी 01.03.2024 से सेवानिवृत्ति के कारण समिति के अध्यक्ष/सदस्य नहीं रहे

2. श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन को 09.05.2024 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, वह 01.05.2024 से सेवानिवृत्ति के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे।

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का कंपनी की वेबसाइट पर खुलासा किया गया है।

सीएसआर समिति की संरचना

https://uiic.co.in/sites/default/files/upload/csr/composition_CSR-Committee.pdf

सीएसआर नीति

<https://uiic.co.in/csr>

सीएसआर परियोजनाएं

<https://uiic.co.in/sites/default/files/upload/csr/list%20of%20CSR%20Projects.pdf>

4. यदि लागू हो तो नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें

लागू नहीं

CSR ANNUAL REPORT

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES TO BE INCLUDED IN THE BOARD'S REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR COMMENCING ON OR AFTER 1ST DAY OF APRIL, 2023.

1. Brief outline on CSR policy of the Company

Our Board approved our Company's CSR Policy 2014-15 as per section 135 of the Companies Act, 2013, as notified by the Ministry of Corporate Affairs. Our Company has undertaken initiatives like Rural Infrastructure Development program, Comprehensive Village Development Program, School Infrastructure Development program etc. to provide infrastructure to the needy schools and villages in rural area and spread insurance awareness amongst the people. Our Company has also undertaken Education, Skill Development, Environmental Protection & Preventive Healthcare related Projects for the Welfare of the Society.

The policy was subsequently amended when the CSR Amended Rules came into action in January, 2021.

2. Composition of CSR Committee

The CSR Committee comprises of the following members(as on 31.03.2024):

S. No.	Name of Director	Designation/Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year
1	Gopalakrishnan Sundararaman ²	Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge)	0	0
2	M V Rao	Director		
3	M G Jayasree	Director		
4	Parshant Kumar Goyal	Director		

1. Shri Satyajit Tripathy ceased to be Chairman / Member of the Committee due to superannuation with effect from 01.03.2024

2. Shri Gopalakrishnan Sundararaman was appointed as a Member of the Committee with effect from 09.05.2023. He ceased to be Member of the Committee due to superannuation with effect from 01.05.2024

3. Provide the web-link where composition of CSR Committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the Board are disclosed on the website of the Company

Composition of CSR Committee

https://uiic.co.in/sites/default/files/upload/csr/composition_CSR-Committee.pdf

CSR Policy

<https://uiic.co.in/csr>

CSR Projects

<https://uiic.co.in/sites/default/files/upload/csr/list%20of%20CSR%20Projects.pdf>

4. Provide the executive summary along with web links of impact assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule(3) of rule 8, if applicable

Not applicable

5. (अ) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ
₹ 0
- (ब) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत
₹ 0
- (स) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष
₹ 0
- (ड) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो
₹ 0
- (ई) वित्तीय वर्ष का कुल सीएसआर दायित्व ((ब)+(स)-(ड))
₹ 0
6. (अ) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजनाएं और चालू परियोजनाओं के अलावा दोनों)
₹ 0
- (ब) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि
₹ 0
- (स) प्रभाव मूल्यांकन पर कुल खर्च, यदि लागू हो
लागू नहीं
- (ड) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(ए)+(बी)+(सी)]
₹ 0
- (ई) वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर राशि खर्च की गई या खर्च नहीं की गई

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	खर्च न की गई राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

(फ) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र. सं.	विवरण	राशि रु. में
i	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत लाभ का दो प्रतिशत	0
ii	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	0
iii	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई अधिक राशि (ii-i)	0
iv	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों, या पिछले वित्तीय वर्ष की गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	0
v	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (iii-iv)	0

5. (a) Average net profit of the Company as per Section 135(5)
₹ 0
- (b) Two percent of average net profit of the Company as per Section 135(5)
₹ 0
- (c) Surplus arising out of CSR projects, programs or activities of the previous financial years
₹ 0
- (d) Amount required to be set off for the financial year, if any
₹ 0
- (e) Total CSR obligation of the Financial Year ((b)+(c)-(d))
₹ 0
6. (a) Amount spent on CSR Projects (Both ongoing projects and other than ongoing projects)
₹ 0
- (b) Amount spent in administrative overheads
₹ 0
- (c) Total spent on Impact Assessment,if applicable
NA
- (d) Total amount spent for the Financial year [(a)+(b)+(c)]
₹ 0
- (e) CSR amount spent or unspent for the financial year

Total Amount Spent for Financial Year	Amount unspent (in ₹)				
	Total Amount transferred to unspent CSR account as per section 135(6)		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per proviso to section 135(5)		
	Amount	Date of transfer	Name of Fund	Amount	Date of transfer
NIL	NIL	NA	NA	NIL	NA

- (f) Excess amount for set off, if any

S. No	Particulars	Amount in ₹
i	Two percentage of average profit of the Company as per Section 135(5)	0
ii	Total amount spent for the financial year	0
iii	Excess amount spent for financial Year(ii-i)	0
iv	Surplus arising out of CSR projects or Programs, or activities of previous Financial year, if any	0
v	Amount available for set off in succeeding financial years (iii-iv)	0

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची तखख के तहत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)	अभाव, कोई हो तो
1	2020-21	लागू नहीं	लागू नहीं	79618439	लागू नहीं	लागू नहीं	17161776	लागू नहीं
2	2021-22	17161776	16297826	863950	112600000	27.9.2021	16297826	लागू नहीं
3	2022-23	शून्य	16297826	11728344	शून्य	शून्य	4569482	लागू नहीं

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई या अर्जित की गई है नहीं

यदि हां, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें

लागू नहीं

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्तियों से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति का संक्षिप्त विवरण संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिन कोड	सृजन तिथि	खर्च की गई राशि सीएसआर राशि	पंजीकृत स्वामी की इकाई / प्राधिकरण / लाभार्थी का विवरण		
1	2	3	4	5	6		
					सीएसआर पंजीयन सं.	नाम	पंजीकृत पता

लागू नहीं

9. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें।

पिछले वर्षों की चल रही परियोजनाएँ ही एकमात्र ऐसी परियोजनाएँ हैं जिन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है, जो कार्यान्वयन के लिए कई वर्षों तक चलती हैं।

वर्ष 2023-24 में कंपनी ने सीएसआर के लिए कोई निधि मंजूर नहीं कर सकी क्योंकि उसने पहले ही सभी अव्ययित/गैरआबंटित निधि को स्वच्छ भारत कोष में स्थानांतरित कर दिया था, जो कि सीएसआर संशोधन नियम 2021 के अनुसार अनुसूची VII के तहत पहचाना गया निधि है।



7. Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years

S. No	Preceding Financial year	Amount transferred to unspent CSR Account under Section 135(6) (in ₹)	Balance Amount in Unspent CSR Account Under sub-section(6) of section 135 (in ₹)	Amount Spent in the Financial year (in ₹)	Amount Transferred to a fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5) , if any		Amount Remaining to be spent in succeeding Financial Years (in ₹)	Deficiency, if any
					Amount (in ₹)	Date of Transfer		
1	2020-21	NA	NA	79618439	NA	NA	17161776	NA
2	2021-22	17161776	16297826	863950	112600000	27.09.2021	16297826	NA
3	2022-23	NIL	16297826	11728344	NIL	NIL	4569482	NA

8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year

No

If yes, enter the number of capital assets created/acquired

Not applicable

Furnish the details relating to such assets so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial year

S. No	Short particulars of the property or assets [including complete address and location of the property]	Pin code of the property or assets	Date of creation	Amount of CSR Spent	Details of entity/Authority/beneficiary of the registered owner		
					CSR Reg. No.	Name	Regd. Address
1	2	3	4	5	6		
					CSR Reg. No.	Name	Regd. Address
Not applicable							

9. Specify the reasons, if the Company has failed to spend two percentage of the average net profit as per section 135(5)

The ongoing projects of the previous years are the only projects which are being implemented, which run for multiple years for the implementation.

The Company could not sanction any fund to CSR in the year 2023-24 since it had already transferred all the unspent/ unallocated funds to Swachh Bharat Kosh, a fund identified under schedule VII as per CSR Amendment Rules 2021.

Place : Chennai
Date : 29.05.2024

Sd/-
(Bhupesh Sushil Rahul)
Chairman cum Managing Director
& Chairman – CSR Committee
DIN No.10610759

प्रपत्र सं. एओसी.2

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ निश्चित लेनदेन भी शामिल हैं।

(लेखा) नियम, 2014 अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और नियम 8(2) के अनुसार)

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण जो आर्म्स लेंगथ के आधार पर नहीं है:

संबंधित पक्ष का नाम तथा उनसे संबंध	अनुबंध/ व्यवस्था/ लेनदेन की प्रकृति	अनुबंध/ व्यवस्था/ लेनदेन की अवधि	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथियाँ	अग्रिम का भुगतान, यदि कोई हो	वह तारीख जब धारा 188 के पहले परंतुक के तहत अपेक्षित सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सामग्री अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण आर्म्स लेंगथ के आधार पर: शून्य वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुबंधों या व्यवस्थाओं या आर्म्स लेंगथ के आधार पर लेनदेन का विवरण नीचे दिया गया है:

संबंधित पक्ष का नाम तथा उनसे संबंध	अनुबंध/ व्यवस्था/ लेनदेन की प्रकृति	अनुबंध/ व्यवस्था/ लेनदेन की अवधि	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथियाँ	भुगतान की राशि (रु. लाखों में)
प्राप्त लाभांश					
जेनीथ सेक्यूरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	सहायक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00
इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस कं. प्रा. लि.	सहयोगी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	610.5
केन इंडिया एश्योरेंस कं. लिमिटेड		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	26.05
जीआईसी हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	178.02
प्राप्त किराया					
हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	सहयोगी	1 दिसंबर 2017 से 30 नवंबर 2026 तक	सेवा स्तर के अनुबंध में दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार	नोट क्र. 1 का संदर्भ लें	6.70
जीआईसी हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड		लागू नहीं		लागू नहीं	0.00
प्राप्त किराया					
हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	सहयोगी	1 दिसंबर 2017 से 30 नवंबर 2026 तक	सेवा स्तर के अनुबंध में दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार	नोट क्र. 1 का संदर्भ लें	0.62
जीआईसी हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड		लागू नहीं		लागू नहीं	5.43
भुगतान किया गया टीपीए शुल्क					
हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	सहयोगी	लागू नहीं	सेवा स्तर के अनुबंध में दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार	नोट क्र. 1 का संदर्भ लें	1163.73
देय टीपीए शुल्क					
हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	सहयोगी	लागू नहीं		नोट क्र. 1 का संदर्भ लें	103.44



FORM NO. AOC.2

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis:

Name(s) of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts/ arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	Date(s) of approval by the Board	Amount paid as advances, if any	Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

2. Details of material contracts or arrangements or transactions at arm's length basis for the financial year 2023-24: NIL

The details of contracts or arrangements or transactions at arm's length basis for the financial year 2023-24 are given below :

Name(s) of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts/ arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any:	Date(s) of approval by the Board, if any:	Amount paid (in ₹ Lacs)
Dividend Received					
Zenith Securities and Investment Ltd	Subsidiary	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	0.00
India International Insurance Pte Ltd	Associate	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	610.50
Ken India Assurance Co Ltd		Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	26.05
GIC Housing Finance Limited		Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	178.02
Rent Received					
Health Insurance TPA of India Ltd	Associate	1st Dec 2017 – 30th November 2026	As per the terms and conditions mentioned in Service Level Agreement	Refer Note 1	6.70
GIC Housing Finance Limited		Not Applicable		Not Applicable	0.00
Rent Receivable					
Health Insurance TPA of India Ltd	Associate	1st Dec 2017 – 30th November 2026	As per the terms and conditions mentioned in Service Level Agreement	Refer Note 1	0.62
GIC Housing Finance Limited		Not Applicable		Not Applicable	5.43
TPA Fees Paid					
Health Insurance TPA of India Ltd	Associate	Not Applicable	As per the terms and conditions mentioned in Service Level Agreement	Refer Note 1	1163.73
TPA Fees Payable					
Health Insurance TPA of India Ltd	Associate	Not Applicable		Refer Note 1	103.44

संबंधित पक्ष का नाम तथा उनसे संबंध	अनुबंध/ व्यवस्था/ लेनदेन की प्रकृति	अनुबंध/ व्यवस्था/ लेनदेन की अवधि	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तों, जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथियाँ	भुगतान की राशि (रु. लाखों में)
पुर्नबीमा लेनदेन					
- प्रत्यक्ष को देय इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस कं.प्रा. लि.	सहयोगी	लागू नहीं	सेवा स्तर के अनुबंध में दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार	नोट क्र. 1 का संदर्भ लें	105.93
- प्रत्यक्ष से देय इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस कं.प्रा. लि.	सहयोगी	लागू नहीं	सेवा स्तर के अनुबंध में दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार	नोट क्र. 1 का संदर्भ लें	2384.45
प्राप्त निदेशकों का पारिश्रमिक					
केन इंडिया एश्यूरेंस कं. लिमिटेड		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1.27
स्थानांतरित आवासीय ऋण					
जीआईसी हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड		लागू नहीं		नोट क्र. 1 का संदर्भ लें	1174.62
आवास ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज					
जीआईसी हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड		लागू नहीं		नोट क्र. 1 का संदर्भ लें	529.72

नोट 1: चूंकि लेनदेन की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर है, इसलिए लेनदेन को लेखापरीक्षा समिति द्वारा 29.05.2024 को अनुमोदित किया गया था।



Name(s) of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts/ arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any:	Date(s) of approval by the Board, if any:	Amount paid (in ₹ Lacs)
Reinsurance transactions					
- Due to Direct India International Insurance Pte Ltd.	Associate	Not Applicable	As per the terms and conditions mentioned in Re-insurance agreement.	Refer Note 1	105.93
- Due from Direct India International Insurance Pte Ltd	Associate	Not Applicable	As per the terms and conditions mentioned in Re-insurance agreement.	Refer Note 1	2384.45
Director's Remuneration Received					
Ken India Assurance Co Ltd.		Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	1.27
Housing Loan transferred					
GIC Housing Finance Limited		Not Applicable		Refer Note 1	1174.62
Interest on Housing Loan Paid					
GIC Housing Finance Limited		Not Applicable		Refer Note 1	529.72

Note 1 : Since the quantum of transactions is within the prescribed threshold limits, the transactions were approved by the Audit Committee on 29.05.2024.

पिछले पांच वर्षों में स्वास्थ्य, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में प्रदर्शन

(₹ लाख में)

पॉलिसी विवरण	वर्ष	जारी की गई पॉलिसियों की संख्या	बीमित व्यक्तियों की संख्या	एकत्रित की गई प्रीमियम की राशि	रिपोर्ट की गई दावों की संख्या	उपगत दावा राशि	निपटाए गए दावों की संख्या	दावा निपटान राशि	उपगत दावा अनुपात %
मेडिकलेम पॉलिसियाँ									
स्वास्थ्य (व्यक्तिगत + समूह)	2019-20	1102842	52761935	533692.00	2964648	544338.00	3052216	612058.00	102.00
	2020-21	1119506	161266550	624153.02	3940255	610312.21	3834329	610189.72	97.78
	2021-22	998860	159796316	631934.26	6288134	756739.94	5996905	761580.04	119.75
	2022-23	883927	154170951	724376.00	3876081	714622.27	4183331	711304.36	89.18
	2023-24	842339	160679297	789263.34	3453697	831319.25	3306659	781049.52	105.00
सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्र - एक नजर									
जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी	2019-20	45310	45102577	1943.30	831	805.76	1429	1001.99	41.00
	2020-21	25773	8750879	611.30	503	512.24	895	688.54	84.00
	2021-22	25369	3217886	563.00	827	513.86	791	574.09	91.25
	2022-23	26050	3613943	645.64	833	910.00	770	1094.00	90.00
	2023-24	23772	2034179	593.60	542	467.36	479	456.71	78.73
पशु बीमा	2019-20	162719	1838177	10295.43	33258	8946.39	34080	8753.97	86.90
	2020-21	118000	1565710	7962.62	20467	5795.26	22375	6285.34	73.00
	2021-22	96405	748889	6085.00	18645	5064.60	17889	5094.53	83.23
	2022-23	92665	746625	6803.00	23631	6543.44	22723	6678.53	96.18
	2023-24	107076	954874	10025.00	18944	5642.27	17310	5525.59	56.28

Annexure 5

PERFORMANCE IN HEALTH, RURAL AND SOCIAL SECTOR IN THE LAST FIVE YEARS

(₹ in lakhs)

Policy Details	Year	No. of Policies issued	No. of Persons insured	Amount of Premium collected	No. of claims reported	Incurred Claims Amount	No. of claims settled	Claims settled Amount	Incurred Claims Ratio %
MEDICLAIM POLICIES									
Health (Individual + Group)	2019-20	1102842	52761935	533692.00	2964648	544338.00	3052216	612058.00	102.00
	2020-21	1119506	161266550	624153.02	3940255	610312.21	3834329	610189.72	97.78
	2021-22	998860	159796316	631934.26	6288134	756739.94	5996905	761580.04	119.75
	2022-23	883927	154170951	724376.00	3876081	714622.27	4183331	711304.36	89.18
	2023-24	842339	160679297	789263.34	3453697	831319.25	3306659	781049.52	105.00
SOCIAL AND RURAL SECTOR - A GLIMPSE									
Janata Personal Accident policy	2019-20	45310	45102577	1943.30	831	805.76	1429	1001.99	41.00
	2020-21	25773	8750879	611.30	503	512.24	895	688.54	84.00
	2021-22	25369	3217886	563.00	827	513.86	791	574.09	91.25
	2022-23	26050	3613943	645.64	833	910.00	770	1094.00	90.00
	2023-24	23772	2034179	593.60	542	467.36	479	456.71	78.73
Cattle insurance	2019-20	162719	1838177	10295.43	33258	8946.39	34080	8753.97	86.90
	2020-21	118000	1565710	7962.62	20467	5795.26	22375	6285.34	73.00
	2021-22	96405	748889	6085.00	18645	5064.60	17889	5094.53	83.23
	2022-23	92665	746625	6803.00	23631	6543.44	22723	6678.53	96.18
	2023-24	107076	954874	10025.00	18944	5642.27	17310	5525.59	56.28

शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के निधि 2023-24

शेयरधारकों की निधि

(रुपये '000 में)

पॉलिसी विवरण	31.03.2024 तक शेष राशि	प्रतिशत	31.03.2023 तक शेष राशि	प्रतिशत
पूंजी	39050000		39050000	
लाभ और हानि खाते के डेबिट शेष सहित सामान्य रिजर्व	-54402031		-46591733	
पूंजी रिजर्व	13589		13589	
विविध/विशेष आरक्षित निधि	213242		207627	
कुल	-15125200	0%	-7320517	0%

पॉलिसीधारकों की निधि

31.03.2024 तक शेष राशि

(रुपये '000 में)

विवरण	(क) असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित निधि	(ख) बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता	(ग) प्रीमियम कमी रिजर्व	(घ) आपदा रिजर्व	(ङ) अन्य देयताएं अन्य परिसंपत्तियों से समायोजित करने के बाद *	कुल	
अग्नि	6482280	14493255	0	0	-855456	20120079	
समुद्री	1701136	3098250	0	0	-195736	4603650	
विविध	71730310	241742470	0	0	-12784524	300688256	
कुल	79913726	259333975	0	0	-13835716	325411985	100%
कुल निधि						325411985	100%

31.03.2023 तक शेष राशि

(रुपये '000 में)

विवरण	(क) असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित निधि	(ख) बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता	(ग) प्रीमियम कमी रिजर्व	(घ) आपदा रिजर्व	(ङ) अन्य देयताएं अन्य परिसंपत्तियों से समायोजित करने के बाद *	कुल	
अग्नि	6923391	14297509	0	0	-980764	20240136	
समुद्री	1485865	3394287	0	0	-225546	4654606	
विविध	62650686	231058132	0	0	-13574314	280134504	
कुल	71059942	248749928	0	0	-14780624	305029246	100%
कुल निधि						305029246	100%

नोट :

- शेयरधारकों के निधि के ऋणात्मक शेष के कारण, शेयरधारकों के निधि को शून्य माना गया और उपलब्ध सभी निधि को पॉलिसीधारकों के निधि के 100% रूप में माना गया
- अन्य देयताओं में शामिल हैं (i) अग्नि में प्राप्त प्रीमियम (ii) अनाबंटित प्रीमियम (iii) अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष राशि (iv) पूल के अन्य सदस्यों जैसे तृतीय पक्ष पूल, आतंकवाद पूल, आदि को देय राशि (v) विविध लेनदार (पॉलिसीधारकों को देय राशि)।
- अन्य परिसंपत्तियों में शामिल हैं (i) बकाया प्रीमियम (ii) पुनर्बीमाकर्ताओं सहित बीमा व्यवसाय करने वाली अन्य संस्थाओं से देय (iii) पूल के साथ शेष राशि जैसे तृतीय पक्ष पूल; आतंकवाद पूल, आदि।
- शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों से संबंधित निवेशों को आईआरडीएआई विनियमन के अनुसार बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार अलग किया जाता है। (परिपत्र IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/2016 दिनांक 04 अप्रैल, 2016)

शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के निधि

SHAREHOLDERS' AND POLICYHOLDERS' FUNDS 2023-24

Shareholders' Fund

(₹'000)

Policy Details	BALANCE AS ON 31.03.2024	PERCENTAGE	BALANCE AS ON 31.03.2023	PERCENTAGE
Capital	39050000		39050000	
General Reserve including Debit Balance of P&L Account	-54402031		-46591733	
Capital Reserve	13589		13589	
Misc./Special Reserves	213242		207627	
Total	-15125200	0%	-7320517	0%

Policyholders' Fund

BALANCE AS ON 31.03.2024

(₹'000)

Particulars	(a) Reserve for Unexpired Risk	(b) Estimated Liability for O/S Claims	(c) Premium Deficiency Reserve	(d) Catastrophe Reserve	(e) Other Liabilities net off Other Assets*	Total	
Fire	6482280	14493255	0	0	-855456	20120079	
Marine	1701136	3098250	0	0	-195736	4603650	
Miscellaneous	71730310	241742470	0	0	-12784524	300688256	
Total	79913726	259333975	0	0	-13835716	325411985	100%
Total Funds						325411985	100%

BALANCE AS ON 31.03.2023

(₹'000)

Particulars	(a) Reserve for Unexpired Risk	(b) Estimated Liability for O/S Claims	(c) Premium Deficiency Reserve	(d) Catastrophe Reserve	(e) Other Liabilities net off Other Assets*	Total	
Fire	6923391	14297509	0	0	-980764	20240136	
Marine	1485865	3394287	0	0	-225546	4654606	
Miscellaneous	62650686	231058132	0	0	-13574314	280134504	
Total	71059942	248749928	0	0	-14780624	305029246	100%
Total Funds						305029246	100%

Notes :

1. Due to negative balance of shareholders fund, shareholders fund considered NIL and available all funds considered as policyholders fund 100%.
2. Other Liabilities comprise of (i) Premium received in advance (ii) Unallocated Premium (iii) Balance due to other Insurance Companies (iv) Due to other members of a pool such as Third Party Pool, Terrorism Pool, etc. (v) Sundry Creditors (due to Policyholders).
3. Other Assets comprise of (i) Outstanding Premium (ii) Due from other entities carrying on Insurance business including Re-insurers (iii) Balance with Pool such as Third Party Pool; Terrorism Pool, etc.
4. The investments pertaining to Shareholders and Policyholders are segregated as on the Balance Sheet date as per the IRDAI Regulation. (Circular IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/2016 dated April 04, 2016)

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त छोड़ दिया गया है
This page is intentionally left blank



31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिये
स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण और अनुसूचियाँ

STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS AND
SCHEDULES FOR THE YEAR ENDED
31ST MARCH 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का रिपोर्ट प्रति युनाइटेड इंडिया इन्श्यूरेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यगण

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने मेसर्स युनाइटेड इंडिया इन्श्यूरेंस कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") का 31 मार्च 2024 को स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है जिसमें सम्मिलित हैं बैलेंस शीट, अब्जि, समुद्धी और विविध राजस्व खाते (संयुक्त रूप से राजस्व खाते कहलाते हैं), लाभ और हानि खाता और समाप्त वर्ष के लिए रसीदें और भुगतान खाता शामिल हैं, और नोट वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद "स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) का सारांश शामिल है, इन वित्तीय विवरणों में 30 क्षेत्रीय कार्यालयों के रिटर्न शामिल हैं (जिनमें शामिल हैं 366 परिचालन कार्यालयों के रिटर्न), 6 बड़े कॉर्पोरेट और ब्रोकर सेल, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों की अन्य फर्मों (बाद में "घटक लेखा परीक्षकों" के रूप में संदर्भित) द्वारा लेखा परीक्षित और एक विदेशी रन-ऑफ ऑपरेशन ("अन्य कार्यालय")।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण बीमा द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं जिनके अनुसार बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 ('बीमा अधिनियम'), बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 ('आइआरडीए अधिनियम'), बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय तैयारी) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1938 बीमा कंपनियों के विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) विनियम, 2002 ('आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियम'), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ('आईआरडीएआई') द्वारा जारी आदेश/निर्देश, कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों को लागू सीमा तक ("लागू लेखांकन ढांचा") आवश्यक तरीके से शामिल करना और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देना है।

- तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च 2024 तक कंपनी के मामलों का विवरण
- राजस्व खातों के मामले में, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए घाटे का;

- लाभ और हानि खाते के मामले में, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हानि; और
- प्राप्तियों और भुगतान खाते के मामले में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण।

योग्य राय का आधार

- स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 27 में पुनर्बीमाकर्ताओं सहित अन्य बीमा कंपनियों से वर्ष के अंत की पुष्टि न लेने और वित्तीय स्थिति पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख है, संराधन निश्चित नहीं है।
- 01 मार्च, 2024 को कंपनी ने अपना परिचालन चेन्नै तमिलनाडु में नवनिर्मित प्रधान कार्यालय भवन में स्थानांतरित कर दिया। कंपनी को अभी तक ठेकेदार से अंतिम बिल, प्रमाणपत्र सौंपना और विभिन्न परिसंपत्तियों का वर्गीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी जानकारी लंबित होने तक, कंपनी परिसंपत्तियों का पूंजीकरण नहीं कर सकी और इसे पूंजीगत कार्य-प्रगति के तहत वर्गीकृत करना जारी रखा और 31 मार्च, 2024 तक कुल राशि 228.93 करोड़ रुपये है। परिणाम स्वरूप, हम 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते पर मूल्यहास व्यय के प्रभाव का पता लगाने में सक्षम नहीं हैं।

हमने अपना ऑडिट को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों (एसए) के अनुसार किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए ऑडिटर्स की जिम्मेदारियों में हमारी रिपोर्ट का आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार नैतिक आवश्यकताओं के साथ होल्डिंग कंपनी से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और इसके तहत नियम, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का अवधारण

हम समेकित वित्तीय विवरण के नोट्स में निम्नलिखित मामले पर ध्यान आकर्षित करते हैं

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the members of United India Insurance Company Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the Standalone Financial Statements of M/s United India Insurance Company Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2024, the Revenue Accounts of Fire, Marine and Miscellaneous Insurance Business (Collectively known as 'Revenue Accounts'), the Profit and Loss Account and the Receipts and Payments Account for the year then ended, and notes to the Standalone Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Standalone Financial Statements"). Incorporated in these Standalone Financial Statements are the Returns of the 30 Regional Offices (in which are incorporated the Returns of 366 Operating Offices), 6 Large Corporate and Broker Cells audited by the other firms of Auditors (hereinafter referred to as "Component Auditors") appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 of the Companies Act, 2013 and an overseas run-off operations ("other offices").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 ('the Insurance Act'), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 ('the IRDAI Act'), the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 ('the IRDAI Financial Statements Regulations'), orders/ directions issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ('the IRDAI'), the Companies Act 2013 ('the Act') including the accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 to the extent applicable ("Applicable Accounting Framework") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March 2024;
- in the case of the Revenue Accounts, of the deficit for the year ended 31st March 2024;

- in the case of Profit and Loss Account, of the loss for the year ended 31st March 2024; and
- in the case of the Receipts and Payments Account, of the Receipts and Payments for the year ended 31st March 2024.

Basis for Qualified Opinion

- Note No. 27 to the Standalone Financial Statements, refers to non-obtention of year end confirmation from other insurance companies including reinsurers and consequential impact on the financials, if any, is not ascertainable.
- On March 01, 2024 the company shifted its operations to the newly constructed Head Office building at Chennai, Tamilnadu. The Company is yet to receive the final bill, handing over Certificate and the classification of various assets from the Contractor. Pending such information, the Company could not capitalize the assets and continued to classify the same under Capital work-in-progress and the total amount as on March 31, 2024 is INR 228.93 Crores. As a consequence, we are not able to ascertain the impact of depreciation expense on the Profit and loss account for the year ended March 31, 2024.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements under the provisions of the Act and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following matter in the Notes to the Standalone Financial Statements

- 31 मार्च 2024 को सॉल्वेंसी मार्जिन के संबंध में स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण के नोट नंबर 19 के अनुसार (-)0.59 है जो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य बीमा व्यवसाय की संपत्ति, देनदारियां और सॉल्वेंसी मार्जिन) विनियम, 2016 के अनुसार निर्धारित मार्जिन से कम है।
- सामान्य कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन का विकल्प चुनने वाले कंपनी के सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन देनदारी को स्थगित करने के संबंध में स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण में नोट संख्या 29 के अनुसार वर्ष के दौरान 253.12 करोड़ रुपये की राशि अवशोषित की गई है, जैसा कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संदर्भ 411/एफ एंड ए (एनएल)/एमोर्ट-ईबी/2019-20/125 दिनांक 07-07-2020 द्वारा अनुमोदित किया गया है। 31 मार्च, 2024 तक कुल देनदारी रु. 1265.59 करोड़ पूर्णतः अवशोषित किये जा चुके हैं।
- स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण के नोट संख्या 1 और 27 में 1080.39 करोड़ रुपये की राशि के संबंध में, जिसे आयकर विभाग से रिफंड बकाया के संबंध में अग्रिम वसूली योग्य के रूप में दिखाया गया है जो सीआईटी, आईटीएटी, एचसी और एस.सी. जैसे विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। ये रकम वित्तीय वर्ष 2000-01 से लंबित हैं।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अंकेक्षण के प्रमुख मामले

प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख ऑडिट मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र. सं	अंकेक्षण के प्रमुख मामले	लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया
1	असमाप्त जोखिम रिजर्व के लिए प्रावधान असमाप्त जोखिम रिजर्व (यूआरआर) को अब तक संबंधित नीतियों के लिए समय विभाजन के आधार पर या जोखिम के आधार पर 1/365 विधि के माध्यम से जो भी उचित हो, मान्यता दी गई थी, सिवाय समुद्री पोतकाय के जहां यह शुद्ध लिखित प्रीमियम का 100% है। उसकी प्रक्रिया को कंपनी द्वारा तैयार कर लिया गया है।	परीक्षण जांच के आधार पर नमूनों को निरीक्षण, उचित विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और पुनः गणना के माध्यम से हमारे द्वारा जांचा गया। इसमें किसी भी भौतिक विसंगतियों नहीं पाया गया।
2	स्वास्थ्य बीमा दावा का निपटान स्वास्थ्य संबंधी दावों की तीन श्रेणियां हैं, जैसे कि (i) घरेलू स्वास्थ्य दावों का जिन्हे विभिन्न परिचालन अधिकारी द्वारा तृतीय पक्ष के सहयोग से संसाधित किया जाता है। (ii) ओवरसीज मेडिकल दावे जिनका भुगतान सीएफएसी द्वारा किया जाता है (iii) स्टाफ मेडिकल दावों का भुगतान जिनकी प्रतिपूर्ति ओरिएंटल इश्यूरेस कंपनी लिमिटेड द्वारा की जाती है। चूंकि स्वास्थ्य दावों की श्रेणियों और घटनाओं की संख्या अत्यधिक होने के कारण स्वास्थ्य दावों के भुगतान की जांच करना एक चुनौती रहा।	प्रत्येक श्रेणी में से चयनित नमूनों का जांच के आधार पर दावा दर्ज करने से लेकर दावा निपटान तक की प्रक्रिया के संबंध में कंपनी की नियंत्रण और प्रभावशीलता को परखने के लिए हमने धारक कंपनी के सक्षम लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट पर विचार किया है और किसी भी प्रकार का विसंगतियाँ नहीं पाई गई है।
3	दावा का प्रावधान उपगत दावे कंपनी के व्ययों का एक प्रमुख भाग है। बीमा की देयता का अनुमान अनुबंधों में उच्च स्तर का अनुमान आधारित होता है जो सर्वेक्षक की रिपोर्ट पर, वकील की सलाह पर, जहाँ कहीं भी लागू हो सह-बीमाकर्ताओं से संचार, उपगत हुए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए उपगत दावे (आईबीएनआर) और उपगत दावे लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं की गई (आईबीएनईआर) के संबंध में देयता का मूल्यांकन बीमांकिक के ऊपर निर्धारित होता है। ऐसे कार्यप्रणाली में लिप्त जटिलताओं के मद्देनजर, धारणाओं निर्णय और सलाह का सत्यापन करना दावा प्रावधान एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला बना।	निम्न लेखा परीक्षा प्रक्रिया अपनाई गई: (i) पुर्नबीमा, समुद्री तकनीकी, फसल बीमा और ओवरसीज मेडिकल दावों के दावा प्रावधानों को हमारे द्वारा जांच की गई। (ii) कंपनी के दिशा निर्देशों तथा सर्वेयर्स का अनुमान, वकीलों की सलाह तथा सह-बीमाकर्ताओं प्रतिक्रिया पुष्टि के आधार पर दावों का प्रावधान के विषय में धारक कंपनी के सक्षम लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट की जांच की गई ताकि दावा निपटान की प्रक्रिया तथा दावों का प्रावधान पर हम संतुष्ट हो सके।



1. Note No. 19 to the Standalone Financial Statements, regarding the Solvency Margin as on 31st March 2024 is (-)0.59 which is below the stipulated margin as per the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016.
2. Note No.29 to the Standalone Financial Statements, regarding the deferment of pension liability of the retired and existing employees of the company who opted for Pension under General Employees’ Pension Scheme 1995. An amount of Rs 253.12 Crores has been absorbed during the year, as approved by Insurance Regulatory and Development Authority of India, vide its letter Ref 411/F&A(NL) /Amort-EB/2019-20/125 dated 07-07-2020. As on March 31st, 2024 the total liability of Rs.1265.59 Crores has been fully absorbed.
3. Note No.1 & 27 to the Standalone Financial Statements, regarding an amount of Rs.1080.39 Crores which is shown as advance recoverable in respect of Refund dues from Income Tax Department, are pending at various levels such as CIT, ITAT, HC and SC. These amounts are pending from FY 2000- 01.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Sl. No.	Key Audit Matter	Auditors’ Response
1	Provisioning of Unexpired Risk Reserve Unexpired Risk Reserve (URR) hitherto had been recognized by way of 1/365 method on time apportionment basis or period of risk basis for the respective policies, whichever is appropriate other than Marine Hull where it is 100% of the Net written premium. The process of the same has been formulated by the company.	On a test check basis samples were verified by us through inspection, appropriate analytical procedures and re-calculation. No material discrepancies have been identified.
2	Settlement of Health Insurance claim There are 3 categories of Health claims namely (i) Domestic Health claim processed by various Operating officers through third party agencies (ii) Overseas medical claims for which payment are made by CFAC (iii) Staff medical claims paid and reimbursed from Oriental Insurance Company Ltd As the number of categories of health claims and the number of instances is very large verification of payments in settlement of health claims proved to be a key audit matter	We have considered the Reports issued by the Component Auditors to check the effectiveness of control and accounting with regard to the process involved from lodgement of claim to settlement of claims through selection of samples on test check basis from each of the categories and no discrepancies were observed during the verification.
3	Claim Provisioning Incurred Claims is a major component of expense of the Company. The estimation of liability of insurance contracts involve a high degree of estimation based on surveyor’s report, advocate’s advices, communication from co insurers where ever applicable, actuarial valuation of liability in respect of claims incurred but not reported (IBNR) and claims incurred but not enough reported (IBNER) In view of complexities involved in the methodology based on assumptions judgments and advices verification of claims provision became a key audit matter.	The following audit process was adopted: (i) Claims provisioning of Reinsurance, Marine Technical, Crop Insurance and Overseas Medical Claim portfolios were verified by us. (ii) Reports of Component Auditors on claims processing based on guidelines of the company and claims provisioning based on Surveyor’s estimate, advice from advocates and co-insurer’s feedback were checked to satisfy ourselves on the procedures of settling claims and provisioning for claims

क्र. सं.	अंकेक्षण के प्रमुख मामले	लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया
		(iii) उपगत हुए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए उपगत दावे (आईबीएनआर) और उपगत दावे लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं की गई (आईबीएनआईआर) के संबंध में कंपनी द्वारा नियुक्त बीमाकिक की 31.03.2024 की रिपोर्ट पर विश्वास किया गया।
4	निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन की उपयुक्तता समेकित वित्तीय की अनुसूची 8 और 8ए को देखें। लेखांकन नीति के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का बिंदु 8 को देखें। पॉलिसी धारकों के प्रति देयताओं, लिंक किए गए देयताओं तथा अंशधारकों के निधियों को कंपनी अपने पास रखती है। धारक कंपनी की संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा निवेश के रूप में है (31 मार्च 2024 को कुल निवेश रु. 32,619.58 करोड़ है जो कुल संपत्तियों का 78.40% है)। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीएआइ) के निर्धारण के अनुसार सभी निवेशों को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण(निवेश) नियामक, 2016 तथा बोर्ड की निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाना है। ऐसे में असूचीबद्ध या अक्सर व्यापार नहीं किए जाने वाले निवेशों में प्रबंधन का विवेक सम्मिलित होता है जिसका मूल्यांकन करना लेखा परीक्षा का एक प्रमुख मामला बना रहा। इसके अलावा, निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी के रेटिंग को प्रभावित करने वाली घटनाओं के कारण भी निवेश विनियमों की आवश्यकताएं और/या कंपनी की आंतरिक नीतियों के अनुसार निवेश को पुनर्वर्गीकृत करने और उसके मूल्यांकन/नुकसान का आकलन करने की आवश्यकता हो सकती है।	हमारी प्रक्रिया में निम्न शामिल थे: <ul style="list-style-type: none"> निवेश के मूल्यांकन/ नुकसान तथा उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधक की प्रक्रिया और नियंत्रण को समझना। प्रबंधन द्वारा क्रियान्वित निवेश का मूल्यांकन/ नुकसान तथा उचित वर्गीकरण पर संबंधित उचित नियंत्रण की परिचालन क्रियाशीलता का निर्माण और जांच का मूल्यांकन। बोर्ड के निदेशकों द्वारा अनुमोदित तथा निवेश नियामकों का अनुपालन और प्रतिभूतियों का वर्गीकरण, मूल्यांकन/ नुकसान और निवेशों का सही अभिलेखन के नमूनों की जांच। असूचीबद्ध या अक्सर व्यापार नहीं किए जाने वाले निवेशों और/ या किसी विशेष घटना के अनुसार पुनर्वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए कंपनी की आंतरिक नीतियों और विनियामक आवश्यकताओं का प्रबंधन के आकलन की हमने संपुष्टि की है। किए गए कार्य के आधार पर हमें ऐसे कोई भौतिक अपवाद नजर नहीं आई जो यह स्थापित कर सके कि निवेशों को उचित रूप से वर्गीकृत या मूल्यांकन नहीं किया गया।

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए धारक कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट सहित बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलब्धक, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अभिशासन और शेयरधारकों की जानकारी सम्मिलित हैं लेकिन इसमें स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। उम्मीद है कि अन्य जानकारी इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराई जाएगी।

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण पर हमारी राय अन्य सूचना पर प्रकाश नहीं डालती है और इसके निष्कर्ष पर हम किसी प्रकार आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि इसे पढ़ना और ऊपर दर्शाई गई अन्य जानकारी जब उपलब्ध हो जाती है और ऐसा करने में, इस पर विचार करें कि क्या लेखा

परीक्षा में प्राप्त किया गया अन्य जानकारी स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण या हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा वास्तव में गलत बताया गया प्रतीत होता है।

अन्य जानकारी प्राप्त होने पर, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी है, तो हमें अभिशासन के लिए जिम्मेदार लोगों तक इस मामले को पहुंचाना आवश्यक है और हम:

- यदि महत्वपूर्ण गलतबयानी सही हो गई है, तो सुधार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया निष्पादित करें; या
- यदि अभिशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को मामले की जानकारी देने के बाद भी गलत बयानी को ठीक नहीं किया जाता है तो हमारे कानूनी अधिकारों और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करने का प्रयास करें जिससे असंशोधित सामग्री गलत विवरण को उचित रूप से उन उपयोगकर्ताओं के ध्यान में लाया जाय जिनके लिए यह है ऑडिटर की रिपोर्ट तैयार हो गई है।



Sl. No.	Key Audit Matter	Auditors' Response
4	<p>Appropriateness of the classification and valuation of Investments</p> <p>Refer Schedule 8 & 8A of the Standalone Financial Statement. For accounting policy, refer Point 8 to the Standalone Financial Statements. The Company holds investments against policy holders 'liabilities, linked liabilities and shareholders' funds. A significant portion of the assets of the Company is in the form of investments (total investments as at March 31, 2024 is Rs. 32,619.58 crore which constitutes 79.45% of Total Assets). As prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (the "IRDAI"), all investments, should be made and managed in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Investment) Regulations, 2016 (the "Investment Regulations") and policies approved by Board of Directors of the Company. This area was considered as a key audit matter as the valuation of unlisted or not frequently traded investment involves management judgement. Also, due to events affecting the investee company's rating, there could be a need to reclassify investment and assess its valuation / impairment as per the requirements of the Investment Regulations and/ or Company's internal policies.</p>	<p>For claims incurred but not reported (IBNR) and claims incurred but not enough reported (IBNER), we relied on the Actuarial valuation as on 31/3/2024 done by company appointed Actuary.</p> <p>Our procedures included the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Understanding Management's process and controls to ensure proper classification and valuation/ impairment of Investment. • Evaluating the design and testing operating effectiveness of the related key controls over proper classification and valuation/ impairment of investment implemented by the management. • Tested on Sample basis the correct recording of Investments, valuation / Impairment, classification of securities and compliance with Investment regulation and policies approved by the Board of Directors. • For unlisted and not frequently traded investments and/or event specific reclassification and valuation, we corroborated management's assessment with the regulatory requirements and the Company's internal policies. <p>Based on the work carried out, we did not come across any material exception which suggests that the investments were not properly classified or valued.</p>

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of other information. The other information comprises the matters included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the Standalone Financial Statements and our auditor's report thereon. The other information is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and we will do express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available

and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

On receipt of other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and we shall,

- (a) If the material misstatement is corrected, perform necessary procedure to ensure the correction; or
- (b) If the material misstatement is not corrected after communicating the matter to those charged with governance, take appropriate action considering our legal rights and obligations, to seek to have the uncorrected material misstatement appropriately brought to the attention of users for whom this auditor's report is prepared.

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों के अभिशासन के लिए जिनकी जिम्मेदार है और प्रबंधन की जिम्मेदारी

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण की तैयारी के संबंध में स्टैंड अलोन वित्तीय स्थिति, कंपनी में लागू लेखांकन ढांचे के अनुसार कंपनी का प्रदर्शन और समेकित प्राप्तियाँ और भुगतानक लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितता को रोकने और कटौती करने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव भी सम्मिलित है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; विवेकपूर्ण निर्णय लेना और उचित अनुमान लेना जो विवेकपूर्ण हैं; यह सुनिश्चित करने के लिए कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सटीकता और पूर्णता के साथ प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, इसके लिए लेखांकन का अभिलेख का पर्याप्त का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव का निर्माण करना, स्टैंड अलोन वित्तीय की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक ऐसे कथन जो सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं; या चाहे धोखाधड़ी के कारण या त्रुटि, जिसका उपयोग स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से कंपनी के निदेशकों द्वारा किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं।

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है और लेखा परीक्षकों की समग्र रिपोर्ट जारी करना है जो भौतिक गलतबयानी से मुक्त हो, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जिसमें हमारी अभिप्राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का एक आश्वासन होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा किसी मौजूद महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी उत्पन्न हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करेंगे।

एसएस के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा के दौरान संदेहों के प्रति पेशेवर रवैया बनाए रखते हैं। हमारे लिए आवश्यक है:

- स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा प्रक्रियाओं का निर्माण करें और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। इसका जोखिम, धोखाधड़ी से उत्पन्न किसी महत्वपूर्ण गलत बयान का पता न लग पाना, त्रुटि से उत्पन्न किसी गलत बयान की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उचित हैं। कंपनी की पास आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित करना और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर्याप्त है या नहीं, इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी हम जिम्मेदार हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन की तर्कसंगतता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमान और संबंधित खुलासे का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा उन्नतिशील व्यवसाय प्रतिष्ठान आधार के लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और, प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य के आधार पर क्या घटनाओं से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है या ऐसी स्थितियाँ जो कंपनी को उन्नतिशील व्यवसाय प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है कि हमारे लेखापरिषदों की रिपोर्ट में स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों के लिए या, हमारी राय को संशोधित करने के लिए खुलासे अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरिषदों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त की गई ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाएँ या परिस्थितियाँ कंपनी को एक उन्नतिशील व्यवसाय प्रतिष्ठान के रूप में बने रहना वंचित कर सकती है।
- स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और खुलासे सहित सामग्री का मूल्यांकन करना और अंतर्निहित व्यवहारों और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना कि क्या स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the the Act with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and receipts and payments of the Company in accordance with the Applicable Accounting Framework. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण पर एक राय व्यक्त करने के लिए कंपनी के भीतर वित्तीय सूचना तथा व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में पर्याप्त उचित लेखा परीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करना। स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण में शामिल किए गए वित्तीय विवरणों के लिए जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं उनके निर्देशन, पर्यवेक्षण और लेखा परीक्षण के निष्पादन के लिए हम जिम्मेदार हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में शामिल किए गए क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में, संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा किए गए ऑडिट का प्रदर्शन और उनके द्वारा ऑडिट किया गया ऐसे अन्य लेखा परीक्षक दिशा और पर्यवेक्षण के लिए वे जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी ऑडिट राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार रहते हैं। इस संबंध में हमारी जिम्मेदारियों को इस लेखा परीक्षा के मअन्य मामले शीर्षक अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावित बनाती है कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

हम स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण में शामिल अभिशासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, जिसमें अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों, जिसमें कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं आंतरिक नियंत्रण में जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान चिन्हित करते हैं।

हम उन लोगों को भी एक बयान प्रदान करते हैं जिन पर अभिशासन का प्रभार है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और , और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं।

अभिशासन के प्रभारी लोगों के साथ चर्चित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण थे और इन कारणों से वे प्रमुख लेखा परीक्षण मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, जब तक कि अत्यंत विशिष्ट परिस्थितियों अथवा कोई विधिक या विनियमन के कारण सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करना आवश्यक हो जाता है या प्रतिकूल होने के कारण किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में ऐसे संचार को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए जो जिसके कारण उचित रूप से सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जा सकेगी।

अन्य मामले

- कंपनी की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में सम्मिलित और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित ऐसे 30 क्षेत्रीय कार्यालयों (जिनमें 366 ऑपरेटिंग कार्यालयों के रिटर्न शामिल हैं), 6 बड़े कॉर्पोरेट और ब्रोकर सेल और एक विदेशी रन-ऑफ ऑपरेशन ("अन्य कार्यालय") के रिटर्न/वित्तीय विवरणों का हमने लेखा परीक्षा नहीं किया है जो 31 मार्च 2024 को रु. 22356 की सम्पत्तियों को दर्शाते हैं तथा 31 मार्च 2024 को रु. 1075 की कर पूर्व कुल शुद्ध हानि को प्रदर्शित करते हैं। अन्य कार्यालयों के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा, संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक इन अन्य कार्यालयों के संबंध में शामिल रकम और प्रकटीकरण का संबंध है, केवल ऐसे अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं पर उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों के अधीन बताया गया है, वहाँ हमारी राय पूरी तरह से ऐसे अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, कंपनी अधिनियम, 2013 के विनियमन और प्रावधानों के अनुसार लागू सीमा तक और आवश्यक तरीके से स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) और आइआरडीएआइ वित्तीय विवरण विनियम और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशों या निर्देशों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामलों को छोड़कर, हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

बी) क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कंपनी द्वारा विधिक की आवश्यक खाते की उचित बही रखी गई है, जहां तक हमारी उनके जांच से प्रतीत होता है जिन क्षेत्रीय कार्यालयों, मंडल कार्यालयों, सहायक कंपनियों और सहयोगियों का हमने दौरा नहीं किया था, उनसे लेखा परीक्षित और गैर लेखापरीक्षित दोनों पुस्तकें और उचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं और ये हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त थे।

सी) सक्षम लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(8) के तहत ऑडिट किए गए क्षेत्रीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में जिस तरीके को हमने आवश्यक समझा, उसे हमारे द्वारा उचित तरीके से निपटा गया है।

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the Company and its regional offices to express an opinion on the Standalone Financial Statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of the Company, of which we are the independent auditors. In respect of the regional offices included in the Standalone Financial Statements, which have been audited by the respective regional office auditors such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion. Our responsibilities in this regard are further described in the section titled 'Other Matters' in this audit report.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Standalone Financial Statements

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

We did not audit the Returns / financial statements of 30 Regional Offices (in which are incorporated the Returns of 366 Operating Offices), 6 Large Corporate and Broker Cells and an overseas run-off operations ("other offices") audited by other auditors, included in the Standalone Financial Statements of the Company whose financial statements reflect total assets of ₹ 22356 Crores as at March 31, 2024 and total income of ₹ 19826 Crores for the year ended March 31, 2024, and total net loss before tax of ₹ 1075 Crores for the year ended March 31, 2024. The financial statements of the other offices have been audited by the respective auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these other offices, is based solely on the reports of such other auditors and the procedures performed by us as stated under Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section above.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- The Standalone Financial Statements have been drawn up in accordance with the requirements of the Insurance Act, the Regulation and the provisions of the Act to the extent applicable and in the manner so required.
- As required by Section 143(3) of the Act and the IRDAI Financial Statements Regulations and orders or direction issued by the Insurance Regulatory and Development Authority, we report that:
 - We have sought and except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion Paragraph, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the Regional offices not visited by us.
 - The Reports of the other offices audited under section 143(8) of the Act by the respective auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report in the manner considered necessary by us.

- डी) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, राजस्व खाते, लाभ और हानि खाता और प्राप्तियां और भुगतान खाता वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए खाते की पुस्तकों तथा अन्य कार्यालयों जहां हम नहीं गए हैं, वहाँ से प्राप्त रिकॉर्ड्स के साथ मेल खाते हैं।
- ई) योग्य राय पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण और समूह की लेखांकन नीतियां लेखांकन सिद्धांतों और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक का अनुपालन करती है, जो उस हद तक प्रासंगिक और उचित माना जाता है और जो आइआरडीएआइ द्वारा निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों के साथ असंगत नहीं है का अनुपालन करती है।
- एफ) कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05.06.2015, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) लागू नहीं होती है।
- जी) खातों के रखरखाव और इससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित संशोधन अधिनियम की धारा 143(3) के तहत रिपोर्टिंग पर उपरोक्त पैराग्राफ 2(बी) और नीचे रिपोर्टिंग पर पैराग्राफ 2(एल)(vi) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11(जी), यथा संशोधित; में बताए गए हैं।
- एच) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निवेश का मूल्यांकन बीमा अधिनियम के प्रावधानों, इस संबंध में आइआरडीएआइ द्वारा जारी नियमों और आदेशों/ निर्देशों के अनुसार किया गया है।
- आइ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, हम अपनी रिपोर्ट " अनुलब्धक-1 " में देते हैं। हमारी रिपोर्ट स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक संशोधित राय व्यक्त करती है;
- जे) इसके अलावा कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि:
- कंपनी में अनुपालन के लिए प्रभारी प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि धारक कंपनी ने आइआरडीएआइ द्वारा निर्धारित पंजीकरण के नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं किया है; और
 - पॉलिसीधारकों के निधि की संपत्ति का कोई भी हिस्सा पॉलिसीधारक के निधि के उपयोग और निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं किया गया है।
- के) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम:
- कंपनी ने स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 1 देखें;
 - कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिस पर कोई कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हुई है।
 - निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित करने संबंधी कोई राशि कंपनी के पास नहीं थी।
 - अ. प्रबंधन ने दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों के नोट्स में प्रकट किए गए अनुसार के अलावा, कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से) कंपनी द्वारा या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को धन) इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं

- d) The Balance Sheet, Revenue Accounts, Profit and Loss Account and the Receipts and Payments Account dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from other offices not visited by us.
- e) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion Paragraph, in our opinion, the Standalone Financial Statements and the Accounting Policies of the Company comply with the accounting principles and with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, to the extent considered relevant and appropriate and which are not inconsistent with accounting principles prescribed by IRDAI;
- f) The Company being a Government Company, the provisions of Section 164(2) of the Act relating to disqualification of directors is not applicable in view of the Notification No: G.S.R, 463(E) dated 5th June, 2015, issued by the Ministry of Corporate Affairs;
- g) The modifications relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the paragraph 2(b) above on reporting under Section 143(3) of the Act and paragraph 2(l)(vi) below on reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended;
- h) As per the information and explanations provided to us, the investments have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act, the regulations and orders directions issued by IRDAI in this regard;
- i) With respect to adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, we give our report in "Annexure-II". Our report expresses a modified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting with reference to the Standalone Financial Statements;
- j) Further on the basis of our examination of books and records of the Company and according to the information and explanation given to us and to the best of our knowledge and belief, we certify that:
- i) Based on the written representation made by the management of the Company charged with compliance, nothing has come to our attention which causes us to believe that the Company has not complied with the terms and conditions of registration as stipulated by IRDAI; and
- ii) No part of the assets of the policyholders' funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act relating to the application and investments of the policyholders' funds.
- k) With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Standalone Financial Statements – Refer Note No 1 to the Standalone Financial Statements;
- ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
- iii. There were no amounts which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- iv. a. The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or

को किसी भी तरीके से उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करना है।

ब. प्रबंधन ने दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, खातों के नोट्स में बताए गए अनुसार के अलावा, कंपनी को विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है और फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करना; इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज की गई हो, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी; और

स. ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उचित माना है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत तथ्य है।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है और वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव नहीं किया है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल है, कंपनी ने अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए जीसी कोर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह पूरे वर्ष संचालित होती है। हमारे ऑडिट के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल फ़्रीचर के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला है।

इसके अलावा, ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले पांच समर्थन सॉफ्टवेयरों में से तीन के संबंध में, हम पुष्टि करते हैं कि कोई ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा सक्षम नहीं है (समेकित वित्तीय विवरण नोट संख्या 46 देखें)।

जैसा कि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान 01 अप्रैल, 2023 से लागू है, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर रिपोर्टिंग रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताएँ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों के संबंध में हमारी टिप्पणियाँ अनुबंध - II में दी गई हैं।

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 001997S

सीए के. सुनील कुमार

भागीदार
सदस्यता सं. 231416
यूडीआइएन: 24231416BKGUZZ6453

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 004997S/S200051

सीए आर सुंदरराजन

भागीदार
सदस्यता सं. 029814
यूडीआइएन: 24029814BKGSYA8353

वास्ते ए वी देवेन & कं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000726S

सीए आर रघुरामन

भागीदार
सदस्यता सं. 201760
यूडीआइएन 24201760BKBXOE5231

स्थान: चेन्नै
दिनांक: मई 29, 2024

We have audited the internal financial controls over financial reporting of United India Insurance Company Limited

- the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- b. The management has represented, that, to the best of it's knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and
- c. Based on audit procedures which we considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (a) and (b) contain any material mis-statement
- v. The company has not declared or paid any dividend during the year and has not proposed final dividend for the year.
- vi. Based on our examination, which included test checks, the Company has used GC Core for maintaining its books of account, which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year. During the course of our audit, we did not come across any instances of the audit trail feature being tampered with.
- Further, in relation to three out of five support softwares, based on the audit procedures, we confirm that there is no audit trail (edit log) facility that was enabled (Refer Note No. 46 the Standalone Financial Statements).
- As proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is applicable from April 01, 2023, reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 on preservation of audit trail as per the statutory requirements for record retention is not applicable for the financial year ended March 31, 2024.
3. As required by section 143(5) of the Companies Act, 2013, our comments with regard to the directions and sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India are given in Annexure – II.

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN: 001997S

For S R B R & Associates, LLP
Chartered Accountants
FRN :004997S/ S200051

For A V Deven & Co,
Chartered Accountants,
FRN: 000726S

CA K. Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416
UDIN: 24231416BKGUZY6947

CA R Sundararajan
Partner
Membership No. 029814
UDIN: 24029814BKGSYB3900

CA R Raghuraman
Partner
Membership No: 201760
UDIN:24201760BKBOXD9784

Place : Chennai
Date : May 29, 2024

We have audited the internal financial controls over financial reporting of United India Insurance Company Limited

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का अनुलग्नक - I

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 तक समाप्त वर्ष के लिए स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (“कंपनी”), की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को बताया गया है उनके लिए निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सम्मिलित है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी:

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट (“मार्गदर्शन नोट”) और आइसीएआइ द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया है और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होने वाली सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और, दोनों ही भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्यों न हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को

ANNEXURE– I TO INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)

(“the Company”) as of March 31, 2024 in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the “Guidance Note”) and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial

controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Standalone Financial Statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Standalone Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the Standalone Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur

ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री के कारण खराब हो सकता है या अपर्याप्त हो सकता है।

योग्य अभिप्राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, 31 मार्च, 2024 को नीचे दी गई सामग्री की कमजोरी की पहचान की गई है:

1. कंपनी के पास अन्य बीमा कंपनियों से वर्ष के अंत में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने और समाधान के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण नहीं था।
2. रिपोर्ट में त्रुटियों को खत्म करने के लिए कंपनी के पुनर्बीमा मॉड्यूल में सिस्टम नियंत्रण को मजबूत किया जाएगा।
3. कंपनी की आंतरिक ऑडिट प्रणाली की प्रभावशीलता को समय पर प्रतिक्रिया और जहां भी लागू हो, सुधार के संबंध में मजबूत करने की आवश्यकता है।

भौतिक कमजोरी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी या कमियों का एक संयोजन है, जैसे कि एक उचित संभावना है कि समय के आधार पर कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण को रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउटेन्ट्स
एफआरएन: 001997S

सीए के. सुनील कुमार

भागीदार
सदस्यता सं. 231416
यूडीआइएन: 24231416BKGUZZ6453

स्थान: चेन्नै
दिनांक: मई 29, 2024

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एलएलपी

चार्टर्ड अकाउटेन्ट्स
एफआरएन: 004997S/S200015

सीए आर सुंदरराजन

भागीदार
सदस्यता सं. 029814
यूडीआइएन: 24029814BKGSYA8353

वास्ते ए वी देवेन & कं.

चार्टर्ड अकाउटेन्ट्स
एफआरएन: 000726S

सीए आर रघुरामन

भागीदार
सदस्यता सं. 201760
यूडीआइएन 24201760BKBXOE5231

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरी के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, धारक कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2024 के स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट में लागू किए गए ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरी पर विचार किया है, और भौतिक कमजोरी ने स्टैंड अलोन पर हमारी राय को प्रभावित किया है। कंपनी के वित्तीय विवरण और हमने स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय जारी की है।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(क) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट 30 क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित है (जिसमें 366 परिचालन कार्यालयों के रिटर्न शामिल हैं) 6 बड़े कॉर्पोरेट और ब्रोकर सेल और ओवरसीज रनऑफ़ संचालन संबंधित कार्यालयों के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है।

and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the material weakness has been identified as at March 31, 2024 as below:

1. The Company did not have appropriate internal controls for obtention of year end confirmation of balances from other insurance companies and reconciliation.
2. The system controls in Reinsurance module to be strengthened to eliminate errors in reports.
3. The effectiveness of the internal audit system needs to be strengthened with respect to timely response & rectifications wherever applicable.

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual or interim Standalone Financial Statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weakness described above on the achievement of

the objectives of the control criteria, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weakness identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2024 Standalone Financial Statements of the Company, and the material weakness has affected our opinion on the Standalone Financial Statements of the Company and we have issued a qualified opinion on the Standalone Financial Statements.

Other Matters

Our aforesaid report under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting in so far as it relates to 30 Regional Offices (in which are incorporated the Returns of 366 Operating Offices) 6 Large Corporate and Broker Cells is based on the corresponding reports of the other firms of Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 of the Companies Act, 2013;

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN: 001997S

For S R B R & Associates, LLP
Chartered Accountants
FRN :004997S/ S200051

For A V Deven & Co,
Chartered Accountants,
FRN: 000726S

CA K. Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416
UDIN: 24231416BKGUZY6947

CA R Sundararajan
Partner
Membership No. 029814
UDIN: 24029814BKGSYB3900

CA R Raghuraman
Partner
Membership No: 201760
UDIN:24201760BKBXOD9784

Place : Chennai
Date : May 29, 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - II

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों एवं उप-निर्देशों के संबंध में टिप्पणियाँ

I. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन निर्देश

क्र.सं.	निर्देश	जवाब
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन व्यवहारों को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन व्यवहारों के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ ख्रातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	हाँ। सभी लेखांकन व्यवहार आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं। जेनिसिस कॉन्फिगरेटर (जीसी कोर) सभी ऑपरेटिंग कार्यालयों और पोर्टलों में उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। निवेश विभाग में एक स्टैंडअलोन ट्रेजरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है और प्रधान कार्यालय के सीएफएसी विभाग में जीसी सॉफ्टवेयर के अलावा FACT सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। स्थापना विभाग में पेरोल की प्रक्रिया एसएपी के माध्यम से की जाती है। असमाप्त जोखिम रिजर्व की गणना सीएफएसी विभाग में एक अलग एसक्यूएल सॉफ्टवेयर द्वारा की जा रही है।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ़/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है।	ऐसा कोई मामला नहीं है।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त्य निधियों का नियम व शर्तों के अनुरूप उसकी अवधि के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	कंपनी को केंद्रीय और राज्य एजेंसियों से पीएमएफबीवाई/आरएसबीवाई से संबंधित सब्सिडी का एक हिस्सा प्राप्त हुआ, जिसका उचित हिसाब-किताब किया गया और इसका उपयोग किया गया।

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउटेन्ट्स
एफआरएन: 001997S

सीए के. सुनील कुमार

भागीदार
सदस्यता सं. 231416
यूडीआइएन: 24231416BKGUZZ6453

स्थान: चेन्नै
दिनांक: मई 29, 2024

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एलएलपी

चार्टर्ड अकाउटेन्ट्स
एफआरएन: 004997S/S200015

सीए आर सुंदरराजन

भागीदार
सदस्यता सं. 029814
यूडीआइएन: 24029814BKGSYA8353

वास्ते ए वी देवेन & कं.

चार्टर्ड अकाउटेन्ट्स
एफआरएन: 000726S

सीए आर रघुरामन

भागीदार
सदस्यता सं. 201760
यूडीआइएन 24201760BKBXOE5231

ANNEXURE –II TO INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
Comments in regard to the directions and sub-directions issued by the
Comptroller and Auditor General of India

Direction u/s 143(5) of the Companies Act, 2013

Sl. No.	Directions	Reply
1	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the Integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Yes. All Accounting transactions are processed through IT Systems. Genisys configurator (GC CORE) is the software used across all operating offices and portals. A standalone treasury management software is used at Investment department and in CFAC Department of Head office FACT software is used in addition to GC Software. Payroll is processed through SAP in Establishment Department The Unexpired Risk Reserve is being computed by a separate SQL Software in CFAC Department.
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off debts/loans/interest etc., made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	No such cases.
3	Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilised as per its term and conditions? List the cases of deviations.	The Company received a part of Subsidy relating to PMFBY from central and state agencies which were properly accounted for and utilized.

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN: 001997S

For S R B R & Associates, LLP
Chartered Accountants
FRN :004997S/ S200051

For A V Deven & Co,
Chartered Accountants,
FRN: 000726S

CA K. Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416
UDIN: 24231416BKGUZY6947

CA R Sundararajan
Partner
Membership No. 029814
UDIN: 24029814BKGSYB3900

CA R Raghuraman
Partner
Membership No: 201760
UDIN:24201760BKBOXD9784

Place : Chennai
Date : May 29, 2024

II. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन उप-निर्देश

क्र.सं.	निर्देश	जवाब			
1	भौतिक/डीमैट रूप में उपलब्ध सीजीएस/एसजीएस/बॉन्ड/डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्व के शीर्षकों की संख्या और इनमें से, ऐसे मामलों की संख्या जो कंपनी की लेखा पुस्तकों में दर्शाई गई संबंधित राशियों से मेल नहीं खाते हैं, सत्यापित किया जा सकता है और पाई गई विसंगति को उचित रूप से रिपोर्ट किया जा सकता है।	विवरण	समाधानित	असमाधानित	पुनर्संरचना के अधीन
		ऋणपत्र	18	2 (बही मूल्य - रु. 4947501	0
2	क्या निवेश नीति मौजूद है और इसमें निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करने के लिए तंत्र शामिल है और क्या निवेश के संबंध में स्टॉप लॉस सीमाएँ निर्धारित की गई हैं? यदि हाँ, तो सीमा का पालन किया गया अथवा नहीं? यदि नहीं, तो विवरण दिया जा सकता है।	हाँ। निवेश नीति मौजूद है और इसमें निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करने की व्यवस्था शामिल है। हाँ। निवेश के संबंध में स्टॉप लॉस सीमाएँ निर्धारित की गई हैं और उनका पालन किया गया है।			
3	क्या कंपनी ने अन्य पीएसयू बीमाकर्ताओं के साथ अपने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए अंतर-कंपनी शेष के लिए समाधान अभ्यास किया है और क्या अन्य पीएसयू बीमाकर्ताओं से उनके कारण शेष के लिए पुष्टि प्राप्त की गई है?	कंपनी के पास ज़ोनल/क्षेत्रीय स्तर पर पीएसयू बीमाकर्ताओं के साथ समय-समय पर बैठकों के माध्यम से सह-बीमा शेष राशि को सुलझाने की एक प्रक्रिया है जहां शेष राशि पर सहमति और निपटान किया जाता है। हालाँकि कंपनी ने वर्ष के अंत में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं की है।			
4	क्या कंपनी के संबंध में जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध संपूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर लिया गया है।	धारक कंपनी जीएसटी पोर्टल में उपलब्ध क्रेडिट के साथ चालान के मिलान के बाद पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट के अलावा सभी पात्र इनपुट क्रेडिट का लाभ उठाती है। 31.03.2024 को असमाधानित इनपुट क्रेडिट रु. 46.51 करोड़ रुपये किताबों में दिख रहे हैं।			
5	क्या लेखांकन/एमआईएस या अन्य तंत्र की पर्याप्तता के बारे में रिपोर्ट करना है जिसके द्वारा ट्रीटी-वार या फ़ैकल्टेटिव व्यवस्था-वार प्रदर्शन (प्रीमियम समर्पित/स्वीकृत, उस पर दावे और कमीशन-सभी आदेशों और मध्यस्थों/अधिवक्ता को पारिश्रमिक सहित) पुनर्बीमा कार्यों में लगे खंड, भौगोलिक और विभाग का सभी अलग-अलग मूल्यांकन किया जाता है।	हां, सभी क्षेत्रों, भौगोलिक क्षेत्रों और विभागों में पुनर्बीमा संचालन के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए रिपोर्टिंग तंत्र पर्याप्त हैं।			
6	क्या पुनर्बीमा लेनदेन को कोर बीमा समाधान के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया गया है? यदि हां, तो क्या पुनर्बीमा संबंधी डेटा का प्रवाह पूरी तरह से स्वचालित है? यदि नहीं, तो विवरण दिया जा सकता है।	हां, पुनर्बीमा लेनदेन को जीसी कोर बीमा समाधानों के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया गया है। बीमालेखन डेटा और दावा डेटा स्वचालित रूप से जीसी कोर के आरआई मॉड्यूल में प्रवाहित होता है।			

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स

 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 एफआरएन: 001997S

सीए के. सुनील कुमार

 भागीदार
 सदस्यता सं. 231416
 यूडीआइएन: 24231416BKGUZ6453

 स्थान: चेन्नै
 दिनांक: मई 29, 2024

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एलएलपी

 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 एफआरएन: 004997S/S200015

सीए आर सुंदरराजन

 भागीदार
 सदस्यता सं. 029814
 यूडीआइएन: 24029814BKGSYA8353

वास्ते ए वी देवेन & कं.

 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 एफआरएन: 000726S

सीए आर रघुरामन

 भागीदार
 सदस्यता सं. 201760
 यूडीआइएन 24201760BKBOXE5231



Sub-Directions u/s 143(5) of the Companies Act, 2013

Sl. No.	Particular	Reply			
		Particulars	Reconciled	Un - Reconciled	Under Restructuring
1	Number of titles of ownership in respect of CGS / SGS / Bonds / Debentures etc. available in physical/demat form and out of these, number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported.	Debentures	18	2 (Book Value ₹ 4947501)	0
2	Whether investment policy exists and included mechanism to review investment portfolios and also whether stop loss are prescribed? If yes, whether it was adhered to? If not in existence or not adhered to, details may be given.	Yes. Investment Policy exists and includes mechanism to review investment portfolios. Yes. Stop loss limits have been prescribed in respect of the investments and have been adhered to.			
3	Whether Company has carried out reconciliation exercise for inter-company balances reflected in their financial statements with other PSU insurers and whether confirmation has been obtained from other PSU insurers for balances due from them?	The company has a process of reconciling co-insurance balances through periodical meetings with PSU insurers at Zonal/ Regional level where balances are agreed and settled. However, the Company has not obtained year end confirmation of balances.			
4	Whether entire input tax credit (ITC) available on GST portal in respect of the Company has been availed within prescribed time limits.	The Company avails all eligible input credit other than inputs on capital goods after matching with the invoices with the credit available in the GST portal. The unmatched input credit as on 31.03.2024 is ₹ 46.51 Crs lying in the books.			
5	Whether reporting as to the adequacy of accounting/MIS or other mechanism by which treaty-wise or facultative arrangement-wise performance (premium ceded /accepted, claims thereon and commission-including all rewards and remuneration to intermediaries/cedants) is assessed in all different segments, geographies and departments engaged in reinsurance operations	Yes, the reporting mechanisms in place are adequate for assessing the performance of reinsurance operations across all segments, geographies and departments			
6	Whether re-insurance transactions have been fully integrated with CORE Insurance Solution? If yes, whether the flow of re- insurance related data is fully automated? If no, details may be given.	Yes, Reinsurance transactions have been fully integrated with GC core insurance solutions. The underwriting data and claims data flow automatically to RI Module of GC Core.			

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN: 001997S

For S R B R & Associates, LLP
Chartered Accountants
FRN :004997S/ S200051

For A V Deven & Co,
Chartered Accountants,
FRN: 000726S

CA K. Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416
UDIN: 24231416BKGUZY6947

CA R Sundararajan
Partner
Membership No. 029814
UDIN: 24029814BKGSYB3900

CA R Raghuraman
Partner
Membership No: 201760
UDIN:24201760BKBXOD9784

Place : Chennai
Date : May 29, 2024

युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विनियम, 2002 की अनुसूची मसीफके अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रमाण पत्र

हम यह प्रमाणित करते हैं :

- अ. हमने आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक नकदी शेष और कंपनी के ऋण और निवेश से संबंधित प्रतिभूतियों को निम्नलिखित आधार पर नीचे उल्लिखित पैराग्राफ (बी) के अधीन सत्यापित किया है:

क्र. सं.	संपत्तियाँ	सत्यापन का स्वरूप
i)	नकद	भौतिक सत्यापन, प्रबंधन प्रमाणपत्र और परिचालन/ शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
ii)	निवेश	संरक्षक का प्रमाणपत्र (आरबीआई, सीसीआईएल और एसएचसीआईएल) और प्रबंधन का प्रमाणपत्र
iii)	ऋण से संबंधित प्रतिभूति	प्रबंधन का प्रमाणपत्र

ब. (i) निम्नलिखित के संबंध में संरक्षक से कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं थी:

अ. ₹ शून्य के बुक वैल्यू वाले इक्विटी शेयरों में निवेश पर आपत्ति है

ब. इक्विटी शेयर जिनका अंकित मूल्य क्रमशः ₹ शून्य है और डिबेंचर/बॉन्ड जिनका अंकित मूल्य क्रमशः ₹ शून्य है, उनके स्वामित्व का कोई सबूत उपलब्ध नहीं था।

(ii) सावधि ऋणों में निवेश, आवास और अब्जिशन उपकरणों के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को दिए गए ऋण, पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) में निवेश और ऋणों के पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण के कारण शेष राशि पुष्टि/समाधान के अधीन हैं - ₹ शून्य।

(iii) ₹ शून्य की राशि के विदेशी निवेश के संबंध में कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं थी।

- हमें दी गई हमारी सर्वोत्तम जानकारी और साख के अनुसार, कंपनी ने ट्रस्टी के रूप में कोई ट्रस्ट नहीं बनाया है।

- पॉलिसी धारक के निधि को निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधान के उल्लंघन में पॉलिसी धारक के निधि की संपत्ति का कोई भी हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त नहीं किया गया है।

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन: 001997S

सीए के. सुनील कुमार

भागीदार

सदस्यता सं. 231416

यूडीआइएन: 24231416BKGUZZ6453

स्थान: चेन्नै

दिनांक: मई 29, 2024

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन: 004997S/S200015

सीए आर सुंदरराजन

भागीदार

सदस्यता सं. 029814

यूडीआइएन: 24029814BKGSYA8353

वास्ते ए वी देवेन & कं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन: 000726S

सीए आर रघुरामन

भागीदार

सदस्यता सं. 201760

यूडीआइएन 24201760BKBXOE5231

CERTIFICATE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024 AS REQUIRED BY SCHEDULE 'C' OF INSURANCE REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY REGULATIONS, 2002 FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT OF INSURANCE COMPANIES IN CASE OF UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

We certify that:

1. a. We have verified Cash balances, to the extent considered necessary, and securities related to the Company's Loans and Investments, subject to paragraph (b) herein mentioned below, on following basis:

Sr. No.	Asset	Nature of Verification
i)	Cash	Physical verification, Management Certificate and Regional Office / Branch-Auditor's reports
ii)	Investment	Custodian's Certificate (RBI, CCIL & SHCIL) and Management's Certificate
iii)	Securities relating to Loan	Management's Certificate.

- b. (i) No confirmations were available from custodian in respect of following:
- a. Investment in equity shares having book value of ₹ Nil are under objection
- b. Equity shares having book value amounting to ₹ Nil and Debentures/Bonds having face value ₹ Nil respectively for which no evidence of ownership was available.
- (ii) Investment in Term Loans, Loans to State Government for the purpose of Housing & Fire Fighting Equipment's, Investments in Pass Through Certificates (PTC) and Balances on account of restructuring/rescheduling of debts are subject to confirmations/reconciliations - ₹ Nil.
- (iii) No confirmations were available in respect of Foreign Investments amounting to ₹ Nil.
2. To the best of our information and explanations given to us, the company has not undertaken any trust as trustee.
3. No part of the assets of Policy Holder's Funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provision of the Insurance Act, 1938 relating to the application and Investments of the Policy Holder's Funds.

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN: 001997S

For S R B R & Associates, LLP
Chartered Accountants
FRN :004997S/ S200051

For A V Deven & Co,
Chartered Accountants,
FRN: 000726S

CA K. Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416
UDIN: 24231416BKGUZY6947

CA R Sundararajan
Partner
Membership No. 029814
UDIN: 24029814BKGSYB3900

CA R Raghuraman
Partner
Membership No: 201760
UDIN:24201760BKBXOD9784

Place : Chennai
Date : May 29, 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए युनाइटेड इंडिया इन्श्यूरेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बीमा अधिनियम, 1938 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के साथ पढ़ी गई (बीमा कंपनियों की वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम, 2002 और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुसार युनाइटेड इंडिया इन्श्यूरेंस कंपनी लिमिटेड की समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के तहत अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार स्वतंत्र ऑडिट पर आधारित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा उनके द्वारा दिनांक 29.05.2024 की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए युनाइटेड इंडिया इन्श्यूरेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट किया है। यह पूरक ऑडिट वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपने पूरक ऑडिट के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों की बेहतर समझ और संबंधित ऑडिट रिपोर्ट को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।

अ. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

टिप्पणी सं. 1

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र

निधियों का अनुप्रयोग

चालू देयताएँ - अनुसूची 13

कंपनी द्वारा जारी किए गए खाता बंदी के दिशानिर्देशों के अनुसार, लेखांकन वर्ष के 31 मार्च को या उससे पहले शुरू होने वाली और रिपोर्ट की गई हानि के लिए विधिवत प्रावधान किया जाना चाहिए। हालाँकि, ऑडिट में परीक्षण किए गए 25 मामलों के खिलाफ बकाया दावों के लिए 38.40 करोड़ रुपये का शुद्ध कम प्रावधान था, जो लेखांकन मानक 29 - प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों के प्रावधानों से विचलन था। नतीजतन, नुकसान को भी उसी हद तक कम करके आंका गया है।

टिप्पणी सं. 2

निधियों का अनुप्रयोग-चालू पत्तियाँ-अग्रिम और अन्य संपत्तियाँ-अनुसूची 12-रु. 6,861.63 करोड़

उपरोक्त में वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा आकलन वर्ष 2018-19 के लिए विवादित आयकर 580 करोड़ रुपये का भुगतान भी शामिल है। 580 करोड़ रुपये को प्राप्य के रूप में मान्यता देना गलत है क्योंकि राशि की वापसी के लिए आयकर अपील न्यायाधिकरण से कोई लिखित आदेश नहीं है।

इसे जमा के रूप में मान्यता देने के परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों, अग्रिमों और अन्य परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया और कर व्यय को 580 करोड़ रुपये से कम बताया गया। नतीजतन, साल का घाटा भी 580 करोड़ रुपये से कम बताया गया।

टिप्पणी सं. 3

निधियों का अनुप्रयोग-चालू परिसंपत्तियाँ अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ - अनुसूची 12 - रु. 6,861.64 करोड़ - बीमा कारोबार करने वाली अन्य संस्थाओं (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) से बकाया - (106.53 करोड़ रुपये संदिग्ध माने गए) - 1,890.64 करोड़ रुपये

उपरोक्त में मोटर एक्सओएल संधियों से संबंधित बकाया दावों (2020-21 और पहले) के लिए विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं (भारतीय और विदेशी) से प्राप्त 1.39 करोड़ रुपये शामिल हैं।

चूंकि प्रमुख पुनर्बीमाकर्ता (जीआईसी) और अनुयायी पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ कई पत्राचार के बावजूद वसूली सुनिश्चित नहीं की जा सकी, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे तब तक दावों का सम्मान नहीं करेंगे जब तक कि प्रमुख पुनर्बीमाकर्ता इसे मंजूरी नहीं दे देता। विवेकपूर्ण आधार पर, कंपनी को 1.39 करोड़ रुपये की सीमा तक लंबित वसूली प्रदान करनी चाहिए थी।

प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य 1.39 करोड़ रुपये अधिक बताया गया। नतीजतन, वर्ष के लिए नुकसान को भी उसी राशि से कम करके आंका गया है।

टिप्पणी सं. 4

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र

निधि का अनुप्रयोग-अनुसूची 12 - अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ - बीमा व्यवसाय करने वाली अन्य संस्थाओं (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) से देय - 1,890.64 करोड़ रुपये

उपरोक्त शीर्ष में अंतर समूह संधि (आईजीटी) के सदस्यों से जारी की गई और आईजीटी सदस्यों द्वारा अस्वीकार की गई पॉलिसी के लिए वसूली योग्य 44.06 करोड़ रुपये का दावा शामिल है, जिसमें कहा गया है कि उक्त पोलिसी को मंत्रालय के दिशानिर्देशों के विचलन में विदेश में भारतीय हित को कवर करते हुए बीमा लेखित की गई थी। चूंकि वसूली मुश्किल है, इसलिए कंपनी को प्रावधान करना चाहिए था।

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (B) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

The preparation of financial statements of United India Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938, read with the Insurance Regulatory & Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 29.05.2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of United India Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2024 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A. Comments on Financial Position

Comment No. 1

Balance Sheet as at 31 March 2024

Application of Funds

Current Liabilities-Schedule 13

As per Accounts closing guidelines issued by the Company, losses incepting and reported on or before 31st March of the accounting year should be duly provided for. However, there was a net short provision towards outstanding claims against 25 cases test checked in audit to an extent of ₹ 38.40 crore which was in deviation to provisions of Accounting Standard 29 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. Consequently, the loss is also understated to the same extent.

Comment No. 2

Application of Funds-Current Assets - Advances and other assets - Schedule 12- ₹ 6,861.63 crore

The above includes ₹ 580 crore being the disputed Income tax paid by the company during 2023-24 for the Assessment year 2018-19. Recognising ₹ 580 crore as receivable is incorrect as there is no written order from Income Tax Appellate Tribunal for refund of the amount.

Recognising the same as deposit resulted in overstatement of Current Assets, Advances and other Assets and understatement of tax expense by ₹ 580 crore. Consequently, the loss for the year was also understated by ₹ 580 crore.

Comment No. 3

Application of Funds-Current Assets Advances and Other Assets - Schedule 12- ₹ 6,861.64 crore - Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers) - (₹106.53 crore considered doubtful) - ₹ 1,890.64 crore

The above includes ₹ 1.39 crore due from various reinsurers (Indian and foreign) towards outstanding claims (2020-21 and earlier) pertaining to Motor XoL treaties.

As realisation could not be ensured despite series of correspondences with the lead reinsurer (GIC) and follower reinsurers had categorically put forth that they shall not honor the claims unless lead reinsurer approves the same. On prudent basis, the company should have provided for the pending recoveries to an extent of ₹ 1.39 crore.

Non-provision resulted in overstatement of Advances and other assets by Rs.1.39 crore. Consequently, loss for the year is also understated by the same amount.

Comment No. 4

Balance sheet as on 31 March 2024

Application of Fund-Schedule 12 - Advances and other assets - Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers) - ₹ 1,890.64 crore

The above head includes claim of ₹ 44.06 crore recoverable from members of Inter Group Treaty (IGT) towards policy issued and rejected by the IGT members citing that the said policy was underwritten covering Indian Interest Abroad in deviation to the Ministry guidelines. As the recovery is remote, the company should have made provision.

इसके अलावा, कंपनी ने दावों के दूसरे खाते के भुगतान के लिए तृटिवश अधिशेष संधि से 31.63 करोड़ रुपये की वसूली कर ली थी। इसका असर आईजीटी सदस्यों और युइइंकलि की हिस्सेदारी पर पड़ा। कंपनी ने गलती नहीं सुधारी। इसके परिणामस्वरूप युइइंक के दावे (शुद्ध प्रतिधारण) में 17.38 करोड़ रुपये की कमी आई।

परिणामस्वरूप अनुसूची -12 के तहत अन्य बीमा कंपनियों से बकाया अग्रिम और अन्य संपत्ति 61.44 करोड़ रुपये (44.06 करोड़

रुपये + 17.38 करोड़ रुपये) से अधिक बताई गई है और अवधि के लिए नुकसान को उसी राशि से कम करके आंका गया है।

ब. अंकेक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी

टिप्पणी सं. 5

वर्ष 2023-24 के लिए युइइंक के समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट:

अ) स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 2023-24 का संदर्भ आमंत्रित किया गया है, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों की प्रतिक्रियाएँ इस प्रकार थीं:-

धारा 143(5) के अधीन निर्देश	स्वतंत्र लेखा परीक्षक का जवाब
क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हों।	हाँ। सभी लेखांकन लेनदेन आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं। जेनिसेस कॉन्फिगरेटर (जीसी कोर) सभी ऑपरेटिंग कार्यालयों और पोर्टलों पर उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। एक स्टैंडअलोन ट्रेजरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग निवेश विभाग में किया जाता है और प्रधान कार्यालय के केंद्रीय वित्त और लेखा विभाग में जीसी सॉफ्टवेयर के अलावा ऋअउड सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। स्थापना विभाग में पेट्रोल की प्रक्रिया एसएपी के माध्यम से की जाती है। केंद्रीय वित्त और लेखा विभाग में एक अलग एसक्यूएल सॉफ्टवेयर द्वारा असमाप्त जोखिम रिजर्व की गणना की जा रही है।

व्यवसाय की फसल बीमा के तहत प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में, संबंधित सरकारों से प्राप्त होने वाले प्रीमियम को बॉर्डरएक्स प्रदर्शित नहीं करता है। कोटा शेयर के कारण प्रीमियम को समायोजित करने के लिए, कंपनी मैनुअल रूप से प्राप्त होने पर, पुनर्बीमा सीमा में कोटा शेयर के वास्तविक प्रीमियम को शामिल करती है। यह तथ्य कि पुनर्बीमा संचालन के मामले में जीसी कोर एप्लिकेशन पूरी तरह से स्वचालित नहीं है, स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया में स्पष्ट नहीं है।

ब) कंपनी अधिनियम की धारा 143(5) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों को सी एंड एजी के निर्देशों का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। 2013 (सि. क्रमांक 3), जिसमें निर्देश एवं सांविधिक लेखापरीक्षक का उत्तर इस प्रकार था:

धारा 143(5) के अधीन निर्देश	वैधानिक लेखा परीक्षकों का उत्तर
क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त निधियों का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं	होल्टिंग कंपनी को केंद्रीय और राज्य एजेंसियों से पीएमएफबीवाई/ आरएसबीवाई से संबंधित सब्सिडी का एक हिस्सा प्राप्त हुआ, जिसका उचित हिसाब-किताब किया गया और उसका उपयोग किया गया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए, केंद्र और राज्य सरकार प्रीमियम का एक हिस्सा योगदान करती है और शेष लाभार्थी (किसान) द्वारा वहन किया जाता है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के मामले में, बीपीएल परिवारों को बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है जिसमें केंद्र सरकार प्रीमियम का 75 प्रतिशत वहन करती है और शेष लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार, प्रदान की गई सब्सिडी लाभार्थी को है न कि बीमाकर्ता को। वैधानिक लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया दर्शाती है कि कंपनी को सब्सिडी प्राप्त हुई है, जो सच नहीं है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 2023-24 उप-पैरा (ए) और (बी) में बताए गए हद तक अपर्याप्त है।

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 01.08.2024

एस.वेल्लियांगिरी
वाणिज्यिक लेखापरीक्षक के प्रधान निदेशक



In addition, the Company had erroneously recovered ₹ 31.63 crore from surplus treaty while accounting for second on account payment of claims. This impacted the share of IGT members and UIICL. The company did not rectify the error. This resulted in reduction of the UIIC's claim (net retention) by ₹17.38 crore.

Consequently, Balances due from other insurance companies under Schedule - 12 Advances and other

assets is overstated by ₹ 61.44 crore (₹ 44.06 crore + ₹17.38 crore) and loss for the period is understated by the same amount.

B. Comments on Auditor's Report

Comment No. 5

Independent Auditors' Report on the Consolidated Financial Statements of UIIC for the year 2023-24:

a) Reference is invited to the Independent Auditor's Report 2023-24, wherein responses to the directions u/s 143(5) of the Companies Act, 2013, were as follows:-

Direction u/s 143(5)	Reply of the independent auditor
Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside of IT system on the integrity of accounts along with the financial implications, if any.	Yes. All accounting transactions are processed through IT systems. Genisys configurator (GC CORE) is the software used across all operating offices and portals. A standalone treasury management software is used at Investment Department and in Central Finance and Accounts Department of Head Office FACT software is used in addition to GC software. Payroll is processed through SAP in Establishment Department. The unexpired risk reserve is being computed by a separate SQL software in Central Finance and Accounts department.

With respect to Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana under Crop Line of Business, the bordereaux does not capture realised premium as and when the same is received from the respective Governments. To adjust the premium due to quota share, the Company manually incorporates the realised premium of the quota share in the Reinsurance bordereaux, as and when received. The fact that the GC Core application is not fully automated in the case of reinsurance operations is not evident in the response of the independent auditors.

b) Reference is invited to the directions of C&AG to the Statutory Auditors u/s 143(5) of the Companies Act. 2013 (Sl. No 3), wherein the direction and Statutory Auditor's reply were as follows:

Direction u/s 143(5) of Companies Act, 2013	Reply of the independent auditor
Whether funds received/ receivable for specific schemes from Central/state agencies were properly accounted for/ utilised as per its terms and conditions? List the cases of deviations	The holding company received a part of subsidy relating to PMFBY/RSBY from central and state agencies which were properly accounted for and utilised.

For the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the Central and State Government contributes a portion of the premium and the rest is borne by the beneficiary (the farmer). Similarly, in the case of Rashtriya Swasthya Bima Yojana, BPL families are provided insurance coverage wherein the central government bears 75 percent of the premium and the rest is borne by the beneficiary. Thus, the subsidy provided is to the beneficiary and not to the insurer. The response of the statutory auditor depicts that the subsidy is received by the company, which is not true.

Independent Auditor's Report 2023-24 is deficient to the extent as stated in sub-para (a) and (b).

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place : Chennai
Date : 01.08.2024

S.Velliangiri
Principal Director of Commercial Auditor

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023 FORM A - RA
REGISTRATION NO.: 545 DATE OF RENEWAL WITH THE IRDAI: FEBRUARY 02, 2023

**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अग्नि बीमा राजस्व खाता
FIRE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024**

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	31-03-2024 (₹'000)	31-03-2023 (₹000)
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premium earned (Net)	1	8696139	8205207
निवेश के बिक्री/ मोचन पर लाभ/ हानि (शुद्ध) Profit/Loss on sale/redemption of Investments (Net)		897346	869773
विनियम लाभ/ हानि Exchange Loss/Gain		0	0
ब्याज, लाभांश & किराया - सकल Interest, Dividend & Rent - Gross		2634514	1503075
अन्य / Others			
अतिरिक्त ईओएम के लिए अंशधारक निधि से योगदान Contribution from Shareholders Fund towards excess EOM		0	3438489
कुल (अ) / TOTAL (A)		12227999	14016544
उपगत दावे (शुद्ध) Claims Incurred (Net)	2	6782138	5735895
कमीशन Commission	3	1373752	971503
बीमा व्यवसाय संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	4386816	7345937
अन्य / Others			
निवेश से संबंधित व्यय Expenses relating to Investments		2634	2787
निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन Amortisation of Premium on Investments		5137	6187
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provision for Bad & Doubtful Debts		-61758	62133
बट्टे खाते में डाली गई मूल्यहासित राशि Amount written off in respect of depreciated investments		54154	39647
सक्रिय रूप से कारोबार किए गए ईक्विटीज के अलावा अन्य के मूल्य में हास के लिए प्रावधान Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities		-633	-15551
कुल (ब) / TOTAL (B)		12542240	14148538
परिचालन लाभ/(हानि) सी = (ए-बी) Operating Profit/(Loss) C = (A-B)		-314241	-131994

विनियोग / APPROPRIATIONS			
अंशधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholders' Account		-314241	-131994
आपद रिजर्व को अंतरण Transfer to Catastrophe Reserve		0	0
अन्य रिजर्व को अंतरण Transfer to Other Reserves		0	0
कुल (स) / TOTAL (C)		-314241	-131994

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40सी(2) के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, अब्बि बीमा व्यवसाय के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किए गए सभी खर्च अब्बि बीमा राजस्व खाते में खर्च के रूप में पूरी तरह से डेबिट किए गए हैं।

As required by Section 40C(2) of insurance Act 1938, we hereby certify that to the best of our knowledge and belief, all expenses wherever incurred whether directly or indirectly in respect of Marine Insurance Business have been fully debited in the Marine Insurance Revenue account as expenses.

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव
एसीएस संख्या : A12700

संतानम हेमामालिनि
मुख्य वित्तीय अधिकारी

भूपेश सुशील राहुल
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
DIN : 10610759

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

SANTHANAM HEMA MALINI
CHIEF FINANCIAL OFFICER

BHUPESH SUSHIL RAHUL
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN : 10610759

Vide our report of date attached.

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001997S

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 004997S/S200051

वास्ते ए वी देवेन & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 000726S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

For A V Deven & Co
Chartered Accountants
FRN: 000726S

सीए के सुनील कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 231416

सीए आर. सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं.029814

सीए आर. रघुरामन
भागीदार
सदस्यता सं. 201760

CA K Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416

CA R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

CA R Raghuraman
Partner
Membership No. 201760

स्थान / Place : चेन्नै / Chennai
दिनांक / Date : 29.05.2024



युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023 FORM A - RA
REGISTRATION NO.: 545 DATE OF RENEWAL WITH THE IRDAI: FEBRUARY 02, 2023

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समुद्री बीमा राजस्व खाता MARINE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	31-03-2024 (₹'000)	31-03-2023 (₹'000)
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premium earned (Net)	1	2029864	2267831
निवेश के बिक्री/ मोचन पर लाभ/ हानि (शुद्ध) Profit/Loss on sale/redemption of Investments (Net)		206186	200415
विनिमय हानि/लाभ Exchange Loss/Gain		0	0
ब्याज, लाभांश & किराया - सकल Interest, Dividend & Rent - Gross		298834	346340
अन्य / Others			
अतिरिक्त ईओएम के लिए शेयरधारक निधि से अंशदान Contribution from Shareholders Fund towards excess EOM		0	489563
कुल (अ) / TOTAL (A)		2534884	3304149
उपगत दावे (शुद्ध) Claims Incurred (Net)	2	978988	1341732
कमीशन Commission	3	304641	266967
बीमा व्यवसाय संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	641226	1175818
अन्य / Others			
निवेश से संबंधित व्यय Expenses relating to Investments		605	642
बट्टे खाते में डाली गई मूल्यहासित राशि Amortisation of Premium on Investments		1180	1426
मूल्यहासित निवेश के संबंध में बट्टे खाते में डाली गई राशि Amount written off in respect of depreciated investments		12443	9136
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provision for Bad & Doubtful Debts		-14190	14316
सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी के अलावा अन्य के मूल्य में हास का प्रावधान Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities		-145	-3583
कुल (बी) / TOTAL (B)		1924748	2806454
परिचालन लाभ/(हानि) सी = (ए-बी) Operating Profit/(Loss) C = (A-B)		610136	497695

विनियोग / APPROPRIATIONS			
अंशधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholders' Account		610136	497695
आपद रिजर्व को अंतरण Transfer to Catastrophe Reserve		0	0
अन्य रिजर्व को अंतरण Transfer to Other Reserves		0	0
कुल (सी) / TOTAL (C)		610136	497695

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40सी(2) के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, समुद्री बीमा व्यवसाय के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किए गए सभी खर्च समुद्री बीमा राजस्व खाते में खर्च के रूप में पूरी तरह से डेबिट किए गए हैं।

As required by Section 40C(2) of insurance Act 1938, we hereby certify that to the best of our knowledge and belief, all expenses wherever incurred whether directly or indirectly in respect of Marine Insurance Business have been fully debited in the Marine Insurance Revenue account as expenses.

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव
एसीएस संख्या : A12700

संतानम हेमामालिनि
मुख्य वित्तीय अधिकारी

भूपेश सुशील राहुल
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
DIN : 10610759

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

SANTHANAM HEMA MALINI
CHIEF FINANCIAL OFFICER

BHUPESH SUSHIL RAHUL
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN : 10610759

Vide our report of date attached.

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001997S

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 004997S/S200051

वास्ते ए वी देवेन & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 000726S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

For A V Deven & Co
Chartered Accountants
FRN: 000726S

सीए के सुनील कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 231416

सीए आर. सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं.029814

सीए आर. रघुरामन
भागीदार
सदस्यता सं. 201760

CA K Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416

CA R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

CA R Raghuraman
Partner
Membership No. 201760

स्थान / Place : चेन्नै / Chennai
दिनांक / Date : 29.05.2024

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023 FORM A - RA
REGISTRATION NO.: 545 DATE OF RENEWAL WITH THE IRDAI: FEBRUARY 02, 2023

**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए विविध बीमा राजस्व खाता
MISCELLANEOUS INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024**

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	31-03-2024 (₹'000)	31-03-2023 (₹'000)
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premium earned (Net)	1	155418900	140969822
निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ/हानि (शुद्ध) Profit/Loss on sale/redemption of Investments (Net)		13416625	12028810
अंतरण शुल्क, आदि Transfer fees, etc.		12116	12574
ब्याज, लाभांश & किराया - सकल Interest, Dividend & Rent - Gross		19602243	20787254
अन्य / Others			
अतिरिक्त ईओएम के लिए शेयरधारक निधि से अंशदान Contribution from Shareholders Fund towards excess EOM		0	20462159
कुल (अ) / TOTAL (A)		188449884	194260619
उपगत दावे (शुद्ध) Claims Incurred (Net)	2	152575750	133532205
कमीशन Commission	3	11718774	9373450
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	32581219	54555017
अन्य / Others			
निवेश से संबंधित व्यय Expenses relating to Investments		39390	38533
निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन Amortisation of Premium on Investments		76809	85565
बढ़े खाते में डाली गई मूल्यहासित राशि Amount written off in respect of depreciated investments		809683	548317
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provision for Bad & Doubtful Debts		-923370	859286
सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी के अलावा अन्य के मूल्य में हास का प्रावधान Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities		-9471	-215062
कुल (बी) / TOTAL (B)		196868784	198777311
परिचालन लाभ/(हानि) सी = (ए-बी) Operating Profit/(Loss) C = (A-B)		-8418900	-4516692

विनियोग / APPROPRIATIONS			
अंशधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholders' Account		-8418900	-4516692
आपद रिजर्व को अंतरण Transfer to Catastrophe Reserve		0	0
अन्य रिजर्व को अंतरण Transfer to Other Reserves		0	0
कुल (सी) / TOTAL (C)		-8418900	-4516692

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40सी(2) के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किए गए सभी खर्च विविध बीमा राजस्व खाते में खर्च के रूप में पूरी तरह से डेबिट किए गए हैं।

As required by Section 40C(2) of insurance Act 1938, we hereby certify that to the best of our knowledge and belief, all expenses wherever incurred whether directly or indirectly in respect of Miscellaneous Insurance Business have been fully debited in the Miscellaneous Insurance Revenue account as expenses.

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव
एसीएस संख्या : A12700

संतानम हेमामालिनि
मुख्य वित्तीय अधिकारी

भूपेश सुशील राहुल
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
DIN : 10610759

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

SANTHANAM HEMA MALINI
CHIEF FINANCIAL OFFICER

BHUPESH SUSHIL RAHUL
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN : 10610759

Vide our report of date attached.

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001997S

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 004997S/S200051

वास्ते ए वी देवेन & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 000726S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

For A V Deven & Co
Chartered Accountants
FRN: 000726S

सीए के सुनील कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 231416

सीए आर. सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं.029814

सीए आर. रघुरामन
भागीदार
सदस्यता सं. 201760

CA K Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416

CA R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

CA R Raghuraman
Partner
Membership No. 201760

स्थान / Place : चेन्नै / Chennai
दिनांक / Date : 29.05.2024

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
REGISTRATION NO.: 545 DATE OF RENEWAL WITH THE IRDAI: FEBRUARY 02, 2023

31 मार्च 2024 को समाप्त लाभ & हानि खाता
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024 (₹'000)	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023 (₹000)
परिचालन लाभ/(हानि) / OPERATING PROFIT/(LOSS)			
अग्नि बीमा / Fire Insurance		-314241	-131994
समुद्री बीमा / Marine Insurance		610136	497695
विविध बीमा / Miscellaneous Insurance		-8418900	-4516692
निवेश से आय / INCOME FROM INVESTMENTS			
ब्याज, लाभांश & किराया-सकल / Interest, Dividend & Rent - Gross		61050	0
निवेश पर बिक्री से आय / Profit on sale of investments		0	0
अन्य आय / OTHER INCOME			
वापस लिया गया विविध शेष / Sundry Balance written off		31586	1050830
संपत्ति की बिक्री पर लाभ/ हानि & अन्य आय / Profit/Loss on sale of assets & other incomes		-6748	-171281
कुल (अ) / TOTAL (A)		-8037117	-3271442
निवेश के मूल में ह्रास के लिए/For diminution in the value of investments		0	0
संदिग्ध ऋणों के लिए / For doubtful debts		0	0
अन्य व्यय / OTHER EXPENSES			
उधार राशियों पर ब्याज / Interest On Borrowings		0	624514
निगमिय सामाजिक दायित्व हेतु व्यय Expenses on Corporate Social Responsibility		12	7120
बीमा व्यवसाय से संबंधित व्यय के अलावा अन्य व्यय Contribution to Policyholders Fund towards excess EOM		0	24390211
बीमा व्यवसाय से परे व्यय Expenses other than those related to Insurance Business		0	0
माफ किए गए अशोध्य ऋण / Bad debts written off		0	0
निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन Amortisation of Premium on Investments		0	0
मूल्यहास निवेश के संबंध में बट्टे खाते में डाली गई राशि Amount written off in respect of depreciated investments		0	0
कुल (ब) / TOTAL (B)		12	25021845
कर पूर्व लाभ (स) = (अ - ब) Profit/(Loss) Before Tax (C) = (A-B)		-8037129	-28293287

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
 लाभ और हानि खाता / PROFIT & LOSS ACCOUNT INSURANCE REVENUE ACCOUNT

कराधान हेतु प्रावधान / Provision for Taxation		0	0
पिछले वर्षों से संबंधित कराधान / Taxation relating to earlier years		0	0
कर के बाद लाभ / (हानि) (डी) / Profit / (Loss) After Tax (D)		-8037129	-28293287
विनियोग / APPROPRIATIONS			
वर्ष के दौरान भुगतान किये गये अंतरिम लाभांश Interim dividends paid during the year		0	0
प्रस्तावित अंतिम लाभांश / Proposed final dividend		0	0
लाभांश वितरण कर / Dividend distribution tax		0	0
ऋणपत्र मोचन रिजर्व को किया गया अंतरण / Transfer to Debenture Redemption Reserve		0	0
समान्य रिजर्व को किया गया अंतरण / Transferred to General Reserve		0	-1125000
तुलन पत्र को अग्रणीत किया गया शेष / Balance carried forward to Balance Sheet		-8037129	-27168287
प्रति अंश बुनियादी और मंदित आय Basic and Dilluted Earning Per Share		-2.06	-7.25

अनघा शांतनु देशपांडे
कंपनी सचिव
एसीएस संख्या : A12700

एस. हेमामालिनि
मुख्य वित्तीय अधिकारी

भूपेश एस राहुल
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
DIN : 10610759

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

SANTHANAM HEMA MALINI
CHIEF FINANCIAL OFFICER

BHUPESH SUSHIL RAHUL
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN : 10610759

संलग्न दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / Vide our report of date attached

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001997S

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 004997S/S200051

वास्ते ए वी देवेन & कं
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 000726S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

For A V Deven & Co
Chartered Accountants
FRN: 000726S

सीए के सुनील कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 231416

सीए आर. सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं.029814

सीए आर. रघुरामन
भागीदार
सदस्यता सं. 201760

CA K Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416

CA R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

CA R Raghuraman
Partner
Membership No. 201760

स्थान / Place : चेन्नै / Chennai
दिनांक / Date : 30.05.2024



युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
REGISTRATION NO.: 545 DATE OF RENEWAL WITH THE IRDAI: FEBRUARY 02, 2023

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024 (₹'000)	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023 (₹000)
निधि के स्रोत SOURCES OF FUND			
अंश पूंजी SHARE CAPITAL	5	39050000	39050000
रिजर्व और अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	6	226831	221216
उचित मूल्य परिवर्तन खाता-अंश धारकों का FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT - SHAREHOLDERS'		10810	9564
उचित मूल्य परिवर्तन खाता-पॉलिसी धारकों का FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT - POLICYHOLDERS'		62514935	36773949
ऋण BORROWINGS	7	0	0
कुल / TOTAL		101802576	76054729
निधियों का उपयोग / APPLICATION OF FUNDS			
निवेश शेयरधारकों / INVESTMENTS - SHAREHOLDERS'	8	322533	321287
निवेश पॉलिसीधारकों / INVESTMENTS - POLICYHOLDERS'	8A	362189986	354466575
ऋण LOANS	9	2320870	2081296
अचल संपत्तियाँ FIXED ASSETS	10	4508280	4403224
चालू संपत्तियाँ CURRENT ASSETS			
रोकड और बैंक शेष CASH AND BANK BALANCES	11	35157621	21990193
अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ ADVANCES AND OTHER ASSETS	12	68616384	59272462
उप-कुल (अ) SUB-TOTAL (A)		103774005	81262655

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
31 मार्च 2024 के दिन पर का तुलन पत्र / BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024



चालू देयताएं CURRENT LIABILITIES	13	332293313	326839876
प्रावधान / PROVISIONS	14	93648648	86232166
उप-कुल (ब) / SUB-TOTAL (B)		425941961	413072042
शुद्ध चालू संपत्तियाँ (स) = (अ - ब) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)		-322167956	-331809387
विविध व्यय (जिससीमा तक बट्टेखाते में नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	0	0
लाभ और हानि खाते में डेबिट शेष DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT	6A	54628863	46591734
कुल / TOTAL		101802576	76054729

अनघा शांतनु देशपांडे
कंपनी सचिव
एसीएस संख्या : A12700

एस. हेमामालिनि
मुख्य वित्तीय अधिकारी

भूपेश एस राहुल
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
बीआईएन : 10610759

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

SANTHANAM HEMA MALINI
CHIEF FINANCIAL OFFICER

BHUPESH SUSHIL RAHUL
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN : 10610759

संलग्न दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / Vide our report of date attached

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001997S

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एल एल पी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 004997S/S200051

वास्ते ए वी देवेन & कं
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 000726S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

For A V Deven & Co
Chartered Accountants
FRN: 000726S

सीए के सुनील कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 231416

सीए आर. सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं.029814

सीए आर. रघुरामन
भागीदार
सदस्यता सं. 201760

CA K Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416

CA R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

CA R Raghuraman
Partner
Membership No. 201760

स्थान / Place : चेन्नै / Chennai
दिनांक / Date : 29.05.2024

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
31 मार्च 2024 के दिन पर का तुलन पत्र / BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024

आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES

(₹'000)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023
आंशिक रूप से भुगतान पर किए गए निवेश पर / On partly paid investments	1075	1075
पॉलिसियों के अंतर्गत दावों के अलावा अन्य दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया Claims other than those under policies, not acknowledged as debts	1874335	1625300
बकाया बीमालेखन प्रतिबद्धताएं (शेयर और प्रतिभूतियों के संबंध में) Underwriting commitments outstanding (in respect of shares and securities)	0	0
कंपनी या उसकी ओर से दी गई गारंटी Guarantees given by or on behalf of the Company	0	0
विवादित वैधानिक मांगों/ देयताएं, जिनके के लिए प्रावधान नहीं किया गया ** Statutory demands / liabilities in dispute, not provided for**	61524925	41682481
खातों में प्रदान नहीं की गई सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts	0	0
बकाया साख पत्र / Outstanding Letter of Credit	34655	32218

**** नोट्स:**

- विवाद में वैधानिक मांगों/देनदारियों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, जिसमें आयकर के संबंध में जुर्माना और ब्याज शामिल नहीं है, हालांकि सेवा कर में जुर्माना और जीएसटी में जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल हैं।
- आयकर अधिकारियों ने पिछले कुछ वर्षों में कंपनी को अब तक देय रिफंड की राशि ₹5003975 हजार (₹5003975 हजार) को समायोजित किया है।

****Notes:**

- Statutory demands / liabilities in dispute not provided for do not include penalty and interest in respect of Income Tax, however service tax include penalty and GST include penalty and interest accrual both.
- The Income Tax authorities have adjusted, over the years, the refund due until date to the company amounting to ₹ 5003975 thousands (₹ 5003975 thousands).

**वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**
**समेकित अनुसूची - 1 - अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
SCHEDULE - 1 - PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024**

विवरण / Particulars	अग्नि / Fire		समुद्री / Marine		विविध / Misc.		कुल / Total	
	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)
से प्रीमियम / PREMIUM FROM								
लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business Written	20828177	18825406	4272329	4363405	173429062	153254240	198529568	176443051
जोड़: स्वीकार किया गया पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Add: Premium on Reinsurance accepted	2758904	2227617	161991	47540	491098	425003	3411993	2700160
घटाया: सौंपा गया पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded	15332054	11966866	2189185	2235455	9421636	10972515	26942875	25174836
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	8255027	9086157	2245135	2175490	164498524	142706728	174998686	153968375
असमाप्त जोखिमों के लिए बदलाव हेतु समायोजन Adjustment for change in reserve for unexpired risks	441112	-880950	-215271	92341	-9079624	-1736906	-8853783	-2525515
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net)	8696139	8205207	2029864	2267831	155418900	140969822	166144903	151442860



समेकित अनुसूची - 2 - उपगत दावे (शुद्ध) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
SCHEDULE - 2 - CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	अग्नि / Fire		समुद्री / Marine		विविध / Misc.		कुल / Total	
	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)
दावों का भुगतान / CLAIMS PAID								
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	9746696	9289209	2620047	3942437	149632546	137822493	161999289	151054139
जोड़: स्वीकार किया गया पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted	1454704	387314	138787	10584	163310	274449	1756801	672347
घटाया: सौंपा गया पुनर्बीमा / Less: Reinsurance ceded	4615008	3092351	1483809	2587863	7904443	11292438	14003260	16972652
शुद्ध दावों का भुगतान / Net Claims paid	6586392	6584172	1275025	1365158	141891413	126804504	149752830	134753834
जोड़: लंबित दावे - अंतिम - प्रत्यक्ष Add: Claims Outstanding - Closing - Direct	31282272	25887244	7364883	9155289	261485831	256915338	300132986	291957871
जोड़: लंबित दावे - अंतिम - स्वीकार किया गया पुनर्बीमा Add: Claims Outstanding - Closing - RI Accepted	965770	2311386	116999	170623	708960	863867	1791729	3345876
घटाया: लंबित दावे - अंतिम - सौंपा गया पुनर्बीमा Less: Claims outstanding - Closing - RI Ceded	17754787	13901121	4383632	5931625	20452321	26721072	42590740	46553818
जोड़: लंबित दावे - अंतिम - शुद्ध Add: Claims Outstanding - Closing - Net	14493255	14297509	3098250	3394287	241742470	231058133	259333975	248749929
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct	25887244	26296290	9155289	11680036	256915338	252118469	291957871	290094795
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुनर्बीमा Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted	2311386	3483096	170622	140652	863867	1061726	3345875	4685474
जोड़: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुनर्बीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded	13901121	14633600	5931624	8402975	26721072	28849763	46553817	51886338
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - शुद्ध / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net	14297509	15145786	3394287	3417713	231058133	224330432	248749929	242893931
उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net)	6782138	5735895	978988	1341732	152575750	133532205	160336876	140609832

समेकित अनुसूची - 3 - कमीशन 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
SCHEDULE - 3 - COMMISSION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	अग्नि / Fire		समुद्री / Marine		विविध / Misc.		कुल / Total	
	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)
भुगतान किया गया कमीशन / COMMISSION PAID								
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	2201083	1781009	332136	316368	12493572	10321385	15026791	12418762
कुल (अ) / TOTAL (A)	2201083	1781009	332136	316368	12493572	10321385	15026791	12418762
जोड़: स्वीकार किया गया पुनर्बीमा पर कमीशन Add: Commission on Reinsurance Accepted	275264	288623	13328	10816	46922	84275	335514	383714
घटाया: सौंपा गया पुनर्बीमा पर कमीशन Less: Commission on Reinsurance Ceded	1102595	1098129	40823	60217	821720	1032210	1965138	2190556
कमीशन(शुद्ध) / Commission (Net)	1373752	971503	304641	266967	11718774	9373450	13397167	10611920

व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय (सकल) का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए:
Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below:

अभिकर्ता / Agents	901358	703318	200655	182401	8559398	7467030	9661411	8352749
ब्रोकर्स / Brokers	1230455	1009350	131184	133820	3824627	2387000	5186266	3530170
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	69270	68341	297	147	109547	467355	179114	535843
अन्य / Others	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल (ब) / TOTAL (B)	2201083	1781009	332136	316368	12493572	10321385	15026791	12418762

**समेकित अनुसूची - 4 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय
SCHEDULE - 4 - OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024**

विवरण / Particulars	अग्नि / Fire		समुद्री / Marine		विविध / Misc.		कुल / Total	
	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)
कर्मचारियों का पारिश्रमिक और कल्याण लाभ Employees' remuneration and Welfare benefits	3579642	6719001	506151	1057305	26405199	49068036	30490992	56844342
यात्रा, संप्रेषण तथा वाहन चलाने का व्यय Travel, conveyance and vehicle running expenses	36949	41788	5224	6576	272550	305172	314723	353536
प्रशिक्षण व्यय / Training Expenses	-99	2679	-14	422	-733	19563	-846	22664
किराया, दर & कर / Rents, rates & taxes	141242	144516	19971	22741	1041876	1055383	1203089	1222640
मरम्मत / Repairs	14844	15655	2099	2464	109493	114324	126436	132443
मुद्रण & लेखन / Printing and Stationery	18345	19511	2593	3070	135321	142490	156259	165071
संचार / Communication	25728	25867	3638	4071	189786	188906	219152	218844
विविध और पेशेवर प्रभार Legal and Professional charges	9337	12946	1320	2037	68877	94546	79534	109529
ऑडिटर्स शुल्क, खर्च इत्यादि Auditors' fees, expenses etc.								
(अ) ऑडिटर के रूप में (a) as auditor	2459	4892	347	770	18139	35723	20945	41385
(ब) सलाहकार के रूप में या किसी अन्य क्षमता में, के संबंध में (b) as advisor or in any other capacity, in respect of								
(i) कराधान मामले (i) Taxation matters	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii) बीमा मामले (ii) Insurance matters	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii) प्रबंधन सेवाएं; और (iii) Management services; and	0	0	0	0	0	0	0	0
(स) कोई अन्य क्षमता (c) Any other capacity	153	252	22	39	1125	1842	1300	2133
विज्ञापन और प्रसार / Advertisement and publicity	2845	5028	402	792	20985	36717	24232	42537
ब्याज और बैंक प्रभार / Interest and Bank Charges	35275	38302	4988	6027	260205	279710	300468	324039
मूल्य हास / Depreciation	99784	106606	14110	16775	736055	778532	849949	901913
प्रीमियम खाते पर सेवा शुल्क Service Tax on Premium A/c	0	0	0	0	0	0	0	0
आउटसोर्सिंग व्यय / Outsourcing Expenses	36966	22367	5227	5957	272676	276469	314869	320284
यूमेक्स व्यय / UMEX Exp.	85002	86847	12019	13666	627020	634237	724041	734750
अन्य / Others	298344	84189	63129	33106	2422645	1523367	2784118	1640662
कुल / TOTAL	4386816	7345937	641226	1175818	32581219	54555017	37609261	63076772

**समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**



अनुसूची - 5 - 31 मार्च 2024 को अंशपूंजी
SCHEDULE - 5 - SHARE CAPITAL AS AT 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023
अधिकृत पूंजी Authorised Capital		
रु. 10/- प्रति की दर से 7500000000 साम्यांश शेयर 7500000000 Equity Shares of Rs.10/- each	75000000	75000000
निर्गमित पूंजी Issued Capital		
रु. 10/- प्रति की दर से 3905000000 साम्यांश शेयर 3905000000 Equity Shares of Rs.10/- each	39050000	39050000
अभिदत्त पूंजी Subscribed Capital		
रु. 10/- प्रति की दर से 3905000000 साम्यांश शेयर 3905000000 Equity Shares of Rs.10/- each	39050000	39050000
याचिका पूंजी Called up Capital		
रु. 10/- प्रति की दर से 3905000000 साम्यांश शेयर 3905000000 Equity Shares of Rs.10/- each	39050000	39050000
घटाया: अदत्त याचना Less: Calls unpaid		
जोड़ : समपहृत साम्यांश शेयर(मूल रूप से भुगतान की गई राशि) Add : Equity Shares forfeited (Amount originally paid up)		
घटाया: वापस खरीदा गया सममूल्य साम्यांश शेयरों का मूल्य Less: Par Value of Equity Shares bought back		
घटाया: आरंभिक व्यय Less: Preliminary Expenses		
घटाया: शेयरों की बीमालेखन अथवा अभिदान पर कमीशन या ब्रोकरेज सहित व्यय Less: Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares		
कुल / TOTAL	39050000	39050000

अनुसूची - 5ए - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए शेयर होल्डिंग का पैटर्न [प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित]
SCHEDULE - 5A - PATTERN OF SHARE HOLDING [As certified by the Management] FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024		विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023	
	शेयरों की संख्या No. of Shares	आधिपत्य % % of Holding	शेयरों की संख्या No. of Shares	आधिपत्य % % of Holding
संवर्धक / Promoters				
भारतीय / Indian				
भारत सरकार Government of India	3904999970	100%	3904999970	100%
भारत सरकार द्वारा नामित Nominees of Govt. of India	30	0%	30	0%
कुल / Total	3905000000		3905000000	

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
 वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 6 - 31 मार्च 2024 को रिजर्व और अधिशेष SCHEDULE - 6 - RESERVES & SURPLUS AS AT 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023
	(₹'000)	(₹'000)
पूंजी रिजर्व / Capital Reserve	13589	13589
पूंजी मोचन रिजर्व / Capital Redemption Reserve	0	0
शेयर प्रीमियम / Share Premium	0	0
सामान्य रिजर्व (परिचालन) / General Reserve (Opening)	0	0
जोड़: मुक्त रिजर्व / Add: Free Reserve		1125000
जोड़: लाभ & हानि खाते से अंतरण / Add: Transfer from Profit & Loss Account	0	1125000
जमा शेष / Closing Balance	0	0
आपदा रिजर्व / Catastrophe Reserve	0	0
अन्य रिजर्व - निवेश रिजर्व / Other Reserves - Investment Reserve	8627	8627
वर्ष के आरंभ में विदेशी मुद्रा संप्रेषित आरक्षित / Foreign Currency Translation Reserve - Opening Balance	199000	178045
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ निकासी / Addition/Withdrawal during the year	5615	20955
विदेशी मुद्रा बदली रिजर्व - जमा शेष Foreign Currency Translation Reserve - Closing Balance	204615	199000
ऋणपत्र मोचन रिजर्व / Debenture Redemption Reserve	0	0
लाभ & हानि खाते में लाभ का शेष / Balance of Profit in Profit & Loss Account	0	0
कुल / TOTAL	226831	221216

अनुसूची - 6अ - 31 मार्च 2024 को लाभ और हानि खाते में जमा नामे शेष SCHEDULE - 6A - DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT AS AT 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023
	(₹'000)	(₹'000)
आरंभिक शेष / Opening Balance	46591734	19423447
जोड़: चालू वर्ष का घाटा / Add: Loss of Current Year	8037129	27168287
अंतिम शेष / Closing Balance	54628863	46591734

अनुसूची - 7 - 31 मार्च 2024 को उधारियाँ SCHEDULE - 7 - BORROWINGS AS AT 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023
	(₹'000)	(₹'000)
ऋणपत्र / बॉण्ड / Debentures / Bonds	0	0
बैंक / Banks	0	0
वित्तीय संस्थान / Financial Institutions	0	0
अन्य (निर्दिष्ट किया जाए) / Others (to be specified)	0	0
कुल / TOTAL	0	0



अनुसूची - 8 - 31 मार्च 2024 को (अंशधारकों की निधि)

SCHEDULE - 8 - (SHAREHOLDERS' FUNDS) AS ON 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024		विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023	
	(₹'000)		(₹'000)	
दीर्घ कालिक निवेश / Long Term Investment				
ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकारी गारंटीशुदा बॉण्ड Govt Securities and Government Guaranteed Bonds incl. Treasury Bills		0		0
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities		0		0
अन्य निवेश / Other Investments				
ए) शेयर्स / a) Shares	0		0	
एए) साम्यांश aa) Equity	0		0	
बीबी) अधिमान bb) Preference	0		0	
बी) म्यूचुअल फंड b) Mutual Funds	0		0	
सी) डेरिवेटिव इंस्ट्रुमेंट्स c) Derivative Instruments	0		0	
डी) ऋणपत्र और बॉण्ड d) Debentures and Bonds	0		0	
ई) अन्य प्रतिभूतियाँ e) Other Securities	0		0	
एफ) सहायक f) Subsidiaries	0		0	
जी) निवेश संपत्तियाँ - रियल एस्टेट g) Investment Properties-Real Estates	0		0	
		0		0
इंफ्रा और सामाजिक क्षेत्र में निवेश Invnt in Infra and Social Sector	0	0	0	0
स्वीकृत निवेशों के अलावा अन्य* Other than Approved Investments*	322533	322533	321287	321287
उप-कुल / SUB-TOTAL		322533		321287
अल्प अवधि निवेश / Short Term Investment				
ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकारी गारंटीशुदा बॉण्ड Govt Securities and Government Guaranteed Bonds incl. Treasury Bills		0		0
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities		0		0
अन्य निवेश / Other Investments				
ए) शेयर्स a) Shares	0		0	
एए) साम्यांश aa) Equity	0		0	
बीबी) अधिमान bb) Preference	0		0	
बी) म्यूचुअल फंड b) Mutual Funds	0		0	

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 8 - 31 मार्च 2024 को (अंशधारकों की निधि)
SCHEDULE - 8 - (SHAREHOLDERS' FUNDS) AS ON 31ST MARCH 2024

सी) डेरिवेटिव इंस्ट्रुमेंट्स c) Derivative Instruments	0		0	
डी) ऋणपत्र और बॉण्ड d) Debentures and Bonds	0		0	
इ) अन्य प्रतिभूतियाँ e) Other Securities	0		0	
एफ) सहायक f) Subsidiaries	0		0	
जी) निवेश संपत्तियाँ - रियल एस्टेट g) Investment Properties- real Estates	0		0	
		0		0
इंफ्रा और सामाजिक क्षेत्र में निवेश / Invnt in Infra and Social Sector	0	0	0	0
स्वीकृत निवेशों के अलावा अन्य / Other than Approved Investments	0	0	0	0
उप-कुल / SUB-TOTAL		0		0
कुल / TOTAL		322533		321287
लिस्टेड साम्यांश प्रतिभूतियों और डेरिवेटिव इंस्ट्रुमेंट्स के अलावा कंपनी के निवेश की समस्त राशि Aggregate amount of Company's Investment other than listed equity Securities and Derivative Instruments	बहि मूल्य / Book Value	322533		321287
	बाजार मूल्य / Market Value	322533		321287

नोट:
Note :

- * वर्ष के लिए अनुमोदित निवेश के अलावा में सम्मिलित हैं :
- * Other than Approved Investment for the year includes:

ए. सहायक: - (1) जेनीथ सेक्यूरिटीज लिमिटेड - ₹ 762 हजार (विगत वर्ष - ₹ 762 हजार)

A. Subsidiaries: - (1) Zenith Securities Limited - ₹ 762 thousands (Previous Year - ₹ 762 thousands)

बी. सहयोगी कंपनियाँ

B. Associate Companies

(1) हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड - ₹ 197933 हजार (विगत वर्ष - ₹ 197933 हजार) /

(1) Health Insurance TPA Ltd - ₹ 197933 thousands (Previous Year - ₹ 197933 thousands)

(2) इंडिया इंटरनैशनल इंश्योरेंस - ₹ 18276 हजार (विगत वर्ष - ₹ 18276 हजार) /

(2) India International Insurance - ₹ 18276 thousands (Previous Year - ₹ 18276 thousands)

(3) कैन इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - ₹ 7337 हजार (विगत वर्ष - ₹ 7337 हजार) /

(3) Ken India Insurance Co Ltd - ₹ 7337 thousands (Previous Year - ₹ 7337 thousands)"



अनुसूची - 8ए - 31 मार्च 2024 को पॉलिसी धारकों की निधि
SCHEDULE - 8A - (POLICYHOLDERS' FUNDS) AS ON 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024		विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023	
	(₹ '000)		(₹ '000)	
दीर्घ कालिक निवेश / Long Term Investment				
ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकारी गारंटीशुद्धा बॉण्ड Govt Securities and Government Guaranteed Bonds incl. Treasury Bills		165287892		166819299
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities		0		0
अन्य निवेश / Other Investments				
ए) शेयर्स a) Shares				
एए) साम्यांश aa) Equity	89530624		82457065	
बीबी)अधिमान bb) Preference	0		0	
बी) म्यूचुअल फंड b) Mutual Funds	0		0	
सी) डेरिवेटिव इंस्ट्रुमेंट्स c) Derivatives Instruments	0		0	
डी) ऋणपत्र और बॉण्ड d) Debentures and Bonds	10071341		11718802	
ई) अन्य प्रतिभूतियाँ e) Other Securities	0		0	
एफ) सहायक f) Subsidiaries	0		0	
जी) निवेश संपत्तियाँ - रियल एस्टेट g) Investment Properties-Real Estates	0		0	
		99601965		94175867
इंफ्रा और सामाजिक क्षेत्र में निवेश Invnt in Infra and Social Sector	68253381	68253381	57292460	57292460
स्वीकृत निवेशों के अलावा अन्य* Other than Approved Investments*	12416006	12416006	13396390	13396390
उप-कुल / SUB-TOTAL		345559244		331684016

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
 वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 8ए - 31 मार्च 2024 को पॉलिसी धारकों की निधि SCHEDULE - 8A - (POLICYHOLDERS' FUNDS) AS ON 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024		विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023	
	(₹'000)		(₹'000)	
अल्प अवधि निवेश / Short Term Investment				
ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकारी गारंटीशुदा बॉण्ड Govt Securities and Government Guaranteed Bonds incl. Treasury Bills		2437664		5725711
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other Approved Securities		0		0
अन्य निवेश / Other Investments				
ए) शेयर्स a) Shares	0		0	
एए) साम्यांश aa) Equity	0		0	
बीबी) अधिमान bb) Preference	0		0	
बी) म्यूचुअल फंड b) Mutual Funds	6757044		7457229	
सी) डेरिवेटिव इंस्ट्रुमेंट्स c) Derivative Instruments	0		0	
डी) ऋणपत्र और बॉण्ड d) Debentures and Bonds	3188002		2640881	
इ) अन्य प्रतिभूतियाँ e) Other Secuirities	0		0	
एफ) सहायक f) Subsidiaries	0		0	
ग) निवेश संपत्तियाँ - रियल एस्टेट g) Investment Properties- real Estates	0		0	
		9945046		10098110
इंफ्रा और सामाजिक क्षेत्र में निवेश Invnt in Infra and Social Sector	4248032	4248032	6958738	6958738
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other than Approved Investments	0	0	0	0
उप-कुल / SUB-TOTAL		16630742		22782559
कुल / TOTAL		362189986		354466575
लिस्टेड साम्यांश प्रतिभूतियों और डेरिवेटिव इंस्ट्रुमेंट्स के अलावा कंपनी के निवेश की समस्त राशि Aggregate amount of Company's Investment other than listed equity Securities and Derivative Instruments		बहि मूल्य / Book Value 232952756		242615883
		बाजार मूल्य / Market Value 227450729		234563242

नोट: Note :

- * स्वीकृत निवेशों के अलावा बुनियादी ढांचे के निवेश में शामिल हैं ₹ 1369703 हजार (दीर्घकालिक) और शून्य (अल्पकालिक) ; आवास में निवेश ₹ 250000 (दीर्घकालिक) और शून्य (अल्पकालिक)
- * Other than Approved Investments comprises of Infrastructure Investments of ₹ 1369703 thousands (Long Term) and NIL (Short Term); Investments in Housing ₹ 250000 (Long Term) & NIL (Short Term)



अनुसूची 9 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ऋण SCHEDULE 9 – LOANS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

क्र. सं. Sl.No.	विवरण / Particulars	31-03-2024 (₹ '000)	31-03-2023 (₹ '000)
1	प्रतिभूति-वार वर्गीकरण / SECURITY-WISE CLASSIFICATION		
	सुरक्षित / Secured		
	(ए) संपत्ति गिरवी रखने पर / (a) On mortgage of property		
	(एए) भारत में / (aa) In India	2052104	1750709
	(बीबी) भारत से बाहर / (bb) Outside India	0	0
	(बी) शेयर्स, बॉण्ड्स और सरकारी प्रतिभूतियाँ / (b) On Shares, Bonds, Govt. Securities	0	0
	(सी) अन्य (सरकारी गारंटीयुक्त ऋण) / (c) Others (Govt Guaranteed Loans)	154805	216626
	गैरसुरक्षित / Unsecured	113961	113961
	कुल / TOTAL	2320870	2081296
2	(ए) केंद्र और राज्य सरकारें / (a) Central and State Governments	154805	216626
	(बी) बैंक और वित्तीय संस्थान / (b) Banks and Financial Institutions	0	0
	(सी) सहायक / (c) Subsidiaries	0	0
	(डी) औद्योगिक उपक्रम / (d) Industrial Undertakings	150638	150638
	(इ) हडको को ऋण / (e) Loans to HUDCO	0	0
	(फ) अन्य- कर्मचारी आवास ऋण / (f) Others-Employees Housing Loan	2015427	1714032
	कुल / TOTAL	2320870	2081296
3	प्रदर्शन-वार वर्गीकरण / PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION		
	(ए) मानक रूप से वर्गीकृत ऋण / (a) Loan classified as standard		
	(एए) भारत में # / (aa) In India #	2158810	1915800
	(बीबी) भारत से बाहर / (bb) Outside India	0	0
	(बी) गैर-प्रदर्शित ऋण / (b) Non-Performing Loans		
	(एए) भारत में * / (aa) In India *	162060	165496
	(बीबी) भारत से बाहर / (bb) Outside India	0	0
	कुल / TOTAL	2320870	2081296
4	परिपक्वता-वार वर्गीकरण / MATURITY-WISE CLASSIFICATION		
	(ए) अल्प-कालिक / (a) Short - Term	51296	62478
	(बी) दीर्घ कालिक / (b) Long - Term	2269574	2018818
	कुल / TOTAL	2320870	2081296

* नोट: गैर-निष्पादित ऋण के लिए रु. 162060 (पिछले वर्ष रु. 150638) का प्रावधान अनुसूची 14 में खराब और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के तहत समूहीकृत किया गया है।

* Note : Provision of Rs.162060 (previous year Rs.150638 against non performing loan is grouped under provision for Bad and Doubtful debts in schedule 14

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year	विगत वर्ष / Previous Year
	₹ in '000	₹ in '000
गैर प्रदर्शित ऋण के लिए प्रावधान / Provision against non performing loans	162060	165496
संदिग्ध एवं हानिपूर्ण संपत्ति माना गया ऋण / Loans considered as doubtful & loss assets	162060	165496

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार ₹8635 हजार (₹7663 हजार) का प्रावधान किया गया है, जो ₹2158810 हजार (₹1915800 हजार) की मानक संपत्ति पर 0.4% है।

Pursuant to RBI Guidelines a provision of ₹8635 thousands (₹7663 thousands) is made, being 0.4% on standard assets amounting to ₹2158810 thousands (₹1915800 thousands)

अनुसूची - 10 : अचल संपत्तियाँ 31-03-2024 को समाप्त अवधि के लिए
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS FOR THE PERIOD ENDED ON 31-03-2024

(₹ '000)

विवरण / Particulars	लागत/सकल ब्लॉक / COST / GROSS BLOCK				मूल्यहास / DEPRECIATION				शुद्ध ब्लॉक / NET BLOCK	
	आरंभिक Opening	परिवर्धन/ स्थानांतरण Additions/ Transfers	कटौती/ स्थानांतरण Deductions/ Transfers	अंतिम Closing	विगत वर्ष तक Upto last year	इस वर्ष के लिए For the year	बिक्री / समायोजन पर On Sales / Adjustments	तारीख तक To Date	वर्ष के अंत पर As at year end	विगत वर्ष Previous year
साख / Good will	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अमूर्त / Intangibles	1600462	127520	0	1727982	1108431	232844	0	1341275	386707	492031
संपत्ति - स्वामित्व Land - Freehold	131793	0	0	131793	0	0	144597	-144597	276390	131793
पट्टे की संपत्ति Land - Leasehold	51249	0	0	51249	37722	4434	0	42156	9093	13527
पट्टे की संपत्तियाँ Leasehold Properties	260792	0	0	260792	83065	3409	0	86474	174318	177727
भवन * / Building *	865898	0	0	865898	499376	13198	-144597	657171	208727	366522
असबाब & सज्जा सामग्री Furniture & Fittings	396002	3238	9868	389372	360779	7677	9552	358904	30468	35223
सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण Information Technology Equipment	3836426	110484	64680	3882230	2930698	373106	63534	3240270	641960	905728
वाहन / Vehicles	875576	387594	339340	923830	630906	194182	301746	523342	400488	244670
कार्यालय उपकरण Office Equipment	107031	5139	3340	108830	92466	5705	2580	95591	13239	14565
अन्य-इलेक्ट्रिकल उपकरण/ Others - Electrical Equipments	446914	3989	13279	437624	409055	6821	12626	403250	34374	37859
अन्य संपत्तियाँ Other Assets	221631	5574	664	226541	175426	8574	620	183380	43161	46205
कुल / Total	8793774	643538	431171	9006141	6327924	849950	390658	6787216	2218925	2465850
कार्य प्रगति पर Work-in-progress	1937374	407024	55043	2289355	0	0	0	0	2289355	1937374
कुल योग / Grand Total	10731148	1050562	486214	11295496	6327924	849950	390658	6787216	4508280	4403224
विगत वर्ष / Previous Year	10298162	953912	520926	10731148	5799275	901910	373261	6327924	4403224	

अनुसूची - 11 - 31 मार्च 2024 को रोकड़ और बैंक शेष
SCHEDULE - 11 - CASH AND BANK BALANCES 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	31-03-2024 (₹'000)	31-03-2023 (₹'000)
रोकड़ (चैक ड्राफ्ट्स और स्टैम्प सहित) / Cash (including cheques, drafts and stamps)	167721	508567
बैंक शेष / Bank Balances		
जमा खाते / Deposits Accounts		
अल्प-अवधि (12 महीनों के भीतर देय) / Short-term (due within 12 months)	26369588	9931072
अन्य / Others	0	
चालू खाते / Current Accounts	8620312	11550554
अन्य - परागमन में प्रेषित धन / Others - Remittance in transit	0	0
अल्प सूचना और याचना पर राशि / Money at Call and Short Notice	0	0
अन्य संस्थानों के साथ / With other Institutions	0	0
कुल / TOTAL	35157621	21990193
बैंक शेष में सम्मिलित की गई गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ शेष Balances with Non-Scheduled Banks included in Bank Balances	0	4109

 समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
 वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS



अनुसूची - 12 - 31 मार्च 2024 को अग्रिम और अन्य संपत्तियाँ

SCHEDULE - 12 - ADVANCES AND OTHER ASSETS 31ST MARCH 2024

(₹ '000)

विवरण / Particulars	31-03-2024 (₹'000)	31-03-2023 (₹'000)
अग्रिम / ADVANCES		
अग्रणी कंपनियों के साथ जमा रिजर्व / Reserve Deposits with ceding companies	21244754	17939941
पूर्व चुकान / Prepayments	188068	223311
निदेशकों/अधिकारियों को अग्रिम / Advance to Directors/Officers	4626	4719
भुगतान किया गया अग्रिम कर और स्रोत पर काटा गया कर (कराधान के प्रावधान का शुद्ध) Advance tax paid and Taxes Deducted at Source Net of provision for taxation)	7734187	1787222
अन्य / Others		
स्टाफ अग्रिम और ऋण (₹ 513 को संदिग्ध माना गया) Staff Advances and Loans (₹ 513 considered doubtful)	123715	149801
कुल (अ) / TOTAL (A)	29295350	20104994
अन्य संपत्तियाँ / OTHER ASSETS		
निवेश पर अर्जित आय / Income accrued on investments	5484981	5413410
बकाया प्रीमियम (₹ 246 को संदिग्ध माना गया) Outstanding Premiums (₹ 246 considered doubtful)	103156	433106
बीमा व्यवसाय करने वाली अन्य संस्थाओं (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) से देय (₹ 1065286 को संदिग्ध माना गया) Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers) (₹ 1065286 considered doubtful)	18906432	20697202
अन्य / Others		
जमा, अग्रिम। अन्य खाते (₹ 2571293 को संदिग्ध माना गया) / Deposits, Advances & Other Accounts (₹ 2571293 considered doubtful)	14826465	12624128
अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध) / Inter Office Adjustments (Net)	0	-378
कुल (बी) / TOTAL (B)	39321034	39167468
कुल (ए+बी) / TOTAL (A+B)	68616384	59272462

अनुसूची - 13 - 31 मार्च 2024 तक वर्तमान देनदारियाँ

SCHEDULE - 13 - CURRENT LIABILITIES AS AT 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	31-03-2024 (₹'000)	31-03-2023 (₹'000)
अधिकर्ताओं का शेष / Agents' Balances	1942233	1700472
अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष / Balances due to other insurance companies	15046380	17297811
वापस की गई पुनर्बीमा पर रखी गई जमा राशि / Deposits held on re-insurance ceded	0	0
अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम / Premiums received in advance	10713832	4536118
विविध लेनदार / Sundry Creditors	44683471	53816473
बकाया दावे / Claims Outstanding	259333975	248749929
अन्य / Others		
पूर्व अंशधारकों की निधि / Former Share Holders Fund	1330	1330
अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध) / Inter Office Adjustments (Net)	0	0
पॉलिसी धारकों की अनधियाचित राशि / Unclaimed Amount of Policy Holders	572092	737743
कुल / TOTAL	332293313	326839876

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 14 - 31 मार्च 2024 को प्रावधान SCHEDULE - 14 - PROVISIONS AS AT 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	31-03-2024 (₹'000)	31-03-2023 (₹'000)
असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व Reserve for Unexpired Risk	79913726	71059942
कराधान हेतु (भुगतान किया गया अग्रिम कर और स्रोत पर काटा गया कर घटाकर) For taxation (less advance tax paid and taxes deducted at source)	0	0
सक्रिय रूप से कारोबार की गई साम्यांश के अलावा अन्य के मूल्य में हास हेतु प्रावधान Provision for diminution in value of other than actively traded Equities	754771	765021
समूह मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए प्रावधान Provision for Group Mediclaim Policy	126140	126140
अवकाश नकदीकरण के लिए For Leave Encashment	4490606	4918339
कर्मचारी अल्पकालिक लाभ के लिए प्रावधान Provision for Employee Short term Benefits	132500	132500
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान Provision for Sick Leave	0	0
ऋण, निवेश और अन्य संपत्तियों के लिए For Loans, Investments and Other Assets	8230905	9230224
कुल / TOTAL	93648648	86232166

अनुसूची - 15 - 31 मार्च 2024 को विविध व्यय (बट्टे खाते में नहीं डाला गया या समायोजित की गई सीमा तक) SCHEDULE - 15 - MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted) AS AT 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	31-03-2024 (₹'000)	31-03-2023 (₹'000)
शेयर/ऋणपत्र निर्गमन में दी गई छूट Discount Allowed in issue of shares/debentures	0	0
अन्य (निर्दिष्ट किए जाए) Others (to be specified)	0	0
कुल / TOTAL	0	0

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS



इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त छोड़ दिया गया है
This page is intentionally left blank

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मदवार विभाजन रिपोर्ट

(₹ '000)

विवरण / Particulars	अग्नि / Fire	
	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
से प्रीमियम / PREMIUM FROM		
लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business Written	20828177	18825406
जोड़: पुर्नबीमा पर स्वीकार किया गया प्रीमियम / Add: Premium on Reinsurance accepted	2758904	2227617
घटाया: पुर्नबीमा पर सौंपा गया प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded	15332054	11966866
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	8255027	9086157
असमाप्त जोखिमों के लिए रिजर्व में बदलाव के लिए समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks	441112	-880950
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net)	8696139	8205207
दावों का भुगतान / CLAIMS PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	9746696	9289209
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	1454704	387314
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance ceded	4615008	3092351
शुद्ध दावों का भुगतान / Net Claims paid	6586392	6584172
जोड़: लंबित दावे- अंतिम - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding - Closing - Direct	31282272	25887244
जोड़: लंबित दावे- अंतिम- स्वीकार किया गया पुर्नबीमा/Add: Claims Outstanding - Closing - RI Accepted	965770	2311386
घटाया: लंबित दावे- अंतिम- सौंपा गया पुर्नबीमा/Less: Claims outstanding - Closing - RI Ceded	17754787	13901121
जोड़: लंबित दावे - अंतिम- शुद्ध / Add: Claims Outstanding - Closing - Net	14493255	14297509
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct	25887244	26296290
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted	2311386	3483096
जोड़: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे -सौंपा गया पुर्नबीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded	13901121	14633600
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - शुद्ध / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net	14297509	15145786
उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net)	6782138	5735895
कमीशन का भुगतान / COMMISSION PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	2201083	1781009
कुल (अ) / TOTAL (A)	2201083	1781009
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted	275264	288623
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded	1102595	1098129
कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net)	1373752	971503
व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय (सकल) का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below:		
अभिकर्ता / Agents	901358	703318
ब्रोकर्स / Brokers	1230455	1009350
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	69270	68341
अन्य / Others	0	0
कुल (ब) / TOTAL (B)	2201083	1781009



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023
SEGMENTAL REPORT - BREAKUP FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024 (₹ '000)

समुद्री कार्गो / Marine Cargo		समुद्री पोतकाय / Marine Hull		समुद्री कुल / Marine Total	
चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
1792819	1878374	2479510	2485031	4272329	4363405
28367	33523	133624	14017	161991	47540
474308	469768	1714877	1765687	2189185	2235455
1346878	1442129	898257	733361	2245135	2175490
-12057	173890	-203214	-81549	-215271	92341
1334821	1616019	695043	651812	2029864	2267831
1337949	2086948	1282098	1855489	2620047	3942437
10215	15015	128572	-4431	138787	10584
466073	987638	1017736	1600225	1483809	2587863
882091	1114325	392934	250833	1275025	1365158
2246469	2837282	5118414	6318007	7364883	9155289
40733	31529	76266	139094	116999	170623
850413	1365469	3533219	4566156	4383632	5931625
1436789	1503342	1661461	1890945	3098250	3394287
2837282	4031093	6318007	7648943	9155289	11680036
31529	31245	139093	109407	170622	140652
1365469	2201786	4566155	6201189	5931624	8402975
1503342	1860552	1890945	1557161	3394287	3417713
815538	757115	163450	584617	978988	1341732
285338	273795	46798	42573	332136	316368
285338	273795	46798	42573	332136	316368
4544	7584	8784	3232	13328	10816
11299	13094	29524	47123	40823	60217
278583	268285	26058	-1318	304641	266967
187116	169808	13539	12593	200655	182401
98006	103873	33178	29947	131184	133820
216	114	81	33	297	147
0	0	0	0	0	0
285338	273795	46798	42573	332136	316368

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मदवार विभाजन रिपोर्ट

(₹ '000)

विवरण / Particulars	मोटर स्व-क्षति / Motor OD	
	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
से प्रीमियम / PREMIUM FROM		
लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business Written	20605185	16786991
जोड़: पुर्नबीमा पर स्वीकार किया गया प्रीमियम / Add: Premium on Reinsurance accepted	0	0
घटाया: पुर्नबीमा पर सौंपा गया प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded	825014	672462
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	19780171	16114529
असमाप्त जोखिमों के लिए रिजर्व में बदलाव के लिए समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks	-1716027	-2253388
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net)	18064144	13861141
दावों का भुगतान / CLAIMS PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	17936620	16026551
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance ceded	700206	752116
शुद्ध दावों का भुगतान / Net Claims paid	17236414	15274435
जोड़: लंबित दावे- अंतिम - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding - Closing - Direct	7269875	5966620
जोड़: लंबित दावे- अंतिम- स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Claims Outstanding - Closing - RI Accepted	68	48201
घटाया: लंबित दावे- अंतिम- सौंपा गया पुर्नबीमा/Less: Claims outstanding - Closing - RI Ceded	305509	269675
जोड़: लंबित दावे - अंतिम- शुद्ध / Add: Claims Outstanding - Closing - Net	6964434	5745146
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct	5966620	5319758
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted	48201	31815
जोड़: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे -सौंपा गया पुर्नबीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded	269675	271424
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - शुद्ध / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net	5745146	5080149
उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net)	18455702	15939432
कमीशन का भुगतान / COMMISSION PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	2899936	3288360
कुल (अ) / TOTAL (A)	2899936	3288360
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कामीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded	123732	100897
कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net)	2776204	3187463
व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय (सकल) का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below :		
अभिकर्ता / Agents	1511564	2222162
ब्रोकर्स / Brokers	1339240	933829
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	49132	132369
अन्य / Others	0	0
कुल (ब) / TOTAL (B)	2899936	3288360



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
 Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023
SEGMENTAL REPORT - BREAKUP FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024 (₹ '000)

मोटर तृतीय पक्ष / Motor TP		मोटर कुल / Motor Total	
चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
49867470	43065734	70472655	59852725
0	0	0	0
2034355	1737697	2859369	2410159
47833115	41328037	67613286	57442566
-3486565	-3536785	-5202592	-5790173
44346550	37791252	62410694	51652393
40213730	35991729	58150350	52018280
0	0	0	0
2438495	2110988	3138701	2863104
37775235	33880741	55011649	49155176
207791174	210360363	215061049	216326983
0	0	68	48201
10759320	11364685	11064829	11634360
197031854	198995678	203996288	204740824
210360363	207241179	216326983	212560937
0	0	48201	31815
11364685	11847903	11634360	12119327
198995678	195393276	204740824	200473425
35811411	37483143	54267113	53422575
5013713	2266616	7913649	5554976
5013713	2266616	7913649	5554976
0	0	0	0
100231	86908	223963	187805
4913482	2179708	7689686	5367171
4150092	2163054	5661656	4385216
858111	99380	2197351	1033209
5510	4182	54642	136551
0	0	0	0
5013713	2266616	7913649	5554976

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
 विभाजन प्रतिवेदन / SEGMENTAL REPORT

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मदवार विभाजन रिपोर्ट

(₹ '000)

विवरण / Particulars	कर्मचारी क्षतिपूर्ति / Workmen Comp.	
	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
से प्रीमियम / PREMIUM FROM		
लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business Written	664499	657174
जोड़: पुर्नबीमा पर स्वीकार किया गया प्रीमियम / Add: Premium on Reinsurance accepted	0	0
घटाया: पुर्नबीमा पर सौंपा गया प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded	26579	26328
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	637920	630846
असमाप्त जोखिमों के लिए रिजर्व में बदलाव के लिए समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks	-2301	76002
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net)	635619	706848
दावों का भुगतान / CLAIMS PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	200714	170750
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance ceded	11498	10299
शुद्ध दावों का भुगतान / Net Claims paid	189216	160451
जोड़: लंबित दावे- अंतिम - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding - Closing - Direct	685808	839235
जोड़: लंबित दावे- अंतिम- स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Claims Outstanding - Closing - RI Accepted	0	0
घटाया: लंबित दावे- अंतिम- सौंपा गया पुर्नबीमा/Less: Claims outstanding - Closing-RI Ceded	40722	44516
जोड़: लंबित दावे - अंतिम- शुद्ध / Add: Claims Outstanding - Closing - Net	645086	794719
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct	839235	685955
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted	0	0
जोड़: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे -सौंपा गया पुर्नबीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded	44516	98761
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - शुद्ध / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net	794719	587194
उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net)	39583	367976
कमीशन का भुगतान / COMMISSION PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	104096	85836
कुल (अ) / TOTAL (A)	104096	85836
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded	3986	3950
कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net)	100110	81886
व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय (सकल) का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below :		
अभिकर्ता / Agents	96494	79756
ब्रोकर्स / Brokers	7449	6230
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	153	-150
अन्य / Others	0	0
कुल (ब) / TOTAL (B)	104096	85836



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023
SEGMENTAL REPORT - BREAKUP FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024 (₹ '000)

व्यक्तिगत दुर्घटना/Personal Accident		विमानन / Aviation		अभियांत्रिकी / Engineering	
चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
3512246	4344571	521860	792230	5074983	4606763
10641	21376	96397	90219	240573	172918
726859	1649119	433928	840937	1976677	2197186
2796028	2716828	184329	41512	3338879	2582495
37192	242230	-98929	73550	-192121	-893387
2833220	2959058	85400	115062	3146758	1689108
4213473	5420566	133402	326796	1805700	1882814
6577	10687	94818	124003	52123	95577
1625740	3068608	13670	264158	-122867	433752
2594310	2362645	214550	186641	1980690	1544639
4515269	5477291	876416	1916890	10153866	7901090
7632	88638	120688	128332	285519	205901
972508	2159233	456294	1568405	5276634	5258524
3550393	3406696	540810	476817	5162751	2848467
5477291	5960253	1916890	1172083	7901090	8525957
88638	7048	128332	243837	205901	240968
2159233	3143142	1568405	844805	5258524	5427394
3406696	2824159	476817	571115	2848467	3339531
2738007	2945182	278543	92343	4294974	1053575
225238	212866	19033	16408	585334	463567
225238	212866	19033	16408	585334	463567
2160	5019	12333	34996	32851	43408
80626	158825	4818	26444	122943	124634
146772	59060	26548	24960	495242	382341
122508	110891	680	1846	232995	170098
98785	68345	18353	14562	350849	292723
3945	33630	0	0	1490	746
0	0	0	0	0	0
225238	212866	19033	16408	585334	463567

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मदवार विभाजन रिपोर्ट

(₹ '000)

विवरण / Particulars	अन्य विविध / Other Misc.	
	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
से प्रीमियम / PREMIUM FROM		
लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business Written	664499	657174
जोड़: पुनर्बीमा पर स्वीकार किया गया प्रीमियम / Add: Premium on Reinsurance accepted	0	0
घटाया: पुनर्बीमा पर सौंपा गया प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded	26579	26328
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	637920	630846
असमाप्त जोखिमों के लिए रिजर्व में बदलाव के लिए समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks	-2301	76002
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net)	635619	706848
दावों का भुगतान / CLAIMS PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	200714	170750
जोड़: स्वीकार किया गया पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted	0	0
घटाया: सौंपा गया पुनर्बीमा / Less: Reinsurance ceded	11498	10299
शुद्ध दावों का भुगतान / Net Claims paid	189216	160451
जोड़: लंबित दावे- अंतिम - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding - Closing - Direct	685808	839235
जोड़: लंबित दावे- अंतिम- स्वीकार किया गया पुनर्बीमा / Add: Claims Outstanding - Closing - RI Accepted	0	0
घटाया: लंबित दावे- अंतिम- सौंपा गया पुनर्बीमा/Less: Claims outstanding - Closing-RI Ceded	40722	44516
जोड़: लंबित दावे - अंतिम- शुद्ध / Add: Claims Outstanding - Closing - Net	645086	794719
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct	839235	685955
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुनर्बीमा / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted	0	0
जोड़: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे -सौंपा गया पुनर्बीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded	44516	98761
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - शुद्ध / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net	794719	587194
उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net)	39583	367976
कमीशन का भुगतान / COMMISSION PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	104096	85836
कुल (अ) / TOTAL (A)	104096	85836
जोड़: स्वीकार किया गया पुनर्बीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted	0	0
घटाया: सौंपा गया पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded	3986	3950
कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net)	100110	81886
व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय (सकल) का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below :		
अभिकर्ता / Agents	96494	79756
ब्रोकर्स / Brokers	7449	6230
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	153	-150
अन्य / Others	0	0
कुल (ब) / TOTAL (B)	104096	85836



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023
SEGMENTAL REPORT - BREAKUP FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024 (₹ '000)

देयता / Liability		स्वास्थ्य & अस्पतालीकरण / Health & Hosp.		फसल / Crop		कुल विविध / Total Misc.	
चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
1848299	1683918	78969913	72482237	7645959	4427458	173429062	153254240
143869	139261	0	0	0	0	491098	425003
1135306	474123	3175186	2926645	-1989510	-397110	9421636	10972515
856862	1349056	75794727	69555592	9635469	4824568	164498524	142706728
-105884	23055	-3130200	6495397	-415366	52679	-9079624	-1736906
750978	1372111	72664527	76050989	9220103	4877247	155418900	140969822
227262	239102	78116891	71171211	3873830	3929232	149632546	137822493
524	4248	0	0	0	0	163310	274449
37471	67458	3173680	3457748	-384109	777341	7904443	11292438
190315	175892	74943211	67713463	4257939	3151891	141891413	126804504
2336673	1721491	18820338	13954399	5128002	4602428	261485831	256915338
119912	115845	162	162	74595	74595	708960	863867
244225	152155	771673	689827	395620	4158719	20452321	26721072
2212360	1685181	18048827	13264734	4806977	518304	241742470	231058133
1721491	1867295	13954399	13917952	4602428	3869821	256915338	252118469
115845	63844	162	161	74595	0	863867	1061726
152155	181935	689827	763043	4158719	5408465	26721072	28849763
1685181	1749204	13264734	13155070	518304	-1538644	231058133	224330432
717494	111869	79727304	67823127	8546612	5208839	152575750	133532205
180082	155092	2358646	2765826	0	-449	12493572	10321385
180082	155092	2358646	2765826	0	-449	12493572	10321385
284	299	0	0	0	0	46922	84275
17102	14553	359417	320389	-75793	112079	821720	1032210
163264	140838	1999229	2445437	75793	-112528	11718774	9373450
69001	55458	1505738	1803786	0	0	8559398	7467030
110633	99325	831693	699354	0	-449	3824627	2387000
448	309	21215	262686	0	0	109547	467355
0	0	0	0	0	0	0	0
180082	155092	2358646	2765826	0	-449	12493572	10321385

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023

अनुसूची - 1 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) -

सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	अग्नि / Fire	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
से प्रीमियम / PREMIUM FROM		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	20828177	18825406
प्रत्यक्ष- भारत में / Direct - In India	20828177	18825406
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	2758904	2227617
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में Add: Reinsurance Accepted - In India	2666978	2132126
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर Add: Reinsurance Accepted - Outside India	91926	95491
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance Ceded	15332054	11966866
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में Less: Reinsurance Ceded - In India	11750213	8603132
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर Less: Reinsurance Ceded - Outside India	3581841	3363734
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	8255027	9086157
शुद्ध प्रीमियम - भारत में / Net Premium - In India	11744943	12354400
शुद्ध प्रीमियम - भारत से बाहर / Net Premium - Outside India	-3489916	-3268243
असमाप्त जोखिमों के लिए रिजर्व में बदलाव हेतु समायोजन Adjustment for change in reserve for unexpired risks	441112	-880950
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net)	8696139	8205207

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023

SCHEDULE - 1 - PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024 SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

समुद्री कार्गो / Marine Cargo		समुद्री पोतकाय / Marine Hull		समुद्री कुल / Marine Total	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
1792819	1878374	2479510	2485031	4272329	4363405
1792818	1878374	2479510	2485031	4272328	4363405
28367	33523	133624	14017	161991	47540
13073	10559	124045	12607	137118	23166
15294	22964	9579	1410	24873	24374
474308	469768	1714877	1765687	2189185	2235455
259325	242104	1195586	382510	1454911	624614
214983	227664	519291	1383177	734274	1610841
1346878	1442129	898257	733361	2245135	2175490
1546567	1646829	1407969	2115127	2954536	3761956
-199689	-204700	-509712	-1381766	-709401	-1586466
-12057	173890	-203214	-81549	-215271	92341
1334821	1616019	695043	651812	2029864	2267831

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023

अनुसूची - 1 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) -

सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	मोटर स्व-क्षति / Motor OD	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
से प्रीमियम / PREMIUM FROM		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	20605185	16786991
प्रत्यक्ष- भारत में / Direct - In India	20605185	16786991
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	0	0
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में Add: Reinsurance Accepted - In India	0	0
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर Add: Reinsurance Accepted - Outside India	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance Ceded	825014	672462
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में Less: Reinsurance Ceded - In India	825014	672462
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर Less: Reinsurance Ceded - Outside India	0	0
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	19780171	16114529
शुद्ध प्रीमियम - भारत में / Net Premium - In India	19780171	16114529
शुद्ध प्रीमियम - भारत से बाहर / Net Premium - Outside India	0	0
असमाप्त जोखिमों के लिए रिजर्व में बदलाव हेतु समायोजन Adjustment for change in reserve for unexpired risks	-1716027	-2253388
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net)	18064144	13861141

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
 Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023
SCHEDULE - 1 - PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024
SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

मोटर तृतीय पक्ष / Motor TP		मोटर कुल / Motor Total	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
49867470	43065734	70472655	59852725
49867470	43065734	70472655	59852725
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2034355	1737697	2859369	2410159
2010053	1737697	2835067	2410159
24302	0	24302	0
47833115	41328037	67613286	57442566
47857417	41328037	67637588	57442566
-24302	0	-24302	0
-3486565	-3536785	-5202592	-5790173
44346550	37791252	62410694	51652393

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
 भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023

अनुसूची - 1 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) -

सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	कर्मचारी क्षतिपूर्ति / Workmen Comp.	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
से प्रीमियम / PREMIUM FROM		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	664499	657174
प्रत्यक्ष- भारत में / Direct - In India	664499	657174
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	0	0
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में Add: Reinsurance Accepted - In India	0	0
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर Add: Reinsurance Accepted - Outside India	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance Ceded	26579	26328
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में Less: Reinsurance Ceded - In India	26579	26328
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर Less: Reinsurance Ceded - Outside India	0	0
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	637920	630846
शुद्ध प्रीमियम - भारत में / Net Premium - In India	637920	630846
शुद्ध प्रीमियम - भारत से बाहर / Net Premium - Outside India	0	0
असमाप्त जोखिमों के लिए रिजर्व में बदलाव हेतु समायोजन Adjustment for change in reserve for unexpired risks	-2301	76002
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net)	635619	706848

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023
SCHEDULE - 1 - PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024
SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

व्यक्तिगत दुर्घटना/Personal Accident		विमानन / Aviation		अभियांत्रिकी / Engineering	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
3512246	4344571	521860	792230	5074983	4606763
3512246	4344571	521860	792230	5074983	4606763
10641	21376	96397	90219	240573	172918
0	0	70932	100000	232066	153858
10641	21376	25465	-9781	8507	19060
726859	1649119	433928	840937	1976677	2197186
485704	-950594	340004	368291	1229675	1304741
241155	2599713	93924	472646	747002	892445
2796028	2716828	184329	41512	3338879	2582495
3026542	5295166	252787	523938	4077375	3455880
-230514	-2578338	-68458	-482426	-738495	-873385
37192	242230	-98929	73550	-192121	-893387
2833220	2959058	85400	115062	3146758	1689108

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023

अनुसूची - 1 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) -

सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	अॉय विविध / Other Misc.	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
से प्रीमियम / PREMIUM FROM		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	4718648	4407164
प्रत्यक्ष- भारत में / Direct - In India	4718648	4407164
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	-382	1229
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में Add: Reinsurance Accepted - In India	-889	1228
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर Add: Reinsurance Accepted - Outside India	507	1
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance Ceded	1077242	845128
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India	604910	511154
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर Less: Reinsurance Ceded - Outside India	472332	333974
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	3641024	3563265
शुद्ध प्रीमियम - भारत में / Net Premium - In India	4112848	3897239
शुद्ध प्रीमियम - भारत से बाहर / Net Premium - Outside India	-471824	-333974
असमाप्त जोखिमों के लिए रिजर्व में बदलाव हेतु समायोजन Adjustment for change in reserve for unexpired risks	30577	-2016259
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net)	3671601	1547006

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023

SCHEDULE - 1 - PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024 SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

देयता / Liability		स्वास्थ्य & अस्पतालीकरण / Health & Hosp.		फसल / Crop		कुल विविध / Total Misc.	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
1848299	1683918	78969913	72482237	7645959	4427458	173429062	153254240
1848299	1683918	78969913	72482237	7645959	4427458	173429062	153254240
143869	139261	0	0	0	0	491098	425003
143869	139261	0	0	0	0	445978	394347
0	0	0	0	0	0	45120	30656
1135306	474123	3175186	2926645	-1989510	-397110	9421636	10972515
860402	380878	2949029	2926645	-1174098	-315985	8157272	6661617
274904	93245	226157	0	-815412	-81125	1264364	4310898
856862	1349056	75794727	69555592	9635469	4824568	164498524	142706728
1131766	1442301	76020884	69555592	8820057	4743443	165717767	146986971
-274904	-93245	-226157	0	815412	81125	-1219242	-4280243
-105884	23055	-3130200	6495397	-415366	52679	-9079624	-1736906
750978	1372111	72664527	76050989	9220103	4877247	155418900	140969822

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023

अनुसूची - 2 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उपगत दावे (शुद्ध) -

सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	अग्नि / Fire	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
दावों का भुगतान / CLAIMS PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	9746696	9289209
प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India	9746696	9289209
प्रत्यक्ष - भारत से बाहर / Direct - Outside India	0	0
जोडा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	1454704	387314
जोडा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India	1395560	347162
जोडा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India	59144	40152
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance ceded	4615008	3092351
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India	2653231	2125443
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India	1961777	966908
शुद्ध दावों का भुगतान / Net Claims paid	6586392	6584172
शुद्ध दावों का भुगतान - भारत में / Net Claims paid - In India	8489026	7510928
शुद्ध दावों का भुगतान - भारत से बाहर / Net Claims paid - Outside India	-1902634	-926756
जोडा: वर्ष के अंत में लंबित दावे / Add: Claims Outstanding at the end of the year	14493255	14297509
जोडा: अंतिम लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - Direct-In India	31282272	25887244
जोडा: अंतिम लंबित दावे-प्रत्यक्ष-भारत से बाहर / Add: Claims Outstanding Closing-Direct - Outside India	0	0
जोडा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding at the end of the year - Direct	31282272	25887244
जोडा: अंतिम लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - In India	616524	1882681
जोडा: अंतिम लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - Outside India	349246	428705
जोडा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Claims Outstanding at the end of the year - RI Accepted	965770	2311386
घटाया: अंतिम लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - In India	12006433	7927712
घटाया: अंतिम लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - Outside India	5748353	5973409
घटाया: वर्ष के अंत में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding at the end of the year - RI Ceded	17754786	13901121
जोडा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding at the end of the Year - Net	14493256	14297509
घटाया: आरंभ में लंबित दावे / Less: Claims Outstanding at the beginning	14297510	15145786
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - In India	25887244	26296290
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत से बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - Outside India	0	0
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct	25887244	26296290
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - In India	1882681	3127884
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - Outside India	428705	355212
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted	2311386	3483096
जोडा: आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - In India	7927713	9802675
जोडा: आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - Outside India	5973409	4830925
जोडा: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded	13901121	14633600
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - शुद्ध Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net	14297509	15145786
उपगत दावे- शुद्ध / Claims Incurred (Net)	6782139	5735895

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023

SCHEDULE - 2 - CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024 SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

समुद्री कार्गो / Marine Cargo		समुद्री पोतकाय / Marine Hull		समुद्री कुल / Marine Total	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
1337949	2086948	1282098	1855489	2620047	3942437
1337949	2086948	1282098	1855489	2620047	3942437
0	0	0	0	0	0
10215	15015	128572	-4431	138787	10584
-1391	-1043	128572	1490	127181	447
11606	16058	0	-5921	11606	10137
466073	987638	1017736	1600225	1483809	2587863
224277	483598	-168973	881025	55304	1364623
241796	504040	1186709	719200	1428505	1223240
882091	1114325	392934	250833	1275025	1365158
1112281	1602307	1579643	975954	2691924	2578261
-230190	-487982	-1186709	-725121	-1416899	-1213103
1436789	1503342	1661461	1890945	3098250	3394287
2246469	2837282	5118414	6318007	7364883	9155289
0	0	0	0	0	0
2246469	2837282	5118414	6318007	7364883	9155289
14208	7134	68016	60425	82224	67559
26525	24395	8250	78669	34775	103064
40733	31529	76266	139094	116999	170623
390269	2223059	964106	4603696	1354375	6826755
460144	-857590	2569113	-37540	3029257	-895130
850413	1365469	3533219	4566156	4383632	5931625
1436789	1503342	1661461	1890945	3098250	3394287
1503342	1860552	1890945	1557161	3394287	3417713
2837282	4031093	6318007	7648943	9155289	11680036
0	0	0	0	0	0
2837282	4031093	6318007	7648943	9155289	11680036
7135	7599	60425	87883	67560	95482
24394	23646	78668	21524	103062	45170
31529	31245	139093	109407	170622	140652
2223059	2511551	4603695	6142524	6826754	8654075
-857590	-309765	-37540	58665	-895130	-251100
1365469	2201786	4566155	6201189	5931624	8402975
1503342	1860552	1890945	1557161	3394287	3417713
815538	757115	163450	584617	978988	1341732

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023

अनुसूची - 2 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उपगत दावे (शुद्ध) -

सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	मोटर स्व-क्षति / Motor OD	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
दावों का भुगतान / CLAIMS PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	17936620	16026551
प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India	17936620	16026551
प्रत्यक्ष - भारत से बाहर / Direct - Outside India	0	0
जोड़ा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	0	0
जोड़ा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India	0	0
जोड़ा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance ceded	700206	752116
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India	700206	752116
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India	0	0
शुद्ध दावों का भुगतान / Net Claims paid	17236414	15274435
शुद्ध दावों का भुगतान - भारत में / Net Claims paid - In India	17236414	15274435
शुद्ध दावों का भुगतान - भारत से बाहर / Net Claims paid - Outside India	0	0
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे / Add: Claims Outstanding at the end of the year	6964434	5745146
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - Direct-In India	7269875	5966620
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत से बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - Direct - Outside India	0	0
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding at the end of the year - Direct	7269875	5966620
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - In India	0	0
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - Outside India	68	48201
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Claims Outstanding at the end of the year - RI Accepted	68	48201
घटाया: अंतिम लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - In India	305509	269675
घटाया: अंतिम लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - Outside India	0	0
घटाया: वर्ष के अंत में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding at the end of the year - RI Ceded	305509	269675
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding at the end of the Year - Net	6964434	5745146
घटाया: आरंभ में लंबित दावे / Less: Claims Outstanding at the beginning	5745146	5080149
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - In India	5966620	5319758
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत से बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - Outside India	0	0
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct	5966620	5319758
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - In India	0	0
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - Outside India	48201	31815
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted	48201	31815
जोड़ा: आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - In India	269675	271424
जोड़ा: आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - Outside India	0	0
जोड़ा: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded	269675	271424
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - शुद्ध Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net	5745146	5080149
उपगत दावे- शुद्ध / Claims Incurred (Net)	18455702	15939432



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
 Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023
SCHEDULE - 2 - CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024
SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

मोटर तृतीय पक्ष / Motor TP		मोटर कुल / Motor Total	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
40213730	35991729	58150350	52018280
40213730	35991729	58150350	52018280
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2438495	2110988	3138701	2863104
2291791	2110886	2991997	2863002
146704	102	146704	102
37775235	33880741	55011649	49155176
37921938	33880844	55158352	49155279
-146703	-103	-146703	-103
197031854	198995678	203996288	204740824
207791174	210344673	215061049	216311293
0	15690	0	15690
207791174	210360363	215061049	216326983
0	0	0	0
0	0	68	48201
0	0	68	48201
10759320	11364685	11064829	11634360
0	0	0	0
10759320	11364685	11064829	11634360
197031854	198995678	203996288	204740824
198995678	195393276	204740824	200473425
210344673	207226643	216311293	212546401
15690	14536	15690	14536
210360363	207241179	216326983	212560937
0	0	0	0
0	0	48201	31815
0	0	48201	31815
11364685	11847903	11634360	12119327
0	0	0	0
11364685	11847903	11634360	12119327
198995678	195393276	204740824	200473425
35811411	37483143	54267113	53422575

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
 भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023

अनुसूची - 2 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उपगत दावे (शुद्ध) -

सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	कर्मचारी क्षतिपूर्ति/Workmen Comp.	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
दावों का भुगतान / CLAIMS PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	200714	170750
प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India	200714	170750
प्रत्यक्ष - भारत से बाहर / Direct - Outside India	0	0
जोड़ा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	0	0
जोड़ा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India	0	0
जोड़ा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance ceded	11498	10299
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India	11498	10299
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India	0	0
शुद्ध दावों का भुगतान / Net Claims paid	189216	160451
शुद्ध दावों का भुगतान - भारत में/Net Claims paid - In India	189216	160451
शुद्ध दावों का भुगतान - भारत से बाहर / Net Claims paid - Outside India	0	0
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे / Add: Claims Outstanding at the end of the year	645086	794719
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत में/ Add: Claims Outstanding Closing - Direct-In India	685808	828775
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत से बाहर/ Add: Claims Outstanding Closing - Direct - Outside India	0	10460
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding at the end of the year - Direct	685808	839235
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में/ Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - In India	0	0
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर/ Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - Outside India	0	0
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Claims Outstanding at the end of the year - RI Accepted	0	0
घटाया: अंतिम लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - In India	40722	44516
घटाया: अंतिम लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर/ Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - Outside India	0	0
घटाया: वर्ष के अंत में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding at the end of the year - RI Ceded	40722	44516
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding at the end of the Year - Net	645086	794719
घटाया: आरंभ में लंबित दावे / Less: Claims Outstanding at the beginning	794719	587194
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - In India	828775	676265
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत से बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - Outside India	10460	9690
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct	839235	685955
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में/ Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - In India	0	0
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - Outside India	0	0
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा/ Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted	0	0
जोड़ा: आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - In India	44516	98761
जोड़ा: आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - Outside India	0	0
जोड़ा: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा/ Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded	44516	98761
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - शुद्ध Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net	794719	587194
उपगत दावे- शुद्ध / Claims Incurred (Net)	39583	367976

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023

SCHEDULE - 2 - CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024 SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident		विमानन / Aviation		अभियांत्रिकी / Engineering	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
4213473	5420566	133402	326796	1805700	1882814
4213473	5420566	133402	326796	1805700	1882814
0	0	0	0	0	0
6577	10687	94818	124003	52123	95577
-2	173	90080	54223	47299	81740
6579	10514	4738	69780	4824	13837
1625740	3068608	13670	264158	-122867	433752
483008	936040	13632	226816	-262818	272895
1142732	2132568	38	37342	139951	160857
2594310	2362645	214550	186641	1980690	1544639
3730463	4484699	209850	154203	2115817	1691658
-1136153	-2122054	4700	32438	-135127	-147019
3550393	3406696	540810	476817	5162751	2848467
4515269	5477291	876416	1916890	10153866	7901090
0	0	0	0	0	0
4515269	5477291	876416	1916890	10153866	7901090
426	5163	78682	86663	266861	202537
7206	83475	42006	41669	18658	3364
7632	88638	120688	128332	285519	205901
547589	3086694	268316	1398327	3252248	3518821
424919	-927461	187978	170078	2024386	1739703
972508	2159233	456294	1568405	5276634	5258524
3550393	3406696	540810	476817	5162751	2848467
3406696	2824159	476817	571115	2848467	3339531
5477291	5960253	1916890	1172083	7901090	8525957
0	0	0	0	0	0
5477291	5960253	1916890	1172083	7901090	8525957
5163	5518	86663	131104	202538	238459
83475	1530	41669	112733	3363	2509
88638	7048	128332	243837	205901	240968
3086694	3507955	1398327	786399	3518821	3646637
-927461	-364813	170078	58406	1739703	1780757
2159233	3143142	1568405	844805	5258524	5427394
3406696	2824159	476817	571115	2848467	3339531
2738007	2945182	278543	92343	4294974	1053575

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023

अनुसूची - 2 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उपगत दावे (शुद्ध) -

सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	अन्य विविध / Other Misc.	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
दावों का भुगतान / CLAIMS PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	2910924	2663742
प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India	2910924	2663742
प्रत्यक्ष - भारत से बाहर / Direct - Outside India	0	0
जोड़ा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	9268	39934
जोड़ा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India	6531	39235
जोड़ा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India	2737	699
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance ceded	410659	349970
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India	279785	284254
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India	130874	65716
शुद्ध दावों का भुगतान / Net Claims paid	2509533	2353706
शुद्ध दावों का भुगतान - भारत में / Net Claims paid - In India	2637670	2418724
शुद्ध दावों का भुगतान - भारत से बाहर / Net Claims paid - Outside India	-128137	-65018
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे / Add: Claims Outstanding at the end of the year	2778978	3322391
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - Direct-In India	3908410	4175531
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत से बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - Direct - Outside India	0	0
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding at the end of the year - Direct	3908410	4175531
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - In India	18045	1540
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - Outside India	82339	200653
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Claims Outstanding at the end of the year - RI Accepted	100384	202193
घटाया: अंतिम लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - In India	796166	699815
घटाया: अंतिम लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - Outside India	433650	355518
घटाया: वर्ष के अंत में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding at the end of the year - RI Ceded	1229816	1055333
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding at the end of the Year - Net	2778978	3322391
घटाया: आरंभ में लंबित दावे / Less: Claims Outstanding at the beginning	3322391	3169378
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - In India	4175531	3558216
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत से बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - Outside India	0	0
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct	4175531	3558216
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - In India	1540	186369
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - Outside India	200653	287684
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted	202193	474053
जोड़ा: आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - In India	699815	499916
जोड़ा: आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - Outside India	355518	362975
जोड़ा: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded	1055333	862891
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - शुद्ध Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net	3322391	3169378
उपगत दावे- शुद्ध / Claims Incurred (Net)	1966120	2506719



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023

SCHEDULE - 2 - CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024 SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

देयता / Liability		स्वास्थ्य & अस्पतालीकरण / Health & Hosp.		फसल / Crop		कुल विविध / Total Misc.	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
227262	239102	78116891	71171211	3873830	3929232	149632546	137822493
227262	239102	78116891	71171211	3873830	3929232	149632546	137822493
0	0	0	0	0	0	0	0
524	4248	0	0	0	0	163310	274449
524	4248	0	0	0	0	144432	179619
0	0	0	0	0	0	18878	94830
37471	67458	3173680	3457748	-384109	777341	7904443	11292438
30861	21712	3173680	3649793	-214448	566427	6507195	8831238
6610	45746	0	-192045	-169661	210914	1397248	2461200
190315	175892	74943211	67713463	4257939	3151891	141891413	126804504
196925	221638	74943211	67521418	4088278	3362805	143269782	129170875
-6610	-45746	0	192045	169661	-210914	-1378369	-2366371
2212360	1685181	18048827	13264734	4806977	518304	241742470	231058133
2336673	1721491	18820338	13954399	5128002	4602428	261485831	256889188
0	0	0	0	0	0	0	26150
2336673	1721491	18820338	13954399	5128002	4602428	261485831	256915338
119912	115845	162	162	74595	74595	558683	486505
0	0	0	0	0	0	150277	377362
119912	115845	162	162	74595	74595	708960	863867
189249	149053	770672	737517	333199	2651610	17262990	23920713
54976	3102	1001	-47690	62421	1507109	3189331	2800359
244225	152155	771673	689827	395620	4158719	20452321	26721072
2212360	1685181	18048827	13264734	4806977	518304	241742470	231058133
1685181	1749204	13264734	13155070	518304	-1538644	231058133	224330432
1721491	1867295	13954399	13917952	4602428	3869821	256889188	252094243
0	0	0	0	0	0	26150	24226
1721491	1867295	13954399	13917952	4602428	3869821	256915338	252118469
115845	63844	162	161	74595	0	486506	625455
0	0	0	0	0	0	377361	436271
115845	63844	162	161	74595	0	863867	1061726
149053	165905	737517	767237	2651610	3155831	23920713	24747968
3102	16030	-47690	-4194	1507109	2252634	2800359	4101795
152155	181935	689827	763043	4158719	5408465	26721072	28849763
1685181	1749204	13264734	13155070	518304	-1538644	231058133	224330432
717494	111869	79727304	67823127	8546612	5208839	152575750	133532205

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023

अनुसूची - 3 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उपगत दावे (शुद्ध) -

सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	अग्नि / Fire	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
कमीशन / COMMISSION		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	2201083	1781009
कुल (अ) / TOTAL (A)	2201083	1781009
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन Add: Commission on Reinsurance Accepted	275263	288623
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत में Add: Commission on Reinsurance Accepted - In India	267691	278498
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत से बाहर Add: Commission on Reinsurance Accepted - Outside India	7572	10125
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded	1102594	1098129
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत में Less: Commission on Reinsurance Ceded - In India	975872	791276
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत से बाहर Less: Commission on Reinsurance Ceded - Outside India	126722	306853
कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net)	1373752	971503
कमीशन (शुद्ध) - भारत में / Commission (Net) - In India	1492902	1268231
कमीशन (शुद्ध) - भारत से बाहर / Commission (Net) - Outside India	-119149	-296728
व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय (सकल) का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below:		
अभिकर्ता - भारत में / Agents - In India	901358	703318
अभिकर्ता / Agents	901358	703318
ब्रोकर्स / Brokers	1230455	1009350
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	69270	68341
अन्य / Others	0	0
कुल (ब) / TOTAL (B)	2201083	1781009



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
 Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023
SCHEDULE - 3 - COMMISSION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024
SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

समुद्री कार्गो / Marine Cargo		समुद्री पोतकाय / Marine Hull		मरीन कुल / Marine Total	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
285338	273795	46798	42573	332136	316368
285338	273795	46798	42573	332136	316368
4544	7584	8784	3232	13328	10816
679	1101	7862	2946	8541	4047
3865	6483	922	286	4787	6769
11299	13094	29523	47123	40822	60217
10754	11879	20880	18599	31634	30478
545	1215	8643	28524	9188	29739
278583	268285	26059	-1318	304642	266967
275263	263017	33780	26920	309043	289937
3320	5268	-7722	-28238	-4402	-22970
187116	169808	13539	12593	200655	182401
187116	169808	13539	12593	200655	182401
98006	103873	33178	29947	131184	133820
216	114	81	33	297	147
0	0	0	0	0	0
285338	273795	46798	42573	332136	316368

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
 भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023

अनुसूची - 3 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उपगत दावे (शुद्ध) -

सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	मोटर स्व-क्षति / Motor OD	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
कमीशन / COMMISSION		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	2899936	3288360
कुल (अ) / TOTAL (A)	2899936	3288360
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन Add: Commission on Reinsurance Accepted	0	0
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत में Add: Commission on Reinsurance Accepted - In India	0	0
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत से बाहर Add: Commission on Reinsurance Accepted - Outside India	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded	123732	100897
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत में Less: Commission on Reinsurance Ceded - In India	123732	100897
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत से बाहर Less: Commission on Reinsurance Ceded - Outside India	0	0
कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net)	2776204	3187463
कमीशन (शुद्ध) - भारत में / Commission (Net) - In India	2776204	3187463
कमीशन (शुद्ध) - भारत से बाहर / Commission (Net) - Outside India	0	0
व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय (सकल) का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below:		
अभिकर्ता - भारत में / Agents - In India	1511564	2222162
अभिकर्ता / Agents	1511564	2222162
ब्रोकर्स / Brokers	1339240	933829
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	49132	132369
अन्य / Others	0	0
कुल (ब) / TOTAL (B)	2899936	3288360

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
 Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023
SCHEDULE - 3 - COMMISSION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024
SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

Motor TP मोटर तृतीय पक्ष / Motor TP		मोटर कुल / Motor Total	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
5013713	2266616	7913649	5554976
5013713	2266616	7913649	5554976
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
100231	86908	223963	187805
100231	86908	223963	187805
0	0	0	0
4913482	2179708	7689686	5367171
4913482	2179708	7689686	5367171
0	0	0	0
4150092	2163054	5661656	4385216
4150092	2163054	5661656	4385216
858111	99380	2197351	1033209
5510	4182	54642	136551
0	0	0	0
5013713	2266616	7913649	5554976

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
 भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023

अनुसूची - 3 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उपगत दावे (शुद्ध) -

सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	कर्मचारी क्षतिपूर्ति / Workmen Comp.	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
कमीशन / COMMISSION		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	104096	85836
कुल (अ) / TOTAL (A)	104096	85836
जोड: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन Add: Commission on Reinsurance Accepted	0	0
जोड: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत में Add: Commission on Reinsurance Accepted - In India	0	0
जोड: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत से बाहर Add: Commission on Reinsurance Accepted - Outside India	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded	3986	3950
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत में Less: Commission on Reinsurance Ceded - In India	3986	3950
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत से बाहर Less: Commission on Reinsurance Ceded - Outside India	0	0
कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net)	100110	81886
कमीशन (शुद्ध) - भारत में / Commission (Net) - In India	100110	81886
कमीशन (शुद्ध) - भारत से बाहर / Commission (Net) - Outside India	0	0
व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय (सकल) का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below:		
अभिकर्ता - भारत में / Agents - In India	96494	79756
अभिकर्ता / Agents	96494	79756
ब्रोकर्स / Brokers	7449	6230
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	153	-150
अन्य / Others	0	0
कुल (ब) / TOTAL (B)	104096	85836

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023
SCHEDULE - 3 - COMMISSION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024
SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident		विमानन / Aviation		अभियांत्रिकी / Engineering	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
225238	212866	19033	16408	585334	463567
225238	212866	19033	16408	585334	463567
2160	5019	12333	34996	32851	43408
0	0	12333	25296	29672	36267
2160	5019	0	9700	3179	7141
80626	158825	4818	26444	122943	124634
55018	55543	3864	23291	85631	84218
25608	103282	954	3153	37312	40416
146772	59060	26548	24960	495242	382341
170220	157323	27502	18413	529375	415616
-23448	-98263	-954	6547	-34133	-33275
122508	110891	680	1846	232995	170098
122508	110891	680	1846	232995	170098
98785	68345	18353	14562	350849	292723
3945	33630	0	0	1490	746
0	0	0	0	0	0
225238	212866	19033	16408	585334	463567

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023

अनुसूची - 3 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उपगत दावे (शुद्ध) -

सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	अन्य विविध / Other Misc.	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
कमीशन / COMMISSION		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	1107494	1067263
कुल (अ) / TOTAL (A)	1107494	1067263
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन Add: Commission on Reinsurance Accepted	-706	553
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत में Add: Commission on Reinsurance Accepted - In India	-857	371
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत से बाहर Add: Commission on Reinsurance Accepted - Outside India	151	182
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded	84658	83531
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत में Less: Commission on Reinsurance Ceded - In India	59466	57249
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत से बाहर Less: Commission on Reinsurance Ceded - Outside India	25192	26282
कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net)	1022130	984285
कमीशन (शुद्ध) - भारत में / Commission (Net) - In India	1047171	1010385
कमीशन (शुद्ध) - भारत से बाहर / Commission (Net) - Outside India	-25041	-26100
व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय (सकल) का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below:		
अभिकर्ता - भारत में / Agents - In India	870326	859979
अभिकर्ता / Agents	870326	859979
ब्रोकर्स / Brokers	209514	173701
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	27654	33583
अन्य / Others	0	0
कुल (ब) / TOTAL (B)	1107494	1067263



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
 Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023
SCHEDULE - 3 - COMMISSION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024
SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

देयता / Liability		स्वास्थ्य & अस्पतालीकरण / Health Hosp.		फसल / Crop		कुल विविध / Total Misc.	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
180082	155092	2358646	2765826	0	-449	12493572	10321385
180082	155092	2358646	2765826	0	-449	12493572	10321385
284	299	0	0	0	0	46922	84275
284	299	0	0	0	0	41432	62233
0	0	0	0	0	0	5490	22042
17102	14553	359417	320389	-75793	112079	821720	1032210
13979	13887	353763	320389	-41477	120321	758193	866653
3123	666	5654	0	-34316	-8242	63527	165557
163264	140838	1999229	2445437	75793	-112528	11718774	9373450
166387	141504	2004883	2445437	41477	-120770	11776811	9516965
-3123	-666	-5654	0	34316	8242	-58037	-143515
69001	55458	1505738	1803786	0	0	8559398	7467030
69001	55458	1505738	1803786	0	0	8559398	7467030
110633	99325	831693	699354	0	-449	3824627	2387000
448	309	21215	262686	0	0	109547	467355
0	0	0	0	0	0	0	0
180082	155092	2358646	2765826	0	-449	12493572	10321385

समेकित वित्तीय विवरण / STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
 भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन प्रप्तियाँ एवं भुगतान खाता

STAND ALONE RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

(₹ '000)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
I. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from the Operating Activities		
पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम, जिसमें अग्रिम रसीदें, सहबीमा राशि शामिल है Premium received from policyholders, including advance receipts, net of coinsurance	20,60,22,976	17,72,17,385
अन्य प्राप्तियाँ / Other Receipts	2,04,716	2,07,647
पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान, कमीशन और दावों का शुद्ध Payments to reinsurers, net of commission and claims	(92,44,485)	(96,80,268)
साहबीमाकर्ताओं को भुगतान, दावों की वसूली का शुद्ध Payments to coinsurers, net of claims recovery	(26,56,427)	25,21,100
दावों का भुगतान / Payments of claims	(16,14,36,717)	(15,15,42,545)
कमीशन और ब्रोकरेज का भुगतान / Payments of commission and brokerage	(1,47,85,030)	(1,20,34,513)
अन्य खर्चों का भुगतान / Payments of other operating expenses	(4,68,92,706)	(4,62,12,634)
प्रारंभिक और पूर्व-संचालन व्यय / Preliminary & Pre-operative Expenses	0	0
जमा, अग्रिम और कर्मचारी ऋण / Deposits, advances and staff loans	(25,47,953)	5,87,417
आयकर का भुगतान/ वापसी (शुद्ध) / Income taxes paid/ refund (net)	(59,46,965)	(63,081)
सेवाकर का भुगतान / वापसी (शुद्ध) / Service tax paid / refund (net)	6,77,902	(6,17,508)
अन्य भुगतान / संग्रहण(शुद्ध) / Other payments/collections (Net)	(17,66,311)	9,89,218
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव पर लाभ / हानि / Gain /Loss on Foreign Exchange Fluctuations	(38,461)	(2,12,305)
असाधारण गतिविधियों से पूर्व नकदी प्रवाह / Cash flow before extraordinary activities	(3,84,09,461)	(3,88,40,087)
असाधारण गतिविधियाँ / Extraordinary Activities	(378)	(610)
असाधारण गतिविधियों के पश्चात नकदी प्रवाह / Cash flow after extraordinary activities	(3,84,09,839)	(3,88,40,697)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नगद प्रवाह / Net Cash flow from the Operating Activities	(3,84,09,839)	(3,88,40,697)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
II. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from the Investing Activities		
अचल संपत्तियों की खरीदी / Purchase of fixed assets	(10,50,562)	(8,55,212)
अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियाँ / Proceeds from Sale of Fixed Assets	1,02,994	1,78,002
निवेश की खरीदी / Purchase of investments	(1,67,90,354)	(2,48,30,827)
वितरित ऋण / Loans Disbursed	0	0
निवेशों का बिक्री मूल्य / Sale Value of Investments	3,24,52,772	2,71,83,237
प्राप्त हुई चुकौतियाँ / Repayments Received	1,55,95,984	2,03,25,846
प्राप्त किराया, ब्याज और लाभांश / Rents/Interests/Dividends received	2,08,60,600	2,23,24,235
मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स और लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में निवेश Investments in money market instruments and in liquid mutual funds	4,39,306	(3,97,568)
निवेश संबंधी व्यय / Expenses relating to investments	(33,478)	(34,871)
अन्य भुगतान/ प्राप्तियाँ (शुद्ध) / Other payments/collections (Net)	5	5
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह Net cash flow from the Investing Activities	5,15,77,267	4,38,92,846
III. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from the Financing Activities		
अंश पूंजी निर्गमन से प्राप्तियाँ / Proceeds from issuance of share capital	0	0
उधार / निवेश से प्राप्तियाँ / Proceeds from borrowing / investments	0	0
उधार का पुनर्भुगतान / Repayments of borrowing	0	(90,00,000)
ब्याज/ लाभांश का भुगतान / Interest/dividends paid	0	(7,42,500)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह / Net cash flow from the Financing Activities	0	(97,42,500)
IV. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents (net)		
नकद और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि Net increase in Cash and Cash Equivalents	1,31,67,428	(46,90,351)
वर्ष के आरंभ में नकद और नकदी समकक्ष Cash and cash equivalents at the beginning of the year	2,19,90,193	2,66,80,544
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समकक्ष Cash and cash equivalents at the end of the year	3,51,57,621	2,19,90,193

(₹ '000)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
नकद और नकदी समतुल्य के घटक Components of Cash and Cash Equivalnets		
हस्ते रोकड़ / Cash on Hand	167720	508567
बैंकों के साथ शेष / Balance with Banks		
खरातों में / In Current Accounts	8620312	11550554
3 महीनों से कम समय के परिपक्ववाले एफडीआर In FDR with maturity less than 3 Months	310090	289082
उप-कुल / Sub-Total	9098122	12348203
एफ डी जिनका परिपक्वता 3 महीनों से अधिक परंतु 12 महीनों से कम FD for Short Term More than 3 Months and Less than 12 Months	26059499	9641990
अन्य संस्थानों के पास (सीबीएलओ के पास) With Other Institution (with CBLO)		
उप-कुल / Sub-Total	26059499	9641990
कुल योग / Grand Total	35157621	21990193

 अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY

 संतानम हेमामालिनी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

SANTHANAM HEMA MALINI
CHIEF FINANCIAL OFFICER

 भूपेश सुशील राहुल
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 10610759
BHUPESH SUSHIL RAHUL
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN : 10610759

संलग्न दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / Vide our report of date attached

 वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001997S
For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

 सीए के सुनिल कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 231416

CA K Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416

 स्थान / Place : चेन्नै / Chennai
दिनांक / Date : 29.05.2024

 वास्ते एस आर बी आर & एसोसियट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 004997S/S200051
For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

 सीए आर.सुंदराराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814

CA R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

 वास्ते ए वी देवेन & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000726S
For A V Deven & Co
Chartered Accountants
FRN: 000726S

 सीए आर.रघुरामन
भागीदार
सदस्यता सं. 201760

CA R Raghuraman
Partner
Membership No. 201760



इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त छोड़ दिया गया है
This page is intentionally left blank

31 मार्च 2024 तक वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स

I. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन अभिसमयः

- 1.1 वित्तीय विवरण इतिहासपरक लागत अभिसमय के तहत भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002, बीमा अधिनियम, 1938, विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीएआइ) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश / परिपत्र / अधिसूचनाएं के द्वारा निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं।
- 1.2 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण सीधा पद्धति पर तैयार किया जाता है।

2. अनुमानों का उपयोग:

आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार संपत्ति, देनदारियों, राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं। संलग्न वित्तीय विवरणों में उपयोग किए गए अनुमान और धारणाएं वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं।

3. अंशधारकों/ पॉलिसीधारकों की निधि:

- 3.1. अंशधारकों के फंड में अंश पूंजी के साथ-साथ सभी रिजर्व और अधिशेष (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व और उचित मूल्य परिवर्तन खाते को छोड़कर) संचित घाटे और विविध व्यय को उस सीमा तक शामिल किया जाता है जिसे तुलन पत्र की तारीख में बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।
- 3.2. पॉलिसीधारकों के फंडकी निधि में शामिल हैं:
 - क) बकाया दावे जिनमें उपगत हुए लेकिन रिपोर्ट नहीं किया गया (आइबीएनआर) और उपगत लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किया गया (आइबीएनईआर);
 - बी) अनर्जित प्रीमियम रिजर्व;
 - ग) प्रीमियम घाटा रिजर्व; यदि कोई है तो

- घ) आपदा रिजर्व, यदि कोई हो; और
- ई) अन्य परिसंपत्तियों को शामिल करके अन्य देनदारियां
उपरोक्त बिंदु (ई) में अन्य देनदारियों में शामिल हैं (i) अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम (ii) अनावटित प्रीमियम (iii) अन्य बीमा कंपनियों के कारण शेष राशि (iv) पूल के अन्य सदस्यों जैसे कि तीसरे पक्ष पूल के कारण; आतंकवाद पूल; आदि (v) विविध लेनदार (पॉलिसीधारकों के कारण)।
उपरोक्त बिंदु (ई) में अन्य परिसंपत्तियों में शामिल हैं (i) बकाया प्रीमियम (ii) पुनर्बीमाकर्ताओं सहित बीमा व्यवसाय करने वाली अन्य संस्थाओं से देय (iii) तीसरे पक्ष पूल जैसे पूल के साथ शेष राशि; आतंकवाद पूल; वगैरह।

4. प्रीमियमः

4.1 प्रत्यक्ष व्यवसायः

- 4.1.1 लंबी अवधि (एक वर्ष से अधिक अवधि के साथ) के मोटर बीमा पॉलिसियों के अलावा प्रीमियम आय को जोखिम की धारणा पर मान्यता दी गई है
- 4.1.2 दीर्घकालिक मोटर बीमा पॉलिसियों के मामले में, तृतीय पक्ष के कवरेज के लिए प्राप्त प्रीमियम (वस्तु एवं सेवा कर का शुद्ध) 1/एन आधार पर जोखिम के प्रारंभ में पॉलिसी अवधि के दौरान समान रूप से मान्यता प्राप्त है, जहां एन अवधि वर्षों में पॉलिसी को दर्शाता है। स्व-क्षति कवरेज के लिए प्राप्त प्रीमियम को बीमाकृत घोषित मूल्य (आईडीवी) के अनुपात में साल-दर-साल आधार पर मान्यता दी जाती है।
- 4.1.3 उन पॉलिसियों के मामले में जहां भुगतान किस्तों में प्राप्त होता है, वहाँ किस्त प्राप्त होने पर राजस्व को मान्य किया जाता है।
- 4.1.4 फसल बीमा के मामले में, प्रीमियम का हिसाब किसान के हिस्से की प्रीमियम प्राप्ति पर किया जाता है और संबंधित सरकारी हिस्से का हिसाब उचित आधार पर किया जाता है।
- 4.1.5 प्रीमियम की वसूली होने पर पुनर्स्थापन प्रीमियम का हिसाब लगाया जाता है।
- 4.1.6 अग्रिम में प्राप्त प्रीमियम उस वर्ष के दौरान जारी की गई पॉलिसियों के संबंध में प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है जहां जोखिम तुलन पत्र की तारीख के बाद शुरू होता है। इसके अलावा, दीर्घ कालिक

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS AS ON 31ST MARCH 2024

I. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION:

- 1.1 The financial statements are prepared under the historical cost convention in accordance with the accounting principles prescribed by The Insurance Regulatory and Development Authority Of India (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, Orders / Circulars / Notifications issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) from time to time.
- 1.2 Cash flow statement is prepared on Direct method as per Insurance Regulatory and Development Authority of India (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002,

2. USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements in conformity with the generally accepted accounting principles requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, revenue and expenses and disclosure of contingent liabilities as of the date of the financial statements. The estimates and assumptions used in the accompanying financial statements are based upon the management's evaluation of the relevant facts and circumstances as of the date of the financial statements. Actual results may differ from estimates and assumptions used in preparing these financial statements.

3. SHAREHOLDERS'/POLICYHOLDERS' FUNDS:

- 3.1. Shareholders' funds consists of Share Capital plus all Reserves and Surplus (except Revaluation reserve and fair value change account) net of accumulated losses and Miscellaneous expenditure to the extent not written off as at the balance sheet date.
- 3.2. Policyholders' funds consists of:
 - a) Outstanding claims including Incurred but not Reported (IBNR) and Incurred but not enough reported (IBNER);

- b) Unearned Premium Reserve;
- c) Premium Deficiency Reserve; if any
- d) Catastrophe Reserve, if any; and
- e) Other Liabilities net of Other Assets

Other Liabilities in point (e) above, comprise of (i) Premium received in advance (ii) Unallocated premium (iii) Balance due to Other Insurance companies (iv) Due to other members of a pool such as third party pool; Terrorism pool; etc (v) Sundry creditors (due to policyholders).

Other Assets in point (e) above, comprise of (i) Outstanding premium (ii) due from other entities carrying on insurance business including Re insurers (iii) balance with Pool such as Third Party Pool; Terrorism Pool; etc.

4. PREMIUM:

4.1 Direct Business:

- 4.1.1 Premium Income other than for long term (with term More than one year) Motor Insurance policies is recognized on assumption of risk.
- 4.1.2 In case of Long term Motor Insurance Policies, Premium received (net of Goods & Services Tax) for third party coverage is recognized equally over the policy period at the commencement of risk on $1/n$ basis where n denotes the term of the policy in years. Premium received for own damage coverage is recognised on a year to year basis in proportion to the insured declared value (IDV).
- 4.1.3 In the case of Policies where payments are received in instalment revenue is recognised on receipt of instalment
- 4.1.4 In respect of Crop Insurance, Premium is accounted upon receipt of farmer share of premium and corresponding government share is accounted on due basis
- 4.1.5 Reinstatement premium is accounted as and when the premium is recovered
- 4.1.6 Premium received in Advance represents premium received in respect of policies issued during the year where the risk commences subsequent to the balance sheet date. Further in case of long term motor

मोटर बीमा पॉलिसियों के मामले में, बाद के वर्षों में मान्य किए जाने योग्य प्रीमियम को अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम माना जाता है।

- 4.1.7 अर्जित प्रीमियम को सकल आधार पर 1/365 विधि के द्वारा जोखिम की अवधि या पॉलिसी अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है। किस्त प्रीमियम को शेष पॉलिसी अवधि में मान्यता दी जाती है। प्रीमियम में बाद में कोई भी संशोधन जब भी होता है, उसे जोखिम की शेष अवधि या लागू होने वाली पॉलिसी अवधि में मान्यता दी जाती है।
- 4.1.8 पॉलिसी रद्द करने पर उत्पन्न होने वाली प्रीमियम आय का समायोजन उस अवधि में मान्यता प्राप्त है जिसमें इसे रद्द किया गया है।
- 4.1.9 फ्री-लुक अवधि सहित प्रीमियम वापसी का हिसाब वर्ष के दौरान पारित पृष्ठंकन के आधार पर किया जाता है।
- 4.1.10 प्रत्येक खंड के लिए अनर्जित प्रीमियम के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है, जो समय विभाजन के आधार पर या जोखिम की अवधि, जो भी उचित हो, की गणना के बाद आने वाली लेखांकन अवधि के लिए मान्यता प्राप्त प्रीमियम के उस हिस्से को दर्शाता है। यह नीचे दिए गए 4.3 के अनुसार गणना की गई असमाप्त जोखिम आरक्षित का हिस्सा है।
- 4.2 पुनर्बीमा :
- 4.2.1 31 मार्च तक प्राप्त विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों से प्राप्त रिटर्न/एडवाइजेस के आधार पर प्रीमियम आय को मान्य किया जाता है।
- 4.2.2 भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के संबंध में प्रीमियम आय की पहचान संबंधित लेखा वर्ष के खातों को अंतिम रूप देने तक प्राप्त रिटर्न के आधार पर की जाती है। जहां भी खातों को अंतिम रूप देने तक रिटर्न प्राप्त नहीं हुआ है, उसका अनुमान लगाया गया है।
- 4.2.3 अध्यर्पण पर प्रीमियम को परिचालन कार्यालयों द्वारा बीमालेखन किए गए प्रीमियम के आधार पर मान्यता दी जाती है। जहां भी पूर्ण तकनीकी विवरण उपलब्ध नहीं हैं, वहां उपलब्ध जानकारी के आधार पर पुनर्बीमा अध्यर्पण का अनुमान लगाया जाता है।
- 4.2.4 पूल स्वीकृतियां/अध्यर्पण: आतंकवाद पूल रेट्रो/परमाणु पूल के संबंध में प्रीमियम, दावे,

सेवा शुल्क, निवेश आय और व्यय का लेखा-जोखा अंतिम रूप दिए जाने तक जीआईसी (पूल प्रशासक) से प्राप्त विवरण के अनुसार किया जाता है। आतंकवाद पूल/परमाणु पूल के संबंध में प्रीमियम, दावे, सेवा शुल्क और सत्र के खर्च का हिसाब 31 मार्च तक किया जाता है।

4.3 असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व :

असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व में अनर्जित प्रीमियम रिजर्व और प्रीमियम का घाटा रिजर्व शामिल है।

- i) अनर्जित प्रीमियम रिजर्व (यूपीआर): अनर्जित प्रीमियम रिजर्व की गणना निम्नानुसार की जाती है
- a) समुद्धी पोतकाय: पिछले बारह महीनों के दौरान शुद्ध लिखित प्रीमियम का 100%,
- b) अन्य सभी खंडों के संबंध में: संबंधित पॉलिसियों के लिए समय विभाजन के आधार पर 1/365 पद्धति के आधार पर या जोखिम की अवधि के आधार पर, जो भी उचित हो।
- ii) प्रीमियम में घाटे का रिजर्व: प्रीमियम में घाटे की गणना तब की जाती है जब अपेक्षित दावा लागत, संबंधित व्यय और रखरखाव लागत का योग संबंधित अनर्जित प्रीमियम से अधिक हो जाता है। प्रीमियम के घाटे को आइआरडीएआइ दिशानिर्देशों के अनुसार मान्य किया जाता है।

5. दावे:

5.1 प्रत्यक्ष व्यवसाय :

- a. सूचित किए जाने पर दावों को मान्य किया जाता है
- b. विनिमय में उतार-चढ़ाव, लाभ/हानि सहित दावों से सीधे तौर पर जुड़े सभी खर्चों को दावों के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है।
- c. वर्ष के अंत में लंबित दावे:-
- वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए अनुमानित देनदारी सर्वेक्षण रिपोर्ट, अग्रणी की सलाह, पिछले अनुभव, अन्य लागू कानूनों, ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और खातों को अंतिम रूप देने की तारीख तक अन्य स्रोतों के आधार पर प्रदान की जाती है।
 - एक वर्ष से अधिक समय से बकाया अज्ञात मोटर तृतीय पक्ष दावों के संबंध में, अनुमानित देनदारी के 100% की दर से प्रावधान किया गया है। अन्य मामलों में अनुमानित देनदारी के 1/3 की दर से प्रावधान किया जाता है।

insurance policies, premium recognizable in subsequent years is treated as premium received in advance.

- 4.1.7 Premium earned is recognised as income over the period of risk or the policy period based on 1/365 method on gross basis. The Instalment premium are recognised over the balance policy period. Any subsequent revisions to premium as and when they occur are recognised over the remaining period of risk or policy period as applicable..
- 4.1.8 Adjustment to Premium Income arising on cancellation of policy are recognised in the period in which it is cancelled.
- 4.1.9 Premium refunds including for the free-look period are accounted on the basis of endorsements passed during the year
- 4.1.10 A reserve for unearned premium for each segment representing that part of the recognised premium attributable to the succeeding accounting periods calculated on time apportionment basis or the period of risk, whichever is appropriate is created. This forms part of unexpired risk reserve calculated as per 4.3 below.

4.2 Reinsurance:

- 4.2.1 Premium income is recognized based on the returns/advices received from foreign reinsurance companies received upto 31st March.
- 4.2.2 Premium Income in respect of Indian Reinsurers is recognized based on returns received upto finalization of accounts of the relevant accounting year. Wherever returns are not received upto finalization of accounts, the same has been estimated.
- 4.2.3 Premium on cessions are recognized on the basis of the premium underwritten by the operating offices. Wherever full technical particulars are not available, reinsurance cessions are estimated on the basis of information available.
- 4.2.4 Pool Acceptances/ Cessions: Premium, Claims, Service charges, Investment income and expenses in respect of Terrorism Pool Retro/ Nuclear Pool are accounted as per the statements received from GIC (Pool Administrator) upto finalisation of accounts.

Premium, Claims, Service charges and expenses of cessions in respect of Terrorism Pool / Nuclear Pool are accounted upto 31st March.

4.3 Reserve for Unexpired Risk:

Reserve for Unexpired Risk Comprises of Unearned Premium Reserve and Premium Deficiency Reserve

- i) Unearned Premium Reserve (UPR): Unearned Premium Reserve is computed as under
- Marine Hull : 100% of the Net Written Premium during the preceding Twelve Months,
 - In respect of all other Segments: on the Basis of 1/365 method on time apportionment basis or period of risk basis for the respective policies, whichever is appropriate.
- (ii) Premium Deficiency Reserve: Premium Deficiency is calculated where the sum of expected claim costs, related expenses and maintenance costs exceed the related unearned premium. The premium Deficiency is recognised as per IRDAI guidelines.

5. CLAIMS:

5.1 Direct Business:

- Claims are recognized as and when intimated
- All expenses directly attributable to claims including exchange fluctuations gains / losses are accounted as part of claims.
- Outstanding claims at the year-end:-
 - Estimated Liability for outstanding claims at the year end are provided on the basis of survey reports, advices of Leaders, past experience, other applicable laws, information provided by clients and other sources upto the date of finalization of accounts.
 - In respect of unidentified motor third party claims outstanding for more than one year, provision is made at the rate of 100% of the estimated liability. In other cases provision is made at the rate of 1/3rd of the estimated liability.

5.2 Reinsurance:

- Claims are recognized as and when intimated.

5.2 पुनर्बीमा:

- अ. सूचित किए जाने पर दावों को मान्य किया जाता है
 ब. आवक स्वीकृतियों (भारतीय) के संबंध में बकाया दावों की देनदारी खातों को अंतिम रूप देने तक प्राप्त रिटर्न पर आधारित है। आवक स्वीकृतियों (विदेशी) के संबंध में बकाया दावों की देनदारी 31 मार्च तक प्राप्त रिटर्न पर आधारित है। जहां भी खातों को अंतिम रूप देने तक रिटर्न प्राप्त नहीं होता है, उसका अनुमान बीमांकिक मूल्यांकन पर लगाया गया है।

5.3 आइबीएनआर / आइबीएनईआर:

दावे किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) और दावे किए गए लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनईआर) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं।

5.4 रक्षित संपत्ति और दावा संबंधी वसूली :

दावों के तहत वसूली और रक्षित संपत्ति के निपटान का हिसाब वसूली होने पर लगाया जाता है और दावों में जमा किया जाता है।

6. प्रबंधन व्यय:

6.1 खर्चों का बंटवारा:

प्रबंधन के खर्चों को सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम और स्वीकृत पुनर्बीमा के आधार पर राजस्व खातों में विभाजित किया जाता है, जिसमें समुद्री व्यवसाय के लिए 75% और अग्नि और विविध व्यवसाय के लिए 100% का भार दिया जाता है। पॉलिसी स्टाम्प और पुनर्बीमा से संबंधित खर्च सीधे संबंधित राजस्व खातों में ले जाया जाता है। निवेश से संबंधित खर्च, जैसे सुरक्षित अभिरक्षा, ब्याज/लाभांश बैंक शुल्क आदि का संग्रह, तुलन पत्र की तारीख के अनुसार पॉलिसीधारकों और अंशधारकों की निधि के आधार पर राजस्व खातों और लाभ और हानि खाते के बीच विभाजित किया जाता है।

6.1.1 पॉलिसीधारकों की शेष राशि से संबंधित विविध क्रेडिट शेष को लाभ और हानि खाते में वापस लिखा जाता है।

6.2 मूल्यहास:

नई परिवहन योजना 2011 के तहत कवर की गई मोटर कारों के मामले को छोड़कर, जहाँ उपयोगी जीवन 5 वर्ष अपनाया गया है, अचल संपत्तियों पर मूल्यहास परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर हासिल मूल्य पद्धति पर लगाया जाता है और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खर्च के अनुसार मूल लागत के 5% तक अवशिष्ट मूल्य पर विचार किया जाता है।

6.2.1 लीज होल्ड संपत्तियों की लागत कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार, पेट्टेकी अवधि या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, पर परिशोधित की जाती है।

6.3 कर्मचारी लाभ:

6.3.1 अल्प कालिक कर्मचारी लाभ:

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले भुगतान की जाने वाली अपेक्षित अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।

6.3.2 रोजगारोत्तर लाभ योजनाएँ:

परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के भुगतान पर देय होने पर व्यय के रूप में शुल्क लिया जाता है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित यूनित क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, जिसमें प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि के लिए लाभ और हानि खाते में पूर्ण रूप से मान्य किया जाता है, जिसमें वे घटित होते हैं। पिछली सेवा लागत को उस सीमा तक तुरंत मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभ पहले से ही निहित नहीं हो जाते हैं, और अन्यथा लाभ निहित होने तक औसत अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया जाता है।

7. विदेशी मुद्राओं का परिवर्तन/रूपान्तरण:

7.1 आय और व्यय की वस्तुएं, विदेशी शाखा की बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार मौद्रिक आइटम और भारतीय परिचालन में विदेशी मुद्रा लेनदेन का अनुवाद निम्नानुसार किया गया है:

7.1.1 लेन-देन की तिथि पर प्रचलित दरों पर आय और व्यय की मर्दें.

7.1.2 तुलन पत्र की तारीख पर मौद्रिक मर्दों को उस तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

7.2 विदेशी शाखा (गैर-अभिन्न) से संबंधित शेष राशि के परिवर्तन के कारण विनिमय अंतर को परिचालन बंद होने तक विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व में जमा किया जाता है। इस गैर-अभिन्न विदेशी परिचालन के बंद होने पर, स्थगित किए गए विनिमय अंतर की संचयी राशि को ऐसे समापन के वर्ष में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।



- b. Liability for outstanding claims in respect of Inward Acceptances (Indian) is based on returns received up to finalization of accounts. Liability for outstanding claims in respect of Inward Acceptances (Foreign) is based on returns received up to 31st March. Wherever returns are not received upto finalization of accounts, the same has been estimated on actuarial valuation.

5.3 IBNR/IBNER:

Claims Incurred But Not Reported (IBNR) and Incurred But Not Enough Reported (IBNER) is made on the basis of actuarial valuation.

5.4 Salvage and Claim related Recoveries:

Recoveries under claims and disposal of salvage are accounted on realisation and are credited to claims.

6. EXPENSES OF MANAGEMENT:

6.1 Apportionment of expenses:

Expenses of Management are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of gross direct premium plus reinsurance accepted, giving weightage of 75% for Marine business and 100% for Fire and Miscellaneous business. Expenses relating to policy stamps and reinsurance are directly taken to respective Revenue Accounts. Expenses relating to Investment, such as safe custody, collection of interest/dividend bank charges etc., are apportioned between Revenue Accounts and Profit and loss Account based on policyholders' and shareholders' funds as on the Balance Sheet date.

- 6.1.1 Sundry credit balances not pertaining to policyholders' balances are written back to profit and loss account.

6.2 Depreciation:

Depreciation on fixed assets is charged on written down value method based on useful life of the Assets and considering residual value upto 5% of original cost as per Schedule II to the Companies Act, 2013, except in case of Motor Cars covered under New Conveyance Scheme 2011, for which useful life adopted is 5 years.

- 6.2.1 Cost of Lease Hold properties is amortized over the period of lease or useful life of the asset, as per Schedule II to the Companies Act, 2013, whichever is shorter.

6.3 Employee Benefits:

6.3.1 Short-term employee benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

6.3.2 Post –Employment benefit Plans:

Payments to defined contribution retirement benefit schemes are charged as an expense as they fall due.

For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains and losses are recognized in full in the Profit and Loss account for the period in which they occur. Past service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested, and otherwise is amortized on straight-line basis over the average period until the benefits become vested.

7. TRANSLATION/CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES:

- 7.1 Items of income and expenditure, Monetary items as at the Balance Sheet date of foreign branch and foreign currency transactions in Indian operations are translated as under:

- 7.1.1 Items of income and expenditure at the rates prevailing on the date of transaction.

- 7.1.2 Monetary items as at the Balance Sheet date are converted at the exchange rates prevailing at that date.

- 7.2 Exchange differences on account of translation of the balances relating to foreign branch (non-integral) is accumulated in a Foreign Currency Translation Reserve until the closure of the operation. On the closure of this non-integral foreign operation, the cumulative amount of the exchange differences which have been deferred will be recognized as income or as expenses in the year of such closure.

7.3 भारतीय परिचालन में विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न परिवर्तन में अंतर को प्रासंगिक राजस्व खातों / लाभ और हानि खाते में लागू माना जाता है।

8. ऋण और निवेश:

- 8.1. शेयरों, बॉण्डों और डिबेंचर की खरीद और बिक्री का हिसाब अनुबंध की तारीख (व्यापार तिथि) पर किया जाता है।
- 8.2. निवेश की लागत में प्रतिभूति लेनदेन कर (जहां भी लागू हो), अधिग्रहण पर प्रीमियम और निवेश के अधिग्रहण के लिए किए गए अन्य प्रत्यक्ष खर्च शामिल हैं और यह उस पर अर्जित कमीशन/शुल्क को छोड़कर है। इक्विटी के संबंध में ब्रोकरेज और प्रतिभूति लेनदेन कर को कम करने के बाद शुद्ध बिक्री पर विचार किया जाता है।
- 8.3. इक्विटी शेयरों और वेंचर कैपिटल फंड में निवेश को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो निवेश बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने के भीतर प्रदर्शन और परिपक्व हो रहे हैं उन्हें अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गैर-निष्पादित निवेश सहित अन्य सभी निवेशों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 8.4. मुद्रा बाजार के इंस्ट्रुमेंट जैसे जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र और सीबीएलओ (टीआरईपी) जिन पर अनुबंध के समय छूट दी जाती है, उनका हिसाब उनके रियायती मूल्य पर किया जाता है।
- 8.5. सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय वरीयता शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों में निवेश को परिशोधन के अधीन लागत पर दिखाया जाता है। भारत औसत लागत के आधार पर प्रीमियम को उपकरण की नवीनतम खरीद की तारीख से परिपक्वता की शेष अवधि तक की अवधि के लिए, पुट/ कॉल विकल्प, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए परिशोधित किया जाता है।
- 8.6. सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्यांकन तुलन पत्र की तारीख के अनुसार

एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर अंतिम उद्धृत समापन मूल्य पर किया जाता है। हालांकि, किसी भी स्टॉक के एनएसई में सूचीबद्ध नहीं होने/कारोबार नहीं होने की स्थिति में, इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बीएसई (सेकेंडरी एक्सचेंज) में अंतिम उद्धृत समापन मूल्य के आधार पर किया जाएगा। भारत के बाहर की कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, जो उद्धृत और सक्रिय रूप से कारोबार किया जाता है, का मूल्यांकन तुलन पत्र की तारीख के अनुसार लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अंतिम उद्धृत मूल्य पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते-शेयरधारकों/पॉलिंसी धारकों में मान्य किया जाता है।

- 8.7. भारत के बाहर निगमित कंपनियों में रखे गए शेयरों सहित असूचीबद्ध / कम कारोबार वाले इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है और जब ब्रेक-अप मूल्य लागत से कम होता है तो ऐसे निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान किया जाता है। यदि ब्रेक-अप मूल्य नकारात्मक है, तो बुक वैल्यू के 100% की दर से प्रावधान किया जाता है।
- 8.8. अ) म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन फंड द्वारा घोषित तुलन पत्र की तारीख के अनुसार शुद्ध संपत्ति मूल्य पर किया जाता है और अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में मान्यता दी जाती है - शेयरधारक/पॉलिंसी धारक
 ब) वेंचर कैपिटल फंड्स/वैकल्पिक निवेश फंड्स (वीसीएफ/एआईएफ) में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया गया है जहां तुलन पत्र की तारीख के अनुसार शुद्ध संपत्ति मूल्य लागत से कम है। जहां भी तुलन पत्र की तारीख के अनुसार शुद्ध संपत्ति मूल्य उपलब्ध नहीं है या जहां फंड की अवधि समाप्त हो गई है, वहां बुक वैल्यू पर निम्नलिखित तरीके से प्रावधान किया गया है:

A. नवीनतम एनएवी की अनुपलब्धता के मामले में:

	प्रावधान : जहाँ एनएवी < बही मूल्य	प्रावधान : जहाँ एनएवी > बही मूल्य
1 वर्ष तक	बही मूल्य और एनएवी के बीच अंतर	शून्य
2 वर्ष तक	बही मूल्य और एनएवी के बीच अंतर या बही मूल्य का 10% जो भी अधिक हो	बही मूल्य का 10%
3 वर्ष तक	बही मूल्य और एनएवी के बीच अंतर या बही मूल्य का 20% जो भी अधिक हो	बही मूल्य का 20%
4 वर्ष तक	बही मूल्य और एनएवी के बीच अंतर या बही मूल्य का 50% जो भी अधिक हो	बही मूल्य का 50%
4 वर्ष से अधिक	बही मूल्य का 100%	बही मूल्य का 100%



7.3 The difference in translation arising out of foreign currency transaction in Indian operations is recognized in the relevant Revenue accounts / Profit and Loss Account as applicable.

8. LOANS & INVESTMENT:

8.1. Purchase and sale of shares, bonds & debentures are accounted for on the date of contract (trade date).

8.2. The cost of investment includes Securities Transaction Tax (wherever applicable), premium on acquisition and other direct expenses incurred for the acquisition of the investment and is net of commission / fee earned thereon. The net sale consideration is arrived at after reducing brokerage and Securities Transaction Tax in respect of equity.

8.3. Investments in Equity Shares and Venture Capital Funds are classified as Long term Investments. Investments which are performing and maturing within 12 months from the Balance Sheet date are classified as Short Term Investments. All other investments including Non-Performing Investments are classified as Long term Investments.

8.4. Money market instruments such as Certificate of Deposit, Commercial Papers and CBLO (TREP) which are discounted at the time of contract, are accounted at their discounted value.

8.5 Investments in debt securities including Government Securities and redeemable Preference Shares are shown at cost subject to amortization. The premium, based on weighted average cost is amortized for the period from the date of latest purchase of the instrument till the residual period of maturity, considering put/ call option, if any.

8.6. Investments in Equity shares that are actively traded are valued at last quoted closing price on NSE (Primary Exchange) as on the Balance Sheet date. However, in case of any stock not being listed/not traded in NSE, Equity shares will be valued based on last quoted closing price in BSE(Secondary Exchange) as on the Balance Sheet date. Investments in Equity shares of companies outside India that are quoted and actively traded are valued at last quoted price at London Stock Exchange as on the Balance Sheet date. The unrealized gains / losses are recognized in Fair Value Change account -Shareholders/Policy Holders.

8.7. Investments in Unlisted / Thinly traded equity shares including shares held in companies incorporated outside India are valued at cost and provision is made for diminution in value of such investments when break-up value is lower than the cost. In case the break-up value is negative, provision is made @ 100% of book value.

8.8. a) Investment in units of Mutual funds, are valued at Net Asset Value as at the Balance Sheet date as declared by the funds and unrealized gains / losses are recognized in Fair Value Change account -Shareholders/Policy Holders.

b) Investments in Venture Capital Funds/ Alternative Investment Funds (VCF/AIF) are valued at Cost. Provision is made for diminution in value of such investments where Net Asset Value as at the Balance Sheet date is lower than cost. Wherever the Net Asset Value as on Balance Sheet date is not available or where the term of the fund has expired, provision is made on the Book Value in the following manner:

A. In case of Non-availability of Latest NAV :

	Provision : Where NAV < Book Value	Provision: Where NAV > Book Value
Upto 1 yr.	Difference between Book Value and NAV	Nil
Upto 2yrs	Difference between Book Value and NAV or 10% of Book Value whichever is higher	10% of Book Value
Upto 3yrs	Difference between Book Value and NAV or 20% of Book Value whichever is higher	20% of Book Value
Upto 4yrs	Difference between Book Value and NAV or 50% of Book Value whichever is higher	50% of Book Value
Above 4 yrs.	100% of Book Value	100% of Book Value

इ. निधि की अवधि (विस्तार सहित)

	प्रावधान
18 महीने तक की निधि की अवधि (अर्थात मूल अवधि या विस्तारित अवधि) की समाप्ति पर	प्रावधान उपरोक्त A के अनुसार
18 महीने के पश्चात	100%

8.9. क्षीणता

8.9.1 क्षीणता को उन कंपनियों के इक्विटी शेयरों के संबंध में मान्यता दी गई है जो पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार घाटे में रहे हैं और जिनकी पूंजी आंशिक रूप से या पूरी तरह से नष्ट हो गई है, या जहां पिछले तीन वर्षों के ऑडिट किए गए वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं।

8.9.2. निवेश को निम्नानुसार अवलेखित किए गए हैं:

1. इक्विटी शेयर, जिनका सक्रिय रूप से कारोबार किया जाता है, उनके बाजार मूल्य पर अवलेखित किए जाते हैं।
2. सक्रिय कारोबार के अलावा अन्य इक्विटी शेयरों को ब्रेक अप मूल्य पर अवलेखित किया जाता है और जहां ब्रेकअप मूल्य नकारात्मक है, उन्हें प्रति कंपनी 1 रुपये तक अवलेखित किया जाता है।

8.9.2.1 क्षीणता हानि का कोई भी उलटाव, जिसे पहले राजस्व/लाभ एवं हानि खाते में मान्यता दी गई थी,

अ) सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों के संबंध में, राजस्व/लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी

- i. यदि संचित घाटा पूरी तरह समाप्त हो जाए और
- ii. कंपनी ने ठीक पिछले तीन वर्षों में शुद्ध लाभ दिखाया है।

ब) सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों के अलावा अन्य के संबंध में, वसूली पर राजस्व/लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।

8.9.3. कंपनी परिसंपत्ति वर्गीकरण, आय की पहचान और ऋण/अग्रिम/डिबेंचर से संबंधित प्रावधान के संबंध में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण/संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करती है।

8.9.4. अधिमान शेयरों के संबंध में, 100% की सीमा तक स्थायी कमी का प्रावधान किया गया है। स्थायी कमी की गणना इस प्रकार की जाती है:

- a. वरीयता लाभांश का भुगतान लगातार तीन वर्षों तक नहीं किया जाता है (या)
- b. परिपक्वता आय लगातार तीन वर्षों तक प्राप्त नहीं हुई है (या)
- c. कंपनी को पिछले तीन वर्षों में घाटा हुआ है और उसकी पूंजी आंशिक रूप से या पूरी तरह से नष्ट हो गई है (या)
- d. जहां पिछले तीन वर्षों के अंकेक्षित वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं

8.10. निवेश की प्राप्ति/बिक्री पर लाभ या हानि की गणना प्रत्येक निवेश के भारत औसत बुक वैल्यू को घटाकर की जाती है।

8.11. लाभांश आय (अंतरिम लाभांश के अलावा) को घोषणा के वर्ष में आय के रूप में गिना जाता है। अंतरिम लाभांश, भारत के बाहर रखी गई इक्विटी पर लाभांश और वरीयता शेयरों पर लाभांश का हिसाब रसीद के आधार पर किया जाता है। शेयरों और डिबेंचर से होने वाली आय, जो आपत्ति/डिलीवरी के अधीन है, का हिसाब रसीद के आधार पर किया जाता है।

8.12. वेंचर कैपिटल फंड के संबंध में राजस्व की पहचान रसीद के आधार पर की जाती है।

8.13. भविष्य में ब्याज की हानि के लिए मुआवजे के रूप में प्राप्त राशि को केवल लेखांकन वर्ष के कारण होने वाली सीमा तक आय के रूप में मान्यता दी जाती है और शेष राशि को संबंधित वर्षों में विभाजन के लिए अग्रिम खाते में प्राप्त ब्याज में रखा जाता है।

8.14. निवेश आय, बिक्री पर लाभ/हानि/निवेश की वसूली, निवेश से संबंधित व्यय, निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन, मूल्यहास निवेश के संबंध में बट्टे खाते में डाली गई/अवलेखित की गई राशि, गैर-निष्पादित निवेश के लिए प्रावधान/मूल्य में कमी को तुलन



B. Term of Fund (Including Extension)

	Provision
On expiry of term(i.e. original term or term as extended) of fund upto 18 months	Provision as in A above
After 18 months	100%

8.9. Impairment

8.9.1 Impairment is recognized in respect of Equity shares of companies which have been continuously incurring losses during three immediately preceding years and the capital of which has been partially or fully eroded, or where the audited annual accounts for the three immediately preceding years are not available.

8.9.2. Investments are written down as under:

1. Equity shares, which are actively traded, are written down to their market value.
2. Equity shares other than actively traded, are written down to the break up value and where the breakup value is negative, are written down to Re.1/- per company.

8.9.2.1 Any reversal of impairment loss, earlier recognized in Revenue / Profit & Loss account,

- a) in respect of Actively Traded Equity shares, shall be recognized in the Revenue Profit & Loss account
 - i. if the accumulated losses are completely wiped out and
 - ii. The company has shown net profit for three immediately preceding years.
- b) in respect of other than Actively traded equity shares, shall be recognized in the Revenue/ Profit & Loss account, on realization.

8.9.3. The Company follows the prudential norms prescribed by the Insurance Regulatory and Development Authority / Related RBI guidelines as regards asset classification, recognition of income and provisioning pertaining to loans / advances / debentures.

8.9.4. In respect of preference shares, provision for permanent diminution is made to the extent of 100%. The permanent diminution is reckoned as follows:

- a. The preference dividend is not paid for three consecutive years (or)
- b. The maturity proceeds have not been received for three consecutive years (or)
- c. The company has incurred losses in three immediately preceding years and the capital of which has been partially or fully eroded (or)
- d. Where the audited annual accounts for the three immediately preceding years are not available.

8.10. Profit or Loss on realization / sale of investment is computed by deducting the weighted average book value of each investment.

8.11. Dividend income (other than interim dividend) is accounted for as income in the year of declaration. Interim dividends, dividend on Equity held outside India and dividend on Preference Shares are accounted on receipt basis. Income from shares and debentures, which are under objection / pending delivery, is accounted for on receipt basis.

8.12. Revenue with respect to Venture Capital Funds is recognized on Receipt basis.

8.13. Amounts received towards compensation for future loss of interest is recognized as income only to the extent attributable to the accounting year and the balance is kept in interest received in advance account for apportionment in the relevant years.

8.14. Investment income, profit/loss on sale / realization of investment, expenditure relating to investments, amortization of premium on investments, amount written off / written down in respect of depreciated investments, provision for non performing investment / diminution in value are apportioned

पत्र की तारीख के अनुसार पॉलिसी धारकों की निधि और शेयर धारकों की निधि के आधार पर आइआरडीएआइ विनियमन (परिपत्र IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/2016 दिनांक 04 अप्रैल, 2016) के अनुसार राजस्व खातों और लाभ और हानि खाता में विभाजित किया जाता है।

8.15 आइआरडीएआइ विनियमन (परिपत्र IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/2016 दिनांक 04 अप्रैल, 2016) के अनुसार पॉलिसीधारकों की निधि से किए गए निवेश को पृथक किया जाता है और तुलन पत्र की तारीख पर अलग से प्रकट किया जाता है।

9. अ) अचल संपत्ति :

अचल संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत से संचित मूल्यहास घटाकर बताया गया है। प्रत्यक्ष लागतों को तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि संपत्ति उपयोग के लिए तैयार न हो जाए। इन लागतों में माल ढुलाई, स्थापना लागत, शुल्क, कर और अन्य आवंटित खर्च शामिल हैं। इसके अलावा, लागत निकालने में किसी भी व्यापार छूट और छूट में कटौती की जाती है।

ब) अमूर्त संपत्ति:

अमूर्त संपत्तियों को विकास/अधिग्रहण की लागत से संचित परिशोधन घटाकर बताया गया है। इसका परिशोधन सीधी रेखा के आधार पर तीन वर्षों की अवधि में किया जाता है। सॉफ्टवेयर विकास/अधिग्रहण लागत, लेखांकन मानक 26 (एस 26) में निर्धारित मान्यता मानदंडों को पूरा करने वाली लागतों को छोड़कर, राजस्व में ली जाती है।

10. करारोपण

10.1 आयकर व्यय में वर्तमान कर (अर्थात, आयकर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि) और आस्थगित कर शुल्क या क्रेडिट शामिल है (लेखांकन आय और अवधि के लिए कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के कर प्रभावों को दर्शाता है)। आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट और संबंधित आस्थगित कर देनदारियों या परिसंपत्तियों को उन कर दरों का उपयोग करके मान्य किया जाता है जो तुलन पत्र की तारीख के अनुसार अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित की गई हैं।

10.2 वर्तमान कर का प्रावधान लागू न्यायिक घोषणाओं और कंपनी के वकील की राय पर उचित विचार के बाद किया जाता है।

10.3 कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), जो भविष्य की आयकर देनदारी के समायोजन के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ देता है, को एक संपत्ति माना जाता है यदि इस बात का पुख्ता सबूत है कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। तदनुसार, एमएटी को तुलन पत्र में एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब यह संभावना होती है कि इससे जुड़ा भविष्य का आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा।

10.4 आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जब तक कि उचित निश्चितता हो कि परिसंपत्तियों को भविष्य में बेचा जा सकता है। करारोपण कानूनों के तहत अवशेषित मूल्यहास या अशेषित हानि के मामले में, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां आभासी निश्चितता होती है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों का एहसास हो सकता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है।

11. पट्टा शुल्क:

पट्टे, जहां पट्टादाता पट्टे पर दी गई वस्तु के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी ढंग से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। कंपनी के विकल्प पर सभी लीज समझौते रद्द किए जा सकते हैं।

12. प्रावधान और आकस्मिकताएं (पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले दावों के अलावा अन्य दावे)

12.1 कंपनी किसी पिछली घटना के वर्तमान दायित्व के लिए एक विश्वसनीय अनुमान के आधार पर प्रावधान बनाती है जो भविष्य में संसाधनों के बहिर्वाह का कारण बन सकती है।

12.2 किसी आकस्मिक दायित्व का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी।

12.3 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को न तो मान्य किया जाता है और न ही उनका खुलासा किया जाता है।



to Revenue accounts and Profit & Loss account on the basis of Policy holders' Funds and Share holders' Funds as on the Balance Sheet date as per IRDAI Regulation (Circular IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/2016 dated April 04,2016).

8.15 Investments made out of Policyholders' Funds are segregated and disclosed separately as on the Balance Sheet date as per IRDAI Regulation (Circular IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/2016 dated April 04,2016).

9. a) **FIXED ASSETS:**

Fixed assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation. Direct costs are capitalized till the assets are ready to be put to use. These costs include freight, installation costs, duties, taxes and other allocated expenses. Further, any trade discounts and rebates are deducted in arriving at the cost.

b) **INTANGIBLE ASSETS:**

Intangible Assets are stated at cost of development / acquisition less accumulated amortisation. The same is amortised over a period of three years on straight line basis. Software development / acquisition costs, except those which meet the recognition criteria as laid down in Accounting Standard 26 (AS 26), are charged to revenue.

10. TAXATION

10.1 Income tax expense comprises current tax (i.e amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law) and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between the accounting income and taxable income for the period). The deferred tax charge or credit and the corresponding deferred tax liabilities or assets are recognized using the tax rates that have been enacted or substantively enacted as on the balance sheet date.

10.2 Provision for current tax is made after due consideration of the applicable judicial pronouncements and opinions from the company's counsel.

10.3 Minimum Alternate Tax (MAT) paid in accordance with the tax laws, which gives future economic benefits in the form of adjustment to future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax. Accordingly, MAT is recognized as an asset in the Balance Sheet when it is probable that future economic benefit associated with it will flow to the Company.

10.4 Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in future. In the case of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, deferred tax assets are recognized only to the extent there is virtual certainty that the deferred tax assets can be realized. Deferred tax assets are reviewed as at each balance sheet date.

11.LEASE CHARGES

Leases, where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased item, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the lease term. All lease agreements are cancellable at the option of the company.

12.PROVISIONS AND CONTINGENCIES (CLAIMS OTHER THAN THOSE UNDER POLICIES)

12.1 The Company creates provision based on a reliable estimate for the present obligation of a past event that might cause outflow of resources in future.

12.2 Disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may or may not require an outflow of resources.

12.3 Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

नोट्स टू अकाउन्ट्स

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

1. आकस्मिक देनदारियाँ : (₹ '000)

विवरण	31-03-2024	31-03-2023
आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेश पर	1075	1075
पॉलिसियों के अंतर्गत दावों को छोड़कर ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	1874335	1625300
बकाया बीमालेखन प्रतिबद्धताएं (शेयरों और प्रतिभूतियों के संबंध में)	0	0
कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटी	0	0
विवादित वैधानिक मांगों/देनदारियां, जिनकी के लिए प्रावधान नहीं की गई **	61524925	41682481
खातों में प्रदान नहीं की गई सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व	0	0
बकाया साख पत्र	34655	32218

**** नोट्स:**

- विवादित वैधानिक मांगों/देनदारियाँ जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, जिसमें आयकर के संबंध में जुर्माना और ब्याज शामिल नहीं है, हालांकि सेवा कर में जुर्माना और जीएसटी में जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल हैं
- पिछले कुछ वर्षों में कंपनी को अब तक देय रिफंड की राशि ₹5003975 हजार (₹5003975 हजार) को आयकर अधिकारियों ने समायोजित किया है।

2. भारत के भीतर और बाहर कंपनी की संपत्तियों पर भार
(अ) जमा और निवेश (₹ '000)

विवरण	31-03-2024	31-03-2023
साख पत्र / बैंक गारंटी जारी करने के लिए मार्जिन मनी के रूप में जमा	34655	32218
दावों के लिए बैंक खातों की कुर्की/आदेश के अनुसार अदालत में जमा की गई राशि	418632	153589
विदेशी वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए की गई जमाराशियाँ	0	0
6.54% भारत सरकार 2032 { अंकित मूल्य रु. 46,800 हजार } (6.54% भारत सरकार 2032) { अंकित मूल्य रु. 46,800 हजार } को सीबीएलओ (टीआरईपी) ऑपरेशन के लिए विलियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जमा कर दिया गया है।	44702	44702
कैश मार्केट में संस्थागत ट्रेडों की मार्जिनिंग के संबंध में सेबी का परिपत्र दिनांक 19.03.2008 के अनुपालन में 6.22% भारत सरकार 2035 { अंकित मूल्य रु. 3,00,000 हजार } (पिछले वर्ष - 6.22% भारत सरकार 2035 अंकित मूल्य रु. 3,00,000 हजार) को स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुपालन में मार्जिन मनी के माध्यम से जमा किया गया है।	287866	287866

(ब) वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किया गया निवेश: शून्य
(स) अग्रिम और जमा में सम्मिलित हैं: -

- सीबीएलओ (टीआरईपी) ऑपरेशन के माध्यम से विलियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास मार्जिन मनी के रूप में ₹500 हजार (₹500 हजार) जमा किए गए।

3. ऋण, निवेश और अचल संपत्तियों के संबंध में की गई प्रतिबद्धताएं और बकाया: (₹ '000)

विवरण	31-03-2024	31-03-2023
ऋण और निवेश(अनुमानित)	190000	190000
संपदाओं के लिए प्रतिबद्धताएं	379103	814542
ईडीपी/कोर इश्यूरेन्स प्रोजेक्ट के लिए प्रतिबद्धताएं	81189	29070
स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क और लंबित परिवहन (पर अनुमानित) **	73157	83733

**** दिसंबर 2022 में किए गए उचित मूल्य अनुमान के अनुसार**

NOTES TO ACCOUNTS

To the members of United India Insurance Company Limited

1. Contingent Liabilities: (₹ '000)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
On partly paid investments	1075	1075
Claims other than those under policies, not acknowledged as debts	1874335	1625300
Underwriting commitments outstanding (in respect of shares and securities)	0	0
Guarantees given by or on behalf of the Company	0	0
Statutory demands / liabilities in dispute, not provided for*	61524925	41682481
Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts	0	0
Outstanding Letter of Credit	34655	32218

*Notes:

- Statutory demands / liabilities in dispute not provided for do not include penalty and interest in respect of Income Tax, however service tax include penalty and GST include penalty and interest accrual both.
- The Income Tax authorities have adjusted, over the years, the refund due until date to the company amounting to ₹ 5003975 thousands (₹5003975 thousands).

2. Encumbrances to assets of the company within and outside India.

(a) Deposits and Investments (₹ '000)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
Deposits towards margin money for issue of letters of credit / bank guarantee	34655	32218
Deposits made in court as per orders / attachments of bank accounts for claims	418632	153589
Deposits made to comply with Overseas Statutory requirements	0	0
6.54% GOI 2032 {Face Value Rs.46,800 thousands} (6.54% GOI 2032) {Face Value Rs.46,800 thousands} has been deposited with Clearing Corporation of India for CBLO (TREP) operation	44702	44702
6.22% GOI 2035 {Face Value Rs.3,00,000 thousands} (Previous year - 6.22% GOI 2035 {Face Value Rs.3,00,000 thousands} has been deposited with Stock Holding Corporation of India Ltd by way of margin money in compliance with SEBI circular dated 19.03.2008 regarding Margining of Institutional Trades in the Cash Market.	287866	287866

(b) Investments made in accordance with statutory requirements: NIL

(c) Advances and Deposits include: -

- ₹ 500 thousands (₹ 500 thousands) deposited with Clearing Corporation of India by way of margin money CBLO (TREP) Operation.

3. Commitments made and outstanding on account of loans, investments and fixed assets: (₹ '000)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
Loans and Investment (Estimated)	190000	190000
Commitments for Estates	379103	814542
Commitments for EDP/Core Insurance Project	81189	29070
Stamp duty and Registration charges and pending conveyance (estimated at)**	73157	83733

**As per Fair value estimation done in December 2022

4. दावों में से घटाया गया पुनर्बीमा, भारत में/ बाहर के दावेदारों को किया गया भुगतान: (₹ '000)

व्यवसाय	भारत में		भारत से बाहर	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
अग्नि	6527248	6544020	59144	40152
समुद्री	1263419	1355021	11606	10138
विविध	141872534	126709674	18879	94830
कुल	149663201	134608715	89629	145120

5. कंपनी के निवेश के बही आंकड़ों और एसएचसीआईएल (कस्टोडियन) से प्राप्त पुष्टि के बीच मिलान से उत्पन्न निवेश में अंतर को निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया है: (₹ '000)

विवरण	स्वरूप		31-03-2024	31-03-2023
ईक्विटी और अधिमान शेयर	कम	बही मूल्य	शून्य	शून्य
ऋणपत्र	कम	बही मूल्य	4947	4947
कुल	कम	बही मूल्य	4947	4947
ईक्विटी और अधिमान शेयर	आधिक्य	अंकित मूल्य	शून्य	शून्य

6. 31.03.2024 तक बकाया दावों का आयु-वार विश्लेषण अनुबंध-1 में संलग्न है।
7. भारत के अंदर/बाहर व्यवसाय से लेखन किया गया प्रीमियम में से घटाया गया पुनर्बीमा: (₹ '000)

व्यवसाय	भारत में		भारत से बाहर	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
अग्नि	8163101	8990666	91926	95491
समुद्री	2220262	2151116	24873	24374
विविध	164453403	142676072	45121	30656
कुल	174836766	153817854	161920	150521

8. निवेश की खरीद के संबंध में, डिलीवरी ₹ 43589 हजार (₹ 96029 हजार) की सीमा तक लंबित है और निवेश की बिक्री के संबंध में शून्य (₹ 892728 हजार) 31.03.2024 तक अतिदेय है।
9. आय के पहचान के उद्देश्य से निवेशों को निष्पादित और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में पृथक करना

(₹ '000)

विवरण	31-03-2024	31-03-2023
प्रदर्शित परिसंपत्ति	321890592	322241938
गैर प्रदर्शित परिसंपत्ति	4305232	5357658
कुल	326195824	327599597

संबंधित आईआरडीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए (छूट/संग्रह का शुद्ध) पर चालू लेखा वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त आय की कुल राशि ₹ 2278986 हजार (₹ 1635455 हजार) है और 31.03.2024 तक ₹ 15582236 हजार (₹ 13303250 हजार) है।

4. Claims less reinsurance, paid to claimants in/outside India:

(₹ '000)

Business	In India		Outside India	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
Fire	6527248	6544020	59144	40152
Marine	1263419	1355021	11606	10138
Miscellaneous	141872534	126709674	18879	94830
Total	149663201	134608715	89629	145120

5. Differences in investment, arising out of the reconciliation between the book figures and the confirmation received from SHCIL (Custodian) of the Company's investments are tabulated as under.

(₹ '000)

Particulars	Nature		31-03-2024	31-03-2023
Equity and Preference Shares	Short	Book Value	Nil	Nil
Debentures	Short	Book Value	4947	4947
Total	Short	Book Value	4947	4947
Equity and Preference Shares	Excess	Face Value	Nil	Nil

6. Age wise Analysis of Outstanding Claims as at 31.03.2024 are enclosed in Annexure-I.

7. Premium less reinsurance written from business in/outside India:

(₹ '000)

Business	In India		Outside India	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
Fire	8163101	8990666	91926	95491
Marine	2220262	2151116	24873	24374
Miscellaneous	164453403	142676072	45121	30656
Total	174836766	153817854	161920	150521

8. In respect of Purchases of Investments, deliveries are pending to the extent of ₹43589 thousands (₹96029 thousand) and in respect of sale of investments Nil (₹892728 thousand) is overdue as on 31.03.2024.

9. Segregation of Investments into performing and non-performing assets for the purpose of Income recognition:

(₹ '000)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
Performing Assets	321890592	322241938
Non-Performing Assets	4305232	5357658
Total	326195824	327599597

The aggregate amount of income not recognized for the current accounting year on NPA (net of waiver/ collections) as per related IRDAI guidelines is ₹2278986 thousand (₹1635455 thousands) and up to 31.03.2024 is ₹ 15582236 thousands (₹ 13303250 thousands).

10. 31-03-2024 को ऋण संपत्तियाँ पुनर्गठन के अधीन हैं (₹ '000)

क्र.सं.	विवरण	31-03-2024	31-03-2023
1	पुनर्गठन के अधीन ऋण परिसंपत्तियों की कुल राशि	66297	66297
2	पुनर्गठन के अधीन मानक परिसंपत्तियों की राशि	0	0
3	पुनर्गठन के अधीन उप-मानक परिसंपत्तियों की राशि	0	0
4	संदिग्ध और पुनर्गठन के अधीन अन्य परिसंपत्तियों की राशि	66297	66297

11. आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम 2002 की अनुसूची बी के भाग I के अनुसार, ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों' के रूप में माना जाएगा और परिशोधन के अधीन ऐतिहासिक लागत पर मापा जाएगा। प्रीमियम का परिशोधन, पुट/कॉल विकल्प, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए, परिपक्वता की शेष अवधि में किया जाता है।

12. आईआरडीएआइ द्वारा निर्धारित विनियमन के अनुसार, सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले ₹62525745 हजार (₹36783513 हजार) की अवास्तविक लाभ / हानि (शुद्ध) को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है। ऐसे निवेशों की ऐतिहासिक लागत (बढ़े खाते में डालने का शुद्ध) ₹68427455 हजार (₹76796450 हजार) थी। वसूली के लिए लंबित के कारण, उचित मूल्य परिवर्तन खाते में क्रेडिट शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

13. उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित निवेशों के बाजार मूल्य और ऐतिहासिक लागतों का विवरण इस प्रकार है: (₹ '000)

विवरण	बाजार मूल्य		ऐतिहासिक लागत		उचित मूल्य परिवर्तन	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
ईक्विटी शेयर	124196156	106122734	61844353	69636573	62351803	36486161
म्यूचुअल फंड	6757044	7457229	6583102	7159877	173942	297352
कुल	130953200	113579963	68427455	76796450	62525745	36783513

14. परिपत्र संख्या IRDA/F&I/CIR/INV/250/12/2012 दिनांक 04.12.2012 के अनुसार, रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन में एक्सपोजर का विवरण नीचे दिया गया है: (₹ '000)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम लंबित		वर्ष के दौरान अधिकतम लंबित		वर्ष के दौरान दैनिक औसतन लंबित		को लंबित	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ								
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ								
(iii) सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10. Loan assets subject to Restructuring as on 31-03-2024

(₹ '000)

Sl.No	Particulars	31-03-2024	31-03-2023
1	Total amount of loan assets subjected to restructuring	66297	66297
2	The amount of standard assets subjected to restructuring	0	0
3	The amount of Sub-Standard assets subjected to restructuring	0	0
4	The amount of Doubtful and other assets subjected to restructuring	66297	66297

11. As per Part I of Schedule B of IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations 2002, Debt Securities shall be considered as 'Held to Maturity Securities' and shall be measured at Historical costs subject to amortization. Amortization of premium is done over the residual period of maturity, considering put/ call option, if any.
12. In accordance with the regulation prescribed by IRDAI, unrealized gains / losses (net) amounting to ₹ 62525745 thousands (₹ 36783513 thousands) arising due to changes in the fair value of listed equity shares and mutual funds are taken to Fair Value Change Account. The historical cost (net of write off) of such investments amounted to ₹ 68427455 thousands (₹ 76796450 thousands). Pending realization, the credit balance in the fair value change account is not available for distribution.
13. Break up of Market value and historical costs of investments which have been valued on fair value basis are as follows:

(₹ '000)

Particulars	Market Value		Historical Cost		Fair value change	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
Equity Shares	124196156	106122734	61844353	69636573	62351803	36486161
Mutual fund	6757044	7457229	6583102	7159877	173942	297352
Total	130953200	113579963	68427455	76796450	62525745	36783513

14. In accordance with Circular No IRDA/F&I/CIR/INV/250/12/2012 dated 04.12.2012, the details of exposure in Repo/ Reverse Repo transactions are given below :

(₹ '000)

Particulars	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily Average Outstanding during the year		Outstanding as on	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
Securities Sold under Repo								
(i) Government Securities	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
(ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under Reverse Repo								
(iii) Government Securities	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
(iv) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

15. कंपनी ने आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों पर आइआरडीएआइ नियमों के अनुसार निम्नलिखित गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (ऋणपत्र) के संबंध में प्रावधान किए हैं:

- रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) - 31.03.2023 तक किए गए 872692 हजार (872692 हजार रुपये) रुपये के प्रावधान को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उलट दिया गया है, क्योंकि उक्त निवेश की पूरी राशि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बड़े खाते में डाल दी गई है।

16. कंपनी के पास रियल एस्टेट निवेश संपत्ति नहीं है।

17. ब्याज, लाभांश और किराया सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम और स्वीकृत पुनर्बीमा के आधार पर राजस्व खातों में विभाजित किया जाता है, जिसमें समुद्री व्यवसाय के लिए 75% और अग्नि और विविध व्यवसाय के लिए 100% का महत्व दिया जाता है।

18. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 31.03.2024 तक ₹ 75000000 हजार है। कंपनी की चुकता पूंजी ₹ 390500000 हजार है (प्रत्येक ₹ 10 मूल्य के 3905000000 शेयर)।

19. 31 मार्च 2024 को सॉल्वेंसी मार्जिन (-) 0.59 है। कंपनी बोर्ड से अनुमोदन के बाद सॉल्वेंसी मार्जिन की गणना के लिए उचित मूल्य परिवर्तन खाते में शेष राशि की 100% छूट की मांग करेगी। यदि स्वीकृत हो जाता है, तो सॉल्वेंसी मार्जिन 0.69 हो जाएगी।

20. प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना:

प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना से संबंधित खुलासा नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के तहत कंपनी (एक सरकारी कंपनी होने के नाते) पर लागू नहीं होते हैं।

21. विवादित मामलों को छोड़कर, निपटाया गया कोई भी बीमा दावा बैलेंस शीट की तारीख - शून्य (शून्य) पर छह महीने से अधिक समय तक भुगतान के लिए लंबित नहीं रखा गया है।

22. अचल संपत्तियों में शामिल हैं:-

- A) भूमि-लीजहोल्ड में बैंगलोर फाइनेंशियल सिटी में आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) से खरीदी गई लगभग 1 एकड़ भूमि शामिल है, जिसकी राशि उप-लीज-सह-बिक्री समझौते पर 39761 हजार (₹ 39761 हजार) है, जिसे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्माण पूरा होने के बाद कंपनी के

नाम पर पंजीकृत किया जाएगा। सिविल निर्माण कार्य पूरा करने और गतिविधि/व्यवसाय शुरू करने का समय दिसंबर 2018 तक दिया गया था। चूंकि कई उप आवंटियों ने निर्माण पूरा नहीं किया है, केआइएडीबी ने 3 सितंबर, 2018 के अपने पत्र के माध्यम से समय के और विस्तार की मंजूरी के लिए राज्य उच्च स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी समिति (एसएचएलएसडब्ल्यूसीसी) आइआईडीएल को संपर्क करने की सलाह देते हुए अपने बोर्ड निर्णय की सूचना दी। इस बीच, कंपनी ने साइट पर कंपाउंड वॉल का निर्माण कर लिया है। 16.02.2021 को सभी उप पट्टेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक के दौरान, केआइएडीबी द्वारा 30 सितंबर 2022 तक दो साल के लिए विस्तार दिया गया जिसके अनुसार सभी उप पट्टेदारों द्वारा विस्तारित समयसीमा के भीतर निर्माण पूरा किया जाएगा। अक्टूबर 2023 में, आइआईडीएल ने फाइनेंशियल सिटी, बेंगलुरु के उप-पट्टेदारों द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अवधि के पट्टे के नवीनीकरण और समय के विस्तार के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

B) ₹ 73157 हजार (₹ 102529 हजार) मूल्य की इमारतें संप्रेषण और पंजीकरण के लिए लंबित हैं।

C) अनुसूची 10 (स्थिर संपत्ति) में शामिल फ्रीहोल्ड भूमि के तहत ₹ 16 हजार (₹ 241 हजार) की 2 संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व विलेख युनाइटेड इंडिया इश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ विलय की गई पूर्ववर्ती कंपनियों के नाम पर हैं। एक लीज डीड के लिए एलिस ब्रिज, अहमदाबाद में ₹ 2334 हजार (₹ 2334 हजार) मूल्य की लीजहोल्ड संपत्ति उपलब्ध नहीं है।

D) कंपनी ने प्रधान कार्यालय हेतु चेन्नई में एक भवन का निर्माण किया है। भले ही कंपनी ने मार्च 2024 के दौरान संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, लेकिन विभिन्न घटकों का विवरण देने वाला अंतिम बिल आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, कंपनी ने परिसंपत्तियों का पंजीकरण नहीं किया है।

23.

A. जीआईसी रे द्वारा प्रशासित पूल में कंपनी निम्नलिखित की सदस्य है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लिखित प्रीमियम को पूल को सौंप दिया जाता है और पूल मैनेजर द्वारा सौंप दिया गया इनवर्ड को प्राप्त एसओए के अनुसार रिट्रोसेशन के रूप में गिना जाता है।

ए) भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल (आइएमटीआरआईपी): पूल की कुल क्षमता 2000,00,00 हजार है। वर्ष 2023- 24 के लिए हमारा रेट्रो हिस्सा कुल पूल का 12.50% था।



15. The Company has made provisions in respect of the following non -performing assets (Debentures) as per IRDAI regulations on Income recognition, Asset classification, provisioning and other related matters:

- Reliance Home Finance Ltd (RHFL) - Provision of ₹ 872692 thousands (₹ 872692 thousands) made upto 31.03.2023 has been reversed during the current financial year, as the entire amount of the said investment has been written off during the current financial year based on the approval of the Competent Authority.

16. The Company does not have Real Estate Investment Property.

17. Interest, Dividends and Rent are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of gross direct premium plus reinsurance accepted, giving weightage of 75% for Marine business and 100% for Fire and Miscellaneous business.

18. The Authorized Share capital of the Company is at ₹ 75000000 thousands as of 31.03.2024. The Paid up capital of the Company is ₹39050000 thousands (3905000000 shares of ₹ 10 each)

19. The Solvency margin as on 31st March 2024 is (-) 0.59. The Company will seek 100% forbearance of balance in Fair value change account for calculation of Solvency Margin after approval from the Board of the company. If approved, the Solvency margin would be 0.69 .

20. Computation of Managerial Remuneration:

Disclosure relating to computation of managerial remuneration has not been made as the provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the company (being a government company) vide Ministry of Corporate Affairs notification no. GSR463 (E) dated 5th June, 2015.

21. Barring disputed cases, no settled insurance claim remained unpaid for more than six months as on the Balance Sheet date –NIL (NIL).

22. Fixed Assets include: -

- A) Land- Leasehold includes land measuring about 1 acre purchased from IFCI Infrastructure Development Ltd (IIDL) at Bangalore Financial City, amounting to ₹ 39761 thousands (₹ 39761 thousands) on sub - lease - cum - sale agreement, which will be registered in the name of the

Company after completion of construction within the time limit specified therein. The time for completion of civil construction work and commencement of activity/business was given up to December 2018. As many of the sub allottees have not completed construction, KIADB vide its letter dated 3rd September, 2018 informed its board decision advising IIDL to approach the State High Level Single Window Clearance Committee (SHLSWCC) for approval of further extension of time. In the meanwhile, the Company has constructed compound wall at the site. During the meeting held on 16.02.2021 through video conference with all sub lessees, extension for two years up to 30th September 2022 was granted by KIADB and construction to be completed by all the sub lessees within the extended timeline. In October 2023, IIDL submitted application for renewal of lease of period and extension of time for implementation of project by Sub- lessees of Financial City, Bengaluru.

B) Buildings valued at ₹73157thousands (₹102529 thousands) are pending for Conveyance and Registration.

C) Title deeds in respect of 2 properties of ₹ 16 thousands (₹ 241 thousands) under the Freeholdlands included in schedule 10(Fixed Assets) are in the name of erstwhile companies merged with United India Insurance Co. Ltd. Onelease deed for leasehold property at Ellis Bridge, Ahmedabad valued at ₹2334 thousands (₹2334 thousands) is not available.

D) The company has constructed a building at Chennai for Head office purpose. Even though the company occupied the property during March 2024, the final bill giving the break of various components has not been received till date. Hence, the company has not capitalized the assets.

23.

A. The Company is a member of the following Pools administered by GIC Re, wherein premium underwritten on the direct side are ceded to the pool and Inward accounted as Retrocession ceded by the Pool Manager as per SOAs received.

- a) Indian Market Terrorism Risk Insurance Pool (IMTRIP): Total capacity of the Pool is ₹ 2000,00,00 thousands. For the year 2023-24 our Retro share was 12.50% of total Pool.

बी) भारत परमाणु पूल बीमा (आईएनआईपी): पूल की कुल क्षमता ₹ 1500,00,00 हजार है। हमारी भागीदारी ₹ 200,00,00 हजार है।

सी) बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए समुद्री कार्गो पूल (एम सीईटीपी): पूल की कुल क्षमता ₹ 484,80,00 हजार है। हमारी क्षमता ₹ 20,00,00 हजार है।

B. वर्ष के दौरान, बकाया विदेशी आवक दावों की समीक्षा की गई और ऐसे दावे, जहां पांच साल से अधिक समय से पुनर्बीमाधारक की ओर से कोई जानकारी या पत्राचार नहीं किया गया है, वह ₹ 511702 हजार (शून्य) की राशि को बकाया दावों से उलट दिया गया है।

24. हांगकांग स्थित कंपनी की एजेंसी ने 01.04.2002 से बीमालेखन परिचालन बंद कर दिया है और रन ऑफ परिचालन से संबंधित लेनदेन का हिसाब-किताब किया गया है। अंतिम आइबीएनआर/आइबीएनइआर रिपोर्ट लंबित होने के कारण, पिछले वर्ष के लिए एक्चुअरी की रिपोर्ट पर आधारित शून्य प्रावधान पर वर्तमान वर्ष के लिए विचार किया गया है। कंपनी ने 2023-24 के दौरान रन ऑफ परिचालन के प्रबंधन के लिए ₹ 2442 हजार (₹ 2371 हजार) की राशि खर्च की और वर्ष के दौरान ₹ 26151 हजार की राशि के सभी तीन दावों का निपटान कर दिया गया है और 31.03.2024 तक कोई बकाया नहीं है।

25. बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, 31 मार्च 2024 को आइबीएनआर/आइबीएनइआर रिजर्व ₹ 120632640 हजार (₹ 123426786 हजार) है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष में की गई अतिरिक्त प्रावधान राशि ₹ 3961526 हजारों के मुकाबले चालू वर्ष में प्रावधान में कमी होकर ₹ 2794146 हजार हो गई है।

26. तुलन पत्र की तारीख के अनुसार अंतर-कार्यालय खाता शेष का समाधान कर दिया गया है और पिछले वर्ष के ₹ 378 हजार क्रेडिट बैलेंस की तुलना में चालू वर्ष में कोई अंतर नहीं है।

27. बीमा व्यवसाय चलाने वाले अन्य व्यक्तियों या निकायों से देय / देय शेष राशि का समय-समय पर निपटान किया जाता है। हालाँकि, वर्ष के अंत की शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

- पुनर्बीमा के संबंध में, खातों के विवरण के आधार पर ब्रोकरों / पुनर्बीमाकर्ताओं को निपटान किया जाता है। हालाँकि, वर्ष के अंत की शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी संबंधित खाता प्रमुखों के लिए पुनर्बीमाकर्ताओं से देय / देय से संबंधित ₹ 294.80 करोड़ की प्रविष्टियों को पुनः समूहित करने की प्रक्रिया में है और इसका वित्तीय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- जमा, अग्रिम और अन्य खातों में विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र/राज्य सरकार से वसूली योग्य ₹ 4431494 हजार (₹ 2269266 हजार) की राशि शामिल है।

(₹ '000)

	31-03-2024 को	31-03-2023 को
1 वर्ष से कम	3038920	794988
1 - 3 वर्ष	0	81704
3 वर्ष से अधिक	1392574	1392574
कुल	4431494	2269266

- अन्य अग्रिमों में ₹ 541361 हजार (₹ 561987 हजार) की राशि शामिल है जो बकाया जीएसटी इनपुट क्रेडिट शेष को प्रदर्शित करती है, जिसमें से मार्च 2024 के महीने में ₹ 76247 हजार का लाभ उठाया गया है और शेष ₹ 465114 हजार के लिए, जीएसटी अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट नियत तारीख से पहले जीएसटी पोर्टल में विक्रेताओं द्वारा दायर मिलान चालान के समाधान पर युइंडेक दावा करने के लिए पात्र है। कंपनी ने निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए विवादित आयकर के रूप में 2023-24 के दौरान ₹ 5800000 हजार का भुगतान किया है।

- वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी का हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जीआईसी एचएफएल) के पक्ष में 29 मार्च 2019 के वचन पत्र के अनुसार 8.4 % प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ₹ 144.32 करोड़ की सीमा तक सौंपा गया है।

31 मार्च 2018 तक आवास ऋण शेष, जहां ऋण 6 महीने से अधिक (90%) के लिए नियमित रूप से चुकाया गया है और 6 महीने से कम (80%) जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में सौंपा गया है, वहाँ जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से मूल दस्तावेजों को युइंडेक द्वारा ट्रस्ट में रखा जाएगा। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ सहमति के अनुसार 8.4% ब्याज और कर्मचारियों से वसूल की गई ब्याज राशि के बीच का अंतर कंपनी द्वारा अवशोषित किया जाता है।

28.

अ) आईआरडीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन अनुपात अनुबंध II में दिए गए हैं।

ब) आइआरडीआई द्वारा निर्धारित प्रारूप में खंडीय रिपोर्टिंग को वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियों के साथ दी गई है।



- b) India Nuclear Pool Insurance (INIP): Total Capacity of the Pool is ₹1500,00,00 thousands. Our participation is ₹ 200,00,00 thousands
- c) Marine Cargo Pool for Excluded Territories (MCETP): Total Capacity of the Pool is ₹ 484,80,00 thousands. Our capacity is ₹ 20,00,00 thousands

B. During the year, Foreign Inward claims outstanding were reviewed and claims, where there are no information or correspondence from the reinsured for more than five years amounting to ₹ 511702 thousands (NIL).

24. The Company's Agency at Hong Kong ceased underwriting operations with effect from 01.04.2002 and the transactions relating to run off operations have been accounted. Pending final IBNR/IBNER report, the NIL provision based on the Actuary's report for the previous year has been considered for current year. The company incurred a sum of ₹2442 thousands (₹2371 thousands) towards expenditure for managing the Run off operations during 2023-24 and all three claims amounting to ₹ 26151 thousands was settled during the year and there is no outstanding as on 31.03.2024.

25. As per the Actuarial Valuation, the IBNR/IBNER Reserves as on 31st March 2024 is ₹120632640 thousands (₹ 123426786 thousands), resulting in decrease in provisioning in the current year amounting to ₹ 2794146 thousands against the additional provision amounting to ₹ 3961526 thousands in previous year.

26. Inter-Office account balances has been reconciled as on the balance sheet date and there is no difference in current year as against ₹378 thousand {credit balance} in previous year.

27. Balances Due from / Due to other persons or bodies carrying on Insurance business, are settled periodically. However, confirmations of balance have not been received for year-end balances.

- In respect of Reinsurance, settlements are effected to brokers/reinsurers based on statement of accounts. However, confirmations of balance have not been received for year-end balances. The company is in the process of regrouping of entries amounting to ₹ 294.80 Crores relating to Due from / Due to reinsurers to respective account heads and there will be no impact on financials.

- Deposits, Advances & Other Accounts include a sum of ₹ 4431494 thousands (₹2269266 thousands) recoverable from Central / State Government towards various schemes.

(₹ '000)

	As on 31-03-2024	As on 31-03-2023
Less than 1 year	3038920	794988
1 – 3 years	0	81704
More than 3 years	1392574	1392574
Total	4431494	2269266

- Other Advances includes a sum of ₹541361 thousands (₹561987 thousands) which represents outstanding GST input credit balance out of which, ₹ 76247 thousands has been availed in the month of March 2024 and for remaining ₹ 465114 thousands, UIIC is eligible to claim upon reconciliation of matching invoices filed by vendors in GST portal before the due date specified by the GST Act. The company paid ₹ 5800000 thousand during 2023-24 as disputed income tax for AY 2018-19.
- During the year 2018-19, the Housing Loan Portfolio of the Company has been assigned in favour of GIC Housing Finance Ltd. (GIC HFL) to the extent of ₹ 144.32 crores as per undertaking dated 29th March 2019 at an interest rate of 8.4% p.a.

Housing Loan Balances as on 31st March 2018, where the loan has been serviced regularly for more than 6 months (90%) and less than 6 months (80%) has been assigned in favour of GIC Housing Finance Ltd. The original Property documents will be held in trust by UIIC on behalf of GIC Housing Finance Ltd. The difference between interest of 8.4% as agreed with GIC Housing Finance Ltd and the interest amount recovered from the employees is absorbed by the Company.

28.

- a) Accounting Ratios as prescribed by IRDAI are given in Annexure II.
- b) Segmental reporting in the format prescribed by IRDAI is given along with Schedules forming part of Financial Statements.

स) आइआरडीएआइ द्वारा निर्धारण के अनुसार पिछले पांच वर्षों के वित्तीय विवरणों का सारांश अनुबंध III में दिया गया है।

29. पेंशन

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 1627 (ई) दिनांक 23.04.2019 के माध्यम से 1995 से पहले कंपनी की सेवाओं में शामिल हुए सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों के लिए सामान्य कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एक अंतिम विकल्प को मंजूरी दी थी। बीमांकिक के मूल्यांकन के अनुसार, इस योजना के तहत पेंशन का विकल्प चुनने वाले मौजूदा कर्मचारियों के संबंध में भविष्य की देनदारी ₹ 12655948 हजार है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र संदर्भ 411/एफ&ए(एनएल)/अमोर्ट-ईबी/2019-20/125 दिनांक 07-07-2020 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 से पांच साल की अवधि में कंपनी के मौजूदा कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना 1995 का विस्तार के कारण भविष्य में उत्पन्न होने वाली ₹ 12655948 हजार की अतिरिक्त पेंशन देयता के परिशोधन की अनुमति दी है।

तदनुसार, कंपनी ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए कुल देनदारी का पांचवां हिस्सा, जो कि राशि ₹ 2531190 हजार है, को अवशोषित कर लिया है। भविष्य की देनदारी की कोई भी अवशोषित राशि अब नहीं है।

(₹ '000)

पेंशन	
विवरण	योजना के विस्तार के लिए परिशोधित राशि
कुल देयता	12655948
2019-20 में अवशोषित	2531190
2020-21 में अवशोषित	2531190
2021-22 में अवशोषित	2531190
2022-23 में अवशोषित	2531190
2023-24 में अवशोषित	2531188

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ

(i) भविष्य निधि

योग्य कर्मचारी (जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना है) को भविष्य निधि से लाभ मिलता है, जो एक परिभाषित लाभ योजना है। सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अक्षमता या रोजगार समाप्ति पर ब्याज सहित कुल योगदान का भुगतान किया जाता है। कर्मचारी और कंपनी दोनों युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कर्मचारी भविष्य निधि

ट्रस्ट में कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर मासिक योगदान करते हैं। ट्रस्ट के निवेश से रिटर्न और ट्रस्ट द्वारा अधिसूचित ब्याज दर के बीच यदि कोई कमी है, तो उसे पूरा करना कंपनी का दायित्व है।

कंपनी ने राजस्व खातों और लाभ और हानि खाते में भविष्य निधि योगदान के लिए ₹ 31414 हजार (₹ 1899807 हजार) को मान्यता दी।

(ii) उपदान

कंपनी पात्र कर्मचारियों को कवर करते हुए उपदान, एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना ("ग्रेच्युटी योजना") प्रदान करती है। उपदान योजना निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अक्षमता या रोजगार की समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और रोजगार के कार्यकाल के आधार पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है। पांच साल की सेवा पूरी होने पर वेस्टिंग होती है। उपदान योजना के संबंध में देनदारियां तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिसके आधार पर, कंपनी युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट ("ट्रस्ट") में सभी सुनिश्चित देनदारियों का योगदान करती है। न्यास में किए गए योगदान का प्रबंधन न्यासी करते हैं और योगदान को कानून द्वारा अनुमति के अनुसार विशिष्ट निवेशों में निवेश किया जाता है।

(iii) (a) सेवानिवृत्ति / पेंशन

कंपनी पात्र कर्मचारियों को कवर करते हुए मासिक पेंशन, एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना ("पेंशन योजना") प्रदान करती है। पेंशन योजना कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु तक मासिक पेंशन प्रदान करती है। मासिक पेंशन संबंधित कर्मचारी के वेतन और रोजगार के कार्यकाल पर आधारित है। दस वर्ष की सेवा पूरी होने पर वेस्टिंग होती है। कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम से वार्षिकी खरीदकर मासिक पेंशन का भुगतान करती है। पेंशन योजना के संबंध में देनदारियां तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिसके आधार पर, कंपनी सभी सुनिश्चित देनदारियों को युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज पेंशन फंड ट्रस्ट ("ट्रस्ट") में योगदान करती है। न्यास में किए गए योगदान का प्रबंधन न्यासी करते हैं और योगदान को कानून द्वारा अनुमति के अनुसार विशिष्ट निवेशों में निवेश किया जाता है।

(iii) (b) नई सेवानिवृत्ति/नई पेंशन

नई पेंशन योजना जो 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है जो एक परिभाषित योगदान योजना है। कंपनी पूर्व निर्धारित



- c) A summary of financial statements for the last five years in the manner prescribed by IRDAI is given in Annexure III.

29. Pension

Government of India vide gazette notification no 1627(E) dated 23.04.2019 approved a final option to the Retired and existing Employees who have joined the services of the Company before 1995 to opt for Pension under General Employees' Pension Scheme 1995. As per Actuarial valuation, the future liability in respect of existing employees who have opted for pension under this scheme is ₹ 12655948 thousands.

Insurance Regulatory and Development Authority of India, vide its letter Ref 411/F&A(NL) /Amort-EB/2019-20/125 dated 07-07-2020, has allowed amortization, of additional future Pension liability of ₹ 12655948 thousands arising out of extension of Pension Scheme 1995 to the existing employees of the company, over a period of five years with effect from financial year 2019-20.

Accordingly, the company has absorbed one fifth of the total liability, amounting to ₹ 2531190 thousands each during the years 2019-20 till 2023-24. There is no unabsorbed amount of future liability.

(₹ '000)

Pension	
Particulars	Amount Amortized for Extension of Scheme
Total liability	12655948
Absorbed in year 2019-20	2531190
Absorbed in year 2020-21	2531190
Absorbed in year 2021-22	2531190
Absorbed in year 2022-23	2531190
Absorbed in year 2023-24	2531188

Retirement benefits to employees

(i) Provident fund

Eligible employees (employees not opted for pension plan) receive benefits from the provident fund, which is a defined benefit plan. Aggregate contributions along with interest thereon are paid at retirement, death, incapacitation or termination of employment. Both the employee and the Company make monthly contributions to the United India Insurance Employee's Provident Fund Trust equal to a specified percentage of the covered employee's salary. The Company has an obligation to make good the shortfall, if any,

between the return from the investments of the trust and the interest rate notified by the trust.

The Company recognized ₹ 31414 thousands (₹1899807 thousands) for provident fund contribution in the Revenue Accounts.

(ii) Gratuity

The Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan (the "Gratuity Plan") covering eligible employees. The Gratuity Plan provides a lump sum payment to vested employees at retirement, death, incapacitation or termination of employment, of an amount based on the respective employee's salary and the tenure of employment. Vesting occurs upon completion of five years of service. Liabilities with regard to the Gratuity Plan are determined by actuarial valuation as of the balance sheet date, based upon which, the company contributes all the ascertained liabilities to the United India Insurance Employees' Gratuity Fund Trust (the "Trust"). Trustees administer contributions made to the Trust and contributions are invested in specific investments as permitted by law.

(iii) (a) Superannuation/ Pension

The Company provides for monthly pension, a defined benefit retirement plan (the "pension Plan") covering eligible employees. The pension Plan provides a monthly pension after retirement of the employees till death. The Monthly pension is based on the respective employee's salary and the tenure of employment. Vesting occurs upon completion of ten years of service. The company pays the monthly pension by purchasing the annuity from Life Insurance Corporation of India. Liabilities with regard to the pension Plan are determined by actuarial valuation as of the balance sheet date, based upon which, the company contributes all the ascertained liabilities to the United India Insurance Employees' Pension Fund Trust (the "Trust"). Trustees administer contributions made to the Trust and contributions are invested in specific investments as permitted by law.

(iii) (b) New Superannuation / New Pension

New pension scheme which is applicable to employees who joined the company on or after 1st April 2010 is a defined contribution scheme. The company pays fixed contribution at predetermined rate and the obligation of the company is limited to such fixed contribution.

दर पर निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान तक ही सीमित है। कंपनी ने राजस्व खाते में पेंशन अंशदान के लिए ₹ 419778 हजार (₹ 492354 हजार) की मान्यता दी है।

(iv) अवकाश नकदीकरण

कंपनी के कर्मचारी अवकाश नकदीकरण के हकदार हैं। कर्मचारी अप्रयुक्त अर्जित अवकाश नकदीकरण के एक हिस्से को आगे ले जा सकते हैं और भविष्य की अवधि में इसका उपयोग कर सकते हैं या अधिकतम 240 दिनों के लिए अप्रयुक्त अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए सेवानिवृत्ति या रोजगार समाप्ति पर नकद मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी उस अवधि में अवकाश नकदीकरण के लिए एक दायित्व दर्ज करती है जिसमें कर्मचारी इस पात्रता को बढ़ाने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी अवकाश नकदीकरण की अपेक्षित लागत को उस अतिरिक्त राशि के रूप में मापती है जिसे कंपनी अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान करने की उम्मीद करती है जो कि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार

पर तुलन पत्र की तारीख पर जमा हुई है।

(v) चिकित्सा अवकाश

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 से चिकित्सा अवकाश के प्रावधान को वापस ले लिया है क्योंकि सेवा के दौरान और इस्तीफे या सेवानिवृत्ति के समय चिकित्सा अवकाश के लिए कोई नकदीकरण नहीं है और इसलिए एएस 15 के पैरा 14 (2005) संशोधित के तहत आवश्यक कोई भी भुगतान शामिल नहीं है। संशोधित एएस 15 (2005) के पैरा 14 के अनुसार, “एक उद्यम को क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति को जमा करने की अपेक्षित लागत को उस अतिरिक्त राशि के रूप में मापना चाहिए जो उद्यम बैलेंस शीट की तारीख में जमा हुई अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान करने की उम्मीद करता है।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2024 तक ग्रेच्युटी/पेंशन योजना की वित्त पोषित स्थिति और कंपनी के वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि निर्धारित करती है।

A. परिभाषित लाभ दायित्व के प्रारंभिक और समापन शेष का समाधान :

(₹ '000)

विवरण	पेंशन निधि		उपदान निधि	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ दायित्व	56425052	46393849	10237863	11108693
चालू सेवा लागत	851033	841211	220134	246513
ब्याज की लागत	3771869	3048156	677042	662082
बीमांकिक (लाभ)/हानि	12035528	24140513	356101	1521333
वर्ष के दौरान अवशोषित परिशोधन राशि	2531189	2531190	0	0
पिछली सेवा लागत	0	0	0	0
भुगतान किया गया लाभ	(15970071)	(20529867)	(2348789)	(3300758)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	59644600	56425052	9142351	10237863

B. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के प्रारंभिक और समापन शेष का मिलान :

(₹ '000)

विवरण	पेंशन निधि		उपदान निधि	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	31557644	31079039	9790151	10823791
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	2020027	1607497	643971	709222
बीमांकिक लाभ/(हानि)	1948168	3411171	739467	4158
अन्य कंपनियों से प्राप्त	0	0	809	808
नियोक्ता का योगदान	24870000	15680000	10000	1190000
पिछला योगदान	0	309804	0	362930
लाभ का भुगतान किया गया	(15970071)	(20529867)	(2348789)	(3300758)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	44425768	31557644	8835609	9790151



The Company recognized ₹419778 thousand (₹492354 thousand) for pension contribution in the Revenue Accounts.

(iv) Leave encashment

The employees of the Company are entitled to Leave Encashment. The employees can carry forward a portion of the unutilized accrued Leave Encashment and utilize it in future periods or receive cash compensation at retirement or termination of employment for the unutilized accrued Leave Encashment for a maximum of 240 days. The company records an obligation for Leave Encashment in the period in which the employee renders the services that increase this entitlement. The Company measures the expected cost of Leave Encashment as the additional amount that the company expects to pay as a result of the unused entitlement that has accumulated at the balance sheet date based on actuarial valuation.

(v) Sick Leave

The company has withdrawn the provision for sick leave from FY 2022-23 onwards since there is no encashment for sick leave anytime during service and also at the time of resignation or retirement and therefore there is no payment involved as required under Para 14 of AS 15 (2005) revised. As per Para 14 of AS 15 (2005) revised, "An enterprise should measure the expected cost of accumulating compensated absences as the additional amount that the enterprise expects to pay as a result of the unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date.

The following table sets out the funded status of gratuity/pension plan and the amounts recognized in the company's financial statements as at March 31, 2024.

A. Reconciliation of opening and closing balances of Defined Benefit obligation :

(₹ '000)

Particulars	Pension Fund		Gratuity Fund	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Defined benefit obligation at the beginning of the year	56425052	46393849	10237863	11108693
Current service cost	851033	841211	220134	246513
Interest cost	3771869	3048156	677042	662082
Actuarial (gain)/loss	12035528	24140513	356101	1521333
Amortized amount absorbed during the year	2531189	2531190	0	0
Past Service Cost	0	0	0	0
Benefits paid	(15970071)	(20529867)	(2348789)	(3300758)
Defined benefit obligation at the end of the year	59644600	56425052	9142351	10237863

B. Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets:

(₹ '000)

Particulars	Pension Fund		Gratuity Fund	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Fair value of plan assets at the beginning of the year	31557644	31079039	9790151	10823791
Expected return on plan assets	2020027	1607497	643971	709222
Actuarial gain/(loss)	1948168	3411171	739467	4158
Received from other companies	0	0	809	808
Employer contribution	24870000	15680000	10000	1190000
Past Contribution	0	309804	0	362930
Benefits paid	(15970071)	(20529867)	(2348789)	(3300758)
Fair value of plan assets at the end of the year	44425768	31557644	8835609	9790151

C. परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान: (₹ '000)

विवरण	पेंशन निधि		उपदान निधि	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	44425768	31557644	8835609	9790151
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	59644600	58956241	9142351	10237863
अवशोषित दायित्व	2531189	2531190	0	0
तुलन पत्र में गैर-निधि देयता/(संपत्ति) को मान्य किया गया है	15218832	24867407	306742	447712

D. लाभ और हानि खाते में व्यय को मान्य किया गया: (₹ '000)

विवरण	पेंशन निधि		उपदान निधि	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
चालू सेवा लागत	851033	841211	220134	246513
ब्याज की लागत	3771869	3048155	677042	662082
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(2020027)	(1607497)	(643971)	(709222)
शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	10087360	20729341	(383366)	1517175
अन्य कंपनियों से प्राप्त	0	0	0	0
वर्ष के दौरान परिशोधन	2531189	2531190	0	0
लाभ और हानि खाते में मान्य किया गया कुल व्यय	15221425	25542400	(130161)	1716548
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	3968195	5018668	1383438	713380

E. ट्रस्ट द्वारा बनाए रखा गया निवेश प्रतिशत : (% में)

विवरण	पेंशन (वित्त पोषित)		उपदान (वित्त पोषित)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
सरकारी प्रतिभूतियाँ	3.74	7.13	6.77	6.31
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉण्ड	19.07	12.42	0.24	1.06
सूचित कंपनियों के ईक्विटी शेयर	0.00	0.47	0.00	0.00
विशेष जमा योजना (म्यूचुअल फंड)	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	77.19	79.98	92.99	92.63

F. तुलन पत्र की तारीख पर प्रधान बीमांकिक धारणा (भारत औसत के रूप में व्यक्त) : (% में)

विवरण	पेंशन (वित्त पोषित)	उपदान (वित्त पोषित)	अवकाश नकदीकरण (गैर वित्त पोषित)
छूट की दर	7.22	7.22	7.22
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर	7.48	7.47	लागू नहीं
वेतन में वृद्धि की दर	4.00	4.00	4.00
कर्मचारी आवर्त	महत्वपूर्ण नहीं		
मृत्यु दर	सेवारत कर्मचारियों के लिए भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) (संशोधित अंतिम) और सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीधारक की मृत्यु तालिका (2012-15)। पिछला वर्ष - सेवारत कर्मचारियों के लिए एलआईसी (2012-14) और सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए एलआईसी (2012-15)		
प्रयोग की गई विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि		



C. Reconciliation of fair value of assets and obligations: (₹ '000)

Particulars	Pension Fund		Gratuity Fund	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Fair value of plan assets as at the end of the year	44425768	31557644	8835609	9790151
Present value of obligations as at the end of the year	59644600	58956241	9142351	10237863
Absorbed Liability	2531189	2531190	0	0
Unfunded liability/ (asset) recognized in the Balance Sheet	15218832	24867407	306742	447712

D. Expense recognized in the Profit and Loss account: (₹ '000)

Particulars	Pension Fund		Gratuity Fund	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Current service cost	851033	841211	220134	246513
Interest cost	3771869	3048155	677042	662082
Expected return on plan assets	(2020027)	(1607497)	(643971)	(709222)
Net Actuarial (gain)/loss	10087360	20729341	(383366)	1517175
Received from other companies	0	0	0	0
Amortization During the year	2531189	2531190	0	0
Total expenses recognized in the Profit and Loss account	15221425	25542400	(130161)	1716548
Actual return on plan assets	3968195	5018668	1383438	713380

E. Investment percentage maintained by the trust (In %)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Government securities	3.74	7.13	6.77	6.31
High Quality Corporate Bonds	19.07	12.42	0.24	1.06
Equity Shares of Listed Co.	0.00	0.47	0.00	0.00
Special Deposit Scheme (Mutual Fund)	0.00	0.00	0.00	0.00
Others	77.19	79.98	92.99	92.63

F. Principal Actuarial assumption at the Balance Sheet date (expressed as weighted average) (In %)

Particulars	Pension (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Unfunded)
Discount rate	7.22	7.22	7.22
Expected rate of return on plan assets	7.48	7.47	N.A
Rate of escalation in salary	4.00	4.00	4.00
Employee turnover	Not significant		
Mortality	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) (Modified Ultimate) for serving employee and Indian Individual Annuitant's Mortality Table (2012-15) for retired members. Previous Year - LIC (2012-14) for serving employees and LIC (2012-15) for retired members		
Method used	Projected Unit Credit Method		

G. बीमांकिक धारणा के आधार पर विचार किया गया :

विवरण	धारणा का आधार
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर	एक वर्ष का ब्याज दर
वेतन में वृद्धि की दर	बीमांकिक मूल्यांकन में भावी वेतन वृद्धि के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

H. (1) चालू वर्ष और पिछले चार वर्षों में मान्य की गई राशि: (₹ '000)

विवरण (पेंशन)	वर्ष अंत				
	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
परिभाषित लाभ दायित्व	48881898	42036243	46393849	56425051	59644600
योजना संपत्ति	31856204	33506000	31079039	31557644	44425768
आधिक्य / (घाटा)	(17025694)	(8530243)	(15314810)	(24867407)	(15218832)
योजना दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	35156163	9100721	12779357	24140513	12035528
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(76756)	(480044)	(257801)	3411171	1948168

H. (2) चालू वर्ष और पिछले चार वर्षों में मान्य की गई राशि: (₹ '000)

विवरण (उपदान)	वर्ष अंत				
	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
परिभाषित लाभ दायित्व	12320302	12198456	11108693	10237863	9142351
योजना संपत्ति	13307618	10696300	10823791	9790151	8835609
आधिक्य / (घाटा)	987316	(1502156)	(284902)	(447712)	(306742)
योजना दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	954612	1007920	682624	1521333	356101
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(125968)	(136059)	364681	4158	739467

30. निम्नलिखित मदों के तहत किए गए खर्चों का खुलासा नियामक आवश्यकता के अनुसार किया जाता है: (₹ '000)

विवरण	31-03-2024	31-03-2023
आऊटसोर्सिंग व्यय	314869	332550
व्यवसाय वृद्धि	724041	734749
विपणन समर्थन	शून्य	शून्य

31. संबंधित पक्ष के खुलासे (एस 18):

- संबंधित पार्टी का नाम और कंपनी के साथ उनका संबंध:
 - i) सहायक
 - मे. जेनिथ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
 - ii) सहयोगी
 - मे. इंडिया इंटरनेशनल इश्यूरेस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
 - मे. हेल्थ इश्यूरेस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत
 - iii) सामान्य निदेशक
 - मे. जीआईसी हाऊसिंग फ़ायनान्स लि. भारत
 - मे. केन इंडिया एश्यूरेस कं.लि., कीन्या

G. Basis of Actuarial assumption considered

Particulars	Basis of assumption
Expected rate of return on plan assets	One-year Interest rate
Rate of escalation in salary	The estimate of future salary increase, considered in actuarial valuation takes into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employment market

H. (1) Amount recognized in current year and previous four years: (₹ '000)

Particulars (Pension)	Year Ended				
	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
Defined Benefit Obligation	48881898	42036243	46393849	56425051	59644600
Plan Assets	31856204	33506000	31079039	31557644	44425768
Surplus/ (Deficit)	(17025694)	(8530243)	(15314810)	(24867407)	(15218832)
Actuarial (gain)/loss on plan obligation	35156163	9100721	12779357	24140513	12035528
Actuarial gain/(loss) on plan assets	(76756)	(480044)	(257801)	3411171	1948168

H. (2) Amount recognized in current year and previous four years: (₹ '000)

Particulars (Gratuity)	Year Ended				
	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
Defined Benefit Obligation	12320302	12198456	11108693	10237863	9142351
Plan Assets	13307618	10696300	10823791	9790151	8835609
Surplus/ (Deficit)	987316	(1502156)	(284902)	(447712)	(306742)
Actuarial (gain)/loss on plan obligation	954612	1007920	682624	1521333	356101
Actuarial gain/(loss) on plan assets	(125968)	(136059)	364681	4158	739467

30. The expenses incurred under the following heads are disclosed as per Regulatory requirement: (₹ '000)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
Outsourcing Expenses	314869	332550
Business Development	724041	734749
Marketing Support	NIL	NIL

31. Related party disclosures (AS 18):

- Name of the related party and their relationship with the company:
 - i) Subsidiary
M/s. Zenith Securities and Investments Limited
 - ii) Associates
M/s. India International Insurance Pte Ltd., Singapore
M/s. Health Insurance TPA of India Ltd., India
 - iii) Common Director
M/s GIC Housing Finance Ltd., India
M/s. Ken India Assurance Co Ltd., Kenya

iv) महत्वपूर्ण प्रबंधन व्यक्ति

1. श्री सत्यजीत त्रिपाठी - अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक दिनांक 29.02.2024 तक
2. सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनी- महाप्रबंधक एवं निदेशक - 31.08.2023 तक
3. श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन-
 - i. महाप्रबंधक एवं निदेशक & सीएफओ 15.03.2024 तक
 - ii. कार्यकारी निदेशक, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) 16.03.2024 से
4. सुश्री एस हेमामालिनि- मुख्य वित्तीय अधिकारी - 16.03.2024 से
5. सुश्री अनघा शांतनु देशपांडे (कंपनी सचिव) - 01.04.2023 से

• लेन-देन संव्यवहार का विवरण (₹ '000)

क्र. सं.	विवरण	मे. इंडिया इंटरनेशनल इश्यूरेस प्राइवेट लिमिटेड,	मे. केन इंडिया एश्यूरेस कं.लि.,	मे. हेल्थ इश्यूरेस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	मे. जीआइसी हाऊसिंग फाइनेंस लि.	महत्वपूर्ण प्रबंधक व्यक्ति
1.	वर्ष के दौरान कार्य विवरण					
a	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश					
	31-03-2024	61050	2606	शून्य	17802	शून्य
	31-03-2023	56780	4390	शून्य	17802	शून्य
b	ईक्विटी में निवेश					
	31-03-2024	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	31-03-2023	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
c	पुर्नबीमा लेनदेन संव्यवहार					
	- प्रत्यक्ष के लिए					
	31-03-2024	10593	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	31-03-2023	130747	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- प्रत्यक्ष के लिए					
	31-03-2024	238445	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	31-03-2023	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
d	प्राप्त निदेशक का पारिश्रमिक					
	31-03-2024	शून्य	127	शून्य	शून्य	शून्य
	31-03-2023	शून्य	146	शून्य	शून्य	शून्य
e	वेतन, भत्ते और अन्य अंशदान					
	31-03-2024	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	10887
	31-03-2023	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	11704
f	प्राप्त किराया					
	31-03-2024	शून्य	शून्य	670	शून्य	शून्य
	31-03-2023	शून्य	शून्य	646	106	शून्य
g	किराया प्राप्य					
	31-03-2024	शून्य	शून्य	62	543	शून्य
	31-03-2023	शून्य	शून्य	54	543	शून्य
h	वर्ष के दौरान भुगतान किया गया टीपीए का शुल्क					
	31-03-2024	शून्य	शून्य	116373	शून्य	शून्य
	31-03-2023	शून्य	शून्य	101658	शून्य	शून्य



iv) Key Management Personnel

1. Shri Satyajit Tripathy - Chairman cum Managing Director upto 29.02.2024
2. Ms Rajeshwari Singh Muni - General Manager and Director - upto 31.08.2023
3. Shri Gopalakrishnan Sundararaman –
 - i. General Manager and Director & CFO upto 15.03.2024
 - ii. Executive Director, Chairman cum Managing Director(Addl. Charge) from 16.03.2024
4. Ms S Hemamalini - Chief Financial Officer - From 16.03.2024
5. Ms Anagha Shantanu Deshpande(Company Secretary) - From 01.04.2023.

• Details of Transactions

(₹ '000)

Sl. No	Particulars	M/s. India International Insurance Pte Ltd.	M/s. Ken India Assurance Co Ltd.	M/s. Health Insurance TPA of India Ltd.	M/s GIC Housing Finance Ltd.	Key Managerial Personnel
1.	Transactions during the year					
a	Dividend received during the year					
	31-03-2024	61050	2606	Nil	17802	Nil
	31-03-2023	56780	4390	Nil	17802	Nil
b	Investment in Equity					
	31-03-2024	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	31-03-2023	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
c	Reinsurance transactions					
	- Due to Direct					
	31-03-2024	10593	Nil	Nil	Nil	Nil
	31-03-2023	130747	Nil	Nil	Nil	Nil
	- Due from Direct					
	31-03-2024	238445	Nil	Nil	Nil	Nil
	31-03-2023	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
d	Director's Remuneration Received					
	31-03-2024	Nil	127	Nil	Nil	Nil
	31-03-2023	Nil	146	Nil	Nil	Nil
e	Salaries, Allowances and Contributions					
	31-03-2024	Nil	Nil	Nil	Nil	10887
	31-03-2023	Nil	Nil	Nil	Nil	11704
f	Rent received					
	31-03-2024	NIL	NIL	670	Nil	Nil
	31-03-2023	NIL	NIL	646	106	Nil
g	Rent receivable					
	31-03-2024	NIL	NIL	62	543	NIL
	31-03-2023	NIL	NIL	54	543	NIL
h	TPA fees paid during the year					
	31-03-2024	Nil	Nil	116373	Nil	Nil
	31-03-2023	Nil	Nil	101658	Nil	Nil

क्र. सं.	विवरण	मे. इंडिया इंटरनेशनल इश्यूरेस प्राइवेट लिमिटेड,	मे. केन इंडिया एश्यूरेस कं.लि.,	मे. हेल्थ इश्यूरेस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	मे. जीआइसी हाऊसिंग फाइनेंस लि.	महत्वपूर्ण प्रबंधक व्यक्ति
i.	31-03-2024	शून्य	शून्य	2200	शून्य	शून्य
	31-03-2023	शून्य	शून्य	1074	शून्य	शून्य
j.	भुगतान किया गया ब्याज					
	31-03-2024	शून्य	शून्य	शून्य	52972	शून्य
	31-03-2023	शून्य	शून्य	शून्य	62771	शून्य
k.	चुकाया गया किराया					
	31-03-2024	शून्य	शून्य	शून्य	117462	शून्य
	31-03-2023	शून्य	शून्य	शून्य	164486	शून्य
2.	ऋण और अग्रिम का शेष इस प्रकार है:					
	31-03-2024	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4625
	31-03-2023	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4719

चूंकि कंपनी और उसकी सहायक कंपनी शासन नियंत्रित हैं, इसलिए लेखांकन मानक एस-18 की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य सरकारी नियंत्रित उपक्रमों के साथ लेनदेन से संबंधित कोई खुलासा नहीं किया जाता है।

32. पेट्टे-एस-19

कंपनी ने किराया समझौते में समाप्ति खंड को जोड़ते हुए विभिन्न वाणिज्यिक परिसरों और आवासीय प्लेटों को पेट्टे पर लिया है (इसकी समाप्ति से पहले समझौते को पेट्टे को रद्द करने के प्रावधान के साथ)। इन पट्टे समझौतों को आम तौर पर तत्कालीन प्रचलित शर्तों / आवश्यकताओं के आधार पर समीक्षा के बाद समाप्ति पर नवीनीकृत किया जाता है। शर्तें/समझौते आमतौर पर कंपनी के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक प्रारूपों के आधार पर निष्पादित किए जाते हैं। परिचालन पट्टे के संबंध में राजस्व खाते से लिया गया पट्टे किराया व्यय ₹ 1203089 हजार (₹ 1222640 हजार) है।

33. एस 20 " प्रति शेयर अर्जन " के अनुसार प्रकटीकरण

क्र. सं.	विवरण	31-03-2024	31-03-2023
1.	अंशधारकों पर रोपित शुद्ध लाभ/(हानि) (₹ हजार में)	8037129	28464863
2.	जारी किए गए इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या (संख्या में)	3905000000	3905000000
3.	प्रति शेयर बुनियादी अर्जन ₹ 10/- प्रत्येक	(2.06)	(7.25)

कंपनी के पास कोई बकाया डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयर नहीं है। परिणामस्वरूप, कंपनी की प्रति शेयर बुनियादी और घटी हुई आय वही रहती है।

34. लेखांकन मानक-22 की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय की आभासी निश्चितता के अभाव में 31 मार्च 2024 तक वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी गई है।

35.

- प्रबंधन की राय में, कंपनी की परिसंपत्तियों में कोई हानि नहीं हुई है जिसके लिए लेखांकन मानक-28 के अनुसार कोई समायोजन करने की आवश्यकता हो।
- पूर्व अवधि की मर्दों को संबंधित शीर्षकों में शामिल किया गया है तथा इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (₹ '000)

विवरण	31-03-2024	31-03-2023
पूर्व अवधि की आय	58100	0

- राजपत्रित अधिसूचना संख्या CG DL E 14102022-239668 दिनांक 14.10.2022 के अनुसार साधारण बीमा कर्मचारियों के लिए अगला वेतन संशोधन 1 अगस्त 2022 से देय है। कंपनी ने वेतन संशोधन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है क्योंकि वेतन वार्ता की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है।

36. प्रबंधन द्वारा प्रमाणित क्षेत्रवार सकल प्रीमियम इस प्रकार है:

(₹ '000)



Sl. No	Particulars	M/s. India International Insurance Pte Ltd.	M/s. Ken India Assurance Co Ltd.	M/s. Health Insurance TPA of India Ltd.	M/s GIC Housing Finance Ltd.	Key Managerial Personnel
i	31-03-2024	Nil	Nil	2200	Nil	Nil
	31-03-2023	Nil	Nil	1074	Nil	Nil
j.	Interest Paid					
	31-03-2024	Nil	Nil	Nil	52972	Nil
	31-03-2023	Nil	Nil	Nil	62771	Nil
k.	Loan Repaid					
	31-03-2024	Nil	Nil	Nil	117462	Nil
	31-03-2023	Nil	Nil	Nil	164486	Nil
2.	Balances of Loan and Advances as on:					
	31-03-2024	Nil	Nil	Nil	Nil	4625
	31-03-2023	Nil	Nil	Nil	Nil	4719

Since the Company and its Subsidiary are State controlled, no disclosures are made pertaining to the transactions with other State controlled undertakings in accordance with the requirements of the Accounting Standard AS-18.

32. Leases- AS-19

The Company has taken various commercial premises and residential flats on lease with Termination Clause in the Rent Agreement with provision to terminate the agreement before its expiry. These lease agreements are normally renewed on expiry after review based on the then prevalent conditions / requirements. Lease Terms / Agreements are usually executed based on Standard Formats as per Company guidelines. Lease rental expense in respect of operating leases charged to revenue account is ₹1203089 thousands (₹1222640 thousands).

33. Disclosures as per AS 20 "Earnings per Share"

Sl. No	Particulars	31-03-2024	31-03-2023
1.	Net Profit/(Loss) attributable to shareholders (₹ in thousands)	8037129	28464863
2.	Weighted Average Number of Equity Shares issued (in Nos.)	3905000000	3905000000
3.	Basic earnings per share of ₹ 10/- each	(2.06)	(7.25)

The Company does not have any outstanding dilutive potential equity shares. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the Company remain the same.

34. Deferred Tax Assets has not been recognized in the financial statements as on 31st March 2024 in the absence of virtual certainty of sufficient future taxable income as per the requirements of Accounting Standard-22.

35

- In the opinion of the management, there is no impairment of assets of the company that require any adjustment to be made in terms of Accounting Standard-28.
- Prior Period Items have been included in the respective heads and consist of the following (₹ '000)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
Prior Period Income	58100	0

- As per the Gazette notification No CG DL E 14102022- 239668 dated 14.10.2022 the next wage revision is due for General Insurance Employees from 1st August 2022. The company has not made any provision for the wage revision as the process of wage negotiation has not yet commenced.

क्र. सं.	विवरण	31-03-2024			31-03-2023		
		मूल्य	जारी की गई पॉलिसियाँ और कवर किए गए जीवों की संख्या	%	मूल्य	जारी की गई पॉलिसियाँ और कवर किए गए जीवों की संख्या	%
1.	ग्रामीण क्षेत्र (जारी की गई पॉलिसियों की संख्या)	24504664	365449	12.34	15707799		8.90
2.	सामाजिक क्षेत्र (कवर किए गए जीव)	30287097	155405	15.26	28814901	186873	16.33
3.	अन्य क्षेत्र	143737807	-	72.40	131920351	-	74.77
	कुल व्यवसाय	198529568		100.00	176443051		100.00

37. बरकरार रखे गए और पुनर्बीमा किए गए जोखिम की सीमा का विवरण इस प्रकार है : (₹ में)

करं.सं.	विवरण	31-03-2024	31-03-2023
1.	बरकरार रखा गया जोखिम	88.15	87.26
2.	पुनर्बीमित जोखिम	11.85	12.74

38. अन्य प्रावधानों का विवरण (₹ में)

विवरण	अवकाश नगदीकरण का प्रावधान दीर्घ कालिक		चिकित्सा अवकाश		अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
आरंभिक शेष	4918339	2850513	0	94557	9230223	8294486
परिवर्धन	0	2067826	0	0	214448	961481
उपयोग	0	0	0	0	0	0
उलटाव	427734	0	0	94557	1213767	25744
अंतिम शेष	4490605	4918339	0	0	8230904	9230223

कर्मचारी को अल्पकालिक लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ वह हैं जो उस अवधि की समाप्ति के बाद 12 महीनों के भीतर पूरी तरह से देय हो जाते हैं जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की थी, जैसे अवकाश यात्रा सब्सिडी, चिकित्सा लाभ अनुमान के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

39. **प्रीमियम का घाटा:** राजस्व खंड स्तर पर असमाप्त प्रीमियम रिजर्व नियुक्त बीमांकिक द्वारा प्रमाणित अपेक्षित दावा लागत और प्रबंधन द्वारा अनुमानित दावे से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त पाया गया है। इसलिए, वर्ष के दौरान किसी भी प्रीमियम के घाटे को आरक्षित प्रदान करने की आवश्यकता नहीं हुई है। हालाँकि, प्रीमियम का घाटा केवल मोटर, व्यक्तिगत दुर्घटना, स्वास्थ्य और फसल पोर्टफोलियो में उत्पन्न हुई है और इसका खुलासा यहां किया गया है।

(₹ '000)

खंड	घाटा	
	31-03-2024	31-03-2023
मोटर	1956680	0
विमानन	0	11952
व्यक्तिगत दुर्घटना	103637	87463
फसल	7432	7084
स्वास्थ्य	3055203	0



36. The sector-wise Gross Premium underwritten as certified by the Management is as follows: (₹ '000)

Sl. No	Particulars	31-03-2024			31-03-2023		
		Value	No of Policies issued and lives covered	%	Value	No of Policies issued and lives covered	%
1.	Rural Sector (No. of Policies issued)	24504664	365449	12.34	15707799		8.90
2.	Social Sector (Lives covered)	30287097	155405	15.26	28814901	186873	16.33
3.	Other Sector	143737807	-	72.40	131920351	-	74.77
	Total Business	198529568		100.00	176443051		100.00

37. The details for extent of risk retained and reinsured are as follows: (In %)

Sl. No.	Particulars	31-03-2024	31-03-2023
1.	Risk Retained	88.15	87.26
2.	Risk Reinsured	11.85	12.74

38. Details of Other Provisions (₹ '000)

Particulars	Provision for Leave Encashment Long term		Sick Leave		Provision for Bad and Doubtful Debts	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
Opening balance	4918339	2850513	0	94557	9230223	8294486
Additions	0	2067826	0	0	214448	961481
Utilization	0	0	0	0	0	0
Reversals	427734	0	0	94557	1213767	25744
Closing balance	4490605	4918339	0	0	8230904	9230223

Short Term Benefits to Employee

Short term employee benefits which fall due wholly within 12 months after the end of the period in which the employee rendered the related service, such as leave travel subsidy, medical benefits are provided based on estimates.

39. **Premium Deficiency** : The Unexpired premium reserve at revenue segment level is found to be sufficient to cover the expected claims cost as certified by the appointed actuary and the claims related expenses as estimated by the management. Hence, no premium deficiency reserve is required to be provided during the year. However, premium deficiency has arisen only in Motor, Personal Accident, Health and Crop portfolio and the same is disclosed here.

(₹ '000)

Segment	Deficiency	
	31-03-2024	31-03-2023
Motor	1956680	0
Aviation	0	11952
Personal Accident	103637	87463
Crop	7432	7084
Health	3055203	0

40. दिनांक 28-05-2015 के परिपत्र संख्या IRDA/F&A/CIR/CLD/114/05/2015 के गैर अधियाचित राशि और उस पर निवेश आय का खुलासा।

(₹ '000)

विवरण	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	पॉलिसी बकाया	अर्जित आय	पॉलिसी बकाया	अर्जित आय
आरंभिक शेष	722758	14985	786125	10994
जोड़: अनधियाचित राशि को अंतरण	90713	0	413440	0
जोड़: अनधियाचित राशि का चेक जारी किया गया लेकिन पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाया नहीं गया (चेक जीर्ण होने पर ही शामिल किया जाता है)	8021	0	13252	0
जोड़: अनधियाचित राशि के निवेश पर आय	-207907	263712	42864	3991
घटाया: तिमाही के दौरान दावों का भुगतान किया गया राशि	91289	0	430718	0
घटाया: एससीडब्ल्यूएफ़ को हस्तांतरित राशि (पहले हस्तांतरित राशि के संबंध में भुगतान किए गए दावों का शुद्ध)	154340	74562	102206	0
अनधियाचित राशि का अंतिम शेष	367956	204135	722758	14985

*** नोट:**

- (i) IRDAI/F&A/CIR/MISC/173/07/2017 दिनांक 25.07.2017 और परिपत्र संख्या IRDA/F&A/CIR/MISC/20/02/2018 दिनांक 06.02.2018 के अनुसार ₹ 228902 हजार (102206 हजार) की राशि वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थानांतरित कर दी गई है।
 - (ii) पॉलिसीधारकों से संबंधित अनधियाचित राशि के लिए ₹ 564000 हजार (₹ 740500 हजार) की राशि का सावधि जमा शेष 31-03-2024 तक उपलब्ध है।
 - (iii) पॉलिसीधारकों के धन की दावा न की गई अनधियाचित राशि का आयु-वार विश्लेषण अनुबंध-IV में संलग्न है।
41. A. लेखांकन नीति के अनुसार पॉलिसीधारकों की शेष राशि से संबंधित विविध क्रेडिट शेष को लाभ और हानि खाते में वापस लिखा जाता है, जिसमें ₹ 31585 हजार शामिल हैं जो तीन साल से अधिक पुराने जीर्ण और रोके गए चेक को प्रस्तुत करते हैं।
 - B. 31.03.2024 तक, चूँकि कंपनी का नेटवर्थ (शेयरधारकों का फंड) नकारात्मक है, सहायक, सहयोगियों और विदेशी कंपनियों में निवेश को छोड़कर युइइंके के सभी निवेश पॉलिसीधारकों को आवंटित किए गए हैं। शेयरधारकों के मुकाबले पॉलिसीधारकों का अनुपात 99.91:0.09 है।
42. पर्यावरण और वन मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4.11.2008 के तहत पांच साल की अवधि के लिए और नवीनतम अधिसूचना संख्या के तहत "पर्यावरण राहत कोष" (ईआरएफ) के लिए कंपनी को फंड मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया था। जी.एस.आर. 34 (ई) दिनांक 15 जनवरी 2020 के अनुसार, फंड मैनेजर के रूप में कंपनी की स्थिति 15 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई है। गठन, वैधानिक आवश्यकताओं और अन्य परिचालन मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण की प्राप्ति तक, कंपनी ने उक्त अधिसूचना के संदर्भ में फंड मैनेजर को मान्यता दी है फंड के अनऑडिटेड खातों के आधार पर, वर्ष के दौरान आय के रूप में सेवा शुल्क (खर्चों का शुद्ध) ₹ 3706 हजार (₹ 3621 हजार) है।



40. Disclosure of Unclaimed amount and Investment Income thereon as per circular No. IRDA/F&A/CIR/CLD/114/05/2015 dated 28-05-2015.

(₹ '000)

PARTICULARS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
	POLICY DUES	INCOME ACCRUED	POLICY DUES	INCOME ACCRUED
Opening Balance	722758	14985	786125	10994
Add: Amount Transferred to Unclaimed Amount	90713	0	413440	0
Add: Cheque issued out of the Unclaimed amount but not encashed by the policyholders'(to be included only when the cheques are stale)	8021	0	13252	0
Add: Investment Income on Unclaimed Fund	-207907	263712	42864	3991
Less: Amount of claims paid during the quarter	91289	0	430718	0
Less: Amount transferred to SCWF (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier)	154340	74562	102206	0
Closing Balance of Unclaimed Amount	367956	204135	722758	14985

***Note:**

- (i) An amount of ₹ 228902 thousands (₹ 102206 thousands) has been transferred to Senior Citizens welfare Funds as per IRDAI Circular No. IRDA/F&A/CIR/MISC/173/07/2017 dated 25.07.2017 and Circular No. IRDA/F&A/CIR/MISC/20/02/2018 dated 06.02.2018.
 - (ii) Fixed Deposit balance for an amount of ₹ 564000 thousands (₹ 740500 thousands) is available as on 31-03-2024 towards unclaimed amount pertaining to policyholders.
 - (iii) Age wise analysis of unclaimed amount of Policyholders' funds is enclosed in Annexure-IV.
41. A. Sundry credit balances not pertaining to policyholders' balances are written back to profit and loss account as per accounting policy, which includes ₹31585 thousands representing write back of stale and stop cheques more than three years old.
- B. As on 31.03.2024, since the Networth (Shareholders' Fund) of the company is negative, all the investments of UIIC has been allotted to Policyholders' except investments in subsidiary, associates, and foreign companies. The proportion of policyholders to shareholders stands at 99.91:0.09.
42. The Company was appointed as Fund Manager for "Environment Relief Fund" (ERF) vide Ministry of Environment and Forest's Gazette Notification dated 4.11.2008 for a period of five years and vide latest notification no. G.S.R 34 (E) dated 15th January 2020, the company's position as Fund Manager was extended up to 15th August 2024. Pending receipt of clarification regarding Constitution, statutory requirements and other operational issues, the Company in terms of the said notification has recognized Fund Manager's service charges (net of expenses) to the tune of ₹ 3706 thousands (₹ 3621 thousands) as income during the year, based on the unaudited accounts of the Fund.

43. विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाइयों का विवरण:

क्र. सं.	प्राधिकारी	गैर अनुपालन / उल्लंघन	लगाया गया जुर्माना (₹ '000)	भुगतान किया गया जुर्माना (₹ '000)	कम किया गया/ माफ़ किया गया जुर्माना (₹ '000)
1	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	-	0	0	0
2	सेवा कर/ जीएसटी प्राधिकारी	-	0	0	0
3	आयकर प्राधिकारी	-	0	0	0
4	कोई अन्य कर प्राधिकारी	-	0	0	0
5	प्रवर्तन निदेशालय / निर्णायक प्राधिकारी / फेमा के तहत ट्रिब्यूनल या कोई प्राधिकरण	-	0	0	0
6	कंपनीरजिस्ट्रार/एनसीएलटी/सीएलबी/कॉर्पोरेट मामलों का विभाग या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कोई प्राधिकरण	-	0	0	0
7	दावा निपटान सहित लेकिन मुआवजे को छोड़कर किसी भी मामले के लिए किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया जुर्माना	-	0	0	0
8	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/बीएसई	-	0	0	0
9	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	-	0	0	0
10	कोई अन्य केंद्रीय/राज्य/स्थानीय सरकार/वैधानिक प्राधिकरण	-	0	0	0

वर्ष के दौरान किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

44. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विलंबित भुगतान पर अध्याय के तहत आवश्यक प्रकटीकरण।

विवरण	31-03-2024	31-03-2023
वर्ष के अंत तक किसी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि का भुगतान नहीं किया जाना	शून्य	शून्य
उपरोक्त राशि पर देय ब्याज	शून्य	शून्य
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान की राशि	शून्य	शून्य
अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना भुगतान में विलंब के लिए देय और देय ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में अर्जित और अवैतनिक शेष ब्याज की राशि	शून्य	शून्य

उपरोक्त जानकारी को इस प्रकार संकलित किया गया है कि कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की गई है।

45. a. कंपनी के खातों को बंद करने से पहले मई 2021 में एलसीबी मुंबई में एक बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ था और इसमें लिप्त राशि ₹2046911 हजार थी और यह पिछले वर्ष के खातों में पूरी तरह से प्रावधान की गई है। अब तक आर्थिक अपराध शाखा मुंबई द्वारा वसूल की गई ₹889909 हजार की राशि प्राप्त हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने विभिन्न पक्षों की चल-अचल संपत्तियों समेत 252207 हजार रुपये की छह संपत्तियां जब्त की हैं।
- b. मंडल कार्यालय सूत्र में वर्ष 2021-22 में उजागर हुए ₹21145 हजार की धोखाधड़ी की पूरी राशि का पिछले वित्तीय वर्ष में प्रावधान किया गया है। संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति पर है।



43. Details of penal actions taken by various Government Authorities:

Sl.No	Authority	Non-Compliance / Violation	Penalty Awarded (₹ '000)	Penalty Paid (₹ '000)	Penalty Waived / Reduced (₹ '000)
1	Insurance Regulatory and Development Authority	-	0	0	0
2	Service Tax / GST Authorities	-	0	0	0
3	Income Tax Authorities	-	0	0	0
4	Any other Tax Authorities	-	0	0	0
5	Enforcement Directorate / Adjudicating Authority / Tribunal or any Authority under FEMA	-	0	0	0
6	Registrar of Companies / NCLT / CLB / Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 1956	-	0	0	0
7	Penalty awarded by any Court / Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation	-	0	0	0
8	Securities and Exchange Board of India/BSE	-	0	0	0
9	Competition Commission of India	-	0	0	0
10	Any other Central / State / Local Government / Statutory Authority	-	0	0	0

No other penal action has been taken by any other Government Authority during the year.

44. Disclosures required under Section 22 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 under the Chapter on Delayed Payments to Micro and Small Enterprises.

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the year	Nil	Nil
Interest due on the above amount	Nil	Nil
Amount of interest paid in terms of Section 16 of the MSMED Act, 2006.	Nil	Nil
Amount of payments made to the suppliers beyond the appointed day during the year	Nil	Nil
Amount of interest due and payable for the delay in making the payment but without adding the interest specified under the Act	Nil	Nil
Amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the year	Nil	Nil

The above information has been compiled to the extent such parties have been identified based on information available with the company.

45. a. A major fraud was unearthed in LCB Mumbai in May 2021 before the closure of company accounts and the amount involved was ₹2046911 thousand and this is fully provided for in the earlier year accounts. Till date an amount of ₹889909 thousand recovered by Economic Offence Wing Mumbai has been received. Enforcement directorate has attached moveable and immoveable properties from various parties and six properties worth ₹ 252207 thousand.
- b. Fraud unearthed in the year 2021-22 amounting to ₹21145 thousand at DO Surat, has been fully provided in the last financial year. The disciplinary proceedings against the concerned employees are in progress.

46. कंपनी अपने बही खातों को बनाए रखने के लिए जीसी कोर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है, जिसमें ऑडिट ट्रेल सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित होता है। लेखांकन सॉफ्टवेयर के संबंध में ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। अन्य सहायक सॉफ्टवेयर (डीजेवी, एफएसीटी) के संबंध में ऑडिट ट्रेल सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
47. वर्तमान वर्ष के समूहों/वर्गीकरणों के अनुरूप होने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहीकरण/पुनर्वर्गीकरण/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्निर्माण किया गया है।
48. वित्तीय विवरण के वर्णनात्मक भाग में आंकड़े हजारों रुपये में हैं, जो आइआरडीएआइ मानदंडों के अनुरूप हैं।
49. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

अनघा देशपांडे

कंपनी सचिव

एसीएस सं. : A12700

संतानम हेमामालिनि

मुख्य वित्तीय अधिकारी

भूपेश सुशील राहुल

अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक

डीआइएन : 10610759

संलग्न तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स

आइसीएआइ एफआरएन: 001997S

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

वास्ते एसआरबीआर & एसोसिएट्स एलएलपी

आइसीएआइ एफआरएन: 004997S/S200051

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

वास्ते ए वी देवेन & कं.

आइसीएआइ एफआरएन: 000726S

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

सीए के सुनील कुमार

भागीदार

सदस्यता सं. 231416

सीए आर.सुंदरराजन

भागीदार

सदस्यता सं. 029814

सीए आर रघुरामन

भागीदार

सदस्यता सं. 201760

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 29.05.2024

46. The Company is using the GC Core accounting software for maintaining the books of accounts, which has a feature of recording audit trail facility, and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. The audit trail feature has not been tampered with in respect to accounting software. With respect to other supporting softwares (DJV, FACT) the audit trail feature was not available.
47. Regrouping/reclassifying/ rearranging/recasting of previous year figures has been done wherever necessary to conform to the current year groupings/ classifications.
48. Figures in the narrative part of financial statements are in thousands of Rupees, conforming to IRDAI norms.
49. Figures given in brackets relate to previous year.

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY
ACS No. : A12700

SANTHANAM HEMA MALINI
CHIEF FINANCIAL OFFICER

BHUPESH SUSHIL RAHUL
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN : 10610759

_____ Vide our report of date attached _____

For Manohar Chowdhry & Associates
FRN :001997S
Chartered Accountants

For S R B R & Associates LLP
FRN:004997S/S200051
Chartered Accountants

For A V Deven & Co
FRN: 000726S
Chartered Accountants

CA K Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416

CA R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

CA R Raghuraman
Partner
Membership No. 201760

Place : Chennai
Date : 29.05.2024

अनुबंध - 1
31 मार्च 2024 को आयुवार लंबित दावे

(₹ '000 में)

विभाग	30 दिन या उससे कम लंबित		30 दिन से अधिक लेकिन 3 महीनों से कम लंबित		3 महीने से अधिक लेकिन 6 महीनों से कम लंबित		6 महीने से अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम लंबित	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अग्नि	210	1215390	334	1323793	1137	8264633	645	4372533
समुद्री कार्गो	159	44056	253	148778	347	220781	359	186803
समुद्री पोतकाय	19	13193	29	246044	60	112638	34	130040
मोटर स्वक्षति	33750	1429327	24164	1677178	13071	1427421	7052	1079677
मोटर तृतीय पक्ष अन्य	2852	1745385	4944	3209107	7316	4714929	13627	9309362
मोटर डी आर पूल	2	35	3	261	4	1077	11	2371
मोटर टीपी पूल	15	2121	25	18992	89	21052	47	57278
कर्मचारी क्षतिपूर्ति	35	4701	68	13385	99	11132	147	27005
व्यक्तिगत दुर्घटना	364	117946	647	170357	481	171031	629	451822
विमानन	0	0	3	50775	2	12300	9	18040
अभियांत्रिकी	342	189292	513	236288	512	2098015	481	2489141
साख	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य विविध	486	80604	852	238075	692	414782	762	611230
देयता	17	38585	19	120511	20	242953	57	322101
स्वास्थ्य & अस्पता	53703	2356559	21672	1117667	15009	708026	9330	8895268
फसल	6	6674	0	0	2	1467467	3	2399613
अन्य	91960	7243865	53526	8571210	38841	19888237	33193	30352284

विभाग	1 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम लंबित		3 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम लंबित		5 वर्ष से अधिक लंबित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अग्नि	533	7803545	243	5183109	922	2779010	4024	30942013
समुद्री कार्गो	333	356987	79	596404	362	545489	1892	2099299
समुद्री पोतकाय	83	3731121	31	252310	77	425542	333	4910888
मोटर स्वक्षति	2775	476482	760	179375	1938	359684	83510	6629143
मोटर तृतीय पक्ष अन्य	40591	28622635	28853	19532372	40751	22638967	138934	89772757
मोटर डी आर पूल	32	8567	38	14476	328	139165	418	165951
मोटर टीपी पूल	193	90870	337	107257	4621	1907458	5327	2205027
कर्मचारी क्षतिपूर्ति	294	7451	162	56894	598	175880	1403	296448
व्यक्तिगत दुर्घटना	426	276278	162	70479	658	203718	3367	1461632
विमानन	26	386715	14	126849	14	13072	68	607751
अभियांत्रिकी	300	995244	77	1344953	193	2624780	2418	9977711
साख	0	0	0	0	5	4361	5	4361
अन्य विविध	625	762148	297	169457	1087	646021	4801	2922317
देयता	155	412655	161	265973	1139	460503	1568	1863280
स्वास्थ्य & अस्पता	32531	1547364	1812	151447	1602	170634	135659	14946965
फसल	9	627653	16	152746	60	54981	96	4709132
अन्य	78906	46105715	33042	28204099	54355	33149266	383823	173514675

लंबित दावों का वर्षवार विवरण 31-03-2024



Annexure - I

AGEWISE OUTSTANDING CLAIMS AS ON 31ST MARCH 2024

(₹ '000)

Department	O/s for 30 days or Less		O/s for 3 months or Less but more than 30 days		O/s for 6 months or Less but more than 3 months		O/s for 1 year or Less but more than 6 months	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
Fire	210	1215390	334	1323793	1137	8264633	645	4372533
Marine Cargo	159	44056	253	148778	347	220781	359	186803
Marine Hull	19	13193	29	246044	60	112638	34	130040
Motor OD	33750	1429327	24164	1677178	13071	1427421	7052	1079677
Motor TP Others	2852	1745385	4944	3209107	7316	4714929	13627	9309362
Motor DR Pool	2	35	3	261	4	1077	11	2371
Motor TP Pool	15	2121	25	18992	89	21052	47	57278
Workmen Comp.	35	4701	68	13385	99	11132	147	27005
Personal Acc.	364	117946	647	170357	481	171031	629	451822
Aviation	0	0	3	50775	2	12300	9	18040
Engineering	342	189292	513	236288	512	2098015	481	2489141
Credit	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Misc.	486	80604	852	238075	692	414782	762	611230
Liabilities	17	38585	19	120511	20	242953	57	322101
Health & Hosp.	53703	2356559	21672	1117667	15009	708026	9330	8895268
Crop	6	6674	0	0	2	1467467	3	2399613
TOTAL	91960	7243865	53526	8571210	38841	19888237	33193	30352284

Department	O/s for 3 years or Less but more than 1 year		O/s for 5 years or Less but more than 3 years		O/s for more than 5 years		Total	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
Fire	533	7803545	243	5183109	922	2779010	4024	30942013
Marine Cargo	333	356987	79	596404	362	545489	1892	2099299
Marine Hull	83	3731121	31	252310	77	425542	333	4910888
Motor OD	2775	476482	760	179375	1938	359684	83510	6629143
Motor TP Others	40591	28622635	28853	19532372	40751	22638967	138934	89772757
Motor DR Pool	32	8567	38	14476	328	139165	418	165951
Motor TP Pool	193	90870	337	107257	4621	1907458	5327	2205027
Workmen Comp.	294	7451	162	56894	598	175880	1403	296448
Personal Acc.	426	276278	162	70479	658	203718	3367	1461632
Aviation	26	386715	14	126849	14	13072	68	607751
Engineering	300	995244	77	1344953	193	2624780	2418	9977711
Credit	0	0	0	0	5	4361	5	4361
Other Misc.	625	762148	297	169457	1087	646021	4801	2922317
Liabilities	155	412655	161	265973	1139	460503	1568	1863280
Health & Hosp.	32531	1547364	1812	151447	1602	170634	135659	14946965
Crop	9	627653	16	152746	60	54981	96	4709132
TOTAL	78906	46105715	33042	28204099	54355	33149266	383823	173514675

AGEWISE OUTSTANDING CLAIMS AS ON 31ST MARCH 2024

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि :

अनुबंध II : लेखांकन अनुपात

(₹ '000)

विवरण	को समाप्त अवधि के लिए		को समाप्त अवधि के लिए	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
	सकल प्रीमियम		वृद्धि	
1 सकल प्रीमियम वृद्धि दर				
अग्नि	20828177	18825406	10.64%	2.12%
समुद्री कार्गो	1792819	1878374	-4.55%	-5.88%
समुद्री पोतकाय	2479510	2485031	-0.22%	41.82%
मोटर	70472655	59852725	17.74%	9.29%
कर्मचारी क्षतिपूर्ति	664499	657174	1.11%	1.20%
व्यक्तिगत दुर्घटना	3512246	4344571	-19.16%	-14.36%
विमानन	521860	792230	-34.13%	-34.49%
अभियांत्रिकी	5074983	4606763	10.16%	15.04%
स्वास्थ्य	78969913	72482237	8.95%	1626.36%
देयता	1848299	1683918	9.76%	9.43%
अन्य विविध	4718648	4407164	7.07%	-93.03%
फसल	7645959	4427458	72.69%	993.24%
कुल योग	198529568	176443051	12.52%	12.23%
2 निवल मूल्य अनुपात के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम				
सकल प्रीमियम	198529568	176443051		
अंशधारकों की निधि	-15352032	-7320518		
अनुपात	-12.93	-24.10		
3 निवल मूल्य की वृद्धि दर				
वर्ष के अंत में	-15352032	-7320518		
वर्ष के आरंभ में	-7320518	20951815		
वृद्धि दर	109.71%	-134.94%		
4 शुद्ध प्रतिधारण अनुपात		शुद्ध लिखित प्रीमियम	समाप्त अवधि के लिए	
			31-03-2024	31-03-2023
4(i) शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (भारतीय)				
अग्नि	8255027	9086157	35.00%	43.16%
समुद्री कार्गो	1346878	1442129	73.96%	75.43%
समुद्री पोतकाय	898257	733361	34.37%	29.35%
मोटर	67613286	57442566	95.94%	95.97%
कर्मचारी क्षतिपूर्ति	637920	630846	96.00%	95.99%
व्यक्तिगत दुर्घटना	2796028	2716828	79.37%	62.23%
विमानन	184329	41512	29.81%	4.70%
अभियांत्रिकी	3338879	2582495	62.81%	54.03%
स्वास्थ्य	75794727	69555592	95.98%	95.96%

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
 Registration No.: 545, Date of Renewal with the IRDAI :
ANNEXURE II : ACCOUNTING RATIOS

(₹ '000)

Particulars	For the Period ended		For the Period ended	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
	Gross Premium		Growth	
1 Gross Premium Growth rate				
Fire	20828177	18825406	10.64%	2.12%
Marine Cargo	1792819	1878374	-4.55%	-5.88%
Marine Hull	2479510	2485031	-0.22%	41.82%
Motor	70472655	59852725	17.74%	9.29%
W.C	664499	657174	1.11%	1.20%
PA	3512246	4344571	-19.16%	-14.36%
Aviation	521860	792230	-34.13%	-34.49%
Engineering	5074983	4606763	10.16%	15.04%
Health	78969913	72482237	8.95%	1626.36%
Liability	1848299	1683918	9.76%	9.43%
Other Misc	4718648	4407164	7.07%	-93.03%
Crop	7645959	4427458	72.69%	993.24%
Grand Total	198529568	176443051	12.52%	12.23%
2 Gross Direct Premium to Net Worth Ratio				
Gross Premium	198529568	176443051		
Shareholders' Fund	-15352032	-7320518		
Ratio	-12.93	-24.10		
3 Growth rate of Net Worth				
At the end of the year	-15352032	-7320518		
At the beginning of the year	-7320518	20951815		
Growth rate	109.71%	-134.94%		
4 Net Retention Ratio	Net Written Premium		For the Period ended	
			31-03-2024	31-03-2023
4(i) Net Retention Ratio(Indian)				
Fire	8255027	9086157	35.00%	43.16%
Marine Cargo	1346878	1442129	73.96%	75.43%
Marine Hull	898257	733361	34.37%	29.35%
Motor	67613286	57442566	95.94%	95.97%
W.C	637920	630846	96.00%	95.99%
PA	2796028	2716828	79.37%	62.23%
Aviation	184329	41512	29.81%	4.70%
Engineering	3338879	2582495	62.81%	54.03%
Health	75794727	69555592	95.98%	95.96%

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि :

अनुबंध II : लेखांकन अनुपात

(₹ '000)

विवरण	को समाप्त अवधि के लिए		को समाप्त अवधि के लिए	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
देयता	856862	1349056	43.01%	73.99%
अन्य विविध	3641024	3563265	77.17%	80.83%
फसल	9635469	4824568	126.02%	108.97%
कुल योग	174998686	153968375	86.66%	85.95%

4(ii) शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (विदेशी)

शून्य

5	शुद्ध कमीशन अनुपात	शुद्ध कमीशन		को समाप्त अवधि के लिए	
		31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
	अग्नि	1373752	971503	16.64%	10.69%
	समुद्री कार्गो	278583	268285	20.68%	18.60%
	समुद्री पोतकाय	26058	-1318	2.90%	-0.18%
	मोटर	7689686	5367171	11.37%	9.34%
	कर्मचारी क्षतिपूर्ति	100110	81886	15.69%	12.98%
	व्यक्तिगत दुर्घटना	146772	59060	5.25%	2.17%
	विमानन	26548	24960	14.40%	60.13%
	अभियांत्रिकी	495242	382341	14.83%	14.81%
	स्वास्थ्य	1999229	2445437	2.64%	3.52%
	देयता	163264	140838	19.05%	10.44%
	अन्य विविध	1022130	984285	28.07%	27.62%
	फसल	75793	-112528	0.79%	-2.33%
	कुल योग	13397167	10611920	7.66%	6.89%

6	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात के लिए प्रबंधन व्यय	को समाप्त अवधि के लिए			
		31-03-2024	31-03-2023		
	प्रत्यक्ष कमीशन	15026791	12418762		
	परिचालन व्यय	37609261	63076772		
	कुल	52636052	75495534		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	198529568	176443051		
	अनुपात	26.51%	42.79%		

7	शुद्ध लिखित प्रीमियम अनुपात के लिए प्रबंधन व्यय	को समाप्त अवधि के लिए			
		31-03-2024	31-03-2023		
	प्रत्यक्ष कमीशन	15026791	12418762		
	परिचालन व्यय	37609261	63076772		
	कुल	52636052	75495534		
	शुद्ध लिखित प्रीमियम	174998686	153968375		
	अनुपात	30.08%	49.03%		

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Registration No.: 545, Date of Renewal with the IRDAI :
ANNEXURE II : ACCOUNTING RATIOS

(₹ '000)

Particulars	For the Period ended		For the Period ended	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
Liability	856862	1349056	43.01%	73.99%
Other Misc	3641024	3563265	77.17%	80.83%
Crop	9635469	4824568	126.02%	108.97%
Grand Total	174998686	153968375	86.66%	85.95%

4(ii) Net Retention Ratio(Foreign)

NIL

5 Net Commission Ratio	Net Commission		For the Period ended	
			31-03-2024	31-03-2023
Fire	1373752	971503	16.64%	10.69%
Marine Cargo	278583	268285	20.68%	18.60%
Marine Hull	26058	-1318	2.90%	-0.18%
Motor	7689686	5367171	11.37%	9.34%
W.C	100110	81886	15.69%	12.98%
P.A	146772	59060	5.25%	2.17%
Aviation	26548	24960	14.40%	60.13%
Engineering	495242	382341	14.83%	14.81%
Health	1999229	2445437	2.64%	3.52%
Liability	163264	140838	19.05%	10.44%
Other Misc	1022130	984285	28.07%	27.62%
Crop	75793	-112528	0.79%	-2.33%
Grand Total	13397167	10611920	7.66%	6.89%

6 Expenses of management to Gross Direct Premium ratio	For the Period ended			
	31-03-2024	31-03-2023		
Direct Commission	15026791	12418762		
Operating Expenses	37609261	63076772		
Total	52636052	75495534		
Gross Direct Premium	198529568	176443051		
Ratio	26.51%	42.79%		

7 Expense of Management to Net Written Premium Ratio	For the Period ended			
	31-03-2024	31-03-2023		
Direct Commission	15026791	12418762		
Operating Expenses	37609261	63076772		
Total	52636052	75495534		
Net Written Premium	174998686	153968375		
Ratio	30.08%	49.03%		

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि :

अनुबंध II : लेखांकन अनुपात

(₹ '000)

8	शुद्ध अर्जित प्रीमियम के लिए शुद्ध उपगत दावे	शुद्ध उपगत दावे		को समाप्त अवधि के लिए	
		31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
	अग्नि	6782138	5735895	77.99%	69.91%
	समुद्री कार्गो	815538	757115	61.10%	46.85%
	समुद्री पोतकाय	163450	584617	23.52%	89.69%
	मोटर	54267113	53422575	86.95%	103.43%
	कर्मचारी क्षतिपूर्ति	39583	367976	6.23%	52.06%
	व्यक्तिगत दुर्घटना	2738007	2945182	96.64%	99.53%
	विमानन	278543	92343	326.16%	80.25%
	अभियांत्रिकी	4294974	1053575	136.49%	62.37%
	स्वास्थ्य	79727304	67823127	109.72%	89.18%
	देयता	717494	111869	95.54%	8.15%
	अन्य विविध	1966120	2506719	53.55%	162.04%
	फसल	8546612	5208839	92.70%	106.80%
	कुल योग	160336876	140609832	96.50%	92.85%
9	मिश्रित अनुपात *	को समाप्त अवधि के लिए			
		31-03-2024	31-03-2023		
	शुद्ध उपगत दावे	160336876	140609832		
	कमीशन (शुद्ध)	13397167	10611920		
	परिचालन व्यय	37609261	63076772		
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम	166144903	151442860		
	शुद्ध लिखित प्रीमियम	174998686	153968375		
	अनुपात	125.65%	140.71%		
10	शुद्ध प्रीमियम अनुपात के लिए टेकनिकल रिजर्व	को समाप्त अवधि के लिए			
		31-03-2024	31-03-2023		
	असमाप्त जोखिमों के लिए रिजर्व	79913726	71059942		
	प्रीमियम में घाटे का रिजर्व				
	लंबित दावों के लिए रिजर्व	259333975	248749929		
	कुल	339247701	319809871		
	शुद्ध लिखित प्रीमियम	174998686	153968375		
	अनुपात	1.94	2.08		
11	बीमा लेखन शेष अनुपात	को समाप्त अवधि के लिए		को समाप्त अवधि के लिए	
		31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
		बीमा लेखन लाभ/ हानि			
	अग्नि	-3846567	-5848128	-44.23%	-71.27%
	समुद्री कार्गो	-15595	78151	-1.17%	4.84%
	समुद्री पोतकाय	120604	-594837	17.35%	-91.26%

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Registration No.: 545, Date of Renewal with the IRDAI :
ANNEXURE II : ACCOUNTING RATIOS

(₹ '000)

8	Net Incurred Claims to Net Earned Premium	Net Incurred Claim		For the Period ended	
				31-03-2024	31-03-2023
	Fire	6782138	5735895	77.99%	69.91%
	Marine Cargo	815538	757115	61.10%	46.85%
	Marine Hull	163450	584617	23.52%	89.69%
	Motor	54267113	53422575	86.95%	103.43%
	W.C	39583	367976	6.23%	52.06%
	P.A	2738007	2945182	96.64%	99.53%
	Aviation	278543	92343	326.16%	80.25%
	Engineering	4294974	1053575	136.49%	62.37%
	Health	79727304	67823127	109.72%	89.18%
	Liability	717494	111869	95.54%	8.15%
	Other Misc	1966120	2506719	53.55%	162.04%
	Crop	8546612	5208839	92.70%	106.80%
	Grand Total	160336876	140609832	96.50%	92.85%
9	Combined Ratio *	For the Period ended			
		31-03-2024	31-03-2023		
	Net Incurred Claims	160336876	140609832		
	Commission (Net)	13397167	10611920		
	Operating Expenses	37609261	63076772		
	Net Earned Premium	166144903	151442860		
	Net Written Premium	174998686	153968375		
	Ratio	125.65%	140.71%		
10	Technical Reserves to net premium ratio	For the Period ended			
		31-03-2024	31-03-2023		
	Reserve for Unexpired Risks	79913726	71059942		
	Premium Deficiency Reserve				
	Reserve for O/s Claims	259333975	248749929		
	Total	339247701	319809871		
	Net Written Premium	174998686	153968375		
	Ratio	1.94	2.08		
11	Underwriting Balance Ratio	For the Period ended		For the Period ended	
		31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
		Underwriting Profit/Loss			
	Fire	-3846567	-5848128	-44.23%	-71.27%
	Marine Cargo	-15595	78151	-1.17%	4.84%
	Marine Hull	120604	-594837	17.35%	-91.26%

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि :

अनुबंध II : लेखांकन अनुपात

(₹ '000)

विवरण	को समाप्त अवधि के लिए		को समाप्त अवधि के लिए	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
मोटर	-12737166	-28377168	-20.41%	-54.94%
कर्मचारी क्षतिपूर्ति	371872	23234	58.51%	3.29%
व्यक्तिगत दुर्घटना	-709705	-1593591	-25.05%	-53.85%
विमानन	-341793	-318255	-400.23%	-276.59%
अभियांत्रिकी	-2631483	-1434833	-83.63%	-84.95%
स्वास्थ्य	-23843214	-19936579	-32.81%	-26.21%
देयता	-503323	473628	-67.02%	34.52%
अन्य विविध	-227470	-3535119	-6.20%	-228.51%
फसल	-834561	-1792167	-9.05%	-36.75%
कुल योग	-45198401	-62855664	-27.20%	-41.50%
12 परिचालन लाभ अनुपात	को समाप्त अवधि के लिए			
	31-03-2024	31-03-2023		
बीमालेखन से लाभ	-45198401	-62855664		
निवेश से आय	36063962	35237623		
अन्य	1011434	23467050		
परिचालन लाभ	-8123005	-4150991		
शुद्ध अर्जित प्रीमियम	166144903	151442860		
अनुपात	-4.89%	-2.74%		
13 पॉलिसी धारकों की देयता के लिए तरल संपत्तियाँ	को समाप्त अवधि के लिए			
	31-03-2024	31-03-2023		
तरल परिसंपत्तियाँ *	51839659	44835230		
पॉलिसी धारकों की देयताएँ	346570417	322881043		
अनुपात	0.15	0.14		
14 शुद्ध अर्जन अनुपात	को समाप्त अवधि के लिए			
	31-03-2024	31-03-2023		
कर पश्चात लाभ	-8037129	-28293287		
शुद्ध प्रीमियम	174998686	153968375		
अनुपात	-4.59%	-18.38%		
15 निवल मूल्य पर प्रतिफल	को समाप्त अवधि के लिए			
	31-03-2024	31-03-2023		
कर पश्चात लाभ	-8037129	-28293287		
निवल मूल्य	-15352032	-7320518		
अनुपात	52.35%	386.49%		

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.: 545, Date of Renewal with the IRDAI :

ANNEXURE II : ACCOUNTING RATIOS

(₹ '000)

Particulars	For the Period ended		For the Period ended	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
Motor	-12737166	-28377168	-20.41%	-54.94%
W.C	371872	23234	58.51%	3.29%
P.A	-709705	-1593591	-25.05%	-53.85%
Aviation	-341793	-318255	-400.23%	-276.59%
Engineering	-2631483	-1434833	-83.63%	-84.95%
Health	-23843214	-19936579	-32.81%	-26.21%
Liability	-503323	473628	-67.02%	34.52%
Other Misc	-227470	-3535119	-6.20%	-228.51%
Crop	-834561	-1792167	-9.05%	-36.75%
Grand Total	-45198401	-62855664	-27.20%	-41.50%
12 Operating Profit Ratio	For the Period ended			
	31-03-2024	31-03-2023		
Underwriting Profit	-45198401	-62855664		
Investment Income	36063962	35237623		
Others	1011434	23467050		
Operating Profits	-8123005	-4150991		
Net Earned Premium	166144903	151442860		
Ratio	-4.89%	-2.74%		
13 Liquid Assets to Policyholders' Liabilities	For the Period ended			
	31-03-2024	31-03-2023		
Liquid Assets *	51839659	44835230		
Policyholders' Liabilities	346570417	322881043		
Ratio	0.15	0.14		
14 Net Earnings Ratio	For the Period ended			
	31-03-2024	31-03-2023		
Profit after Tax	-8037129	-28293287		
Net Premium	174998686	153968375		
Ratio	-4.59%	-18.38%		
15 Return on Network	For the Period ended			
	31-03-2024	31-03-2023		
Profit after Tax	-8037129	-28293287		
Network	-15352032	-7320518		
Ratio	52.35%	386.49%		

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि :

अनुबंध II : लेखांकन अनुपात

(₹ '000)

16	आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन अनुपात के लिए उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन अनुपात	को समाप्त अवधि के लिए			
		31-03-2024	31-03-2023		
	उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन	-28672083	-12587646		
	आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन	49003871	43414225		
	अनुपात	-0.59	-0.29		
16	उचित मूल्य परिवर्तन का 75% फोरबियारेन्स के साथ सॉल्वेंसी मार्जिन अनुपात	को समाप्त अवधि के लिए			
		31-03-2024	31-03-2023		
	उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन	-28672083	14999989		
	आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन	49003871	43414225		
	अनुपात	-0.59	0.35		
17	एनपीए अनुपात	को समाप्त अवधि के लिए			
		31-03-2024	31-03-2023		
	सकल एनपीए अनुपात	1.32%	1.64%		
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%		
18	प्रति शेयर का बही मूल्य	-3.93	-1.87		
19	प्रति शेयर भारत औसत आय	-2.06	-7.25		

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Registration No.: 545, Date of Renewal with the IRDAI :
ANNEXURE II : ACCOUNTING RATIOS

(₹ '000)

16	Available Solvency Margin Ratio to Required Solvency Margin Ratio	For the Period ended			
		31-03-2024	31-03-2023		
	Available Solvency Margin	-28672083	-12587646		
	Required Solvency Margin	49003871	43414225		
	Ratio	-0.59	-0.29		
	Solvency Margin Ratio with Forbearance 75% of Fair Value Change	For the Period ended			
		31-03-2024	31-03-2023		
	Available Solvency Margin	-28672083	14999989		
	Required Solvency Margin	49003871	43414225		
	Ratio	-0.59	0.35		
17	NPA Ratio	For the Period ended			
		31-03-2024	31-03-2023		
	Gross NPA Ratio	1.32%	1.64%		
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%		
18	Book Value per Share	-3.93	-1.87		
19	Weighted average Earnings Per Share	-2.06	-7.25		

वित्तीय विवरणों का सारांश

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
	परिचालन परिणाम					
1	लिखित सकल प्रीमियम	19852.96	17644.31	15722.25	16704.70	17515.08
2	शुद्ध प्रीमियम आय #	17499.87	15396.84	13436.65	14080.66	13740.02
3	निवेश से आय (शुद्ध) @	3606.40	3447.89	2640.49	2390.79	2884.40
4	अन्य आय / व्यय (कृपया दर्शाएँ)	101.14	8.60	529.46	-226.55	-89.47
5	कुल आय	21207.41	18853.33	16606.60	16244.90	16534.95
6	कमीशन (ब्रोकरेज सहित शुद्ध)	1339.72	1061.19	902.49	918.33	764.71
	ब्रोकरेज					
7	परिचालन व्यय	3760.93	6307.68	4140.93	3905.02	3432.98
8	दावे, असमाप्त जोखिमों के रिजर्व में वृद्धि तथा अन्य व्यय	16919.07	14313.53	13241.07	12474.84	13940.80
9	परिचालन लाभ/हानि	-812.31	-415.10	-1677.89	-1053.29	-1603.54
	गैर परिचालन परिणाम					
10	अंशधारकों के खाते में कुल आय	8.59	0.00	-457.66	68.61	117.67
11	कर पूर्व लाभ / (हानि)	-803.72	-2829.33	-2135.55	-984.68	-1485.72
12	कर के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
13	कर पश्चात लाभ/ हानि	-803.72	-2829.33	-2135.55	-984.68	-1485.85
	विविध					
14	पॉलिसी धारकों का खाता: *					
	कुल निधि	33924.77	32508.37	31142.84	30655.01	28229.14
	कुल निवेश					
	निवेश पर प्रतिफल					
15	अंशधारकों का खाता *					
	कुल निधि	-1535.20	-732.05	2095.18	4129.99	1510.51
	कुल निवेश					
	निवेश पर प्रतिफल					
16	प्रदत्त इक्विटी पूंजी	3905.00	3905.00	3905.00	3805.00	200.00
17	निवल मूल्य	-1535.20	-732.05	2095.18	4129.99	1510.51
18	कुल परिसंपत्तियाँ	47311.57	44253.50	45066.38	43864.19	36002.79
19	कुल निवेश पर प्रतिफल	10.83%	10.26%	6.32%	6.32%	6.45%
20	प्रति शेयर पर अर्जन (₹.)	-2.06	-7.25	-5.67	-6.62	-99.47
21	प्रति शेयर का बहीमूल्य (₹.)	0.00	-1.87	5.51	27.14	72.15
22	कुल लाभांश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	प्रति शेयर लाभांश (₹.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#	पुर्नबीमा का शुद्ध					
@	नुकसान का शुद्ध					

* यदि संभव हो तो अंक 15 और 16 अलग-अलग दिए जा सकते हैं

Annexure III

SUMMARY OF FINANCIAL STATEMENTS

(₹ in Crores)

Sl.No.	Particulars	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
	OPERATING RESULTS					
1	Gross Premiums Written	19852.96	17644.31	15722.25	16704.70	17515.08
2	Net Premium Income #	17499.87	15396.84	13436.65	14080.66	13740.02
3	Income from investments (net) @	3606.40	3447.89	2640.49	2390.79	2884.40
4	Other income / outgo (Pl. specify)	101.14	8.60	529.46	-226.55	-89.47
5	Total income	21207.41	18853.33	16606.60	16244.90	16534.95
6	Commissions (Net incl brokerage)	1339.72	1061.19	902.49	918.33	764.71
	Brokerage					
7	Operating Expenses	3760.93	6307.68	4140.93	3905.02	3432.98
8	Claims, increase in Unexpired Risk Reserve and other outgoes	16919.07	14313.53	13241.07	12474.84	13940.80
9	Operating Profit / loss	-812.31	-415.10	-1677.89	-1053.29	-1603.54
	NON-OPERATING RESULT					
10	Total income under shareholders' account	8.59	0.00	-457.66	68.61	117.67
11	Profit / (loss) before tax	-803.72	-2829.33	-2135.55	-984.68	-1485.72
12	Provision for tax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
13	Profit / loss after tax	-803.72	-2829.33	-2135.55	-984.68	-1485.85
	MISCELLANEOUS					
14	Policy holders' Account: *					
	Total funds	33924.77	32508.37	31142.84	30655.01	28229.14
	Total investments					
	Yield on investments					
15	Shareholders' Account *					
	Total funds	-1535.20	-732.05	2095.18	4129.99	1510.51
	Total investments					
	Yield on investments					
16	Paid up equity capital	3905.00	3905.00	3905.00	3805.00	200.00
17	Net worth	-1535.20	-732.05	2095.18	4129.99	1510.51
18	Total assets	47311.57	44253.50	45066.38	43864.19	36002.79
19	Yield on total investments	10.83%	10.26%	6.32%	6.32%	6.45%
20	Earnings per share (Rs.)	-2.06	-7.25	-5.67	-6.62	-99.47
21	Book value per share (Rs.)	0.00	-1.87	5.51	27.14	72.15
22	Total Dividend	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Dividend per share (Rs.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#	Net of reinsurance					
@	Net of losses					
	Points 15 & 16 may be given separately, if it is feasible					

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
प्रपत्र अ
31.03.2024 को पॉलिसी धारकों की अनधियाचित राशि का आयुवार विश्लेषण को दर्शाती हुई विवरणी
(₹ लाख में)

विवरण	कुल राशि	आयु वार विश्लेषण							
		0-6 महीने	7-12 महीने	13-18 महीने	19-24 महीने	25-30 महीने	31-36 महीने	37-120 महीने	120 महीने से अधिक
पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों की ओर से मुकदमेबाजी को छोड़कर किन्हीं कारणों से दावों का निपटान किया गया लेकिन पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों को भुगतान नहीं किया गया।	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों को परिपक्वता पर या अन्यथा देय राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रीमियम/कर या किसी अन्य शुल्क का कोई अतिरिक्त संग्रह जो पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों को या तो पॉलिसी की शर्तों के अनुसार या कानून के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, लेकिन अब तक वापस नहीं किया गया है।	2603	446	74	84	78	237	108	1555	21
पॉलिसीधारक/लाभार्थियों द्वारा चेक जारी किए गए लेकिन भुनाए नहीं गए	1077	78	8	5	18	74	6	602	286
कुल	3680	524	82	89	96	311	114	2157	307

नोट: आयुवार विश्लेषण के लिए, पॉलिसीधारकों की निधि पर अर्जित और संचित ब्याज रु. 2041 (लाख में) पर विचार नहीं किया गया है।

Annexure IV

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Registration No.: 545, Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023
Form A

**Statement showing the Age-wise Analysis of the
Unclaimed Amount of the Policyholders as on 31.03.2024**

(₹ in Lakhs)

Particulars	Total Amount	AGE-WISE ANALYSIS							
		0-6 months	7-12 months	13-18 months	19-24 months	25-30 months	31-36 months	37-120 months	More Than 120 Months
Claims settled but not paid to the policyholders/beneficiaries due to any reasons except under litigation from the policyholders/ beneficiaries	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum due to the policyholders/ beneficiaries on maturity or otherwise	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Any excess collection of the premium/ tax or any other charges which is refundable to the policyholders/ beneficiaries either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	2603	446	74	84	78	237	108	1555	21
Cheques issued but not encashed by the policyholder/beneficiaries	1077	78	8	5	18	74	6	602	286
Total	3680	524	82	89	96	311	114	2157	307

Note : For Agewise Analysis, the Interest earned and accumulated on the Policyholders' funds, amounting to Rs. 2041 (in lakhs), is not considered.

UNCLAIMED AMOUNT OF POLICYHOLDERS - AGE-WISE ANALYSIS

31.03.2024 को वित्तीय विवरणों पर प्रबन्धन का रिपोर्ट आइआरडीएआइ (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना विनियम), 2002 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया

- हम पुष्टि करते हैं कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीएआइ) द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 3 के तहत दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र नवीनीकृत कर दिया गया है और 31 मार्च 2024 तक वैध है।
- हम प्रमाणित करते हैं कि वैधानिक प्राधिकारियों को देय सभी निर्विवाद बकाया राशि का विधिवत भुगतान कर दिया गया है।
- हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार है और वर्ष के दौरान शेयरों का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है।
- इस बात की पुष्टि और घोषणा करता है कि भारत में जारी पॉलिसियों के धारकों की धनराशि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर निवेश नहीं की गई है।
- हम प्रमाणित करते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख पर सभी परिसंपत्तियों के मूल्यों की समीक्षा की गई है और परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी/गिरावट के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। बैलेंस शीट में निर्धारित परिसंपत्तियों को शीर्षकों के तहत उनके वसूली योग्य या बाजार मूल्य से अधिक नहीं की कुल राशि में दिखाया गया है - ऋण, निवेश, निवेश के लिए आवेदन राशि, भारत में गृह संपत्ति, एजेंटों की शेष राशि, बकाया प्रीमियम, ब्याज, लाभांश और बकाया किराया, ब्याज, लाभांश और अर्जित किराया, लेकिन देय नहीं, बीमा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों या निकायों से देय राशि, पुनर्बीमा के कारण कंपनियों से देय आरक्षित जमा, विविध देनदार, अग्रिम कर और अन्य कर भुगतान, नकद, योगदान पर वाहन ऋण आधार कम वसूली (अचल संपत्तियों के अलावा जो लागत कम मूल्यहास पर बताई गई है)।
- हम पुष्टि करते हैं कि प्रत्येक पोर्टफोलियो के तहत लिखे गए सभी जोखिम के अनावरण का कंपनी बारीकी से मूल्यांकन और निगरानी करती है। जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। कंपनी की क्षमता के अनुरूप प्रत्येक पोर्टफोलियो पर जोखिम अनावरण को ध्यान में रखते हुए पुनर्बीमा कार्यक्रम को तैयार किया गया है। शुद्ध खाते के लिए प्रति जोखिम/घटना की जोखिम आवरण को कई जोखिमों के आवरण के आधार पर उचित स्तरों पर संरक्षित किया जाता है।
- कंपनी की हांगकांग एजेंसी ने 31.03.2002 से कारोबार की समाप्ति पर बीमालेखन परिचालन बंद कर दिया है। राजस्व लेनदेन और संपत्तियों और देनदारियों का हिसाब हमारी लेखा पुस्तकों में जारी रहता है। कंपनी का किसी अन्य विदेशी प्रांत में कोई सीधा संचालन नहीं है।
- 067/आइआरडीए/एफ़ एंड ए/सीआईआर/मार्च 08 दिनांक 28.03.2008 के संदर्भ में 31.03.2024 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दावों का आयुवार विश्लेषण, खातों का हिस्सा बनने वाले नोटों के अनुलब्धन में दिया गया है।
- हम प्रमाणित करते हैं कि बैलेंस शीट के प्रयोजन के लिए, सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड (वेंचर कैपिटल फंड के अलावा) की इकाइयों के अलावा अन्य निवेश, जिन्होंने एनएवी घोषित किया है, उन्हें लागत पर या उससे कम दिखाया गया है। बाजार में सक्रिय रूप से कारोबार करने वाले इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन एनएसई पर बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार अंतिम उद्धृत समापन मूल्य पर किया जाता है और जहां कोई भी स्टॉक एनएसई में सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है, वहां इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बैलेंस शीट की तारीख पर बीएसई की अंतिम उद्धृत समापन मूल्य के आधार पर किया जाता है। म्यूचुअल फंड की इकाइयों (वेंचर कैपिटल फंड के अलावा) का मूल्यांकन फंड द्वारा घोषित बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार शुद्ध संपत्ति मूल्य पर किया जाता है। वेंचर कैपिटल फंड में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है और ऐसे निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाता है, जहां बैलेंस शीट की तारीख में शुद्ध संपत्ति का मूल्य लागत से कम है या जहां भी बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार शुद्ध संपत्ति मूल्य उपलब्ध नहीं है, या जहां फंड की अवाधि समाप्त हो गई है।

सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को राजस्व में नहीं लिया जाता है, बल्कि नियमों के अनुसार उचित मूल्य परिवर्तन खातों में ले जाया जाता है। वसूली लंबित रहने तक, उचित मूल्य परिवर्तन खाते में शेष राशि वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

निवेश के बाजार मूल्य के उद्देश्य से, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के अलावा सरकारी प्रतिभूतियों और ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन FIMMDA दिशानिर्देशों के आधार पर किया गया है। सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंडों की इकाइयों (उद्यम पूंजी निधियों के अलावा) के अलावा अन्य सभी निवेश, जिन्होंने एनएवी घोषित किया है, लागत से कम किए गए प्रावधानों, यदि कोई हो, पर मूल्यांकित किया गया है।

MANAGEMENT REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS AS ON 31.03.2024 PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF IRDAI (PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITORS' REPORT OF INSURANCE COMPANIES REGULATIONS), 2002

1. We confirm that the Registration Certificate granted under Section 3 of Insurance Act, 1938 by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has been renewed and is valid as on 31st March 2024.
2. We certify that all the undisputed dues payable to statutory authorities have been duly paid.
3. We hereby confirm that the share holding pattern is in accordance with the statutory and regulatory requirements and there is no transfer of shares during the year.
4. The Management hereby confirms and declares that the funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India.
5. We certify that the values of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and necessary provisions made for diminution/decline in value of assets. The assets set forth in the Balance Sheet are shown in the aggregate at amounts not exceeding their realisable or market value under the headings – Loans, Investments, Application Money for Investments, House property in India, Agents Balances, Outstanding Premium, Interest, Dividends and Rents outstanding, Interest, Dividends and Rents accruing but not due, amounts due from persons or bodies carrying on insurance business, reserve deposits due from companies on account of reinsurance, sundry debtors, advance tax and other tax payments, cash, vehicle loans on contribution basis less recoveries (other than fixed assets which is stated at cost less depreciation).
6. We confirm that the company evaluates and monitors closely all risks underwritten under each portfolio for the risk exposure. Remedial action is initiated to mitigate the risks effectively. Reinsurance Programme is drawn keeping in view the risk exposure on every portfolio commensurate with the capacity of the company. The risk exposure per risk/event for the net account is protected at appropriate levels based on exposure to multiple perils.
7. The Company's Hong Kong Agency has ceased underwriting operations with effect from close of business as of 31.03.2002. The revenue transactions and the assets and liabilities continue to be accounted in our books of accounts. The Company has no direct operation in any other foreign country.
8. Agewise analysis of the claims for the preceding five years ending 31.03.2024, in terms of 067/IRDA/F & A / CIR/March 08 dated 28.03.2008, has been given in the Annexure to notes forming part of accounts.
9. We certify that for the purpose of balance sheet, the investments other than Actively traded Equity shares and units of Mutual Funds (other than Venture Capital Funds) which have declared NAV's have been shown at or below cost. Equity shares that are actively traded in the market are valued at last quoted closing price on NSE as on the balance sheet date and where any stock is not being listed in NSE, the equity shares are valued on the basis of the last quoted closing price on BSE on the balance sheet date. Units of Mutual Funds (other than Venture Capital Funds) are valued at Net Asset Value as at the balance sheet date as declared by the funds. Investment in Venture Capital Fund is valued at Cost and Provision is made for diminution in value of such investment where net asset value as at the balance sheet date is lower than the cost or wherever Net Asset Value as on the balance sheet date is not available, or where the term of the fund has expired.

The unrealized gain/loss arising due to changes in Fair Value of actively traded equity shares and mutual fund investments are not taken to revenue but are taken to the fair value change accounts in accordance with the regulations. Pending realization, the balance in the fair value change account is not available for distribution.

For the purpose of market value of investments, Government Securities and Debt securities other than non-performing assets have been valued on the basis of FIMMDA guidelines. All other investments other than actively traded equity shares and units of mutual funds (other than venture capital funds) which have declared NAV have been valued at cost less provisions made, if any.

10. निवेश का प्रदर्शन

पिछले वर्ष के ₹32,759.96 करोड़ के मुकाबले ऋण सहित निवेश का कुल बही मूल्य और जमा राशि घटकर ₹ 32,619.58 करोड़ हो गई है। 2022-23 में ₹ (1985.20) करोड़ के मुकाबले वर्ष के दौरान शुद्ध अभिवृद्धि ₹ (140.38) करोड़ रही।

₹2,153.62 करोड़ की पिछले वर्ष की तुलना में निवेश आय ₹ 2,089.60 करोड़ है। इसी अवधि के दौरान, औसत उपज पिछले वर्ष की 6.38% की तुलना में निवेश फंड 6.39% रहा है। वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ पिछले वर्ष की ₹ 1309.90 करोड़ की तुलना में ₹ 1452.02 करोड़ रुपये रही है।

11. 31.03.2023 को 0% के मुकाबले 31.03.2024 को कुल निवेश के लिए शुद्ध गैर-निष्पादित आस्तियां प्रतिशत के रूप में 0% है।

12. इसके द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि

ए) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में सामग्री प्रस्थान से संबंधित स्पष्टीकरण, लागू लेखांकन मानक, सिद्धांत और नीतियों का उचित पालन किया गया है;

बी) प्रबंधन ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और वर्ष के लिए कंपनी का लाभ/ हानि का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके;

सी) प्रबंधन ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी को रोकने और उसका पता लगाने और अन्य अनियमितताएँ के लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4)/ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

डी) प्रबंधन ने वित्तीय विवरण चालू चिंता के आधार पर तैयार किए हैं; और

ई) प्रबंधन ने यह सुनिश्चित किया है कि व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है और प्रभावी ढंग से काम कर रही है।

13. संबंधित पक्ष के लेन-देन का खुलासा खातों के हिस्से बनने वाले नोट्स में किया जाता है।

संतानम हेमामालिनी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

चेन्नै

29.05.2024

भूपेश सुशील राहुल
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआइएन : 10610759

10. Performance of Investment

Total Book Value of Investments including Loans and Deposits has decreased to ₹ 32,619.58 crores from ₹ 32,759.96 crores in the previous year. The net accretion during the year amounted to ₹ (140.38) crores as against ₹ (1985.20) crores in 2022-23.

The investment income is ₹ 2,089.60 crores as compared to ₹ 2,153.62 crores in the previous year. During the same period, the mean yield on Investment funds has been 6.39% as compared to 6.38% in the previous year. Profit on sale/redemption of investments booked during the year is ₹ 1452.02 crores as compared to ₹ 1309.90 crores in the previous year.

11. The net Non-Performing Assets, as a percentage to the total investments is at 0% as on 31.03.2024 as against 0% as on 31.03.2023.

12. It is hereby confirmed that

a) in the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March, 2024, the applicable Accounting Standards, Principles and Policies have been followed along with proper explanations relating to material departures;

b) the Management has selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit/loss of the company for the year;

c) the Management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)/Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) the Management has prepared the financial statements on a going concern basis; and

e) the Management has ensured that an Internal Audit System commensurate with the size and nature of the business is in place and is operating effectively.

13. The related party transactions are disclosed in the Notes forming part of accounts.

SANTHANAM HEMAMALINI
CHIEF FINANCIAL OFFICER

Chennai
29TH May 2024

BHUPESH SUSHIL RAHUL
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN 10610759

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त छोड़ दिया गया है
This page is intentionally left blank



31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिये
समेकित वित्तीय विवरण और अनुसूचियाँ

**CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AND SCHEDULES FOR THE YEAR ENDED
31ST MARCH 2024**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का रिपोर्ट

प्रति युनाइटेड इंडिया इन्श्यूरेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

I. योग्य राय

हमने मेसर्स युनाइटेड इंडिया इन्श्यूरेंस कंपनी लिमिटेड (इसके बाद इसे "धारक कंपनी" के रूप में संदर्भित किया गया है) और इसकी सहायक कंपनी (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी को एक साथ "समूह" के रूप में संदर्भित किया गया है) और उसके सहयोगी, जिसमें 31 मार्च 2024 को समेकित बैलेंस शीट, समेकित अब्जि, समेकित समुद्धी और समेकित विविध राजस्व खाते, समेकित लाभ और हानि खाता और समास वर्ष के लिए समेकित रसीदें और भुगतान खाता शामिल हैं, और नोट समेकित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) का सारांश शामिल है, इन समेकित वित्तीय विवरणों में 30 क्षेत्रीय कार्यालयों के रिटर्न शामिल हैं (जिनमें शामिल हैं 366 परिचालन कार्यालयों के रिटर्न), 6 बड़े कॉर्पोरेट और ब्रोकर सेल, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों की अन्य फर्मों (बाद में "घटक लेखा परीक्षकों" के रूप में संदर्भित) द्वारा लेखा परीक्षित और एक विदेशी रन-ऑफ ऑपरेशन ("अन्य कार्यालय")।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, समूह और उसके सहयोगियों के मामलों की समेकित स्थिति पर उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण बीमा द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 ('बीमा अधिनियम'), बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 ('आईआरडीए अधिनियम'), बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय तैयारी) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1938 बीमा कंपनियों के विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) विनियम, 2002 ('आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियम'), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ('आईआरडीएआई') द्वारा जारी आदेश/निर्देश, कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों को लागू सीमा तक ("लागू लेखांकन ढांचा") आवश्यक तरीके से शामिल करना और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देना है।

- तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च 2024 तक समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं के मामलों की समेकित
- राजस्व खातों के मामले में, 31 मार्च 2024 को समास वर्ष के लिए घाटे का;
- लाभ और हानि खाते के मामले में, 31 मार्च 2024 को समास वर्ष के लिए समेकित हानि; और
- 31 मार्च 2024 को समास वर्ष के लिए समेकित प्राप्तियों और भुगतानों के प्राप्तियों और भुगतान खाते के मामले में।

II. योग्य राय का आधार

- समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 28 में पुनर्बीमाकर्ताओं सहित अन्य बीमा कंपनियों से वर्ष के अंत की पुष्टि न लेने और वित्तीय स्थिति पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख है / संराधन निश्चित नहीं है।
- 01 मार्च, 2024 को होल्डिंग कंपनी ने अपना परिचालन चेन्नई, तमिलनाडु में नवनिर्मित प्रधान कार्यालय भवन में स्थानांतरित कर दिया। होल्डिंग कंपनी को अभी तक ठेकेदार से अंतिम बिल, प्रमाणपत्र सौंपना और विभिन्न परिसंपत्तियों का वर्गीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी जानकारी लंबित होने तक, होल्डिंग कंपनी परिसंपत्तियों का पूंजीकरण नहीं कर सकी और इसे पूंजीगत कार्य-प्रगति के तहत वर्गीकृत करना जारी रखा और 31 मार्च, 2024 तक कुल राशि 228.93 करोड़ रुपये है। परिणामस्वरूप, हम 31 मार्च, 2024 को समास वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते पर मूल्यहास व्यय के प्रभाव का पता लगाने में सक्षम नहीं है।

हमने अपना ऑडिट को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों (एसए) के अनुसार किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए ऑडिटर्स की जिम्मेदारियों में हमारी रिपोर्ट का आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार नैतिक आवश्यकताओं के साथ होल्डिंग कंपनी से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और इसके तहत नियम, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the members of United India Insurance Company Limited

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

I. Qualified Opinion

We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of M/s United India Insurance Company Limited (hereinafter referred to as the "Holding Company") and its subsidiary (the Holding company and its subsidiary together referred to as "the Group"), and its associates, which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2024, the consolidated Fire, the consolidated Marine and the consolidated Miscellaneous Revenue Accounts, the consolidated Profit and Loss Account and the consolidated Receipts and Payments Account for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated Financial Statements"), incorporated in these Consolidated Financial Statements are the returns of the 30 Regional Offices (in which are incorporated the Returns of 366 Operating Offices), 6 Large Corporate and Broker Cells audited by other firms of auditors (hereinafter referred to as "Component Auditors") appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 of the Companies Act, 2013 and an overseas run-off operations ("other offices").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 ('The Insurance Act'), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 ('the IRDA Act'), the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 ('the IRDA Financial Statements Regulations'), orders / directions issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ('the IRDAI'), the Companies Act 2013 ('the Act') including the accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 to the extent applicable ("Applicable Accounting Framework") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Group and its Associates.

- a) in the case of the Balance Sheet, of the consolidated state of affairs of the Group, its associates entities as at 31st March 2024;
- b) in the case of the Revenue Accounts, of the deficit for the year ended 31st March 2024;
- c) in the case of Profit and Loss Account, of the consolidated loss for the year ended 31st March 2024; and
- d) in the case of the Receipts and Payments Account, of the consolidated Receipts and Payments for the year ended 31st March 2024.

II. Basis for Qualified Opinion

- 1) Note No. 28 to the Consolidated Financial Statements, refers to non-obtention of year end confirmation from other insurance companies including reinsurers and consequential impact on the financials, if any, of adjustment/ reconciliation is not ascertainable.
- 2) On March 01, 2024 the holding company shifted its operations to the newly constructed Head Office building at Chennai, Tamilnadu. The holding company is yet to receive the final bill, handing over Certificate and the classification of various assets from the Contractor. Pending such information, the holding company could not capitalize the assets and continued to classify the same under Capital work-in-progress and the total amount as on March 31, 2024 is INR 228.93 Crores. As a consequence, we are not able to ascertain the impact of depreciation expense on the Profit and loss account for the year ended March 31, 2024.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Holding Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements under the provisions of the Act and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

III. मामले का अवधारण

हम समेकित वित्तीय विवरण के नोट्स में निम्नलिखित मामले पर ध्यान आकर्षित करते हैं

- 31 मार्च 2024 को सॉल्वेंसी मार्जिन के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण के नोट नंबर 20 (-)0.59 है जो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य बीमा व्यवसाय की संपत्ति, देनदारियां और सॉल्वेंसी मार्जिन) विनियम, 2016 के अनुसार निर्धारित मार्जिन से कम है।
- सामान्य कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन का विकल्प चुनने वाले कंपनी के सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन देनदारी को स्थगित करने के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण में नोट संख्या 30 के अनुसार वर्ष के दौरान 253.12 करोड़ रुपये की राशि अवशोषित की गई है, जैसा कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संदर्भ 411/एफ एंड ए (एनएल)/एमोर्ट-ईबी/2019-20/125दिनांक 07-07-2020 द्वारा अनुमोदित किया गया है। 31 मार्च, 2024 तक कुल देनदारी रु. 1265.59 करोड़ पूर्णतः अवशोषित किये जा चुके हैं।

- समेकित वित्तीय विवरण के नोट संख्या 2 और 28 में 1080.39 करोड़ रुपये की राशि के संबंध में, जिसे आयकर विभाग से रिफंड बकाया के संबंध में अग्रिम वसूली योग्य के रूप में दिखाया गया है जो सीआईटी, आईटीएटी, एचसी और एस.सी. जैसे विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। ये रकम वित्तीय वर्ष 2000-01 से लंबित हैं।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

IV. अंकेक्षण के प्रमुख मामले

प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख ऑडिट मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र. सं	अंकेक्षण के प्रमुख मामले	लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया
1.	असमाप्त जोखिम रिजर्व के लिए प्रावधान असमाप्त जोखिम रिजर्व (यूआरआर) को अब तक संबंधित पॉलिसियों के लिए समय विभाजन के आधार पर या जोखिम के आधार पर 1/365 विधि के माध्यम से जो भी उचित हो, मान्यता दी गई थी, सिवाय समुद्री पोतकाय के जहां यह शुद्ध लिखित प्रीमियम का 100% है। उसकी प्रक्रिया को कंपनी द्वारा तैयार कर लिया गया है।	परीक्षण जांच के आधार पर नमूनों को निरीक्षण, उचित विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और पुनः गणना के माध्यम से हमारे द्वारा जांचा गया। इसमें किसी भी भौतिक विसंगतियों नहीं पाया गया।
2.	स्वास्थ्य बीमा दावा का निपटान स्वास्थ्य संबंधी दावों की तीन श्रेणियां हैं, जैसे कि (i) घरेलू स्वास्थ्य दावों का जिन्हे विभिन्न परिचालन अधिकारी द्वारा तृतीय पक्ष के सहयोग से संसाधित किया जाता है। (ii) ओवरसीज मेडिकल दावे जिनका भुगतान सीएफएसी द्वारा किया जाता है (iii) स्टाफ मेडिकल दावों का भुगतान जिनकी प्रतिपूर्ति ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा की जाती है। चूंकि स्वास्थ्य दावों की श्रेणियों और घटनाओं की संख्या अत्यधिक होने के कारण स्वास्थ्य दावों के भुगतान की जांच करना एक चुनौती रहा।	प्रत्येक श्रेणी में से चयनित नमूनों का जांच के आधार पर दावा दर्ज करने से लेकर दावा निपटान तक की प्रक्रिया के संबंध में कंपनी की नियंत्रण और प्रभावशीलता को परखने के लिए हमने धारक कंपनी के सक्षम लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट पर विचार किया है और किसी भी प्रकार का विसंगतियाँ नहीं पाई गई है।



III. Emphasis of Matter

We draw attention to the following matter in the Notes to the Consolidated Financial Statements

- Note No. 20 to the Consolidated Financial Statements, regarding the Solvency Margin as on 31st March 2024 is (-)0.59 which is below the stipulated margin as per the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016.
- Note No. 30 to the Consolidated Financial Statements, regarding the deferment of pension liability of the retired and existing employees of the company who opted for Pension under General Employees' Pension Scheme 1995. An amount of ₹ 253.12 Crores has been absorbed during the year, as approved by Insurance Regulatory and Development Authority of India, vide its letter Ref 411/F&A(NL) /Amort- EB/2019-20/125 dated 07-07-2020. As on March 31st, 2024 the total liability of ₹ 1265.59 Crores has been fully absorbed

- Note No. 2 & 28 to the Consolidated Financial Statements, regarding an amount of ₹1080.39 Crores which is shown as advance recoverable in respect of Refund dues from Income Tax Department, are pending at various levels such as CIT, ITAT, HC and SC. These amounts are pending from FY 2000-01.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

IV. Key Audit Matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

SI. No.	Key Audit Matter	Auditors' Response
1	Provisioning of Unexpired Risk Reserve Unexpired Risk Reserve (URR) hitherto had been recognized by way of 1/365 method on time apportionment basis or period of risk basis for the respective policies, whichever is appropriate other than Marine Hull where it is 100% of the Net written premium. The process of the same has been formulated by the company.	On a test check basis samples were verified by us through inspection, appropriate analytical procedures and re-calculation. No material discrepancies have been identified.
2	Settlement of Health Insurance claim There are 3 categories of Health claims namely (i) Domestic Health claim processed by various Operating officers through third party agencies (ii) Overseas medical claims for which payment are made by CFAC (iii) Staff medical claims paid and reimbursed from Oriental Insurance Company Ltd As the number of categories of health claims and the number of instances is very large verification of payments in settlement of health claims proved to be a key audit matter.	We have considered the Reports issued by the Component Auditors of the holding company to check the effectiveness of control and accounting with regard to the process involved from lodgement of claim to settlement of claims through selection of samples on test check basis from each of the categories and no discrepancies were observed during the verification.

<p>3.</p>	<p>दावा का प्रावधान</p> <p>उपगत दावे कंपनी के व्ययों का एक प्रमुख भाग है। बीमा की देयता का अनुमान अनुबंधों में उच्च स्तर का अनुमान आधारित होता है जो सर्वेक्षक की रिपोर्ट पर, वकील की सलाह पर, जहाँ कहीं भी लागू हो सह-बीमाकर्ताओं से संचार, उपगत हुए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए उपगत दावे (आईबीएनआर) और उपगत दावे लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं की गई (आईबीएनईआर) के संबंध में देयता का मूल्यांकन बीमांकिक के ऊपर निर्धारित होता है। ऐसे कार्यप्रणाली में लिप्त जटिलताओं के मद्देनजर, धारणाओं निर्णय और सलाह का सत्यापन करना दावा प्रावधान एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला बना।</p>	<p>निम्न लेखा परीक्षा प्रक्रिया अपनाई गई:</p> <p>(i) पुर्नबीमा, समुद्री तकनीकी, फसल बीमा और ओवरसीज मेडिकल दावों के दावा प्रावधानों को हमारे द्वारा जांच की गई।</p> <p>(ii) कंपनी के दिशा निर्देशों तथा सर्वेयर्स का अनुमान, वकीलों की सलाह तथा सह-बीमाकर्ताओं प्रितिपुष्टि के आधार पर दावों का प्रावधान के विषय में धारक कंपनी के सक्षम लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट की जांच की गई ताकि दावा निपटान की प्रक्रिया तथा दावों का प्रावधान पर हम संतुष्ट हो सके।</p> <p>उपगत हुए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए उपगत दावे (आईबीएनआर) और उपगत दावे लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं की गई (आईबीएनईआर) के संबंध में कंपनी द्वारा नियुक्त बीमांकिक की 31.03.2024 की रिपोर्ट पर विश्वास किया गया।</p>
<p>4.</p>	<p>निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन की उपयुक्तता समेकित वित्तीय की अनुसूची 8 और 8ए को देखें। लेखांकन नीति के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का बिंदु 8 को देखें। पॉलिसी धारकों के प्रति देयताओं, लिंक किए गए देयताओं तथा अंशधारकों के निधियों को कंपनी अपने पास रखती है। धारक कंपनी की संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा निवेश के रूप में है (31 मार्च 2024 को कुल निवेश रु. 32,619.58 करोड़ है जो कुल संपत्तियों का 78.40% है)। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीएआइ) के निर्धारण के अनुसार सभी निवेशों को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण(निवेश) नियामक, 2016 तथा बोर्ड की निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाना है। ऐसे में असूचीबद्ध या अक्सर व्यापार नहीं किए जाने वाले निवेशों में प्रबंधन का विवेक सम्मिलित होता है जिसका मूल्यांकन करना लेखा परीक्षा का एक प्रमुख मामला बना रहा। इसके अलावा, निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी के रेटिंग को प्रभावित करने वाली घटनाओं के कारण भी निवेश विनियमों की आवश्यकताएं और/या कंपनी की आंतरिक नीतियों के अनुसार निवेश को पुनर्वर्गीकृत करने और उसके मूल्यांकन/नुकसान का आकलन करने की आवश्यकता हो सकती है।</p>	<p>हमारी प्रक्रिया में निम्न शामिल थे:</p> <ul style="list-style-type: none"> निवेश के मूल्यांकन/ नुकसान तथा उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधक की प्रक्रिया और नियंत्रण को समझना। प्रबंधन द्वारा क्रियान्वित निवेश का मूल्यांकन/ नुकसान तथा उचित वर्गीकरण पर संबंधित उचित नियंत्रण की परिचालन क्रियाशीलता का निर्माण और जांच का मूल्यांकन। बोर्ड के निदेशकों द्वारा अनुमोदित तथा निवेश नियामकों का अनुपालन और प्रतिभूतियों का वर्गीकरण, मूल्यांकन/ नुकसान और निवेशों का सही अभिलेखन के नमूनों की जांच। असूचीबद्ध या अक्सर व्यापार नहीं किए जाने वाले निवेशों और/ या किसी विशेष घटना के अनुसार पुनर्वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए कंपनी की आंतरिक नीतियों और विनियामक आवश्यकताओं का प्रबंधन के आकलन की हमने संपुष्टि की है। <p>किए गए कार्य के आधार पर हमें ऐसे कोई भौतिक अपवाद नजर नहीं आई जो यह स्थापित कर सके कि निवेशों को उचित रूप से वर्गीकृत या मूल्यांकन नहीं किया गया।</p>



Sl. No.	Key Audit Matter	Auditors' Response
3	<p>Claim Provisioning</p> <p>Incurred Claims is a major component of expense of the Company. The estimation of liability of insurance contracts involve a high degree of estimation based on surveyor's report, advocate's advices, communication from co insurers where ever applicable, actuarial valuation of liability in respect of claims incurred but not reported (IBNR) and claims incurred but not enough reported (IBNER) In view of complexities involved in the methodology based on assumptions judgments and advices verification of claims provision became a key audit matter.</p>	<p>The following audit process was adopted:</p> <p>(i) Claims provisioning of Reinsurance, Marine Technical, Crop Insurance and Overseas Medical Claim portfolios were verified by us.</p> <p>(ii) Reports of Component Auditors of the holding company on claims processing based on guidelines of the company and claims provisioning based on Surveyor's estimate, advice from advocates and co-insurer's feedback were checked to satisfy ourselves on the procedures of settling claims and provisioning for claims</p> <p>For claims incurred but not reported and claims incurred but not enough reported, we relied on the Actuarial valuation as on 31/3/2024 done by company appointed Actuary.</p>
4	<p>Appropriateness of the classification and valuation of Investments</p> <p>Refer Schedule 8 & 8A of the Consolidated Financial Statement. For accounting policy, refer Point 8 to the standalone financial statements. The Company holds investments against policy holders 'liabilities, linked liabilities and shareholders' funds. A significant portion of the assets of the holding company is in the form of investments (total investments as at March 31, 2024 is Rs. 32,619.58 crore which constitutes 78.40% of Total Assets). As prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (the "IRDAI"), all investments, should be made and managed in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Investment) Regulations, 2016 (the "Investment Regulations") and policies approved by Board of Directors of the Company. This area was considered as a key audit matter as the valuation of unlisted or not frequently traded investment involves management judgment. Also, due to events affecting the investee company's rating, there could be a need to reclassify investment and assess its valuation / impairment as per the requirements of the Investment Regulations and/ or Company's internal policies.</p>	<p>Our procedures included the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Understanding Management's process and controls to ensure proper classification and valuation/ impairment of Investment. • Evaluating the design and testing operating effectiveness of the related key controls over proper classification and valuation/ impairment of investment implemented by the management. • Tested on Sample basis the correct recording of Investments, valuation / Impairment, classification of securities and compliance with Investment regulation and policies approved by the Board of Directors. • For unlisted and not frequently traded investments and/or event specific reclassification and valuation, we corroborated management's assessment with the regulatory requirements and the Company's internal policies. <p>Based on the work carried out, we did not come across any material exception which suggests that the investments were not properly classified or valued.</p>

V. समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए धारक कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट सहित बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलब्धक, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अभिशासन और शेयरधारकों की जानकारी सम्मिलित हैं लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। उम्मीद है कि अन्य जानकारी इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराई जाएगी।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय अन्य सूचना पर प्रकाश नहीं डालती है और इसके निष्कर्ष पर हम किसी प्रकार आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि इसे पढ़ना और ऊपर दर्शाई गई अन्य जानकारी जब उपलब्ध हो जाती है और ऐसा करने में, इस पर विचार करें कि क्या लेखा परीक्षा में प्राप्त किया गया अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरण या हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा वास्तव में गलत बताया गया प्रतीत होता है।

अन्य जानकारी प्राप्त होने पर, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी है, तो हमें अभिशासन के लिए जिम्मेदार लोगों तक इस मामले को पहुंचाना आवश्यक है और हम:

- यदि महत्वपूर्ण गलतबयानी सही हो गई है, तो सुधार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया निष्पादित करें; या
- यदि अभिशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को मामले की जानकारी देने के बाद भी गलत बयानी को ठीक नहीं किया जाता है तो हमारे कानूनी अधिकारों और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करने का प्रयास करें जिससे असंशोधित सामग्री गलत विवरण को उचित रूप से उन उपयोगकर्ताओं के ध्यान में लाया जाय जिनके लिए यह है ऑडिटर की रिपोर्ट तैयार हो गई है।

VI. समेकित वित्तीय विवरणों के अभिशासन के लिए जिनकी जिम्मेदार है और प्रबंधन की जिम्मेदारी

समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के संबंध में जो समेकित वित्तीय स्थिति, इसकी सहयोगी संस्थाओं सहित लागू लेखांकन ढांचे के अनुसार समूह का प्रदर्शन और समेकित प्राप्ति और भुगतान के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए धारक कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

समूह की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितता को रोकने और कटौती करने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल और उसके सहयोगी जिम्मेदार है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; विवेकपूर्ण निर्णय लेना और उचित अनुमान लेना जो विवेकपूर्ण हैं; यह सुनिश्चित करने के लिए कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सटीकता और पूर्णता के साथ प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, इसके लिए लेखांकन का अभिलेख का पर्याप्त का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव का निर्माण करना, समेकित वित्तीय की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक ऐसे कथन जो सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं; या चाहे धोखाधड़ी के कारण या त्रुटि, जिसका उपयोग समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा किया गया है, जैसे की उपरोक्त में कहा गया है।

एक उन्नतिशील प्रतिष्ठान के रूप में समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं की क्षमता का आकलन करने के लिए या खुलासा करने के लिए, जैसे भी लागू हो, उन्नतिशील प्रतिष्ठान से संबंधित मामले और उन्नतिशील प्रतिष्ठान के लेखांकन के लिए कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल और समूह में शामिल इसकी सहयोगी संस्थाएँ जिम्मेदार हैं, जब तक कि निदेशक मंडल का यह इरादा न हो कि समूह को खत्म कर दिया जाए या संचालन बंद कर दिया जाए, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं हो।

समूह और उसके सहयोगियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए समूह में शामिल कंपनियों और उसकी सहयोगी संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं।

VII. समेकित वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य समेकित वित्तीय विवरण के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है और लेखा परीक्षकों की समग्र रिपोर्ट जारी करना है जो भौतिक गलतबयानी से मुक्त हो, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जिसमें हमारी अभिप्राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का एक आश्वासन होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा किसी मौजूद महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी उत्पन्न हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करेंगे।

V. Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the matters included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditor's report thereon. The other information is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

On receipt of other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and we shall:

- (a) If the material misstatement is corrected, perform necessary procedure to ensure the correction; or
- (b) If the material misstatement is not corrected after communicating the matter to those charged with governance, take appropriate action considering our legal rights and obligations, to seek to have the uncorrected material misstatement appropriately brought to the attention of users for whom this Auditor's report is prepared.

VI. Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated Receipts and Payments of the Group including its associates entities in accordance with the Applicable Accounting Framework.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group and its associates are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act for safeguarding of the assets of the group and for preventing and deducting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatements, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements by the Directors of the Holding company, as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates are responsible for assessing the ability of the Group and of its associates entities to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates entities are responsible for overseeing the financial reporting process of the group and of its associates.

VII. Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

एसएस के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा के दौरान संदेहों के प्रति पेशेवर रवैया बनाए रखते हैं। हम यह भी:

- समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा प्रक्रियाओं का निर्माण करें और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। इसका जोखिम धोखाधड़ी से उत्पन्न किसी महत्वपूर्ण गलत बयान का पता न लग पाना, त्रुटि से उत्पन्न किसी गलत बयान की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उचित है। धारक कंपनी की पास आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित करना और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर्याप्त है या नहीं, इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी हम जिम्मेदार हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन की तर्कसंगतता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमान और संबंधित खुलासे का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा उन्नतिशील व्यवसाय प्रतिष्ठान आधार के लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और, प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य के आधार पर क्या घटनाओं से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है या ऐसी स्थितियाँ जो समूह और उसके सहयोगियों को उन्नतिशील व्यवसाय प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है कि हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों के लिए या, हमारी राय को संशोधित करने के लिए खुलासे अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त की गई ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाएँ या परिस्थितियाँ समूह और उसके सहयोगी को एक उन्नतिशील व्यवसाय प्रतिष्ठान के रूप में बने रहना वंचित कर सकती है।
- समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और खुलासे सहित सामग्री का मूल्यांकन करना और अंतर्निहित व्यवहारों और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना कि क्या समेकित वित्तीय विवरण निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।
- समेकित वित्तीय विवरण पर एक राय व्यक्त करने के लिए समूह और उसकी सहयोगी संस्थाओं के भीतर वित्तीय सूचना तथा व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में पर्याप्त उचित लेखा परीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करना। समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किए गए ऐसी संस्थान जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं उनके निर्देशन, पर्यवेक्षण और लेखा परीक्षण के निष्पादन के लिए हम जिम्मेदार हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावित बनाती है कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

हम धारक कंपनी और समेकित वित्तीय विवरण में शामिल ऐसी अन्य संस्थाओं के अभिशासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों, जिसमें कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं आंतरिक नियंत्रण में जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान चिन्हित करते हैं।

हम उन लोगों को भी एक बयान प्रदान करते हैं जिन पर अभिशासन का प्रभार है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और , और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं।

अभिशासन के प्रभारी लोगों के साथ चर्चित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण थे और इन कारणों से वे प्रमुख लेखा परीक्षण मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, जब तक कि अत्यंत विशिष्ट परिस्थितियों अथवा कोई विधिक या विनियमन के कारण सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करना आवश्यक हो जाता है।

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Holding company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and of its associates to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group and of its associates to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group and its associates entities to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Consolidated Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Consolidated Financial Statements

We communicate with those charged with governance of the Holding Company and such other entities included in the consolidated financial statement of which we are independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

VIII. अन्य मामले

- कंपनी की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में सम्मिलित और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित ऐसे 30 क्षेत्रीय कार्यालयों (जिनमें 366 ऑपरेटिंग कार्यालयों के रिटर्न शामिल हैं), 6 बड़े कॉर्पोरेट और ब्रोकर सेल और एक विदेशी रन-ऑफ ऑपरेशन ("अन्य कार्यालय") के रिटर्न/वित्तीय विवरणों का हमने लेखा परीक्षा नहीं किया है जो 31 मार्च 2024 को रु. 22356 की सम्पत्तियों को दर्शाते हैं तथा 31 मार्च 2024 को रु. 1075 की कर पूर्व कुल शुद्ध हानि को प्रदर्शित करते हैं। अन्य कार्यालयों के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा, संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक इन अन्य कार्यालयों के संबंध में शामिल रकम और प्रकटीकरण का संबंध है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में एक सहायक कंपनी के संबंध में अलेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी शामिल है, जिसकी वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2024 तक समाप्त वर्ष के लिए 41.73 करोड़ रुपये की सम्पत्तियों, कुल राजस्व रु. उस तिथि को 14.75 करोड़ रुपये का कुल राजस्व और शुद्ध नकदी प्रवाह 22.41 करोड़ रुपये थी। यह अलेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई है। समेकित वित्तीय विवरण में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के 39.62 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में 2 (दो) सहयोगियों के संबंध में, जिनकी वित्तीय जानकारी का ऑडिट नहीं किया गया है और जिनकी अनऑडिटेड वित्तीय जानकारी प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है, को माना गया है। जहां तक यह इन सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है और जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनियों से संबंधित है, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट ऐसी अलेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी पर पूरी तरह से हमारी राय आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह वित्तीय जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में किए गए कार्यों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारी निर्भरता के संबंध में संशोधित नहीं है।

IX. अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, कंपनी अधिनियम, 2013 के विनियमन और प्रावधानों के अनुसार लागू सीमा तक और आवश्यक तरीके से समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) और आईआरडीआई वित्तीय विवरण विनियम और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशों या निर्देशों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - ए) योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामलों को छोड़कर, हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
 - बी) क्वालिफाइड ओपिनियम पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, समूह और उसके सहयोगी द्वारा विधिक की आवश्यक खाते की उचित बही रखी गई है, जहां तक हमारी उनके जांच से प्रतीत होता है जिन क्षेत्रीय कार्यालयों, मंडल कार्यालयों, सहायक कंपनियों और सहयोगियों का हमने दौरा नहीं किया था, उनसे लेखा परीक्षित और गैर लेखापरीक्षित दोनों पुस्तकें और उचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं और ये हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त थे।
 - सी) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन पत्र, समेकित राजस्व खाते, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित प्राप्तियां और भुगतान खाता समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए खाते की पुस्तकों के साथ मेल खाते हैं।
 - डी) सक्षम लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(8) के तहत ऑडिट किए गए क्षेत्रीय लेखा परीक्षकों और विदेशी रन-ऑफ परिचालन की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में जिस तरीके को हमने आवश्यक समझा, उसे हमारे द्वारा उचित तरीके से निपटा गया है।
 - ई) योग्य राय पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण और समूह की लेखांकन नीतियां लेखांकन सिद्धांतों और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक का अनुपालन करती है, जो उस हद तक प्रासंगिक

VIII. Other Matters

- We did not audit the Returns / financial statements of 30 Regional Offices (in which are incorporated the Returns of 366 Operating Offices), 6 Large Corporate and Broker Cells and an overseas run-off operations (“other offices”) audited by other auditors, included in the Standalone Financial Statements of the Company whose financial statements reflect total assets of ₹ 22356 Crores as at March 31, 2024 and total income of ₹ 19826 Crores for the year ended March 31, 2024, and total net loss before tax of ₹ 1075 Crores for the year ended March 31, 2024. The financial statements of the other offices have been audited by the respective auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these other offices, is based solely on the reports of such other auditors.
- The accompanying Consolidated Financial Statements include unaudited financial information in respect of one subsidiary whose financial information reflect total assets of ₹ 41.73 Crores as at March 31, 2024, total revenues of ₹ 14.75 Crores and net cash inflows of ₹ 22.41 crores for the year ended on that date. This unaudited financial information has been furnished to us by the management of Holding Company. The Consolidated Financial Statements also include the Group’s share of net profit of ₹ 39.62 Crores for the year ended 31st March, 2024, as considered in the Consolidated Financial Statements, in respect of 2 (two) associates, whose financial information have not been audited and whose unaudited financial information have been furnished to us by the Management. Our opinion, in so far as it relates to amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and our report in terms of sub-sections (3) of Section 143 of the Act in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries is based solely on such unaudited financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, this financial information are not material to the Group.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors.

IX. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The Consolidated Financial Statements have been drawn up in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938, the Regulation and the provisions of the Companies Act, 2013 to the extent applicable and in the manner so required.
2. As required by Section 143 (3) of the Companies Act, 2013 and the IRDAI Financial Statements Regulations and orders or direction issued by the Insurance Regulatory and Development Authority, we report that:
 - a) We have sought and except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid Consolidated Financial Statements.
 - b) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion Paragraph, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by Group and its associate, so far as it appears from our examination of those books and proper returns both audited and unaudited from Regional offices, Divisional offices, subsidiary and associates not visited by us, have been received and these were adequate for the purpose of our audit.
 - c) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Revenue Accounts, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Receipts and Payments Account dealt with by this Report are in agreement with the books of account maintained for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements.
 - d) The Reports of the Regional Auditors, and of foreign run off operations audited under section 143(8) of the Companies Act, 2013 by the component auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report in the manner considered necessary by us
 - e) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion Paragraph, in our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements and the Accounting Policies of the Group comply with the accounting principles

और उचित माना जाता है और जो आइआरडीएआइ द्वारा निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों के साथ असंगत नहीं है का अनुपालन करती है।

एफ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निवेश का मूल्यांकन बीमा अधिनियम के प्रावधानों, इस संबंध में आइआरडीएआइ द्वारा जारी नियमों और आदेशों/ निर्देशों के अनुसार किया गया है।

जी) अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05.06.2015, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के अनुसार यह सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

एच) खातों के रखरखाव और इससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित संशोधन अधिनियम की धारा 143(3) के तहत रिपोर्टिंग पर उपरोक्त पैराग्राफ 2(बी) और नीचे रिपोर्टिंग पर पैराग्राफ 2(एल)(vi) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11(जी), यथा संशोधित; में बताए गए हैं।

आइ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, हम अपनी रिपोर्ट "अनुलब्धक-1" में देते हैं। हमारी रिपोर्ट समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक संशोधित राय व्यक्त करती है;

जे) इसके अलावा होल्डिंग कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि:

i. धारक कंपनी में अनुपालन के लिए प्रभारी प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि धारक कंपनी ने आइआरडीएआइ द्वारा निर्धारित पंजीकरण के नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं किया है; और

ii. पॉलिसीधारकों के निधि की संपत्ति का कोई भी हिस्सा पॉलिसीधारक के निधि के उपयोग और निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं किया गया है।

के) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम:

i. समेकित वित्तीय विवरण समूह और उसके सहयोगियों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा करते हैं - समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 2 देखें;

ii. समूह और उसके सहयोगियों को डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि नहीं हुई है।

iii. होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनी और भारत में निगमित सहयोगी कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

iv. अ. प्रबंधन ने दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों के नोट्स में प्रकट किए गए अनुसार के अलावा, कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से) कंपनी द्वारा या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को धन) इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करना है।

ब. प्रबंधन ने दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, खातों के नोट्स में बताए गए अनुसार के अलावा, कंपनी को विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है और फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करना; इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज की गई हो, कि कंपनी, प्रत्यक्ष

- and with the Accounting Standard specified under Section 133 of the Act, to the extent considered relevant and appropriate and which are not inconsistent with accounting principles prescribed by IRDAI
- f) As per the information and explanations provided to us, the investments have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act, the regulations and orders/directions issued by IRDAI in this regard.
- g) As per the Notification No. G.S.R. 463(E) dated 05.06.2015, sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 is not applicable to Government Companies.
- h) The modifications relating to the maintenance of accounts and other matters connected herewith are as stated in the paragraph 2(b) above on reporting under Section 143(3) of the Act and paragraph 2(l)(vi) below on reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended;
- i) With respect to adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, we give our report in "Annexure-I. Our report expresses an modified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting with reference to the Consolidate Financial Statements;
- j) Further on the basis of our examination of books and records of the Holding Company and according to the information and explanation given to us and to the best of our knowledge and belief, we certify that:
- i. Based on the representation made by the management of the Holding Company charged with compliance, nothing has come to our attention which causes us to believe that the Holding Company has not complied with the terms and conditions of registration as stipulated by IRDAI; and
 - ii. No part of the assets of the policyholders' funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act relating to the application and investments of the policyholders' funds
- k) With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- i. The Consolidated Financial Statements disclose the impact of pending litigations on the consolidated financial position of the group and its associates - Refer Note No. 2 to the Consolidated Financial Statements;
 - ii. The Group and its associates did not have any material foreseeable losses on long-term contracts including derivative contracts.
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Holding Company, its subsidiary company and associate company incorporated in India.
 - iv. a. The management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries
 - b. The management has represented, that, to the best of it's knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any

या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी; और

- स. ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें हमने परिस्थितियों में वाजिब और उचित माना है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत तथ्य है।
- V. होल्डिंग कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है और वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव नहीं किया है।
- VI. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल है, धारक कंपनी ने अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए जीसी कोर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह पूरे वर्ष संचालित होती है। हमारे ऑडिट के दौरान, हमें

ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला है।

इसके अलावा, ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, धारक कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले पांच समर्थन सॉफ्टवेयरों में से तीन के संबंध में, हम पुष्टि करते हैं कि कोई ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा सक्षम नहीं है (समेकित वित्तीय विवरण नोट संख्या 47 देखें)।

जैसा कि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान 01 अप्रैल, 2023 से लागू है, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर रिपोर्टिंग रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताएँ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों के संबंध में हमारी टिप्पणियाँ अनुबंध - II में दी गई हैं।

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउटेन्ट्स

एफआरएन: 001997S

सीए के. सुनील कुमार

भागीदार

सदस्यता सं. 231416

यूडीआइएन: 24231416BKGUZZ6453

स्थान : चेन्नै

दिनांक : मई 29, 2024

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एलएलपी

चार्टर्ड अकाउटेन्ट्स

एफआरएन: 004997S/S200051

सीए आर सुंदरराजन

भागीदार

सदस्यता सं. 029814

यूडीआइएन: 24029814BKGSYA8353

वास्ते ए वी देवेन & कं.

चार्टर्ड अकाउटेन्ट्स

एफआरएन: 000726S

सीए आर रघुरामन

भागीदार

सदस्यता सं. 201760

यूडीआइएन 24201760BKBXOE5231

- guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and
- c. Based on audit procedures which we considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) contain any material mis-statement
- v. The Holding company has not declared or paid any dividend during the year and has not proposed final dividend for the year.
- vi. Based on our examination, which included test checks, the Holding Company has used GC Core for maintaining its books of account, which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year. During the course of our audit, we did not come across any instances of the audit trail feature being tampered with

Further, in relation to three out of five support softwares used by the holding company, based on the audit procedures, we confirm that there is no audit trail (edit log) facility that was enabled (Refer Note No. 47 the Consolidated Financial Statements).

As proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is applicable from April 01, 2023, reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 on preservation of audit trail as per the statutory requirements for record retention is not applicable for the financial year ended March 31, 2024.

3. As required by section 143(5) of the Companies Act, 2013, our comments with regard to the directions and sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India are given in Annexure – II.

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN: 001997S

For S R B R & Associates, LLP
Chartered Accountants
FRN :004997S/ S200051

For A V Deven & Co,
Chartered Accountants,
FRN: 000726S

CA K. Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416
UDIN: 24231416BKGUZZ6453

CA R Sundararajan
Partner
Membership No. 029814
UDIN: 24029814BKGSYA8353

CA R Raghuraman
Partner
Membership No: 201760
UDIN: 24201760BKBXOE5231

Place : Chennai
Date : May 29, 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का अनुलग्नक - I

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 तक समाप्त वर्ष के लिए धारक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (इसके बाद इसे “धारक कंपनी” के रूप में संदर्भित किया गया है), इसकी सहायक कंपनी और इसकी सहयोगी कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

होल्टिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी के संबंधित, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को बताया गया है उनके लिए निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सम्मिलित है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी:

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर होल्टिंग कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट (“मार्गदर्शन नोट”) और आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया है और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होने वाली सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और, दोनों ही भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्यों न हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर

ANNEXURE– I TO INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of United India Insurance Company Limited (“hereinafter referred to as “the Holding Company”) its subsidiary company and its associate company which are companies incorporated in India, as of March 31, 2024 in conjunction with our audit of the Consolidated Financial Statements of the Holding Company for the year ended.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective Board of Directors of the Holding company, its subsidiary company and its associate company, which are companies incorporated in India, are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to respective company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Holding Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the “Guidance Note”) and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the Auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls,

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री के कारण खराब हो सकता है या अपर्याप्त हो सकता है।

योग्य अभिप्राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, 31 मार्च, 2024 को नीचे दी गई आइटम की कमजोरी की पहचान की गई है:

1. धारक कंपनी के पास अन्य बीमा कंपनियों से वर्ष के अंत में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने और समाधान के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण नहीं था।
2. रिपोर्ट में त्रुटियों को खत्म करने के लिए धारक कंपनी के पुनर्बीमा मॉड्यूल में सिस्टम नियंत्रण को मजबूत किया जाना है।
3. धारक कंपनी की आंतरिक ऑडिट प्रणाली की प्रभावशीलता को समय पर प्रतिक्रिया और जहां भी लागू हो, सुधार के संबंध में मजबूत करने की आवश्यकता है।

‘भौतिक कमजोरी’ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी या कमियों का एक संयोजन है, जैसे कि एक उचित संभावना है कि समय के आधार पर कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण को रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरी के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, धारक कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2024 के समेकित वित्तीय विवरणों के ऑडिट में लागू किए गए ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरी पर विचार किया है, और भौतिक कमजोरी ने समेकित पर हमारी राय को प्रभावित किया है। कंपनी के वित्तीय विवरण और हमने समेकित वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय जारी की है।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट 30 क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित है (जिसमें 366 परिचालन कार्यालयों के रिटर्न शामिल हैं) 6 बड़े कॉर्पोरेट और ब्रोकर सेल और ओवरसीज रनऑफ़ संचालन संबंधित कार्यालयों के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है।

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 001997S

सीए के. सुनील कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 231416
यूडीआइएन: 24231416BKGUZZ6453

स्थान : चेन्नै
दिनांक : मई 29, 2024

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 004997S/S200051

सीए आर सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं. 029814
यूडीआइएन: 24029814BKGSYA8353

वास्ते ए वी देवेन & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000726S

सीए आर रघुरामन
भागीदार
सदस्यता सं. 201760
यूडीआइएन 24201760KBXOE5231

material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the material weakness has been identified as at March 31, 2024 as below:

1. The Holding Company did not have appropriate internal controls for obtention of year end confirmation of balances from other insurance companies and reconciliation.
2. The system controls in Reinsurance module of the holding Company to be strengthened to eliminate errors in reports.
3. The effectiveness of the internal audit system of the holding company needs to be strengthened with respect to timely response & rectifications wherever applicable.

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual or interim financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weakness described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Holding Company have, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weakness identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2024 Consolidated Financial Statements of the Company, and the material weakness has affected our opinion on the Consolidated Financial Statements of the Company and we have issued a qualified opinion on the Consolidated Financial Statements.

Other Matters

Our aforesaid reports under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting insofar as it relates to 30 Regional Offices (in which are incorporated the Returns of 366 Operating Offices) 6 Large Corporate and Broker Cells and overseas runoff operation is based on the corresponding reports of the auditors of the respective offices.

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN: 001997S

For S R B R & Associates, LLP
Chartered Accountants
FRN :004997S/ S200051

For A V Deven & Co,
Chartered Accountants,
FRN: 000726S

CA K. Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416
UDIN: 24231416BKGUZZ6453

CA R Sundararajan
Partner
Membership No. 029814
UDIN: 24029814BKGSYA8353

CA R Raghuraman
Partner
Membership No: 201760
UDIN: 24201760BKBOXOE5231

Place : Chennai
Date : May 29, 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - II

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों एवं उप-निर्देशों के संबंध में टिप्पणियाँ

I. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन निर्देश

क्र.सं.	निर्देश	जवाब
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन व्यवहारों को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन व्यवहारों के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ ख़ातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	हाँ, धारक कंपनी के पास व्यवस्था मौजूद है। सभी लेखांकन व्यवहार आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं। जेनिसिस कॉन्फिगरेटर (जीसी कोर) सभी ऑपरेटिंग कार्यालयों और पोर्टलों में उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। निवेश विभाग में एक स्टैंडअलोन ट्रेजरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है और प्रधान कार्यालय के सीएफएसी विभाग में जीसी सॉफ्टवेयर के अलावा FACT सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। स्थापना विभाग में पेरोल की प्रक्रिया एसएपी के माध्यम से की जाती है। असमाप्त जोखिम रिजर्व की गणना सीएफएसी विभाग में एक अलग एसक्यूएल सॉफ्टवेयर द्वारा की जा रही है।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या उधार/ऋण/ब्याज आदि को माफ़/बंदे ख़ाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है	ऐसा कोई मामला नहीं है।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त्य निर्धारणों का नियम व शर्तों के अनुरूप उसकी अवधि के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	धारक कंपनी को केंद्रीय और राज्य एजेंसियों से पीएमएफबीवाई/आरएसबीवाई से संबंधित सब्सिडी का एक हिस्सा प्राप्त हुआ, जिसका उचित हिसाब-किताब किया गया और इसका उपयोग किया गया।

समेकित वित्तीय विवरण युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 एफआरएन: 001997S

सीए के. सुनील कुमार
 भागीदार
 सदस्यता सं. 231416
 यूडीआइएन: 24231416BKGUZZ6453

स्थान : चेन्नै
 दिनांक : मई 29, 2024

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एलएलपी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 एफआरएन: 004997S/S200051

सीए आर सुंदरराजन
 भागीदार
 सदस्यता सं. 029814
 यूडीआइएन: 24029814BKGSYA8353

वास्ते ए वी देवेन & कं.
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 एफआरएन: 000726S

सीए आर रघुरामन
 भागीदार
 सदस्यता सं. 201760
 यूडीआइएन 24201760BKBXOE5231

ANNEXURE –II TO INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Comments in regard to the directions and sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India

I. Direction u/s 143(5) of the Companies Act, 2013

Sl.No.	Directions	Reply
1	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the Integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Yes, the holding company has system in place. All Accounting transactions are processed through IT Systems. Genisys configurator (GC CORE) is the software used across all operating offices and portals. A standalone treasury management software is used at Investment department and in CFAC Department of Head office FACT software is used in addition to GC Software. Payroll is processed through SAP in Establishment Department The Unexpired Risk Reserve is being computed by a separate SQL Software in CFAC Department.
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off debts/loans/interest etc., made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	No such cases.
3	Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilised as per its term and conditions? List the cases of deviations.	The Holding Company received a part of Subsidy relating to PMFBY / RSBY from central and state agencies which were properly accounted for and utilized.

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN: 001997S

For S R B R & Associates, LLP
Chartered Accountants
FRN :004997S/ S200051

For A V Deven & Co,
Chartered Accountants,
FRN: 000726S

CA K. Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416
UDIN: 24231416BKGUZZ6453

CA R Sundararajan
Partner
Membership No. 029814
UDIN: 24029814BKGSYA8353

CA R Raghuraman
Partner
Membership No: 201760
UDIN: 24201760BKBXOE5231

Place : Chennai
Date : May 29, 2024

II. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन उप- निर्देश

क्र. सं.	विवरण	जवाब			
		विवरण	समाधानित	असमाधानित	पुनर्संरचना के अधीन
1	भौतिक/डीमैट रूप में उपलब्ध सीजीएस/एसजीएस/बॉन्ड/डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्व के शीर्षकों की संख्या और इनमें से, ऐसे मामलों की संख्या जो कंपनी की लेखा पुस्तकों में दर्शाई गई संबंधित राशियों से मेल नहीं खाते हैं, सत्यापित किया जा सकता है और पाई गई विसंगति को उचित रूप से रिपोर्ट किया जा सकता है।	ऋणपत्र	18	2 (बही मूल्य - रु. 4947501)	0
2	क्या निवेश नीति मौजूद है और इसमें निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करने के लिए तंत्र शामिल है और क्या निवेश के संबंध में स्टॉप लॉस सीमाएं निर्धारित की गई हैं। यदि हाँ, तो सीमा का पालन किया गया अथवा नहीं। यदि नहीं, तो विवरण दिया जा सकता है।	हाँ। निवेश नीति मौजूद है और इसमें निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करने की व्यवस्था शामिल है। हाँ। निवेश के संबंध में स्टॉप लॉस सीमाएँ निर्धारित की गई हैं और उनका पालन किया गया है।			
3	क्या कंपनी ने अन्य पीएसयू बीमाकर्ताओं के साथ अपने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए अंतर-कंपनी शेष के लिए समाधान अभ्यास किया है और क्या अन्य पीएसयू बीमाकर्ताओं से उनके कारण शेष के लिए पुष्टि प्राप्त की गई है?	धारक कंपनी के पास जोनल/क्षेत्रीय स्तर पर पीएसयू बीमाकर्ताओं के साथ समय-समय पर बैठकों के माध्यम से सह-बीमा शेष राशि को सुलझाने की एक प्रक्रिया है जहां शेष राशि पर सहमति और निपटान किया जाता है। हालाँकि कंपनी ने वर्ष के अंत में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं की है।			
4	क्या कंपनी के संबंध में जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध संपूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर लिया गया है।	धारक कंपनी जीएसटी पोर्टल में उपलब्ध क्रेडिट के साथ चालान के मिलान के बाद पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट के अलावा सभी पात्र इनपुट क्रेडिट का लाभ उठाती है। 31.03.2024 को असमाधानित इनपुट क्रेडिट रु. 46.51 करोड़ रुपये किताबों में दिख रहे हैं।			
5	क्या लेखांकन/एमआईएस या अन्य तंत्र की पर्याप्तता के बारे में रिपोर्ट करना है जिसके द्वारा टीटी-वार या फ़ैकल्टेटिव व्यवस्था-वार प्रदर्शन (प्रीमियम समर्पित/स्वीकृत, उस पर दावे और कमीशन-सभी आदेशों और मध्यस्थों/अधिवक्ता को पारिश्रमिक सहित) पुनर्बीमा कार्यों में लगे खंड, भौगोलिक और विभाग का सभी अलग-अलग मूल्यांकन किया जाता है।	हाँ, सभी क्षेत्रों, भौगोलिक क्षेत्रों और विभागों में पुनर्बीमा संचालन के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए रिपोर्टिंग तंत्र पर्याप्त हैं।			
6	क्या पुनर्बीमा लेनदेन को कोर बीमा समाधान के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो क्या पुनर्बीमा संबंधी डेटा का प्रवाह पूरी तरह से स्वचालित है? यदि नहीं, तो विवरण दिया जा सकता है।	हाँ, पुनर्बीमा लेनदेन को जीसी कोर बीमा समाधानों के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया गया है। बीमालेखन डेटा और दावा डेटा स्वचालित रूप से जीसी कोर के आरआई मॉड्यूल में प्रवाहित होता है।			

समेकित वित्तीय विवरण
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 001997S

सीए के. सुनील कुमार

भागीदार
सदस्यता सं. 231416
यूडीआइएन: 24231416BKGUZZ6453

स्थान : चेन्नै

दिनांक : मई 29, 2024

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 004997S/S200051

सीए आर सुंदरराजन

भागीदार
सदस्यता सं. 029814
यूडीआइएन: 24029814BKGSYA8353

वास्ते ए वी देवेन & कं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000726S

सीए आर रघुरामन

भागीदार
सदस्यता सं. 201760
यूडीआइएन 24201760BKBXOE5231



II. Sub-Directions u/s 143(5) of the Companies Act, 2013

Sl. No.	Particular	Reply			
		Particulars	Reconciled	Un - Reconciled	Under Restructuring
1	Number of titles of ownership in respect of CGS / SGS / Bonds / Debentures etc. available in physical/demat form and out of these, number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported.	Debentures	18	2 (Book Value ₹ 4947501)	0
2	Whether investment policy exists and included mechanism to review investment portfolios and also whether stop loss limits have been prescribed in respect of the investments. If yes, whether or not the limit was adhered to. If no, details may be given.	Yes. Investment Policy exists and includes mechanism to review investment portfolios. Yes. Stop loss limits have been prescribed in respect of the investments and have been adhered to.			
3	Whether Company has carried out reconciliation exercise for inter-company balances reflected in their financial statements with other PSU insurers and whether confirmation has been obtained from other PSU insurers for balances due from them?	The Holding Company has a process of reconciling co-insurance balances through periodical meetings with PSU insurers at Zonal/ Regional level where balances are agreed and settled. However the Company has not obtained year end confirmation of balances			
4	Whether entire input tax credit (ITC) available on GST portal in respect of the Company has been availed within prescribed time limits.	The Holding Company avails all eligible input credit other than inputs on capital goods after matching with the invoices with the credit available in the GST portal. The unmatched input credit as on 31.03.2024 is ₹ 46.51 Crs lying in the books.			
5	Whether reporting as to the adequacy of accounting/MIS or other mechanism by which treaty-wise or facultative arrangement-wise performance (premium ceded /accepted, claims thereon and commission-including all rewards and remuneration to intermediaries/cedants) is assessed in all different segments, geographies and departments engaged in reinsurance operations	Yes, the reporting mechanisms in place are adequate for assessing the performance of reinsurance operations across all segments, geographies and departments			
6	Whether re-insurance transactions have been fully integrated with CORE Insurance Solution? If yes, whether the flow of re- insurance related data is fully automated? If no, details may be given.	Yes, Reinsurance transactions have been fully integrated with GC core insurance solutions. The underwriting data and claims data flow automatically to RI Module of GC Core.			

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN: 001997S

CA K. Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416
UDIN: 24231416BKGUZZ6453

For S R B R & Associates, LLP
Chartered Accountants
FRN :004997S/ S200051

CA R Sundararajan
Partner
Membership No. 029814
UDIN: 24029814BKGSYA8353

For A V Deven & Co,
Chartered Accountants,
FRN: 000726S

CA R Raghuraman
Partner
Membership No: 201760
UDIN: 24201760BKBXOE5231

Place : Chennai
Date : May 29, 2024

युनाइटेड इंडिया इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विनियम, 2002 की अनुसूची 'सी' के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रमाण पत्र

हम यह प्रमाणित करते हैं :

1. a. हमने आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक नकदी शेष और कंपनी के ऋण और निवेश से संबंधित प्रतिभूतियों को निम्नलिखित आधार पर नीचे उल्लिखित पैराग्राफ (बी) के अधीन सत्यापित किया है:

क्र. सं.	संपत्तियाँ	सत्यापन का स्वरूप
i)	नकद	भौतिक सत्यापन, प्रबंधन प्रमाणपत्र और परिचालन/ शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
ii)	निवेश	संरक्षक का प्रमाणपत्र (आरबीआई, सीसीआईएल और एसएचसीआईएल) और प्रबंधन का प्रमाणपत्र
iii)	ऋण से संबंधित प्रतिभूति	प्रबंधन का प्रमाणपत्र

- b. (i) निम्नलिखित के संबंध में संरक्षक से कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं थी:
 - a. शून्य के बुक वैल्यू वाले इक्विटी शेयरों में निवेश पर आपत्ति है
 - b. इक्विटी शेयर जिनका अंकित मूल्य क्रमशः ₹ शून्य है और डिबेंचर/बॉन्ड जिनका अंकित मूल्य क्रमशः ₹ शून्य है, जिनके स्वामित्व का कोई सबूत उपलब्ध नहीं था।
 - (ii) सावधि ऋणों में निवेश, आवास और अखिशमन उपकरणों के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को दिए गए ऋण, पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) में निवेश और ऋणों के पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण के कारण शेष राशि पुष्टि/समाधान के अधीन हैं - ₹ शून्य।
 - (iii) ₹ शून्य की राशि के विदेशी निवेश के संबंध में कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं थी।
2. हमें दी गई हमारी सर्वोत्तम जानकारी और साख के अनुसार, कंपनी ने ट्रस्टी के रूप में कोई ट्रस्ट नहीं बनाया है।
 3. पॉलिसी धारक के निधि को निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधान के उल्लंघन में पॉलिसी धारक के निधि की संपत्ति का कोई भी हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त नहीं किया गया है।

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 एफआरएन: 001997S

सीए के. सुनील कुमार
 भागीदार
 सदस्यता सं. 231416
 यूडीआईएन: 24231416BKGUZZ6453

स्थान : चेन्नै
 दिनांक : मई 29, 2024

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एलएलपी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 एफआरएन: 004997S/S200051

सीए आर सुंदरराजन
 भागीदार
 सदस्यता सं. 029814
 यूडीआईएन: 24029814BKGSYA8353

वास्ते ए वी देवेन & कं.
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 एफआरएन: 000726S

सीए आर रघुरामन
 भागीदार
 सदस्यता सं. 201760
 यूडीआईएन 24201760BKBXOE5231

CERTIFICATE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024 AS REQUIRED BY SCHEDULE 'C' OF INSURANCE REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY REGULATIONS, 2002 FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT OF INSURANCE COMPANIES IN CASE OF UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

We certify that:

1. a. We have verified Cash balances, to the extent considered necessary, and securities related to the Company's Loans and Investments, subject to paragraph (b) herein mentioned below, on following basis:

Sl. No.	Asset	Nature of Verification
i)	Cash	Physical verification, Management Certificate and Operating / Branch Auditor's reports
ii)	Investment	Custodian's Certificate (RBI, CCIL & SHCIL) and Management's Certificate
iii)	Securities relating to Loan	Management's Certificate.

- b. (i) No confirmations were available from custodian in respect of following:
- a. Investment in equity shares having book value of ₹ Nil are under objection
- b. Equity shares having book value amounting to ₹ Nil and Debentures/Bonds having face value ₹ Nil respectively for which no evidence of ownership was available.
- (ii) Investment in Term Loans, Loans to State Government for the purpose of Housing & Fire Fighting Equipment's, Investments in Pass Through Certificates (PTC) and Balances on account of restructuring/rescheduling of debts are subject to confirmations/reconciliations - ₹ Nil.
- (iii) No confirmations were available in respect of Foreign Investments amounting to ₹ Nil.
2. To the best of our information and explanations given to us, the company has not undertaken any trust as trustee.
3. No part of the assets of Policy Holder's Funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provision of the Insurance Act, 1938 relating to the application and Investments of the Policy Holder's Funds.

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN: 001997S

CA K. Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416
UDIN: 24231416BKGUZZ6453

For S R B R & Associates, LLP
Chartered Accountants
FRN :004997S/ S200051

CA R Sundararajan
Partner
Membership No. 029814
UDIN: 24029814BKGSYA8353

For A V Deven & Co,
Chartered Accountants,
FRN: 000726S

CA R Raghuraman
Partner
Membership No: 201760
UDIN: 24201760BKBXOE5231

Place : Chennai
Date : May 29, 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बीमा अधिनियम, 1938 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के साथ पढ़ी गई (बीमा कंपनियों की वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम, 2002 और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुसार युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के तहत अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार स्वतंत्र ऑडिट पर आधारित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं।। ऐसा उनके द्वारा दिनांक 29.05.2024 की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(के साथ पठित) धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का एक पूरक ऑडिट किया है। हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और जेनिथ सिक्वोरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट किया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(ए) इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर पर लागू नहीं हैं, क्योंकि यह एक निजी संस्था है जो अपने वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और पूरक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए संबंधित कानूनों के तहत विदेश में निर्गमित होती है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने न तो सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इन कंपनियों का पूरक लेखा परीक्षण किया है। यह पूरक ऑडिट वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपने पूरक ऑडिट के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित अधिनियम 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों की बेहतर समझ और संबंधित ऑडिट रिपोर्ट को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।

अ. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

टिप्पणी सं. 1

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र

निधियों का अनुप्रयोग

चालू देयताएँ - अनुसूची 13

कंपनी द्वारा जारी किए गए खाता बंदी के दिशानिर्देशों के अनुसार, लेखांकन वर्ष के 31 मार्च को या उससे पहले शुरू होने वाली और रिपोर्ट की गई हानि के लिए विधिवत प्रावधान किया जाना चाहिए। हालांकि, ऑडिट में परीक्षण किए गए 25 मामलों के खिलाफ बकाया दावों के लिए 38.40 करोड़ रुपये का शुद्ध कम प्रावधान था, जो लेखांकन मानक 29 - प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों के प्रावधानों से विचलन था। नतीजतन, नुकसान को भी उसी हद तक कम करके आंका गया है।

टिप्पणी सं. 2

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र - निधियों का अनुप्रयोग - निवेश

आईआरडीआई विनियम (04.04.2016), बैलेंस शीट में निवेश को शेयरधारक निवेश (अनुसूची 8) और पॉलिसीधारक निवेश (अनुसूची 8ए) के रूप में विभाजित करना अनिवार्य करता है। हालांकि, बैलेंस शीट में निवेश में अनिवार्य विभाजन नहीं था। इसे सामूहिक रूप से निवेश (अनुसूची 8) के रूप में प्रकट किया गया था। यह आईआरडीआई विनियमों से विचलन था।

टिप्पणी सं. 3

निधियों का अनुप्रयोग-चालू संपत्तियां-अग्रिम और अन्य संपत्तियां-अनुसूची 12-रु. 6,861.63 करोड़

उपरोक्त में वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा आकलन वर्ष 2018-19 के लिए विवादित आयकर 580 करोड़ रुपये का भुगतान भी शामिल है। 580 करोड़ रुपये को प्राप्य के रूप में मान्यता देना गलत है क्योंकि राशि की वापसी के लिए आयकर अपीलिय न्यायाधिकरण से कोई लिखित आदेश नहीं है। इसे जमा के रूप में मान्यता देने के परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों, अग्रिमों और अन्य परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया और कर व्यय को 580 करोड़ रुपये से कम बताया गया। नतीजतन, साल का घाटा भी 580 करोड़ रुपये से कम बताया गया।

टिप्पणी सं. 4

निधियों का अनुप्रयोग-चालू परिसंपत्तियां अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां - अनुसूची 12 - रु. 6,861.64 करोड़ - बीमा कारोबार करने वाली अन्य संस्थाओं (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) से बकाया - (89.35 करोड़ रुपये संदिग्ध माने गए) - 1,890.64 करोड़ रुपये

उपरोक्त में मोटर एक्सओएल संधियों से संबंधित बकाया दावों (2020-21 और पहले) के लिए विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं (भारतीय और विदेशी) से प्राप्त 1.39 करोड़ रुपये शामिल हैं।

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (B) READ WITH SECTION 129 (4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

The preparation of consolidated financial statements of United India Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory & Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) read with section 129 (4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 29.05.2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of United India Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2024 under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of United India Insurance Company Limited, Health Insurance TPA of India Limited and Zenith Securities and Investments Limited for the year ended on that date. Further, section 139(5) and 143 (6) (a) of the Act are not applicable to India International Insurance Pte. Ltd, Singapore being private entity incorporated in foreign country under the respective laws, for appointment of their Statutory Auditor and for conduct of supplementary audit. Accordingly, Comptroller and Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditors nor conducted the supplementary audit of these companies. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit. I would like to highlight the following significant matters under section 143(6) (b) read with section 129(4) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

A. Comments on Financial Position

Comment No. 1

Balance Sheet as at 31 March 2024

Application of Funds

Current Liabilities-Schedule 13

As per Accounts closing guidelines issued by the Company, losses incepting and reported on or before 31st March of the accounting year should be duly provided for. However, there was a net short provision towards outstanding claims against 25 cases test checked in audit to an extent of ₹ 38.40 crore which was in deviation to provisions of Accounting Standard 29-Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. Consequently, the loss is also understated to the same extent.

Comment No. 2

Balance Sheet as at 31 March 2024-Application of Funds - Investments

IRDAI Regulations (04.04.2016), mandates bifurcation of Investments as Shareholders investment (Schedule 8) and Policyholders investment (Schedule 8A) in the Balance Sheet. However, Investments in the Balance Sheet did not have the bifurcation as mandated. It was disclosed collectively as Investments (Schedule 8). This was in deviation to IRDAI Regulations.

Comment No. 3

Application of Funds-Current Assets - Advances and other assets-Schedule 12 - ₹ 6,861.63 crore

The above includes ₹ 580 crore being the disputed Income tax paid by the company during 2023-24 for the Assessment year 2018-19. Recognising ₹ 580 crore as receivable is incorrect as there is no written order from Income Tax Appellate Tribunal for refund of the amount. Recognising the same as deposit resulted in overstatement of Current Assets. Advances and other Assets and understatement of tax expense by ₹ 580 crore. Consequently, the loss for the year was also understated by ₹ 580 crore.

Comment No. 4

Application of Funds Current Assets-Advances and Other Assets - Schedule 12 - Rs.6,861.64 crore Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)-(Rs.89.35 crore considered doubtful) - ₹ 1,890.64 crore

चूंकि प्रमुख पुनर्बीमाकर्ता (जीआईसी) और अनुयायी पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ कई पत्राचार के बावजूद वसूली सुनिश्चित नहीं की जा सकी, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे तब तक दावों का सम्मान नहीं करेंगे जब तक कि प्रमुख पुनर्बीमाकर्ता इसे मंजूरी नहीं दे देता। विवेकपूर्ण आधार पर, कंपनी को 1.39 करोड़ रुपये की सीमा तक लंबित वसूली प्रदान करनी चाहिए थी।

प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य 1.39 करोड़ रुपये अधिक बताया गया। नतीजतन, वर्ष के लिए नुकसान को भी उसी राशि से कम करके आंका गया है।

टिप्पणी सं. 5

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र

निधि का अनुप्रयोग-अनुसूची 12 - अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ - बीमा व्यवसाय करने वाली अन्य संस्थाओं (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) से देय - 1,890.64 करोड़ रुपये

उपरोक्त शीर्ष में अंतर समूह संधि (आईजीटी) के सदस्यों से जारी की गई और आईजीटी सदस्यों द्वारा अस्वीकार की गई पॉलिसी के लिए वसूली

योग्य 44.06 करोड़ रुपये का दावा शामिल है, जिसमें कहा गया है कि उक्त पोलिसी को मंत्रालय के दिशानिर्देशों के विचलन में विदेश में भारतीय हित को कवर करते हुए बीमा लेखित की गई थी। चूंकि वसूली मुश्किल है, इसलिए कंपनी को प्रावधान करना चाहिए था।

इसके अलावा, कंपनी ने दावों के दूसरे खाते के भुगतान के लिए तृत्वश अधिशेष संधि से 31.63 करोड़ रुपये की वसूली कर ली थी। इसका असर आईजीटी सदस्यों और युइइंकलि की हिस्सेदारी पर पड़ा। कंपनी ने गलती नहीं सुधारी। इसके परिणामस्वरूप युइइंक के दावे (शुद्ध प्रतिधारण) में 17.38 करोड़ रुपये की कमी आई।

परिणामस्वरूप अनुसूची - 12 के तहत अन्य बीमा कंपनियों से बकाया अग्रिम और अन्य संपत्ति 61.44 करोड़ रुपये (44.06 करोड़ रुपये + 17.38 करोड़ रुपये) से अधिक बताई गई है और अवधि के लिए नुकसान को उसी राशि से कम करके आंका गया है।

ब. समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ टिप्पणी सं. 6

2023-24 को समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

अ) स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 2023-24 का संदर्भ आमंत्रित किया गया है, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों की प्रतिक्रियाएँ इस प्रकार थीं:-

धारा 143(5) के अधीन निर्देश	स्वतंत्र लेखा परीक्षक का जवाब
क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खरातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हों।	हाँ। सभी लेखांकन लेनदेन आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं। जेनिसिस कॉन्फिगरेटर (जीसी कोर) सभी ऑपरेटिंग कार्यालयों और पोर्टलों पर उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। एक स्टैंडअलोन ट्रेजरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग निवेश विभाग में किया जाता है और प्रधान कार्यालय के केंद्रीय वित्त और लेखा विभाग में जीसी सॉफ्टवेयर के अलावा FACT सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। स्थापना विभाग में पेट्रोल की प्रक्रिया एसएपी के माध्यम से की जाती है। केंद्रीय वित्त और लेखा विभाग में एक अलग एसक्यूएल सॉफ्टवेयर द्वारा असमाप्त जोखिम रिजर्व की गणना की जा रही है।

व्यवसाय की फसल बीमा के तहत प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में, संबंधित सरकारों से प्राप्त होने वाले प्रीमियम को बॉर्डरएक्स प्रदर्शित नहीं करता है। कोटा शेयर के कारण प्रीमियम को समायोजित करने के लिए, कंपनी मैनुअल रूप से प्राप्त होने पर, पुनर्बीमा सीमा में कोटा शेयर के वास्तविक प्रीमियम को शामिल करती है। यह तथ्य कि पुनर्बीमा संचालन के मामले में जीसी कोर एप्लिकेशन पूरी तरह से स्वचालित नहीं है, स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया में स्पष्ट नहीं है।

ब) कंपनी अधिनियम की धारा 143(5) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों को सी एंड एजी के निर्देशों का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। 2013 (सि. क्रमांक 3), जिसमें निर्देश एवं सांविधिक लेखापरीक्षक का उत्तर इस प्रकार था:

धारा 143(5) के अधीन निर्देश	वैधानिक लेखा परीक्षकों का उत्तर
क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं	होल्टिंग कंपनी को केंद्रीय और राज्य एजेंसियों से पीएमएफबीवाई/ आरएसबीवाई से संबंधित सब्सिडी का एक हिस्सा प्राप्त हुआ, जिसका उचित हिसाब-किताब किया गया और उसका उपयोग किया गया।



This includes ₹1.39 crore due from various reinsurers (Indian and foreign) towards outstanding claims (2020-21 and earlier) pertaining to Motor XoL treaties.

As realisation could not be ensured despite series of correspondences with the lead reinsurer (GIC) and follower reinsurers had categorically put forth that they shall not honor the claims unless lead reinsurer approves the same. On prudent basis, the company should have provided for the pending recoveries to an extent of ₹1.39 crore.

Non-provision resulted in overstatement of Advances and other assets by Rs. 1.39 crore. Consequently, loss for the year is also understated by the same amount.

Comment No. 5

Balance sheet as on 31 March 2024

Application of Funds-Schedule 12-Advances and other assets - Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers) - ₹ 1,890.64 crore

The above head includes claim of ₹ 44.06 crore recoverable from members of Inter Group Treaty (IGT) towards policy issued and rejected by the IGT members

citing that the said policy was underwritten covering Indian Interest Abroad in deviation to the Ministry guidelines. As the recovery is remote, the company should have made provision.

In addition, the Company had erroneously recovered ₹ 31.63 crore from surplus treaty while accounting for second on account payment of claims. This impacted the share of IGT members and UIICL. The company did not rectify the error. This resulted in reduction of the UIIC's claim (net retention) by ₹ 17.38 crore.

Consequently, Balances due from other insurance companies under Schedule -12- Advances and other assets is overstated by ₹ 61.44 crore (₹ 44.06 crore + ₹ 17.38 crore) and loss For the period is understated by the same amount.

B. Comments on Auditors' Report on Consolidated Financial Statements

Comment No. 6

Independent Auditors' Report on the Consolidated Financial Statements of UIIC for the year 2023-24

- a) Reference is invited to the Independent Auditor's Report 2023-24, wherein responses to the directions u/s 143(5) of the Companies Act, 2013, were as follows:-

Direction u/s 143(5)	Reply of the independent auditor
Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of accounts along with the financial implications, if any.	Yes. All accounting transactions are processed through IT systems. Genisys configurator (GC CORE) is the software used across all operating offices and portals. A standalone treasury management software is used at Investment Department and in Central Finance and Accounts Department of Head Office FACT software is used in addition to GC software. Payroll is processed through SAP in Establishment Department. The unexpired risk reserve is being computed by a separate SQL software in Central Finance and Accounts department.

With respect to Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana under Crop Line of Business, thebordereaux does not capture realised premium as and when the same is received from the respective Governments. To adjust the premium due to quota share, the Company manually incorporates the realised premium of the quota share in the Reinsurance bordereaux, as and when received. The fact that the GC Core application is not fully automated in the case of reinsurance operations is not evident in the response of the independent auditors.

- b) Reference is invited to the directions of C&AG to the Statutory Auditors u/s 143(5) of the Companies Act, 2013 (Sl.No 3), wherein the direction and Statutory Auditor's reply were as follows:

Direction u/s 143(5) of Companies Act,2013	Reply of the statutory auditor
Whether funds received / receivable for specific schemes from Central/state agencies were properly accounted for / utilised as per its termand conditions? List the cases of deviations	The holding company received a part of subsidy relating to PMFBY/RSBY from central and state agencies which were properly accounted for and utilised.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए, केंद्र और राज्य सरकार प्रीमियम का एक हिस्सा योगदान करती है और शेष लाभार्थी (किसान) द्वारा वहन किया जाता है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के मामले में, बीपीएल परिवारों को बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है जिसमें केंद्र सरकार प्रीमियम का 75 प्रतिशत वहन करती है और शेष लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार, प्रदान की गई सब्सिडी लाभार्थी को है न कि बीमाकर्ता को। वैधानिक लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया दर्शाती है कि कंपनी को सब्सिडी प्राप्त हुई है, जो सच नहीं है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 2023-24 उप-पैरा (ए) और (बी) में बताए गए सीमा तक अपर्याप्त है।

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 01.08.2024

एस.वेल्लियांगिरी
वाणिज्यिक लेखापरीक्षक के प्रधान निदेशक

For the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the Central and State Government contributes a portion of the premium and the rest is borne by the beneficiary (the farmer). Similarly, in the case of Rashtriya Swasthya Bima Yojana, BPL families are provided insurance coverage wherein the central government bears 75 *per cent* of the premium and the rest is borne by the beneficiary. Thus, the subsidy provided is to the beneficiary and not to the insurer. The response of the statutory auditor depicts that the subsidy is received by the company, which is not true.

Independent Auditor's Report 2023-24 is deficient to the extent as stated in sub-para (a) and (b).

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place : Chennai
Date : 01.08.2024

S.Velliangiri
Principal Director of Commercial Auditor



युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
REGISTRATION NO.: 545 DATE OF RENEWAL WITH THE IRDAI: FEBRUARY 02, 2023

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित अग्नि बीमा राजस्व खाता
CONSOLIDATED FIRE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024 (₹'000)	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023 (₹'000)
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premium earned (Net)	1	8696139	8205207
निवेश के बिक्री/ मोचन पर लाभ/ हानि (शुद्ध) Profit/Loss on sale/redemption of Investments (Net)		897346	869773
विनियम लाभ/ हानि Exchange Loss/Gain		0	0
ब्याज, लाभांश & किराया - सकल Interest, Dividend & Rent - Gross		2634514	1503075
अन्य / Others			
अतिरिक्त ईओएम के लिए अंशधारक निधि से योगदान Contribution from Shareholders Fund towards excess EOM		0	3438489
कुल (अ) / TOTAL (A)		12227999	14016544
उपगत दावे (शुद्ध) Claims Incurred (Net)	2	6782138	5735895
कमीशन Commission	3	1373752	971503
बीमा व्यवसाय संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	4386816	7345937
अन्य / Others			
निवेश से संबंधित व्यय Expenses relating to Investments		2634	2787
निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन Amortisation of Premium on Investments		5137	6187
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provision for Bad & Doubtful Debts		-61758	62133
बड़े खाते में डाली गई मूल्यहासित राशि Amount written off in respect of depreciated investments		54154	39647
सक्रिय रूप से कारोबार किए गए ईक्विटीज के अलावा अन्य के मूल्य में हास के लिए प्रावधान Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities		-633	-15551
कुल (ब) / TOTAL (B)		12542240	14148538
परिचालन लाभ/(हानि) सी = (ए-बी) Operating Profit/(Loss) C = (A-B)		-314241	-131994

विनियोग / APPROPRIATIONS			
अंशधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholders' Account		-314241	-131994
आपद रिजर्व को अंतरण Transfer to Catastrophe Reserve		0	0
अन्य रिजर्व को अंतरण Transfer to Other Reserves		0	0
कुल (स) / TOTAL (C)		-314241	-131994

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40सी(2) के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, अग्नि बीमा व्यवसाय के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किए गए सभी खर्च अग्नि बीमा राजस्व खाते में खर्च के रूप में पूरी तरह से डेबिट किए गए हैं।

As required by Section 40C(2) of insurance Act 1938, we hereby certify that to the best of our knowledge and belief, all expenses wherever incurred whether directly or indirectly in respect of Fire Insurance Business have been fully debited in the Fire Insurance Revenue account as expenses.

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव
एसीएस संख्या : A12700

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY
ACS No. : A12700

संतानम हेमामालिनि
मुख्य वित्तीय अधिकारी

SANTHANAM HEMA MALINI
CHIEF FINANCIAL OFFICER

भूपेश सुशील राहुल
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
DIN : 10610759

BHUPESH SUSHIL RAHUL
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN : 10610759

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार / Vide our report of date attached

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001997S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 004997S/S200051

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

वास्ते ए वी देवेन & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 000726S

For A V Deven & Co
Chartered Accountants
FRN: 000726S

सीए के सुनील कुमार
भागीदार
सदस्यता सं.. 231416

CA K Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416

सीए आर. सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं..029814

CA R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

सीए आर. रघुरामन
भागीदार
सदस्यता सं.. 201760

CA R Raghuraman
Partner
Membership No. 201760

स्थान / Place : चेन्नै / Chennai
दिनांक / Date : 29.05.2024



युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
REGISTRATION NO.: 545 DATE OF RENEWAL WITH THE IRDAI: FEBRUARY 02, 2023

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित समुद्री बीमा राजस्व खाता
CONSOLIDATED MARINE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024 (₹'000)	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023 (₹'000)
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premium earned (Net)	1	2029864	2267831
निवेश के बिक्री/ मोचन पर लाभ/ हानि (शुद्ध) Profit/Loss on sale/Redemption of Investments (Net)		206186	200415
विनिमय हानि/लाभ Exchange Loss/Gain		0	0
ब्याज, लाभांश & किराया - सकल Interest, Dividend & Rent - Gross		298834	346340
अन्य / Others			
अतिरिक्त ईओएम के लिए शेयरधारक निधि से अंशदान Contribution from Shareholders Fund towards excess EOM		0	489563
कुल (अ) / TOTAL (A)		2534884	3304149
उपगत दावे (शुद्ध) Claims Incurred (Net)	2	978988	1341732
कमीशन Commission	3	304641	266967
बीमा व्यवसाय संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	641226	1175818
अन्य / Others			
निवेश से संबंधित व्यय Expenses relating to Investments		605	642
बढ़े खाते में डाली गई मूल्यहासित राशि Amortisation of Premium on Investments		1180	1426
मूल्यहासित निवेश के संबंध में बढ़े खाते में डाली गई राशि Amount written off in respect of depreciated investments		12443	9136
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provision for Bad & Doubtful Debts		-14190	14316
सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी के अलावा अन्य के मूल्य में हास का प्रावधान Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities		-145	-3583
कुल (बी) / TOTAL (B)		1924748	2806454
परिचालन लाभ/(हानि) सी = (ए-बी) Operating Profit/(Loss) C = (A-B)		610136	497695

विनियोग / APPROPRIATIONS			
अंशधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholders' Account		610136	497695
आपद रिजर्व को अंतरण Transfer to Catastrophe Reserve		0	0
अन्य रिजर्व को अंतरण Transfer to Other Reserves		0	0
कुल (सी) / TOTAL (C)		610136	497695

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40सी(2) के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, समुद्री बीमा व्यवसाय के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किए गए सभी खर्च समुद्री बीमा राजस्व खाते में खर्च के रूप में पूरी तरह से डेबिट किए गए हैं।

As required by Section 40C(2) of insurance Act 1938, we hereby certify that to the best of our knowledge and belief, all expenses wherever incurred whether directly or indirectly in respect of Marine Insurance Business have been fully debited in the Marine Insurance Revenue account as expenses.

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव
एसीएस संख्या : A12700

संतानम हेमामालिनि
मुख्य वित्तीय अधिकारी

भूपेश सुशील राहुल
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
DIN : 10610759

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY
ACS No. : A12700

SANTHANAM HEMA MALINI
CHIEF FINANCIAL OFFICER

BHUPESH SUSHIL RAHUL
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN : 10610759

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार / Vide our report of date attached

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001997S

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 004997S/S200051

वास्ते ए वी देवेन & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 000726S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

For A V Deven & Co
Chartered Accountants
FRN: 000726S

सीए के सुनील कुमार
भागीदार
सदस्यता सं.. 231416

सीए आर. सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं..029814

सीए आर. रघुरामन
भागीदार
सदस्यता सं.. 201760

CA K Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416

CA R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

CA R Raghuraman
Partner
Membership No. 201760

स्थान / Place : चेन्नै / Chennai
दिनांक / Date : 29.05.2024

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023 FORM A - RA
REGISTRATION NO.: 545 DATE OF RENEWAL WITH THE IRDAI: FEBRUARY 02, 2023

**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित विविध बीमा राजस्व खाता
CONSOLIDATED MISCELLANEOUS INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024**

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024 (₹'000)	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023 (₹'000)
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premium earned (Net)	1	155418900	140969822
निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ/हानि (शुद्ध) Profit/Loss on sale/redemption of Investments (Net)		13416625	12028810
अंतरण शुल्क, आदि Transfer fees, etc.		12116	12574
ब्याज, लाभांश & किराया - सकल Interest, Dividend & Rent - Gross		19602243	20787254
अन्य / Others			
अतिरिक्त ईओएम के लिए शेयरधारक निधि से अंशदान Contribution from Shareholders Fund towards excess EOM		0	20462159
कुल (अ) / TOTAL (A)		188449884	194260619
उपगत दावे (शुद्ध) Claims Incurred (Net)	2	152575750	133532205
कमीशन Commission	3	11718774	9373450
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	32581219	54555017
अन्य / Others			
निवेश से संबंधित व्यय Expenses relating to Investments		39390	38533
निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन Amortisation of Premium on Investments		76809	85565
बट्टे खाते में डाली गई मूल्यहासित राशि Amount written off in respect of depreciated investments		809683	548317
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provision for Bad & Doubtful Debts		-923370	859286
सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी के अलावा अन्य के मूल्य में हास का प्रावधान Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities		-9471	-215062
कुल (बी) / TOTAL (B)		196868784	198777311
परिचालन लाभ/(हानि) सी = (ए-बी) Operating Profit/(Loss) C = (A-B)		-8418900	-4516692



विनियोग / APPROPRIATIONS			
अंशधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholders' Account		-8418900	-4516692
आपद रिजर्व को अंतरण Transfer to Catastrophe Reserve		0	0
अन्य रिजर्व को अंतरण Transfer to Other Reserves		0	0
कुल (सी) / TOTAL (C)		-8418900	-4516692

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40सी(2) के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किए गए सभी खर्च विविध बीमा राजस्व खाते में खर्च के रूप में पूरी तरह से डेबिट किए गए हैं।

As required by Section 40C(2) of insurance Act 1938, we hereby certify that to the best of our knowledge and belief, all expenses wherever incurred whether directly or indirectly in respect of Miscellaneous Insurance Business have been fully debited in the Miscellaneous Insurance Revenue account as expenses.

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव
एसीएस संख्या : A12700

संतानम हेमामालिनि
मुख्य वित्तीय अधिकारी

भूपेश सुशील राहुल
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
DIN : 10610759

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY
ACS No. : A12700

SANTHANAM HEMA MALINI
CHIEF FINANCIAL OFFICER

BHUPESH SUSHIL RAHUL
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN : 10610759

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार / Vide our report of date attached

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001997S

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 004997S/S200051

वास्ते ए वी देवेन & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 000726S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

For A V Deven & Co
Chartered Accountants
FRN: 000726S

सीए के सुनील कुमार
भागीदार
सदस्यता सं.. 231416

सीए आर. सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं..029814

सीए आर. रघुरामन
भागीदार
सदस्यता सं.. 201760

CA K Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416

CA R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

CA R Raghuraman
Partner
Membership No. 201760

स्थान / Place : चेन्नै / Chennai
दिनांक / Date : 29.05.2024

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
REGISTRATION NO.: 545 DATE OF RENEWAL WITH THE IRDAI: FEBRUARY 02, 2023

31 मार्च 2024 को समाप्त समेकित लाभ & हानि खाता CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024 (₹'000)	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023 (₹'000)
परिचालन लाभ/(हानि) / OPERATING PROFIT/(LOSS)			
अग्नि बीमा / Fire Insurance		-314241	-131994
समुद्री बीमा / Marine Insurance		610136	497695
विविध बीमा / Miscellaneous Insurance		-8418900	-4516692
निवेश से आय / INCOME FROM INVESTMENTS			
ब्याज, लाभांश & किराया-सकल / Interest, Dividend & Rent - Gross		19747	-467043
निवेश पर बिक्री से आय / Profit on sale of investments		124872	786182
भटाया: निवेश पर बिक्री से हानि / Less: Loss on sale of investments		0	0
अन्य आय / OTHER INCOME		0	0
वापस लिया गया विविध शेष / Sundry Balance written off		31586	1050830
संपत्ति की बिक्री पर लाभ/ हानि & अन्य अय / Profit / (Loss) on sale of assets & other incomes		-3853	-171280
कुल (अ) / TOTAL (A)		-7950653	-2952302
प्रावधान (कराधान के अलावा) / PROVISIONS (Other than taxation)			
निवेश के मूल में हास के लिए / For diminution in the value of investments		0	2905
संदिग्ध ऋणों के लिए / For doubtful debts		0	0
अन्य व्यय / OTHER EXPENSES			
अतिरिक्त ईओएम के लिए पॉलिसीधारक निधि में योगदान / Contribution to Policyholders Fund towards excess EOM		0	24390211
उधार राशियों पर ब्याज / Interest On Borrowings		0	624514
निगम्रीय सामाजिक दायित्व हेतु व्यय / Expenses on Corporate Social Responsibility		8379	10130
बीमा व्यवसाय से संबंधित व्यय के अलावा अन्य व्यय / Expenses other than those related to Insurance Business		2998	2177
माफ किए गए अशोध्य ऋण / Bad debts written off			
निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन / Amortisation of Premium on Investments		0	0
मूल्यहास निवेश के संबंध में बट्टे खाते में डाली गई राशि / Amount written off in respect of depreciated investments		0	0
कुल (ब) / TOTAL (B)		11377	25029937
कर पूर्व लाभ (स) = (अ - ब) / Profit / (Loss) Before Tax (C) = (A-B)		-7962030	-27982239
कराधान हेतु प्रावधान / Provision for Taxation		17500	33000
घटाया: एनएटी जमा / Less: MAT Credit		0	0
आस्थगित कर / Deferred tax		-4	-12
पिछले वर्षों से संबंधित कराधान / Taxation relating to earlier years		-719	4060



विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024 (₹'000)	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023 (₹000)
करपश्चात लाभ परंतु अल्प हित और सहयोगी के लाभ का अंश (ड) / Profit / (Loss) after Taxation but before Minority Interest and Share of Profit of Associates (D)		-7978807	-28019287
जोड़: सहयोगियों के लाभ/(हानि) का अंश / Add : Share of Profit / (Loss) of Associates		306019	-113395
घटाया: अल्प हित के अंश / Less: Share of Minority Interest		29175	-616
कराधान, अल्पहित और सहयोगियों के लाभ का अंश के पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि) / Net Profit / (Loss) after Taxation, Minority Interest and Share of Profit of Associates		-7701963	-28132066
विनियोग / APPROPRIATIONS			
अग्रणीत किया गया विगत वर्ष का अधिशेष/Brought forward Surplus from Previous year		0	0
प्रस्तावित अंतिम लाभांश / Proposed final dividend		0	183300
अंतरिम लाभांश / Interim Dividend		0	0
लाभांश वितरण कर / Dividend distribution tax		0	0
सांविधिक रिजर्व को किया गया अंतरण / Transferred to Statutory Reserve		23874	149496
ऋणपत्र मोचन रिजर्व को किया गया अंतरण/Transferred to Debenture Redemption Reserve		0	0
सामान्य रिजर्व को किया गया अंतरण / Transferred to General Reserve		0	-1125000
तुलन पत्र को अग्रणीत किया गया शेष / Balance carried forward to Balance Sheet		-7725837	-27339862
प्रति अंश बुनियादी और मंदिता आय / Basic and Diluted Earning per share		(1.98)	(7.29)

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव
एसीएस संख्या : A12700

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY
ACS No. : A12700

संतानम हेमामालिनि
मुख्य वित्तीय अधिकारी

SANTHANAM HEMA MALINI
CHIEF FINANCIAL OFFICER

भूपेश सुशील राहुल
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
DIN : 10610759

BHUPESH SUSHIL RAHUL
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN : 10610759

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार / Vide our report of date attached

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001997S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

सीए के सुनील कुमार
भागीदार
सदस्यता सं.. 231416

CA K Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416

स्थान / Place : चेन्नै / Chennai
दिनांक / Date : 29.05.2024

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 004997S/S200051

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

सीए आर. सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं..029814

CA R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

वास्ते ए वी देवेन & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 000726S

For A V Deven & Co
Chartered Accountants
FRN: 000726S

सीए आर. रघुरामन
भागीदार
सदस्यता सं.. 201760

CA R Raghuraman
Partner
Membership No. 201760

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
REGISTRATION NO.: 545 DATE OF RENEWAL WITH THE IRDAI: FEBRUARY 02, 2023

**31 मार्च 2024 को समेकित तुलन पत्र
 CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024**

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024 (₹'000)	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023 (₹000)
निधि के स्रोत SOURCES OF FUNDS			
अंश पूंजी SHARE CAPITAL	5	39050000	39050000
रिजर्व और अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	6	1756734	1632153
उचित मूल्य परिवर्तन खाता-अंश धारकों का FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT-SHARE HOLDERS'		35798	61031
उचित मूल्य परिवर्तन खाता-पॉलिसी धारकों का FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT-POLICYHOLDERS'		62615150	36806773
उधारियाँ BORROWINGS	7	0	0
अल्प हित MINORITY INTEREST		112386	94859
आस्थगित कर दायित्व DEFERRED TAX LIABILITY		0	0
कुल / TOTAL		103570068	77635252
निधियों का उपयोग APPLICATION OF FUNDS			
निवेश / INVESTMENTS	8 & 8A	367730129	359704738
ऋण LOANS	9	2320870	2081296
अचल संपत्तियाँ FIXED ASSETS	10	4508304	4403278
चालू संपत्तियाँ CURRENT ASSETS			
रोकड और बैंक शेष CASH AND BANK BALANCES	11	35547844	22156295
अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ ADVANCES AND OTHER ASSETS	12	68616342	59307992
उप-कुल (अ) SUB-TOTAL (A)		104164186	81464287

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 31 मार्च 2024 के दिन पर का तुलन पत्र / BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024**



विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024 (₹'000)	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023 (₹000)
चालू देयताएं CURRENT LIABILITIES	13	332309113	326855900
प्रावधान PROVISIONS	14	93661931	86254233
उप-कुल (ब) SUB-TOTAL (B)		425971044	413110133
शुद्ध चालू संपत्तियाँ (स) = (अ - ब) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)		-321806858	-331645846
विविध व्यय (जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15		
लाभ और हानि खाते में डेबिट शेष / DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT	6A	50817623	43091786
कुल / TOTAL		103570068	77635252

अनघा देशपांडे
कंपनी सचिव
एसीएस संख्या : A12700

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY
ACS No. : A12700

संतानम हेमामालिनि
मुख्य वित्तीय अधिकारी

SANTHANAM HEMA MALINI
CHIEF FINANCIAL OFFICER

भूपेश सुशील राहुल
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
DIN : 10610759

BHUPESH SUSHIL RAHUL
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN : 10610759

दिनांक की हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार / Vide our report of date attached

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001997S

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

सीए के सुनील कुमार
भागीदार
सदस्यता सं.. 231416

CA K Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416

स्थान / Place : चेन्नै / Chennai
दिनांक / Date : 29.05.2024

वास्ते एस आर बी आर & एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 004997S/S200051

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

सीए आर. सुंदरराजन
भागीदार
सदस्यता सं..029814

CA R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

वास्ते ए वी देवेन & कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 000726S

For A V Deven & Co
Chartered Accountants
FRN: 000726S

सीए आर. रघुरामन
भागीदार
सदस्यता सं.. 201760

CA R Raghuraman
Partner
Membership No. 201760

आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES

(₹'000)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023
आंशिक रूप से भुगतान पर किए गए निवेश पर / On partly paid investments	1075	1075
पॉलिसियों के अंतर्गत दावों के अलावा अन्य दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया Claims other than those under policies, not acknowledged as debts	1874335	1625300
बकाया बीमालेखन प्रतिबद्धताएं (शेयर और प्रतिभूतियों के संबंध में) Underwriting commitments outstanding (in respect of shares and securities)	0	0
कंपनी या उसकी ओर से दी गई गारंटी / Guarantees given by or on behalf of the Company	0	0
विवादित वैधानिक मांगों/ देयताएं, जिनके के लिए प्रावधान नहीं किया गया ** Statutory demands / liabilities in dispute, not provided for**	61524925	41682481
खातों में प्रदान नहीं की गई सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts	0	0
बकाया साख्र पत्र / Outstanding Letter of Credit	34655	32218
अन्य (बैंक गारंटी) / Others (Bank Guarantee)	54900	54900

** नोट्स: 1. विवाद में वैधानिक मांगों/देनदारियों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, जिसमें आयकर के संबंध में जुर्माना और ब्याज शामिल नहीं है, हालांकि सेवा कर में जुर्माना और जीएसटी में जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल हैं।

2. आयकर अधिकारियों ने पिछले कुछ वर्षों में कंपनी को अब तक देय रिफंड की राशि ₹ 5003975 हजार (₹ 5003975 हजार) को समायोजित किया है।
3. व्यापार देय 1 फरवरी 2003 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए सर होमी मेहता ट्रस्ट ("मकान मालिक") को देय किया ₹ 358.33 (हजारों में) को प्रदर्शित करता है। मकान मालिक ने सहायक कंपनी द्वारा कब्जे वाले परिसर को खाली करने के लिए नोटिस भेजा और विशेष रूप से बेदखली के लिए लघु वाद न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया। उक्त मुकदमे में, मकान मालिक ने ₹ 110/- प्रति वर्ग फुट प्रति माह या माननीय न्यायालय जो भी उचित समझे, उन दरों पर अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की थी। ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया और मुकदमा परिसर से बेदखल करने का आदेश दिया। लघु वाद न्यायालय के समक्ष अपील करने पर जुलाई 2008 में ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया। इसके बाद मकान मालिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ एक नागरिक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया, जो लंबित है। स्मॉल कांजेज कोर्ट ने भी 0.20 आर.12 के मामले में बड़ा मुनाफा के मामले में जांच का आदेश दिया, जो लंबित है। इसे देखते हुए इस स्तर पर बड़ा मुनाफा की गणना नहीं की जा सकती और न ही इसका प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान, कंपनी को सर होमी मेहता ट्रस्ट से उक्त ट्रस्ट द्वारा प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2003 से 2023 तक ₹ 1,84,251.41 (हजारों में) के बड़े मुनाफे की मात्रा निर्धारित करने के लिए संदेश प्राप्त हुआ है। मूल्यांकन रिपोर्ट में उपर्युक्त बड़े मुनाफे पर 6% (₹ 1,07,241.80), 10% (₹ 1,78,736.32) और 12% (₹ 21,62,61.10) की दर से ब्याज गणना भी शामिल है।

** Notes: 1. Statutory demands / liabilities in dispute not provided for do not include penalty and interest in respect of Income Tax, however service tax include penalty and GST include penalty and interest accrual both.

2. The Income Tax authorities have adjusted, over the years, the refund due until date to the company amounting to ₹ 5003975 thousands (₹ 5003975 thousands).

3. Trade Payables represent Rent payable to Sir Homi Mehta Trust ("The Landlord") ₹ 358.33 (in thousands) for the period 1st February 2003 to 31st March 2022. The landlord had sent the notice for the eviction of the premises occupied by the subsidiary Company and had also filed the suit in the Court of Small Causes mainly for the eviction. In the said suit, the landlord, had prayed for the interim relief of ₹ 110/- per sq. feet per month or at such rates as the Hon. Court may deem fit.

The trial court decreed and ordered eviction from the suit premises. On appeal before the Small Causes Court the judgement of the trial court was set aside in July 2008. Thereafter landlord has filed a Civil Revisionary Application against the judgement in the Bombay High Court, which is pending.

The Small Causes Court had also ordered for an enquiry in terms of 0.20 R.12 for manse profit, which is pending. In view of this the manse profit is not quantifiable at this stage and not provided for the same.

During the year, the Company has received the communication from Sir Homi Mehta Trust quantifying Mesne Profit of ₹ 1,84,251.41 (in Thousands) from the year 2003 till 2023 based on the valuation report obtained by the said Trust. The Valuation report additionally includes Interest calculations @6% (₹ 1,07,241.80), 10% (₹ 1,78,736.32) and 12% (₹ 21,62,61.10) on the above mentioned Mesne profit.

वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
अनुसूची - 1 - अर्जित प्रीमियम शुद्ध) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
SCHEDULE - 1 - PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	अग्नि / Fire		समुद्री / Marine		विविध / Misc.		कुल / Total	
	चालू वर्ष Current Year (₹'000)	विगत वर्ष Previous Year (₹'000)	चालू वर्ष Current Year (₹'000)	विगत वर्ष Previous Year (₹'000)	चालू वर्ष Current Year (₹'000)	विगत वर्ष Previous Year (₹'000)	चालू वर्ष Current Year (₹'000)	विगत वर्ष Previous Year (₹'000)
से प्रीमियम / PREMIUM FROM								
लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business Written	20828177	18825406	4272329	4363405	173429062	153254240	198529568	176443051
जोड: स्वीकार किया गया पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add: Premium on Reinsurance accepted	2758904	2227617	161991	47540	491098	425003	3411993	2700160
घटाया: सौंपा गया पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on Reinsurance Ceded	15332054	11966866	2189185	2235455	9421636	10972515	26942875	25174836
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	8255027	9086157	2245135	2175490	164498524	142706728	174998686	153968375
असमाप्त जोखिमों के लिए बदलाव हेतु समायोजन Adjustment for change in reserve for unexpired risks	441112	-880950	-215271	92341	-9079624	-1736906	-8853783	-2525515
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net)	8696139	8205207	2029864	2267831	155418900	140969822	166144903	151442860

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियां / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS



अनुसूची - 2 - उपगत दावे (शुद्ध) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
SCHEDULE - 2 - CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	अग्नि / Fire		समुद्री / Marine		विविध / Misc.		कुल / Total	
	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)
दावों का भुगतान / CLAIMS PAID								
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	9746696	9289209	2620047	3942437	149632546	137822493	161999289	151054139
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा Add: Reinsurance accepted	1454704	387314	138787	10584	163310	274449	1756801	672347
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा/Less: Reinsurance ceded	4615008	3092351	1483809	2587863	7904443	11292438	14003260	16972652
शुद्ध दावों का भुगतान / Net Claims paid	6586392	6584172	1275025	1365158	141891413	126804504	149752830	134753834
जोड़: लंबित दावे - अंतिम - प्रत्यक्ष Add: Claims Outstanding - Closing - Direct	31282272	25887244	7364883	9155289	261485831	256915338	300132986	291957871
जोड़: लंबित दावे - अंतिम - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा Add: Claims Outstanding - Closing - RI Accepted	965770	2311386	116999	170623	708960	863867	1791729	3345876
घटाया: लंबित दावे - अंतिम - सौंपा गया पुर्नबीमा Less: Claims outstanding - Closing - RI Ceded	17754787	13901121	4383632	5931625	20452321	26721072	42590740	46553818
जोड़: लंबित दावे - अंतिम - शुद्ध Add: Claims Outstanding - Closing - Net	14493255	14297509	3098250	3394287	241742470	231058133	259333975	248749929
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct	25887244	26296290	9155289	11680036	256915338	252118469	291957871	290094795
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted	2311386	3483096	170622	140652	863867	1061726	3345875	4685474
जोड़: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded	13901121	14633600	5931624	8402975	26721072	28849763	46553817	51886338
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - शुद्ध Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net	14297509	15145786	3394287	3417713	231058133	224330432	248749929	242893931
उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net)	6782138	5735895	978988	1341732	152575750	133532205	160336876	140609832

अनुसूची - 3 - कमीशन 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
SCHEDULE - 3 - COMMISSION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	अग्नि / Fire		समुद्री / Marine		विविध / Misc.		कुल / Total	
	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)
भुगतान किया गया कमीशन / COMMISSION PAID								
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	2201083	1781009	332136	316368	12493572	10321385	15026791	12418762
कुल (अ) / TOTAL (A)	2201083	1781009	332136	316368	12493572	10321385	15026791	12418762
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन Add: Commission on Reinsurance Accepted	275264	288623	13328	10816	46922	84275	335514	383714
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन Less: Commission on Reinsurance Ceded	1102595	1098129	40823	60217	821720	1032210	1965138	2190556
कमीशन(शुद्ध) / Commission (Net)	1373752	971503	304641	266967	11718774	9373450	13397167	10611920

व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय (सकल) का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए:
Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below:

अभिकर्ता / Agents	901358	703318	200655	182401	8559398	7467030	9661411	8352749
ब्रोकर्स / Brokers	1230455	1009350	131184	133820	3824627	2387000	5186266	3530170
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	69270	68341	297	147	109547	467355	179114	535843
अन्य / Others	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल (ब) / TOTAL (B)	2201083	1781009	332136	316368	12493572	10321385	15026791	12418762

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 4 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय
SCHEDULE - 4 - OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	अग्नि / Fire		समुद्री / Marine		विविध / Misc.		कुल / Total	
	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)	(₹'000)
कर्मचारियों का पारिश्रमिक और कल्याण लाभ Employees' remuneration and Welfare benefits	3579642	6719001	506151	1057305	26405199	49068036	30490992	56844342
यात्रा, संप्रेषण तथा वाहन चलाने का व्यय Travel, conveyance and vehicle running expenses	36949	41788	5224	6576	272550	305172	314723	353536
प्रशिक्षण व्यय / Training Expenses	-99	2679	-14	422	-733	19563	-846	22664
किराया, दर & कर / Rents, rates & taxes	141242	144516	19971	22741	1041876	1055383	1203089	1222640
मरम्मत / Repairs	14844	15655	2099	2464	109493	114324	126436	132443
मुद्रण और लेखन / Printing and Stationery	18345	19511	2593	3070	135321	142490	156259	165071
संचार / Communication	25728	25867	3638	4071	189786	188906	219152	218844
विधिक और पेशेवर प्रभार Legal and Professional charges	9337	12946	1320	2037	68877	94546	79534	109529
ऑडिटर्स शुल्क, खर्च इत्यादि Auditors' fees, expenses etc.								
(अ) ऑडिटर के रूप में (a) as auditor	2459	4892	347	770	18139	35723	20945	41385
(ब) सलाहकार के रूप में या किसी अन्य क्षमता में, के संबंध में (b) as advisor or in any other capacity, in respect of								
(i) कराधान मामले (i) Taxation matters	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii) बीमा मामले (ii) Insurance matters	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii) प्रबंधन सेवाएं; और (iii) Management services; and	0	0	0	0	0	0	0	0
(स) कोई अन्य क्षमता (c) Any other capacity	153	252	22	39	1125	1842	1300	2133
विज्ञापन और प्रसार Advertisement and publicity	2845	5028	402	792	20985	36717	24232	42537
ब्याज और बैंक प्रभार Interest and Bank Charges	35275	38302	4988	6027	260205	279710	300468	324039
मूल्य ह्रास Depreciation	99784	106606	14110	16775	736055	778532	849949	901913
प्रीमियम खाते पर सेवा शुल्क Service Tax on Premium A/c	0	0	0	0	0	0	0	0
आउटसोर्सिंग व्यय Outsourcing Expenses	36966	22367	5227	5957	272676	276469	314869	320284
यूमेक्स व्यय UMEX Expenses	85002	86847	12019	13666	627020	634237	724041	734750
अन्य / Others	298344	84189	63129	33106	2422645	1523367	2784118	1640662
कुल / TOTAL	4386816	7345937	641226	1175818	32581219	54555017	37609261	63076772

**समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**



अनुसूची - 5 - 31 मार्च 2024 को अंशपूंजी
SCHEDULE - 5 - SHARE CAPITAL AS AT 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024 (₹'000)	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023 (₹'000)
अधिकृत पूंजी Authorised Capital ₹.10/- प्रति की दर से 7500000000 साम्यांश शेयर 7500000000 Equity Shares of Rs.10/- each	75000000	75000000
निर्गमित पूंजी Issued Capital ₹.10/- प्रति की दर से 3905000000 साम्यांश शेयर 3905000000 Equity Shares of Rs.10/- each	39050000	39050000
अभिदत्त पूंजी Subscribed Capital ₹.10/- प्रति की दर से 3905000000 साम्यांश शेयर 3905000000 Equity Shares of Rs.10/- each	39050000	39050000
याचिका पूंजी Called up Capital ₹.10/-प्रति की दर से 3905000000 साम्यांश शेयर 3905000000 Equity Shares of Rs.10/- each	39050000	39050000
घटाया: अदत्त याचना Less: Calls unpaid		
जोड़ : समपहृत साम्यांश शेयर(मूल रूप से भुगतान की गई राशि) Add : Equity Shares forfeited (Amount orginally paid up)		
घटाया: वापस खरीदा गया सममूल्य साम्यांश शेयरों का मूल्य Less: Par Value of Equity Shares bought back		
घटाया: आरंभिक व्यय Less: Preliminary Expenses		
घटाया: शेयरों की बीमालेखन अथवा अभिदान पर कमीशन या ब्रोकरेज सहित व्यय Less: Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares		
कुल / TOTAL	39050000	39050000

अनुसूची - 5ए - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए शेयर होल्डिंग का पैटर्न [प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित]
SCHEDULE - 5A - PATTERN OF SHARE HOLDING [As certified by the Management] FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024		विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023	
	शेयरों की संख्या No. of Shares	आधिपत्य % % of Holding	शेयरों की संख्या No. of Shares	आधिपत्य % % of Holding
संवर्धक / Promoters				
भारतीय / Indian				
भारत सरकार / Government of India	3904999970	100%	3904999970	100%
भारत सरकार द्वारा नामित Nominees of Govt. of India	30	0%	30	0%
कुल / Total	3905000000		3905000000	

**अनुसूची - 6 - 31 मार्च 2024 को रिजर्व और अधिशेष
SCHEDULE - 6 - RESERVES & SURPLUS AS AT 31ST MARCH 2024**

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024 (₹'000)	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023 (₹000)
पूंजी रिजर्व / Capital Reserve	14567	14567
पूंजी मोचन रिजर्व / Capital Redemption Reserve	0	0
शेयर प्रीमियम / Share Premium	0	0
सामान्य रिजर्व / General Reserve	0	1125000
जोड़: लाभ/हानि खाते से किया गया अंतरण/Add: Transfer from Profit & Loss Account	0	-1125000
अंतिम शेष / Closing Balance	0	0
आपदा रिजर्व / Catastrophe Reserve	0	0
अन्य रिजर्व - निवेश रिजर्व / Other Reserves - Investment Reserve	8628	8628
विदेशी मुद्रा अंतरण रिजर्व / Foreign Currency Translation Reserve	1326202	734988
जोड़/घटाया: वर्ष के दौरान / Add/Less: during the year	100707	591214
अंतिम शेष / Closing Balance	1426909	1326202
सांविधिक रिजर्व - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइसी के अंतर्गत सृजित रिजर्व निधि / Statutory Reserve - Reserve Fund created under Section 45-IC of the Reserve Bank of India Act, 1934.	306630	282756
जोड़: लाभ & हानि खाते से स्थानांतरण / Add: Transfer from Profit & Loss Account	0	0
अंतिम शेष / Closing Balance	306630	282756
ऋणपत्र मोचन रिजर्व / Debenture Redemption Reserve	0	0
लाभ & हानि खाते में लाभ का शेष / Balance of Profit in Profit & Loss Account	0	0
कुल / TOTAL	1756734	1632153

**अनुसूची - 6अ - 31 मार्च 2024को लाभ & हानि खाते में जमा नामे शेष
SCHEDULE - 6A - DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT AS AT 31ST MARCH 2024**

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024 (₹'000)	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023 (₹000)
आरंभिक शेष / Opening Balance	43091786	15751924
जोड़: चालू वर्ष का नुकसान / Add: Loss of Current Year	7725837	27339862
अंतिम शेष / Closing Balance	50817623	43091786

**अनुसूची - 7 - 31 मार्च 2024 को उधारियाँ
SCHEDULE - 7 - BORROWINGS AS AT 31ST MARCH 2024**

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024 (₹'000)	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023 (₹000)
ऋणपत्र/ बॉण्ड / Debentures / Bonds	0	0
बैंक / Banks	0	0
वित्तीय संस्थाएं / Financial Institutions	0	0
अन्य (दर्शाया जाए) / Others (to be specified)	0	0
कुल / TOTAL	0	0



अनुसूची -8-31 मार्च 2024 को निवेश(अंशधारक)
SCHEDULE-8-INVESTMENTS (SHAREHOLDERS) AS AT 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024 (₹'000)	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023 (₹000)
दीर्घ कालिक निवेश / Investments		
लंबी अवधि का निवेश / Long Term Investment		
सरकारी प्रतिभूतियाँ और ट्रेजरी बिल्स सहित सरकार द्वारा गारंटीड बॉण्ड / Govt Securities and Government Guaranteed Bonds incl. Treasury Bills	0	0
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	0	0
अन्य निवेश / Other Investments		
a) शेयर / Shares		
aa) ईक्विटी / Equity	135467	265039
जोड: अधिग्रहण के बाद लाभ का हिस्सा (हानि का शुद्ध) / Add: Share of post acquisition profit (net of losses)		
bb) अधिमान / Preference	65	65
b) म्यूचुअल फंड / Mutual Funds	0	90473
c) डेरिवेटिव इंस्ट्रुमेंट्स / Derivative Instruments	0	0
d) ऋणपत्र & बॉण्ड्स / Debentures & Bonds	0	0
e) अन्य प्रतिभूतियाँ / Other Securities	0	0
f) सहायक / Subsidiaries		
g) निवेश परिसंपत्तियाँ - रियल एस्टेट / Investment Properties- real Estates		
इंफ्रा और समाजिक क्षेत्र में निवेश / Invt in Infra and Social Sector	0	0
अनुमोदित निवेश के अलावा * / Other than Approved Investments*	321772	320526
जोड: अधिग्रहण के बाद लाभ का हिस्सा (हानि का शुद्ध) / Add: Share of post acquisition profit (net of losses)	5071762	4654748
उप कुल / Sub Total	5529066	5330851
अल्प कालिक निवेश / Short Term Investment		
सरकारी प्रतिभूतियाँ और ट्रेजरी बिल्स सहित सरकार द्वारा गारंटीड बॉण्ड / Govt Securities and Government Guaranteed Bonds incl. Treasury Bills	0	0
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	0	0

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -8-31 मार्च 2024 को निवेश(अंशधारक) SCHEDULE-8-INVESTMENTS (SHAREHOLDERS) AS AT 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024 (₹'000)	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023 (₹000)
अन्य निवेश / Other Investments	0	0
a) शेयर्स / Shares	0	0
aa) ईक्विटी / Equity	0	0
bb) अधिमान / Preference	0	0
b) म्यूचुअल फंड / Mutual Funds	12732	0
c) डेरिवेटिव इंस्ट्रुमेंट्स / Derivative Instruments	0	0
d) ऋणपत्र & बॉण्ड्स / Debentures & Bonds	0	0
e) अन्य प्रतिभूतियाँ-वाणिज्यिक पत्र / Other Securities-Commercial paper	0	0
f) सहायक / Subsidiaries	0	0
g) निवेश परिसंपत्तियाँ - रियल एस्टेट / Investment Properties- real Estates	0	0
इंफ्रा और समाजिक क्षेत्र में निवेश / Invt in Infra and Social Sector	0	0
अनुमोदित निवेश के अलावा / Other than Approved Investments	0	0
उप कुल / Sub Total	12732	0
कुल / Total	5541798	5330851
सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों और डेरिवेटिव इंस्ट्रुमेंट्स के अलावा कंपनी के निवेश की कुल राशि बही मूल्य Aggregate amount of Company's Investment other than listed equity securities and derivative instruments	बही मूल्य Book Value 216209	216209
	बाजार मूल्य Market Value 216209	216209

नोट:

* वर्ष के दौरान अनुमोदित निवेश के अलावा इसमें सम्मिलित हैं:

सहयोगी कंपनियाँ

- (1) हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड - ₹ 197933 हजार (विगत वर्ष - ₹ 197933 हजार)
- (2) इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस - ₹ 18276 हजार (विगत वर्ष - ₹ 18276 हजार)
- (3) केन इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - ₹ 7337 हजार (विगत वर्ष - ₹ 7337 हजार)

Note:

* Other than Approved Investment for the year includes:

Associate Companies

- (1) Health Insurance TPA Ltd - ₹ 197933 thousands (Previous Year - ₹ 197933 thousands)
- (2) India International Insurance - ₹ 18276 thousands (Previous Year - ₹ 18276 thousands)
- (3) Ken India Insurance Co Ltd - ₹ 7337 thousands (Previous Year - ₹ 7337 thousands)



अनुसूची-8ए-31 मार्च 2024 को निवेश(पॉलिसीधारकों)
SCHEDULE-8A-INVESTMENTS (POLICYHOLDERS) AS AT 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024 (₹'000)	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023 (₹000)
निवेश / Investment		
दीर्घ कालिक निवेश / Long Term Investment		
सरकारी प्रतिभूतियाँ और ट्रेजरी बिल्स सहित सरकार द्वारा गारंटीड बॉण्ड / Govt Securities and Government Guaranteed Bonds incl. Treasury Bills	165287891	166819299
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	0	0
अन्य निवेश / Other Investments	0	0
a) शेयर / Shares	0	0
aa) ईक्विटी / Equity	89597513	82363613
जोड:अधिग्रहण के बाद लाभ का हिस्सा (हानि का शुद्ध) / Add: Share of post acquisition profit (net of losses)		0
bb) अधिमान / Preference	0	0
b) म्यूचुअल फंड / Mutual Funds	0	0
c) डेरिवेटिव इंस्ट्रुमेंट्स / Derivative Instruments	0	0
d) ऋणपत्र। बॉण्ड्स / Debentures & Bonds	10071342	11718804
e) अन्य प्रतिभूतियाँ / Other Securities	0	0
f) सहायक / Subsidiaries	0	0
g) निवेश परिसंपत्तियाँ - रियल एस्टेट / Investment Properties- real Estates	0	0
इंफ्रा और समाजिक क्षेत्र में निवेश/ Invt in Infra and Social Sector	68253381	57292459
अनुमोदित निवेश के अलावा * / Other than Approved Investments*	12416767	13397150
जोड: अधिग्रहण के बाद लाभ का हिस्सा (हानि का शुद्ध) / Add: Share of post acquisition profit (net of losses)	0	0
उप कुल / Sub Total	345626894	331591325
अल्प कालिक निवेश / Short Term Investment		
सरकारी प्रतिभूतियाँ और ट्रेजरी बिल्स सहित सरकार द्वारा गारंटीड बॉण्ड / Govt Securities and Government Guaranteed Bonds incl. Treasury Bills	2437664	5725712
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	0	0

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

**अनुसूची-8ए-31 मार्च 2024 को निवेश(पॉलिसीधारकों)
SCHEDULE-8A-INVESTMENTS (POLICYHOLDERS) AS AT 31ST MARCH 2024**

विवरण / Particulars		चालू वर्ष / Current Year 31-03-2024 (₹'000)	विगत वर्ष / Previous Year 31-03-2023 (₹000)
अन्य निवेश / Other Investments		0	0
a) शेयर्स / Shares		0	0
aa) इक्विटी / Equity		0	0
bb) अधिमान / Preference		0	0
b) म्यूचुअल फंड / Mutual Funds		6687739	7457230
c) डेरिवेटिव इंस्ट्रुमेंट्स / Derivative Instruments		0	0
d) ऋणपत्र & बॉण्ड्स / Debentures & Bonds		3188002	2640881
e) अन्य प्रतिभूतियाँ - वाणिज्यिक पत्र / Other Securities-Commercial paper		0	0
f) सहायक / Subsidiaries		0	0
g) निवेश परिसंपत्तियाँ - रियल एस्टेट / Investment Properties- real Estates		0	0
इंफ्रा और समाजिक क्षेत्र में निवेश / Invt in Infra and Social Sector		4248032	6958739
अनुमोदित निवेश के अलावा / Other than Approved Investments		0	0
उप कुल / Sub Total		16561437	22782562
कुल / Total		362188331	354784886
सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों और डेरिवेटिव इंस्ट्रुमेंट्स के अलावा कंपनी के निवेश की कुल राशि बही मूल्य Aggregate amount of Company's Investment other than listed equity securities and derivative instruments	बही मूल्य Book Value	232841347	242503228
	बाजार मूल्य Market Value	227339320	234450587

नोट:

* अनुमोदित निवेश के अलावा में सम्मिलित हैं, आधार भूत संरचना ₹ 1369703 हजार (दीर्घ कालिक) निदेश और शून्य (अल्पकालिक) में तथा आवासीय निवेश में ₹ 250000 (शून्य)

Note:

* Other than Approved Investments comprises of Infrastructure Investments of ₹ 1369703 thousands (Long Term) and NIL (Short Term); ₹ 250000 Investments in Housing (NIL)

**समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**



अनुसूची 9 - 31 मार्च 2024 को ऋण
SCHEDULE - 9 - LOANS AS AT 31ST MARCH 2024

क्र. सं. SI. NO	विवरण / PARTICULARS	31-03-2024 (₹'000)	31-03-2023 (₹'000)
1	प्रतिभूति-वार वर्गीकरण / SECURITY-WISE CLASSIFICATION		
	सुरक्षित / Secured		
	(अ) संपत्ति गिरवी रखने पर / (a) On mortgage of property		
	(अअ) भारत में / (aa) In India	2052104	1750709
	(बब) भारत से बाहर / (bb) Outside India	0	0
	(ब) शेयर्स, बॉण्ड्स और सरकारी प्रतिभूतियों पर / (b) On Shares, Bonds, Govt. Securities	0	0
	(स) अन्य (सरकार द्वारा गारंटी वाले ऋण) / (c) Others (Govt. Guaranteed Loans)	154805	216626
	गैरसुरक्षित / Unsecured	113961	113961
	कुल / TOTAL	2320870	2081296
2	उधारकर्ता-वार वर्गीकरण / BORROWER-WISE CLASSIFICATION		
	(अ) केंद्र और राज्य सरकारें / (a) Central and State Governments	154805	216626
	(ब) बैंक और वित्तीय संस्थाएं / (b) Banks and Financial Institutions	0	0
	(स) सहायक / (c) Subsidiaries	0	0
	(ड) औद्योगिक उपक्रम / (d) Industrial Undertakings	150638	150638
	(ई) एचयूडीसीओ को ऋण / (e) Loans to HUDCO	0	0
	(फ) अन्य-कर्मचारी आवास ऋण / (f) Others-Employees Housing Loan	2015427	1714032
	कुल / TOTAL	2320870	2081296
3	निष्पादन-वार वर्गीकरण / PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION		
	(अ) मानकरूप में वर्गीकृत ऋण / (a) Loans classified as standard		
	(अअ) भारत में / (aa) In India	2158810	1915800
	(बब) भारत से बाहर / (bb) Outside India	0	0
	(ब) गैर - निष्पादित ऋण / (b) Non-performing loans	0	0
	(अअ) भारत में * / (aa) In India *	162060	165496
	(बब) भारत से बाहर / (bb) Outside India	0	0
	कुल / TOTAL	2320870	2081296
4	परिपक्व-वार वर्गीकरण / MATURITY-WISE CLASSIFICATION		
	(अ) अल्प कालिक / (a) Short Term	51296	62478
	(ब) दीर्घ कालिक / (b) Long Term	2269574	2018818
	कुल / TOTAL	2320870	2081296

* Note: Provision of ₹ 162060 thousands (Previous year ₹ 150638 thousands) against non performing loan is grouped under provision for Bad and Doubtful debts in Schedule 14.

* नोट: गैर-निष्पादित ऋण के विरुद्ध रु. 162060 (पिछले वर्ष रु. 150638) का प्रावधान अनुसूची 14 में खराब और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के तहत समूहीकृत किया गया है।

PARTICULARS	चालू वर्ष 31-03-2024 (₹'000)	विगत वर्ष 31-03-2023 (₹'000)
गैर-निष्पादित ऋणों के के विरुद्ध में प्रावधान / Provision against non performing loans	165496	166173
ऋणों को संदिग्ध एवं हानिपूर्ण संपत्ति माना गया / Loans considered as doubtful & loss assets	165496	166173

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 7663 हजार (₹ 7137 हजार) का प्रावधान किया गया है, जो कि ₹ 1915800 हजार (₹ 1784217 हजार) की मानक संपत्ति पर 0.4% है।

Pursuant to RBI Guidelines a provision of ₹ 7663 thousands (₹ 7137 thousands) is made, being 0.4% on standard assets amounting to ₹ 1915800 thousands (₹ 1784217 thousands)

**अनुसूची - 10 : अचल संपत्तियाँ 31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS FOR THE PERIOD ENDED ON 31-03-2024**

(₹'000)

विवरण / Particulars	लागत/सकल ब्लॉक / COST / GROSS BLOCK				मूल्यहास / DEPRECIATION				शुद्ध ब्लॉक / NET BLOCK	
	आरंभिक Opening	परिवर्धन/स्थानांतरण Additions / Transfers	कटौती/स्थानांतरण Deductions / Transfers	अंतिम Closing	विगत वर्ष तक Upto last year	चालू वर्ष के लिए For the year	बिक्री/समायोजन पर On Sales / Adjustments	आज तक To Date	वर्ष अंत पर As at year end	विगत वर्ष Previous year
साख / Good will	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अमूर्त / Intangibles	1600462	127520	0	1727982	1108432	232844	0	1341276	386706	492031
भूमि - फ्री होल्ड / Land - Freehold	131793	0	0	131793	0	0	144597	-144597	276390	131793
भूमि- लीजहोल्ड / Land - Leasehold	51249	0	0	51249	37722	4434	0	42156	9093	13527
लीजहोल्ड संपत्तियाँ / Leasehold Properties	260792	0	0	260792	83065	3409	0	86474	174318	177727
भवन / Building	865897	0	0	865897	499376	13198	-144597	657171	208726	366522
फर्नीचर & फिटिंग / Furniture & Fittings	396002	3248	9868	389382	360778	7679	9552	358905	30477	35223
सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण / Information Technology Equipment	3836428	110484	64680	3882232	2930698	373106	63534	3240270	641962	905729
वाहन / Vehicles	875576	387594	339340	923830	630907	194182	301746	523343	400487	244670
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	107198	5139	3420	108917	92581	5731	2649	95663	13254	14618
अन्य- इलेक्ट्रिकल उपकरण / Others - Electrical Equipments	446914	3989	13279	437624	409055	6821	12626	403250	34374	37859
अन्य संपत्तियाँ / Other Assets	221632	5574	664	226542	175426	8574	620	183380	43162	46205
कुल / Total	8793943	643548	431251	9006240	6328040	849978	390727	6787291	2218949	2465904
कार्य प्रगति पर / Work-in-progress	1937374	407024	55043	2289355	0	0	0	0	2289355	1937374
कुल योग / Grand Total	10731317	1050572	486294	11295595	6328040	849978	390727	6787291	4508304	4403278
विगत वर्ष / Previous Year	10298292	953951	520926	10731316	5799361	901938	373261	6328038	4403278	

**अनुसूची - 11 - 31 मार्च 2024 को रोकड और बैंक शेष
SCHEDULE - 11 - CASH AND BANK BALANCES AS AT 31ST MARCH 2024**

विवरण / Particulars	31-03-2024 (₹'000)	31-03-2023 (₹'000)
रोकड (चेक, ड्राफ्ट और स्टैप सहित) / Cash (including cheques, drafts and stamps)	167725	508567
बैंक शेष / Bank Balances		
जमा खाते / Deposits Accounts		
अल्प-कालिक (परिपक्वता 12 महीनों के अंदर) / Short-term (due within 12 months)	26531629	10081072
अन्य / Others	212052	
चालू खाते / Current Accounts	8621050	11551055
अन्य - पारगमन में प्रेषण / Others - Remittance in transit	0	0
आदत लाभांश खाते / Unpaid dividend accounts	15388	15601
मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at Call and Short Notice	0	0
अन्य संस्थानों के साथ / With other Institutions	0	0
कुल / TOTAL	35547844	22156295
बैंक शेष में सम्मिलित गैर-अनुसूची बैंक के साथ शेष / Balances with Non-Scheduled Banks included in Bank Balances	0	4109

 समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुसूचियाँ / SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS



अनुसूची - 12 - 31 मार्च 2024 को अग्रिम और अन्य संपत्तियाँ
SCHEDULE - 12 - ADVANCES AND OTHER ASSETS 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	31-03-2024 (₹'000)	31-03-2023 (₹'000)
अग्रिम / ADVANCES		
सौंपने वाली कंपनियों के पास जमा रिजर्व / Reserve Deposits with ceding companies	21244754	17939941
निवेश के लिए आवेदन राशि / Application money for investments	0	0
पूर्वभुगतान / Prepayments	188186	223323
निदेशकों/ अधिकारियों को अग्रिम / Advances to Directors/Officers	4625	4719
कर का अग्रिम भुगतान स्रोत पर काटा गया कर (कराधान के प्रावधान का शुद्ध) / Advance tax paid and Taxes Deducted at Source (Net of provision for taxation)	7729118	1779782
अन्य / Others		
कर्मचारी अग्रिम और ऋण (₹ 599 को संदिग्ध माना गया) / Staff Advances and Loans (₹ 599 considered doubtful)	124453	150655
शेयर ब्रोकर्स को अग्रिम / Advances to Share Brokers	-11	28
कुल (ए) / TOTAL (A)	29291125	20098448
अन्य संपत्तियाँ / OTHER ASSETS		
निवेश पर अर्जित आय / Income accrued on investments	5489045	5415356
लंबित प्रीमियम (₹.228 को संदिग्ध माना गया) / Outstanding Premiums (Rs.228 considered doubtful)	103156	433106
अभिकर्ता शेष / Agents Balances		
बीमा कारोबार करने वाली अन्य संस्थाओं से देय (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) (₹ 893516 को संदिग्ध माना गया) / Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers) (₹ 893516 considered doubtful)	18906432	20697202
अन्य - आस्थगित कर परिसंपत्ति / Others - Deferred tax Asset	8	0
जमा, अग्रिम & अन्य खाते (₹ 1383477 को संदिग्ध माना गया) / Deposits, Advances & Other Accounts (₹ 1383477 considered doubtful)	14826576	12664258
अंतर कार्यालय समायोजन / Inter Office Adjustments	0	-378
कुल (ब) / TOTAL (B)	39325217	39209544
कुल (अ+ब) / TOTAL (A+B)	68616342	59307992

अनुसूची - 13 - 31 मार्च 2024 को चालू देयताएं
SCHEDULE - 13 - CURRENT LIABILITIES AS AT 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	31-03-2024 (₹'000)	31-03-2023 (₹'000)
अभिकर्ताओं का शेष / Agents' Balances	1942233	1700472
अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष / Balances due to other insurance companies	15046380	17297812
सौंपी गई पुनर्बीमा पर रखी गई जमा राशि / Deposits held on re-insurance ceded	0	0
अग्रिम में प्राप्त प्रीमियम / Premiums received in advance	10713832	4536118
अनाबंटित प्रीमियम / Unallocated Premium	0	0
विविध लेनदार / Sundry Creditors	44683878	53816880
सहायक कंपनियों/धारण कंपनियों को देय / Due to subsidiaries/holding company	0	0
लंबित दावे / Claims Outstanding	259333975	248749929
अधिकारियों/ निदेशकों को देय / Due to Officers/Directors	0	0
अन्य / Others	15393	15616
पूर्ववर्ती अंशधारकों की निधि / Former Share Holders Fund	1330	1330
पॉलिसीधारकों की अनधियाचित राशि / Unclaimed Amount of Policyholders	572092	737743
कुल / TOTAL	332309113	326855900

अनुसूची - 14 - 31 मार्च 2024 को प्रावधान
SCHEDULE - 14 - PROVISIONS AS AT 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	31-03-2024 (₹'000)	31-03-2023 (₹'000)
असमाप्त जोखिमों के लिए रिजर्व / Reserve for Unexpired Risk	79913726	71059942
प्रस्तावित लाभांश के लिए / For proposed dividends	0	0
लाभांश वितरण कर के लिए / For dividend distribution tax	0	0
सक्रिय रूप से व्यापारित इक्विटी के अलावा अन्य के मूल्य में हास का प्रावधान / Provision for diminution in value of other than actively traded Equities	774963	788119
प्रावधान कर / Provision Tax	-6908	-1030
समूह मेडिकलेम पॉलिसी के लिए प्रावधान / Provision for Group Mediclaim Policy	126140	126140
अवकाश नगदीकरण के लिए / For Leave Encashment	4490606	4918340
कर्मचारियों के अल्प लाभ के लिए प्रावधान / Provision for Employee Short term Benefits	132500	132500
चिकित्सा अवकाश हेतु प्रावधान / Provision for Sick Leave	0	0
ऋण, निवेश और अन्य संपत्तियों के लिए / For Loans, Investments and Other Assets	8230904	9230222
कुल / TOTAL	93661931	86254233

अनुसूची - 15 - 31 मार्च 2024 को विविध व्यय (बट्टे खाते में नहीं डाला गया या समायोजित की गई सीमा तक)
SCHEDULE - 15 - MISCELLANEOUS EXPENDITURE
(to the extent not written off or adjusted) AS AT 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	31-03-2024 (₹'000)	31-03-2023 (₹'000)
शेयर/ऋणपत्र निर्गमन में दी गई छूट / Discount Allowed in issue of shares/debentures	0	0
अन्य (निर्दिष्ट किए जाए) / Others (to be specified)	0	0
अंतिम शेष / TOTAL	0	0



इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त छोड़ दिया गया है
This page is intentionally left blank

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023

खंडीय रिपोर्ट - ब्रेकअप शुद्ध 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ '000)

विवरण / Particulars	अग्नि / Fire	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
से प्रीमियम / PREMIUM FROM		
लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business Written	20828177	18825406
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर प्रीमियम / Add: Premium on Reinsurance accepted	2758904	2227617
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded	15332054	11966866
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	8255027	9086157
असमाप्त जोखिमों के लिए बदलाव हेतु समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks	441112	-880950
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net)	8696139	8205207
दावों का भुगतान / CLAIMS PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	9746696	9289209
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	1454704	387314
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance ceded	4615008	3092351
शुद्ध दावों का भुगतान / Net Claims paid	6586392	6584172
जोड़: लंबित दावे - अंतिम - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding - Closing - Direct	31282272	25887244
जोड़: लंबित दावे - अंतिम - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Claims Outstanding - Closing - RI Accepted	965770	2311386
घटाया: लंबित दावे - अंतिम - सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding - Closing - RI Ceded	17754787	13901121
जोड़ें: लंबित दावे - अंतिम - शुद्ध / Add: Claims Outstanding - Closing - Net	14493255	14297509
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct	25887244	26296290
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे-स्वीकार किया गया पुर्नबीमा/Less: Claims outstanding at the beginning of the year-RI Accepted	2311386	3483096
जोड़: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded	13901121	14633600
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - शुद्ध / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net	14297509	15145786
उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net)	6782138	5735895
भुगतान किया गया कमीशन / COMMISSION PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	2201083	1781009
कुल (अ) / TOTAL (A)	2201083	1781009
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted	275264	288623
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded	1102595	1098129
कमीशन(शुद्ध) / Commission (Net)	1373752	971503
व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय (सकल) का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below :		
अभिकर्ता / Agents	901358	703318
ब्रोकर्स / Brokers	1230455	1009350
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	69270	68341
अन्य / Others	0	0
कुल (ब) / TOTAL (B)	2201083	1781009



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
 Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023
SEGMENTAL REPORT - BREAKUP FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

(₹ '000)

समुद्री कार्गो / Marine Cargo		समुद्री पोतकाय / Marine Hull		समुद्री कुल / Marine Total	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
1792819	1878374	2479510	2485031	4272329	4363405
28367	33523	133624	14017	161991	47540
474308	469768	1714877	1765687	2189185	2235455
1346878	1442129	898257	733361	2245135	2175490
-12057	173890	-203214	-81549	-215271	92341
1334821	1616019	695043	651812	2029864	2267831
1337949	2086948	1282098	1855489	2620047	3942437
10215	15015	128572	-4431	138787	10584
466073	987638	1017736	1600225	1483809	2587863
882091	1114325	392934	250833	1275025	1365158
2246469	2837282	5118414	6318007	7364883	9155289
40733	31529	76266	139094	116999	170623
850413	1365469	3533219	4566156	4383632	5931625
1436789	1503342	1661461	1890945	3098250	3394287
2837282	4031093	6318007	7648943	9155289	11680036
31529	31245	139093	109407	170622	140652
1365469	2201786	4566155	6201189	5931624	8402975
1503342	1860552	1890945	1557161	3394287	3417713
815538	757115	163450	584617	978988	1341732
285338	273795	46798	42573	332136	316368
285338	273795	46798	42573	332136	316368
4544	7584	8784	3232	13328	10816
11299	13094	29524	47123	40823	60217
278583	268285	26058	-1318	304641	266967
187116	169808	13539	12593	200655	182401
98006	103873	33178	29947	131184	133820
216	114	81	33	297	147
0	0	0	0	0	0
285338	273795	46798	42573	332136	316368

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 विभाजन प्रतिवेदन / SEGMENTAL REPORT

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023

खंडीय रिपोर्ट - ब्रेकअप शुद्ध 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ '000)

विवरण / Particulars	मोटर स्व-क्षति / Motor OD	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
से प्रीमियम / PREMIUM FROM		
लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business Written	20605185	16786991
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर प्रीमियम / Add: Premium on Reinsurance accepted	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded	825014	672462
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	19780171	16114529
असमाप्त जोखिमों के लिए बदलाव हेतु समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks	-1716027	-2253388
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net)	18064144	13861141
दावों का भुगतान / CLAIMS PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	17936620	16026551
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance ceded	700206	752116
शुद्ध दावों का भुगतान / Net Claims paid	17236414	15274435
जोड़: लंबित दावे - अंतिम - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding - Closing - Direct	7269875	5966620
जोड़: लंबित दावे - अंतिम - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Claims Outstanding - Closing - RI Accepted	68	48201
घटाया: लंबित दावे - अंतिम - सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding - Closing - RI Ceded	305509	269675
जोड़ें: लंबित दावे - अंतिम - शुद्ध / Add: Claims Outstanding - Closing - Net	6964434	5745146
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct	5966620	5319758
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे-स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding at the beginning of the year-RI Accepted	48201	31815
जोड़: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded	269675	271424
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - शुद्ध / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net	5745146	5080149
उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net)	18455702	15939432
भुगतान किया गया कमीशन / COMMISSION PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	2899936	3288360
कुल (अ) / TOTAL (A)	2899936	3288360
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded	123732	100897
कमीशन(शुद्ध) / Commission (Net)	2776204	3187463
व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय (सकल) का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below :		
अभिकर्ता / Agents	1511564	2222162
ब्रोकर्स / Brokers	1339240	933829
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	49132	132369
अन्य / Others	0	0
कुल (ब) / TOTAL (B)	2899936	3288360

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
 Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023
SEGMENTAL REPORT - BREAKUP FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

(₹ '000)

मोटर तृतीय पक्ष / Motor TP		मोटर कुल / Motor Total	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
49867470	43065734	70472655	59852725
0	0	0	0
2034355	1737697	2859369	2410159
47833115	41328037	67613286	57442566
-3486565	-3536785	-5202592	-5790173
44346550	37791252	62410694	51652393
40213730	35991729	58150350	52018280
0	0	0	0
2438495	2110988	3138701	2863104
3775235	33880741	55011649	49155176
207791174	210360363	215061049	216326983
0	0	68	48201
10759320	11364685	11064829	11634360
197031854	198995678	203996288	204740824
210360363	207241179	216326983	212560937
0	0	48201	31815
11364685	11847903	11634360	12119327
198995678	195393276	204740824	200473425
35811411	37483143	54267113	53422575
5013713	2266616	7913649	5554976
5013713	2266616	7913649	5554976
0	0	0	0
100231	86908	223963	187805
4913482	2179708	7689686	5367171
4150092	2163054	5661656	4385216
858111	99380	2197351	1033209
5510	4182	54642	136551
0	0	0	0
5013713	2266616	7913649	5554976

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 विभाजन प्रतिवेदन / SEGMENTAL REPORT



युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023

खंडीय रिपोर्ट - ब्रेकअप शुद्ध 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ '000)

विवरण / Particulars	कर्मचारी क्षतिपूर्ति / Workmen Comp.	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
से प्रीमियम / PREMIUM FROM		
लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business Written	664499	657174
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर प्रीमियम / Add: Premium on Reinsurance accepted	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded	26579	26328
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	637920	630846
असमाप्त जोखिमों के लिए बदलाव हेतु समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks	-2301	76002
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net)	635619	706848
दावों का भुगतान / CLAIMS PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	200714	170750
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance ceded	11498	10299
शुद्ध दावों का भुगतान / Net Claims paid	189216	160451
जोड़: लंबित दावे - अंतिम - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding - Closing - Direct	685808	839235
जोड़: लंबित दावे - अंतिम - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Claims Outstanding - Closing - RI Accepted	0	0
घटाया: लंबित दावे - अंतिम - सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding - Closing - RI Ceded	40722	44516
जोड़: लंबित दावे - अंतिम - शुद्ध / Add: Claims Outstanding - Closing - Net	645086	794719
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct	839235	685955
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted	0	0
जोड़: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded	44516	98761
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - शुद्ध / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net	794719	587194
उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net)	39583	367976
भुगतान किया गया कमीशन / COMMISSION PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	104096	85836
कुल (अ) / TOTAL (A)	104096	85836
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded	3986	3950
कमीशन(शुद्ध) / Commission (Net)	100110	81886
व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय (सकल) का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below :		
अभिकर्ता / Agents	96494	79756
ब्रोकर्स / Brokers	7449	6230
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	153	-150
अन्य / Others	0	0
कुल (ब) / TOTAL (B)	104096	85836



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
 Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023
SEGMENTAL REPORT - BREAKUP FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

(₹ '000)

व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident		विमानन / Aviation		अभियांत्रिकी / Engineering	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
3512246	4344571	521860	792230	5074983	4606763
10641	21376	96397	90219	240573	172918
726859	1649119	433928	840937	1976677	2197186
2796028	2716828	184329	41512	3338879	2582495
37192	242230	-98929	73550	-192121	-893387
2833220	2959058	85400	115062	3146758	1689108
4213473	5420566	133402	326796	1805700	1882814
6577	10687	94818	124003	52123	95577
1625740	3068608	13670	264158	-122867	433752
2594310	2362645	214550	186641	1980690	1544639
4515269	5477291	876416	1916890	10153866	7901090
7632	88638	120688	128332	285519	205901
972508	2159233	456294	1568405	5276634	5258524
3550393	3406696	540810	476817	5162751	2848467
5477291	5960253	1916890	1172083	7901090	8525957
88638	7048	128332	243837	205901	240968
2159233	3143142	1568405	844805	5258524	5427394
3406696	2824159	476817	571115	2848467	3339531
2738007	2945182	278543	92343	4294974	1053575
225238	212866	19033	16408	585334	463567
225238	212866	19033	16408	585334	463567
2160	5019	12333	34996	32851	43408
80626	158825	4818	26444	122943	124634
146772	59060	26548	24960	495242	382341
122508	110891	680	1846	232995	170098
98785	68345	18353	14562	350849	292723
3945	33630	0	0	1490	746
0	0	0	0	0	0
225238	212866	19033	16408	585334	463567

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 विभाजन प्रतिवेदन / SEGMENTAL REPORT



युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023

खंडीय रिपोर्ट - ब्रेकअप शुद्ध 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ '000)

विवरण / Particulars	अन्य विविध / Other Misc.	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
से प्रीमियम / PREMIUM FROM		
लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business Written	664499	657174
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर प्रीमियम / Add: Premium on Reinsurance accepted	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded	26579	26328
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	637920	630846
असमाप्त जोखिमों के लिए बदलाव हेतु समायोजन / Adjustment for change in reserve for unexpired risks	-2301	76002
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net)	635619	706848
दावों का भुगतान / CLAIMS PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	200714	170750
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance ceded	11498	10299
शुद्ध दावों का भुगतान / Net Claims paid	189216	160451
जोड़: लंबित दावे - अंतिम - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding - Closing - Direct	685808	839235
जोड़: लंबित दावे - अंतिम - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Claims Outstanding - Closing - RI Accepted	0	0
घटाया: लंबित दावे - अंतिम - सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding - Closing - RI Ceded	40722	44516
जोड़: लंबित दावे - अंतिम - शुद्ध / Add: Claims Outstanding - Closing - Net	645086	794719
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct	839235	685955
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted	0	0
जोड़: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded	44516	98761
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - शुद्ध / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net	794719	587194
उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net)	39583	367976
भुगतान किया गया कमीशन / COMMISSION PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	104096	85836
कुल (अ) / TOTAL (A)	104096	85836
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन / Add: Commission on Reinsurance Accepted	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded	3986	3950
कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net)	100110	81886
व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय (सकल) का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below :		
अभिकर्ता / Agents	96494	79756
ब्रोकर्स / Brokers	7449	6230
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	153	-150
अन्य / Others	0	0
कुल (ब) / TOTAL (B)	104096	85836

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
विभाजन प्रतिवेदन / SEGMENTAL REPORT



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023
SEGMENTAL REPORT - BREAKUP FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

(₹ '000)

देयता / Liability		स्वास्थ्य अस्पतालीकरण / Health & Hosp.		फसल / Crop		कुल विविध / Total Misc.	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
1848299	1683918	78969913	72482237	7645959	4427458	173429062	153254240
143869	139261	0	0	0	0	491098	425003
1135306	474123	3175186	2926645	-1989510	-397110	9421636	10972515
856862	1349056	75794727	69555592	9635469	4824568	164498524	142706728
-105884	23055	-3130200	6495397	-415366	52679	-9079624	-1736906
750978	1372111	72664527	76050989	9220103	4877247	155418900	140969822
227262	239102	78116891	71171211	3873830	3929232	149632546	137822493
524	4248	0	0	0	0	163310	274449
37471	67458	3173680	3457748	-384109	777341	7904443	11292438
190315	175892	74943211	67713463	4257939	3151891	141891413	126804504
2336673	1721491	18820338	13954399	5128002	4602428	261485831	256915338
119912	115845	162	162	74595	74595	708960	863867
244225	152155	771673	689827	395620	4158719	20452321	26721072
2212360	1685181	18048827	13264734	4806977	518304	241742470	231058133
1721491	1867295	13954399	13917952	4602428	3869821	256915338	252118469
115845	63844	162	161	74595	0	863867	1061726
152155	181935	689827	763043	4158719	5408465	26721072	28849763
1685181	1749204	13264734	13155070	518304	-1538644	231058133	224330432
717494	111869	79727304	67823127	8546612	5208839	152575750	133532205
180082	155092	2358646	2765826	0	-449	12493572	10321385
180082	155092	2358646	2765826	0	-449	12493572	10321385
284	299	0	0	0	0	46922	84275
17102	14553	359417	320389	-75793	112079	821720	1032210
163264	140838	1999229	2445437	75793	-112528	11718774	9373450
69001	55458	1505738	1803786	0	0	8559398	7467030
110633	99325	831693	699354	0	-449	3824627	2387000
448	309	21215	262686	0	0	109547	467355
0	0	0	0	0	0	0	0
180082	155092	2358646	2765826	0	-449	12493572	10321385

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
विभाजन प्रतिवेदन / SEGMENTAL REPORT

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
अनुसूची - 1 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) -
सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	अग्नि / Fire	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
से प्रीमियम / PREMIUM FROM		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	20828177	18825406
प्रत्यक्ष- भारत में / Direct - In India	20828177	18825406
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	2758904	2227617
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में Add: Reinsurance Accepted - In India	2666978	2132126
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर Add: Reinsurance Accepted - Outside India	91926	95491
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance Ceded	15332054	11966866
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में Less: Reinsurance Ceded - In India	11750213	8603132
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर Less: Reinsurance Ceded - Outside India	3581841	3363734
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	8255027	9086157
शुद्ध प्रीमियम - भारत में / Net Premium - In India	11744943	12354400
शुद्ध प्रीमियम - भारत से बाहर / Net Premium - Outside India	-3489916	-3268243
असमाप्त जोखिमों के लिए रिजर्व में बदलाव हेतु समायोजन Adjustment for change in reserve for unexpired risks	441112	-880950
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net)	8696139	8205207



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023

SCHEDULE - 1 - CONSOLIDATED PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024 SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

समुद्री कार्गो / Marine Cargo		समुद्री पोतकाय / Marine Hull		समुद्री कुल / Marine Total	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
1792819	1878374	2479510	2485031	4272329	4363405
1792818	1878374	2479510	2485031	4272328	4363405
28367	33523	133624	14017	161991	47540
13073	10559	124045	12607	137118	23166
15294	22964	9579	1410	24873	24374
474308	469768	1714877	1765687	2189185	2235455
259325	242104	1195586	382510	1454911	624614
214983	227664	519291	1383177	734274	1610841
1346878	1442129	898257	733361	2245135	2175490
1546567	1646829	1407969	2115127	2954536	3761956
-199689	-204700	-509712	-1381766	-709401	-1586466
-12057	173890	-203214	-81549	-215271	92341
1334821	1616019	695043	651812	2029864	2267831

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
अनुसूची - 1 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) -
सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	मोटर स्व-क्षति / Motor OD	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
से प्रीमियम / PREMIUM FROM		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	20605185	16786991
प्रत्यक्ष- भारत में / Direct - In India	20605185	16786991
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	0	0
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में Add: Reinsurance Accepted - In India	0	0
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर Add: Reinsurance Accepted - Outside India	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance Ceded	825014	672462
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में Less: Reinsurance Ceded - In India	825014	672462
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर Less: Reinsurance Ceded - Outside India	0	0
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	19780171	16114529
शुद्ध प्रीमियम - भारत में / Net Premium - In India	19780171	16114529
शुद्ध प्रीमियम - भारत से बाहर / Net Premium - Outside India	0	0
असमाप्त जोखिमों के लिए रिजर्व में बदलाव हेतु समायोजन Adjustment for change in reserve for unexpired risks	-1716027	-2253388
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net)	18064144	13861141



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023

SCHEDULE - 1 - CONSOLIDATED PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024 SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

मोटर तृतीय पक्ष / Motor TP		मोटर कुल / Motor Total	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
49867470	43065734	70472655	59852725
49867470	43065734	70472655	59852725
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2034355	1737697	2859369	2410159
2010053	1737697	2835067	2410159
24302	0	24302	0
47833115	41328037	67613286	57442566
47857417	41328037	67637588	57442566
-24302	0	-24302	0
-3486565	-3536785	-5202592	-5790173
44346550	37791252	62410694	51652393

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
अनुसूची - 1 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) -
सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	कर्मचारी क्षतिपूर्ति / Workmen Comp.	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
से प्रीमियम / PREMIUM FROM		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	664499	657174
प्रत्यक्ष- भारत में / Direct - In India	664499	657174
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	0	0
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में Add: Reinsurance Accepted - In India	0	0
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर Add: Reinsurance Accepted - Outside India	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance Ceded	26579	26328
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में Less: Reinsurance Ceded - In India	26579	26328
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर Less: Reinsurance Ceded - Outside India	0	0
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	637920	630846
शुद्ध प्रीमियम - भारत में / Net Premium - In India	637920	630846
शुद्ध प्रीमियम - भारत से बाहर / Net Premium - Outside India	0	0
असमाप्त जोखिमों के लिए रिजर्व में बदलाव हेतु समायोजन Adjustment for change in reserve for unexpired risks	-2301	76002
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net)	635619	706848



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023

SCHEDULE - 1 - CONSOLIDATED PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024 SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

व्यक्तिगत दुर्घटना/Personal Accident		विमानन / Aviation		अभियांत्रिकी / Engineering	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
3512246	4344571	521860	792230	5074983	4606763
3512246	4344571	521860	792230	5074983	4606763
10641	21376	96397	90219	240573	172918
0	0	70932	100000	232066	153858
10641	21376	25465	-9781	8507	19060
726859	1649119	433928	840937	1976677	2197186
485704	-950594	340004	368291	1229675	1304741
241155	2599713	93924	472646	747002	892445
2796028	2716828	184329	41512	3338879	2582495
3026542	5295166	252787	523938	4077375	3455880
-230514	-2578338	-68458	-482426	-738495	-873385
37192	242230	-98929	73550	-192121	-893387
2833220	2959058	85400	115062	3146758	1689108

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
अनुसूची - 1 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) -
सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	आँय विविध / Other Misc.	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
से प्रीमियम / PREMIUM FROM		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	4718648	4407164
प्रत्यक्ष- भारत में / Direct - In India	4718648	4407164
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	-382	1229
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में Add: Reinsurance Accepted - In India	-889	1228
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर Add: Reinsurance Accepted - Outside India	507	1
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance Ceded	1077242	845128
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India	604910	511154
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर Less: Reinsurance Ceded - Outside India	472332	333974
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	3641024	3563265
शुद्ध प्रीमियम - भारत में / Net Premium - In India	4112848	3897239
शुद्ध प्रीमियम - भारत से बाहर / Net Premium - Outside India	-471824	-333974
असमाप्त जोखिमों के लिए रिजर्व में बदलाव हेतु समायोजन Adjustment for change in reserve for unexpired risks	30577	-2016259
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premium Earned (Net)	3671601	1547006



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023

SCHEDULE - 1 - CONSOLIDATED PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024 SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

देयता / Liability		स्वास्थ्य & अस्पतालीकरण / Health & Hosp.		फसल / Crop		कुल विविध / Total Misc.	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
1848299	1683918	78969913	72482237	7645959	4427458	173429062	153254240
1848299	1683918	78969913	72482237	7645959	4427458	173429062	153254240
143869	139261	0	0	0	0	491098	425003
143869	139261	0	0	0	0	445978	394347
0	0	0	0	0	0	45120	30656
1135306	474123	3175186	2926645	-1989510	-397110	9421636	10972515
860402	380878	2949029	2926645	-1174098	-315985	8157272	6661617
274904	93245	226157	0	-815412	-81125	1264364	4310898
856862	1349056	75794727	69555592	9635469	4824568	164498524	142706728
1131766	1442301	76020884	69555592	8820057	4743443	165717767	146986971
-274904	-93245	-226157	0	815412	81125	-1219242	-4280243
-105884	23055	-3130200	6495397	-415366	52679	-9079624	-1736906
750978	1372111	72664527	76050989	9220103	4877247	155418900	140969822

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
अनुसूची -2 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित उपगत दावे (शुद्ध) -
सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	अग्नि / Fire	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
दावों का भुगतान / CLAIMS PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	9746696	9289209
प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India	9746696	9289209
प्रत्यक्ष - भारत से बाहर / Direct - Outside India	0	0
जोड़ा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	1454704	387314
जोड़ा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India	1395560	347162
जोड़ा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India	59144	40152
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance ceded	4615008	3092351
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India	2653231	2125443
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India	1961777	966908
शुद्ध दावों का भुगतान / Net Claims paid	6586392	6584172
शुद्ध दावों का भुगतान - भारत में / Net Claims paid - In India	8489026	7510928
शुद्ध दावों का भुगतान - भारत से बाहर / Net Claims paid - Outside India	-1902634	-926756
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे / Add: Claims Outstanding at the end of the year	14493255	14297509
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - Direct-In India	31282272	25887244
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे-प्रत्यक्ष-भारत से बाहर / Add: Claims Outstanding Closing-Direct - Outside India	0	0
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding at the end of the year - Direct	31282272	25887244
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - In India	616524	1882681
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - Outside India	349246	428705
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Claims Outstanding at the end of the year - RI Accepted	965770	2311386
घटाया: अंतिम लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - In India	12006433	7927712
घटाया: अंतिम लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - Outside India	5748353	5973409
घटाया: वर्ष के अंत में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding at the end of the year - RI Ceded	17754786	13901121
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding at the end of the Year - Net	14493256	14297509
घटाया: आरंभ में लंबित दावे / Less: Claims Outstanding at the beginning	14297510	15145786
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - In India	25887244	26296290
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत से बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - Outside India	0	0
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct	25887244	26296290
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - In India	1882681	3127884
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - Outside India	428705	355212
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted	2311386	3483096
जोड़ा: आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - In India	7927713	9802675
जोड़ा: आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - Outside India	5973409	4830925
जोड़ा: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded	13901121	14633600
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - शुद्ध / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net	14297509	15145786
उपगत दावे- शुद्ध / Claims Incurred (Net)	6782139	5735895



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023

SCHEDULE - 2 - CONSOLIDATED CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024 SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

समुद्री कार्गो / Marine Cargo		समुद्री पोतकाय / Marine Hull		समुद्री कुल / Marine Total	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
1337949	2086948	1282098	1855489	2620047	3942437
1337949	2086948	1282098	1855489	2620047	3942437
0	0	0	0	0	0
10215	15015	128572	-4431	138787	10584
-1391	-1043	128572	1490	127181	447
11606	16058	0	-5921	11606	10137
466073	987638	1017736	1600225	1483809	2587863
224277	483598	-168973	881025	55304	1364623
241796	504040	1186709	719200	1428505	1223240
882091	1114325	392934	250833	1275025	1365158
1112281	1602307	1579643	975954	2691924	2578261
-230190	-487982	-1186709	-725121	-1416899	-1213103
1436789	1503342	1661461	1890945	3098250	3394287
2246469	2837282	5118414	6318007	7364883	9155289
0	0	0	0	0	0
2246469	2837282	5118414	6318007	7364883	9155289
14208	7134	68016	60425	82224	67559
26525	24395	8250	78669	34775	103064
40733	31529	76266	139094	116999	170623
390269	2223059	964106	4603696	1354375	6826755
460144	-857590	2569113	-37540	3029257	-895130
850413	1365469	3533219	4566156	4383632	5931625
1436789	1503342	1661461	1890945	3098250	3394287
1503342	1860552	1890945	1557161	3394287	3417713
2837282	4031093	6318007	7648943	9155289	11680036
0	0	0	0	0	0
2837282	4031093	6318007	7648943	9155289	11680036
7135	7599	60425	87883	67560	95482
24394	23646	78668	21524	103062	45170
31529	31245	139093	109407	170622	140652
2223059	2511551	4603695	6142524	6826754	8654075
-857590	-309765	-37540	58665	-895130	-251100
1365469	2201786	4566155	6201189	5931624	8402975
1503342	1860552	1890945	1557161	3394287	3417713
815538	757115	163450	584617	978988	1341732

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
अनुसूची -2 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित उपगत दावे (शुद्ध) -
सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	मोटर स्व-क्षति/Motor OD	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
दावों का भुगतान / CLAIMS PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	17936620	16026551
प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India	17936620	16026551
प्रत्यक्ष - भारत से बाहर / Direct - Outside India	0	0
जोडा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	0	0
जोडा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India	0	0
जोडा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance ceded	700206	752116
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India	700206	752116
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India	0	0
शुद्ध दावों का भुगतान / Net Claims paid	17236414	15274435
शुद्ध दावों का भुगतान - भारत में / Net Claims paid - In India	17236414	15274435
शुद्ध दावों का भुगतान - भारत से बाहर / Net Claims paid - Outside India	0	0
जोडा: वर्ष के अंत में लंबित दावे / Add: Claims Outstanding at the end of the year	6964434	5745146
जोडा: अंतिम लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - Direct-In India	7269875	5966620
जोडा: अंतिम लंबित दावे-प्रत्यक्ष-भारत से बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - Direct - Outside India	0	0
जोडा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding at the end of the year - Direct	7269875	5966620
जोडा: अंतिम लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - In India	0	0
जोडा: अंतिम लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - Outside India	68	48201
जोडा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Claims Outstanding at the end of the year - RI Accepted	68	48201
घटाया: अंतिम लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - In India	305509	269675
घटाया: अंतिम लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - Outside India	0	0
घटाया: वर्ष के अंत में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding at the end of the year - RI Ceded	305509	269675
जोडा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding at the end of the Year - Net	6964434	5745146
घटाया: आरंभ में लंबित दावे / Less: Claims Outstanding at the beginning	5745146	5080149
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - In India	5966620	5319758
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत से बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - Outside India	0	0
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct	5966620	5319758
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - In India	0	0
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - Outside India	48201	31815
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted	48201	31815
जोडा: आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - In India	269675	271424
जोडा: आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - Outside India	0	0
जोडा: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा / Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded	269675	271424
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - शुद्ध / Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net	5745146	5080149
उपगत दावे- शुद्ध / Claims Incurred (Net)	18455702	15939432



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023

SCHEDULE - 2 - CONSOLIDATED CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024 SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

मोटर तृतीय पक्ष / Motor TP		मोटर कुल / Motor Total	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
40213730	35991729	58150350	52018280
40213730	35991729	58150350	52018280
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2438495	2110988	3138701	2863104
2291791	2110886	2991997	2863002
146704	102	146704	102
37775235	33880741	55011649	49155176
37921938	33880844	55158352	49155279
-146703	-103	-146703	-103
197031854	198995678	203996288	204740824
207791174	210344673	215061049	216311293
0	15690	0	15690
207791174	210360363	215061049	216326983
0	0	0	0
0	0	68	48201
0	0	68	48201
10759320	11364685	11064829	11634360
0	0	0	0
10759320	11364685	11064829	11634360
197031854	198995678	203996288	204740824
198995678	195393276	204740824	200473425
210344673	207226643	216311293	212546401
15690	14536	15690	14536
210360363	207241179	216326983	212560937
0	0	0	0
0	0	48201	31815
0	0	48201	31815
11364685	11847903	11634360	12119327
0	0	0	0
11364685	11847903	11634360	12119327
198995678	195393276	204740824	200473425
35811411	37483143	54267113	53422575

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
अनुसूची -2 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित उपगत दावे (शुद्ध) -
सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	कर्मचारी क्षतिपूर्ति/Workmen Comp.	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
दावों का भुगतान / CLAIMS PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	200714	170750
प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India	200714	170750
प्रत्यक्ष - भारत से बाहर / Direct - Outside India	0	0
जोड़ा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	0	0
जोड़ा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India	0	0
जोड़ा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance ceded	11498	10299
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India	11498	10299
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India	0	0
शुद्ध दावों का भुगतान / Net Claims paid	189216	160451
शुद्ध दावों का भुगतान - भारत में/Net Claims paid - In India	189216	160451
शुद्ध दावों का भुगतान - भारत से बाहर / Net Claims paid - Outside India	0	0
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे / Add: Claims Outstanding at the end of the year	645086	794719
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत में/ Add: Claims Outstanding Closing - Direct-In India	685808	828775
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे-प्रत्यक्ष-भारत से बाहर/ Add: Claims Outstanding Closing-Direct - Outside India	0	10460
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding at the end of the year - Direct	685808	839235
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में/ Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - In India	0	0
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर/ Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - Outside India	0	0
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Claims Outstanding at the end of the year - RI Accepted	0	0
घटाया: अंतिम लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - In India	40722	44516
घटाया: अंतिम लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर/ Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - Outside India	0	0
घटाया: वर्ष के अंत में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding at the end of the year - RI Ceded	40722	44516
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding at the end of the Year - Net	645086	794719
घटाया: आरंभ में लंबित दावे / Less: Claims Outstanding at the beginning	794719	587194
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - In India	828775	676265
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत से बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - Outside India	10460	9690
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct	839235	685955
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में/ Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - In India	0	0
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - Outside India	0	0
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा/ Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted	0	0
जोड़ा: आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - In India	44516	98761
जोड़ा: आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - Outside India	0	0
जोड़ा: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा/ Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded	44516	98761
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - शुद्ध Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net	794719	587194
उपगत दावे- शुद्ध / Claims Incurred (Net)	39583	367976

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023

SCHEDULE - 2 - CONSOLIDATED CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024 SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident		विमानन / Aviation		अभियांत्रिकी / Engineering	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
4213473	5420566	133402	326796	1805700	1882814
4213473	5420566	133402	326796	1805700	1882814
0	0	0	0	0	0
6577	10687	94818	124003	52123	95577
-2	173	90080	54223	47299	81740
6579	10514	4738	69780	4824	13837
1625740	3068608	13670	264158	-122867	433752
483008	936040	13632	226816	-262818	272895
1142732	2132568	38	37342	139951	160857
2594310	2362645	214550	186641	1980690	1544639
3730463	4484699	209850	154203	2115817	1691658
-1136153	-2122054	4700	32438	-135127	-147019
3550393	3406696	540810	476817	5162751	2848467
4515269	5477291	876416	1916890	10153866	7901090
0	0	0	0	0	0
4515269	5477291	876416	1916890	10153866	7901090
426	5163	78682	86663	266861	202537
7206	83475	42006	41669	18658	3364
7632	88638	120688	128332	285519	205901
547589	3086694	268316	1398327	3252248	3518821
424919	-927461	187978	170078	2024386	1739703
972508	2159233	456294	1568405	5276634	5258524
3550393	3406696	540810	476817	5162751	2848467
3406696	2824159	476817	571115	2848467	3339531
5477291	5960253	1916890	1172083	7901090	8525957
0	0	0	0	0	0
5477291	5960253	1916890	1172083	7901090	8525957
5163	5518	86663	131104	202538	238459
83475	1530	41669	112733	3363	2509
88638	7048	128332	243837	205901	240968
3086694	3507955	1398327	786399	3518821	3646637
-927461	-364813	170078	58406	1739703	1780757
2159233	3143142	1568405	844805	5258524	5427394
3406696	2824159	476817	571115	2848467	3339531
2738007	2945182	278543	92343	4294974	1053575

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इश्यूरेस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
अनुसूची -2 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित उपगत दावे (शुद्ध) -
सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	अन्य विविध / Other Misc.	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
दावों का भुगतान / CLAIMS PAID		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	2910924	2663742
प्रत्यक्ष - भारत में / Direct - In India	2910924	2663742
प्रत्यक्ष - भारत से बाहर / Direct - Outside India	0	0
जोड़ा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Reinsurance accepted	9268	39934
जोड़ा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में / Add: Reinsurance Accepted - In India	6531	39235
जोड़ा: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Add: Reinsurance Accepted - Outside India	2737	699
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Reinsurance ceded	410659	349970
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Reinsurance Ceded - In India	279785	284254
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Less: Reinsurance Ceded - Outside India	130874	65716
शुद्ध दावों का भुगतान / Net Claims paid	2509533	2353706
शुद्ध दावों का भुगतान -भारत में/Net Claims paid - In India	2637670	2418724
शुद्ध दावों का भुगतान - भारत से बाहर / Net Claims paid - Outside India	-128137	-65018
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे / Add: Claims Outstanding at the end of the year	2778978	3322391
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत में/ Add: Claims Outstanding Closing - Direct-In India	3908410	4175531
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे-प्रत्यक्ष-भारत से बाहर/ Add: Claims Outstanding Closing-Direct - Outside India	0	0
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Add: Claims Outstanding at the end of the year - Direct	3908410	4175531
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में/ Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - In India	18045	1540
जोड़ा: अंतिम लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर/ Add: Claims Outstanding Closing - RI Accepted - Outside India	82339	200653
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा / Add: Claims Outstanding at the end of the year - RI Accepted	100384	202193
घटाया: अंतिम लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - In India	796166	699815
घटाया: अंतिम लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर/ Less: Claims Outstanding Closing - RI Ceded - Outside India	433650	355518
घटाया: वर्ष के अंत में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा / Less: Claims outstanding at the end of the year - RI Ceded	1229816	1055333
जोड़ा: वर्ष के अंत में लंबित दावे - शुद्ध / Add: Claims Outstanding at the end of the Year - Net	2778978	3322391
घटाया: आरंभ में लंबित दावे / Less: Claims Outstanding at the beginning	3322391	3169378
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत में / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - In India	4175531	3558216
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष - भारत से बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - Direct - Outside India	0	0
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - प्रत्यक्ष / Less: Outstanding claims at the beginning of the year - Direct	4175531	3558216
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत में/ Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - In India	1540	186369
घटाया: आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Less: Claims Outstanding Opening - RI Accepted - Outside India	200653	287684
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - स्वीकार किया गया पुर्नबीमा/ Less: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Accepted	202193	474053
जोड़ा: आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत में / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - In India	699815	499916
जोड़ा: आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा - भारत से बाहर / Add: Claims Outstanding Opening - RI Ceded - Outside India	355518	362975
जोड़ा: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - सौंपा गया पुर्नबीमा/ Add: Claims outstanding at the beginning of the year - RI Ceded	1055333	862891
घटाया: वर्ष के आरंभ में लंबित दावे - शुद्ध Less: Claims outstanding at the beginning of the year - Net	3322391	3169378
उपगत दावे- शुद्ध / Claims Incurred (Net)	1966120	2506719



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023

SCHEDULE - 2 - CONSOLIDATED CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024 SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

देयता / Liability		स्वास्थ्य & अस्पतालीकरण / Health & Hosp.		फसल / Crop		कुल विविध / Total Misc.	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
227262	239102	78116891	71171211	3873830	3929232	149632546	137822493
227262	239102	78116891	71171211	3873830	3929232	149632546	137822493
0	0	0	0	0	0	0	0
524	4248	0	0	0	0	163310	274449
524	4248	0	0	0	0	144432	179619
0	0	0	0	0	0	18878	94830
37471	67458	3173680	3457748	-384109	777341	7904443	11292438
30861	21712	3173680	3649793	-214448	566427	6507195	8831238
6610	45746	0	-192045	-169661	210914	1397248	2461200
190315	175892	74943211	67713463	4257939	3151891	141891413	126804504
196925	221638	74943211	67521418	4088278	3362805	143269782	129170875
-6610	-45746	0	192045	169661	-210914	-1378369	-2366371
2212360	1685181	18048827	13264734	4806977	518304	241742470	231058133
2336673	1721491	18820338	13954399	5128002	4602428	261485831	256889188
0	0	0	0	0	0	0	26150
2336673	1721491	18820338	13954399	5128002	4602428	261485831	256915338
119912	115845	162	162	74595	74595	558683	486505
0	0	0	0	0	0	150277	377362
119912	115845	162	162	74595	74595	708960	863867
189249	149053	770672	737517	333199	2651610	17262990	23920713
54976	3102	1001	-47690	62421	1507109	3189331	2800359
244225	152155	771673	689827	395620	4158719	20452321	26721072
2212360	1685181	18048827	13264734	4806977	518304	241742470	231058133
1685181	1749204	13264734	13155070	518304	-1538644	231058133	224330432
1721491	1867295	13954399	13917952	4602428	3869821	256889188	252094243
0	0	0	0	0	0	26150	24226
1721491	1867295	13954399	13917952	4602428	3869821	256915338	252118469
115845	63844	162	161	74595	0	486506	625455
0	0	0	0	0	0	377361	436271
115845	63844	162	161	74595	0	863867	1061726
149053	165905	737517	767237	2651610	3155831	23920713	24747968
3102	16030	-47690	-4194	1507109	2252634	2800359	4101795
152155	181935	689827	763043	4158719	5408465	26721072	28849763
1685181	1749204	13264734	13155070	518304	-1538644	231058133	224330432
717494	111869	79727304	67823127	8546612	5208839	152575750	133532205

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
 अनुसूची -3 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित उपगत दावे (शुद्ध) -
 सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	अग्नि / Fire	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
कमीशन / COMMISSION		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	2201083	1781009
कुल (अ) / TOTAL (A)	2201083	1781009
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन Add: Commission on Reinsurance Accepted	275263	288623
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत में Add: Commission on Reinsurance Accepted - In India	267691	278498
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत से बाहर Add: Commission on Reinsurance Accepted - Outside India	7572	10125
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded	1102594	1098129
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत में Less: Commission on Reinsurance Ceded - In India	975872	791276
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत से बाहर Less: Commission on Reinsurance Ceded - Outside India	126722	306853
कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net)	1373752	971503
कमीशन (शुद्ध) - भारत में / Commission (Net) - In India	1492902	1268231
कमीशन (शुद्ध) - भारत से बाहर / Commission (Net) - Outside India	-119149	-296728
व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय (सकल) का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below:		
अभिकर्ता - भारत में / Agents - In India	901358	703318
अभिकर्ता / Agents	901358	703318
ब्रोकर्स / Brokers	1230455	1009350
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	69270	68341
अन्य / Others	0	0
कुल (ब) / TOTAL (B)	2201083	1781009



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023

SCHEDULE - 3 - CONSOLIDATED COMMISSION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

समुद्री कार्गो / Marine Cargo		समुद्री पोतकाय / Marine Hull		मरीन कुल / Marine Total	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
285338	273795	46798	42573	332136	316368
285338	273795	46798	42573	332136	316368
4544	7584	8784	3232	13328	10816
679	1101	7862	2946	8541	4047
3865	6483	922	286	4787	6769
11299	13094	29523	47123	40822	60217
10754	11879	20880	18599	31634	30478
545	1215	8643	28524	9188	29739
278583	268285	26059	-1318	304642	266967
275263	263017	33780	26920	309043	289937
3320	5268	-7722	-28238	-4402	-22970
187116	169808	13539	12593	200655	182401
187116	169808	13539	12593	200655	182401
98006	103873	33178	29947	131184	133820
216	114	81	33	297	147
0	0	0	0	0	0
285338	273795	46798	42573	332136	316368

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
 अनुसूची -3 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित उपगत दावे (शुद्ध) -
 सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	मोटर स्व-क्षति / Motor OD	
	चालू वर्ष Current Year ₹	दिगत वर्ष Previous Year ₹
कमीशन / COMMISSION		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	2899936	3288360
कुल (अ) / TOTAL (A)	2899936	3288360
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन Add: Commission on Reinsurance Accepted	0	0
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत में Add: Commission on Reinsurance Accepted - In India	0	0
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत से बाहर Add: Commission on Reinsurance Accepted - Outside India	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded	123732	100897
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत में Less: Commission on Reinsurance Ceded - In India	123732	100897
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत से बाहर Less: Commission on Reinsurance Ceded - Outside India	0	0
कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net)	2776204	3187463
कमीशन (शुद्ध) - भारत में / Commission (Net) - In India	2776204	3187463
कमीशन (शुद्ध) - भारत से बाहर / Commission (Net) - Outside India	0	0
व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय (सकल) का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below:		
अभिकर्ता - भारत में / Agents - In India	1511564	2222162
अभिकर्ता / Agents	1511564	2222162
ब्रोकर्स / Brokers	1339240	933829
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	49132	132369
अन्य / Others	0	0
कुल (ब) / TOTAL (B)	2899936	3288360



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023

SCHEDULE - 3 - CONSOLIDATED COMMISSION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

मोटर तृतीय पक्ष / Motor TP		मोटर कुल / Motor Total	
चालू वर्ष Current Year ₹	दिगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	दिगत वर्ष Previous Year ₹
5013713	2266616	7913649	5554976
5013713	2266616	7913649	5554976
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
100231	86908	223963	187805
100231	86908	223963	187805
0	0	0	0
4913482	2179708	7689686	5367171
4913482	2179708	7689686	5367171
0	0	0	0
4150092	2163054	5661656	4385216
4150092	2163054	5661656	4385216
858111	99380	2197351	1033209
5510	4182	54642	136551
0	0	0	0
5013713	2266616	7913649	5554976

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
 अनुसूची -3 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित उपगत दावे (शुद्ध) -
 सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	कर्मचारी क्षतिपूर्ति / Workmen Comp.	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
कमीशन / COMMISSION		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	104096	85836
कुल (अ) / TOTAL (A)	104096	85836
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन Add: Commission on Reinsurance Accepted	0	0
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत में Add: Commission on Reinsurance Accepted - In India	0	0
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत से बाहर Add: Commission on Reinsurance Accepted - Outside India	0	0
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded	3986	3950
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत में Less: Commission on Reinsurance Ceded - In India	3986	3950
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत से बाहर Less: Commission on Reinsurance Ceded - Outside India	0	0
कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net)	100110	81886
कमीशन (शुद्ध) - भारत में / Commission (Net) - In India	100110	81886
कमीशन (शुद्ध) - भारत से बाहर / Commission (Net) - Outside India	0	0
व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय (सकल) का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below:		
अभिकर्ता - भारत में / Agents - In India	96494	79756
अभिकर्ता / Agents	96494	79756
ब्रोकर्स / Brokers	7449	6230
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	153	-150
अन्य / Others	0	0
कुल (ब) / TOTAL (B)	104096	85836



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023

SCHEDULE - 3 - CONSOLIDATED COMMISSION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident		विमानन / Aviation		अभियांत्रिकी / Engineering	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
225238	212866	19033	16408	585334	463567
225238	212866	19033	16408	585334	463567
2160	5019	12333	34996	32851	43408
0	0	12333	25296	29672	36267
2160	5019	0	9700	3179	7141
80626	158825	4818	26444	122943	124634
55018	55543	3864	23291	85631	84218
25608	103282	954	3153	37312	40416
146772	59060	26548	24960	495242	382341
170220	157323	27502	18413	529375	415616
-23448	-98263	-954	6547	-34133	-33275
122508	110891	680	1846	232995	170098
122508	110891	680	1846	232995	170098
98785	68345	18353	14562	350849	292723
3945	33630	0	0	1490	746
0	0	0	0	0	0
225238	212866	19033	16408	585334	463567

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
अनुसूची -3 - 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित उपगत दावे (शुद्ध) -
सखंड भारत में & भारत से बाहर

(₹ '000)

विवरण / Particulars	अन्य विविध / Other Misc.	
	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
कमीशन / COMMISSION		
प्रत्यक्ष व्यवसाय / Direct Business	1107494	1067263
कुल (अ) / TOTAL (A)	1107494	1067263
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन Add: Commission on Reinsurance Accepted	-706	553
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत में Add: Commission on Reinsurance Accepted - In India	-857	371
जोड़: स्वीकार किया गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत से बाहर Add: Commission on Reinsurance Accepted - Outside India	151	182
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded	84658	83531
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत में Less: Commission on Reinsurance Ceded - In India	59466	57249
घटाया: सौंपा गया पुर्नबीमा पर कमीशन - भारत से बाहर Less: Commission on Reinsurance Ceded - Outside India	25192	26282
कमीशन (शुद्ध) / Commission (Net)	1022130	984285
कमीशन (शुद्ध) - भारत में / Commission (Net) - In India	1047171	1010385
कमीशन (शुद्ध) - भारत से बाहर / Commission (Net) - Outside India	-25041	-26100
व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय (सकल) का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए: / Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below:		
अभिकर्ता - भारत में / Agents - In India	870326	859979
अभिकर्ता / Agents	870326	859979
ब्रोकर्स / Brokers	209514	173701
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	27654	33583
अन्य / Others	0	0
कुल (ब) / TOTAL (B)	1107494	1067263

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA



UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023

SCHEDULE - 3 - CONSOLIDATED COMMISSION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

(₹ '000)

देयता / Liability		स्वास्थ्य & अस्पतालीकरण / Health Hosp.		फसल / Crop		कुल विविध / Total Misc.	
चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
180082	155092	2358646	2765826	0	-449	12493572	10321385
180082	155092	2358646	2765826	0	-449	12493572	10321385
284	299	0	0	0	0	46922	84275
284	299	0	0	0	0	41432	62233
0	0	0	0	0	0	5490	22042
17102	14553	359417	320389	-75793	112079	821720	1032210
13979	13887	353763	320389	-41477	120321	758193	866653
3123	666	5654	0	-34316	-8242	63527	165557
163264	140838	1999229	2445437	75793	-112528	11718774	9373450
166387	141504	2004883	2445437	41477	-120770	11776811	9516965
-3123	-666	-5654	0	34316	8242	-58037	-143515
69001	55458	1505738	1803786	0	0	8559398	7467030
69001	55458	1505738	1803786	0	0	8559398	7467030
110633	99325	831693	699354	0	-449	3824627	2387000
448	309	21215	262686	0	0	109547	467355
0	0	0	0	0	0	0	0
180082	155092	2358646	2765826	0	-449	12493572	10321385

समेकित वित्तीय विवरण / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
भारत में और भारत के बाहर विभाजन / SEGMENTAL IN INDIA & OUTSIDE INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड / UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED

पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023

Registration No.:545 Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित प्राप्तियां और भुगतान खाता

CONSOLIDATED RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2024

(₹ '000)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
I. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from the Operating Activities		
पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम, जिसमें अग्रिम रसीदें, सहबीमा राशि शामिल है Premium received from policyholders, including advance receipts, net of coinsurance	20,60,22,976	17,72,17,385
अन्य प्राप्तियाँ / Other Receipts	2,04,716	2,07,647
पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान, कमीशन और दावों का शुद्ध Payments to reinsurers, net of commission and claims	(92,44,485)	(96,80,268)
साहबीमाकर्ताओं को भुगतान, दावों की वसूली का शुद्ध Payments to coinsurers, net of claims recovery	(26,56,427)	25,21,100
दावों का भुगतान / Payments of claims	(16,14,36,717)	(15,15,42,545)
कमीशन और ब्रोकरेज का भुगतान / Payments of commission and brokerage	(1,47,85,030)	(1,20,34,513)
अन्य खर्चों का भुगतान / Payments of other operating expenses	(4,68,92,706)	(4,62,12,634)
प्रारंभिक और पूर्व-संचालन व्यय / Preliminary & Pre-operative Expenses	0	0
जमा, अग्रिम और कर्मचारी ऋण / Deposits, advances and staff loans	(25,47,953)	5,87,417
आयकर का भुगतान/ वापसी (शुद्ध) / Income taxes paid/ refund (net)	(59,71,996)	(92,711)
सेवाकर का भुगतान / वापसी (शुद्ध) / Service tax paid / refund (net)	6,77,902	(6,17,508)
अन्य भुगतान / संग्रहण(शुद्ध) / Other payments/collections (Net)	(17,66,262)	9,86,125
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव पर लाभ / हानि Gain /Loss on Foreign Exchange Fluctuations	(38,461)	(2,12,305)
असाधारण गतिविधियों से पूर्व नकदी प्रवाह Cash flow before extraordinary activities	(3,84,34,444)	(3,88,72,809)
असाधारण गतिविधियाँ / Extraordinary Activities	(378)	(610)
असाधारण गतिविधियों के पश्चात नकदी प्रवाह Cash flow after extraordinary activities	(3,84,34,822)	(3,88,73,420)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नगद प्रवाह Net Cash flow from the Operating Activities	(3,84,34,822)	(3,88,73,420)



(₹ '000)

विवरण / Particulars		चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
II.	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from the Investing Activities		
	अचल संपत्तियों की खरीदी / Purchase of fixed assets	(10,50,572)	(8,55,250)
	अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियाँ / Proceeds from Sale of Fixed Assets	1,02,994	1,78,002
	निवेश की खरीदी / Purchase of investments	(1,68,03,086)	(2,58,30,493)
	वितरित ऋण / Loans Disbursed	0	0
	निवेशों का बिक्री मूल्य / Sale Value of Investments	3,27,08,526	2,89,59,542
	प्राप्त हुई चुकौतियाँ / Repayments Received	1,55,95,984	2,03,25,846
	प्राप्त किराया, ब्याज और लाभांश / Rents/Interests / Dividends received	2,08,78,016	2,23,30,672
	मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स और लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में निवेश Investments in money market instruments and in liquid mutual funds	4,39,306	(3,97,568)
	निवेश संबंधी व्यय / Expenses relating to investments	(44,804)	(34,871)
	अन्य भुगतान/ प्राप्तियाँ (शुद्ध) / Other payments / collections (Net)	5	5
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह Net cash flow from the Investing Activities	5,18,26,369	4,46,75,885
III.	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from the Financing Activities		
	अंश पूंजी निर्गमन से प्राप्तियाँ / Proceeds from issuance of share capital	0	0
	उधार / निवेश से प्राप्तियाँ / Proceeds from borrowing / investments	0	0
	उधार का पुनर्भुगतान / Repayments of borrowing	0	(90,00,000)
	ब्याज/ लाभांश का भुगतान / Interest / dividends paid	0	(13,42,500)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह / Net cash flow from the Financing Activities	0	(1,03,42,500)
IV	नकदी और नकदी समकक्षों (शुद्ध) पर विदेशी मुद्रा दरों का प्रभाव Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents (net)		
	नकद और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि Net increase in Cash and Cash Equivalents	1,33,91,548	(45,40,035)
	वर्ष के आरंभ में नकद और नकदी समकक्ष Cash and cash equivalents at the beginning of the year	2,21,56,296	2,66,96,331
	वर्ष के अंत में नकद और नकदी समकक्ष Cash and cash equivalents at the end of the year	3,55,47,844	2,21,56,296

(₹ '000)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष Current Year ₹	विगत वर्ष Previous Year ₹
नकद और नकदी समतुल्य के घटक Components of Cash and Cash Equivalents		
1 हस्ते रोकड़ / Cash on Hand	167725	508567
2 बैंकों के साथ शेष / Balance with Banks		
ख़ातों में / In Current Accounts	8621050	11551055
3 महीनों से कम समय के परिपक्ववाले एफडीआर In FDR with maturity less than 3 Months	310090	289082
अप्रदत्त लाभांश लेखा / Unpaid Dividend Accounts	15388	15601
उप-कुल / Sub-Total	9114253	12364305
3 एफ डी जिनका परिपक्वता 3 महीनों से अधिक परंतु 12 महीनों से कम FD for Short Term More than 3 Months and Less than 12 Months	26433591	9791991
4 अन्य संस्थानों के पास (सीबीएलओ के पास) With Other Institution (with CBLO)	0	0
उप-कुल / Sub-Total	26433591	9791991
कुल योग / Grand Total	35547844	22156296

अनघा देशपांडे

कंपनी सचिव

ए सी एस सं. A12700

ANAGHA DESHPANDE

COMPANY SECRETARY

ACS No. : A12700

संतानम हेमामालिनी

मुख्य वित्तीय अधिकारी

SANTHANAM HEMA MALINI

CHIEF FINANCIAL OFFICER

भूपेश सुशील राहुल

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

डीआईएन सं. 10610759

BHUPESH SUSHIL RAHUL

CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR

DIN : 10610759

संलग्न दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / Vide our report of date attached

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन : 001997S

For Manohar Chowdhry & Associates

Chartered Accountants

FRN :001997S

सीए के सुनिल कुमार

भागीदार

सदस्यता सं. 231416

CA K Sunil Kumar

Partner

Membership No. 231416

वास्ते एस आर बी आर & एसोसियट्स एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन: 004997S/S200051

For S R B R & Associates LLP

Chartered Accountants

FRN:004997S/S200051

सीए आर.सुंदराराजन

भागीदार

सदस्यता सं. 029814

CA R. Sundararajan

Partner

Membership No.029814

वास्ते ए वी देवेन & कं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन: 000726S

For A V Deven & Co

Chartered Accountants

FRN: 000726S

सीए आर.रघुरामन

भागीदार

सदस्यता सं. 201760

CA R Raghuraman

Partner

Membership No. 201760

स्थान / Place : चेन्नै / Chennai

दिनांक / Date : मई 30, 2024 / 30.05.2024



इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त छोड़ दिया गया है
This page is intentionally left blank

31 मार्च 2024 तक समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स

I. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. समेकन के सिद्धांत

A. समेकित वित्तीय विवरण यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी और सहयोगियों (एक साथ "कंपनी" के रूप में संदर्भित) से संबंधित हैं। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

1. कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को अंतर-समूह शेष और अंतर-समूह शेष को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद, संपत्ति, देनदारियों, आय और व्यय की समान वस्तुओं के बुक वैल्यू को एक साथ जोड़कर लाइन-दर-लाइन आधार पर संयोजित किया जाता है। लेखांकन मानक (एएस) 21 के अनुसार समूह लेनदेन - "समेकित वित्तीय विवरण"
2. सहायक कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण के समय, जैसा भी मामला हो, शुद्ध संपत्ति पर सहायक कंपनियों में निवेश की लागत के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में सद्भावना या पूंजी आरक्षित के रूप में मान्यता दी जाती है।
3. सहायक कंपनियों में निवेश के निपटान से प्राप्त आय और निपटान की तारीख के अनुसार इसकी परिसंपत्तियों की देनदारियों को घटाकर शेष राशि के बीच अंतर को लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है, जो कि सहायक कंपनियों में निवेश के निपटान पर लाभ या हानि है।
4. वर्ष के लिए समेकित सहायक कंपनी के शुद्ध लाभ में माइनॉरिटी इंटररेस्ट की हिस्सेदारी की पहचान की जाती है और कंपनी के शेयरधारकों के कारण होने वाली शुद्ध आय पर पहुंचने के लिए समूह की आय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।
5. समेकित सहायक कंपनी की शुद्ध संपत्ति में अल्प हिट की हिस्सेदारी की पहचान की जाती है और कंपनी के शेयरधारकों की देनदारियों और इक्विटी से अलग समेकित बैलेंस शीट में प्रस्तुत की जाती है।
6. एसोसिएट कंपनियों में निवेश को लेखांकन मानक (एएस) 23 - "समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन" के अनुसार इक्विटी पद्धति के तहत लेखांकन किया गया है।
7. कंपनी अपने लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से, अपने हिस्से की सीमा तक कंपनी और उसके सहयोगियों के बीच लेनदेन से उत्पन्न अप्रामाण्य लाभ और हानि को समाप्त करने के बाद, अधिग्रहण के बाद, सहयोगियों की शुद्ध संपत्ति में परिवर्तन में अपने हिस्से का हिसाब रखती है। इस हद तक कि इस तरह का परिवर्तन उपलब्ध जानकारी के आधार पर शेष राशि के लिए सहयोगियों के लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार है।

8. एसोसिएट्स में निवेश की लागत और एसोसिएट्स में शेयरों के अधिग्रहण के समय शुद्ध संपत्ति के हिस्से के बीच के अंतर को, जैसा भी मामला हो, वित्तीय विवरणों में सद्भावना या पूंजी आरक्षित के रूप में पहचाना जाता है।

9. एक सहयोगी इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर जहां तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं और कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों के समान ही प्रस्तुत किए जाते हैं जो सिंगापुर कंपनी अधिनियम, 50. कैप द्वारा आवश्यक सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (एफआरएस) के अनुसार तैयार किया गया है। कंपनी की लेखांकन नीति की तुलना में भौतिक अंतर निम्न के संबंध में हैं;

a) जोखिमों के लिए आरक्षित निधि, एसोसिएट द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति

असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि में अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि और प्रीमियम कमी आरक्षित राशि का योग शामिल होता है। प्रीमियम कमी भंडार हानि के आँकड़ों पर बीमा िकिक तरीकों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है और तब पहचाना जाता है जब व्यवसाय की किसी भी पंक्ति के लिए तुलन पत्र की तारीख पर लागू पॉलिसियों की असमाप्त अवधि के कारण दावों और खर्चों का अपेक्षित मूल्य अनर्जित प्रीमियम भंडार से अधिक हो जाता है। अनर्जित प्रीमियम भंडार की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाती है:

(i) समुद्री कार्गो के अलावा व्यवसाय के सभी प्रत्यक्ष और ऐच्छिक पुनर्बीमा वर्गों के लिए 365वीं विधि, जिसके लिए 25% लागू है;

(ii) समुद्री कार्गो के अलावा टीटी पुनर्बीमा व्यवसाय के सभी वर्गों के मामले में, प्रीमियम का 40% और समुद्री कार्गो के लिए, प्रीमियम का 25%; और

(iii) समुद्री कार्गो को छोड़कर, प्रत्यक्ष और वैकल्पिक पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में गणना में वास्तविक अधिग्रहण लागत को ध्यान में रखा जाता है।

b) आस्थगित अधिग्रहण लागत

वित्तीय अवधि के दौरान किए गए कमीशन और अन्य अधिग्रहण लागत जो नए बीमा अनुबंधों

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS ON 31ST MARCH 2024

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. PRINCIPLES OF CONSOLIDATION

A. The consolidated financial statements relate to United India Insurance Company Limited the holding company and its subsidiary company and associates (together referred as “the company”). The consolidated financial statements have been prepared on the following basis:

1. The financial statements of the Company and its subsidiary company are combined on a line-by-line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses, after fully eliminating intra-group balances and intra-group transactions in accordance with Accounting Standard (AS) 21 - “Consolidated Financial Statements”
2. The difference between the cost of investment in the subsidiaries, over the net assets at the time of acquisition of shares in the subsidiaries is recognised in the financial statements as Goodwill or Capital Reserve, as the case may be.
3. The difference between the proceeds from disposal of investment in subsidiaries and the carrying amount of its assets less liabilities as of the date of disposal is recognised in the consolidated Statement of Profit and Loss being the profit or loss on disposal of investment in subsidiary.
4. Minority Interest's share of net profit of consolidated subsidiary for the year is identified and adjusted against the income of the group in order to arrive at the net income attributable to shareholders of the Company.
5. Minority Interest's share of net assets of consolidated subsidiary is identified and presented in the consolidated balance sheet separate from liabilities and the equity of the Company's shareholders.
6. Investment in Associate Companies has been accounted under the equity method as per Accounting Standard (AS) 23 - “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements”.
7. The Company accounts for its share in change in net assets of the associates, post-acquisition, after eliminating unrealised profits and losses resulting from transactions between the Company and its associates to the extent of its share, through its Statement of Profit and Loss to the extent such change is attributable to the associates' Profit or Loss through its reserves for the balance, based on available information.
8. The difference between the cost of investment in the associates and the share of net assets at the time of acquisition of shares in the associates is identified in the financial statements as Goodwill or Capital Reserve as the case may be.
9. As far as possible, the consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances and are presented in the same manner as the Company's separate financial statements, except for the India International Insurance Pte Ltd an associate have been prepared in accordance with Singapore Financial Reporting Standards (FRS) as required by the Singapore Companies Act, Cap. 50. As compared to Accounting policy of the company the material difference are with respect to;
 - a) Reserves for unexpired risks, the accounting policy followed by Associate

Reserves for unexpired risks comprise the sum of unearned premium reserves and premium deficiency reserves. Premium deficiency reserves are derived using actuarial methods on loss statistics and are recognised when the expected value of claims and expenses attributable to the unexpired periods of policies in force at the balance sheet date for any line of business exceeds the unearned premium reserves.

The unearned premium reserves are computed on the following basis:

 - (i) 365th method for all direct and facultative reinsurance classes of business other than marine cargo, for which 25% is applicable;
 - (ii) in the case of all classes of treaty reinsurance business, other than marine cargo, 40% of the premiums and for marine cargo, 25% of the premiums; and
 - (iii) the actual acquisition cost is taken into account in the computation in respect of direct and facultative reinsurance business, except for marine cargo.
 - b) Deferred acquisition costs

Commission and other acquisition costs incurred during the financial period that vary with and are related to securing new insurance contracts

को सुरक्षित करने और/या मौजूदा बीमा अनुबंधों को नवीनीकृत करने के साथ भिन्न होती हैं, लेकिन जो बाद की वित्तीय अवधियों से संबंधित होती हैं, उन्हें इस हद तक स्थगित कर दिया जाता है कि वे भविष्य के मार्जिन राजस्व से पुनर्प्राप्त किए जा सकते हैं। आस्थगित अधिग्रहण लागत ("डीएसी") की गणना वास्तविक कमीशन पर 365वीं पद्धति का उपयोग करके की जाती है। अन्य सभी अधिग्रहण लागतें खर्च होने पर व्यय के रूप में पहचानी जाती हैं।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक हानि समीक्षा की जाती है और, यदि आवश्यक हो, तो वहन मूल्य को वसूली योग्य राशि में लिखा जाता है।

- c) परिचालन पट्टे और वित्तीय पट्टे के लेखांकन के बीच अंतर हटा दिया गया है। उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति और पट्टा दायित्व को पट्टा प्रारंभ तिथि पर मान्यता दी जाती है।

उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें पट्टे पर दी गई देनदारी की प्रारंभिक राशि शामिल होती है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति को बाद में प्रारंभ तिथि से लेकर उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत और पट्टे की अवधि के अंत तक सीधी-रेखा विधि का उपयोग करके मूल्यहास किया जाता है।

लीज देनदारी को शुरू में लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, जिसे कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी जाती है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को वित्तीय स्थिति के विवरण में मअन्य परिसंपत्तियों में और पट्टे की देनदारियों को 'अन्य देनदारियों' में मान्यता दी गई है।

मशीनरी के अल्पावधि पट्टों के मामले में जिनकी पट्टा अवधि 12 महीने या उससे कम है और कम मूल्य वाली संपत्तियों के पट्टे उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और पट्टा देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है। इन पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि के दौरान सीधी-रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

10. एक सहयोगी, इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर, समेकन में उपयोग की जाने वाली सहायक कंपनी और सहयोगियों के वित्तीय विवरण कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि यानी 31 मार्च, 2024 तक तैयार किए जाते हैं, क्योंकि वित्तीय विवरण रिपोर्टिंग के तारीख पर वे उपलब्ध नहीं हैं। इन्हें नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित किया गया है।

B. सहायक कंपनी और सहयोगियों की सूची जो समेकन में शामिल हैं और उनमें कंपनी की हिस्सेदारी इस प्रकार है

कंपनी का नाम	हिस्सेदारी का %	इसके निगमन का देश
सहायक कंपनी		
जेनीथ सेक्यूरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	69.45%	भारत
सहयोगी		
इंडिया इंटरनेशनल इन्श्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड	20.00%	सिंगापुर
हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	23.75%	भारत

2. लेखांकन अभिसमय:

- 2.1 वित्तीय विवरण इतिहासपरक लागत अभिसमय के तहत भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002, बीमा अधिनियम, 1938, विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीएआइ) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश / परिपत्र / अधिसूचनाएं/बीमा द्वारा निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं।
- 2.2 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

तैयार करना) विनियम, 2002 के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण सीधा पद्धति पर तैयार किया जाता है।

3. आंकलन का उपयोग:

आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार संपत्ति, देनदारियों, राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं। संलग्न वित्तीय विवरणों में उपयोग किए गए अनुमान और धारणाएं वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित हैं। वास्तविक



and or renewing existing insurance contracts, but which relates to subsequent financial periods, are deferred to the extent that they are recoverable out of future revenue margins. Deferred acquisition costs (“DAC”) are calculated using the 365th method on actual commission. All other acquisition costs are recognised as an expense when incurred.

An impairment review is performed at each reporting date and, if required, the carrying value is written down to the recoverable amount.

- c) The distinction between accounting of Operating Lease and Financial Lease has been removed. A right-of-use asset and a lease liability is recognized at the lease commencement date.

The right-of-use asset is initially measured at cost, comprising the initial amount of the leased liability. The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-to-use asset and the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the Company’s incremental borrowing rate.

The right-of-use asset is recognized in ‘other assets’ and lease liabilities in ‘other liabilities’ in the Statement of Financial Position.

In case of short term leases of machinery that have lease term of 12 months or less and leases of low-value assets, right-of-use assets and lease liabilities are not recognized. These lease payments are recognized as expense on straight-line basis over the lease term.

- 10. The financial statements of the subsidiary and associates used in the consolidation are drawn up to the same reporting date as that of the Company i.e. 31st March, 2024, except for the India International Insurance Pte Ltd an associate for which financial statements as on reporting date are not available. These have been consolidated based on latest available financial statements.

B. The list of subsidiary company, and associates which are included in the consolidation and the company holdings therein are as under:

Name of the Company	Ownership in %	Country of Incorporation
Subsidiary company		
Zenith securities and Investments Ltd	69.45%	India
Associates		
India International Insurance Pte Ltd	20.00%	Singapore
Health Insurance TPA of India Limited	23.75%	India

2. ACCOUNTING CONVENTION:

- 2.1 The financial statements are prepared under the historical cost convention in accordance with the accounting principles prescribed by The Insurance Regulatory and Development Authority Of India (Preparation of Financial Statements and Auditor’s Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, Orders/Circulars/Notifications issued by Insurance Regulatory and Development Authority Of India (IRDAI) from time to time.
- 2.2 Cash flow statement is prepared on Direct method as per Insurance Regulatory and Development Authority of India (Preparation of Financial Statements and Auditor’s Report of Insurance Companies) Regulations, 2002.

3. USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements in conformity with the generally accepted accounting principles requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, revenue and expenses and disclosure of contingent liabilities as of the date of the financial statements. The estimates and assumptions used in the accompanying financial statements are based upon the management’s evaluation of the relevant facts and circumstances as of the date of the financial statements. Actual results may differ from estimates and assumptions used in preparing these financial statements.

4. SHAREHOLDERS’/POLICYHOLDERS’ FUNDS:

- 4.1 Shareholders’ funds consists of Share Capital plus all Reserves and Surplus (except Revaluation

परिणाम इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं।

4. अंशधारकों / पॉलिसीधारकों की निधि :

4.1. अंशधारकों के फंड में अंश पूंजी के साथ-साथ सभी रिजर्व और अधिशेष (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व और उचित मूल्य परिवर्तन खाते को छोड़कर) संचित घाटे और विविध व्यय को उस सीमा तक शामिल किया जाता है जिसे तुलन पत्र की तारीख में बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

4.2. पॉलिसीधारकों की निधि में शामिल हैं:

- बकाया दावे जिनमें उपगत हुए लेकिन रिपोर्ट नहीं किया गया (आइबीएनआर) और उपगत लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किया गया (आइबीएनईआर);
- अनर्जित प्रीमियम रिजर्व;
- प्रीमियम घाटा रिजर्व; यदि कोई है तो
- आपदा रिजर्व, यदि कोई हो; और
- अन्य परिसंपत्तियों को शामिल करके अन्य देनदारियां

उपरोक्त बिंदु (ई) में अन्य देनदारियों में शामिल हैं (i) अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम (ii) अनावंटित प्रीमियम (iii) अन्य बीमा कंपनियों के कारण शेष राशि (iv) पूल के अन्य सदस्यों जैसे कि तीसरे पक्ष पूल के कारण; आतंकवाद पूल; आदि (v) विविध लेनदार (पॉलिसीधारकों के कारण)।

उपरोक्त बिंदु (ई) में अन्य परिसंपत्तियों में शामिल हैं (i) बकाया प्रीमियम (ii) पुनर्बीमाकर्ताओं सहित बीमा व्यवसाय करने वाली अन्य संस्थाओं से देय (iii) तीसरे पक्ष पूल जैसे पूल के साथ शेष राशि; आतंकवाद पूल; वगैरह।

5. प्रीमियम :

5.1 प्रत्यक्ष व्यवसाय:

5.1.1 लंबी अवधि (एक वर्ष से अधिक अवधि के साथ) के मोटर बीमा पॉलिसियों के अलावा प्रीमियम आय को जोखिम की धारणा पर मान्यता दी गई है।

5.1.2 दीर्घकालिक मोटर बीमा पॉलिसियों के मामले में, तृतीय पक्ष के कवरेज के लिए प्राप्त प्रीमियम (वस्तु एवं सेवा कर का शुद्ध) 1/एन आधार पर जोखिम के प्रारंभ में पॉलिसी अवधि के दौरान समान रूप से मान्यता प्राप्त है, जहां एन अवधि वर्षों में पॉलिसी को दर्शाता है। स्व-क्षति कवरेज के लिए प्राप्त प्रीमियम को बीमाकृत घोषित मूल्य (आईडीवी) के अनुपात में साल-दर-साल आधार पर मान्यता दी जाती है।

5.1.3 उन पॉलिसियों के मामले में जहां भुगतान किस्तों में प्राप्त होता है, वहाँ किस्त प्राप्त होने पर राजस्व को मान्य किया जाता है।

5.1.4 फसल बीमा के मामले में, प्रीमियम का हिसाब किसान के हिस्से की प्रीमियम प्राप्ति पर किया जाता है और संबंधित सरकारी हिस्से का हिसाब उचित आधार पर किया जाता है।

5.1.5 प्रीमियम की वसूली होने पर पुनर्स्थापन प्रीमियम का हिसाब लगाया जाता है।

5.1.6 अग्रिम में प्राप्त प्रीमियम उस वर्ष के दौरान जारी की गई पॉलिसियों के संबंध में प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है जहां जोखिम तुलन पत्र की तारीख के बाद शुरू होता है। इसके अलावा, दीर्घ कालिक मोटर बीमा पॉलिसियों के मामले में, बाद के वर्षों में मान्य किए जाने योग्य प्रीमियम को अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम माना जाता है।

5.1.7 अर्जित प्रीमियम को सकल आधार पर 1/365 विधि के द्वारा जोखिम की अवधि या पॉलिसी अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है। किस्त प्रीमियम को शेष पॉलिसी अवधि में मान्यता दी जाती है। प्रीमियम में बाद में कोई भी संशोधन जब भी होता है, उसे जोखिम की शेष अवधि या लागू होने वाली पॉलिसी अवधि में मान्यता दी जाती है।

5.1.8 पॉलिसी रद्द करने पर उत्पन्न होने वाली प्रीमियम आय का समायोजन उस अवधि में मान्यता प्राप्त है जिसमें इसे रद्द किया गया है।

5.1.9 फ्री-लुक अवधि सहित प्रीमियम वापसी का हिसाब वर्ष के दौरान पारित पृष्ठंकन के आधार पर किया जाता है।

5.1.10 प्रत्येक खंड के लिए अनर्जित प्रीमियम के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है, जो समय विभाजन के आधार पर या जोखिम की अवधि, जो भी उचित हो, की गणना के बाद आने वाली लेखांकन अवधि के लिए मान्यता प्राप्त प्रीमियम के उस हिस्से को दर्शाता है। यह नीचे दिए गए 4.3 के अनुसार गणना की गई असमाप्त जोखिम आरक्षित का हिस्सा है।

5.2 पुनर्बीमा:

5.2.1 31 मार्च तक प्राप्त विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों से प्राप्त रिटर्न/एडवाइजेस के आधार पर प्रीमियम आय को मान्य किया जाता है।

5.2.2 भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के संबंध में प्रीमियम आय की पहचान संबंधित लेखा वर्ष के खातों को अंतिम रूप देने तक प्राप्त रिटर्न के आधार पर की जाती है। जहां भी खातों को अंतिम रूप देने तक रिटर्न प्राप्त नहीं हुआ है, उसका अनुमान लगाया गया है।

reserve and fair value change account) net of accumulated losses and Miscellaneous expenditure to the extent not written off as at the balance sheet date.

4.2 Policyholders' funds consists of:

- a) Outstanding claims including Incurred but not Reported (IBNR) and Incurred but not enough reported (IBNER);
- b) Unearned Premium Reserve;
- c) Premium Deficiency Reserve; if any
- d) Catastrophe Reserve, if any; and
- e) Other Liabilities net of Other Assets

Other Liabilities in point (e) above, comprise of (i) Premium received in advance (ii) Unallocated premium (iii) Balance due to Other Insurance companies (iv) Due to other members of a pool such as third party pool; Terrorism pool; etc (v) Sundry creditors (due to policyholders).

Other Assets in point (e) above, comprise of (i) Outstanding premium (ii) due from other entities carrying on insurance business including Re insurers (iii) balance with Pool such as Third Party Pool; Terrorism Pool; etc.

5. PREMIUM:

5.1 Direct Business:

- 5.1.1 Premium Income other than for long term (with term More than one year) Motor Insurance policies Is recognized on assumption of risk.
- 5.1.2 In case of Long term Motor Insurance Policies, Premium received (net of Goods & Services Tax) for third party coverage is recognized equally over the policy period at the commencement of risk on 1/n basis where n denotes the term of the policy in years. Premium received for own damage coverage is recognised on a year to year basis In proportion to the insured declared value (IDV).
- 5.1.3 In the case of Policies where payments are received in instalment revenue is recognised on receipt of instalment
- 5.1.4 In respect of Crop Insurance, Premium is accounted upon receipt of farmer share of premium and corresponding government share is accounted on due basis

5.1.5 Reinstatement premium is accounted as and when the premium is recovered

5.1.6 Premium received in Advance represents premium received in respect of policies issued during the year where the risk commences subsequent to the balance sheet date. Further in case of long term motor insurance policies, premium recognizable in subsequent years is treated as premium received in advance.

5.1.7 Premium earned is recognised as income over the period of risk or the policy period based on 1/365 method on gross basis. The Instalment premium are recognised over the balance policy period. Any subsequent revisions to premium as and when they occur are recognised over the remaining period of risk or policy period as applicable.

5.1.8 Adjustment to Premium Income arising on cancellation of policy are recognised in the period in which it is cancelled.

5.1.9 Premium refunds including for the free-look period are accounted on the basis of endorsements passed during the year.

5.1.10 A reserve for unearned premium for each segment representing that part of the recognised premium attributable to the succeeding accounting periods calculated on time apportionment basis or the period of risk, whichever is appropriate is created. This forms part of unexpired risk reserve calculated as per 5.3 below

5.2 Reinsurance:

5.2.1 Premium income is recognized based on the returns/advices received from foreign reinsurance companies received upto 31st March.

5.2.2 Premium Income in respect of Indian Reinsurers is recognized based on returns received upto finalization of accounts of the relevant accounting year. Wherever returns are not received upto finalization of accounts, the same has been estimated.

5.2.3 अध्यर्पण पर प्रीमियम को परिचालन कार्यालयों द्वारा बीमालेखन किए गए प्रीमियम के आधार पर मान्यता दी जाती है। जहां भी पूर्ण तकनीकी विवरण उपलब्ध नहीं हैं, वहां उपलब्ध जानकारी के आधार पर पुनर्बीमा अध्यर्पण का अनुमान लगाया जाता है।

5.2.4 पूल स्वीकृतियां/अध्यर्पण: आतंकवाद पूल रेट्रो/परमाणु पूल के संबंध में प्रीमियम, दावे, सेवा शुल्क, निवेश आय और व्यय का लेखा-जोखा अंतिम रूप दिए जाने तक जीआईसी (पूल प्रशासक) से प्राप्त विवरण के अनुसार किया जाता है। आतंकवाद पूल/परमाणु पूल के संबंध में प्रीमियम, दावे, सेवा शुल्क और सत्र के खर्च का हिसाब 31 मार्च तक किया जाता है।

5.3 असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व:

असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व में अनर्जित प्रीमियम रिजर्व और प्रीमियम का घाटा रिजर्व शामिल है।

i) अनर्जित प्रीमियम रिजर्व (यूपीआर):

अनर्जित प्रीमियम रिजर्व की गणना निम्नानुसार की जाती है:

- समुद्री पोतकाय: पिछले बारह महीनों के दौरान शुद्ध लिखित प्रीमियम का 100%,
- अन्य सभी खंडों के संबंध में: संबंधित पॉलिसियों के लिए समय विभाजन के आधार पर 1/365 पद्धति के आधार पर या जोखिम की अवधि के आधार पर, जो भी उचित हो।

ii) प्रीमियम में घाटे का रिजर्व:

प्रीमियम में घाटे की गणना तब की जाती है जब अपेक्षित दावा लागत, संबंधित व्यय और रखरखाव लागत का योग संबंधित अनर्जित प्रीमियम से अधिक हो जाता है। प्रीमियम के घाटे को आइआरडीएआइ दिशानिर्देशों के अनुसार मान्य किया जाता है।

6. दावे :

6.1 प्रत्यक्ष व्यवसाय:

- सूचित किए जाने पर दावों को मान्य किया जाता है
- विनिमय में उतार-चढ़ाव, लाभ/हानि सहित दावों से सीधे तौर पर जुड़े सभी खर्चों को दावों के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है।

c. वर्ष के अंत में लंबित दावे:-

- वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए अनुमानित देनदारी सर्वेक्षण रिपोर्ट, अग्रणी की सलाह, पिछले अनुभव, अन्य लागू कानूनों, ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और खातों को अंतिम रूप देने की तारीख तक अन्य स्रोतों के आधार पर प्रदान की जाती है।
- एक वर्ष से अधिक समय से बकाया अज्ञात मोटर तृतीय पक्ष दावों के संबंध में, अनुमानित देनदारी के 100% की दर से प्रावधान किया गया है। अन्य मामलों में अनुमानित देनदारी के 1/3 की दर से प्रावधान किया जाता है।

6.2 पुनर्बीमा:

- सूचित किए जाने पर दावों को मान्य किया जाता है।
- आवक स्वीकृतियों (भारतीय) के संबंध में बकाया दावों की देनदारी खातों को अंतिम रूप देने तक प्राप्त रिटर्न पर आधारित है। आवक स्वीकृतियों (विदेशी) के संबंध में बकाया दावों की देनदारी 31 मार्च तक प्राप्त रिटर्न पर आधारित है। जहां भी खातों को अंतिम रूप देने तक रिटर्न प्राप्त नहीं होता है, उसका अनुमान बीमांकिक मूल्यांकन पर लगाया गया है।

6.3 आइबीएनआर/ आइबीएनईआर

दावे किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आइबीएनआर) और दावे किए गए लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आइबीएनईआर) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं।

6.4 रक्षित संपत्ति और दावा संबंधी वसूली:

दावों के तहत वसूली और रक्षित संपत्ति के निपटान का हिसाब वसूली होने पर लगाया जाता है और दावों में जमा किया जाता है।

7. प्रबंधन व्यय:

7.1 खर्चों का विभाजन:

प्रबंधन के खर्चों को सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम और स्वीकृत पुनर्बीमा के आधार पर राजस्व खातों में विभाजित किया जाता है, जिसमें समुद्री व्यवसाय के लिए 75% और अग्नि और विविध व्यवसाय के लिए 100% का भार दिया जाता है। पॉलिसी स्टाम्प और पुनर्बीमा से संबंधित खर्च

5.2.3 Premium on cessions are recognized on the basis of the premium underwritten by the operating offices. Wherever full technical particulars are not available, reinsurance cessions are estimated on the basis of information available.

5.2.4 Pool Acceptances/ Cessions: Premium, Claims, Service charges, Investment income and expenses in respect of Terrorism Pool Retro / Nuclear Pool are accounted as per the statements received from GIC (Pool Administrator). Wherever statements are not received, the same is estimated and accounted for. Premium, Claims, Service charges and expenses of our cessions in respect of Terrorism Pool / Nuclear Pool are accounted up to 31st March..

5.3 Reserve for Unexpired Risk:

Reserve for Unexpired Risk comprises of Unearned Premium Reserve and Premium Deficiency Reserve.

i) Unearned Premium Reserve (UPR):

Unearned Premium Reserve is computed as under

- a) Marine Hull : 100% of the Net Written Premium during the preceding Twelve Months
- b) In respect of all other Segments: on the Basis of 1/365 method on time apportionment basis or period of risk basis for the respective policies, whichever is appropriate.

(ii) Premium Deficiency Reserve:

Premium Deficiency is calculated where the sum of expected claim costs, related expenses and maintenance costs exceed the related unearned premium The premium Deficiency is recognised as per IRDAI guidelines.

6. CLAIMS:

6.1 Direct Business:

- a. Claims are recognized as and when intimated

- b. All expenses directly attributable to claims including exchange fluctuations gains / losses are accounted as part of claims.

c. Outstanding claims at the year-end:-

- Estimated Liability for outstanding claims at the year end are provided on the basis of survey reports, advices of Leaders, past experience, other applicable laws, information provided by clients and other sources upto the date of finalization of accounts,.
- In respect of unidentified motor third party claims outstanding for more than one year, provision is made at the rate of 100% of the estimated liability. In other cases provision is made at the rate of 1/3rd of the estimated liability.

6.2 Reinsurance:

- a. Claims are recognized as and when intimated.
- b. Liability for outstanding claims in respect of Inward Acceptances (Indian) is based on returns received up to finalization of accounts. Liability for outstanding claims in respect of Inward Acceptances (Foreign) is based on returns received up to 31st March. Wherever returns are not received upto finalization of accounts, the same has been estimated on actuarial valuation.

6.3 IBNR/IBNER:

Claims Incurred But Not Reported (IBNR) and Incurred But Not Enough Reported (IBNER) is made on the basis of actuarial valuation.

6.4 Salvage and Claim related Recoveries:

Recoveries under claims and disposal of salvage are accounted on realisation and are credited to claims.

7. EXPENSES OF MANAGEMENT:

7.1 Apportionment of expenses:

Expenses of Management are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of gross direct premium plus reinsurance accepted, giving weightage of 75% for Marine business and 100% for Fire and Miscellaneous business. Expenses

सीधे संबंधित राजस्व खातों में ले जाया जाता है। निवेश से संबंधित खर्च, जैसे सुरक्षित अभिरक्षा, ब्याज/लाभांश बैंक शुल्क आदि का संग्रह, तुलन पत्र की तारीख के अनुसार पॉलिसीधारकों और अंशधारकों की निधि के आधार पर राजस्व खातों और लाभ और हानि खाते के बीच विभाजित किया जाता है।

7.1.1 पॉलिसीधारकों की शेष राशि से संबंधित विविध क्रेडिट शेष को लाभ और हानि खाते में वापस लिखा जाता है।

7.2 मूल्यहास:

नई परिवहन योजना 2011 के तहत कवर की गई मोटर कारों के मामले को छोड़कर, जहाँ उपयोगी जीवन 5 वर्ष अपनाया गया है, अचल संपत्तियों पर मूल्यहास परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर हासिल मूल्य पद्धति पर लगाया जाता है और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल लागत के 5% तक अवशिष्ट मूल्य पर विचार किया जाता है।

7.2.1 लीज होल्ड संपत्तियों की लागत कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार, पट्टेकी अवधि या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, पर परिशोधित की जाती है।

7.3 कर्मचारी लाभ:

7.3.1 अल्प कालिक कर्मचारी लाभ:

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले भुगतान की जाने वाली अपेक्षित अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।

7.3.2 रोजगारोत्तर लाभ योजनाएँ:

परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के भुगतान पर देय होने पर व्यय के रूप में शुल्क लिया जाता है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, जिसमें प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि के लिए लाभ और हानि खाते में पूर्ण रूप से मान्य किया जाता है, जिसमें वे घटित होते हैं।

पिछली सेवा लागत को उस सीमा तक तुरंत मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभ पहले से ही निहित

नहीं हो जाते हैं, और अन्यथा लाभ निहित होने तक औसत अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया जाता है।

8. विदेशी मुद्राओं का परिवर्तन/रूपांतरण:

8.1 आय और व्यय की वस्तुएं, विदेशी शाखा की बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार मौद्रिक आइटम और भारतीय परिचालन में विदेशी मुद्रा लेनदेन का अनुवाद निम्नानुसार किया गया है:

8.1.1 लेन-देन की तिथि पर प्रचलित दरों पर आय और व्यय की मर्दे।

8.1.2 तुलन पत्र की तारीख पर मौद्रिक मर्दों को उस तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विदेशी शाखा (गैर-अभिन्न) से संबंधित शेष राशि के परिवर्तन के कारण विनिमय अंतर को परिचालन बंद होने तक विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व में जमा किया जाता है। इस गैर-अभिन्न विदेशी परिचालन के बंद होने पर, स्थगित किए गए विनिमय अंतर की संचयी राशि को ऐसे समापन के वर्ष में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।

8.3 भारतीय परिचालन में विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न परिवर्तन में अंतर को प्रारंभिक राजस्व खातों / लाभ और हानि खाते में लागू माना जाता है।

9. ऋण और निवेश:

9.1. शेयरों, बाण्डों और डिबेंचर की खरीद और बिक्री का हिसाब अनुबंध की तारीख (व्यापार तिथि) पर किया जाता है।

9.2. निवेश की लागत में प्रतिभूति लेनदेन कर (जहां भी लागू हो), अधिग्रहण पर प्रीमियम और निवेश के अधिग्रहण के लिए किए गए अन्य प्रत्यक्ष खर्च शामिल हैं और यह उस पर अर्जित कमीशन/शुल्क को छोड़कर है। इक्विटी के संबंध में ब्रोकरेज और प्रतिभूति लेनदेन कर को कम करने के बाद शुद्ध बिक्री पर विचार किया जाता है।

9.3. इक्विटी शेयरों और वेंचर कैपिटल फंड में निवेश को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो निवेश बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने के भीतर प्रदर्शन और परिपक्व हो रहे हैं उन्हें अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गैर-निष्पादित निवेश सहित अन्य सभी निवेशों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

relating to policy stamps and reinsurance are directly taken to respective Revenue Accounts. Expenses relating to Investment, such as safe custody, collection of interest/dividend, bank charges etc., are apportioned between Revenue Accounts and Profit and loss Account based on policyholders' and shareholders' funds as on the Balance Sheet date.

7.1.1 Sundry credit balances not pertaining to policyholders' balances are written back to profit and loss account.

7.2 Depreciation:

Depreciation on fixed assets is charged on written down value method based on useful life of the Assets and considering residual value upto 5% of original cost as per Schedule II to the Companies Act, 2013, except in case of Motor Cars covered under New Conveyance Scheme 2011, for which useful life adopted is 5 years.

7.2.1 Cost of Lease Hold properties is amortized over the period of lease or useful life of the asset, as per Schedule II to the Companies Act, 2013, whichever is shorter.

7.3 Employee Benefits:

7.3.1 Short-term employee benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

7.3.2 Post –Employment benefit Plans:

Payments to defined contribution retirement benefit schemes are charged as an expense as they fall due.

For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains and losses are recognized in full in the Profit and Loss account for the period in which they occur. Past service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested, and

otherwise is amortized on straight-line basis over the average period until the benefits become vested.

8. TRANSLATION/CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES:

8.1 Items of income and expenditure, Monetary items as at the Balance Sheet date of foreign branch and foreign currency transactions in Indian operations are translated as under:

8.1.1 Items of income and expenditure at the rates prevailing on the date of transaction.

8.1.2 Monetary items as at the Balance Sheet date are converted at the exchange rates prevailing at that date.

8.2 Exchange differences on account of translation of the balances relating to foreign branch (non-integral) is accumulated in a Foreign Currency Translation Reserve until the closure of the operation. On the closure of this non-integral foreign operation, the cumulative amount of the exchange differences which have been deferred will be recognized as income or as expenses in the year of such closure.

8.3 The difference in translation arising out of foreign currency transaction in Indian operations is recognized in the relevant Revenue accounts / Profit and Loss Account as applicable.

9. LOANS & INVESTMENT:

9.1. Purchase and sale of shares, bonds & debentures are accounted for on the date of contract (trade date).

9.2. The cost of investment includes Securities Transaction Tax (wherever applicable), premium on acquisition and other direct expenses incurred for the acquisition of the investment and is net of commission / fee earned thereon. The net sale consideration is arrived at after reducing brokerage and Securities Transaction Tax in respect of equity.

9.3. Investments in Equity Shares and Venture Capital Funds are classified as Long term Investments. Investments which are performing and maturing within 12 months from the Balance Sheet date are classified as Short Term Investments. All other investments including Non-Performing Investments are classified as Long term Investments.

- 9.4. मुद्रा बाजार के इंस्ट्रुमेंट जैसे जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र और सीबीएलओ (टीआरईपी) जिन पर अनुबंध के समय छूट दी जाती है, उनका हिसाब उनके रियायती मूल्य पर किया जाता है।
- 9.5. सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय वरीयता शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों में निवेश को परिशोधन के अधीन लागत पर दिखाया जाता है। भारत औसत लागत के आधार पर प्रीमियम को उपकरण की नवीनतम खरीद की तारीख से परिपक्वता की शेष अवधि तक की अवधि के लिए, पुट/कॉल विकल्प, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए परिशोधित किया जाता है।
- 9.6. सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्यांकन तुलन पत्र की तारीख के अनुसार एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर अंतिम उद्धृत समापन मूल्य पर किया जाता है। हालाँकि, किसी भी स्टॉक के एनएसई में सूचीबद्ध नहीं होने/कारोबार नहीं होने की स्थिति में, इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बीएसई (सेकेंडरी एक्सचेंज) में अंतिम उद्धृत समापन मूल्य के आधार पर किया जाएगा। भारत के बाहर की कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, जो उद्धृत और सक्रिय रूप से कारोबार किया जाता है, का मूल्यांकन तुलन पत्र की तारीख के अनुसार लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अंतिम उद्धृत मूल्य पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते-शेयरधारकों/पॉलिसी धारकों में मान्य किया जाता है।
- 9.7. भारत के बाहर निगमित कंपनियों में रखे गए शेयरों सहित असूचीबद्ध / कम कारोबार वाले इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है और जब ब्रेक-अप मूल्य लागत से कम होता है तो ऐसे निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान किया जाता है। यदि ब्रेक-अप मूल्य नकारात्मक है, तो बुक वैल्यू के 100% की दर से प्रावधान किया जाता है।
- 9.8. अ) म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन फंड द्वारा घोषित तुलन पत्र की तारीख के अनुसार शुद्ध संपत्ति मूल्य पर किया जाता है और अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में मान्यता दी जाती है - शेयरधारक/पॉलिसी धारक।
- ब) वेंचर कैपिटल फंड्स/वैकल्पिक निवेश फंड्स (वीसीएफ/एआईएफ) में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया गया है जहां तुलन पत्र की तारीख के अनुसार शुद्ध संपत्ति मूल्य लागत से कम है। जहां भी तुलन पत्र की तारीख के अनुसार शुद्ध संपत्ति मूल्य उपलब्ध नहीं है या जहां फंड की अवधि समाप्त हो गई है, वहां बुक वैल्यू पर निम्नलिखित तरीके से प्रावधान किया गया है:

A. नवीनतम एनएवी की अनुपलब्ध होने पर:

	प्रावधान : जहाँ एनएवी < बही मूल्य	प्रावधान : जहाँ एनएवी > बही मूल्य
1 वर्ष तक	बही मूल्य और एनएवी के बीच अंतर	शून्य
2 वर्ष तक	बही मूल्य और एनएवी के बीच अंतर या बही मूल्य का 10% जो भी अधिक हो	बही मूल्य का 10%
3 वर्ष तक	बही मूल्य और एनएवी के बीच अंतर या बही मूल्य का 20% जो भी अधिक हो	बही मूल्य का 20%
4 वर्ष तक	बही मूल्य और एनएवी के बीच अंतर या बही मूल्य का 50% जो भी अधिक हो	बही मूल्य का 50%
4 वर्ष से अधिक	बही मूल्य का 100%	बही मूल्य का 100%

B. निधि की अवधि (विस्तार सहित)

प्रावधान	
18 महीने तक की निधि की अवधि (अर्थात मूल अवधि या विस्तारित अवधि) की समाप्ति पर	प्रावधान उपरोक्त अ के अनुसार
18 महीने के पश्चात	100%



- 9.4. Money market instruments such as Certificate of Deposit, Commercial Papers and CBLO (TREP) which are discounted at the time of contract, are accounted at their discounted value..
- 9.5 Investments in debt securities including Government Securities and redeemable Preference Shares are shown at cost subject to amortization. The premium, based on weighted average cost is amortized for the period from the date of latest purchase of the instrument till the residual period of maturity, considering put/ call option, if any.
- 9.6. Investments in Equity shares that are actively traded are valued at last quoted closing price on NSE (Primary Exchange) as on the Balance Sheet date. However, in case of any stock not being listed/not traded in NSE, Equity shares will be valued based on last quoted closing price in BSE(Secondary Exchange) as on the Balance Sheet date. Investments in Equity shares of companies outside India that are quoted and actively traded are valued at last quoted price at London Stock Exchange as on the Balance Sheet date. The unrealized gains / losses are recognized in Fair Value Change account -Shareholders/ Policy Holders.
- 9.7. Investments in Unlisted / Thinly traded equity shares including shares held in companies incorporated outside India are valued at cost and provision is made for diminution in value of such investments when break-up value is lower than the cost. In case the break-up value is negative, provision is made @ 100% of book value.
- 9.8. a) Investment in units of Mutual funds, are valued at Net Asset Value as at the Balance Sheet date as declared by the funds and unrealized gains / losses are recognized in Fair Value Change account -Shareholders/ Policy Holders.
- b) Investments in Venture Capital Funds/ Alternative Investment Funds (VCF/AIF) are valued at Cost. Provision is made for diminution in value of such investments where Net Asset Value as at the Balance Sheet date is lower than cost. Wherever the Net Asset Value as on Balance Sheet date is not available or where the term of the fund has expired, provision is made on the Book Value in the following manner:

A. In case of Non-availability of Latest NAV:

	Provision: Where NAV < Book Value	Provision: Where NAV > Book Value
Upto 1 yr.	Difference between Book Value and NAV	Nil
Upto 2yrs	Difference between Book Value and NAV or 10% of Book Value whichever is higher	10% of Book Value
Upto 3yrs	Difference between Book Value and NAV or 20% of Book Value whichever is higher	20% of Book Value
Upto 4yrs	Difference between Book Value and NAV or 50% of Book Value whichever is higher	50% of Book Value
Above 4 yrs.	100% of Book Value	100% of Book Value

B. Term of Fund (Including Extension)

Provision	
On expiry of term(i.e.original term or term as extended) of fund upto 18 months	Provision as in A above
After 18 months	100%

9.9. क्षीणता

9.9.1. क्षीणता को उन कंपनियों के इक्विटी शेयरों के संबंध में मान्यता दी गई है जो पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार घाटे में रहे हैं और जिनकी पूंजी आंशिक रूप से या पूरी तरह से नष्ट हो गई है, या जहां पिछले तीन वर्षों के ऑडिट किए गए वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं।

9.9.2. निवेश को निम्नानुसार अवलेखित किए गए हैं:

1. इक्विटी शेयर, जिनका सक्रिय रूप से कारोबार किया जाता है, उनके बाजार मूल्य पर अवलेखित किए जाते हैं।
2. सक्रिय कारोबार के अलावा अन्य इक्विटी शेयरों को ब्रेक अप मूल्य पर अवलेखित किया जाता है और जहां ब्रेकअप मूल्य नकारात्मक है, उन्हें प्रति कंपनी 1 रुपये तक अवलेखित किया जाता है।

9.9.2.1 क्षीणता हानि का कोई भी उलटाव, जिसे पहले राजस्व/लाभ एवं हानि खाते में मान्यता दी गई थी,

अ) सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों के संबंध में, राजस्व/लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी

- i. यदि संचित घाटा पूरी तरह समाप्त हो जाए और
- ii. कंपनी ने ठीक पिछले तीन वर्षों में शुद्ध लाभ दिखाया है।

ब) सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों के अलावा अन्य के संबंध में, वसूली पर राजस्व/लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।

9.9.3. कंपनी परिसंपत्ति वर्गीकरण, आय की पहचान और ऋण/अग्रिम/डिबेंचर से संबंधित प्रावधान के संबंध में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण/संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करती है।

9.9.4. अधिमान शेयरों के संबंध में, 100% की सीमा तक स्थायी कमी का प्रावधान किया गया है। स्थायी कमी की गणना इस प्रकार की जाती है:

- a. अधिमान लाभांश का भुगतान लगातार तीन वर्षों तक नहीं किया जाता है (या)
- b. परिपक्वता आय लगातार तीन वर्षों तक प्राप्त नहीं हुई है (या)

c. कंपनी को पिछले तीन वर्षों में घाटा हुआ है और उसकी पूंजी आंशिक रूप से या पूरी तरह से नष्ट हो गई है (या)

d. जहां पिछले तीन वर्षों के अकेलित वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं

9.10. निवेश की प्राप्ति/बिक्री पर लाभ या हानि की गणना प्रत्येक निवेश के भारत औसत बुक वैल्यू को घटाकर की जाती है।

9.11. लाभांश आय (अंतरिम लाभांश के अलावा) को घोषणा के वर्ष में आय के रूप में गिना जाता है। अंतरिम लाभांश, भारत के बाहर रखी गई इक्विटी पर लाभांश और वरीयता शेयरों पर लाभांश का हिसाब रसीद के आधार पर किया जाता है। शेयरों और डिबेंचर से होने वाली आय, जो आपत्ति/डिलीवरी के अधीन है, का हिसाब रसीद के आधार पर किया जाता है।

9.12. वेंचर कैपिटल फंड के संबंध में राजस्व की पहचान रसीद के आधार पर की जाती है।

9.13. भविष्य में ब्याज की हानि के लिए मुआवजे के रूप में प्राप्त राशि को केवल लेखांकन वर्ष के कारण होने वाली सीमा तक आय के रूप में मान्यता दी जाती है और शेष राशि को संबंधित वर्षों में विभाजन के लिए अग्रिम खाते में प्राप्त ब्याज में रखा जाता है।

9.14. निवेश आय, बिक्री पर लाभ/हानि/निवेश की वसूली, निवेश से संबंधित व्यय, निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन, मूल्यहास निवेश के संबंध में बट्टे खाते में डाली गई/अवलेखित की गई राशि, गैर-निष्पादित निवेश के लिए प्रावधान/मूल्य में कमी को तुलन पत्र की तारीख के अनुसार पॉलिसी धारकों की निधि और शेयर धारकों की निधि के आधार पर आइआरडीएआइ विनियमन (परिपत्र IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/2016 दिनांक 04 अप्रैल, 2016) के अनुसार राजस्व खातों और लाभ और हानि खाता में विभाजित किया जाता है।

9.15. आइआरडीएआइ विनियमन (परिपत्र IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/2016 दिनांक 04 अप्रैल, 2016) के अनुसार पॉलिसीधारकों की निधि से किए गए निवेश को पृथक किया जाता है और तुलन पत्र की तारीख पर अलग से प्रकट किया जाता है।

10. a) अचल संपत्ति:

अचल संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत से संचित मूल्यहास घटाकर बताया गया है। प्रत्यक्ष लागतों को तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि संपत्ति उपयोग के लिए तैयार न हो जाए। इन लागतों में माल ढुलाई, स्थापना लागत, शुल्क, कर और अन्य आवंटित खर्च शामिल हैं। इसके अलावा, लागत निकालने में किसी भी व्यापार छूट और छूट में कटौती की जाती है।

9.9. Impairment

- 9.9.1. Impairment is recognized in respect of Equity shares of companies which have been continuously incurring losses during three immediately preceding years and the capital of which has been partially or fully eroded, or where the audited annual accounts for the three immediately preceding years are not available.
- 9.9.2. Investments are written down as under:
1. Equity shares, which are actively traded, are written down to their market value.
 2. Equity shares other than actively traded, are written down to the break up value and where the break up value is negative, are written down to Re.1/- per company.
- 9.9.2.1 Any reversal of impairment loss, earlier recognized in Revenue/Profit & Loss account,
- a) in respect of Actively Traded Equity shares, shall be recognized in the Revenue/Profit & Loss account
 - i. if the accumulated losses are completely wiped out and
 - ii. The company has shown net profit for three immediately preceding years.
 - b) in respect of other than Actively traded equity shares, shall be recognized in the Revenue/Profit & Loss account, on realization.
- 9.9.3. The Company follows the prudential norms prescribed by the Insurance Regulatory and Development Authority / Related RBI guidelines as regards asset classification, recognition of income and provisioning pertaining to loans / advances / debentures.
- 9.9.4. In respect of preference shares, provision for permanent diminution is made to the extent of 100%. The permanent diminution is reckoned as follows:
- a. The preference dividend is not paid for three consecutive years (or)
 - b. The maturity proceeds have not been received for three consecutive years (or)
 - c. The company has incurred losses in three immediately preceding years and the capital of which has been partially or fully eroded (or)
 - d. Where the audited annual accounts for the three immediately preceding years are not available.
- 9.10. Profit or Loss on realization / sale of investment is computed by deducting the weighted average book value of each investment.
- 9.11. Dividend income (other than interim dividend) is accounted for as income in the year of declaration. Interim dividends, dividend on Equity held outside India and dividend on Preference Shares are accounted on receipt basis. Income from shares and debentures, which are under objection / pending delivery, is accounted for on receipt basis.
- 9.12. Revenue with respect to Venture Capital Funds is recognized on Receipt basis.
- 9.13. Amounts received towards compensation for future loss of interest is recognized as income only to the extent attributable to the accounting year and the balance is kept in interest received in advance account for apportionment in the relevant years.
- 9.14. Investment income, profit/loss on sale / realization of investment, expenditure relating to investments, amortization of premium on investments, amount written off / written down in respect of depreciated investments, provision for non performing investment / diminution in value are apportioned to Revenue accounts and Profit & Loss account on the basis of Policy holders' Funds and Share holders' Funds as on the Balance Sheet date as per IRDAI Regulation (Circular IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/2016 dated April 04,2016).
- 9.15. Investments made out of Policyholders' Funds are segregated and disclosed separately as on the Balance Sheet date as per IRDAI Regulation (Circular IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/2016 dated April 04,2016).
- 10. a) FIXED ASSETS:**
- Fixed assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation. Direct costs are capitalized till the assets are ready to be put to use. These costs include freight, installation costs, duties, taxes and other allocated expenses. Further, any trade discounts and rebates are deducted in arriving at the cost.

ब) अमूर्त संपत्ति:

अमूर्त संपत्तियों को विकास/अधिग्रहण की लागत से संचित परिशोधन घटाकर बताया गया है। इसका परिशोधन सीधी रेखा के आधार पर तीन वर्षों की अवधि में किया जाता है। सॉफ्टवेयर विकास/अधिग्रहण लागत, लेखांकन मानक 26 (एस 26) में निर्धारित मान्यता मानदंडों को पूरा करने वाली लागतों को छोड़कर, राजस्व में ली जाती है।

11. करारोपण

- 11.1 आयकर व्यय में वर्तमान कर (अर्थात्, आयकर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि) और आस्थगित कर शुल्क या क्रेडिट शामिल है (लेखांकन आय और अवधि के लिए कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के कर प्रभावों को दर्शाता है)। आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट और संबंधित आस्थगित कर देनदारियों या परिसंपत्तियों को उन कर दरों का उपयोग करके मान्य किया जाता है जो तुलन पत्र की तारीख के अनुसार अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित की गई हैं।
- 11.2 वर्तमान कर का प्रावधान लागू न्यायिक घोषणाओं और कंपनी के वकील की राय पर उचित विचार के बाद किया जाता है।
- 11.3 कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), जो भविष्य की आयकर देनदारी के समायोजन के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ देता है, को एक संपत्ति माना जाता है यदि इस बात का पुरख्ता सबूत है कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। तदनुसार, एमएटी को तुलन पत्र में एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब यह संभावना होती है कि इससे जुड़ा भविष्य का आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा।

- 11.4 आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जब तक कि उचित निश्चितता हो कि परिसंपत्तियों को भविष्य में बेचा जा सकता है। करारोपण कानूनों के तहत अवशेषित मूल्यहास या अशेषित हानि के मामले में, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां आभासी निश्चितता होती है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों का एहसास हो सकता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है।

12. पट्टा शुल्क:

पट्टे, जहां पट्टादाता पट्टे पर दी गई वस्तु के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी ढंग से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। कंपनी के विकल्प पर सभी लीज समझौते रद्द किए जा सकते हैं।

13. प्रावधान और आकस्मिकताएं (पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले दावों के अलावा अन्य दावे)

- 13.1 कंपनी किसी पिछली घटना के वर्तमान दायित्व के लिए एक विश्वसनीय अनुमान के आधार पर प्रावधान बनाती है जो भविष्य में संसाधनों के बहिर्वाह का कारण बन सकती है।
- 13.2 किसी आकस्मिक दायित्व का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी।
- 13.3 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को न तो मान्य किया जाता है और न ही उनका खुलासा किया जाता है।

b) INTANGIBLE ASSETS:

Intangible Assets are stated at cost of development / acquisition less accumulated amortisation. The same is amortised over a period of three years on straight line basis. Software development / acquisition costs, except those which meet the recognition criteria as laid down in Accounting Standard 26 (AS 26), are charged to revenue.

Sheet when it is probable that future economic benefit associated with it will flow to the Company.

- 11.4 Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in future. In the case of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, deferred tax assets are recognized only to the extent there is virtual certainty that the deferred tax assets can be realized. Deferred tax assets are reviewed as at each balance sheet date.

11. TAXATION

- 11.1 Income tax expense comprises current tax (i.e amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law) and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between the accounting income and taxable income for the period). The deferred tax charge or credit and the corresponding deferred tax liabilities or assets are recognized using the tax rates that have been enacted or substantively enacted as on the balance sheet date.
- 11.2 Provision for current tax is made after due consideration of the applicable judicial pronouncements and opinions from the company's counsel.
- 11.3 Minimum Alternate Tax (MAT) paid in accordance with the tax laws, which gives future economic benefits in the form of adjustment to future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax. Accordingly, MAT is recognized as an asset in the Balance

12. LEASE CHARGES

Leases, where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased item, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the lease term. All lease agreements are cancellable at the option of the company.

13. PROVISIONS AND CONTINGENCIES (CLAIMS OTHER THAN THOSE UNDER POLICIES)

- 13.1 The Company creates provision based on a reliable estimate for the present obligation of a past event that might cause outflow of resources in future.
- 13.2 Disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may or may not require an outflow of resources.
- 13.3 Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

नोट्स टू अकाउन्ट्स

1. समेकित संस्थाओं की सूची और शुद्ध संपत्ति और लाभ/हानि में उनकी संबंधित हिस्सेदारी

इकाई का नाम	शुद्ध संपत्ति, यानी, कुल संपत्ति में से कुल देनदारियों को घटाकर				लाभ या हानि में हिस्सेदारी			
	समेकित शुद्ध संपत्ति के % के रूप में	राशि (₹ हजारों में)	समेकित शुद्ध संपत्ति के % के रूप में	राशि (₹ हजारों में)	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि (₹ हजारों में)	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि (₹ हजारों में)
	2023-24		2022-23		2023-24		2022-23	
मूल:								
युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड	87.16%	45979174	81.77%	28245435	105.54%	-8098178	102.25%	-28766766
सहायक							0	0
भारतीय								
1. जेनीथ सेक्यूरिटीय एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड की हिस्सेदारी	0.79%	417304	1.02%	353585	-1.18%	90197	-2.01%	564794
2. सहायक में अल्प हित सहयोगियों (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)	0.21%	112386	0.27%	94859	-0.38%	29175	-0.65%	182684
भारतीय								
1. हैल्थ इन्श्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड विदेशी	0.47%	249914	0.65%	222934	-0.35%	26980	0.05%	-15253
1. इंडिया इंटरनेशनल इन्श्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड	11.36%	5993667	16.29%	5626653	-3.64%	279038	0.35%	-98142
कुल	100.00%	52752445	100.00%	34543466	100.00%	-7672788	100.00%	-28132683

वर्ष के लिए समेकित लाभ के कारण लाभ:	(₹ हजारों में)	
	2023-24	2022-23
कंपनी के स्वामी	-7672788	-28315367
अल्प हित	29175	182684

टिप्पणियाँ: रिपोर्टिंग तिथि तक इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है। जो नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरण है वह 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए है।

2. आकस्मिक देनदारियाँ :

(₹ '000)

विवरण	31-03-2024	31-03-2023
आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेश पर	1075	1075
पॉलिसियों के अंतर्गत दावों के अलावा अन्य दावों, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	1874335	1625300
बकाया बीमा लेखन प्रतिबद्धताएँ (शेयरों और प्रतिभूतियों के संबंध में)	0	0
कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटी	0	0
विवादित वैधानिक मांगें/देनदारियाँ, जिनके लिए प्रदान नहीं की गई **	61524925	41682481
खातों में प्रदान नहीं की गई सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व	0	0
बकाया साख पत्र	34655	32218
अन्य (बैंक गारंटी)	54900	54900

NOTES TO ACCOUNTS

1. List of Entities consolidated and their respective share of Net Assets and Profit/Loss

Name of the entity	Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities				Share in profit or loss			
	As % of consolidated net assets	Amount (₹ in thousands)	As % of consolidated net assets	Amount (₹ in thousands)	As % of consolidated profit or loss	Amount (₹ in thousands)	As % of consolidated profit or loss	Amount (₹ in thousands)
	2023-24		2022-23		2023-24		2023-24	
Parent:								
United India Insurance Company Limited	87.16%	45979174	81.77%	28245435	105.54%	-8098178	102.25%	-28766766
Subsidiary:							0	0
Indian								
1. United India Insurance Co. Ltd's share in Zenith securities and Investments Ltd	0.79%	417304	1.02%	353585	-1.18%	90197	-2.01%	564794
2. Minority Interests in subsidiary	0.21%	112386	0.27%	94859	-0.38%	29175	-0.65%	182684
Associates (Investment as per the equity method)								
Indian								
1. Health Insurance TPA of India Limited	0.47%	249914	0.65%	222934	-0.35%	26980	0.05%	-15253
Foreign								
1. India International Insurance Pte Ltd	11.36%	5993667	16.29%	5626653	-3.64%	279038	0.35%	-98142
Total	100.00%	52752445	100.00%	34543466	100.00%	-7672788	100.00%	-28132683

Consolidated profit for the year	(₹ in thousands)	
	2023-24	2022-23
Profit attributable to:		
Owners of the company	-7672788	-28315367
Minority Interests	29175	182684

Notes: Financial statements of India international pte. Ltd. As on reporting date are not available. Latest available financials statement are for the period ending 31st December 2023.

2. Contingent Liabilities:

(₹ '000)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
On partly paid investments	1075	1075
Claims other than those under policies, not acknowledged as debts	1874335	1625300
Underwriting commitments outstanding (in respect of shares and securities)	0	0
Guarantees given by or on behalf of the Company	0	0
Statutory demands / liabilities in dispute, not provided for**	61524925	41682481
Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts	0	0
Outstanding Letter of Credit	34655	32218
Others (Bank Guarantee)	54900	54900

**** नोट्स:**

1. विवादित वैधानिक मांग/देनदारियां जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, जिसमें आयकर के संबंध में जुर्माना और ब्याज शामिल नहीं है, जबकि सेवा कर में जुर्माना और जीएसटी में जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल हैं।
2. आयकर अधिकारियों ने पिछले कुछ वर्षों में कंपनी को अब तक देय रिफंड की राशि ₹5003975 हजार (₹5003975 हजार) को समायोजित किया है।
3. 1 फरवरी 2003 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए सर होमी मेहता ट्रस्ट ("मकान मालिक") को देय किराया ₹ 358.33 (हजारों में) को व्यापार देय प्रदर्शित करता है। मकान मालिक ने सहायक कंपनी द्वारा कब्जे वाले परिसर को खाली करने के लिए नोटिस भेजा और प्रमुख रूप से बेदखली के लिए लघु वाद न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया। उक्त मुकदमे में, मकान मालिक ने ₹ 110/- प्रति वर्ग फुट प्रति माह या माननीय न्यायालय जो उचित समझे, उन दरों पर अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की थी।

ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया और मुकदमा परिसर से बेदखल करने का आदेश दिया। लघु वाद न्यायालय के समक्ष अपील करने पर जुलाई 2008 में ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया। इसके बाद मकान मालिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में फ़ैसले के खिलाफ एक नागरिक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया, जो लंबित है।

स्मॉल कॉज कोर्ट ने भी 0.20 आर. 12 के मामले में मेस्ने प्रॉफिट के मामले में जांच का आदेश दिया था, जो लंबित है। इसे देखते हुए इस स्तर पर मेस्ने प्रॉफिट की गणना नहीं की जा सकती और न ही इसका प्रावधान किया गया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी को सर होमी मेहता ट्रस्ट से उक्त ट्रस्ट द्वारा प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2003 से 2023 तक ₹ 1,84,251.41 (हजारों में) के मेस्ने प्रॉफिट की मात्रा निर्धारित करने के लिए सूचना प्राप्त हुआ है। मूल्यांकन रिपोर्ट में उपर्युक्त मेस्ने प्रॉफिट पर 6% (₹ 1,07,241.80), 10% (₹ 1,78,736.32) और 12% (₹ 21,62,61.10) की दर से ब्याज गणना भी शामिल है।

3. भारत के भीतर और बाहर कंपनी की संपत्तियों पर भार
(a) जमा और निवेश

(₹ '000)

विवरण	31-03-2024	31-03-2023
साख पत्र / बैंक गारंटी जारी करने के लिए मार्जिन मनी के रूप में जमा	34655	32218
दावों के लिए बैंक खातों की कुर्की/आदेश के अनुसार अदालत में जमा की गई राशि	418632	153589
विदेशी वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए की गई जमाराशियाँ	0	0
6.54% भारत सरकार 2032 {अंकित मूल्य ₹46,800 हजार} (6.54% भारत सरकार 2032) {अंकित मूल्य ₹46,800 हजार} सीबीएलओ (टीआरईपी) ऑपरेशन के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जमा किया गया है	44702	44702
नकदी बाजार में संस्थागत व्यापारों की मार्जिन मनी के संबंध में सेबी परिपत्र दिनांक 19.03.2008 के अनुपालन में मार्जिन मनी के माध्यम से भारत सरकार 2035 {अंकित मूल्य ₹3,00,000 हजार} (पिछले वर्ष - 6.22% भारत सरकार 2035 {अंकित मूल्य ₹3,00,000 हजार} स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास जमा किया गया है।	287866	287866

(b) वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किया गया निवेश: शून्य
(c) जमा और अग्रिम में सम्मिलित हैं -

- i. ₹500 हजार (₹500 हजार) मार्जिन मनी सीबीएलओ (टीआरईपी) ऑपरेशन के माध्यम से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जमा की गई।

****Notes:**

1. Statutory demands / liabilities in dispute not provided for do not include penalty and interest in respect of Income Tax, however service tax include penalty and GST include penalty and interest accrual both.
2. The Income Tax authorities have adjusted, over the years, the refund due until date to the company amounting to ₹ 5003975 thousands (₹5003975 thousands).
3. Trade Payables represent Rent payable to Sir Homi Mehta Trust ("The Landlord") ₹358.33 (in thousands) for the period 1st February 2003 to 31st March 2022. The landlord had sent the notice for the eviction of the premises occupied by the subsidiary Company and had also filed the suit in the Court of Small Causes mainly for the eviction. In the said suit, the landlord, had prayed for the interim relief of ₹ 110/- per sq. feet per month or at such rates as the Hon. Court may deem fit.

The trial court decreed and ordered eviction from the suit premises. On appeal before the Small Causes Court the judgement of the trial court was set aside in July 2008. Thereafter landlord has filed a Civil Revisionary Application against the judgement in the Bombay High Court, which is pending.

The Small Causes Court had also ordered for an enquiry in terms of 0.20 R.12 for manse profit, which is pending. In view of this the manse profit is not quantifiable at this stage and not provided for the same.

During the year, the Company has received the communication from Sir Homi Mehta Trust quantifying Mesne Profit of ₹ 1,84,251.41 (in Thousands) from the year 2003 till 2023 based on the valuation report obtained by the said Trust. The Valuation report additionally includes Interest calculations @6% (₹ 1,07,241.80), 10% (₹ 1,78,736.32) and 12% (₹ 21,62,61.10) on the above mentioned Mesne profit.

3. Encumbrances to assets of the company within and outside India.

- (a) Deposits and Investments (₹ '000)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
Deposits towards margin money for issue of letters of credit / bank guarantee	34655	32218
Deposits made in court as per orders /attachments of bank accounts for claims	418632	153589
Deposits made to comply with Overseas Statutory requirements	0	0
6.54% GOI 2032 {Face Value ₹46,800 thousands} (6.54% GOI 2032) {Face Value ₹46,800 thousands} has been deposited with Clearing Corporation of India for CBLO (TREP) operation	44702	44702
6.22% GOI 2035 {Face Value ₹3,00,000 thousands} (Previous year - 6.22% GOI 2035 {Face Value ₹3,00,000 thousands} has been deposited with Stock Holding Corporation of India Ltd by way of margin money in compliance with SEBI circular dated 19.03.2008 regarding Margining of Institutional Trades in the Cash Market.	287866	287866

- (b) Investments made in accordance with statutory requirements: NIL

- (c) Advances and Deposits include -

- i. ₹500 thousands(₹500 thousands) deposited with Clearing Corporation of India by way of margin money CBLO (TREP) Operation.

4. ऋण, निवेश और अचल संपत्तियों के बोरे में की गई प्रतिबद्धताएं और बकाया : (₹ '000)

विवरण	31-03-2024	31-03-2023
ऋण और निवेश (अनुमानित)	190000	190000
संपदा के लिए प्रतिबद्धता	379103	814542
ईडीपी/कोर इंश्योरेंस प्रोजेक्ट के लिए प्रतिबद्धता	81189	29070
स्टैंप ड्यूटी और पंजीयब खर्च और लंबित संप्रेषण (अनुमानित) **	73157	83733

** दिसंबर 2022 को किया गया उचित मूल्य अनुमान के अनुसार

5. दावों में से घटाया गया पुर्नबीमा, भारत में/ बाहर के दावेदारों को किया गया भुगतान: (₹ '000)

व्यवसाय	भारत में		भारत से बाहर	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
अग्नि	6527248	6544020	59144	40152
समुद्री	1263419	1355021	11606	10138
विविध	141872534	126709674	18879	94830
कुल	149663201	134608715	89629	145120

6. कंपनी के निवेश के बही आंकड़ों और एसएचसीआईएल (कस्टोडियन) से प्राप्त पुष्टि के बीच मिलान से उत्पन्न निवेश में अंतर को निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया है। (₹ '000)

विवरण	स्वरूप		31-03-2024	31-03-2023
ईक्विटी और अधिमान शेयर	कम	बही मूल्य	शून्य	शून्य
ऋणपत्र	कम	बही मूल्य	4947	4947
कुल	कम	बही मूल्य	4947	4947
ईक्विटी और अधिमान शेयर	आधिक्य	अंकित मूल्य	शून्य	शून्य

7. 31.03.2024 तक बकाया दावों का आयु-वार विश्लेषण अनुबंध-1 में संलग्न है।
8. भारत के अंदर/बाहर व्यवसाय से लेखन किया गया प्रीमियम में से घटाया गया पुनर्बीमा: (₹ '000)

व्यवसाय	भारत में		भारत से बाहर	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
अग्नि	8163101	8990666	91926	95491
समुद्री	2220262	2151116	24873	24374
विविध	164453403	142676072	45121	30656
कुल	174836766	153817854	161920	150521

9. निवेश की खरीद के संबंध में, डिलीवरी ₹ 43589 हजार (₹ 96029 हजार) की सीमा तक लंबित है और निवेश की बिक्री के संबंध में शून्य (₹ 892728 हजार) 31.03.2024 तक अतिदेय है।

4. **Commitments made and outstanding on account of loans, investments and fixed assets:** (₹ '000)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
Loans and Investment (Estimated)	190000	190000
Commitments for Estates	379103	814542
Commitments for EDP/Core Insurance Project	81189	29070
Stamp duty and Registration charges and pending conveyance (estimated at)**	73157	83733

**As per Fair value estimation done in December 2022

5. **Claims less reinsurance, paid to claimants in/outside India:** (₹ '000)

Particulars	In India		Outside India	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
Fire	6527248	6544020	59144	40152
Marine	1263419	1355021	11606	10138
Miscellaneous	141872534	126709674	18879	94830
Total	149663201	134608715	89629	145120

6. **Differences in investment, arising out of the reconciliation between the book figures and the confirmation received from SHCIL (Custodian) of the Company's investments are tabulated as under.** (₹ '000)

Particulars	Nature		31-03-2024	31-03-2023
Equity and Preference Shares	Short	Book Value	Nil	Nil
Debentures	Short	Book Value	4947	4947
Total	Short	Book Value	4947	4947
Equity and Preference Shares	Excess	Face Value	Nil	Nil

7. **Age wise Analysis of Outstanding Claims as at 31.03.2024 are enclosed in Annexure-I.**

8. **Premium less reinsurance written from business in/outside India:** (₹ '000)

BUSINESS	In India		Outside India	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
Fire	8163101	8990666	91926	95491
Marine	2220262	2151116	24873	24374
Miscellaneous	164453403	142676072	45121	30656
Total	174836766	153817854	161920	150521

9. In respect of Purchases of Investments, deliveries are pending to the extent of ₹43589 thousands (₹96029 thousands) and in respect of sale of investments ₹Nil (₹ 892728 thousands) is overdue as on 31.03.2024.

10. आय के पहचान के उद्देश्य से निवेशों को निष्पादित और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में पृथक करना

(₹ '000)

विवरण	31-03-2024	31-03-2023
प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ	321890592	322241938
गैर-प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ	4305232	5357658
कुल	326195824	30656

संबंधित आईआरडीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए (छूट/संग्रह का शुद्ध) पर चालू लेखा वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त आय की कुल राशि ₹ 2278986 हजार (₹ 1635455 हजार) है और 31.03.2024 तक ₹ 15582236 हजार (₹ 13303250 हजार) है।

11. 31-03-2024 को ऋण संपत्तियाँ पुनर्गठन के अधीन हैं

(₹ '000)

क्र.सं.	विवरण	31-03-2024	31-03-2023
1	पुनर्गठन के अधीन ऋण परिसंपत्तियों की कुल राशि	66297	66297
2	पुनर्गठन के अधीन मानक परिसंपत्तियों की राशि	0	0
3	पुनर्गठन के अधीन उप-मानक परिसंपत्तियों की राशि	0	0
4	संदिग्ध और पुनर्गठन के अधीन अन्य परिसंपत्तियों की राशि	66297	66297

12. आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम 2002 की अनुसूची बी के भाग I के अनुसार, ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों' के रूप में माना जाएगा और परिशोधन के अधीन ऐतिहासिक लागत पर मापा जाएगा। प्रीमियम का परिशोधन, पुट/कॉल विकल्प, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए, परिपक्वता की शेष अवधि में किया जाता है।

13. आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित विनियमन के अनुसार, सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले ₹ 62525745 हजार (₹ 36783513 हजार) की अवास्तविक लाभ / हानि (शुद्ध) को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है। ऐसे निवेशों की ऐतिहासिक लागत (बट्टेखाते में डालने का शुद्ध) ₹ 68427455 हजार (₹ 76796450 हजार) थी। वसूली के लिए लंबित के कारण, उचित मूल्य परिवर्तन खाते में क्रेडिट शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

14. उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित निवेशों के बाजार मूल्य और ऐतिहासिक लागतों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ '000)

विवरण	बाजार मूल्य		ऐतिहासिक लागत		उचित मूल्य परिवर्तन	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
ईक्विटी शेयर	124196156	106122734	61844353	69636573	62351803	36486161
म्यूचुअल फंड	6757044	7457229	6583102	7159877	173942	297352
कुल	130953200	113579963	68427455	76796450	62525745	36783513

10. Segregation of Investments into performing and non-performing assets for the purpose of Income recognition:

(₹ '000)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
Performing Assets	321890592	322241938
Non-Performing Assets	4305232	5357658
Total	326195824	327599597

The aggregate amount of income not recognized for the current accounting year on NPA (net of waiver/ collections) as per related IRDAI guidelines is ₹2278986 thousands (₹1635455 thousands) and up to 31.03.2024 is ₹ 15582236 thousands (₹ 13303250 thousands).

11. Loan assets subject to Restructuring as on 31-03-2024

(₹ '000)

Sl.No	Particulars	31-03-2024	31-03-2023
1	Total amount of loan assets subjected to restructuring	66297	66297
2	The amount of standard assets subjected to restructuring	0	0
3	The amount of Sub-Standard assets subjected to restructuring	0	0
4	The amount of Doubtful and other assets subjected to restructuring	66297	66297

12. As per Part I of Schedule B of IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations 2002, Debt Securities shall be considered as 'Held to Maturity Securities' and shall be measured at Historical costs subject to amortization. Amortization of premium is done over the residual period of maturity, considering put/ call option, if any.

13. In accordance with the regulation prescribed by IRDAI, unrealized gains / losses (net) amounting to ₹ 62525745 thousands (₹ 36783513 thousands) arising due to changes in the fair value of listed equity shares and mutual funds are taken to Fair Value Change Account. The historical cost (net of write off) of such investments amounted to ₹ 68427455 thousands (₹ 76796450 thousands). Pending realization, the credit balance in the fair value change account is not available for distribution.

14. Break up of Market value and historical costs of investments which have been valued on fair value basis are as follows:

(₹ '000)

Particulars	Market Value		Historical Cost		Fair value change	
	31-03-24	31-03-23	31-03-24	31-03-23	31-03-24	31-03-23
Equity Shares	124331238	106226637	61944019	69736239	62387219	36490398
Mutual fund	6770340	7617980	6595834	7250759	174506	367221
Total	131101578	113844617	68539853	76986998	62561725	36857619

15. परिपत्र संख्या IRDA/F&I/CIR/INV/250/12/2012 दिनांक 04.12.2012 के अनुसार, रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन में एक्सपोजर का विवरण नीचे दिया गया है: (₹ '000)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम लंबित		वर्ष के दौरान अधिकतम लंबित		वर्ष के दौरान दैनिक औसतन लंबित		को लंबित	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
	रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ							
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ								
(iii) सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

15. कंपनी ने आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों पर आइआरडीएआइ नियमों के अनुसार निम्नलिखित गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (ऋणपत्र) के संबंध में प्रावधान किए हैं:

- रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) - 31.03.2023 तक किए गए 872692 हजार (872692 हजार रुपये) रुपये के प्रावधान को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उलट दिया गया है, क्योंकि उक्त निवेश की पूरी राशि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाल दी गई है।

17. कंपनी के पास रियल एस्टेट निवेश संपत्ति नहीं है।
18. ब्याज, लाभांश और किराया सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम और स्वीकृत पुनर्बीमा के आधार पर राजस्व खातों में विभाजित किया जाता है, जिसमें समुद्री व्यवसाय के लिए 75% और अग्नि और विविध व्यवसाय के लिए 100% का महत्व दिया जाता है।
19. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 31.03.2024 तक ₹ 75000000 हजार है। कंपनी की चुकता पूंजी ₹ 39050000 हजार है (प्रत्येक ₹ 10 मूल्य के 3905000000 शेयर)।
20. 31 मार्च 2024 को सॉल्वेंसी मार्जिन (-) 0.59 है। कंपनी बोर्ड से अनुमोदन के बाद सॉल्वेंसी मार्जिन की गणना के लिए उचित मूल्य परिवर्तन खाते में शेष राशि की 100% छूट की मांग करेगी। यदि स्वीकृत हो जाता है, तो सॉल्वेंसी मार्जिन 0.69 हो जाएगी।

21. प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना:

प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना से संबंधित खुलासा नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के तहत कंपनी (एक सरकारी कंपनी होने के नाते) पर लागू नहीं होते हैं।

22. विवादित मामलों को छोड़कर, निपटारा गया कोई भी बीमा दावा बैलेंस शीट की तारीख - शून्य (शून्य) पर छह महीने से अधिक समय तक भुगतान के लिए लंबित नहीं रखा गया है।
23. अचल संपत्तियों में शामिल हैं:-

A) भूमि-लीजहोल्ड में बैंगलोर फाइनेंशियल सिटी में आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) से खरीदी गई लगभग 1 एकड़ भूमि शामिल है, जिसकी राशि उप-लीज-सह-बिक्री समझौते पर 39761 हजार (₹ 39761 हजार) है, जिसे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्माण पूरा होने के बाद कंपनी के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा। सिविल निर्माण कार्य पूरा करने और गतिविधि/व्यवसाय शुरू करने का समय दिसंबर 2018 तक दिया गया था। चूंकि कई उप आवंटियों ने निर्माण पूरा नहीं किया है, केआइएडीबी ने 3 सितंबर, 2018 के अपने पत्र के माध्यम से समय के और विस्तार की मंजूरी के लिए राज्य उच्च स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी



15. In accordance with Circular No IRDA/F&I/CIR/INV/250/12/2012 dated 04.12.2012, the details of exposure in Repo/ Reverse Repo transactions are given below: (₹ '000)

Particulars	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily Average Outstanding during the year		Outstanding as on	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
Securities Sold under Repo								
(i) Government Securities	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
(ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under Reverse Repo								
(iii) Government Securities	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
(iv) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

16. The Company has made provisions in respect of the following non -performing assets (Debentures) as per IRDAI regulations on Income recognition, Asset classification, provisioning and other related matters:

- Reliance Home Finance Ltd (RHFL) - Provision of ₹ 872692 thousands (₹ 872692 thousands) made upto 31.03.2023 has been reversed during the current financial year, as the entire amount of the said investment has been written off during the current financial year based on the approval of the Competent Authority.

17. The Company does not have Real Estate Investment Property .

18. Interest, Dividends and Rent are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of gross direct premium plus reinsurance accepted, giving weightage of 75% for Marine business and 100% for Fire and Miscellaneous business.

19. The Authorized Share capital of the Company is at ₹ 75000000 thousands as of 31.03.2024. The Paid up capital of the Company is ₹39050000 thousands (₹ 3905000000 shares of ₹ 10 each)

20. The Solvency margin as on 31st March 2024 is (-) 0.59.The Company will seek 100% forbearance of balance in Fair value change account for calculation of Solvency Margin after approval from the Board of the company. If approved, the Solvency margin would be 0.69.

21. Computation of Managerial Remuneration:

Disclosure relating to computation of managerial remuneration has not been made as the provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the company (being a government company) vide Ministry of Corporate Affairs notification no. GSR463 (E) dated 5th June, 2015.

22. Barring disputed cases, no settled insurance claim remained unpaid for more than six months as on the Balance Sheet date –NIL (NIL).

23. Fixed Assets include: -

A) Land- Leasehold includes land measuring about 1 acre purchased from IFCI Infrastructure Development Ltd (IIDL) at Bangalore Financial City, amounting to 39761 thousands (₹ 39761 thousands) on sub - lease - cum - sale agreement, which will be registered in the name of the Company after completion of construction within the time limit specified therein. The time for completion of civil construction work and commencement of activity/business was given up to December 2018. As many of the sub allottees have not completed construction, KIADB vide its letter dated 3rd September, 2018 informed its board decision advising IIDL to approach the State High Level Single Window Clearance Committee (SHLSWCC) for approval of further extension of time. In the meanwhile, the Company has constructed compound wall at the site. During the meeting held on 16.02.2021

समिति (एसएचएलएसडब्ल्यूसीसी) आइआइडीएल को संपर्क करने की सलाह देते हुए अपने बोर्ड निर्णय की सूचना दी। इस बीच, कंपनी ने साइट पर कंपाउंड वॉल का निर्माण कर लिया है। 16.02.2021 को सभी उप पट्टेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक के दौरान, केआइएडीबी द्वारा 30 सितंबर 2022 तक दो साल के लिए विस्तार दिया गया जिसके अनुसार सभी उप पट्टेदारों द्वारा विस्तारित समयसीमा के भीतर निर्माण पूरा किया जाएगा। अक्टूबर 2023 में, आइआइडीएल ने फाइनेंशियल सिटी, बेंगलुरु के उप-पट्टेदारों द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अवधि के पट्टे के नवीनीकरण और समय के विस्तार के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

- B) ₹73157 हजार (₹102529 हजार) मूल्य की इमारतें संप्रेषण और पूंजीकरण के लिए लंबित हैं।
- C) अनुसूची 10 (स्थिर संपत्ति) में शामिल फ्रीहोल्ड भूमि के तहत ₹16 हजार (₹241 हजार) की 2 संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व विलेख युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ विलय की गई पूर्ववर्ती कंपनियों के नाम पर हैं। एक लीज डीड के लिए एलिस ब्रिज, अहमदाबाद में ₹2334 हजार (₹2334 हजार) मूल्य की लीजहोल्ड संपत्ति उपलब्ध नहीं है।
- D) कंपनी ने प्रधान कार्यालय हेतु चेन्नई में एक भवन का निर्माण किया है। भले ही कंपनी ने मार्च 2024 के दौरान संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, लेकिन विभिन्न घटकों का विवरण देने वाला अंतिम बिल आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, कंपनी ने परिसंपत्तियों का पूंजीकरण नहीं किया है।

24.

- A. जीआईसी रे द्वारा प्रशासित पूल में कंपनी निम्नलिखित की सदस्य है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लिखित प्रीमियम को पूल को सौंप दिया जाता है और पूल मैनेजर द्वारा सौंप दिया गया इनवर्ड को प्राप्त एसओए के अनुसार रिटोसेशन के रूप में गिना जाता है।
- ए) भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल (आइएमटीआरआइपी): पूल की कुल क्षमता 2000,00,00 हजार है। वर्ष 2023- 24 के लिए हमारा रेट्रो हिस्सा कुल पूल का 12.50% था।
- बी) भारत परमाणु पूल बीमा (आईएनआईपी): पूल की कुल क्षमता ₹1500,00,00 हजार है। हमारी भागीदारी ₹200,00,00 हजार है।
- सी) बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए समुद्री कार्गो पूल (एम सीईटीपी): पूल की कुल क्षमता ₹484,80,00 हजार है। हमारी क्षमता ₹20,00,00 हजार है।
- B. वर्ष के दौरान, बकाया विदेशी आवक दावों की समीक्षा की गई और ऐसे दावे, जहां पांच साल से

अधिक समय से पुनर्बीमाधारक की ओर से कोई जानकारी या पत्राचार नहीं किया गया है, वह ₹511702 हजार (शून्य) की राशि को बकाया दावों से उलट दिया गया है।

25. हांगकांग स्थित कंपनी की एजेंसी ने 01.04.2002 से बीमालेखन परिचालन बंद कर दिया है और रन ऑफ परिचालन से संबंधित लेनदेन का हिसाब-किताब किया गया है। अंतिम आइबीएनआर/आइबीएनइआर रिपोर्ट लंबित होने के कारण, पिछले वर्ष के लिए एक्चुअरी की रिपोर्ट पर आधारित शून्य प्रावधान पर वर्तमान वर्ष के लिए विचार किया गया है। कंपनी ने 2023-24 के दौरान रन ऑफ परिचालन के प्रबंधन के लिए ₹2442 हजार (₹2371 हजार) की राशि खर्च की और वर्ष के दौरान ₹26151 हजार की राशि के सभी तीन दावों का निपटान कर दिया गया है और 31.03.2024 तक कोई बकाया नहीं है।
26. बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, 31 मार्च 2024 को आइबीएनआर/आइबीएनइआर रिजर्व ₹120632640 हजार (₹123426786 हजार) है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष में की गई अतिरिक्त प्रावधान राशि ₹3961526 हजारों के मुकाबले चालू वर्ष में प्रावधान में कमी होकर ₹2794146 हजार हो गई है।
27. तुलन पत्र की तारीख के अनुसार अंतर-कार्यालय खाता शेष का समाधान कर दिया गया है और पिछले वर्ष के ₹378 हजार {क्रेडिट बैलेंस} की तुलना में चालू वर्ष में कोई अंतर नहीं है।
28. बीमा व्यवसाय चलाने वाले अन्य व्यक्तियों या निकायों से देय / देय शेष राशि का समय-समय पर निपटान किया जाता है। हालांकि, वर्ष के अंत की शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।
- पुनर्बीमा के संबंध में, खातों के विवरण के आधार पर ब्रोकरों / पुनर्बीमाकर्ताओं को निपटान किया जाता है। हालांकि, वर्ष के अंत की शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी संबंधित खाता प्रमुखों के लिए पुनर्बीमाकर्ताओं से देय / देय से संबंधित ₹294.80 करोड़ की प्रविष्टियों को पुनः समूहित करने की प्रक्रिया में है और इसका वित्तीय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - जमा, अग्रिम और अन्य खातों में विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र/राज्य सरकार से वसूली योग्य ₹4431494 हजार (₹2269266 हजार) की राशि शामिल है।

(₹ '000)

	31-03-2024	31-03-2023
	को	को
1 वर्ष से कम	3038920	794988
1 - 3 वर्ष	0	81704
3 वर्ष से अधिक	1392574	1392574
कुल	4431494	2269266



through video conference with all sub lessees, extension for two years up to 30th September 2022 was granted by KIADB and construction to be completed by all the sub lessees within the extended timeline. In October 2023, IIDL submitted application for renewal of lease of period and extension of time for implementation of project by Sub- lessees of Financial City, Bengaluru.

- B) Buildings valued at ₹73157thousands (₹102529 thousands) are pending for Conveyance and Registration.
- C) Title deeds in respect of 2 properties of ₹16 thousands (₹ 241 thousands) under the Freehold lands included in schedule 10 (Fixed Assets) are in the name of -erstwhile companies merged with United India Insurance Co. Ltd. One lease deed for leasehold property at Ellis Bridge, Ahmedabad valued at ₹2334 thousands (₹2334 thousands) is not available.
- D) The company has constructed a building at Chennai for Head office purpose Even though the company occupied the property during March 2024, the final bill giving the break of various components has not been received till date. Hence, the company has not capitalized the assets.
24. A. The Company is a member of the following Pools administered by GIC Re, wherein premium underwritten on the direct side are ceded to the pool and Inward accounted as Retrocession ceded by the Pool Manager as per SOAs received.
- a) Indian Market Terrorism Risk Insurance Pool (IMTRIP): Total capacity of the Pool is ₹ 2000,00,00 thousands. For the year 2023-24 our Retro share was 12.50% of total Pool.
- b) India Nuclear Pool Insurance (INIP): Total Capacity of the Pool is ₹ 1500,00,00 thousands. Our participation is ₹ 200,00,00 thousands
- c) Marine Cargo Pool for Excluded Territories (MCETP): Total Capacity of the Pool is ₹ 484,80,00 thousands. Our capacity is ₹ 20,00,00 thousands
- B. During the year, Foreign Inward claims outstanding were reviewed and claims, where there are no

information or correspondence from the reinsured for more than five years amounting to ₹ 511702 thousands (NIL) has been reversed from Outstanding Claims.

25. The Company's Agency at Hong Kong ceased underwriting operations with effect from 01.04.2002 and the transactions relating to run off operations have been accounted. Pending final IBNR/IBNER report, the NIL provision based on the Actuary's report for the previous year has been considered for current year. The company incurred a sum of ₹2442 thousands (₹2371 thousands) towards expenditure for managing the Run off operations during 2023-24 and all three claims amounting to ₹ 26151 thousands was settled during the year and there is no outstanding as on 31.03.2024.
26. As per the Actuarial Valuation, the IBNR/IBNER Reserves as on 31st March 2024 is ₹120632640 thousands (₹ 123426786 thousands), resulting in decrease in provisioning in the current year amounting to ₹2794146 thousands against the additional provision amounting to ₹ 3961526 thousands in previous year.
27. Inter-Office accounts has been reconciled and as on the balance sheet date there is no difference against ₹378 thousand {credit balance} in previous year.
28. Balances Due from / Due to other persons or bodies carrying on Insurance business, are settled periodically. However, confirmations of balance have not been received for year-end balances.
- In respect of Reinsurance, settlements are effected to brokers /reinsurers based on statement of accounts. However, confirmations of balance have not been received for year-end balances The company is in the process of regrouping of entries amounting to ₹ 294.80 Crores relating to Due from / Due to reinsurers to respective account heads and there will be no impact on financials.
 - Deposits, Advances & Other Accounts include a sum of ₹ 4431494 thousands (₹2269266 thousands) recoverable from Central/State Government towards various schemes.

(₹ '000)

	As on 31-03-2024	As on 31-03-2023
Less than 1 year	3038920	794988
1 – 3 years	0	81704
More than 3 years	1392574	1392574
Total	4431494	2269266

- अन्य अभिगमों में ₹541361 हजार (₹561987 हजार) की राशि शामिल है जो बकाया जीएसटी इनपुट क्रेडिट शेष को प्रदर्शित करती है, जिसमें से मार्च 2024 के महीने में ₹76247 हजार का लाभ उठाया गया है और शेष ₹465114 हजार के लिए, युइंडक दावा करने के लिए पात्र है। जीएसटी अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट नियत तारीख से पहले जीएसटी पोर्टल में विक्रेताओं द्वारा दायर मिलान चालान के समाधान पर। कंपनी ने निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए विवादित आयकर के रूप में 2023-24 के दौरान ₹5800000 हजार का भुगतान किया है।
- वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी का हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जीआईसी एचएफएल) के पक्ष में 29 मार्च 2019 के वचन पत्र के अनुसार 8.4 % प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ₹144.32 करोड़ की सीमा तक सौंपा गया है।

31 मार्च 2018 तक आवास ऋण शेष, जहां ऋण 6 महीने से अधिक (90%) के लिए नियमित रूप से चुकाया गया है और 6 महीने से कम (80%) जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में सौंपा गया है, वहाँ जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से मूल दस्तावेजों को युइंडक द्वारा ट्रस्ट में रखा जाएगा। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ सहमति के अनुसार 8.4% ब्याज और कर्मचारियों से वसूल की गई ब्याज राशि के बीच का अंतर कंपनी द्वारा अवशोषित किया जाता है।

29. आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित प्रारूप में खंडीय रिपोर्टिंग वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियों के साथ दी गई है।

30. पेंशन

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 1627 (ई) दिनांक 23.04.2019 के माध्यम से 1995 से पहले कंपनी की सेवाओं में शामिल हुए सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों के लिए सामान्य कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एक अंतिम विकल्प को मंजूरी दी थी। बीमांकिक के मूल्यांकन के अनुसार, इस योजना के तहत पेंशन का विकल्प चुनने वाले मौजूदा कर्मचारियों के संबंध में भविष्य की देनदारी ₹12655948 हजार है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र संदर्भ 411/एफ&ए(एनएल)/अमोर्ट-ईबी/2019-20/125 दिनांक 07-07-2020 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 से पांच साल की अवधि में कंपनी के मौजूदा कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना 1995 का विस्तार के कारण भविष्य में उत्पन्न होने वाली ₹12655948 हजार की अतिरिक्त पेंशन देयता के परिशोधन की अनुमति दी है।

तदनुसार, कंपनी ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए कुल देनदारी का पांचवां हिस्सा, जो कि राशि ₹2531190 हजार है, को अवशोषित कर लिया है। भविष्य की देनदारी की कोई भी अवशोषित राशि अब नहीं है।

(₹ '000)

पेंशन	
विवरण	योजना के विस्तार के लिए परिशोधित राशि
कुल देयता	12655948
2019-20 में अवशोषित	2531190
2020-21 में अवशोषित	2531190
2021-22 में अवशोषित	2531190
2022-23 में अवशोषित	2531190
2023-24 में अवशोषित	2531188

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ

(i) भविष्य निधि

योग्य कर्मचारी (जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना है) को भविष्य निधि से लाभ मिलता है, जो एक परिभाषित लाभ योजना है। सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अक्षमता या रोजगार समाप्ति पर ब्याज सहित कुल योगदान का भुगतान किया जाता है। कर्मचारी और कंपनी दोनों युनाइटेड इंडिया इश्यूरेस कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट में कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर मासिक योगदान करते हैं। ट्रस्ट के निवेश से रिटर्न और ट्रस्ट द्वारा अधिसूचित ब्याज दर के बीच यदि कोई कमी है, तो उसे पूरा करना कंपनी का दायित्व है।

कंपनी ने राजस्व खर्चों और लाभ और हानि खाते में भविष्य निधि योगदान के लिए ₹31414 हजार (₹1899807 हजार) को मान्यता दी।

(ii) उपदान

कंपनी पात्र कर्मचारियों को कवर करते हुए उपदान, एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना ("ग्रेच्युटी योजना") प्रदान करती है। उपदान योजना निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अक्षमता या रोजगार की समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और रोजगार के कार्यकाल के आधार पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है। पांच साल की सेवा पूरी होने पर वेस्टिंग होती है। उपदान योजना के संबंध में देनदारियां तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिसके आधार पर, कंपनी युनाइटेड इंडिया इश्यूरेस एम्प्लॉइज ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट ("ट्रस्ट") में सभी सुनिश्चित देनदारियों का योगदान करती है। न्यास में किए गए योगदान का प्रबंधन न्यासी करते हैं और योगदान को कानून द्वारा अनुमति के अनुसार विशिष्ट निवेशों में निवेश किया जाता है।



- Other Advances includes a sum of ₹541361 thousands (₹561987 thousands) which represents outstanding GST input credit balance out of which, ₹ 76247 thousands has been availed in the month of March 2024 and for remaining ₹ 465114 thousands, UIIC is eligible to claim upon reconciliation of matching invoices filed by vendors in GST portal before the due date specified by the GST Act. The company paid ₹ 5800000 thousand during 2023-24 as disputed income tax for AY 2018-19.
- During the year 2018-19, the Housing Loan Portfolio of the Company has been assigned in favour of GIC Housing Finance Ltd. (GIC HFL) to the extent of ₹ 144.32 crores as per undertaking dated 29th March 2019 at an interest rate of 8.4% p.a.

Housing Loan Balances as on 31st March 2018, where the loan has been serviced regularly for more than 6 months (90%) and less than 6 months (80%) has been assigned in favour of GIC Housing Finance Ltd. The original Property documents will be held in trust by UIIC on behalf of GIC Housing Finance Ltd. The difference between interest of 8.4% as agreed with GIC Housing Finance Ltd and the interest amount recovered from the employees is absorbed by the Company.

29. Segmental reporting in the format prescribed by IRDAI is given along with Schedules forming part of Financial Statements.

30. Pension

Government of India vide gazette notification no 1627(E) dated 23.04.2019 approved a final option to the Retired and existing Employees who have joined the services of the Company before 1995 to opt for Pension under General Employees' Pension Scheme 1995. As per Actuarial valuation, the future liability in respect of existing employees who have opted for pension under this scheme is ₹ 12655948 thousands.

Insurance Regulatory and Development Authority of India, vide its letter Ref 411/F&A(NL) /Amort-EB/2019-20/125 dated 07-07-2020, has allowed amortization, of additional future Pension liability of ₹ 12655948 thousands arising out of extension of Pension Scheme 1995 to the existing employees of the company, over a period of five years with effect from financial year 2019-20.

Accordingly, the company has absorbed one fifth of the total liability, amounting to ₹ 2531190 thousands each during the years 2019-20 till 2023-24. There is no unabsorbed amount of future liability.

Pension	
Particulars	Amount Amortized for Extension of Scheme
Total liability	12655948
Absorbed in year 2019-20	2531190
Absorbed in year 2020-21	2531190
Absorbed in year 2021-22	2531190
Absorbed in year 2022-23	2531190
Absorbed in year 2023-24	2531188

Retirement benefits to employees

(i) Provident fund

Eligible employees (employees not opted for pension plan) receive benefits from the provident fund, which is a defined benefit plan. Aggregate contributions along with interest thereon are paid at retirement, death, incapacitation or termination of employment. Both the employee and the Company make monthly contributions to the United India Insurance Employee's Provident Fund Trust equal to a specified percentage of the covered employee's salary. The Company has an obligation to make good the shortfall, if any, between the return from the investments of the trust and the interest rate notified by the trust.

The Company recognized ₹ 31414 thousands (₹1899807 thousands) for provident fund contribution in the Revenue Accounts.

(ii) Gratuity

The Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan (the "Gratuity Plan") covering eligible employees. The Gratuity Plan provides a lump sum payment to vested employees at retirement, death, incapacitation or termination of employment, of an amount based on the respective employee's salary and the tenure of employment. Vesting occurs upon completion of five years of service. Liabilities with regard to the Gratuity Plan are determined by actuarial valuation as of the balance sheet date, based upon which, the company contributes all the ascertained liabilities to the United India Insurance Employees' Gratuity Fund Trust (the "Trust"). Trustees administer contributions made to the Trust and contributions are invested in specific investments as permitted by law.

(iii) (a) सेवानिवृत्ति / पेंशन

कंपनी पात्र कर्मचारियों को कवर करते हुए मासिक पेंशन, एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना ("पेंशन योजना") प्रदान करती है। पेंशन योजना कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु तक मासिक पेंशन प्रदान करती है। मासिक पेंशन संबंधित कर्मचारी के वेतन और रोजगार के कार्यकाल पर आधारित है। दस वर्ष की सेवा पूरी होने पर वेस्टिंग होती है। कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम से वार्षिकी खरीदकर मासिक पेंशन का भुगतान करती है। पेंशन योजना के संबंध में देनदारियां तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिसके आधार पर, कंपनी सभी सुनिश्चित देनदारियों को युनाइटेड इंडिया इश्यूरेस एम्प्लॉइज पेंशन फंड ट्रस्ट ("ट्रस्ट") में योगदान करती है। न्यास में किए गए योगदान का प्रबंधन न्यासी करते हैं और योगदान को कानून द्वारा अनुमति के अनुसार विशिष्ट निवेशों में निवेश किया जाता है।

(iii) (b) नई सेवानिवृत्ति/नई पेंशन

नई पेंशन योजना जो 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है जो एक परिभाषित योगदान योजना है। कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान तक ही सीमित है। कंपनी ने राजस्व खाते में पेंशन अंशदान के लिए ₹ 419778 हजार (₹ 492354 हजार) की मान्यता दी है।

(iv) अवकाश नकदीकरण

कंपनी के कर्मचारी अवकाश नकदीकरण के हकदार हैं। कर्मचारी अप्रयुक्त अर्जित अवकाश नकदीकरण के एक हिस्से को आगे ले जा सकते हैं और भविष्य की अवधि में इसका उपयोग कर सकते हैं या अधिकतम 240 दिनों के लिए अप्रयुक्त अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए सेवानिवृत्ति या रोजगार समाप्ति पर नकद मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी उस अवधि में अवकाश नकदीकरण के लिए एक दायित्व दर्ज करती है जिसमें कर्मचारी इस पात्रता को बढ़ाने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी अवकाश नकदीकरण की अपेक्षित लागत को उस अतिरिक्त राशि के रूप में मापती है जिसे कंपनी अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान करने की उम्मीद करती है जो कि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र की तारीख पर जमा हुई है।

(v) चिकित्सा अवकाश

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 से चिकित्सा अवकाश के प्रावधान को वापस ले लिया है क्योंकि सेवा के दौरान और इस्तीफ़े या सेवानिवृत्ति के समय चिकित्सा अवकाश के लिए कोई नकदीकरण नहीं है और इसलिए एएस 15 के पैरा 14 (2005) संशोधित के तहत आवश्यक कोई भी भुगतान शामिल नहीं है। संशोधित एएस 15 (2005) के पैरा 14 के अनुसार, झएक उद्यम को क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति को जमा करने की अपेक्षित लागत को उस अतिरिक्त राशि के रूप में मापना चाहिए जो उद्यम बैलेंस शीट की तारीख में जमा हुई अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान करने की उम्मीद करता है।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2024 तक ग्रेच्युटी/पेंशन योजना की वित्त पोषित स्थिति और कंपनी के वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि निर्धारित करती है।

A. परिभाषित लाभ दायित्व के प्रारंभिक और समापन शेष का समाधान :

(₹ '000)

विवरण	पेंशन निधि		उपदान निधि	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ दायित्व	56425052	46393849	10237863	11108693
चालू सेवा लागत	851033	841211	220134	246513
ब्याज की लागत	3771869	3048156	677042	662082
बीमांकिक (लाभ)/हानि	12035528	24140513	356101	1521333
वर्ष के दौरान अवशोषित परिशोधन राशि	2531189	2531190	0	0
पिछली सेवा लागत	0	0	0	0
भुगतान किया गया लाभ	(15970071)	(20529867)	(2348789)	(3300758)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	59644600	56425052	9142351	10237863



(iii) (a) Superannuation/ Pension

The Company provides for monthly pension, a defined benefit retirement plan (the “pension Plan”) covering eligible employees. The pension Plan provides a monthly pension after retirement of the employees till death. The Monthly pension is based on the respective employee’s salary and the tenure of employment. Vesting occurs upon completion of ten years of service. The company pays the monthly pension by purchasing the annuity from Life Insurance Corporation of India. Liabilities with regard to the pension Plan are determined by actuarial valuation as of the balance sheet date, based upon which, the company contributes all the ascertained liabilities to the United India Insurance Employees’ Pension Fund Trust (the “Trust”). Trustees administer contributions made to the Trust and contributions are invested in specific investments as permitted by law.

(iii) (b) New Superannuation / New Pension

New pension scheme which is applicable to employees who joined the company on or after 1st April 2010 is a defined contribution scheme. The company pays fixed contribution at predetermined rate and the obligation of the company is limited to such fixed contribution.

The Company recognized ₹419778 thousands (₹492354 thousands) for pension contribution in the Revenue Accounts.

(iv) Leave encashment

The employees of the Company are entitled to Leave Encashment. The employees can carry

forward a portion of the unutilized accrued Leave Encashment and utilize it in future periods or receive cash compensation at retirement or termination of employment for the unutilized accrued Leave Encashment for a maximum of 240 days. The company records an obligation for Leave Encashment in the period in which the employee renders the services that increase this entitlement. The Company measures the expected cost of Leave Encashment as the additional amount that the company expects to pay as a result of the unused entitlement that has accumulated at the balance sheet date based on actuarial valuation.

(v) Sick Leave

The company has withdrawn the provision for sick leave from FY 2022-23 onwards since there is no encashment for sick leave anytime during service and also at the time of resignation or retirement and therefore there is no payment involved as required under Para 14 of AS 15 (2005) revised. As per Para 14 of AS 15 (2005) revised, “An enterprise should measure the expected cost of accumulating compensated absences as the additional amount that the enterprise expects to pay as a result of the unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date.

The following table sets out the funded status of gratuity/pension plan and the amounts recognized in the company’s financial statements as at March 31, 2024.

A. Reconciliation of opening and closing balances of Defined Benefit obligation:

(₹ ‘000)

Particulars	Pension Fund		Gratuity Fund	
	2023 - 2024	2022 - 2023	2023 - 2024	2022 - 2023
Defined benefit obligation at the beginning of the year	56425052	46393849	10237863	11108693
Current service cost	851033	841211	220134	246513
Interest cost	3771869	3048156	677042	662082
Actuarial (gain)/loss	12035528	24140513	356101	1521333
Amortized amount absorbed during the year	2531189	2531190	0	0
Past Service Cost	0	0	0	0
Benefits paid	(15970071)	(20529867)	(2348789)	(3300758)
Defined benefit obligation at the end of the year	59644600	56425052	9142351	10237863

B. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के प्रारंभिक और समापन शेष का मिलान: : (₹ '000)

विवरण	पेंशन निधि		उपदान निधि	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	31557644	31079039	9790151	10823791
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	2020027	1607497	643971	709222
बीमांकिक लाभ/(हानि)	1948168	3411171	739467	4158
अन्य कंपनियों से प्राप्त	0	0	809	808
नियोक्ता का योगदान	24870000	15680000	10000	1190000
पिछला योगदान	0	309804	0	362930
लाभ का भुगतान किया गया	(15970071)	(20529867)	(2348789)	(3300758)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	44425768	31557644	8835609	9790151

C. परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान: (₹ '000)

विवरण	पेंशन निधि		उपदान निधि	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	44425768	31557644	8835609	9790151
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	59644600	58956241	9142351	10237863
अवशोषित दायित्व	2531189	2531190	0	0
तुलन पत्र में गैर-निधि देयता/(संपत्ति) को मान्य किया गया है	15218832	24867407	306742	447712

D. लाभ और हानि खाते में व्यय को मान्य किया गया: (₹ '000)

विवरण	पेंशन निधि		उपदान निधि	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
चालू सेवा लागत	851033	841211	220134	246513
ब्याज की लागत	3771869	3048155	677042	662082
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(2020027)	(1607497)	(643971)	(709222)
शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	10087360	20729341	(383366)	1517175
अन्य कंपनियों से प्राप्त	0	0	0	0
वर्ष के दौरान परिशोधन	2531189	2531190	0	0
लाभ और हानि खाते में मान्य किया गया कुल व्यय	15221425	25542400	(130161)	1716548
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	3968195	5018668	1383438	713380



B. Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets: (₹ '000)

Particulars	Pension Fund		Gratuity Fund	
	2023 - 2024	2022 - 2023	2023 - 2024	2022 - 2023
Fair value of plan assets at the beginning of the year	31557644	31079039	9790151	10823791
Expected return on plan assets	2020027	1607497	643971	709222
Actuarial gain/(loss)	1948168	3411171	739467	4158
Received from other companies	0	0	809	808
Employer contribution	24870000	15680000	10000	1190000
Past Contribution	0	309804	0	362930
Benefits paid	(15970071)	(20529867)	(2348789)	(3300758)
Fair value of plan assets at the end of the year	44425768	31557644	8835609	9790151

C. Reconciliation of fair value of assets and obligations: (₹ '000)

Particulars	Pension Fund		Gratuity Fund	
	2023 - 2024	2022 - 2023	2023 - 2024	2022 - 2023
Fair value of plan assets as at the end of the year	44425768	31557644	8835609	9790151
Present value of obligations as at the end of the year	59644600	58956241	9142351	10237863
Absorbed Liability	2531189	2531190	0	0
Unfunded liability/ (asset) recognized in the Balance Sheet	15218832	24867407	306742	447712

D. Expense recognized in the Profit and Loss account: (₹ '000)

Particulars	Pension Fund		Gratuity Fund	
	2023 - 2024	2022 - 2023	2023 - 2024	2022 - 2023
Current service cost	851033	841211	220134	246513
Interest cost	3771869	3048155	677042	662082
Expected return on plan assets	(2020027)	(1607497)	(643971)	(709222)
Net Actuarial (gain)/loss	10087360	20729341	(383366)	1517175
Received from other companies	0	0	0	0
Amortization During the year	2531189	2531190	0	0
Total expenses recognized in the Profit and Loss account	15221425	25542400	(130161)	1716548
Actual return on plan assets	3968195	5018668	1383438	713380

E. ट्रस्ट द्वारा बनाए रखा गया निवेश प्रतिशत : (In %)

विवरण	पेंशन (वित्त पोषित)		उपदान (वित्त पोषित)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
सरकारी प्रतिभूतियाँ	3.74	7.13	6.77	6.31
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉण्ड	19.07	12.42	0.24	1.06
सूचित कंपनियों के ईक्विटी शेयर	0.00	0.47	0.00	0.00
विशेष जमा योजना (म्यूचुअल फंड)	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	77.19	79.98	92.99	92.63

F. तुलन पत्र की तारीख पर प्रधान बीमांकिक धारणा (भारत औसत के रूप में व्यक्त) : (In %)

विवरण	पेंशन (वित्त पोषित)	उपदान (वित्त पोषित)	अवकाश नकदीकरण (गैर वित्त पोषित)
छूट की दर	7.22	7.22	7.22
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर	7.48	7.47	N.A
वेतन में वृद्धि की दर	4.00	4.00	4.00
कर्मचारी आवर्त	महत्वपूर्ण नहीं		
मृत्यु दर	सेवारत कर्मचारियों के लिए भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) (संशोधित अंतिम) और सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीधारक की मृत्यु तालिका (2012-15)। पिछला वर्ष - सेवारत कर्मचारियों के लिए एलआईसी (2012-14) और सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए एलआईसी (2012-15)		
प्रयोग की गई विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि		

G. बीमांकिक धारणा के आधार पर विचार किया गया :

विवरण	धारणा का आधार
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर	एक वर्ष का ब्याज दर
वेतन में वृद्धि की दर	बीमांकिक मूल्यांकन में भावी वेतन वृद्धि के अनुमान में मुद्रास्फूर्ति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

H. (1) चालू वर्ष और पिछले चार वर्षों में मान्य की गई राशि: (₹ '000)

विवरण (पेंशन)	वर्ष अंत				
	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
परिभाषित लाभ दायित्व	48881898	42036243	46393849	56425051	59644600
योजना संपत्ति	31856204	33506000	31079039	31557644	44425768
आधिक्य / (घाटा)	(17025694)	(8530243)	(15314810)	(24867407)	(15218832)
योजना दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	35156163	9100721	12779357	24140513	12035528
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(76756)	(480044)	(257801)	3411171	1948168

E. Investment percentage maintained by the trust (in %)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)	
	2023 - 2024	2022 - 2023	2023 - 2024	2022 - 2023
Government securities	3.74	7.13	6.77	6.31
High Quality Corporate Bonds	19.07	12.42	0.24	1.06
Equity Shares of Listed Co.	0.00	0.47	0.00	0.00
Special Deposit Scheme (Mutual Fund)	0.00	0.00	0.00	0.00
Others	77.19	79.98	92.99	92.63

F. Principal Actuarial assumption at the Balance Sheet date (expressed as weighted average) (in %)

Particulars	Pension (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Unfunded)
Discount rate	7.22	7.22	7.22
Expected rate of return on plan assets	7.48	7.47	N.A
Rate of escalation in salary	4.00	4.00	4.00
Employee turnover	Not significant		
Mortality	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) (Modified Ultimate) for serving employee and Indian Individual Annuitant's Mortality Table (2012-15) for retired members. Previous Year - LIC (2012-14) for serving employees and LIC (2012-15) for retired members		
Method used	Projected Unit Credit Method		

G. Basis of Actuarial assumption considered

Particulars	Basis of assumption
Expected rate of return on plan assets	One-year Interest rate
Rate of escalation in salary	The estimate of future salary increase, considered in actuarial valuation takes into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employment market

H. (1) Amount recognized in current year and previous four years : (₹ '000)

Particulars (Pension)	Year Ended				
	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
Defined Benefit Obligation	48881898	42036243	46393849	56425051	59644600
Plan Assets	31856204	33506000	31079039	31557644	44425768
Surplus/ (Deficit)	(17025694)	(8530243)	(15314810)	(24867407)	(15218832)
Actuarial (gain)/loss on plan obligation	35156163	9100721	12779357	24140513	12035528
Actuarial gain/(loss) on plan assets	(76756)	(480044)	(257801)	3411171	1948168

H. (2) चालू वर्ष और पिछले चार वर्षों में मान्य की गई राशि: (₹ '000)

विवरण (उपदान)	वर्ष अंत				
	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
परिभाषित लाभ दायित्व	12320302	12198456	11108693	10237863	9142351
योजना संपत्ति	13307618	10696300	10823791	9790151	8835609
आधिक्य / (घाटा)	987316	(1502156)	(284902)	(447712)	(306742)
योजना दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	954612	1007920	682624	1521333	356101
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(125968)	(136059)	364681	4158	739467

31. निम्नलिखित मदों के तहत किए गए खर्चों का खुलासा नियामक आवश्यकता के अनुसार किया जाता है: (₹ '000)

विवरण	31-03-2024	31-03-2023
आऊटसोर्सिंग व्यय	314869	332550
व्यवसाय वृद्धि	724041	734749
विपणन समर्थन	शून्य	शून्य

32. संबंधित पक्ष के खुलासे (एस 18):

- संबंधित पार्टी का नाम और कंपनी के साथ उनका संबंध:

i) सहायक

मे. जेनिथ सिक्वोरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

ii) सहयोगी

मे. इंडिया इंटरनेशनल इश्यूरेस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर

मे. हेल्थ इश्यूरेस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत

iii) सामान्य निदेशक

मे. जीआईसी हाऊसिंग फायनान्स लि. भारत

मे. केन इंडिया एश्यूरेस कं.लि., कीन्या

iv) महत्वपूर्ण प्रबंधन व्यक्ति

1. श्री सत्यजीत त्रिपाठी - अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक दिनांक 29.02.2024 तक

2. सुश्री राजेश्वरी सिंह मुनी- महाप्रबंधक एवं निदेशक - 31.08.2023 तक

3. श्री गोपालकृष्णन सुंदररामन-

i. महाप्रबंधक एवं निदेशक & सीएफओ 15.03.2024 तक

ii. कार्यकारी निदेशक, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) 16.03.2024 से

4. सुश्री एस हेमामालिनि- मुख्य वित्तीय अधिकारी - 16.03.2024 से

5. सुश्री अनघा शांतनु देशपांडे (कंपनी सचिव) - 01.04.2023 से

H. (2) Amount recognized in current year and previous four years: (₹ '000)

Particulars (Gratuity)	Year Ended				
	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024
Defined Benefit Obligation	12320302	12198456	11108693	10237863	9142351
Plan Assets	13307618	10696300	10823791	9790151	8835609
Surplus/ (Deficit)	987316	(1502156)	(284902)	(447712)	(306742)
Actuarial (gain)/loss on plan obligation	954612	1007920	682624	1521333	356101
Actuarial gain/(loss) on plan assets	(125968)	(136059)	364681	4158	739467

31. The expenses incurred under the following heads are disclosed as per Regulatory requirement: (₹ '000)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
Outsourcing Expenses	314869	332550
Business Development	724041	734749
Marketing Support	NIL	NIL

32. Related party disclosures (AS 18):

- Name of the related party and their relationship with the company:
 - i) **Subsidiary**
M/s. Zenith Securities and Investments Limited
 - ii) **Associates**
M/s India International Insurance Pte Ltd., Singapore
M/s Health Insurance TPA of India Ltd., India
 - iii) **Common Director**
M/s GIC Housing Finance Ltd., India
M/s Ken India Assurance Co Ltd., Kenya
 - iv) **Key Management Personnel**
 1. Shri Satyajit Tripathy - Chairman cum Managing Director upto 29.02.2024
 2. Ms Rajeshwari Singh Muni - General Manager and Director - upto 31.08.2023
 3. Shri Gopalakrishnan Sundararaman-
 - i. General Manager and Director & CFO upto 15.03.2024
 - ii. Executive Director, Chairman cum Managing Director(Addl. Charge) from 16.03.2024
 4. Ms S Hemamalini - Chief Financial Officer - From 16.03.2024
 5. Ms Anagha Shantanu Deshpande (Company Secretary)- From 01.04.2023.

लेन-देन संव्यवहार का विवरण

(₹ '000)

क्र. सं.	विवरण	मे. इंडिया इंटरनेशनल इश्यूरेस प्राइवेट लिमिटेड	मे. केन इंडिया इश्यूरेस कं.लि.,	मे. हेल्थ इश्यूरेस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	मे. जीआइसी हाऊसिंग फायनेंस लि.	महत्वपूर्ण प्रबंधक व्यक्ति
1.	वर्ष के दौरान कार्य विवरण					
a	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश					
	31-03-2024	61050	2606	शून्य	17802	शून्य
	31-03-2023	56780	4390	शून्य	17802	शून्य
b	ईक्यूटी में निवेश					
	31-03-2024	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	31-03-2023	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
c	पुर्नबीमा लेनदेन संव्यवहार					
	- प्रत्यक्ष के लिए					
	31-03-2024	10593	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	31-03-2023	130747	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- प्रत्यक्ष से					
	31-03-2024	238445	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	31-03-2023	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
d	प्राप्त निदेशक का पारिश्रमिक					
	31-03-2024	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	31-03-2023	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
e	वेतन, भत्ते और अन्य अंशदान					
	31-03-2024	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	10887
	31-03-2023	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	11704
f	प्राप्त किराया					
	31-03-2024	शून्य	शून्य	670	शून्य	शून्य
	31-03-2023	शून्य	शून्य	646	106	शून्य
g	किराया प्राप्य					
	31-03-2024	शून्य	शून्य	62	543	शून्य
	31-03-2023	शून्य	शून्य	54	543	शून्य
h	वर्ष के दौरान भुगतान किया गया टीपीए का शुल्क					
	31-03-2024	शून्य	शून्य	116373	शून्य	शून्य
	31-03-2023	शून्य	शून्य	101658	शून्य	शून्य
i	भुगतान योग्य टीपीए शुल्क					
	31-03-2024	शून्य	शून्य	10344	शून्य	शून्य
	31-03-2023	शून्य	शून्य	1074	शून्य	शून्य
j.	भुगतान किया गया ब्याज					
	31-03-2024	शून्य	शून्य	शून्य	52972	शून्य
	31-03-2023	शून्य	शून्य	शून्य	62771	शून्य
k.	चुकाया गया किराया					
	31-03-2024	शून्य	शून्य	शून्य	117462	शून्य
	31-03-2023	शून्य	शून्य	शून्य	164486	शून्य



• Details of Transactions

(₹ '000)

Sl. No	Particulars	M/s. India International Insurance Pte Ltd.	M/s. Ken India Assurance Co Ltd.	M/s. Health Insurance TPA of India Ltd.	M/s GIC Housing Finance Ltd.	Key Managerial Personnel
1.	Transactions during the year					
a	Dividend received during the year					
	31-03-2024	61050	2606	Nil	17802	Nil
	31-03-2023	56780	4390	Nil	17802	Nil
b	Investment in Equity					
	31-03-2024	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	31-03-2023	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
c	Reinsurance transactions					
	- Due to Direct					
	31-03-2024	10593	Nil	Nil	Nil	Nil
	31-03-2023	130747	Nil	Nil	Nil	Nil
	- Due from Direct					
	31-03-2024	238445	Nil	Nil	Nil	Nil
	31-03-2023	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
d	Director's Remuneration Received					
	31-03-2024	Nil	127	Nil	Nil	Nil
	31-03-2023	Nil	146	Nil	Nil	Nil
e	Salaries, Allowances and Contributions					
	31-03-2024	Nil	Nil	Nil	Nil	10887
	31-03-2023	Nil	Nil	Nil	Nil	11704
f	Rent received					
	31-03-2024	NIL	NIL	670	Nil	Nil
	31-03-2023	NIL	NIL	646	106	Nil
g	Rent receivable					
	31-03-2024	NIL	NIL	62	543	NIL
	31-03-2023	NIL	NIL	54	543	NIL
h	TPA fees paid during the year					
	31-03-2024	Nil	Nil	116373	Nil	Nil
	31-03-2023	Nil	Nil	101658	Nil	Nil
i	TPA fees payable					
	31-03-2024	Nil	Nil	2200	Nil	Nil
	31-03-2023	Nil	Nil	1074	Nil	Nil
j.	Interest Paid					
	31-03-2024	Nil	Nil	Nil	52972	Nil
	31-03-2023	Nil	Nil	Nil	62771	Nil
k.	Loan Repaid					
	31-03-2024	Nil	Nil	Nil	117462	Nil
	31-03-2023	Nil	Nil	Nil	164486	Nil

क्र. सं.	विवरण	मे. इंडिया इंटरनेशनल इश्यूरेस प्राइवेट लिमिटेड,	मे. केन इंडिया इश्यूरेस कं.लि.,	मे. हेल्थ इश्यूरेस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	मे. जीआइसी हाऊसिंग फायनेंस लि.	महत्वपूर्ण प्रबंधक व्यक्ति
2.	ऋण और अग्रिम का शेष इस प्रकार है:					
	31-03-2024	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4625
	31-03-2023	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4719

चूंकि कंपनी और उसकी सहायक कंपनी शासन नियंत्रित हैं, इसलिए लेखांकन मानक एएस-18 की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य सरकारी नियंत्रित उपक्रमों के साथ लेनदेन से संबंधित कोई खुलासा नहीं किया जाता है।

33. पट्टे-एस-19

कंपनी ने किराया समझौते में समाप्ति खंड को जोड़ते हुए विभिन्न वाणिज्यिक परिसरों और आवासीय प्लेटों को पट्टे पर लिया है (इसकी समाप्ति से पहले समझौते को पट्टे को रद्द करने के प्रावधान के साथ)। इन पट्टे समझौतों को आम तौर पर तत्कालीन प्रचलित शर्तों / आवश्यकताओं के आधार पर समीक्षा के बाद समाप्ति पर नवीनीकृत किया जाता है। शर्तों/समझौते आमतौर पर कंपनी के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक प्रारूपों के आधार पर निष्पादित किए जाते हैं। परिचालन पट्टों के संबंध में राजस्व खाते से लिया गया पट्टे किराया व्यय ₹ 1203089 हजार (₹ 1222640 हजार) है।

34. एएस 20 " प्रति शेयर अर्जन " के अनुसार प्रकटीकरण

क्र. सं.	विवरण	31-03-2024	31-03-2023
1.	अंशधारकों पर रोपित शुद्ध लाभ/(हानि) (₹ हजार में)	(7725837)	(28464863)
2.	जारी किए गए इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या (संख्या में)	3905000000	3905000000
3.	प्रति शेयर बुनियादी अर्जन ₹ 10/- प्रत्येक	(1.98)	(7.29)

कंपनी के पास कोई बकाया डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयर नहीं है। परिणामस्वरूप, कंपनी की प्रति शेयर बुनियादी और घटी हुई आय वही रहती है।

35. लेखांकन मानक-22 की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय की आभासी निश्चितता के अभाव में 31 मार्च 2024 तक वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी गई है। हालाँकि, हमारी सहायक कंपनी जेनिथ सिक्वोरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और एसोसिएट हेल्थ इश्यूरेस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड ने क्रमशः ₹ 8 हजार और ₹ 52,783 हजार की राशि के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी है।

36.

- प्रबंधन की राय में, कंपनी के सहायकों की कोई हानि नहीं है जिसके लिए लेखांकन मानक-28 के संदर्भ में किसी भी समायोजन की आवश्यकता है।
- पूर्व अवधि की आइटम्स को संबंधित शीर्षों में शामिल किया गया है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। (₹ '000)

विवरण	31-03-2024	31-03-2023
पूर्वावधि आय	58100	0

- राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी डीएल ई 14102022-239668 दिनांक 14.10.2022 के अनुसार सामान्य बीमा कर्मचारियों के लिए अगला वेतन संशोधन 1 अगस्त 2022 से देय है। चूंकि वेतन वार्ता की प्रक्रिया अभी तक आरंभ नहीं हुई है इसलिए कंपनी ने वेतन संशोधन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।



Sl. No	Particulars	M/s. India International Insurance Pte Ltd.	M/s. Ken India Assurance Co Ltd.	M/s. Health Insurance TPA of India Ltd.	M/s GIC Housing Finance Ltd.	Key Managerial Personnel
2.	Balances of Loan and Advances as on:					
	31-03-2024	Nil	Nil	Nil	Nil	4625
	31-03-2023	Nil	Nil	Nil	Nil	4719

Since the Company and its Subsidiary are State controlled, no disclosures are made pertaining to the transactions with other State controlled undertakings in accordance with the requirements of the Accounting Standard AS-18.

33. Leases- AS-19

The Company has taken various commercial premises and residential flats on lease with Termination Clause in the Rent Agreement (with provision to terminate the agreement before its expiry. These lease agreements are normally renewed on expiry after review based on the then prevalent conditions / requirements. Lease Terms / Agreements are usually executed based on Standard Formats as per Company guidelines. Lease rental expense in respect of operating leases charged to revenue account is ₹1203089 thousands (₹1222640 thousands).

34. Disclosures as per AS 20 "Earnings per Share"

(₹ '000)

Sl. No	Particulars	31-03-2024	31-03-2023
1.	Net Profit/(Loss) attributable to shareholders (₹ in thousands)	(7725837)	(28464863)
2.	Weighted Average Number of Equity Shares issued (in Nos.)	3905000000	3905000000
3.	Basic earnings per share of ₹10/- each	(1.98)	(7.29)

The Company does not have any outstanding dilutive potential equity shares. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the Company remain the same.

35. Deferred Tax Assets has not been recognized in the financial statements as on 31st March 2024 in the absence of virtual certainty of sufficient future taxable income as per the requirements of Accounting Standard-22. However, our Subsidiary Zenith Securities and Investments Ltd. and Associate Health Insurance TPA of India Ltd have recognized Deferred Tax Asset for an amount of ₹ 8 thousands and ₹ 52,783 thousands respectively.

36.

- In the opinion of the management, there is no impairment of assets of the company that require any adjustment to be made in terms of Accounting Standard-28.
- Prior Period Items have been included in the respective heads and consist of the following (₹ '000)

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
Prior Period Income	58100	0

- As per the Gazette notification No CG DL E 14102022- 239668 dated 14.10.2022 the next wage revision is due for General Insurance Employees from 1st August 2022. The company has not made any provision for the wage revision as the process of wage negotiation has not yet commenced.

37. प्रबंधन द्वारा प्रमाणित क्षेत्रवार सकल प्रीमियम इस प्रकार है:

क्र. सं.	विवरण	31-03-2024			31-03-2023		
		मूल्य	जारी की गई पॉलिसियाँ और कवर किए गए जीवों की संख्या	%	मूल्य	जारी की गई पॉलिसियाँ और कवर किए गए जीवों की संख्या	%
1.	ग्रामीण क्षेत्र (जारी की गई पॉलिसियों की संख्या)	24504664	365449	12.34	15707799		8.90
2.	सामाजिक क्षेत्र (कवर किए गए जीव)	30287097	155405	15.26	28814901	186873	16.33
3.	अन्य क्षेत्र	143737807	-	72.40	131920351	-	74.77
	कुल व्यवसाय	198529568		100.00	176443051		100.00

38. बरकरार रखे गए और पुनर्बीमा किए गए जोखिम की सीमा का विवरण इस प्रकार है : (In %)

क्र.सं.	विवरण	31-03-2024	31-03-2023
1.	बरकरार रखा गया जोखिम	88.15	87.26
2.	पुनर्बीमित जोखिम	11.85	12.74

39. अन्य प्रावधानों का विवरण (In %)

विवरण	अवकाश नगदीकरण का प्रावधान दीर्घ कालिक		चिकित्सा अवकाश		अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
आरंभिक शेष	4918339	2850513	0	94557	9230223	8294486
परिवर्धन	0	2067826	0	0	214448	961481
उपयोग	0	0	0	0	0	0
उलटाव	427734	0	0	94557	1213767	25744
अंतिम शेष	4490605	4918339	0	0	8230904	9230223

कर्मचारी को अल्पकालिक लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ वह हैं जो उस अवधि की समाप्ति के बाद 12 महीनों के भीतर पूरी तरह से देय हो जाते हैं जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की थी, जैसे अवकाश यात्रा सब्सिडी, चिकित्सा लाभ अनुमान के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

40. **प्रीमियम का घाटा:** राजस्व खंड स्तर पर असमाप्त प्रीमियम रिजर्व नियुक्त बीमांकिक द्वारा प्रमाणित अपेक्षित दावा लागत और प्रबंधन द्वारा अनुमानित दावे से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त पाया गया है। इसलिए, वर्ष के दौरान किसी भी प्रीमियम के घाटे को आरक्षित प्रदान करने की आवश्यकता नहीं हुई है। हालाँकि, प्रीमियम का घाटा केवल मोटर, व्यक्तिगत दुर्घटना, स्वास्थ्य और फसल पोर्टफोलियो में उत्पन्न हुई है और इसका खुलासा यहां किया गया है।

(₹ '000)

खंड	घाटा	
	31-03-2024	31-03-2023
मोटर	1956680	0
विमानन	0	11952
व्यक्तिगत दुर्घटना	103637	87463
फसल	7432	7084
स्वास्थ्य	3055203	0



37. The sector-wise Gross Premium underwritten as certified by the Management is as follows: (₹ '000)

Sl. No	Particulars	31-03-2024			31-03-2023		
		Value	No of Policies issued and lives covered	%	Value	No of Policies issued and lives covered	%
1.	Rural Sector (No.of Policies issued)	24504664	365449	12.34	15707799		8.90
2.	Social Sector (Lives covered)	30287097	155405	15.26	28814901	186873	16.33
3.	Other Sector	143737807	-	72.40	131920351	-	74.77
	Total Business	198529568		100.00	176443051		100.00

38. The details for extent of risk retained and reinsured are as follows: (In ₹)

Sl. No.	Particulars	31-03-2024	31-03-2023
1.	Risk Retained	88.15	87.26
2.	Risk Reinsured	11.85	12.74

39. Details of Other Provisions (₹ '000)

Particulars	Provision for Leave Encashment Long term		Sick Leave		Provision for Bad and Doubtful Debts	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
Opening balance	4918339	2850513	0	94557	9230223	8294486
Additions	0	2067826	0	0	214448	961481
Utilization	0	0	0	0	0	0
Reversals	427734	0	0	94557	1213767	25744
Closing balance	4490605	4918339	0	0	8230904	9230223

Short Term Benefits to Employee

Short term employee benefits which fall due wholly within 12 months after the end of the period in which the employee rendered the related service, such as leave travel subsidy, medical benefits are provided based on estimates.

40. **Premium Deficiency** : The Unexpired premium reserve at revenue segment level is found to be sufficient to cover the expected claims cost as certified by the appointed actuary and the claims related expenses as estimated by the management. Hence, no premium deficiency reserve is required to be provided during the year. However, premium deficiency has arisen only in Motor, Personal Accident, Health and Crop portfolio and the same is disclosed here.

(₹ '000)

Segment	Deficiency	
	31-03-2024	31-03-2023
Motor	1956680	0
Aviation	0	11952
Personal Accident	103637	87463
Crop	7432	7084
Health	3055203	0

41. दिनांक 28-05-2015 के परिपत्र संख्या IRDA/F&A/CIR/CLD/114/05/2015 के गैर अधियाचित राशि और उस पर निवेश आय का खुलासा।
(₹ '000)

विवरण	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	पॉलिसी बकाया	अर्जित आय	पॉलिसी बकाया	अर्जित आय
आरंभिक शेष	722758	14985	786125	10994
जोड़: अनधियाचित राशि को अंतरण	90713	0	413440	0
जोड़: अनधियाचित राशि का चेक जारी किया गया लेकिन पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाया नहीं गया (चेक जीर्ण होने पर ही शामिल किया जाता है)	8021	0	13252	0
जोड़: अनधियाचित राशि के निवेश पर आय	-207907	263712	42864	3991
घटाया: तिमाही के दौरान दावों का भुगतान किया गया राशि	91289	0	430718	0
घटाया: एससीडब्ल्यूएफ को हस्तांतरित राशि (पहले हस्तांतरित राशि के संबंध में भुगतान किए गए दावों का शुद्ध)	154340	74562	102206	0
अनधियाचित राशि का अंतिम शेष	367956	204135	722758	14985

*** नोट:**

- (i) आईआरडीएआई परिपत्र सं. IRDA/F&A/CIR/MISC/173/07/2017 दिनांक 25.07.2017 और परिपत्र संख्या IRDA/F&A/CIR/MISC/20/02/2018 दिनांक 06.02.2018 के अनुसार ₹ 228902 हजार (102206 हजार) की राशि वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थानांतरित कर दी गई है।
- (ii) पॉलिसीधारकों से संबंधित अनधियाचित राशि के लिए ₹ 564000 हजार (₹ 740500 हजार) की राशि का सावधि जमा शेष 31-03-2024 तक उपलब्ध है।
- (iii) पॉलिसीधारकों के धन की दावा न की गई अनधियाचित राशि का आयु-वार विश्लेषण अनुबंध-खत में संलग्न है।
42. A. लेखांकन नीति के अनुसार पॉलिसीधारकों की शेष राशि से संबंधित विविध क्रेडिट शेष को लाभ और हानि खाते में वापस लिखा जाता है, जिसमें ₹ 31585 हजार शामिल हैं जो तीन साल से अधिक पुराने जीर्ण और रोके गए चेक को प्रस्तुत करते हैं।
- B. 31.03.2024 तक, चूँकि कंपनी का नेटवर्थ (शेयरधारकों का फंड) नकारात्मक है, सहायक, सहयोगियों और विदेशी कंपनियों में निवेश को छोड़कर युइइकं के सभी निवेश पॉलिसीधारकों को आवंटित किए गए हैं। शेयरधारकों के मुकाबले पॉलिसीधारकों का अनुपात 99.91:0.09 है।
43. पर्यावरण और वन मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4.11.2008 के तहत पांच साल की अवधि के लिए और नवीनतम अधिसूचना संख्या के तहत " पर्यावरण राहत कोष " (ईआरएफ) के लिए कंपनी को फंड मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया था। जी.एस.आर. 34 (ई) दिनांक 15 जनवरी 2020 के अनुसार, फंड मैनेजर के रूप में कंपनी की स्थिति 15 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई है। गठन, वैधानिक आवश्यकताओं और अन्य परिचालन मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण की प्राप्ति तक, कंपनी ने उक्त अधिसूचना के संदर्भ में फंड मैनेजर को मान्यता दी है फंड के अनऑडिटेड खातों के आधार पर, वर्ष के दौरान आय के रूप में सेवा शुल्क (खर्चों का शुद्ध) ₹ 3706 हजार (₹ 3621 हजार) है।



41. Disclosure of Unclaimed amount and Investment Income thereon as per circular No. IRDA/F&A/CIR/CLD/114/05/2015 dated 28-05-2015. (₹ '000)

PARTICULARS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
	POLICY DUES	INCOME ACCRUED	POLICY DUES	INCOME ACCRUED
Opening Balance	722758	14985	786125	10994
Add: Amount Transferred to Unclaimed Amount	90713	0	413440	0
PARTICULARS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
	POLICY DUES	INCOME ACCRUED	POLICY DUES	INCOME ACCRUED
Add: Cheque issued out of the Unclaimed amount but not encashed by the policyholders'(to be included only when the cheques are stale)	8021	0	13252	0
Add: Investment Income on Unclaimed Fund	-207907	263712	42864	3991
Less: Amount of claims paid during the quarter	91289	0	430718	0
Less: Amount transferred to SCWF (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier)	154340	74562	102206	0
Closing Balance of Unclaimed Amount	367956	204135	722758	14985

*Note:

- (i) An amount of ₹ 228902 thousands (102206 thousands) has been transferred to Senior Citizens welfare Funds as per IRDAI Circular No. IRDA/F&A/CIR/MISC/173/07/2017 dated 25.07.2017 and Circular No. IRDA/F&A/CIR/MISC/20/02/2018 dated 06.02.2018.
 - (ii) Fixed Deposit balance for an amount of ₹ 564000 thousands (₹ 740500 thousands) is available as on 31-03-2024 towards unclaimed amount pertaining to policyholders.
 - (iii) Age wise analysis of unclaimed amount of Policyholders' funds is enclosed in Annexure-II.
42. A. Sundry credit balances not pertaining to policyholders' balances are written back to profit and loss account as per accounting policy, which includes ₹ 31585 thousands representing write back of stale and stop cheques more than three years old.
- B. As on 31.03.2024, since the Networth (Shareholders' Fund) of the company is negative, all the investments of UIIC has been allotted to Policyholders' except investments in subsidiary, associates, and foreign companies. The proportion of policyholders to shareholders stands at 99.91:0.09.
43. The Company was appointed as Fund Manager for "Environment Relief Fund" (ERF) vide Ministry of Environment and Forest's Gazette Notification dated 4.11.2008 for a period of five years and vide latest notification no. G.S.R 34 (E) dated 15th January 2020, the company's position as Fund Manager was extended up to 15th August 2024. Pending receipt of clarification regarding Constitution, statutory requirements and other operational issues, the Company in terms of the said notification has recognized Fund Manager's service charges (net of expenses) to the tune of ₹ 3706 thousands (₹ 3621 thousands) as income during the year, based on the unaudited accounts of the Fund.

44. विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाइयों का विवरण:

क्र. सं.	प्राधिकारी	गैर अनुपालन / उल्लंघन	लगाया गया जुर्माना (₹ '000)	भुगतान किया गया जुर्माना (₹ '000)	कम किया गया / माफ किया गया जुर्माना (₹ '000)
1	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	-	0	0	0
2	सेवा कर/ जीएसटी प्राधिकारी	-	0	0	0
3	आयकर प्राधिकारी	-	0	0	0
4	कोई अन्य कर प्राधिकारी	-	0	0	0
5	प्रवर्तन निदेशालय / निर्णायक प्राधिकारी / फेमा के तहत ट्रिब्यूनल या कोई प्राधिकरण	-	0	0	0
6	कंपनीरजिस्ट्रार/एनसीएलटी/सीएलबी/कॉर्पोरेट मामलों का विभाग या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कोई प्राधिकरण	-	0	0	0
7	दावा निपटान सहित लेकिन मुआवजे को छोड़कर किसी भी मामले के लिए किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया जुर्माना	-	0	0	0
8	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/बीएसई	-	0	0	0
9	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	-	0	0	0
10	कोई अन्य केंद्रीय/राज्य/स्थानीय सरकार/वैधानिक प्राधिकरण	-	0	0	0

वर्ष के दौरान किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

45. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विलंबित भुगतान पर अध्याय के तहत प्रकटीकरण आवश्यक।

विवरण	31-03-2024	31-03-2023
वर्ष के अंत तक किसी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि का भुगतान नहीं किया जाना	शून्य	शून्य
उपरोक्त राशि पर देय ब्याज	शून्य	शून्य
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान की राशि	शून्य	शून्य
अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना भुगतान में विलंब के लिए देय और देय ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में अर्जित और अवैतनिक शेष ब्याज की राशि	शून्य	शून्य

उपरोक्त जानकारी को इस प्रकार संकलित किया गया है कि कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की गई है।

44. Details of penal actions taken by various Government Authorities:

Sl.No	Authority	Non- Compliance / Violation	Penalty Awarded (₹ '000)	Penalty Paid (₹ '000)	Penalty Waived / Reduced (₹ '000)
1.	Insurance Regulatory and Development Authority	-	0	0	0
2.	Service Tax / GST Authorities	-	0	0	0
3.	Income Tax Authorities	-	0	0	0
4.	Any other Tax Authorities	-	0	0	0
5.	Enforcement Directorate / Adjudicating Authority / Tribunal or any Authority under FEMA	-	0	0	0
6.	Registrar of Companies / NCLT / CLB / Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 1956	-	0	0	0
7.	Penalty awarded by any Court / Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation	-	0	0	0
8.	Securities and Exchange Board of India/BSE	-	0	0	0
9.	Competition Commission of India	-	0	0	0
10.	Any other Central / State / Local Government / Statutory Authority	-	0	0	0

No other penal action has been taken by any other Government Authority during the year.

45. Disclosures required under Section 22 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 under the Chapter on Delayed Payments to Micro and Small Enterprises

Particulars	31-03-2024	31-03-2023
Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the year	Nil	Nil
Interest due on the above amount	Nil	Nil
Amount of interest paid in terms of Section 16 of the MSME Act, 2006.	Nil	Nil
Amount of payments made to the suppliers beyond the appointed day during the year	Nil	Nil
Amount of interest due and payable for the delay in making the payment but without adding the interest specified under the Act	Nil	Nil
Amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the year	Nil	Nil

The above information has been compiled to the extent such parties have been identified based on information available with the company.

46. a. कंपनी के खातों को बंद करने से पहले मई 2021 में एलसीबी मुंबई में एक बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ था और इसमें लिस राशि ₹2046911 हजार थी और यह पिछले वर्ष के खातों में पूरी तरह से प्रावधान की गई है। अब तक आर्थिक अपराध शाखा मुंबई द्वारा वसूल की गई ₹889909 हजार की राशि प्राप्त हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने विभिन्न पक्षों की चल-अचल संपत्तियों समेत 252207 हजार रुपये की छह संपत्तियां जब्त की हैं।
- b. मंडल कार्यालय सूरत में वर्ष 2021-22 में उजागर हुए ₹21145 हजार की धोखाधड़ी की पूरी राशि का पिछले वित्तीय वर्ष में प्रावधान किया गया है। संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति पर है।
47. कंपनी अपने बही खातों को बनाए रखने के लिए जीसी कोर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है, जिसमें ऑडिट ट्रेल सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित होता है। लेखांकन सॉफ्टवेयर के संबंध में ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। अन्य सहायक सॉफ्टवेयर (डीजेवी, एफएसीटी) के संबंध में ऑडिट ट्रेल सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
48. कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने से पहले जेनिथ सिक्वोरिटीज एंड इन्वेंटमेंट लिमिटेड, हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड के खातों का उपयोग समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में किया गया है, क्योंकि युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड द्वारा खातों को अपनाने की तारीख से पहले खातों को अपनाने के लिए कंपनी ने बोर्ड बैठक आयोजित नहीं कर सकी थी।
49. वर्तमान वर्ष के समूहों/वर्गीकरणों के अनुरूप होने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहीकरण/पुनर्वर्गीकरण/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्निर्माण किया गया है।
50. वित्तीय विवरण के वर्णनात्मक भाग में आंकड़े हजारों रुपये में हैं, जो आइआरडीएआइ मानदंडों के अनुरूप हैं।
51. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

अनघा देशपांडे

कंपनी सचिव

सी ए एस सं. : A12700

संतानम हेमामालिनी

मुख्य वित्तीय अधिकारी

भूपेश सुशील राहुल

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

डीआइएन : 10610759

संलग्न दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन : 001997S

वास्ते एसआरबीआर & एसोसिएट्स एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन : 004997S/S200051

वास्ते ए वी देवेन & कं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन: 000726S

सीए के सुनील कुमार

भागीदार

सदस्यता सं. 231416

सीए आर. सुंदराराजन

भागीदार

सदस्यता सं. 029814

सीए आर रघुरामन

भागीदार

सदस्यता सं. 201760

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 29.05.2024



46. a. A major fraud was unearthed in LCB Mumbai in May 2021 before the closure of company accounts and the amount involved was ₹ 2046911 thousand and this is fully provided for in the earlier year accounts. Till date an amount of ₹ 889909 thousand recovered by Economic Offence Wing Mumbai has been received. Enforcement directorate has attached moveable and immovable properties from various parties and six properties worth ₹ 252207 thousand.
- b. Fraud unearthed in the year 2021-22 amounting to ₹21145 thousand at DO Surat, has been fully provided in the last financial year. The disciplinary proceedings against the concerned employees are in progress.
47. The Company is using the GC Core accounting software for maintaining the books of accounts, which has a feature of recording audit trail facility, and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. The audit trail feature has not been tampered with in respect to accounting software. With respect to other supporting softwares (DJV, FACT) the audit trail feature was not available
48. The Accounts of Zenith Securities and Investment Ltd, Health Insurance TPA of India Ltd and India International Insurance Pte Ltd, before being approved by the Board of the Company, have been used in preparation of Consolidated Financial Statements, as the Companies could not conduct the Board Meeting for adoption of Accounts before the date of adoption of Accounts by the Board of United India Insurance Company Limited.
49. Regrouping/reclassifying/ rearranging/recasting of previous year figures has been done wherever necessary to conform to the current year groupings/ classifications.
50. Figures in the narrative part of financial statements are in thousands of Rupees, conforming to IRDAI norms.
51. Figures given in brackets relate to previous year.

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY
ACS No. : A12700

SANTHANAM HEMA MALINI
CHIEF FINANCIAL OFFICER

BHUPESH SUSHIL RAHUL
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN : 10610759

Vide our report of date attached.

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

For A V Deven & Co
Chartered Accountants
FRN: 000726S

CA K Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416

CA R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

CA R Raghuraman
Partner
Membership No. 201760

Place : Chennai
Date : 29.05.2024

31 मार्च 2024 को आयुवार लंबित दावे

(₹ लाख में)

विभाग	30 दिन या उससे कम लंबित		30 दिन से अधिक लेकिन 3 महीनों से कम लंबित		3 महीने से अधिक लेकिन 6 महीनों से कम लंबित		6 महीने से अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम लंबित	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अग्नि	210	1215390	334	1323793	1137	8264633	645	4372533
समुद्री कार्गो	159	44056	253	148778	347	220781	359	186803
समुद्री पोतकाय	19	13193	29	246044	60	112638	34	130040
मोटर स्वक्षति	33750	1429327	24164	1677178	13071	1427421	7052	1079677
मोटर तृतीय पक्ष अन्य	2852	1745385	4944	3209107	7316	4714929	13627	9309362
मोटर डी आर पूल	2	35	3	261	4	1077	11	2371
मोटर टीपी पूल	15	2121	25	18992	89	21052	47	57278
कर्मचारी क्षतिपूर्ति	35	4701	68	13385	99	11132	147	27005
व्यक्तिगत दुर्घटना	364	117946	647	170357	481	171031	629	451822
विमानन	0	0	3	50775	2	12300	9	18040
अभियांत्रिकी	342	189292	513	236288	512	2098015	481	2489141
साख	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य विविध	486	80604	852	238075	692	414782	762	611230
देयता	17	38585	19	120511	20	242953	57	322101
स्वास्थ्य & अस्पता	53703	2356559	21672	1117667	15009	708026	9330	8895268
फसल	6	6674	0	0	2	1467467	3	2399613
अन्य	91960	7243865	53526	8571210	38841	19888237	33193	30352284

विभाग	1 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम लंबित		3 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम लंबित		5 वर्ष से अधिक लंबित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अग्नि	533	7803545	243	5183109	922	2779010	4024	30942013
समुद्री कार्गो	333	356987	79	596404	362	545489	1892	2099299
समुद्री पोतकाय	83	3731121	31	252310	77	425542	333	4910888
मोटर स्वक्षति	2775	476482	760	179375	1938	359684	83510	6629143
मोटर तृतीय पक्ष अन्य	40591	28622635	28853	19532372	40751	22638967	138934	89772757
मोटर डी आर पूल	32	8567	38	14476	328	139165	418	165951
मोटर टीपी पूल	193	90870	337	107257	4621	1907458	5327	2205027
कर्मचारी क्षतिपूर्ति	294	7451	162	56894	598	175880	1403	296448
व्यक्तिगत दुर्घटना	426	276278	162	70479	658	203718	3367	1461632
विमानन	26	386715	14	126849	14	13072	68	607751
अभियांत्रिकी	300	995244	77	1344953	193	2624780	2418	9977711
साख	0	0	0	0	5	4361	5	4361
अन्य विविध	625	762148	297	169457	1087	646021	4801	2922317
देयता	155	412655	161	265973	1139	460503	1568	1863280
स्वास्थ्य & अस्पता	32531	1547364	1812	151447	1602	170634	135659	14946965
फसल	9	627653	16	152746	60	54981	96	4709132
अन्य	78906	46105715	33042	28204099	54355	33149266	383823	173514675



Annexure - I

AGEWISE OUTSTANDING CLAIMS AS ON 31ST MARCH 2024

(₹ '000)

Department	O/s for 30 days or Less		O/s for 3 months or Less but more than 30 days		O/s for 6 months or Less but more than 3 months		O/s for 1 year or Less but more than 6 months	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
Fire	210	1215390	334	1323793	1137	8264633	645	4372533
Marine Cargo	159	44056	253	148778	347	220781	359	186803
Marine Hull	19	13193	29	246044	60	112638	34	130040
Motor OD	33750	1429327	24164	1677178	13071	1427421	7052	1079677
Motor TP Others	2852	1745385	4944	3209107	7316	4714929	13627	9309362
Motor DR Pool	2	35	3	261	4	1077	11	2371
Motor TP Pool	15	2121	25	18992	89	21052	47	57278
Workmen Comp.	35	4701	68	13385	99	11132	147	27005
Personal Acc.	364	117946	647	170357	481	171031	629	451822
Aviation	0	0	3	50775	2	12300	9	18040
Engineering	342	189292	513	236288	512	2098015	481	2489141
Credit	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Misc.	486	80604	852	238075	692	414782	762	611230
Liabilities	17	38585	19	120511	20	242953	57	322101
Health & Hosp.	53703	2356559	21672	1117667	15009	708026	9330	8895268
Crop	6	6674	0	0	2	1467467	3	2399613
TOTAL	91960	7243865	53526	8571210	38841	19888237	33193	30352284

Department	O/s for 3 years or Less but more than 1 year		O/s for 5 years or Less but more than 3 years		O/s for more than 5 years		Total	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
Fire	533	7803545	243	5183109	922	2779010	4024	30942013
Marine Cargo	333	356987	79	596404	362	545489	1892	2099299
Marine Hull	83	3731121	31	252310	77	425542	333	4910888
Motor OD	2775	476482	760	179375	1938	359684	83510	6629143
Motor TP Others	40591	28622635	28853	19532372	40751	22638967	138934	89772757
Motor DR Pool	32	8567	38	14476	328	139165	418	165951
Motor TP Pool	193	90870	337	107257	4621	1907458	5327	2205027
Workmen Comp.	294	7451	162	56894	598	175880	1403	296448
Personal Acc.	426	276278	162	70479	658	203718	3367	1461632
Aviation	26	386715	14	126849	14	13072	68	607751
Engineering	300	995244	77	1344953	193	2624780	2418	9977711
Credit	0	0	0	0	5	4361	5	4361
Other Misc.	625	762148	297	169457	1087	646021	4801	2922317
Liabilities	155	412655	161	265973	1139	460503	1568	1863280
Health & Hosp.	32531	1547364	1812	151447	1602	170634	135659	14946965
Crop	9	627653	16	152746	60	54981	96	4709132
TOTAL	78906	46105715	33042	28204099	54355	33149266	383823	173514675

AGEWISE OUTSTANDING CLAIMS AS ON 31ST MARCH 2024

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पंजीयन सं. : 545, आइआरडीएआइ के साथ नवीनीकरण की तिथि : फरवरी 02, 2023
प्रपत्र अ
31.03.2024 को पॉलिसी धारकों की अनधियाचित राशि का आयुवार विश्लेषण को दर्शाती हुई विवरणी
(₹ लाख में)

विवरण	कुल राशि	आयु वार विश्लेषण							
		0-6 महीने	7-12 महीने	13-18 महीने	19-24 महीने	25-30 महीने	31-36 महीने	37-120 महीने	120 महीने से अधिक
पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों की ओर से मुकदमेबाजी को छोड़कर किन्हीं कारणों से दावों का निपटान किया गया लेकिन पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों को भुगतान नहीं किया गया।	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों को परिपक्वता पर या अन्यथा देय राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रीमियम/कर या किसी अन्य शुल्क का कोई अतिरिक्त संग्रह जो पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों को या तो पॉलिसी की शर्तों के अनुसार या कानून के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, लेकिन अब तक वापस नहीं किया गया है।	2603	446	74	84	78	237	108	1555	21
पॉलिसीधारक/लाभार्थियों द्वारा चेक जारी किए गए लेकिन भुनाए नहीं गए	1077	78	8	5	18	74	6	602	286
कुल	3680	524	82	89	96	311	114	2157	307

नोट: आयुवार विश्लेषण के लिए, पॉलिसीधारकों की निधि पर अर्जित और संचित ब्याज रु. 2041 (लाख में) पर विचार नहीं किया गया है।

Annexure - II

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED
Registration No.: 545, Date of Renewal with the IRDAI: 02nd February 2023

Form A

**Statement showing the Age-wise Analysis of the
 Unclaimed Amount of the Policyholders as on 31.03.2024**

(₹ in Lakhs)

Particulars	Total Amount	AGE-WISE ANALYSIS							
		0-6 months	7-12 months	13-18 months	19-24 months	25-30 months	31-36 months	37-120 months	More Than 120 Months
Claims settled but not paid to the policyholders/beneficiaries due to any reasons except under litigation from the policyholders/ beneficiaries	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum due to the policyholders/ beneficiaries on maturity or otherwise	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Any excess collection of the premium/ tax or any other charges which is refundable to the policyholders/ beneficiaries either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	2603	446	74	84	78	237	108	1555	21
Cheques issued but not encashed by the policyholder/beneficiaries	1077	78	8	5	18	74	6	602	286
Total	3680	524	82	89	96	311	114	2157	307

Note : For Agewise Analysis, the Interest earned and accumulated on the Policyholders' funds, amounting to Rs. 2041 (in lakhs), is not considered.

UNCLAIMED AMOUNT OF POLICYHOLDERS - AGE-WISE ANALYSIS

प्रपत्र ए ओ सी-1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के पहले प्रावधान के अनुसार)
सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

भाग "ए" : सहयोगियाँ

(₹ 000 में)

1	क्र.सं.	1
2	सहयोगी का नाम	जेनीथ सेक्यूरिटीज एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड
3	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो तो	लागू नहीं
4	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्टिंग	लागू नहीं
5	अंश पूंजी	2000
6	रिजर्व & अधिशेष	491709
7	कुल संपत्तियाँ	510042
8	कुल देयताएँ	16333
9	निवेश	112847
10	कारोबार	128237
11	कराधान पूर्व लाभ	136149
12	कराधान हेतु प्रावधान(पिछले वर्षों से संबंधित वर्तमान कर व्यय)	16777
13	कराधान पश्चात लाभ	119372
14	प्रसावित लाभांश	0
15	अंश धारिता का %	69.45%

नोट्स:

1	उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका संचालन अभी आरंभ होना बाकी है	शून्य
2	उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन या बिक्री की गई है	शून्य

अनघा देशपांडे

कंपनी सचिव

सी ए एस सं. : A12700

संतानम हेमामालिनी

मुख्य वित्तीय अधिकारी

भूपेश सुशील राहुल

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

डीआइएन : 10610759

संलग्न दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन : 001997S

वास्ते एसआरबीआर & एसोसिएट्स एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन : 004997S/S200051

वास्ते ए वी देवेन & कं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन : 000726S

सीए के सुनील कुमार

भागीदार

सदस्यता सं. 231416

सीए आर. सुंदराराजन

भागीदार

सदस्यता सं. 029814

सीए आर रघुरामन

भागीदार

सदस्यता सं. 201760

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 29.05.2024

FORM AOC-I

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)
Statement containing salient features of the financial statement of subsidiaries / associate companies / joint ventures

Part "A": Subsidiaries

(₹ '000)

1	Sl. No.	1
2	Name of the subsidiary	ZENITH SECURITIES AND INVESTMENT LTD
3	Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period	N.A
4	Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries.	N.A
5	Share capital	2000
6	Reserves & surplus	491709
7	Total assets	510042
8	Total Liabilities	16333
9	Investments	112847
10	Turnover	128237
11	Profit before taxation	136149
12	Provision for taxation (current tax expenses relating to prior years)	16777
13	Profit after taxation	119372
14	Proposed Dividend	0
15	% of shareholding	69.45%

Notes:

1	Names of Subsidiaries which are yet to commence operations	NIL
2	Names of Subsidiaries which have been liquidated or sold during the year	NIL

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY
ACS No. : A12700

SANTHANAM HEMA MALINI
CHIEF FINANCIAL OFFICER

BHUPESH SUSHIL RAHUL
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN : 10610759

Vide our report of date attached.

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

For A V Deven & Co
Chartered Accountants
FRN: 000726S

CA K Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416

CA R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

CA R Raghuraman
Partner
Membership No. 201760

Place : Chennai
Date : 29.05.2024

भाग "ब" : सहयोगी

सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार विवरण

(₹ ` 000 में)

सहयोगी/ संयुक्त उद्यमियों के नाम		हेल्थ इन्श्योरेंस टी पी ए ऑफ इंडिया लिमिटेड	इंडिया इंटरनेशनल इन्श्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर
1	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र	31.03.2023 (समेकन हेतु 31.03.2024 को अपरीक्षित लेखों का उपयोग किया गया)	31.03.2022 (समेकन हेतु 31.03.2023 को अपरीक्षित लेखों का उपयोग किया गया)
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी / संयुक्त उद्यमियों के शेयर		लागू नहीं
	संख्या	28500000	10000000
	सहयोगी/ संयुक्त उद्यमियों में निवेश किया गया राशि	285000	18276
	धारिता का %	23.75%	20%
3	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे पड़ता है इसका विवरण	अंशधारिता के अनुसार	अंशधारिता के अनुसार
4	कारण की व्यों सहयोगी / संयुक्त उद्यमी को समेकित नहीं किया गया	लागू नहीं	लागू नहीं
5	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरहोल्डिंग के कारण निवल मूल्य	249914.06	5993667
6	वर्ष के लिए लाभ/ हानि		
	i. समेकन में लिया गया *	26980	279038
	ii. समेकन में नहीं लिया गया *	86621	1116153

* (नामित निदेशक द्वारा धारित एक शेयर सहित)

नोट्स :

1	एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है	शून्य
2	एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन या बिक्री की गई है	शून्य

अनघा देशपांडे

कंपनी सचिव

सी ए एस सं. : A12700

संतानम हेमामालिनी

मुख्य वित्तीय अधिकारी

भूपेश सुशील राहुल

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

डीआइएन : 10610759

संलग्न दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते मनोहर चौधरी & एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन : 001997S

वास्ते एसआरबीआर & एसोसिएट्स एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन : 004997S/S200051

वास्ते ए वी देवेन & कं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन : 000726S

सीए के सुनील कुमार

भागीदार

सदस्यता सं. 231416

सीए आर. सुंदराराजन

भागीदार

सदस्यता सं. 029814

सीए आर रघुरामन

भागीदार

सदस्यता सं. 201760

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 29.05.2024



Part “B”: Associates

Statement pursuant to section 129(3) of the Companies Act, 2013 related to Associate Companies and Joint Ventures

(₹ '000)

Name of Associates/Joint Ventures		HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA LIMITED	INDIA INTERNATIONAL INSURANCE PTE LTD, SINGAPORE
1	Latest audited Balance Sheet Date	31.03.2023 (Unaudited Accounts as on 31.03.2024 has been used for Consolidation)	31.12.2022 (Unaudited Accounts as on 31.12.2023 has been used for Consolidation)
2	Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end		
	No.	28500000	10000000
	Amount of Investment in Associates/Joint Venture	285000	18276
	Extend of Holding %	23.75%	20%
3	Description of how there is significant influence	By shareholding	By shareholding
4	Reason why the associate/joint venture is not Consolidated	N.A	N.A
5	Networth attributable to Shareholding as per latest audited Balance Sheet	249914.06	5993667
6	Profit / Loss for the year		
	i. Considered in Consolidation*	26980	279038
	ii. Not Considered in Consolidation*	86621	1116153

* (including one share held by Nominee Director)

Notes:

1	Names of Associates/Joint Ventures which are yet to commence operations	शून्य
2	Names of Associates/Joint Ventures which have been liquidated or sold during the year	शून्य

Note: Includes difference in Loss of Health Insurance TPA of India Ltd(HITPA) pertaining to previous year arising due to changes made to Unaudited Financial Statements of HITPA after Consolidation

ANAGHA DESHPANDE
COMPANY SECRETARY
ACS No. : A12700

SANTHANAM HEMA MALINI
CHIEF FINANCIAL OFFICER

BHUPESH SUSHIL RAHUL
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR
DIN : 10610759

Vide our report of date attached.

For Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN :001997S

For S R B R & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN:004997S/S200051

For A V Deven & Co
Chartered Accountants
FRN: 000726S

CA K Sunil Kumar
Partner
Membership No. 231416

CA R. Sundararajan
Partner
Membership No.029814

CA R Raghuraman
Partner
Membership No. 201760

Place : Chennai
Date : 29.05.2024

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त छोड़ दिया गया है
This page is intentionally left blank

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त छोड़ दिया गया है
This page is intentionally left blank

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त छोड़ दिया गया है
This page is intentionally left blank



युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड
UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD.

(A Government of India Undertaking)

Regd. Office : 24, Whites Road, Chennai - 600 014

At United India it's always U before I